पंचदश माला, खंड 6, अंक 15

गुरुवार, 10 दिसम्बर, 2009
19 अग्रहायण, 1931 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तीसरा सत्र
(पंद्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No.........................
Dated...........................

(खण्ड 6 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

डा. रविन्द्र कुमार चड्डा
संयुक्त सचिव

जे.पी. शर्मा
निदेशक

कमला शर्मा
अपर निदेशक

बलराम सूरी
संयुक्त निदेशक

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

सुनीता थपलियाल
सहायक सम्पादक

अनिल निर्वाण
सहायक सम्पादक

© 2010 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अन्तर्विष्ट स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

विषय सूची

पंचदश माला, खंड 6, तीसरा सत्र, 2009/1931 (शक)
अंक 15, गुरुवार, 10 दिसम्बर, 2009/19 अग्रहायण, 1931 (शक)

विषय — **कॉलम**

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख 1

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या 301 से 303 और 305 से 307 2-48

प्रश्नों के लिखित उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या 304 और 308 से 320 48-92

अतारांकित प्रश्न संख्या 3355 से 3539 92-374

सभा पटल पर रखे गए पत्र 374-395

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति

पहला प्रतिवेदन 395

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति

पहला प्रतिवेदन 395

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल), 2009-2010 395

सदस्य द्वारा निवेदन

पृथक तेलंगाना राज्य के गठन को सुकर बनाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा की गई पहल के बारे में 395-403

नियम 377 के अधीन मामले 403-407

(एक) उत्तर प्रदेश में बहराइच के सुहेल देव तीर्थ स्थल को राष्ट्रीय महत्व के पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री कमल किशोर 'कमांडो' 404

(दो) केरल की वेम्बनाड झील की पारिस्थितिकी को सुरक्षित रखे जाने की आवश्यकता

श्री एंटो एंटोनी 404-405

(तीन) वर्ष 1981 के करार के अंतर्गत रावी और व्यास नदियों का अधिशेष पानी राजस्थान को दिए जाने की आवश्यकता

श्री राम सिंह कस्वां 405-406

---

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

(चार) जीवन बीमा निगम अभिकर्त्ताओं के हितों की संरक्षा करने के लिए बीमा (संशोधन) विधेयक, 2008 की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय 406

(पांच) पश्चिम बंगाल के कोलकाता, सिलिगुड़ी और हावड़ा शहरों में पाइप लाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रशांत कुमार मजूमदार 406-407

सांविधिक संकल्प: आवश्यक वस्तु (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2009 (2009 का संख्यांक 9) के निरनुमोदन

और

आवश्यक वस्तु (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2009 के बारे में

विचार करने के लिए प्रस्ताव 407

श्री राजू शेट्टी 407-413

श्री पन्ना लाल पुनिया 413-416

श्री राजेन्द्र अग्रवाल 416-421

श्री शैलेन्द्र कुमार 421-423

श्री गोरखनाथ पाण्डेय 423-426

शेख सैदुल हक 426-429

श्री नित्यानन्द प्रधान 429-430

श्री एस. सेम्मलई 430-432

श्री जगदम्बिका पाल 432-438

श्री हुक्मदेव नारायण यादव 438-443

श्री टी.आर. बालू 443-446

श्री प्रबोध पांडा 446-448

श्रीमती जयाप्रदा 448-450

श्री नामा नागेश्वर राव 450-454

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह 454-457

श्री प्रशांत कुमार मजूमदार 457-459

श्री ए. गणेशमूर्ति 459-462

विषय	कॉलम

श्री राजाराम पाल 463-464

श्री घनश्याम अनुरागी.......... 464-465

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय 465-467

श्री शरद पवार 467-481

संकल्प-अस्वीकृत हुआ 481

खण्ड 2 से 4 और 1 482

पारित करने के लिए प्रस्ताव.......... 483

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2009-2010 484-571

श्री यशवंत सिन्हा 489-503

श्री अधीर चौधरी 504-514

श्री शैलेन्द्र कुमार 514-516

श्री गोरखनाथ पांडेय 516-519

श्री मंगनी लाल मंडल 519-524

श्री बंस गोपाल चौधरी.......... 524-526

श्री भर्तृहरि महताब 526-532

श्री आनंदराव अडसुल.......... 532-534

श्री विष्णु पद राय 534-537

डॉ. थोकचोम मैन्या.......... 537-540

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह 540-546

श्री प्रबोध पांडा 547-549

श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर 549-552

श्री प्रशांत कुमार मजूमदार 552-554

श्री तूफानी सरोज.......... 554-558

श्री पी. करुणाकरन 558-562

डॉ. संजय जायसवाल.......... 562-571

कार्य मंत्रणा समिति

नौवां प्रतिवेदन 546

विषय	कॉलम

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 573-574

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 574-580

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 581-582

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 582-584

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य

श्री पी.सी. चाको

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री इन्दर सिंह नामधारी

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना

श्री अर्जुन चरण सेठी

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह

डॉ. एस. तम्बिदुरई

श्री बेनी प्रसाद वर्मा

डॉ. गिरिजा व्यास

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

गुरुवार, 10 दिसम्बर, 2009/19 अग्रहायण, 1931 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदया *पीठासीन हुई*)

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

मानवाधिकार दिवस

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यो, आज मानवाधिकार दिवस है। संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने 10 दिसम्बर, 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार किया और इसकी उद्घोषणा की।

यह दिन हमें आमतौर पर सभी मनुष्यों और विशेष तौर पर हमारे नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों के साथ-साथ नागरिक और राजनैतिक अधिकारों को हासिल करने के प्रति हमारी वचनबद्धता का स्मरण कराता है। यह पावन उद्देश्य हमारे संविधान की प्रस्तावना में प्रमुख स्थान रखते हैं और देश ने इन्हें हासिल करने के लिए अनेक पहल की है।

मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में वर्णित इन उद्देश्यों को पूरी तरह से हासिल करने के लिए हम इस अवसर पर अपने को पुनःसमर्पित करते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब, हम प्रश्नकाल शुरू करेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री मधु गौड यास्खी (निजामाबाद): अध्यक्ष महोदया, एक पृथक तेलंगाना राज्य के गठन पर विचार करने के लिए हम इस अवसर पर केन्द्र सरकार, माननीय प्रधानमंत्री और यू.पी.ए. अध्यक्षा, श्रीमती सोनिया गांधी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं।

अध्यक्ष महोदया: ठीक है। धन्यवाद।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदया: श्री मनीष तिवारी, प्रश्न संख्या 301।

[अनुवाद]

तेल डिपुओं में सुरक्षा उपाय

***301. श्री मनीष तिवारी:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नवम्बर, 2009 के आरंभ में जयपुर के तेल डिपो में आग लगने की घटना की जांच हेतु गठित जांच समिति की संरचना क्या है तथा इसके विचारार्थ विषय क्या है;

(ख) क्या इस जांच समिति को तेल कंपनी के कर्मचारियों द्वारा कथित रूप से की गई चोरी के कारण पेट्रोलियम उत्पादों की हुई हानि को छिपाने के लिए उनके द्वारा कथित रूप से तोड़-फोड़ किए जाने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए विशेषरूप से जांच करने को कहा गया है;

(ग) क्या विभिन्न तेल डिपुओं के स्टाक की जांच पर मंत्रालय की कोई स्वतंत्र एजेंसी निगरानी रखती है अथवा इसे तेल विपणन कंपनियों पर छोड़ दिया जाता है;

(घ) क्या तेल डिपुओं पर सुरक्षा मानदंडों के पालन पर निगरानी रखने हेतु कोई स्थानीय स्तर की समितियां अथवा अन्य व्यवस्था है;

(ङ) क्या घनी आबादी वाले क्षेत्रों में स्थित पेट्रोल पंपों की चोरी, रिसाव, विद्युत सुरक्षा आदि को ध्यान में रखकर सुरक्षा जांच की जाती है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

डिपुओं में सुरक्षा उपाय के संबंध में

(क) और (ख) जयपुर के तेल डिपो में आग लगने की दुर्घटना की जांच करने के लिए, श्री एम.बी. लाल, तकनीकी सदस्य (पी.एन.जी.), अपीलीय अधिकरण, विद्युत और पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.) की अध्यक्षता में मंत्रालय

द्वारा एक सात सदस्यीय जांच समिति 30-10-2009 को गठित की गई थी। समिति का गठन निम्नानुसार है:

1. श्री एम.बी. लाल, तकनीकी सदस्य (पी.एन.जी.), अपीलीय अधिकरण, विद्युत, पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक, एच.पी.सी.एल - अध्यक्ष
2. श्री गोविन्द शर्मा, प्रधान सचिव (खान एवं खनिज), राजस्थान सरकार - सदस्य
3. श्री एम.के. जोशी, निदेशक (तकनीकी) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड - सदस्य
4. श्री जे.बी. वर्मा, कार्यकारी निदेशक, तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओ.आई.एस.डी.) - सदस्य
5. श्री पी.डी. येदला, संयुक्त मुख्य नियंत्रक, विस्फोटक (प्रभारी-पी.ई.एस.ओ.) - सदस्य
6. श्री एस.के. हाजरा, पूर्व प्रबंध निदेशक, एजीस लेजिस्टिक्स - सदस्य
7. श्री बी.के. दत्ता, कार्यपालक निदेशक (आपूर्ति), भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. - सदस्य

यह समिति दुर्घटना के कारणों की जांच करेगी और ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, उपचारी उपायों का सुझाव देगी। समिति अपनी रिपोर्ट 60 दिन के भीतर प्रस्तुत करेगी।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओ.एम.सीज) अपने स्वयं के पी.ओ.एल. डिपुओं पर भंडार सत्यापन पर निगरानी रखती हैं।

(घ) स्थानीय स्तर पर सुरक्षा मानदंडों के पालन की निगरानी रखने के लिए, राज्य सरकार के कारखानों के मुख्य निरीक्षक और पेट्रोलियम तथा सुरक्षा संगठन का स्थानीय कार्यालय सांविधिक प्राधिकरण हैं।

(ङ) और (च) ओ.एम.सीज द्वारा खुदरा बिक्री केन्द्र (आर.ओज.) विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों जैसे मुख्य नियंत्रक विस्फोटक (सी.सी.ओ.ई.), जिला मजिस्ट्रेट से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एन.ओ.सी.), आदि से सांविधिक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद स्थापित किए जाते हैं। ये एजेंसियां दस्तावेजों, प्रस्तावित आर.ओज. के स्थल, निर्धारित मानदंडों/संबंधित नियमों के अनुसार दी जाने वाली सुविधाओं की पूर्णतः छानबीन करने के बाद लाइसेंस जारी करती हैं। लोक निर्माण विभाग (पी.डब्ल्यू.डी.), नगर आयोजना, पुलिस, अग्नि शमन आदि जैसे विभिन्न विभागों की आंतरिक स्वीकृति प्राप्त होने के बाद, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा एन.ओ.सी. जारी किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, ओ.आई.एस.डी. ने "पेट्रोलियम के खुदरा बिक्री केन्द्रों पर भंडारण, रख-रखाव और वितरण करने" पर मानक जारी किया है। तेल पी.एस.यूज. द्वारा अपने खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिए इन दिशा-निर्देशों का स्व नियामक आधार पर पालन किया जा रहा है। सभी आर.ओज. की समय-समय पर सुरक्षा जांच की जाती हैं, जो आर.ओज. में पाइपलाइन रिसाव के सुरक्षा पहलुओं और विद्युत संबंधी सुरक्षा और विभिन्न अन्य सुरक्षा पहलुओं को कवर करती है।

ओ.एम.सीज. ने 100 किलोलीटर (के.एल.) प्रति मास से अधिक की बिक्री करने वाले सभी आर.ओज. के तृतीय पक्षकार प्रमाणन का सहारा भी लिया है। इन एजेंसियों द्वारा की जाने वाली जांच के दौरान, उपकरणों के अनुरक्षण, आर.ओ. की रखरखाव और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों की जांच की जाती है, अनुपालन के लिए नोट किया जाता है और बाद में उनका निवारण कर दिया जाता है। आर.ओ. के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन विभिन्न प्राचलों पर किया जाता है जिनमें आर.ओज. की सुरक्षा, उपकरणों का अनुरक्षण आदि शामिल है।

श्री मनीष तिवारी: अध्यक्ष महदोया, मैं यह स्वीकार करते हुए अपना अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अग्निकांड शुरू होने के चंद घंटों के भीतर मंत्री जी इसे नियंत्रित करने के प्रयासों की निगरानी हेतु व्यक्तिगत रूप से वहां पहुंच गए।

तथापि, मंत्री जी को इस बात की जानकारी होगी कि अगस्त, 2009, में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने उसी डिपो, जिसमें आग लगी थी, में एक बड़ी चोरी घोटाले का पता लगाया था। अब सार्वजनिक रूप से रिपोर्टें आ रही हैं जो यह सुझाती हैं कि अग्निकांड का कारण इस चोरी के प्रारूप को नष्ट करने के लिए की गई आगजनी हो सकती है। भटिंडा, गुजरात, जालंधर, लालडू और देश के विभिन्न अन्य हिस्सों से भी चोरी की ऐसी रिपोर्टें सार्वजनिक हो रही हैं।

मंत्री जी से मेरा यह प्रश्न है कि उन एजेंसियों, जो जयपुर अग्निकांड के कारणों की जांच कर रही हैं, की बहुविविधता को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि चूंकि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो पहले से ही चोरी की जांच कर रहा है, इसलिए जयपुर अग्निकांड की जांच भी उसी को सौंप दी जाए?

श्री जितिन प्रसाद: अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जहां तक जयपुर में उसी डिपो में हुई चोरी का संबंध है इस संबंध में सी.बी.आई. की जांच अभी लंबित है। किंतु चोरी के लगभग तीन महीने बाद आग लगने की घटना हुई और मंत्री जी अगले ही दिन वहां पहुंचे और उन्होंने यह घोषणा की कि इस घटना के कारणों की जांच करने के लिए एक समिति गठित की जाएगी। अतः, सी.बी.आई. की भूमिका विशेषरूप से यह पता लगाने की है कि क्या इससे कोई आपराधिक गतिविधि शामिल थी। किंतु माननीय मंत्री जी द्वारा गठित समिति का कार्य घटना के कारणों की जांच करना है, चाहे वह प्रक्रियाओं में हुई विफलता से संबंधित हो, चाहे वह सुरक्षा दिशानिर्देशों में हुई खामियों से संबंधित हो; और उपचारात्मक उपाय करना है।

इसलिए, विभिन्न एजेंसियां उनसे संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही हैं। सी.बी.आई. वहां हुई चोरी की घटना की जांच कर रही है और माननीय मंत्री जी द्वारा गठित समिति प्रमुख रूप से सुरक्षा के संबंध में हुई खामियों की जांच कर रही है।

श्री मनीष तिवारी: महोदया, मंत्री महोदय ने 20 नवंबर, 2009 को उनके द्वारा इसी विषय पर सभा पटल पर रखे गए स्वयं के वक्तव्य में यह बताया था कि वह डिपो, जिसमें आग लगी थी, सभी सुरक्षा अवसंरचनाओं से सुसज्जित था। किंतु स्वयं के उसी वक्तव्य में मंत्री महोदय यह स्वीकार करते हैं कि अंततोगत्वा आग बुझ गई; जिससे यह बोध होता है कि उसे स्वयं ही बुझाने के लिए छोड़ दिया गया और उसे नियंत्रित नहीं किया जा सका। अब, यह कोई बहुत संतोषजनक स्थिति नहीं है। क्या मंत्री महोदय सभा को यह अवगत कराने का ध्यान रखेंगे कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है और (ख) क्या मेगा तेल इकाइयों/डिपुओं/शोधनशालाओं को घनी आबादी वाले क्षेत्रों से स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव है।

श्री जितिन प्रसाद: महोदया, मैं इस आग के लिए जिम्मेवार घटनाओं के विषय से अपनी बात शुरू करता हूं। कुछ खामी थी, लापरवाही थी, जो प्रमुख रूप से हमारे ध्यान में आई थी। अंततोगत्वा रिपोर्ट आएगी ही। रिपोर्ट के आने पर ही हमें पता चलेगा कि वास्तव में क्या हुआ।

किंतु रिसाब और तेल के इधर-उधर विखरने के कारण पेट्रोल गैस की वाष्प का एक बादल बन गया, जिसमें किसी अनजानी चिंगारी, उस क्षेत्र के ईर्द-गिर्द किसी छोटी सी चिंगारी ने आग को भड़का दिया और एक धमाका हो गया। साथ-ही-साथ उस क्षेत्र के ईर्द-गिर्द मौजूद सभी 11 पेट्रोल टैंकों में आग लग गई। इसलिए इतना भी समय नहीं बचा था कि आप अग्निशमन प्रणाली को सक्रिय कर पाते। किंतु धमाका इतनी जोर का था कि अग्निशमन प्रणाली को भी चालू नहीं किया जा सका और उसमें भी आग में लग गई।

तत्पश्चात्, अब समिति का गठन किया गया है। मेरे वरिष्ठ मंत्री महोदय ने 3 नवम्बर, 2009 को बैठकें की हैं और हमने संरक्षा और सुरक्षा उपायों में संवर्द्धन करने के लिए उपाय किए हैं तथा मानक और प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं। सभी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा और संरक्षा लेखापरीक्षा के आदेश दिए गए हैं और 31 दिसंबर तक रिपोर्ट आ जाएगी।

मंत्रालय में हम पहले से ही उन स्थलों की जांच कर रहे हैं, जो जोखिमपूर्ण हैं, जो लोगों के लिए जोखिम से भरे हैं और हम उन डिपुओं को इस क्षेत्र से बाहर स्थानान्तरित करने के तरीकों के बारे में विचार कर रहे हैं। आमतौर पर, ऐसा हुआ है कि आरंभ में इन डिपुओं की शहर से दूर स्थापना की गई। किंतु शहरों और जनसंख्या का इनकी ओर विस्तार होता गया और लोग डिपुओं के ईर्द-गिर्द बस गए। जिसके फलस्वरूप अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये सुरक्षा के लिए खतरनाक बन गए हैं।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल: अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिये अवसर दिया, उसके लिये धन्यवाद। जयपुर के तेल डिपो पर 29 अक्तूबर को आग लगी जिसमें 12 लोगों की जानें गईं, करीब 125 से अधिक लोग घायल हुये, 12 हजार करोड़ लीटर ईंधन का नुकसान होने के साथ-साथ जो वहां आस-पास के इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे, उन्हें बहुत नुकसान पहुंचा। सरकार ने अन्तरिम राहत सहायता के रूप में 50 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये हैं। मामले की जांच के लिये एक टीम गठित की गई है। इसका सर्वे जी.आई.सी. या दूसरी एजेंसी करेंगी, वे प्रभावित लोगों को जल्दी से जल्दी क्लेम दें। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या 50 करोड़ रुपये सहायता राशि पर्याप्त है? वहां जितने इंडस्ट्रियल एरिया में यूनिट्स हैं, उन्हें नुकसान हुआ है। वहां 11 डिग्री कालेज हैं जिनकी खिड़कियां टूट गई हैं, कांच टूट गये हैं, लोगों के घरों को नुकसान हुआ है। लोग प्रदूषण में जी रहे हैं। यह 50 करोड़

रुपये की राशि बहुत कम है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्या 50 करोड़ रुपये सहायता राशि पर्याप्त है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): अध्यक्ष महोदया, जो सहायता राशि 50 करोड़ रुपये दी गई है, वह अभी इनीशियल स्टेज पर है। हमारी कमेटी उसका पता लगा रही है। आवश्यकता पड़ने पर और रुपया दिया जा सकता है।

श्री शरद यादवः अध्यक्ष महोदया, यह हादसा ऐसा विकट था कि हम देखते रह गये, ताकते रहे और तापते रहे। अभी माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के जवाब में बताया कि राहत के तौर पर सहायता राशि 50 करोड़ रुपये इनीशियल स्टेज पर दी गई है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि 90 किलोमीटर रेडियस में जो फसलें हैं, जो वहां रहने वाले लोग हैं, 8-10 दिन तक जो आग की लपटें निकलती रहीं, उससे कॉर्बन से लेकर कॉर्बन-डाइक्साइड से लेकर कई तरह की बरसात हुई है और पूरे 60-70 किलोमीटर के रेडियस में कोई फसल नहीं बची है। जो दमे और सांस की दिक्कत से प्रभावित लोग हैं, उनकी बड़े पैमाने पर बीमारी बढ़ी है। कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है और दिल्ली तक मार की है। इस बड़े हादसे में किसानों का नुकसान हुआ है, जो आस-पास की बिल्डिगें हैं, उनका तो नुकसान है ही लेकिन इस अग्नि कांड से किसानों की पूरी फसल मारी गई है। एक दिन श्री अर्जुन चरण सेठी ने भी सवाल किया था कि उनके इलाके में गैस पाईप लाइन टूटी थी, उसमें भी नुकसान हुआ था। इस तरह के हादसे से बिल्डिंग, कारखाने, स्कूल हैं, उनका नुकसान होने की दशा में उन्हें राहत मिलनी चाहिये। लेकिन आस-पास के इलाकों में जिनकी कोई रोजी-रोटी नहीं होती है, वे किसान लोग, उस इलाके में काम करने वाले लोग, जो छोटा-मोटा धंधा करने वाले लोग हैं, आप जानते हैं कि वे सांस की बीमारी से पीड़ित हैं। इसके बाबत आपकी क्या नीति है, क्या पॉलिसी है, उन्हें राहत देने के लिए आप क्या करेंगे?

श्री जितिन प्रसादः महोदया, जहां तक एन्वायर्नमेंटल हैजड्र्स का सवाल है, जो इस आग से हुए हैं। राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को यह दायित्व दिया गया है और इसके लिए एक कमेटी भी बनायी गयी है, जिसमें वहां के प्रिंसिपल सेकेट्री एनवायर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान हैं। वे यह जांच करेंगे कि इस आग की वजह से क्या-क्या एन्वायर्नमेंटल इम्पैक्ट हैजड्र्स हुए हैं? प्राथमिक चीजें हम लोगों के सामने आयी हैं कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फरडाई ऑक्साइड की मात्रा एअर में इस आग की वजह से कितनी थी। यह देखा गया है कि वह परमिसिबल लिमिट्स में थी। जो हमारी रिफाइनरीज हैं, उसमें हम यूरो-3 से यूरो-4 तक जाने का काम कर रहे हैं ताकि उसमें सल्फर कंटेंट कम हों। तेल में सल्फर की मात्रा बहुत कम थी। इस वजह से जो आग लगी, उससे जो पॉल्यूशन हुआ है, वह इतना नहीं हुआ, जिससे लोगों की सेहत खराब हो सके।

महोदया, जहां तक फसल का सवाल है, मैं यह जरूर कह सकता हूं कि जब प्रदूषण की बारिश होती है और वह बारिश फसल पर गिरती है तो इससे फसल में थोड़ा नुकसान हो सकता है, मगर फसल नष्ट नहीं होती है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: मंत्री महोदय को उत्तर पूरा करने दीजिए। प्रश्न संख्या-302, श्री जगदानंद सिंह।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: ठीक है, हम अगले प्रश्न पर हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री जितिन प्रसादः मैंने यह बताया है कि जब कमेटी की रिपोर्ट आएगी तब जांच होगी।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: ठीक है, हम अगले प्रश्न पर हैं।

[अनुवाद]

वस्त्र मिलों को पुनः चालू करना

+

***302. श्री जगदानंद सिंह:**
डॉ.संजय जायसवाल:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी स्वामित्व वाली अनेक वस्त्र मिलें बंद पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो ये मिलें कब से बंद पड़ी हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने कामगार बेरोजगार हुए हैं; और

(घ) इन मिलों को पुनः चालू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?;

वस्त्र मंत्री (श्री दयानिधि मारन): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार अपने सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपक्रमों, राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि. (एन.टी.सी.) और ब्रिटिश इंडिया लि. (बी.आई.सी.) के माध्यम से वस्त्र मिलों का प्रबंधन कर रहा है। एन.टी.सी. द्वारा 77 गैर-अर्थक्षम मिलों को औद्योगिक विवाद (आई.डी.) अधिनियम के अंतर्गत औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) द्वारा अनुमोदित पुनरुद्धार योजना के अनुरूप बंद कर दिया गया है। इन मिलों के बंद होने की तिथि संलग्न अनुबंध में दी गयी है।

(ग) अभी तक 60859 कर्मचारियों ने संशोधित स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना (एम.वी.आर.एस.) के अंतर्गत एन.टी.सी. छोड़ने का विकल्प लिया है जिसमें कुल 2206.05 करोड़ रु. का मुआवजा शामिल है। इसमें से 43914 कर्मचारी 77 बंद मिलों से हैं जिन्हें 1493.75 करोड़ रु. की मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता। औपचारिक रूप से बंद किए गए मिलों को पुनरुज्जीवित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अनुबंध

आई.डी. अधिनियम के तहत 77 बंद मिलों की सूची

क्र.सं.	मिलों का नाम	बंद की तिथि
	राजस्थान	
1.	एडवर्ड मिल्स	06-05-2002
2.	श्री बिजय काटन मिल्स	जनवरी/फरवरी, 2009
	पंजाब	
3.	दयालबाग मिल्स	01-09-2003
4.	पानीपत वूलन मिल्स	15-05-2004
5.	खरार टेक्सटाइल मिल्स	जनवरी/फरवरी, 2009
6.	सूरज टेक्सटाइल मिल्स	जनवरी/फरवरी, 2009
	मध्य प्रदेश	
7.	कल्याणमल मिल्स	31-05-2002
8.	स्वदेशी टेक्सटाइल मिल्स	31-05-2002
9.	हीरा मिल्स	31-10-2002
10.	इंदौर मालवा यूनाइटेड मिल्स	31-03-2003
	छत्तीसगढ़	
11.	बंगाल नागपुर कॉटन मिल्स	31-10-2002

क्र.सं.	मिलों का नाम	बंद की तिथि
	महाराष्ट्र	
12.	कोहिनूर मिल्स नं. 2	01-06-2002
13.	कोहिनूर मिल्स नं. 3	01-06-2002
14.	इंडिया यूनाइटेड नं. 4	31-10-2002
15.	इंडिया यूनाइटेड नं. 2	31-03-2004
16.	इंडिया यूनाइटेड नं. 3	31-03-2004
17.	जाम मैन्यु. मिल्स	31-03-2004
18.	श्री सीताराम मिल्स	31-03-2004
19.	मॉडल मिल्स	05-06-2004
20.	आर.एस.आर.जी. मिल्स	05-06-2004
21.	विदर्भ मिल्स	05-06-2004
22.	कोहिनूर मिल्स नं. 1	27-12-2006
23.	इंडिया यूनाइटेड मिल्स नं. 6	24-01-2007
24.	भारत टेक्सटाइल मिल्स	01-04-2004
25.	दिग्विजय टेक्सटाइल मिल्स	1-04-2004
26.	एलफिस्टन स्पि. एंड विवि. मिल्स	01-04-2004
27.	जूपीटर टैक्स. मिल्स	01-04-2004
28.	मुंबई टेक्सटाइल्स मिल्स	01-04-2004
29.	न्यू हिंद टेक्सटाइल मिल्स	01-04-2004
30.	पोद्दार प्रोसेसर्स	01-04-2004
31.	श्री मधुसूदन मिल्स	01-04-2004
32.	फिन्ले मिल्स	अक्तूबर, 2009
	गुजरात	
33.	पेटलेड टैक्स. मिल्स	06-05-2002
34.	राजकोट टैक्स. मिल्स	06-05-2002
35.	वीरंगम टैक्स. मिल्स	31-07-2002

13क्र.सं.	मिलों का नाम	बंद की तिथि14
36.	न्यू मानेक चौक टेक्सटाइल मिल्स	31-07-2002
37.	महालक्ष्मी टेक्सटाइल मिल्स	30-09-2002
38.	राजनगर टेक्सटाइल मिल्स 2 (ग्रीनफील्ड मिल को पुनर्वासित किया जा रहा है)	31-10-2002
39.	अहमदाबाद जूपिटर मिल्स	31-03-2003
40.	हिमाद्री टेक्सटाइल मिल्स	30-09-2003
41.	जहांगीर टेक्सटाइल मिल्स	30-06-2004
42.	अहमदाबाद न्यू टेक्सटाइल मिल्स	जनवरी/फरवरी, 2009
	आन्ध्र प्रदेश	
43.	अदोनी कॉटन मिल्स	06-05-2002
44.	नटराज स्पिनिंग मिल्स	06-05-2002
45.	नेथा स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स	06-05-2002
46.	अनंथपुर कॉटन मिल्स	जनवरी/फरवरी, 2009
47.	आजमजाही मिल्स	31-10-2002
	कर्नाटक	
48.	मैसूर मिल्स (मिनवां मिल्स के साथ विलय)	-
49.	एम.एस.के. मिल्स	06-05-2002
50.	श्री यालामा कॉटन मिल्स	जनवरी/फरवरी, 2009
	पश्चिम बंगाल	
51.	बंगश्री कॉटन मिल्स	06-05-2002
52.	बंगाल फाइन स्पि. एंड वी. मिल्स नं. II	06-05-2002
53.	मनिन्द्रा बी.टी. मिल्स	06-05-2002
54.	ज्योति विवि. मिल्स	06-05-2002
55.	सेंट्रल कॉटन मिल्स	06-05-2002
56.	श्री महालक्ष्मी कॉटन मिल्स	06-05-2002
57.	बंगाल लक्ष्मी कॉटन मिल्स	25-10-2003
58.	रामपुरिया कॉटन मिल्स	25-10-2003

क्र.सं.	मिलों का नाम	बंद की तिथि
59.	बंगाल फाइन स्पि. एंड विवि. मिल्स नं. 1	25-10-2003
	असम	
60.	एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज	जनवरी/फरवरी, 2009
	बिहार	
61.	गया कॉटन एंड जूट मिल्स	06-05-2002
62.	बिहार कोपरेटिव मिल्स	जनवरी/फरवरी, 2009
	तमिलनाडु	
63.	कृष्णावेनी टेक्सटाइल मिल्स	31-05-2002
64.	ओमपराशक्ति मिल्स	31-05-2002
65.	कालेश्वर मिल्स 'ए' इकाई	21-07-2002
66.	सोमासुन्दरम मिल्स	31-10-2002
67.	बलरामवर्मा मिल्स	06-01-2003
	उत्तर प्रदेश	
68.	अर्थटन मिल्स	11-03-2004
69.	बिजली कॉटन मिल्स	11-03-2004
70.	लक्ष्मीरतन कॉटन मिल्स	11-03-2004
71.	लॉर्ड कृष्णा टेक्सटाइल मिल्स	11-03-2004
72.	मूईर मिल्स	11-03-2004
73.	न्यू विक्टोरिया मिल्स	11-03-2004
74.	रायबरेली टेक्सटाइल मिल्स	11-03-2004
75.	श्री विक्रम कॉटन मिल्स	11-03-2004
76.	स्वदेशी कॉटन मिल्स	11-03-2004
77.	स्वदेशी कॉटन मिल्स, नैनी	जनवरी/फरवरी, 2009

[हिन्दी]

श्री जगदानंद सिंह: महोदया, ये मिलें राष्ट्र के बहुत ही आवश्यक कार्य में लगी थीं। गरीबों के लिए वस्त्र इन्हीं मिलों में बनते थे। इन मिलों में जो सूत बनता था, उसी से बुनकर अपने कपड़े को बनाते थे। 60 हजार से अधिक कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्त कर दिये गये। ये जो 77 मिलें बी.आई.एफ.आर. के अनुमोदन से आई.बी.

एक्ट में बंद हैं, इनके भी 43 हजार से अधिक कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति में जा चुके हैं। अभी राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने 24 मिलों का आधुनिकीकरण करने का फैसला लिया और 16 मिलें ज्वाइंट वेंचर में जाकर अपने कार्य करेंगी। ऐसी अवस्था में मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब एन.टी.सी. और ज्वाइंट वेंचर में हमारी 40 मिलें कार्यरत होने जा रही हैं तो शेष जो मिलें हैं, उन्हें कार्यरत करने में क्या परेशानी है?

[अनुवाद]

वस्त्र मंत्री (श्री दयानिधि मारन): महोदया, इन मिलों का राष्ट्रीयकरण इसलिए किया गया था क्योंकि इन मिलों को बहुत घाटा हो रहा था, ये मिलें निजी क्षेत्र के पास थीं और निजी क्षेत्र की अग्रणी कंपनियां भी इन मिलों को फायदे में नहीं चला पा रही थीं। वस्तुतः हड़ताल के कारण वे वेतन तक का भुगतान भी नहीं कर पा रही थीं। इसी कारण से इन मिलों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। जब इन मिलों का राष्ट्रीयकरण किया गया था तब यह देखा गया कि इन सब मिलों को लाभ में नहीं चलाया जा सकता। सरकार ने अपने विवेक से यह निर्णय लिया की इस प्रकार से वेतन देने का कोई औचित्य नहीं है अपितु उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन सभी मिलों को लाभार्जक मिलें बनाया जाए।

इसी कारण वस्त्र अनुसंधान समिति द्वारा इन मिलों का मूल्यांकन करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि इन 77 मिलों को चलाने का कोई लाभ नहीं है। सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि एन.टी.सी. द्वारा एक पुनरुद्धार योजना बनायी जानी चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इसके पुनरुद्धार के लिए सरकारी धन का उपयोग नहीं किया जाए अपितु इसके लिए इन मिलों की परिसंपत्तियों की बिक्री से अर्जित धन का ही उपयोग किया जाए। इस योजना के अन्तर्गत तकरीबन 22 मिलों को आधुनिक बनाया जा रहा है अथवा उनका पुनरुद्धार किया जा रहा है। 16 मिलों की पहचान संयुक्त उद्यम स्थापित करने के उद्देश्य से की गयी है। परंतु दुर्भाग्य से वैश्विक मंदी के कारण जैसी कि उम्मीद की जा रही थी संयुक्त उद्यम की योजना फलीभूत नहीं हो सकी। सरकार यह पता लगा रही है कि क्या संयुक्त उद्यम हेतु किसी अन्य विकल्प की तलाश की जा सकती है। वर्तमान में तो यही स्थिति बनी हुयी है।

[हिन्दी]

श्री जगदानंद सिंह: अध्यक्ष महोदया, इन सारी मिलों के बंद होने का मतलब है कि देश में हमारे जो निजी उद्योग हैं, उनकी मनोपली का होना। जो एक प्रतियोगिता थी, उसमें सरकार की संस्थानें उससे बाहर जा रही हैं। 40 मिलों का अतिआधुनिकीकरण जिन शर्तों पर हो रहा है और 24 एवं 14 मिलों का पुनर्निर्माण हो रहा है। उसमें शायद शर्त यह है कि वे चाहें तो जमीनों को बेच कर अपने लिए धन की उगाही कर सकते हैं और उसी धन से मिलों को चालू किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब डिसइनवेस्टमेंट के द्वारा हजारों-करोड़ों रुपए सरकार के खजाने में पड़े हैं और वित्त मंत्री जी का कथन था कि हम इसे केपिटल एक्सपेंडिचर में ही खर्च करेंगे। क्या राष्ट्र को वस्त्र मुहैया करवाने वाले ये उद्योग इस कैटेगरी में नहीं आते?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप प्रश्न पूछिए।

श्री जगदानंद सिंह: अध्यक्ष महोदया, मैं प्रश्न पर ही आ रहा हूं। अफसोस की बात है कि जब एन.टी.सी. माडर्नाइजेशन का काम कर रही है और ज्वाइंट वेंचर में अन्य उद्योग जा रहे हैं, बिहार की एक मिल फरवरी, 2009 में बंद हो गई। एक तरफ बंद मिलों के रिवाइवल, माडर्नाइजेशन और बिहार जैसे अति उद्योग में पिछड़े हुए राज्यों की मिलों का बंद होना - कर्नाटक की एक, केरल की चार, महाराष्ट्र की पांच, राजस्थान और गुजरात की एक, वेस्ट बंगाल की एक, मध्य प्रदेश की दो, तमिलनाडु की चार,...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप प्रश्न पूछिए।

श्री जगदानंद सिंह: अध्यक्ष महोदया, यही मेरा प्रश्न है। इतने बड़े पैमाने पर जब एन.टी.सी. काम कर रहा है और भारत सरकार के खजाने में डिसइनवेस्टमेंट के पैसे पड़े हुए हैं। इस देश में दो लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों को, उनके रिवाइवल और उनको सस्टेनेबिल्टी के लिए, उन्हें बचाने के लिए इतना बड़ा खर्च किया गया, तो क्या हमारा वस्त्र उद्योग कोई राशि देकर हमारी जो दूसरी मिलें हैं, उन्हें चालू नहीं कर सकता?

[अनुवाद]

श्री दयानिधि मारन: महोदया, मैं माननीय सदस्य को यह उत्तर देना चाहूंगा कि एन.टी.सी. ने अपनी पूरी संपत्ति की बिक्री नहीं की है। यह प्रक्रिया अभी चल रही है। अब तक परिसंपत्ति की बिक्री से एन.टी.सी. 4,400 करोड़

रुपये जुटा पायी है और उन्होंने काफी धनराशि उधार भी ले रखी थी। इसमें से बड़े भाग का उपयोग विशेषकर संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लेने वाले कामगारों के भुगतान के लिए किया गया था स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले श्रमिकों के दावों के भुगतान के लिए 3,000 करोड़ रुपये की धनराशि का आबंटन किया गया था। आधुनिकीकरण योजना हेतु अब तक 760 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

वस्तुतः एन.टी.सी. अतिरिक्त भूमि बेचने के काम में लगी हुयी है। मूलतः एन.टी.सी. के बोर्ड ने रीयल एस्टेट बाजार में व्याप्त मंदी के कारण इनमें से किसी भूमि को कम दर पर नहीं बेचने का निर्णय लिया। एन.टी.सी. को सरकार ने अधिदेश दिया है कि उसे यह सुनिश्चित करने के लिए भूमि बेचनी ही होगी कि इन मिलों का आधुनिकीकरण किया जा सके और उन्हें निजी क्षेत्र की मिलों के साथ प्रतिस्पर्धा करने योग्य बनाया जा सके। यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पायी है तथा इस समय प्राथमिकता यह सुनिश्चित करने की है कि एन.टी.सी. लाभ कमाए और बिक्री की प्रक्रिया को जारी रखे। प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो पायी है।

[हिन्दी]

डॉ. संजय जायसवाल: अध्यक्ष महोदया, प्रश्न बहुत लम्बा हो तो उत्तर उससे भी लम्बा हो जाता है और प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता। मेरा सीधा प्रश्न है, अभी माननीय सदस्य ने भी प्रश्न किया था कि बिहार में किस परिस्थिति में आप रिवाइवल प्लान चला रहे हैं और उसमें किस परिस्थिति में बिहार की कोआपरेटिव मिलें इस साल आपको बंद करनी पड़ीं। बिहार की जो कोआपरेटिव मिलें बंद हैं, उनका कब रिवाइवल कर रहे हैं और उन मिलों के लिए आप क्या सहायता कर रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री दयानिधि मारन: महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि जब सरकारी मिलों की बात आती है तो यह राज्य सरकार का कर्त्तव्य है और राज्य सरकार को चाहिए कि वह इस दिशा में समुचित कार्रवाई करे। जब तक कि ...*(व्यवधान)*। यदि वे हमारे पास नहीं आएंगे तो हम उनकी सहायता नहीं कर पाएंगे। हमारे पास एक योजना है जिसके द्वारा हम इस प्रकार की बंद मिलों को सहायता मुहैया कराने का प्रयास करते हैं बशर्ते कि उन्हें औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत बंद घोषित किया जाए अथवा राज्य सरकार इनके बंद होने की घोषणा करें। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक एन.टी.सी. इस संबंध में अपने आप कुछ नहीं कर सकता।

महोदया मैं यह कहना चाहता हूं, कृपया मेरी बात समझें, वस्त्र उद्योग पूर्णतया निजी क्षेत्र के पास ही है। यह या तो राज्य अथवा सहकारिता अथवा व्यक्तियों के पास ही है। कभी-कभी तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मिलें अस्थायी रूप से बंद होती है परंतु वे अपने आप ही पुनरुद्धार कर लेती है।

श्री एन.एस.वी. चित्तन: महोदया, हालांकि मेरा प्रश्न मुख्य प्रश्न से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है, तथापि यह मिल बंद होने से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है इसलिए माननीय मंत्री जी मैं इस मुद्दे पर आपके माध्यम से उत्तर प्राप्त करना चाहता हूं।

प्रति वर्ष वस्त्र मिलों में कपास की तकरीबन 2.5 करोड़ गांठों की औसत आवश्यकता का अनुमान है। इस वर्ष यह अनुमान लगाया गया है कि कपास का उत्पादन 2.8 करोड़ गांठ के आस-पास है। हमारे देश में, कपास की खरीददारी मुख्यतः तीन महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर की जाती है और उनका निर्यात किया गया है। क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि क्या देश की वस्त्र मिलों को बंद होने से रोकने के लिए वे प्रतिवर्ष जनवरी तक कपास खरीदने और केवल फरवरी के बाद ही निर्यात करने की अनुमति देने पर विचार करेंगे ताकि भारतीय मिल मालिक उचित दरों पर कपास खरीद सकें? मैं इस विषय पर माननीय मंत्री जी से स्पष्ट जवाब चाहता हूं।

श्री दयानिधि मारन: महोदया, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे राज्य के सभी सदस्य मेरे उत्तर से प्रसन्न होंगे।

इस वर्ष हम अपने देश में कुल 290 लाख गांवों के उत्पादन की उम्मीद कर रहे हैं। हमारे पास 43 लाख गांठ का स्टाक पहले ही से बचा हुआ है। इसलिए, इस प्रकार से हमारे पास कुल 340 लाख गांठों का भण्डार हो जाएगा। पिछले कुछेक वर्षों में हमारे देश से जो निर्यात किया गया है उसमें से अधिकतम केवल 85 लाख गांठों का ही निर्यात किया गया है। परंतु इस उद्योग में अचानक यह महसूस किया जाने लगा कि वैश्विक कपास उत्पादन में कमी आएगी और भारत से काफी मात्रा में कपास का निर्यात किया जाएगा। इससे बड़े पैमाने पर पंचीकरण होने प्रारंभ हो गए और अभी तक भी तकरीबन

47 लाख गांठों के लिए पंजीकरण हो रहे हैं परंतु वास्तविक निर्यात तकरीबन सात लाख गांठों का ही होगा। यह तो मात्र अनुमान ही है।

इस समय, हम यह महसूस कर रहे हैं कि इंतजार करना बुद्धिमानी होगी और जल्दबाजी में व्यापारियों तथा कताई मिल मालिकों के साथ हाथ मिलाने की जरूरत नहीं है। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे पास अपने उद्योगों के लिए देश में कपास का स्टाक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है तथा इस समय कपास के निर्यात को टोकने के लिए जल्दबाजी में कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है।

श्री सुदीप बंधोपाध्याय: महोदया, राष्ट्रीय वस्त्र निगम एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। माननीय मंत्री जी के वक्तव्य से एक करुणाजनक तस्वीर सामने आई है। इस समय 77 मिलें बंद हैं इन मिलों को औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत बंद किया गया है और इसके परिणामस्वरूप 60,859 कर्मचारियों को नौकरी गंवानी पड़ी है। सरकार ऐसी इकाईयों का पुनरुद्धार करने के मूड में नहीं है। इसके क्या कारण है? विशेषतः इसकी असफलता के क्या कारण हैं। क्या इसे संयुक्त उद्यम के माध्यम से पुनः शुरू नहीं किया जा सकता? सरकार द्वारा इन इकाईयों के पुनरुद्धार के लिए इन प्रस्तावों को सर्वोच्च प्राथमिकता क्यों नहीं दी जाती। जब निजी मिलें बेहतर तथा कुशल तरीके से चल रही है और इनके द्वारा मिलियन रुपए कमाए जा रहे हैं, तो राष्ट्रीय वस्त्र निगम जो कि देश का एक गौरवमयी संस्थान है, के साथ ऐसा क्या हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप आज वह इस स्तर पर आ गई है। सरकार नए विचार, सकारात्मक दृष्टिकोण तथा सकारात्मक परिकल्पना तथा केन्द्र सरकार की तरफ से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करके इन इकाईयों का पुनरुद्धार करने पर विचार क्यों नहीं कर रही है? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री इसके बारे में विचार करेंगे।

श्री दयानिधि मारन: महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को जबाव देना चाहता हूं। राष्ट्रीय वस्त्र निगम का इतिहास एक दशक पुराना नहीं है अपितु यह 1968 से है, जब राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया चल रही थी। अतः इसका इतिहास बहुत पुराना है।

जैसाकि मैंने पहले कहा है कि भारत सरकार इन मिलों को नहीं चला रही थी। इन मिलों को निजी क्षेत्र के उद्यमों तथा प्रसिद्ध निजी कंपनियों द्वारा चलाया जा रहा था। लेकिन ये कंपनियां इन मिलों को लाभ में नहीं चला सकी तथा वे कर्मचारियों के वेतन का भुगतान भी नहीं कर सकीं। अतः उस समय...*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंधोपाध्याय: महोदया, ये राष्ट्रीय वस्त्र निगम का इतिहास क्यों बता रहे हैं? हम सभी इससे अवगत हैं ...*(व्यवधान)*

श्री दयानिधि मारन: महोदया, मुझे लगता है कि मुझे इसके इतिहास का उल्लेख करना चाहिए क्योंकि ये मिलें बहुत पुरानी हैं और इनमें आधुनिक मशीनें नहीं हैं। इन मिलों में जो मशीनें थीं उनका आयात ब्रिटिश शासन के दौरान किया गया था। वस्त्र अनुसंधान समिति को इस पर गौर करना था और उन्होंने पाया कि वे ऐसा नहीं कर पाए थे। वास्तव में जब मैंने इन मिलों का कार्यभार संभाला और इनका आधुनिकीकरण करने का प्रयास किया तो उन्होंने सामान्य स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी.आर.एस.) नहीं दी अपितु उन्होंने संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना दी जिसमें उन्हें अतिरिक्त पैसे दिए गए थे। वास्तव में अधिकांश लोगों ने स्वयं वी.आर.एस. ली थी क्योंकि उन्हें पता था कि वे इस पर गौर करना चाहते हैं। अतः ऐसा करने का यही कारण था?

यदि मैं स्पष्ट तौर पर कहूं तो हां यह सच है कि निजी क्षेत्र की इकाइयां अच्छा कर रही थीं क्योंकि उनके पास आधुनिक मशीनें थीं और एन.टी.सी. उनका मुकाबला इसलिए नहीं कर सकी क्योंकि उसके पास आधुनिक मशीनें नहीं थीं। तत्पश्चात यह निर्णय लिया गया था कि हमें निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा करने के लिए सही कदम उठाने चाहिए और इसके लिए हमें एन.टी.सी. में बेहतरीन आधुनिक मशीनों की जरूरत थी। सरकार की यही प्रक्रिया थी। हमने कहा है कि हम धन खर्च नहीं करेंगे और उन्हें अपने स्वयं को संसाधन जुटाने होंगे। तत्पश्चात सरकार ने एन.टी.सी. को अपने स्वयं के संसाधन जुटाने का निदेश दिया और एन.टी.सी. को अपनी परिसंपत्तियां बेचनी पड़ी थीं। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना था कि वे लाभप्रदता तथा और अधिक लाभप्रद इकाइयों पर ध्यान केन्द्रित करे।

अध्यक्ष महोदया: माननीय मंत्री जी, धन्यवाद।

प्रश्न संख्या 303, योगी आदित्यनाथ - उपस्थिति नहीं।

श्री भाउसाहेब राजराम वाकचौरे।

[हिन्दी]

न्याय-प्रणाली में सुधार लाना

+

***303. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:**

योगी आदित्यनाथ:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में जारी किए गए विजन दस्तावेज में देश में न्याय प्रणाली में सुधार लाने हेतु नेशनल एरियर ग्रिड की स्थापना करने, न्यायिक अधिकारियों के चयन में सुधार लाने, उन्हें प्रशिक्षण देने और उनके कार्य-निष्पादन का आकलन करने की अभिकल्पना की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विजन दस्तावेज में अन्य क्या महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं/सिफारिशें की गयी हैं; और

(ग) इन पर आगे क्या कार्यवाही की गयी है/किए जाने का विचार है?

[अनुवाद]

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) "लंबित मामलों की संख्या और उनके विलंब को कम करने के संबंध में न्यायापालिका को सुदृढ़ बनाने के लिए राष्ट्रीय विचार-विमर्श", 24-25 अक्तूबर, 2009 को विज्ञान भवन में आयोजित किया गया था, जिसमें, अन्य बातों के साथ, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति जिनके साथ प्रत्येक उच्च न्यायालय का अन्य न्यायाधीश, प्रत्येक उच्च न्यायालय से दो जिला न्यायाधीश, राज्य विधि सचिव, राज्य सरकारों के महाधिवक्ता, शिक्षा जगत के प्रतिनिधि, विख्यात विधिवेत्ता और भारतीय विधिज्ञ परिषद् का अध्यक्ष और पदाधिकारी उपस्थित थे। राष्ट्रीय विचार-विमर्श में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को दृष्टिकोण कथन प्रस्तुत किया गया था, जिस पर विचार और चर्चा की गई थी। दृष्टिकोण कथन में, कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित उपाए सुझाए गए थे:

(i) राष्ट्रीय बकाया मामले ग्रिड का सृजन/बकाया मामलों की पहचान;

(ii) संकटग्रस्त क्षेत्रों में मार्गावरोधों की पहचान;

(iii) मार्गअवरोधक क्षेत्रों का मुकाबला करना;

(iv) मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रवर्तित उपायों का अंगीकरण;

(v) न्यायिक कार्मिकों और न्यायालय प्रबंध कार्यपालकों के चयन, प्रशिक्षण और निष्पादन संबंधी मूल्यांकन पर ध्यान केन्द्रित करना;

(vi) प्रौद्योगिकी और प्रबंध पद्धतियों के प्रयोग को बढ़ाकर प्रभावी जनप्रबंध, प्रभावी नियोजन और समयोचित प्रबंध के माध्यम से न्यायिक प्रणाली और विद्यमान अवसंरचना का दक्ष उपयोग;

(vii) प्रणाली को दुरुस्त बनाना; निष्क्रिय अपतृणों को हटाना और उनके पुनर्विकास को रोकना;

(viii) प्रक्रियात्मक परिवर्तन;

(ix) प्रबंध और प्रशासनिक परिवर्तन न्यायपालिका में रिक्त पदों को भरने के लिए निम्नलिखित सुधारों का सुझाव दिया गया था:

i. ऐसे स्पष्ट और व्यापक मार्गदर्शी सिद्धांत होने चाहिए जिनका कॉलेजियम, न्यायधीशों के चयन के मामले में अनुसरण करे,

ii. कार्यपालिका और विधान मंडल को न्यायपालिका में चयन के लिए सर्वोत्तम संभव प्रतिभाशाली व्यक्तियों की सिफारिश करने में पहल करनी चाहिए,

iii. कॉलेजियम को रिक्त पदों के बैकलॉग को समाप्त करने के लिए समय सीमा दी जानी चाहिए।

iv. सरकार और कॉलेजियम को न्यायधीशों की नियुक्ति करते समय मिलकर कार्य करना चाहिए ताकि दोनों के बीच मतभेद से नियुक्ति में विलंब न हो,

v. सरकार को प्रतिष्ठित वकीलों और विधिवेत्ताओं का न्यायधीशों के रूप में सुझाव देने की शक्ति भी दी जानी चाहिए,

दृष्टिकोण कथन में न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण, आपराधिक न्याय प्रणाली का नियंत्रण, वित्त पोषण के लिए विशेष प्रयोजन साधन (एस.पी.वी.) का सृजन और मार्गावरोधों को हटाने तथा विधिज्ञ परिषद् और वकीलों की भूमिका के संबंध में विभिन्न उपायों का सुझाव दिया गया है।

दृष्टिकोण कथन विचार विमर्श के समाप्त हो जाने पर कार्यान्वयन के लिए स्वीकार किए गए संकल्प द्वारा पृष्ठांकित किया गया था। संकल्प की एक प्रति अनुबंध के रूप में संलग्न है।

(ग) सरकार ने उपरोक्त विचार-विमर्श में की गई सिफारिशों पर विचार किया है और सिद्धांत रूप से राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन की स्थापना करने का विनिश्चय किया है जिसमें (i) नीतिगत परिवर्तनों की रूपरेखा तैयार करने (ii) प्रक्रियाओं का पुनर्निर्माण करने (iii) मानव संसाधन विकास पर ध्यान केन्द्रित करने और (iv) बेहतर न्याय परिदान संबंधी सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी तथा युक्तियों का नियंत्रण करने के लिए अनेक सामरिक महत्व की पहलों को आरंभ करने का प्रस्ताव किया गया है। राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन विशेष प्रयोजन साधन (एस.पी.वी.) के रूप में किसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी द्वारा सेवित होगा जो मिशन की विभिन्न कार्य योजना का प्रबंध करेगी और उन्हें कार्यान्वित करेगी। सोसाइटी केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तपोषित होगी।

अनुबंध

तारीख 25 अक्तूबर, 2009 का संकल्प

भाग लेने वाले,

संवैधानिक वचनबद्धता को दोहराते हुए सभी नागरिकों को विधि के अधीन समान न्याय प्रदान करने और सभी को विशेष कर समाज के कमजोर वर्गों को न्याय प्रदान करना।

यह ध्यान देना कि भारत की राष्ट्रपति ने 3 जून, 2009 को संसद् के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए न्यायिक सुधारों केलिए एक रूप रेखा बनाने पर बल दिया था।

यह ध्यान देना कि भारत के प्रधान मंत्री ने 16 अगस्त, 2009 को आयोजित मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए बड़ी संख्या में मामलों के बकाया रहने और उनके लंबित पड़े रहने के संबंध में भारतीय विधिक प्रणाली के बारे में प्रमुख रूप से चिंता व्यक्त की थी।

भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति माननीय संघ के विधि और न्याय मंत्री, भारत के महान्यायवादी और विद्वान महा सालीसिटर तथा अन्य व्यक्तियों सहित सभी उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों के मतैक्य को ध्यान में रखते हुए यह मत व्यक्त किया गया कि न्यायालयों में लंबित मामले और उनके विलंब पर अतिशीघ्र और तुरंत कार्रवाई की जाए।

भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति और न्यायपालिका के सदस्यों, न्यायिक अधिकारी, विधि अधिकारी, बार के सदस्यों, संघ के विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि तथा जनता के सदस्यों सहित उपस्थित सभी व्यक्तियों ने अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए लंबित मामलों की अवधि को घटाकर 15 वर्ष से तीन वर्ष तक करने के लिए तथा त्वरित, क्वालिटी और अन्नय न्याय को सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित विभिन्न उपायों को कार्यान्वित करने के लिए एक साथ मिलकर काम करने हेतु स्वयं को समर्पित करने के लिए एकजुटता दिखाई।

माननीय संघ के विधि और न्याय मंत्री द्वारा भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति को प्रस्तुत किए गए दृष्टिकोण दस्तावेज को ध्यान में रखना।

मामलों के लंबित रहने और उनके विलंब को कम करने के लिए न्याय परिदान प्रणाली को पुनः डिजाइन करने के लिए सार्वजनिक प्रतिबद्धता के रूप में दृष्टिकोण-कथन और कार्ययोजना को अंगीकार करना।

कार्ययोजना को कार्यान्वित करने के लिए सभी संघटकों से उनको अपनी विशेष भूमिका और दायित्व को पहचानने के लिए अनुरोध करना।

यह विनिश्चय करना कि इसके बाद में आने वाले विधि दिवस 26 नवम्बर, 2009 के पश्चात् कार्ययोजना को कार्यान्वित करने के लिए राष्ट्रीय बकाया ग्रिड और विशेष प्रयोजन यान को समाविष्ट किया जाए।

यह सिफारिश की गई कि उच्च न्यायालय 30 नवम्बर, 2009 तक राष्ट्रीय ग्रिड के लिए सभी आंकड़े उपलब्ध करएं।

यह भी विनिश्चय किया गया कि कार्ययोजना के कार्यान्वयन में मानव संसाधन विकास, अवसंरचनात्मक विकास और प्रक्रियात्मक सुधारों पर मुख्यरूप से ध्यान दिया जाए।

सभी सेक्टरों में जिसके अंतर्गत न्यायाधीश, अधिवक्ता, विधि अधिकारी, अभियोजक और न्यायालय के कर्मचारिवृंद्ध

भी है अनन्य रीति से व्यापक मानव संसाधन विकास के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई जाए।

विद्यमान अवसंरचना और सुधारों तथा भौतिक और प्रौद्योगिकीय अवसंरचना का दक्षतापूर्ण और अधिकतम उपयोग करने के लिए पुनः प्रतिबद्धता दिखाई।

समयबद्ध रीति में सभी स्तरों पर प्रक्रियात्मक सुधारों के विशिष्ट कार्यान्वयन के लिए भी प्रतिबद्धता दिखाई जिसके अंतर्गत स्थगनों में कमी, सिविल मामलों और दांडिक मामलों में निरंतर सुनवाई करने की प्रणाली को आरंभ करना और अनावश्यक विलंब को दूर करके निष्पादन की कार्यवाहियों में शीघ्रता लाना भी है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तरदायी मुकदमों का संचालन सुनिश्चित करने और वैसी ही नीतियां विकसित करने के लिए प्रत्येक राज्य सरकार से अनुरोध करने के उद्देश्य से 31 दिसम्बर, 2009 तक राष्ट्रीय मुकदमा नीति बनाने केलिए भारत सरकार द्वारा की गई पहल को मान्यता देना।

न्यायपालिका को अवसंरचनात्मक, प्रबंधकीय, प्रौद्योगिकीय और जन-शक्ति सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वशासी और नमनीय साधनों के रूप में एस.पी.वी. के विचार का एस.पी.वी. की संकल्पना को साकार करने और उसके कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में डॉ. सैम पित्रोदा के एकल योगदान का स्वागत करना और उसकी प्रशंसा करना।

इस बात को ध्यान में रखना कि ऐसे सभी परिवर्तनों के केन्द्र में संपूर्ण विकास का समाज के सभी वर्गों तक पहुंचना और एक भारतीय मॉडल के सृजन की आवश्यकता होनी चाहिए।

कार्ययोजना को कार्यान्वित करने और समर्थन देने के लिए पर्याप्त तथा प्रतिबद्ध संसाधनों को उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करना।

संगठित मुख्य धारा न्याय प्रदान प्रणाली के रूप में सुलह और विवाद समाधान की अन्य पद्धतियों की आवश्यकता को मान्यता देना।

इस बात को पुनः मान्यता देना कि न्यायिक नियुक्तियों का सिद्धांत क्वालिटी और त्वरित न्याय तथा लोक सेवा ही होना चाहिए।

खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सर्वोत्तम संभव चयन को सुनिश्चित करने के लिए अखिल भारतीय न्याय सेवा की स्थापना पर विचार करने के लिए अनुशंसा करना।

जैसे ही रिक्ति उत्पन्न हो उस पर नियुक्ति के लिए अग्रिम चयन करने हेतु न्यायपालिका को समर्थ बनाने के लिए माननीय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के इस सुझाव का स्वागत करना कि राष्ट्रीय स्तर पर न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या में 25 प्रतिशत की वृद्धि करना।

सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और बार के सदस्यों से अस्थायी आधार पर न्यायापालिका के सभी स्तरों पर तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए आवश्यकता को भी मान्यता प्रदान की।

विभिन्न राज्यों में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पुल से व्यक्तियों को समर्थ बनाने के लिए सेवा निवृत्त न्यायाधीशों में न्यायिक अधिकारियों का राष्ट्रीय पुल सृजन करने की सिफारिश करना।

जहां अवधि तीन वर्ष से कम की है वहां सभी लंबित दांडिक मामलों पर कार्रवाई करने के लिए विशेष न्यायाधीश समनुदेशित करने की सिफारिश करना।

भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा किए गए नेतृत्व, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों तथा उनके साथियों, भारतीय विधिज्ञ परिषदों और विधिज्ञ संगमों के दृष्टिकोण दस्तावेजों के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने, उनकी सकारात्मक भूमिका तथा अर्थपूर्ण विचार-विमर्श को आगे बढ़ाने का स्वागत किया और प्रशंसा की।

[हिन्दी]

श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि न्यायालयों में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लम्बित मामलों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो गई है। इन लम्बित मामलों की सुनवाई हेतु सरकार ने क्या ठोस कदम उठाये हैं?

[अनुवाद]

श्री एम. वीरप्पा मोइली: अध्यक्ष महोदया, हम लम्बित मुकदमों की बहुत गंभीर समस्या, जनशक्ति की गंभीर समस्या और अन्य चीजों का सामना कर रहे हैं। यह सच है। अतः हमने एक व्यापक सुधार पैकेज तैयार किया है, जिसके पांच घटक हैं? पहला राष्ट्रीयवाद नीति है जिसमें सरकार की ओर से या सरकार के विरुद्ध दायर वाद, सम्मिलित है जहां यह पाया जाता है कि ज्यादा

मुकदमे सरकार राज्य और केन्द्र दोनों द्वारा दायर किए गए हैं। इसके पीछे विचार यह है कि हम यह देखना चाहते हैं कि तीन वर्षों के अंदर सभी स्तरों पर सरकारी मुकदमों की संख्या कम से कम हो तथा हम इसके लिए एक रणनीति तैयार कर रहे हैं।

जहां तक लम्बित मुकदमों का संबंध है तो इस संबंध में, मैं बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर अब अधीनस्थ न्यायालयों से उच्चतम न्यायपालिका तक लगभग 370 करोड़ वाद लम्बित हैं। अब हमने नेशनल एरियर ग्रिड की नीति तैयार की है जिसके माध्यम से 15 वर्षों के स्थान पर 3 वर्षों में इसमें कमी की जाएगी और यह योजना इन तीन वर्षों में ही निष्पादित की जाएगी। तीन वर्षों में हमें आज की स्थिति से ऐसी स्थिति में पहुंचना है। हमने न्यायिक प्रबंधन पद्धति तथा नकद प्रबंधन प्रणाली तैयार की है जिसमें मानव संसाधन विकास और सूचना शक्ति तथा संचार प्रौद्योगिकी एवं उपकरणों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। मैं सभा को आश्वस्त करना चाहता हूं इन सभी उपायों के माध्यम से हम इसका समाधान करने की स्थिति में पहुंच जाएंगे।

हमने 24 अक्तूबर से 25 अक्तूबर तक एक राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया था जिसमें हमने सभी हिस्सेदारों नामतः भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित उच्चतम न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों; उच्च न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों, राज्य सरकारों के महाधिवक्ताओं आदि को शामिल किया था। इस चर्चा में दोनों दिन सभी लोग शामिल थे। हमने इसे न्यायपालिका तथा अंशधारियों की पूर्ण सहमति से किया है जिसमें बॉर कॉउंसिल तथा अन्य लोग शामिल हैं। इन सब लोगों को एक साथ लेकर तथा अपने विचार तथा कृत्यों को एक साथ रखते हुए, हम एक उद्देश्य प्राप्ति की स्थिति में होंगे जिसे हम प्राप्त करना चाहेंगे।

[हिन्दी]

श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे: क्या सरकार ने गरीबों को न्याय देने के लिए न्याय प्रणाली में कुछ नये प्रावधान किए हैं? इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

श्री एम. वीरप्पा मोइली: यह एक महत्वपूर्ण पहलू है। अध्यक्ष महोदया, वास्तव में, हमने संबंधित विभिन्न न्यायालयों में मामलों को प्राथमिकता प्रदान करने के लिए एक योजना बनाई है, ताकि अत्यंत गरीब, निशक्त तथा वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और बच्चों से संबंधित मामलों को तेजी से तथा शीघ्रता निपटाया जा सके। अंतिम उद्देश्य संभ्रात व्यक्ति नहीं है जिन्हें न्याय मिल ही जाएगा, परंतु भीड़ में अंतिम व्यक्ति है जिसे न्याय प्रदान करना है। न्यायिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य न्याय तक पहुंच होगा।

श्रीमती मेनका गांधी: यह सुनिश्चित करने के लिए कि न केवल न्याय बल्कि न्यायिक उपचार भी उपलब्ध हो, इसके लिए न्यायालयों की संख्या बढ़ानी होगी। लंबे समय से उत्तर प्रदेश की मांग है। चूंकि यह इतना बड़ा राज्य है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बहुत ही कम लोग इलाहाबाद जा सकते हैं। वे लंबे समय से या तो मेरठ या बरेली में न्यायालय की मांग कर रहे हैं। मैं जानना चाहती हूं कि इस मामले पर आपका क्या दृष्टिकोण है।

श्री एम. वीरप्पा मोइली: अध्यक्ष महोदया, संपूर्ण देश में सर्किट खण्डपीठ तथा स्थायी खण्डपीठ स्थापित करने की अनेक मांग हैं। अगर एक या दो मांग होती, तो निसंहेह, हमने उन्हें पूरी कर दिया होता। उच्चतम न्यायालय का एक निर्णय है जिसमें यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि जब तक कि संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायधीश सर्किट खण्डपीठ या किसी स्थायी खण्डपीठ की स्थापना के लिए सहमत नहीं होता है, तो इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसलिए हम मुश्किल में हैं। पूर्व में, एक आयोग जिसे जसवंत सिंह आयोग कहा जाता था, उसने वास्तविक मानदण्ड निर्धारित किए थे। अब, मेरे विचार से हमें इस अवरोध को लांघने की जरूरत है। इसलिए, हम एक समिति के गठन पर विचार कर रहे हैं ताकि मानदण्ड निर्धारित किए जा सकें, और हम पहले ही लिए जा चुके निर्णय में संशोधन के लिए उच्चतम न्यायालय जा सकें। समिति छह माह में अपनी रिपोर्ट सौंप देगी तत्पश्चात् हम विभिन्न राज्यों की ऐसी अनेक मांगें जिन पर दबाव डाला जा रहा है, उचित मांगों को पूरा कर सकेंगे। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए, इससे इलाहाबाद का अस्तित्व गिरेगा। दूसरी बात लखनऊ में आलरेडी इसकी बेंच स्थापित है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए। इस तरह से नहीं, अभी प्रश्न पूछने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क: मैडम,...(*व्यवधान*) यह बहुत जरूरी है। हम इसका विरोध करते हैं।...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए। आपको अभी बुला लेंगे।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए। ऐसे कैसे कर रहे हैं?

...(*व्यवधान*)

श्री विजय बहादुर सिंह: जस्टिस में डिस्टेंस फैक्टर नहीं है।...(*व्यवधान*) इंडिया बड़ी है तो क्या चार प्राइम मिनिस्टर बनाए जाने चाहिए?

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: ठीक है। अब उनको प्रश्न पूछने दीजिए।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: ठीक है। इस तरह मत खड़े हो जाइए। अगर इस तरह से खड़े होंगे तो किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं आएगा।

(*व्यवधान*)...*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: मंत्री महोदय ने जो कुछ भी कहा और श्री टी.आर. बालू जो कहने जा रहे हैं उसके अलावा कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री टी.आर. बालू: अध्यक्ष महोदया, विधि और न्याय मंत्री ने कहा कि विभिन्न न्यायालयों में लगभग 370 लाख मामले लंबित हैं। परंतु मेरी जानकारी के अनुसार वर्ष 2008 तक, 303 लाख मामले लंबित हैं अर्थात् उच्चतम न्यायालय में 48,838 मामले 21 उच्च न्यायालयों में 38,82,074 मामले तथा उप-न्यायालयों में 2.64 करोड़ मामले लंबित हैं। सबको मिलाकर भारत के विभिन्न न्यायालयों में 303 लाख मामले लंबित हैं। हाल ही में विधि आयोग ने सिफारिश की थी की प्रति दस लाख लोगों पर 50 न्यायाधीश होने चाहिए।

जिसका अर्थ है प्रति बीस हजार लोगों पर एक न्यायधीश। मझे नहीं लगता इसे प्राप्त करना संभव होगा। सिफारिश को लागू करना संभव नहीं है चूंकि 55,000 न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी होगी। वहीं, मेरे मित्र, श्री मोइली ने एक विजन दस्तावेज सामने रखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि एक नेशनल एरियर ग्रिड होगा। राष्ट्रीय एरियर ग्रिड का प्रतिनिधित्व उच्चतम न्यायालय का एक वरिष्ठ न्यायाधीश, योजना आयोग का उपाध्यक्ष, भारत के महान्यायवादी सालिसीटर जनरल ऑफ इंडिया, तीन उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायधीश, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिनिधि, वित्तीय नियंत्रक तथा न्यायिक अकादमी से एक प्रतिनिधि करेंगे। महोदया, देश में सबसे बड़े वादकारी राज्य सरकारें तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं। नेशनल एरियर ग्रिड पर न्यायपालिका, केन्द्र सरकार तथा अन्य संस्थानों के प्रतिनिधि हैं, परंतु राज्य सरकारें जो सबसे बड़ी बादकारी हैं उन्हें इसमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। मैं जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री द्वारा ग्रिड पर राज्य सरकारों को प्रतिनिधित्व देने पर विचार किया जाएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं चूंकि न्यायपालिका, अधिवक्ताओं के संघ, राज्य सरकारों, केन्द्र सरकार सभी इस तंत्र के अंशधारी हैं।

श्री एम. वीरप्पा मोइली: अध्यक्ष महोदया, इसमें केन्द्र तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधि अनिवार्य रूप से मौजूद हैं। वे ही इस निकाय के संयोजक हैं। हमने उच्च न्यायालयों तथा राज्य सरकारों से आवश्यक आंकड़े पहले ही संग्रहित कर लिए हैं। हमने केन्द्र सरकार से भी आंकड़े संग्रहित कर लिए हैं। वास्तव में, मैंने तुरंत ही सभी केन्द्रीय मंत्रियों को पत्र भेजे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सभी केन्द्रीय मंत्रियों ने बड़ी तत्परता से इसका उत्तर दिया है। हमारे पास ब्यौरे उपलब्ध हैं तथा हम तुरंत ही इस प्रकार के अभियान को आरंभ करने की स्थिति में होंगे।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह: अध्यक्ष महोदया, यह सवाल किस का है? अभी एक माननीय सदस्य ने पूछा कि मेरठ में एक बैंच क्यों न खोल दिया जाए।...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: आप सवाल पूछिए।

...(*व्यवधान*)

श्री रेवती रमन सिंह: आप हमें सवाल पूछने देंगे या आप ही बताएंगे।...(*व्यवधान*)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदया: आप हमारी तरफ मुखातिब होकर सवाल पूछिए।

...*(व्यवधान)*

श्री रेवती रमन सिंह: अध्यक्ष महोदया, पहले इलाहाबाद का लखनऊ बैंच खुला हुआ है। अगर हर जिले में हाई कोर्ट खुलेगा तो कल यह मांग होगी कि सुप्रीम कोर्ट का भी बंटवारा कर दिया जाए, कल मांग होगी कि अलग से स्टेट बनाए जाएं। क्या आप तेलंगाना की तरह मानेंगे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में बंटवारा कर दिया जाए। यह बहुत खतरनाक सवाल है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)*

श्री रेवती रमन सिंह: मंत्री महोदय ने अभी सदन में कहा है कि एक कमीशन बनाया जाएगा जो छः महीने में रिपोर्ट देगा। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यदि कमीशन यह रिपोर्ट दे देगा कि हर जिले में एक हाई कोर्ट का बैंच खोल दिया जाए, तो क्या आप हर जिले में उसे खोल देंगे?...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदया, हम अपने आपको उन इस प्रश्न से सम्बद्ध करते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एम. वीरप्पा मोइली: अध्यक्ष महोदया, जब हम कहते हैं कि विभिन्न स्थानों पर सर्किट खण्डपीठ या स्थायी खण्डपीठों की स्थापना के लिए मांग की जा रही है, इसका अर्थ यह नहीं है कि इसे प्रत्येक जिले में किया जाएगा। ऐसी खण्डपीठों की स्थापना की व्यवहार्यता का न केवल समिति द्वारा अध्ययन किया जाएगा, बल्कि इन प्रस्तावों पर आंकड़ों, प्रतिप्राप्ति को विभिन्न उच्च न्यायालयों, राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार द्वारा परखा जाएगा। जैसा कि आप पहले भी देख चुके हैं कि आज तक जिला खण्डपीठों के गठन का रूझान भाग्यवश अभी आरंभ नहीं हुआ है। इस पर बढ़-चढ़ कर बोलने की जरूरत नहीं है। परंतु प्रश्न यह है कि, आप भली-भांति जानते हैं कि विरले ही कुछ विशेष मामलों में इन खण्डपीठों की स्थापना की गई है। अगर कोई तर्कसंगत मांगें होंगी जिसकी जांच उच्च न्यायालय करेगा, राज्य सरकारें करेंगी, जो विशिष्ट भी और निर्धारित मानदण्डों पर भी खरी उतरेंगी उन्हें सभा पटल पर रखा जाएगा और यह आयोग मामले की जांच करेगा।

मझे नहीं लगता कि खंडपीठों की संख्या बढ़ाने से इस तरह की समस्या सामने नहीं आएगी।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदया, हमारे प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं आया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अब आपका प्रश्न पूरा हो गया है। आपने जो पूछा, मंत्री महोदय ने उसका उत्तर दे दिया है।

...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने हमारे प्रश्न का स्पष्ट जवाब नहीं दिया है, इसलिए हम सदन का बहिष्कार करते हैं।

पूर्वाह्न 11.40 बजे

[अनुवाद]

(श्री शैलेन्द्र कुमार तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

श्री विजय बहुगुणा: अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया उसके अनुसार हम संप्रग सरकार द्वारा बकाया राशि की समस्या के समाधान हेतु उठाए गए कदमों की सराहना करते हैं। महोदया, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से दो मुख्य समस्याओं के बारे में जानना चाहूंगा, पहली उच्च न्यायालयों में लंबित मामले और दूसरा छोटे-मोटे मामले, जिनमें केन्द्र सरकार और उसके अधीन विभाग शामिल होते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या वे केन्द्र सरकार के अधीन विभागों को यह दिशानिर्देश देने का विचार कर रहे हैं कि वे उन मामलों की समीक्षा करें जिन्हें उन्होंने अदालतों में दर्ज करवाया है अथवा कम से कम ऐसे मामले जिनमें कोई दम नहीं है, को वापस ले लिया जाए ताकि लंबित मामले कम हों और न्यायाधीशों की नियुक्ति में और तेजी लाई जाए।

श्री एम. वीरप्पा मोइली: मुझे लगता है मैंने इसका उत्तर दे दिया है। हमने राष्ट्रीय याचिका नीति की शुरुआत की है जो मानदण्ड निर्धारित करेगी और इसलिए मैंने कहा है कि सरकार मुख्य वादी तथा एक जिम्मेदार वादी के रूप में यह प्रयास करे कि मामलों में कमी लाई जा सके ताकि कम से कम मुकदमेबाजी हो। आज की तारीख से अगले तीन वर्षों में हमारा यही लक्ष्य होगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न 304, श्री गोरख प्रसाद जायसवाल - उपस्थित नहीं। उनका पत्र आया है कि वह अनुपस्थित रहेंगे।

श्री सुदर्शन भगत - उपस्थित नहीं।

प्रश्न-305, श्री आर.के. सिंह पटेल।

[अनुवाद]

विमानपत्तनों को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का दर्जा

***305. श्री आर.के. सिंह पटेल:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसी विमानपत्तन को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का दर्जा दिए जाने के लिए क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

(ख) इन विमानपत्तनों को उपलब्ध करायी गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक किन-किन विमानपत्तनों को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का दर्जा दिया गया है;

(घ) क्या सरकार का विचार कुछ और विमानपत्तनों को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का दर्जा प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) भारत में नागर विमानन महानिदेशालय/अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (अनुबंध 9 फैसिलिटेशन) द्वारा निर्धारित नागर विमानन अपेक्षाओं (सी.ए.आर.) के कतिपय मानदंडों को पूरा करने के आधार पर एयरपोर्ट को "अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट" के रूप में घोषित किया जाता है। ये मानदंड हैं (i) कम से कम मीडियम कैपेसिटी लांग रेंज विमान अथवा इसके समतुल्य किस्म के विमान के प्रचालन के लिए 9000 फुट अथवा इससे अधिक लंबाई वाला रनवे होना चाहिए चूंकि अंतर्राष्ट्रीय प्रचालनों में प्रयोग किए जाने वाले विमानों में ये विमान अधिकतर हैं (ii) रात्रि में प्रचालन के लिए ग्राउंड लाइटिंग सुविधा, उपकरण अवतरण प्रणाली की उपलब्धता (iii) अंतर्राष्ट्रीय सेक्टर पर यातायात की संभाव्यता (iv) अनूसूचित राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन प्रचालकों की आवश्यकता/मांग (v) सीमा शुल्क, आप्रवासन, स्वास्थ्य, जीव तथा पौध संगरोध सेवाओं की उपलब्धता, (vi) राज्यों (राष्ट्रिकों) के बीच द्विपक्षीय करार जिसके तहत इसे विदेशी वाहकों के प्रचालन के लिए प्वाइंट ऑफ काल के रूप में पेश किया जा सके, (vii) अंतर्राष्ट्रीय कार्गो परिसर, और (viii) अंतर्राष्ट्रीय तथा ट्रांजिट यात्रियों को हैंडल करने वाला पर्याप्त आकार का टर्मिनल भवन। उपर्युक्त पैरामीटर और मंत्रिमंडल के अनुमोदन से किसी भी हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया जाता है।

(ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डों पर विभिन्न यात्री सुविधाएं उपलब्ध हैं, दोनों हवाई अड्डों एवं सिविल इन्क्लेवों पर बैंक/मुद्रा विनिमय, पोस्टल/टेलीग्राम सुविधाएं, हवाई बीमा, पूर्व भुगतान टैक्सी सेवा एवं कार रेन्टल, निःशुल्क यात्री सामान ट्रालियां, पर्यटक सूचना, होटल आरक्षण, विश्राम कक्ष आवास, रेस्टोरेंट/स्नैक बार, डिस्पोजेबेल ग्लास के साथ पीने का पानी, ड्यूटी फ्री शापिंग, महिलाओं एवं पुरुषों तथा विकलांग व्यक्तियों के लिए अलग-अलग शौचालय, सार्वजनिक संबोधन प्रणाली युक्त उड़ान सूचना प्रदर्शन प्रणाली यात्री सूचना तथा मार्गदर्शी संकेत, स्थानीय/एस.टी.डी./आई.एस.डी. काल के लिए पी.सी.ओ. (व्यक्ति तथा बिना व्यक्ति वाला) पात्रता के अनुसार आरक्षित लाउंज, शिशु देखभाल/शिशु लाबी, खोई एवं पाई गई संपत्तियों के लिए सेवा, ड्यूटी प्रबंध कार्यालय में शिकायतों के निपटान के लिए शिकायत कक्ष, बैगेज की हैंडलिंग के लिए कन्वेयर बेल्ट, स्वचालित सीढ़ीयां एवं एलीवेटर्स, प्राथमिक उपचार सुविधा, कार पार्किंग तथा कार हैलर तथा मनोरंजक टी.वी. आदि। इसके अलावा, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने चौबीसों घंटे प्रचालन के प्रयोजन से प्रीसीजन एप्रोच रनवे तथा इससे सम्बद्ध सुविधाएं यथा रात्रि अवतरण सुविधाएं, उपकरण एप्रोच अवतरण प्रणाली आदि सुविधाएं भी उपलब्ध कराई हैं।

(ग) इसके अतिरिक्त, देश के 17 हवाई अड्डों को 'अंतर्राष्ट्रीय दर्जा' प्रदान किया गया है। ये हवाई अड्डे हैं - अहमदाबाद, अमृतसर, कालीकट, चेन्नई, गुवाहाटी, जयपुर, कोलकाता, तिरूवनंतपुरम, बंगलुरू, हैदराबाद, कोच्चि, दिल्ली, मुंबई, नागपुर, गोवा, पोर्टब्लेयर और श्रीनगर। इनमें से 8 हवाई अड्डे नामतः अहमदाबाद, अमृतसर, कालीकट, चेन्नई, गुवाहाटी, जयपुर, कोलकाता तथा तिरूवनंतपुरम भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के हैं और 3 सिविल इक्लेव नामतः

गोवा, पोर्टब्लेयर तथा श्रीनगर हवाई अड्डे का अनुरक्षण भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा प्रबंधित किए जा रहे 5 हवाई अड्डों यथा बंगलुरू, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, नागपुर तथा कोच्चि में एक निजी हवाई अड्डे के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा सी.एन.एस./ए.टी.एम. सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. गोवा, पोर्टब्लेयर तथा श्रीनगर, जो कि रक्षा विभाग का है, स्थित सिविल इन्क्लेव का भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा केवल अनुरक्षण किया जाता है और इनके लिए सी.एन.एस./ए.टी.एस. सेवाएं रक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अलावा, तिरूपति हवाई अड्डे को एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित किया गया है बशर्ते कि अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध कराने के पश्चात ही इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रचालन किया जाएं।

(घ) और (ङ) अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्रदान करना सतत प्रक्रिया है जो हवाईअड्डों के आधुनिकीकरण, यात्री मांग और एयरलाइनों की प्रचालनात्मक आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। कुछ हवाईअड्डों को सीमाशुल्क हवाई अड्डे के रूप में अधिसूचित किया गया है जहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। सीमाशुल्क हवाई अड्डे हैं, वाराणसी, त्रिचिरापल्ली (त्रिची) पटना, मंगलौर, लखनऊ, गया, कोयम्बतूर और पुणे (सिविल इन्क्लेव)।

[हिन्दी]

श्री. आर.के. सिंह पटेल: अध्यक्ष महोदया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। दुनिया में जब कहीं विमान नहीं थे, उस समय भारत में विमान बना करते थे, उड़ा करते थे और विमानपत्तन भी थे। हमारा इतिहास इस बात का गवाह है। चाहे द्वापर युग हो, त्रेता युग हो, सतयुग हो...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप प्रश्न पूछिये।

श्री. आर.के. सिंह पटेल: चाहे जो भी युग रहा हो, हर युग में विमान उड़ा करते थे। कल यहां अयोध्या का मुद्दा उठा था। भगवान राम वहां पैदा हुए और चित्रकूट में उन्होंने 14 साल तक वनवास किया। उस समय माता सीता का हरण रावण ने विमान से किया था। यदि उस समय विमानपत्तन रहा होगा, तभी वहां से माता सीता का हरण विमान से हुआ होगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप लोग सदन में थोड़ा शांति बनाये रखिए। आर.के. सिंह पटेल जी, आप प्रश्न पूछिये।

...*(व्यवधान)*

श्री. आर.के. सिंह पटेल: अध्यक्ष महोदया, मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप इतनी लंबी भूमिका मत बांधिए।

...*(व्यवधान)*

श्री. आर.के. सिंह पटेल: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं मंत्री जी से सीधा प्रश्न पूछ रहा हूं कि चित्रकूट, जहां भगवान राम ने 14 साल वनवास किया और अयोध्या जहां भगवान राम पैदा हुए, क्या माननीय मंत्री जी चित्रकूट में विमानपत्तन बनाये जाने की घोषणा करेंगे, अयोध्या में विमानपत्तन बनाये जाने की घोषणा करेंगे? क्या वहां पर विमानपत्तन बनाये जाने की कोई योजना है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप लोग शांति बनाये रखिए। आपने अपना प्रश्न पूछ लिया है इसलिए आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप माननीय मंत्री जी का उत्तर सुनिये।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रफुल पटेल: अध्यक्ष महोदया, मैं यह सोच रहा था कि मुझे अपने प्रश्न का उत्तर कहां से शुरू करना है। वेद पुराणों से शुरू करना है कि हनुमान जी...*(व्यवधान)* हमारे मंत्रालय के जो संरक्षक हैं, वे हनुमान जी हैं, इसलिए हम कहां से उसकी शुरुआत करें। मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि यह प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में है कि कहां-कहां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं और उनके मापदंड क्या हैं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप क्यों बीच में खड़े हो जाते हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री प्रफुल पटेल: अयोध्या में हवाई अड्डा बनाना या नहीं, इसके बारे में जवाब देना मुश्किल होगा। लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि जहां पर भी हवाई अड्डों का निर्माण होता है, पहले प्रस्ताव राज्य सरकार की ओर से हमारे पास सादर होता है। हम उसको एग्जामिन करते हैं और उसके पश्चात् आगे हम निर्णय लेते हैं। अभी इस वक्त हमारे पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है। अभी हमें भगवान राम और अयोध्या में जाकर यह सब जानकारी लेनी होगी।

श्री. आर.के. सिंह पटेल: महोदया, इलाहाबाद भी हिन्दुओं

की धार्मिक नगरी है। इलाहाबाद के लिए यहां से एक विमान जाता है, दूसरा कोई विमान नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इलाहाबाद और खजुराहो को अन्तर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा घोषित किए जाने का निर्णय लेंगे?

श्री प्रफुल पटेल: महोदया, जिन दोनों शहरों का जिक्र किया गया है, वहां पर हवाई अड्डे हैं। इलाहाबाद में जो हवाई अड्डा है, वह एयरफोर्स का है, हमने वहां पर सिविल एनक्लेव बनाया है। हमारे मित्र शैलेन्द्र कुमार जी और कुंवर रेवती रमण सिंह जी के विशेष आग्रह से इलाहाबाद की हवाई सेवाएं शुरू की गयी हैं। अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का निर्माण और हवाई अड्डों को अन्तर्राष्ट्रीय दर्जे पर परिवर्तित करने के लिए पैसेंजर डिमाण्ड और दूसरे कई मापदण्ड होते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि वर्तमान में हमारे देश में 17 अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जो भौगोलिक दृष्टि से पूरे देश के सभी क्षेत्रों का समावेश कर लेते हैं। इनके अलावा कई कस्टम्स एयरपोर्ट्स भी हमने नोटीफाई किए हैं, जहां से अन्तर्राष्ट्रीय सेवाएं चलाई जाती हैं। इसलिए आगे जैसी डिमाण्ड होगी, निश्चित रूप से इस पर भी विचार किया जा सकता है।

[अनुवाद]

श्री मानिक टैगोर: जवाब में माननीय मंत्री जी ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया जाना विमानपत्तनों के आधुनिकीकरण पर निर्भर करता है। दक्षिणी तमिलनाडु में अनेक यात्री चेन्नई अथवा विदेशों की यात्रा करते हैं। महोदया आपके माध्यम से मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या मंत्रालय मदुरै विमानपत्तन, जिसका आधुनिकीकरण चल रहा है, को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्रदान करने पर विचार करेगी?

श्री प्रफुल पटेल: जैसा मैंने कहा, माननीय सदस्य ने मेरे जवाब को बिल्कुल सही ढंग से इंगित किया है कि अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्रदान करना अथवा सीमाशुल्क विमानपत्तन अधिसूचित करना एक सतत प्रक्रिया है। तमिलनाडु में हमारे पास त्रिची में पहले से ही सीमाशुल्क विमान-पत्तन है। मैं आश्वस्त हूं कि अगर कोई मांग होती है तो हम इस पर विचार कर सकते हैं।

श्री अनंत कुमार: पिछले 10 वर्षों में, मंगलौर विमान पत्तन का उन्नयन एक आधुनिक विमानपत्तन के रूप में किया गया है तथा 9000 फीट से अधिक लंबाई की एक नया रनवे बनाया गया है। यह मंगलौर-शारजाह-आबू धाबी और दुबई के बीच कम दूरी की विमान सेवा है। अतः महोदया आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से मेरा अनुरोध और प्रश्न यह है कि क्या वे कर्नाटक को नए साल के तोहफे के रूप में इस सीमाशुल्क नामित विमानपत्तन का नियमित अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के रूप में उन्नयन करेंगे।

श्री प्रफुल पटेल: मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि इसे अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहने में या सीमाशुल्क अधिसूचित विमानपत्तन कहने के बीच बहुत मामूली फर्क है। कुल मिलाकर मंगलौर में न केवल एक तैयार आधुनिक टर्मिनल है बल्कि यहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी परिचालन में हैं। श्री मोइली, मैं और यहां तक कि कर्नाटक के मुख्य मंत्री इसके आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के साक्षी रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें परिचालन में हैं तथा अधिक से अधिक और जब भी आवश्यकता होगी मंगलोर को वह सब दिया जाएगा। अतः वास्तव में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन या सीमाशुल्क अधिसूचित विमानपत्तन कहने के चक्कर में न पड़ें। हकीकत में दोनों एक ही काम कर रहे हैं।

श्री अर्जुन चरण सेठी: माननीय मंत्री जी ने कहा है कि यह एक सतत प्रक्रिया है। माननीय मंत्री जी और यह सभा जानती है कि पर्यटकों के लिए एक प्रमुख पर्यटन स्थल उड़ीसा का भुवनेश्वर है। मांग और आवश्यकतानुसार राज्य सरकार और नागर विमानन मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि इस विशेष विमानपत्तन का विकास किया जाना चाहिए। इसका विकास किया गया है तथा राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया हैकि उड़ीसा में विशेष पर्यटक स्थल के मद्देनजर इसे देश के अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों में से एक घोषित किया जाए। क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या माननीय मंत्रीजी अथवा नागर विमानन मंत्रालय भुवनेश्वर विमानपत्तन को देश का एक अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित करने जा रहे है?

श्री प्रफुल पटेल: मैं दोबारा यह दोहराना चाहंगा कि यह मांग का सवाल है। अगर कोई भी विमान कंपनी भुवनेश्वर 'से और भुवनेश्वर तक' अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन करने की इच्छुक है तो निःसंदेह हम लोग इस पर विचार करेंगे क्योंकि हम यह जानते हैं कि हमारे देश के क्षेत्र के उस भाग में, भुवनेश्वर में अपार पर्यटक क्षमता है। यह भी सत्य है कि यह उन विमानपत्तनों में से एक है जो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं; इसका अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार उन्नयन किया जाएगा। अतः मुझे ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं देता कि अगर मांग की जाती है तो इसकी स्वीकृति न दी जाए। अगर कोई

विमान कंपनी वहां से परिचालन करने की इच्छुक है तो हम इस पर विचार करेंगे; यह कोई मुद्दा नहीं है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न संख्या 306 - श्री लालजी टन्डन - उपस्थित नहीं।

श्री तूफानी सरोज।

कच्चे तेल का आयात

+

***306. श्री तूफानी सरोज:**

श्री लालजी टन्डन:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस समय देश में पेट्रोलियम, तेल और स्नेहकों (लुब्रिकेन्ट्स) की 70 प्रतिशत से अधिक की आवश्यकता को आयात द्वारा पूरा किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या कच्चे तेल के आयात में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा हाल के वर्षों में उठाए गए कदमों का कच्चे तेल के आयात पर हमारी निर्भरता पर कोई प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) देश की कच्चे तेल की अपनी मांग पूरी करने के लिए आयातों पर निर्भरता 70% से अधिक है।

(ख) और (ग) विगत पांच वर्षों के दौरान, कच्चे तेल के आयात में हुई वृद्धि नीचे सरणी में दी गई है।

वर्ष	मात्रा (एम.एम.टी.*)
2004-05	95.9
2005-06	99.4
2006-07	111.5
2007-08	121.7
2008-09 (अनंतिम)	132.8

*एम.एम.टी. - मिलियन मीटरी टन

(घ) और (ङ) हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और उत्पादन को अधिक करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं-

1. नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (नेल्प) और कोल बेड मिथेन नीति (सी.बी.एम.) के विभिन्न दौरों के तहत अन्वेषण के लिए अधिकाधिक क्षेत्रों को चिन्हित करना। अभी तक नेल्प के तहत 203 उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं (पी.एस.सीज) पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिनसे तेल और गैस की 73 खोजें की गई हैं। जहां तक नेल्प ब्लाकों से होने वाले कच्चे तेल के उत्पादन का संबंध है, के.जी.-डी.डब्ल्यू.एन.-98/3 और सी.बी.-ओ.एन.एन.-2000/1 ब्लाकों से उत्पादन शुरू हो गया है।

2. उत्पादन चालू करने के लिए समर्थ बनाने हेतु खोजे गए भंडारों का अधिक तेजी से विकास करना। राजस्थान के बाढ़मेर जिले में मंगला तेल क्षेत्र जिसने अगस्त 2009 से उत्पादन शुरू कर दिया है, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, 2.2 मिलियन टन (एम.एम.टी.) कच्चे तेल का उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है। अधिकतम उत्पादन होने पर, 2011-12 के दौरान, 8.9 एम.एम.टी. प्रति वर्ष कच्चे तेल के उत्पादन होने की संभावना है जो कच्चे तेल के कुल घरेलू उत्पादन का लगभग 25% होगा और वर्तमान मूल्यों पर, देश के कच्चे तेल के आयात का बिल लगभग 8% तक कम हो जाएगा।

3. वर्तमान फील्डों से उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक तकनीकों का प्रयोग करना।

4. विद्यमान फील्डों से प्राप्ति बढ़ाने के लिए वर्धित तेल निकासी (ई.ओ.आर.)/उन्नत तेल निकासी (आई.ओ.आर.) तकनीकों को लागू करके अधिक पुराने फील्डों से उत्पादन में आ रही गिरावट को रोकना।

5. इक्विटी तेल लाने के लिए विदेशों में अन्वेषण रकबों और उत्पादक संपत्तियों का अर्जन करना। ओ.एन.जी.सी. विदेश लिमिटेड (ओ.वी.एल.) ने विदेश स्थित अपनी उत्पादक परिसंपत्तियों से 2008-09 के दौरान, 8.77 एम.एम.टी. तेल और तेल के समकक्ष गैस का उत्पादन किया था।

1-4-1999 की स्थिति के अनुसार, देश की परिशोधन क्षमता लगभग 70 एम.एम.टी.पी.ए. से वर्तमान में लगभग 179 एम.एम.टी.पी.ए. तक वृद्धि होने से कच्चे तेल का अपेक्षाकृत अधिक आयात करना आवश्यक हो गया है। देश की परिशोधन क्षमता में वृद्धि होने से तथा घरेलू मांग में लगातार वृद्धि होने से देश के तेल आयात की निर्भरता में महत्वपूर्ण रूप से कमी होने की सभावना नहीं है।

[हिन्दी]

श्री तूफानी सरोज: अध्यक्ष महोदया, हमारे देश में तेल की खपत बड़े पैमाने पर होती है। यूं कहा जाए कि भारत एशिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है, तो गलत नहीं होगा। हमारे देश में क्रूड ऑयल 70 प्रतिशत के करीब आयात होता है। ऐसे में मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे देश की कौन-कौन सी निजी कम्पनीज हैं, जो विदेशों से क्रूड ऑयल आयात कर रही हैं और प्रति वर्ष कितना क्रूड ऑयल आयात कर रही हैं?

श्री जितिन प्रसाद: महोदया, जहां तक माननीय सदस्य ने कहा, वह सही है कि हमारा देश क्रूड ऑयल के लिए आयात पर निर्भर है और 70 प्रतिशत से ज्यादा क्रूड ऑयल का आयात किया जाता है। अधिकतर हमारी ऑयल मार्केटिंग कम्पनीज जैसे इंडियन ऑयल कार्पोरेशन, बी.पी.सी.एल. और एच.पी.सी.एल. यही क्रूड ऑयल आयात करने का काम करती हैं। जहां तक आंकड़ों का सवाल है, पिछले पांच सालों में सन् 2004-2005 में 95.9 मिलियन मीट्रिक टन आयात किया गया था। वर्तमान वर्ष के प्रोविजनल आंकड़ों के अनुसार 132 मिलियन मीट्रिक टन क्रूड ऑयल का आयात हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा इम्पोर्ट बिल बढ़ता चला जा रहा है, यही मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं।

श्री तूफानी सरोज: अध्यक्ष महोदया, मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारे देश की निजी कम्पनीज भी विदेशों में तेल का निर्यात कर रही हैं? इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या हमारे देश की कुछ निजी कम्पनीज ने विदेशों में तेल खोजने का समझौता किया है और हमारे देश की किन-किन निजी कम्पनीज को तेल खोजने का तथा उत्पादन करने का लाइसेंस दिया गया है?

श्री जितिन प्रसाद: मैडम, जहां तक निजी कम्पनीज का सवाल है, जिन-जिन निजी कम्पनीज की इस देश में रिफाइनरीज हैं, वे क्रूड ऑयल का इम्पोर्ट करती हैं, ताकि उन रिफाइनरीज में उनका प्रोडक्शन हो। उनकी सूची में माननीय सदस्य को दे दूंगा। इनमें एस्सार है, रिलायंस है और कितनी मात्रा में उन्होंने इम्पोर्ट किया है, उसकी पूरी डिटेल मैं माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा।

[अनुवाद]

श्री पी.के. बिजू: माननीय मंत्रीजी ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि हमने देश के विभिन्न भागों में कुछ काम शुरू कर दिया है और हम कच्चे तेल के लिए विभिन्न देशों पर आश्रित हैं तथा 70 प्रतिशत से अधिक कच्चे तेल का आयात विभिन्न देशों से किया जाता है।

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि कोचीन में कच्चे तेल की खोज की वर्तमान स्थिति क्या है और इस परियोजना के कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

श्री जितिन प्रसाद: जहां तक कोचीन का संबंध है, ओ.एन.जी.सी. द्वारा अन्वेषण क्रियाकलाप किए जा रहे हैं। जहां तक इसकी वर्तमान स्थिति का संबंध है, मैं माननीय सदस्य की ओर लौटता हूं -मैं उन्हें विस्तार से वर्तमान स्थिति की जानकारी दूंगा।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने अपने उत्तर में साफ तौर पर यह स्वीकार किया है कि 70 प्रतिशत आयातित तेल पर हमारा देश निर्भर है और वर्ष 2011-2012 तक 8.9 मिलियन मीट्रिक टन कच्चे तेल का उत्पादन होने की संभावना जताई है। लेकिन जो हमें मिलेगा, वह हमारे घरेलू उत्पादन का 25 प्रतिशत होगा और जो आयात हम कर रहे हैं उससे हमारे बिल में 8 प्रतिशत की कमी होगी। लेकिन हमारी मांग इससे पूरी नहीं हो पाएगी और यह मांग दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है।

अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसे मुम्बई-हाई में आपको तेल मिला है, उसी वेस्ट-कोस्ट में, महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में, रत्नागिरी के पास काफी मात्रा में क्रूड-ऑयल उपलब्ध है और उसकी जांच भी ओ.एन.जी.सी. द्वारा की गयी थी। क्या सचमुच इस प्रकार का क्रूड-ऑयल वहां पर उपलब्ध है और यदि वहां जांच की गयी है तो वहां से तेल का उत्खनन कब शुरू होगा?

श्री जितिन प्रसाद: माननीय अध्यक्षा जी, जहां तक तेल के उत्खनन का सवाल है, एक प्रक्रिया के तहत तेल का उत्खनन किया जाता है और देखा जाता है कि कहां पर डिस्कवरीज हैं, लेकिन हर जगह जहां पर डिस्कवरीज होती हैं, वहां कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं होता है। कभी-कभी डिस्कवरी होने के बाद भी उससे इतना मुनाफा नहीं हो पाता है कि उसे कमर्शियल एक्विटी में लाया जाए। जहां तक रत्नागिरी का सवाल है, वहां डिस्कवरीज हुई होंगी, मगर यह अभी फाइनल नहीं है कि वह अभी कमर्शियल प्रोडक्शन में आयेगा या नहीं। जो 8.9 मिलियन मीट्रिक टन आपने बताया, वह बाड़मेर इलाके का प्रोडक्शन है, जो अभी वर्ष 2011-12 तक आयेगा और इससे 25 परसेंट तेल का इम्पोर्ट बिल कम होगा। आज की तारीख में इसका उत्पादन 25 प्रतिशत हुआ है और यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी वर्ष हमारे क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन भी 7 परसेंट बढ़ा है और इसी वर्ष हमारा गैस प्रोडक्शन भी 53 परसेंट बढ़ा है। मतलब यह है कि जितना प्रोड्यूस हो रहा था उससे आधा और उत्पादन हुआ है, यह हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।

[अनुवाद]

कारपोरेट धोखाधड़ी

\+

***307. श्रीमती सुप्रिया सुले:**

श्री जी.एस. बासवराज:

क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कारपोरेट धोखाधड़ी से बचने के लिए मीडिया रिपोर्टों, कारपोरेट प्रेस प्रकाशनियों और विज्ञापनों, जिनका कम्पनियों के शेयर मूल्यों पर प्रभाव पड़ सकता है, की संवीक्षा करने हेतु एक विशिष्ट अनुसंधान और विश्लेषण स्कंध स्थापित करने का निर्णय लिया है/प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में यदि कोई और कदम उठाए जाने का विचार है तो वे क्या हैं?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) सरकार ने कॉर्पोरेट क्षेत्र में नियामक प्रणाली में सुधार लाने के उद्देश्य से गंभीर धोखाधड़ी जांच-पड़ताल कार्यालय में बाजार अनुसंधान एवं विश्लेषण इकाई स्थापित की है। यह इकाई अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित मुख्य कार्य निष्पादित करेगी:-

(i) सूचना रिपॉजिटरी

मीडिया, अन्य जांच एजेंसियों, कर्मचारी, निवेशक, जमाधारक, बैंक, वित्तीय संस्थान आदि सहित विभिन्न स्रोतों से सूचना एकत्र करना और उतार-चढ़ाव का विश्लेषण करना।

(ii) जांच दक्षता में सुधार करना

पूर्णतः जांच किए गए सभी मामलों का यह देखने के लिए विश्लेषण करना कि क्या जांच प्रक्रिया की पूरी तरह से अनुपालना की गई है। कोई व्यक्तिक्रम तथा जांच के परिणाम पर उसके परवर्ती प्रभाव को स्पष्ट किया जाएगा ताकि जांच दक्षता में और सुधार के लिए आधार तैयार किया जा सके।

(iii) बेहतर अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं स्वीकार करने हेतु जानकारी

अन्य देशों में अपनाई जा रही पद्धति और प्रणालियों का विश्लेषण करने के लिए उन देशों में संबंधित एजेंसियों के जांच विभागों द्वारा की गई जांच के मामलों का अध्ययन करना। जांच संबंधी मामलों को मार्गदर्शन देने हेतु इकाई द्वारा बेहतर अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं पर आधारित जांच मापदंड तैयार किए जाएंगे।

(iv) अन्य जांचकर्ता एजेंसियों के साथ समन्वय

प्रबंधकीय और कारपोरेट संबंधी व्यवहार के बारे में अपेक्षित सूचना प्राप्त करने के लिए सतत

आधार पर अन्य जांचकर्ता एजेंसियों के साथ समन्वय करना। इस तरह प्राप्त की गई सूचना को मीडिया के माध्यम से प्राप्त सूचना और एम.सी.ए. 21 परियोजना से एकत्र किए गए आंकड़ों के साथ सुमेलित किया जाएगा। इस सूचना कोष का कारपोरेट एनटिटियों के कानूनन स्वीकृत व्यवहार से व्यतिक्रम पर पूर्व चेतावनी देने के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

श्रीमती सुप्रिया सुले: बहुत ही विस्तृत उत्तर के लिए मैं मंत्री महोदय का धन्यवाद करती हूं। परन्तु आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि जिस नए कंपनी विधेयक की आप योजना बना रहे हैं, उसमें निवेशकों के संरक्षण हेतु सरकार की क्या हस्तक्षेप करने की योजना है।

श्री सलमान खुर्शीद: अध्यक्ष महोदया, मंत्रालय निवेशकों के संरक्षण के लिए पहले ही कदम उठा चुका है, विशेषकर उन्हें उन कंपनियों की स्थिति की जानकारी दी जाती है, जहां निवेश करने की संभावना होती है। जहां तक कंपनी विधेयक 2009 का संबंध है, जोकि अब स्थायी समिति के विचाराधीन है, इसमें सबसे बड़ा कदम है, कानूनी कार्रवाई की विशेष संभावनाओं की व्यवस्था करना, जहां पहली बार क्लास एक्शन्स की अनुमति दी जाएगी। यदि कंपनी कोई धोखाधड़ी अथवा कोई अन्य अपराध करती है तो निवेशक तथा अन्य हिस्सेदार राहत हेतु न्यायाधिकरण में आवेदन कर सकते हैं।

श्रीमती सुप्रिया सुले: सामान्यतः जब इस तरह की चीजें होती हैं तो निवेशक को उसका धन कभी वापस नहीं मिलता। इसलिए एक फूलप्रूफ प्रणाली होनी चाहिए - फूलप्रूफ जैसी कोई चीज नहीं है - अथवा क्या सरकार निवेशक की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करेगी अथवा दण्ड इतना कड़ा होगा कि सत्यम जैसा एक और मामला बहुत जल्द न हो?

श्री सलमान खुर्शीद: महोदया, सत्यम जैसा मामला फिर न हो, इसके लिए हमने कई कदम उठाए हैं। एक पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित की गई है। नए विधेयक में विशेषकर हमने कड़े दण्ड, व्यापक प्रकटीकरण, कंपनी के रिकॉर्डों की जांच के संदर्भ में शेयरधारकों की व्यापक भागीदारी तथा सबसे महत्वपूर्ण है यदि अधिकारी अथवा कंपनी शेयरधारकों की अनदेखी कर कोई लाभ कमाती है, तो उसे वापस लेने की व्यवस्था है।

श्री जी. एस. बासवराज: महोदया, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि सरकार द्वारा कार्पोरेट निकायों की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए विशेषीकृत अनुसंधान एवं विश्लेषण स्कन्ध की स्थापना की गई है। सत्यम कंप्यूर्टस के कारण निवेशकों को पहले ही 14,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो चुका है।

अध्यक्ष महोदया: कृपया आपना प्रश्न पूछिए क्योंकि समय बहुत कम है।

श्री जी. एस. बासवराज: इसके मद्देनजर मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वे विधेयक में क्लास एक्शन सूट प्रावधान की व्यवस्था करने जा रहे हैं ...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: समय काफी कम बचा है। तत्काल अपना प्रश्न पूछिए।

श्री जी. एस. बासवराज: क्या मंत्री महोदय मुझे बताएंगे कि क्या निवेशकों तथा शेयरधारकों द्वारा मुआवजे के दावे के लिए 2009 के कंपनी विधेयक में **क्लास एक्शन सूट** को शामिल किया गया है?

श्री सलमान खुर्शीद: महोदया, मैं उत्तर में बता चुका हूं कि क्लास एक्शन सूट्स का प्रावधान है और मुझे लगता है कि विधेयक परिचालित किया जा रहा है। मेरे काबिल दोस्त विधेयक देखकर बता सकते हैं कि वे इससे संतुष्ट हैं या नहीं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

नए रेलवे स्टेशन खोलना

***304. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:**
श्री सुदर्शन भगत:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में नए रेलवे स्टेशन खोले जाने के मानदंड क्या हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने नए रेलवे स्टेशन खोले गए;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान नए रेलवे स्टेशन खोले जाने की मांगें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि कार्रवाई हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गयी है?;

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) सामान्यतः नई लाइन को यातायात के लिए चालू करने के दौरान नए स्टेशन खोले जाते हैं, मौजूदा लाइनों पर, किसी नए ब्लॉक स्टेशन का खोला जाना परिचालनिक आवश्यकता, तकनीकी व्यवहार्यता, माल साइडिंगों तक संपर्क लाइनें मुहैया कराने की आवश्यकता, आदि पर निर्भर करता है। जनता की मांग पर हाल्ट स्टेशन तभी खोले जाते हैं, जब ऐसा करना आर्थिक दृष्टि से अर्थक्षम और परिचालनिक एवं इंजीनियरी दृष्टि से व्यावहारिक पाया जाए।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान 156 स्टेशन खोले गए हैं जिनमें 81 हाल्ट स्टेशन और 75 ब्लॉक स्टेशन शामिल हैं।

(ग) और (घ) जी हां। गत तीन वर्षों के दौरान नए स्टेशन खोलने के लिए 232 मांगें प्राप्त हुई थीं जिनमें से 39 हाल्ट स्टेशन और 9 ब्लॉक स्टेशन स्वीकृत किए गए हैं। स्वीकृत स्टेशनों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

स्वीकृत/खोले गये स्टेशनों की सूची जिनके लिए पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2006-07 से 2008-09 के दौरान मांगें प्राप्त हुई थीं:-

क्र. सं.	रेलवे	प्रस्तावित हाल्ट स्टेशन के नाम	टिप्पणी
1.	मध्य	गोपाल नगर	पहले से स्वीकृत
2.	पूर्व	बीमन बंदर	पहले ही खोल दिया गया
3.	पूर्व	जस्सोर रोड	पहले ही खोल दिया गया
4.	पूर्व	घोगी-बरियारपुर	पहले ही खोल दिया गया
5.	पूर्व	घोरघाट	पहले ही खोल दिया गया
6.	पूर्व	चींत-मखनपुर	पहले ही खोल दिया गया
7.	पूर्व	मुराहारा	पहले ही खोल दिया गया
8.	पूर्व	पीपरादीही	पहले ही खोल दिया गया
9.	पूर्व	तेलिया	पहले ही खोल दिया गया
10.	पूर्व	ऋषिकुंड	पहले ही खोल दिया गया
11.	पूर्व	पतम	पहले ही खोल दिया गया
12.	पूर्व	अबुगंज	पहले ही खोल दिया गया
13.	पूर्व	कमरगंज	पहले ही खोल दिया गया
14.	उत्तर	ताजनगर	स्वीकृत
15.	पूर्वोत्तर	बरईपत्ती मथियानी	स्वीकृत
16.	पूर्वोत्तर	बंगरा	स्वीकृत

क्र. सं.	रेलवे	प्रस्तावित हाल्ट स्टेशन	टिप्पणी
17.	पूर्वोत्तर	बहौरा	स्वीकृत
18.	दक्षिण-पूर्व मध्य	नगारा	स्वीकृत/निर्माणाधीन
19.	दक्षिण-पूर्व-मध्य	मगरधारा	स्वीकृत/निर्माणाधीन
20.	पूर्व-मध्य	महातवानिया	खोल दिया गया
21.	पूर्व-मध्य	अगरर	खोल दिया गया
22.	पूर्व-मध्य	सहीद बाबा परव	खोल दिया गया
23.	पूर्व-मध्य	मोकर	खोल दिया गया
24.	पूर्व-मध्य	चनका	खोल दिया गया
25.	पूर्व-मध्य	मीरा बीघा	खोल दिया गया
26.	पूर्व-मध्य	घोसिया कलां	खोल दिया गया
27.	पूर्व-मध्य	बैरी	खोल दिया गया
28.	पूर्व-मध्य	सुन्दरपुर	खोल दिया गया
29.	पूर्व-मध्य	बाबा रघुनाथ हाल्ट द्वारिका	स्वीकृत लेकिन अभी खोला जाना है
30.	पूर्व-मध्य	चंद पीपर	स्वीकृत लेकिन अभी खोला जाना है
31.	पूर्व-मध्य	नोनार	खोल दिया गया
32.	पूर्व-मध्य	जगदीशपुर	खोल दिया गया
33.	पूर्व-मध्य	झारखंड महादेव	खोल दिया गया
34.	पूर्व-मध्य	भोजपुर रोहतास बार्डर	खोल दिया गया
35.	पूर्व-मध्य	शिवपुर	खोल दिया गया
36.	पूर्व-मध्य	हसन बाजार	खोल दिया गया
37.	पूर्व-मध्य	घुसिया	खोल दिया गया
38.	पूर्व-मध्य	सामली	स्वीकृत लेकिन अभी खोला जाना है।
39.	पूर्व-मध्य	सुखदास ग्राम	स्वीकृत लेकिन अभी खोला जाना है।
40.	पूर्व-मध्य	टेका बीघा	स्वीकृत
41.	पूर्व-मध्य	लमूआबाद	स्वीकृत
42.	पूर्व-मध्य	नंदिनी लगुनिया	स्वीकृत

क्र. सं.	रेलवे	प्रस्तावित हाल्ट स्टेशन	टिप्पणी
43.	पूर्व-मध्य	चकमाकरन	स्वीकृत
44.	पूर्व-मध्य	चामुआ	स्वीकृत
45.	पूर्व-मध्य	घोश्वर	स्वीकृत
46.	पूर्व-मध्य	करजारा	स्वीकृत
47.	पूर्व-मध्य	करोटा	स्वीकृत
48.	दक्षिण	नागरकोइल टाउन	स्वीकृत

सड़क उपरिपुल

*308. **श्री राकेश सचान:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख के अनुसार विभिन्न राज्यों में निर्माणाधीन सड़क उपरिपुलों का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रेलवे का विचार उत्तर प्रदेश के खागा में एक सड़क उपरिपुल का निर्माण करने सहित कुछ और सड़क उपरिपुलों का निर्माण करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) लम्बित प्रस्तावों पर कब तक निर्णय ले लिया जाएगा?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) 1-12-2009 को विभिन्न राज्यों में निर्माणाधीन ऊपरी सड़क पुलों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी हां। रेलवे मौजूदा समपारों के स्थान पर ऊपरी/निचले सड़क पुलों का निर्माण लागत में भागीदारी के आधार पर करती है, बशर्ते उस समपार पर यातायात का घनत्व एक लाख गाड़ी वाहन इकाई (गाड़ी वाहन इकाई-उस समपार से 24 घंटे के दौरान गुजरने वाली गाड़ियों की संख्या को सड़क वाहनों की संख्या से गुणा करके प्राप्त इकाई) हो अन्यथा इस संबंध में निक्षेप शर्तों पर निर्माण हेतु विचार किया जाता है जिसके लिए मौजूदा नियमों के अंतर्गत कतिपय प्रारंभिक पूर्व-अपेक्षित आवश्यकताओं, यथा अपने हिस्से की लागत वहन करने की वचनबद्धता, निर्माण कार्य पूरा होने पर समपार को बंद करना, पहुंच मार्गों के लिए भूमि अधिगृहीत करने के लिए अग्रिम कार्रवाई आदि, को विधिवत रूप से पूरा करते हुए संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव प्रायोजित किए जाते हैं। खागा के निकट 907/31-33 कि.मी. पर समपार सं. 37 पर यातायात का घनत्व 3,14,963 गाड़ी वाहन इकाई है। इससे लागत में भागीदारी के आधार पर ऊपरी सड़क पुल की व्यवस्था का औचित्य बनता है। राज्य सरकार को ऐसे समपारों, यातायात का घनत्व एक लाख अथवा इससे अधिक गाड़ी वाहन इकाई है, की सूची प्रस्तुत कर दी गई है और उनके स्थान पर ऊपरी सड़क पुलों की व्यवस्था के लिए प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया है। उपर्युक्त समपार को भी सूची में शामिल किया गया है लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित किए जाने पर प्रस्ताव के संबंध में निर्णय किया जाएगा।

विवरण

2009-10 तक स्वीकृत राज्य-वार ऊपरी/निचले सड़क पुल परियोजनाएं

क्र. सं.	राज्य	लागत में भागीदारी		अन्य कोटि कार्य			लागत भागीदारी कार्य	
		कार्यों की सं.	निक्षेप	बी.ओ.टी.	एन.एच.ए.आई.	जोड़	रेलवे का हिस्सा (करोड़ रु. में)	राज्य का हिस्सा (करोड़ रु. में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	104	17	8	21	150	642	968
2.	असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र	1	11	0	12	24	9	0
3.	बिहार	60	0	0	17	77	529	468
4.	चंडीगढ़ (सं.शा.)	1	0	0	0	1	6	7
5.	छत्तीसगढ़	13	4	0	0	17	86	131
6.	दिल्ली	19	15	0	0	34	191	365
7.	गुजरात	21	9	0	4	34	83	119
8.	हरियाणा	44	5	6	0	55	381	548
9.	झारखंड	17	0	0	0	17	128	98
10.	कर्णाटक	61	31	1	27	120	311	317
11.	केरल	59	11	0	10	80	309	289

12.	महाराष्ट्र	31	32	14	13	90	135	230
13.	मध्य प्रदेश	28	7	1	4	40	81	93
14.	उड़ीसा	19	0	0	2	21	237	261
15.	पांडिचेरी	3	0	0	0	3	15	15
16.	पंजाब	38	4	11	0	53	241	409
17.	राजस्थान	30	6	11	8	55	122	133
18.	तमिलनाडु	144	20	0	73	237	785	800
19.	उत्तर प्रदेश	94	16	0	47	157	665	780
20.	उत्तराखंड	1	2	0	0	3	8	105
21.	पश्चिमी बंगाल	41	1	0	4	46	255	241
22.	जम्मू और कश्मीर	1	1	0	0	2	6	10
	जोड़	830	192	52	242	1316	5224	6389

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु रेल परियोजनाएं

***309. श्री महेन्द्र कुमार राय:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का उत्तर बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में नए स्टशनों और नई रेल लाइनों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त परियोजनाओं हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गयी है; और

(ग) उक्त परियोजनाओं को कब तक शुरू और पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) से (ग) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में 11 नई लाइन परियोजनाएं चल रही हैं जिनके अंतर्गत पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के हिस्से आते हैं। चालू नई लाइन परियोजनाओं का ब्यौरा, मौजूदा वित्त वर्ष में आवंटित राशि और पूरा करने की तिथि, जहां कहीं निर्धारित की गई है, सहित संलग्न विवरण में दिया गया है। ब्यौरे में, नई लाइनों के अंतर्गत निर्माण के लिए प्रस्तावित नए स्टेशनों की संख्या को भी शामिल किया गया है।

विवरण

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना में निर्माण के लिए प्रस्तावित नए स्टेशनों की सं.	2009-10 के बजट के अनुसार प्रत्याशित लागत	मार्च, 09 तक व्यय	परिव्यय 2009-10	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1.	जिरिबाम-इम्फाल	9	2492.53	73.63	50.00	84 कि.मी. में अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया है। जहां भूमि का अधिग्रहण हो गया है, वहां मिट्टी तथा पुल संबंधी कार्य शुरू किए गए हैं। जिरिबाम-तुपुल को मार्च, 2014 और तुपुल-इम्फाल को मार्च, 2016 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
2.	अजरा-बरनीहाट	2	546.47	0.34	5.00	स्थानीय लोगों द्वारा बाधा डालने के कारण असम वाले हिस्से में सर्वेक्षण कार्य को स्थगित किया गया है। राज्य सरकार ने संरेखण में बदलाव की वांछा की है। लक्ष्य-मार्च, 2014।
3.	दीमापुर-जुब्जा (कोहिमा)	7	850.00	0.83	5.00	कि.मी. 0.00 से कि.मी. 42

1	2	3	4	5	6	7
						तक अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण के कार्य को शुरू किया गया। ग्रामीणों की आपत्ति के कारण कि.मी. 5.00 से कि.मी. 8.00 के बीच अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण के कार्य को रोक दिया गया। मार्च, 2015 का लक्ष्य है।
4.	बोगीबील पुल	5	3087.44	1391.71	110.41	मोरनहाट से चालखोवा (44 कि.मी.) तक दक्षिण बैंक लाइन को पूरा कर लिया गया है। मुख्य पुल उपसंरचना तथा गाइड बांधों का कार्य शुरू किया गया है। मुख्य पुल अधिसंरचना की निविदा को खोल दिया गया है। परियोजना को मार्च, 2014 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
5.	अगरतला-सबरूम	9	813.34	1.14	30.00	अगरतला से स्वरूम तक का अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया है और भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू किया गया है। परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य - मार्च, 2014।
6.	भैरबी-सैरंग	4	619.34	0.58	5.00	कि.मी. 0.00 से कि.मी. 9.00 के बीच अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण का कार्य शुरू किया गया है। परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य - मार्च, 2014।
7.	सिवोक-रंगपो	6	1339.48	0.00	10.00	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया है। निष्पादन के लिए इस कार्य को इरकॉन को सौंपा गया है। लक्ष्य - दिसम्बर, 2015 है।

1	2	3	4	5	6	7
8.	दुधनोई-मेंडीपाटहर	2	86.22	4.1	5	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया है। भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू किया गया है। मिट्टी संबंधी कार्य तथा निचले सड़क पुल का कार्य शुरू किया गया है। लक्ष्य - मार्च, 2013.
9.	इकलाखी-बालूघाट और गजोल-इतहर	2	285.93	222.41	15.00	इकलाखी से बालूरघाट (87 कि.मी.) पुरा हो गया है। गजोल-इतहर के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू किया गया है। सिविल कार्यों के लिए संविदा निर्धारण का कार्य शुरू किया गया है। लक्ष्य-निर्धारित नहीं है।
10.	हरमुत्ती-इटानगर	3	160.48	34.01	35.00	हरमुत्ती से नाहरलगुन (21 कि.मी.) हेतु अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया है। 56.60 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है और मिट्टी संबंधी कार्य, छोटे तथा बड़े पुल संबंधी कार्य, आदि को शुरू किया गया है। असम वाले भाग (कि.मी. 0 से कि.मी. 9) में भूमि अधिग्रहण हेतु संयुक्त सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया है। अरुणाचल प्रदेश वाले भाग में भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू किया गया है। लक्ष्य - मार्च, 2014।
11.	न्यु मैनागुड़ी-जोगीघोपा	15	1480.71	305.37	109.00	न्यू मैनागुड़ी-न्यू कूचबिहार-गोलकगंज खंड में भूमि अधिग्रहण, मिट्टी तथा पुल संबंधी कार्य शुरू किए गए हैं। गौरीपुर-जोगीघोपा (अभय पुरी) (84.90 कि.मी.) में भूमि अधिग्रहण तथा बड़े पुल के कार्य शुरू किए गए हैं। समग्र

1	2	3	4	5	6	7
						प्रगति: 26% लक्ष्य - नीचे दिए गए हैं: (i) गोलकगंज-गौरीपुर-मार्च, 2010। (ii) न्यू कूच बिहार-गोलकगंज-दिसम्बर, ' 2010 शेष भाग यथा शीघ्र पूरा किया जाएगा।

राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए, सामान्य रेलवे सकल बजटीय सहायता (जी.बी.एस.) के माध्यम से 25% वित्तपोषण और वित्त मंत्रालय से अतिरिक्त व्यवस्था के रूप में 75% वित्त पोषण किया जाता है। ऊपर दर्शाया गया परिव्यय रेलवे जी.बी.एस. के माध्यम से है।

वस्त्र निर्यात

***310. श्री पी. कुमार:**

श्री एम. आनंदन:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रुपये के मूल्य में वृद्धि से वस्त्र क्षेत्र में निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धियों को लाभ पहुंचता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस चुनौती से निपटने हेतु क्या उपाय आरंभ किए गए हैं; और

(ग) इन उपायों का अब तक क्या प्रभाव पड़ा है?

वस्त्र मंत्री (श्री दयानिधि मारन): (क) से (ग) 2008-09 के दौरान अमरीकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपए की संचयी विनिमय दर 45.99 रुपए थी जो चालू वित्तीय वर्ष अर्थात अप्रैल-अक्तूबर, 2009 (संचयी आधार पर) के दौरान घटकर 48.33 रु. हो गयी है। तथापि, मासिक आधार पर यह देखा गया है कि जुलाई, 2009 से जब रुपए की विनियम दर 48.48 रुपए थी के बाद बढ़नी शुरू हो गई थी और दिसम्बर, 2009 में बढ़कर 46.57 रुपए हो गयी है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, वियतनाम और चीन जैसे प्रतिस्पर्धी देशों की विनिमय दर अमरीकी डॉलर की तुलना में न्यूनाधिक रूप से स्थिर रही है और पाकिस्तान के मामले में इसमें अधिक अवमूल्यन भी हुआ है; लेकिन बांग्लादेश को छोड़कर जहां लगभग 4 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है, इन सभी देशों से अमरीका को वस्त्र एवं क्लोदिंग निर्यात में चालू कलैंडर वर्ष (जनवरी-सितम्बर 2009) के दौरान कमी आई है।

अतः वस्त्र एवं क्लोदिंग के निर्यातों में कमी अकेले रुपए की मजबूती के कारण नहीं हुई है। भारतीय वस्त्र निर्यातों में कमी अमरीका और यूरोपीय संघ आदि जो भारतीय वस्त्र उत्पादों के प्रमुख आयातक हैं, देशों की अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण हैं। सरकार ने वैश्विक आर्थिक मंदी के प्रतिकूल प्रभाव से निपटने और वस्त्र क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए समय-समय निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

7-12-2008 को घोषित प्रोत्साहन योजना

1. सेनवेट दरों में 4 प्रतिशत की आम कटौती। इसके परिणामस्वरूप वस्त्र मशीनरी पर 10 प्रतिशत (पूर्व में 14 प्रतिशत) और गैर सूती वस्त्र पर 4 प्रतिशत (पूर्व में 8 प्रतिशत) सेनवेट दर है।

2. सूत्री वस्त्र पर 4 प्रतिशत का वैकल्पिक सेनवेट समाप्त कर दिया गया है।

3. नाफ्टा को विद्युत क्षेत्र में प्रयोग के लिए आयात शुल्क (पूर्व में 5 प्रतिशत) से छूट प्रदान की गई है।

4. सूती वस्त्र पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 4 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है (अधिसूचना सं. 59/2008 (केन्द्रीय उत्पाद दिनांक 7-12-2008)।

5. सेवा कर वापस करने का लाभ (19 अन्य सेवाओं को पहले से उपलब्ध, जो 'इनपुट सेवाओं' की प्रकृति के नहीं है लेकिन उन्हें निर्यात सामानों से जोड़ा जा सकता है) निर्यातकों को निकासी और अग्रेषण एजेंट द्वारा प्रदान की गई सेवा के लिए अब दिया गया है।

6. निर्यातकों द्वारा विदेशी कमीशन एजेंट की सेवाओं पर प्रदत्त सेवा कर कर वापसी की प्रारम्भिक सीमा निर्यात के एफ.ओ.बी. मूल्य का 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है।

7. शुल्क वापसी लाभ अब निर्यात के संबंध में प्रदत्त सेवा कर की वापसी के साथ-साथ दिया जा सकता है।

8. लघु एवं मध्यम उपक्रम क्षेत्र के वस्त्र सहित कुछ विशिष्ट क्षेत्रों के लिए पूर्व और पश्च लदान निर्यात ऋण को 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की न्यूनतम ब्याज दर के अध्यधीन 31-3-2009 तक 2 प्रतिशत की ब्याज सहायता प्रदान कर और अधिक आकर्षक बनाया जा रहा है।

9. 1400 करोड़ रु. का अतिरिक्त आवंटन टी.यू.एफ. योजना में संपूर्ण बैकलॉग को निपटाने के लिए किया जाएगा।

10. हस्तशिल्प की सभी मदों को 'विशेष कृषि एवं उद्योग योजना' के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। 'विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना' (वी.के.जी. यू.वाई.) के अंतर्गत शामिल हस्तशिल्प की सभी मदों जिसके अंतर्गत निर्यात एफ.ओ.बी. मूल्य के 5 प्रतिशत के समतुल्य ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट के लिए पात्र है।

11. समतुल्य मुफ्त ऋण को बढ़ावा देने के लिए ऋण पर लागू और सूक्ष्म उपक्रमों के वास्ते क्रेडिट गारंटी योजना के अंतर्गत वर्तमान गारंटी कवर को 50 प्रतिशत की गारंटी कवर के साथ 50 लाख रु. से बढ़ाकर 1 करोड़ रु. किया जाएगा।

12. 350 करोड़ रु. तक ई.सी.जी.सी. के लिए सरकारी बैकअप गारंटी ताकि इसे कठिन बाजारों/उत्पादों में निर्यात के लिए गारंटी प्रदान करने, एकमात्र क्रेता नीति को जारी रखने में सक्षम बनाया जा सके।

13. अंतिम उत्पाद शुल्क (टी.ई.डी.) की वापसी के लिए 1100 करोड़ रु. की अतिरिक्त निधि।

14. निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के लिए 350 करोड़ रु. का अतिरिक्त प्रावधान।

2-1-2009 को घोषित डी.ई.पी.बी./डी.बी.के. योजना

15. डी.ई.पी.बी. योजना को 31 दिसंबर, 2009 तक बढ़ाया गया है और उसे 5 नवम्बर, 2008 के पूर्व प्रचलित दरों पर वापस लाया गया है।

16. डी.ई.पी.बी. ऋण दरों को 1-9-2008 के पूर्व प्रचलित दरों पर लाया गया है। हालांकि सूती वस्त्र के निर्यातकों को कोई लाभ नहीं मिला क्योंकि सूती वस्त्र के लिए डी.ई.पी.बी. दरों में कोई कटौती नहीं की गई है।

17. बाह्य वाणिज्यिक ऋण पर सभी लागत सीमाओं को हटाने का निर्णय लिया गया है।

18. पूर्व प्रभाव से अर्थात 1-9-2008 से शुल्क वापसी संशोधित दरें/मूल्य सीमा-

(क) ग्रे यार्न के लिए 8 रु. प्रति किलोग्राम से 12 रु. प्रति किलोग्राम और रंगे हुए धागे के लिए 14 रु. प्रति किलोग्राम से 16 रु. प्रति किलोग्राम के कपास यार्न के लिए मूल्य सीमा बढ़ाई गई है।

(ख) सूती निटिड फैब्रिक के लिए वापसी की दर 4.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत और मूल्य सीमा 14 रु. प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 15.60 रु. प्रति किलोग्राम की गई है।

अंतरिम बजट 2009-10

19. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का सामान्य दर 10 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत कर दी गई है। फलस्वरूप वस्त्र मशीनरी पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत कर दी गई है।

20. कर योग्य सेवाओं पर सेवा कर की दर 12 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दी गई है।

24-2-2009 को घोषित प्रोत्साहन पैकेज योजना

21. सीमा शुल्क - विद्युतीय ऊर्जा के निर्माण के लिए नाफ्टा के आयात पर मूल सीमा शुल्क से छूट

देने की सुविधा 31-3-2009 से आगे बढ़ाई जा रही है।

22. **उत्पाद शुल्क-**

(क) 7-12-2008 से उत्पाद शुल्क दरों में 4 प्रतिशत की आम कटौती 31-3-2009 से आगे बढ़ायी जा रही है।

(ख) उत्पाद शुल्क की दर में 2 प्रतिशत की और अधिक कमी अर्थात 10 प्रतिशत से 8 प्रतिशत।

(ग) सामानों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की दर जिस पर वर्तमान में क्रमशः 8 प्रतिशत और 4 प्रतिशत का यथामूल्य दर लगती है, को बनाए रखना।

23. **सेवा कर** - कर योग्य सेवाओं पर सेवा कर की दर 12 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दी गई है।

24. सेज के लिए आयकर से छूट - सेज में एस.एस.सी. के कुल कारोबार के संदर्भ में निर्यात लाभ की गणना में विसंगति दूर की गई।

विदेश व्यापार नीति 2004-2009 के अंतर्गत घोषित प्रमुख पूरक व्यापार सुविधा उपाय (26-2-2009 को)

25. 325 करोड़ रु. 1-4-2009 से किए गए निर्यात के लिए चमड़ा, वस्त्र आदि के लिए संवर्धनात्मक योजनाओं के अंतर्गत प्रदान किया गया। यह यू.एस. और ई.यू. में अनन्य रूप से निर्यात के लिए बाजार संबद्ध संकेद्रित उत्पाद योजना के अंतर्गत निर्यात के एफ.ओ.बी. मूल्य के 2 प्रतिशत ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट के रूप में है।

26. संकेन्द्रित उत्पाद योजना के अंतर्गत निर्यात के एफ.ओ.बी. मूल्य का 5 प्रतिशत ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट के लाभ को बी.के.जी.यू.वाई. योजना (विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना) के अंतर्गत पूर्व में प्रदत्त 3.5 प्रतिशत लाभ के बदले हस्तनिर्मित कालीनों के निर्यात के लिए अधिसूचित किया गया है।

27. तकनीकी वस्त्र को उच्च प्रौद्योगिकी उत्पाद निर्यात संवर्धन योजना के अंतर्गत जोड़ा गया है और अब इसे निर्यात के एफ.ओ.बी. मूल्य का 1.25 प्रतिशत के समतुल्य ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट के लिए अधिकृत किया गया है।

28. ई.पी.सी.जी. योजना के अंतर्गत 5 प्रतिशत से अधिक तक किसी उत्पाद के निर्यात में गिरावट होने की स्थिति में उस उत्पाद का निर्यात दायित्व उसी अनुपात में कम किया जाना है। इस प्रावधान को 2008-09 के दौरान निर्यात के लिए वर्ष 2009-10 के लिए बढ़ाया गया है।

29. डी.ई.पी.बी./ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप उपयोगिता को प्रतिबंधित मदों के आयात के लिए शुल्क के भुगतान के वास्ते बढ़ाया गया है।

30. शुल्क वापसी रिफंड और अंतिम उत्पाद शुल्क रिफंड का दावा करने की प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाया गया है।

31. वी.के.जी.यू.वाई. जैसी प्रोत्साहन योजना द्वारा शुल्क के भुगतान के मामले में 4 प्रतिशत एस.ए.डी. की रिक्रेडिट, सकेंद्रित उत्पाद और उत्पाद बाजार के अनुमति दी गई थी।

32. अग्रिम अधिकरण के प्रति निर्यात दायित्व अवधि बढ़ाकर 36 महीने कर दी गई है।

33. अग्रिम इंटरमीडिएट अधिकरण के प्रति लगान को कारखाना से बंदरगाह तक सीधे घरेलू उत्पादक द्वारा इंटरमीडिएट उत्पाद की आपूर्ति की अनुमति।

34. उन मामलों में जहां खुद सीमा अधिसूचना में सी.बी.डी. का भुगतान 01-04-2002 से पूर्व जारी किए गए अग्रिम लाइसेंस को ध्यान में रखे बिना निर्धारित की गई है, मॉडवेट/सेनवेट प्रमाण पत्र की आवश्यकता हटा दी गई है।

35. निर्यात सदन - पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में प्रीमियर व्यापार सदनों को मान्यता प्रदान करने के लिए प्रारंभिक सीमा 10,000 करोड़ रु. से घटाकर 7500 करोड़ रु. कर दी गई है।

04-03-2009 को घोषित अतिरिक्त योजना

36. सरकार ने इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना सभी इनपुट सेवाओं पर प्रदत्त सेवाकर की वापसी की सुविधा की घोषणा की कि उनकी खपत विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) इकाइयों और डेवलपर्स के क्षेत्र में अथवा उसे बारह होता है। पूर्व में

सरकार ने सेज डेवलपर्स/इकाइयों को उन सेवाओं पर कर भुगतान करने से छूट प्रदान की है जिनकी खपत उस क्षेत्र में हुई।

अन्य सुविधा उपाय

37. वित्त अधिनियम के अंतर्गत ईंधन पर लगायी गयी अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति भी ई.ओ.यू. के मामले में लागू है।

38. बी.के.जी.यू.वाई., एफ.पी.एस. और एफ.एम.एस. जैसे प्रोत्साहन योजना स्क्रिप द्वारा शुल्क के भुगतान के मामले में 4 प्रतिशत एस.ए.डी. रिक्रेडिट की अनुमति अब दी गई है।

39. अंतिम उत्पाद शुल्क/डीम्ड निर्यात लाभ की वापसी प्राप्त करने के लिए प्रावधान का सरलीकरण और अब निर्यातक अलग-अलग बीजकों के बदले केंद्रीय उत्पाद अधिकारियों द्वारा प्रमाणित विवरण और मासिक विवरण जिसमें ई.आर.-1/ई.आर.-3 के बदले शुल्क भुगतान की पुष्टि की गई है, प्रस्तुत कर सकते हैं।

40. कृष्णापतनाम समुद्री बंदरगाह को निर्यात संवर्धन योजनाओं के उद्देश्य से शामिल किया गया है।

41. 01-04-2009 से ई.डी.आई. बंदरगाहों से लदान के लिए स्थापित अग्रिम अधिकरण और ई.पी.सी.जी. योजना के लिए इलेक्ट्रोनिक मैसेज ट्रांसफर सुविधा।

42. निर्यात दायित्व के निर्वाह के लिए शिपिंग बिलों की हार्ड कापी की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है।

आर.बी.आई. के उपाय (25-03-2009)

43. 270 दिनों तक लदान पूर्व क्रेडिट और 180 दिनों तक लदान पश्चात क्रेडिट पर 2 प्रतिशत की ब्याज सहायता की वैधता 31-03-2009 से बढ़ाकर 30-09-2009 तक की गई।

44. 270 दिनों तक लदान पूर्व क्रेडिट और 180 दिनों तक लदान पश्चात क्रेडिट पर 2 प्रतिशत की ब्याज सहायता की वैधता 30-09-2009 से बढ़ाकर 31-09-2009 तक की गई।

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना सुदृढ़ीकरण

45. टी.यू.एफ.एस. का विस्तार 31-03-2012 तक किया गया है।

46. चालू वित्तीय वर्ष में सरकार ने 2008-09 के दौरान 1090 करोड़ रु. के बजट प्राक्कलन की तुलना में 2890 करोड़ रु. का प्रावधान किया है।

47. सरकार ने 6-8-2009 को टी.यू.एफ.एस. के अंतर्गत एकमुश्त में 2546 करोड़ रु. की सब्सिडी रिलीज की है और इस राशि को 72 घंटों के भीतर लाभग्राहियों के बैंक खातों में जमा कर दिया गया। इस रिलीज से 30-06-2009 तक टी.यू.एफ.एस. के अंतर्गत वचनबद्धता पर्याप्त रूप से पूरी हो गई है।

विदेश व्यापार नीति-2009 - 2014 के अंतर्गत शुरू की गई प्रमुख प्रोत्साहन

48. प्रोत्साहन योजनाओं का नए उत्पादों और बाजारों को जोड़कर विस्तार किया गया है।

49. 26 नए बाजारों को संकेंद्रित बाजार योजना के अंतर्गत जोड़ा गया है। इनमें लैटिन अमरीका में 16 नए बाजार और एशिया-ओशियाना में 10 नए बाजार शामिल हैं।

50. संकेंद्रित बाजार योजना (एफ.एम.एस.) के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहन 2.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत कर दिया गया है।

51. संकेंद्रित उत्पाद योजना (एफ.पी.एस.) के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहन 1.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के अधिसंख्य उत्पाद शामिल हैं जिन्हें एफ.पी.एस. के अंतर्गत लाभ के लिए शामिल किया गया है। इनमें पटसन एवं सीसल उत्पाद, तकनीकी वस्त्र और वेजिटेबल वस्त्र शामिल है।

52. बाजार संबद्ध संकेद्रित उत्पाद योजना (एम.एल.एफ. पी.एस.) को 4 अंक के स्तर पर 153 आई.टी.सी. (एच.एस.) कोड के अंतर्गत वर्गीकृत उत्पादों को शामिल कर बहुत अधिक विस्तार किया गया है। इसमें वस्त्र मेडअप्स, निटेड और क्रोचेटेड फैब्रिक शामिल है।

53. एम.एल.एफ.पी.एस. लाभ को कुछ उत्पादों के लिए अतिरिक्त नए बाजारों को निर्यात के वास्ते भी बढ़ाया गया है। इनमें अन्य के साथ-साथ अपैरल शामिल है।

54. बाजार विकास सहायता (एम.डी.ए.) और बाजार

पहुंच पहल (एम.ए.आई.) योजा के लिए अपेक्षाकृत अधिक आवंटन का प्रावधान किया जा रहा है।

55. निर्यात क्षेत्र के प्रौद्योगिकी उन्नयन में सहायता करने के लिए शून्य शुल्क पर ई.पी.सी.जी. योजना अन्य के साथ-साथ अपैरल और वस्त्र के लिए शुरू की गई है।

56. नीतिगत व्यवस्था में स्थायित्व लाने के लिए, शुल्क हकदारी पासबुक योजना (डी.ई.पी.बी.) को 31-12-2009 से 31-12-2010 तक बढ़ाया गया है।

57. एफ.पी.एस. के अंतर्गत दावों को सरल बनाने के लिए, एफ.पी.एस. के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए 'हैंडलूम मार्क' की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है।

भारत से वस्त्र एवं क्लोदिंग के निर्यात पर इन उपायों के सकारात्मक प्रभाव के बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगी।

तेल डिपुओं से तेल की चोरी

***311. श्री सुशील कुमार सिंह:**

डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के तेल डिपुओं से चोरी होने के मामलों को मंत्रालय के ध्यान में लाया गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान हुए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में सी.बी.आई. ने जयपुर के सीतापुर डिपो से हुई तेल की चोरी के मामले में कुछ अधिकारियों को गिरफ्तार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा दोषियों के विरुद्ध क्या दंडात्मक कार्रवाई की गयी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): (क) और (ख) जी हां। तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज.) ने रिपोर्ट दी है कि चालू वर्ष सहित विगत तीन वर्षों के दौरान, तेल डिपुओं से चोरी किए जाने के 19 मामले हुए हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) जयपुर के सीतापुर डिपो से तेल की चोरी के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) ने ओ.एम.सीज के सात कर्मचारियों को गिरफ्तार किया था। सी.बी.आई. की जांच प्रगति पर है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के तेल डिपुओं से चोरी के मामलों का विवरण

इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड

क्र. सं.	राज्य का नाम	स्थल	वर्तमान स्थिति	घटना की तारीख
1	2	3	4	5
1.	महाराट्र	सिवरी-II डिपो	मामला पुलिस के पास है।	सितम्बर, 2009
2.	महाराष्ट्र	अकोला डिपो	मामला पुलिस के पास है।	जुलाई, 2009
3.	केरल	इरुम्पनम टर्मिनल	जांच प्रगति पर है।	अगस्त, 2009
4.	राजस्थान	जयपुर टर्मिनल	मामला सी.बी.आई. के पास है।	अगस्त, 2009
5.	गुजरात	राजकोट	मामला पुलिस के पास है।	जुलाई, 2009

1	2	3	4	5
6.	गुजरात	दुमाड	कार्पोरेशन नियमों के अनुसार कार्रवाई की गई।	मई, 2008
7.	गुजरात	काण्डला तटाग्र टर्मिनल	कार्पोरेशन नियमों के अनुसार कार्रवाई की गई।	मार्च, 2007
8.	पश्चिम बंगाल	हल्दिया टर्मिनल	जांच प्रगति पर है।	फरवरी, 209
9.	त्रिपुरा	धरमनगर डिपो	कार्पोरेशन नियमों के अनुसार कार्रवाई की गई।	मार्च, 2008
10.	कर्नाटक	बंगलोर टर्मिनल	मामला पुलिस के पास है।	मई, 2007
11.	उत्तर प्रदेश	झांसी डिपो	मामला पुलिस के पास है।	अगस्त, 2006
		हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड		
1.	हरियाणा	रेवाड़ी	परिवहन कर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। परिवहनकर्ता पर दावा किया गया है।	सितम्बर, 2007
2.	आन्ध्र प्रदेश	विसाख	एक अधिकारी तथा एक कर्मचारी को निलंबित किया गया।	सितम्बर, 2007
3.	आन्ध्र प्रदेश	घाटकेसर	अधिकारी को निलंबित किया गया।	सितम्बर, 2009
4.	दिल्ली	बिजवासन	दो अधिकारियों को निलंबित किया गया।	अगस्त, 2008
5.	उत्तर प्रदेश	मथुरा	एक अधिकारी और एक कार्यपालक स्टाफ को निलंबित किया गया।	अप्रैल, 2009
6.	राजस्थान	सांगानेर	सी.बी.आई. द्वारा मामले की जांच की जा रही है।	अगस्त, 2009
7.	पंजाब	भटिण्डा	मामले की जांच की जा रही है।	सितम्बर, 2009
8.	मध्य प्रदेश	सागर	सुरक्षा कर्मी द्वारा पेट्रोल की चोरी की गई। भोपाल कार्यालय द्वारा सुरक्षा एजेंसी का बिल रोक दिया गया।	अगस्त, 2009

[हिन्दी]

विश्व विरासत का दर्जा

***312. श्रीमती दीपा दासमुंशी:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यूनेस्को द्वारा किसी रेलवे स्टेशन को विश्व विरासत स्थल घोषित किए जाने संबंधी प्रक्रिया/मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में उन रेल लाइनों का ब्यौरा क्या है जिन्हें यूनेस्को द्वारा अब तक विश्व विरासत का दर्जा प्रदान किया गया है;

(ग) उन अन्य रेल लाइनों का ब्यौरा क्या है जिन्हें यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किए जाने की प्रक्रिया चल रही है; और

(घ) कतिपय रेल लाइनों को विश्व विरासत का दर्जा

प्राप्त होने के पश्चात् भारतीय रेलवे को क्या-क्या लाभ होंगे?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) किसी संपत्ति को विश्व विरासत की अनंतिम सूची में शामिल करने के लिए यूनेस्को को निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन करना अपेक्षित है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में दर्ज किए जाने के आवेदन पर विचार करता है और संपत्ति की अद्वितीय विरासत विशेषताओं के आधार पर निर्णय लेता है।

(ख) यूनेस्को द्वारा भारत की निम्नलिखित तीन रेलवे लाइनों को विश्व विरासत स्थलों के रूप में दर्ज किया गया है:-

(i) दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे - न्यू जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच

(ii) नीलगिरि माउंटेन रेलवे -मेट्टूपालयम और उद्ग-मंडलम के बीच

(iii) कालका शिमला रेलवे - कालका और शिमला के बीच

(ग) निम्नलिखित तीन रेल लाइनों को विश्व विरासत का दर्जा दिलाने के लिए कार्रवाई की जा रही है:-

(i) माथेरन लाइट रेलवे - नेरल और माथेरन के बीच

(ii) कांगड़ा वैली रेलवे - पठानकोट और जोगिंदर नगर के बीच

(iii) ग्वालियर लाइट रेलवे - ग्वालियर और शिवपुर कलां के बीच

(घ) विश्व विरासत के रूप में दर्ज किया जाना उन रेल लाइनों के लिए सर्वोच्च विरासत सम्मान है जो विशाल भारतीय रेल की संपन्न रेल विरासत का एक हिस्सा हैं। विश्व विरासत के रूप में शामिल किया जाना, पर्यटन के परिणामस्वरूप होने वाले लाभों का एक पुंज है।

[अनुवाद]

विमान चालक दल की अल्को जांच

***313. श्री पुलीन बिहारी बासके:**

श्री रूद्रमाधव राय:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान नागर विमानन महा-निदेशालय को ऐसे कितने मामले रिपोर्ट किए गए जिनमें पायलटों को उड़ान पूर्व चिकित्सा जांच में अल्को पॉजिटिव पाया गया है;

(ख) पिछले एक वर्ष के दौरान ऐसी घटनाओं के कारण एयर इंडिया की कितनी उड़ानों में विलम्ब हुआ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में विद्यमान ढांचे में दांडिक उपबंधों की समीक्षा करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) नागर विमानन महानिदेशालय 'डी.जी.सी.ए.' को दिनांक 01-01-2009 से 30-11-2009 के बीच 24 मामलों की रिपोर्ट की गई जिसमें पायलटों को उड़ान पूर्व मेडिकल टेस्ट में अल्को पाजिटिव पाया गया।

(ख) दिनांक 27-02-2009 को चेन्नई से सिंगापुर के लिए उड़ने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान संख्या आई.एक्स.-684, को उड़ने में 30 मिनट की देरी हुई क्योंकि ब्रेथलाइजर टेस्ट में पायलट को पाजिटिव पाया गया था।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। डी.जी.सी.ए. द्वारा दिनांक 13-11-2009 को जारी की गई नागर विमानन अपेक्षा (सी.ए.आर.) के खंड 5, श्रेणी च, भाग 3 अंक I के अनुसार पायलटों/केबिन क्रू की गलती पाए जाने पर, सजा का प्रावधान है। इसमें किए गए दंडात्मक प्रावधान उपयुक्त हैं।

डॉ. अर्जुन सेनगुप्ता समिति की रिपोर्ट

***314. श्री असादूद्दीन ओवेसी:** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से सम्बन्धी मुद्दों पर विचार करने हेतु डॉ. अर्जुन सेनगुप्ता की अध्यक्षता में एक तदर्थ विशेषज्ञ समूह (ए.जी.ई.) का गठन किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या ए.जी.ई. ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) ए.जी.ई. द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) उन पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री विलासराव देशमुख) (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। तदर्थ विशेषज्ञ समूह (ए.जी.ई.) ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल, 2005 में प्रस्तुत की थी।

(ग) तदर्थ विशेषज्ञ समूह (ए.जी.ई.) द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई अनुशंसाओं का कार्यकारी सार संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) तदर्थ विशेषज्ञ समूह (ए.जी.ई.) की अनुशंसाओं पर सरकार द्वारा दो चरणों में कार्यवाही की गई थी। प्रथमतः नवरत्न, मिनी रत्न तथा लाभ अर्जित करने वाले अन्य केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को प्रत्यायोजित शक्तियां वर्धित करने के संबंध में तदर्थ विशेषज्ञ समूह की अनुशंसाएं मंत्रिमण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। मंत्रिमण्डल ने जुलाई, 2005 में आयोजित अपनी बैठक में नवरत्न, मिनीरत्न तथा लाभ अर्जित करने वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को प्रत्यायोजित शक्तियों के वर्धन हेतु प्रस्तावों को अनुमोदित किया था तथा अगस्त, 2005 में आवश्यक आदेश जारी किए गए थे। तदर्थ विशेषज्ञ समूह की शेष अनुशंसाओं से सम्बन्धित टिप्पणी पर मंत्रिमण्डल द्वारा जून, 2006 में आयोजित अपनी बैठक में विचार किया गया था तथा यह निर्णय लिया गया था कि इस मामले पर पहले मंत्रियों के समूह (जी.ओ.एम.) द्वारा विचार किया जाए। मंत्रियों के समूह के अध्यक्ष श्री प्रणव मुखर्जी, तत्कालीन विदेश मंत्री ने क्रमशः नवम्बर, 2006 और फरवरी, 2007 में आयोजित अपनी दो बैठकों में तदर्थ विशेषज्ञ समूह की शेष अनुशंसाओं पर विचार किया था। मंत्रियों के समूह की अनुशंसाओं के आधार पर, एक नोट तैयार किया गया था जिस पर अप्रैल, 2007 में आयोजित की गई बैठक में मंत्रिमण्डल द्वारा विचार किया गया था तथा उसे अनुमोदित किया गया था। इस सम्बन्ध में आदेश मई, 2007 में जारी किए गए थे।

विवरण

तदर्थ विशेषज्ञ समूह (ए.जी.ई.) द्वारा की गई अनुशंसाओं का कार्यकारी सारांश

1. केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के प्रभावशाली प्रशासन के लिए उनके स्वामित्व के कार्यों, निदेशक मण्डल की शक्तियों तथा प्रचालनात्मक प्रक्रियाओं तथा प्रबन्धन पर नियंत्रण रखने के लिए उपयुक्त प्रतिरोधकों तथा संतुलनों के साथ उनके दायित्वों को उचित रूप से अभिकल्पित तथा कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

2. तदर्थ विशेषज्ञ समूह (ए.जी.ई.) सिफारिश करता है कि श्रेणी-I के केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों अर्थात नवरत्नों, मिनीरत्नों तथा लगातार लाभ अर्जित करने वाले केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के सम्बन्ध में सरकार की शेयर धारिता 51% के स्तर से कम करने का कोई निर्णय केवल संसद की अनुमति से ही लिया जाना चाहिए। जब तक समग्र इक्विटी में सरकार का हिस्सा 51% से अधिक रहता है, तब तक निदेशक मण्डल के पास बाजार से इक्विटी पूंजी जुटाने की शक्तियां होनी चाहिए। उपरोक्त के अलावा, अर्थात श्रेणी-II के केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के मामले में सरकार के पास उनके शेयरों के स्वामित्व अथवा विनिवेश की पूरी लोचशीलता होनी चाहिए।

3. तदर्थ विशेषज्ञ समूह सिफारिश करता है कि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों, विशेष रूप से नवरत्न व मिनिरत्न तथा अन्य लाभ अर्जित करने वाली कम्पनियों का पर्यवेक्षण 3 स्तरीय प्रणाली अर्थात सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्रालय, निदेशक मण्डल तथा प्रबन्धन द्वारा किया जाना जारी रखा जाना चाहिए, जिनमें प्रत्येक की भूमिका शक्तियां तथा कार्य स्पष्ट रूप से परिभाषित तथा कूटकृत किए जाएं।

4. तदर्थ विशेषज्ञ समूह सिफारिश करता है कि 3 स्तरों में सम्बन्धों तथा अन्तक्रियाओं में सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए तथा हितधारकों की शिकायतों का निवारण करने का प्रावधान करने के लिए संस्थागत व्यवस्था अपेक्षित है। इस अपेक्षा को पूरा करने के लिए 6 परस्पर-व्यापी पर्यवेक्षक निकायों का गठन आवश्यक समझा गया है, जिसमें प्रत्येक निकाय में 10 सदस्य (3 मंत्री, सम्बन्धित क्षेत्र से 5 स्वतंत्र विख्यात विशेषज्ञ व मंत्रालय/विभाग का सचिव तथा सम्बन्धित अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक शामिल हैं) तदर्थ विशेषज्ञ समूह ने 6 विभिन्न क्षेत्रों के लिए ऐसे पर्यवेक्षकीय निकायों का गठन करने का सुझाव दिया है।

5. पर्यवेक्षीय निकाय द्वारा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के

उद्यमों को कोई प्रत्यक्ष अनुदेश नहीं दिया जाना चाहिए। निकाय को केवल उन्हीं मामलों पर अपने विचार देने चाहिए, जो उन्हें सौंपे गए हैं।

6. मंत्रालय को एकमात्र/मुख्य शेयर धारक तथा साथ ही कम्पनियों के स्वामी की भूमिका प्रभावशाली ढंग से निभानी चाहिए। मंत्रालय को वित्त एवं अन्य सम्बन्धित विभागों सहित अन्य मंत्रालयों से विचार-विमर्श करना चाहिए तथा आवश्यकतानुसार मंत्रिमण्डल का अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए। इसे सरकारी नीति के अनुसार अपने प्रभार में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता करनी चाहिए।

7. निलंबन, समय-पूर्व बर्खास्तगी, सेवा विस्तार से इंकार, पी.ई.एस.बी. की सिफारिशों के अतिक्रमण इत्यादि जैसी प्रतिकूल कार्रवाई पर्यवेक्षकीय निकाय को सौंपी जाए तथा ए.सी.सी. को ऐसे मामलों पर कोई निर्णय लेने से पहले इसके विचारों को ध्यान में रखना चाहिए। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निदेशक मण्डल स्तरों के पदों पर नियुक्तियां निर्धारित अवधि की बजाय अधिवर्षिता तक की अवधि के लिए की जाए।

8. मंत्रालय द्वारा प्रबन्धन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई अनुदेश नहीं दिया जाना चाहिए। यह सम्बन्धित निदेशक मण्डल का दायित्व होना चाहिए। मंत्रालय के विचार सरकारी निदेशकों के माध्यम से निदेशक मण्डल को सूचित किए जाने चाहिए।

9. यदि मंत्रालय केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को अनिवार्य अनुदेश देना आवश्यक समझता है, तो इसे राष्ट्रपति के निदेशों के रूप में दिया जाए। राष्ट्रपति के ऐसे निदेश जारी करने के लिए मंत्रिमण्डल का अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए।

10. मंत्रालय को सामान्यतः वर्ष में 2 बार से अधिक कंपनी के कार्यचालन की समीक्षा नहीं करनी चाहिए। ऐसी समीक्षाएं सम्बन्धित निदेशक मण्डल की रिपोर्टों तथा चयनित मुख्य निष्पादक सूचकों के आधार पर की जानी चाहिए। चूंकि, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की लाभकारिता अनेक कारकों जैसे कि नियंत्रित मूल्य संरचना तथा वस्तुओं के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार-चढ़ाव के कारण प्रभावित होती हैं। इसलिए, समूह सिफारिश करता है कि सम्बन्धित मंत्रालय को लाभकारिता पर ध्यान दिए बिना उनके समग्र कार्यनिष्पादन का निर्धारण करने के लिए केन्द्रीय सरकार क्षेत्र के उद्यम सापेक्ष मापदण्ड का विकास करना चाहिए।

11. ऐसे क्षेत्रों की नकारात्मक सूची बनाई जानी चाहिए, जिन्हें सरकारी हस्तक्षेप से अलग रखा जाए (सी.ए.जी. व सी.वी.सी. के सम्बन्धित अधिकार क्षेत्र को छोड़कर)।

12. पूंजी व्यय व संयुक्त उद्यमों इत्यादि से सम्बन्धित वर्तमान प्रतिबंध समाप्त कर दिए जाने चाहिए। ऐसे निर्णय पूरी तरह निदेशक मण्डलों पर छोड़ देने चाहिए। तथापि, यदि एक ही बार में ऐसा सम्भव न हो, तो वांछित लक्ष्य की ओर पहले कदम के रूप में नवरत्न व मिनीरत्न तथा अन्य लाभ अर्जित करने वाली कम्पनियों को पूंजी व्यय करने, संयुक्त उद्यम/सहायक कम्पनियां स्थापित करने, तत्पश्चात संयुक्त उद्यमों में निवेश करने, नवरत्नों के मध्य संयुक्त उद्यम स्थापित करने, विलय व अधिग्रहण, सहायक कम्पनियों व संयुक्त उद्यमों में निदेशकों की नियुक्ति इत्यादि से सम्बन्धित शक्तियां दी जानी चाहिए। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सम्बन्धित उद्यम का मुख्य कार्यपालक गैर-सरकारी निदेशक के चयन के लिए खोज समिति का सदस्य होना चाहिए।

13. केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के सम्बन्धित निदेशक मण्डल द्वारा मुख्य कार्यपालकों तथा निदेशक मण्डल के सदस्यों की विदेशी यात्रा पर वित्तीय व्यय की सीमा सहित विस्तृत प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश तैयार किए जाने चाहिए तथा सरकार के अनुमोदन के लिए मामला भेजने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, जब तक ऐसे निदेश निर्देशों से किसी प्रकार के विचलन का इरादा न हो।

14. निदेशक मण्डल कम्पनी के प्रबन्धन पर पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होने चाहिए।

15. सांविधिक आवश्यकताओं, सरकारी नीति तथा आर.बी.आई. द्वारा जारी विनियंत्रण दिशानिर्देशों को सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना व्यापार

के नए तरीके अपनाने, उपयुक्त अधिग्रहण व विलय का निर्णय लेने, सहायक कम्पनियां स्थापित करने व व्यापार के किसी क्षेत्र से अलग हटने तथा साथ ही पैरा 2.15 में उल्लिखित स्तरों तक पूंजी व्यय करने की शक्तियां प्राप्त होनी चाहिएं।

16. नवरत्न, मिनीरत्न अथवा अन्य लाभ अर्जित करने वाले उद्यमों के निदेशक मण्डलों में सरकार द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्य के रूप में 2 से अधिक अधिकारी नामित नहीं किए जाने चाहिए। गैर-सरकारी निदेशकों का निष्पादन उनकी वैयक्तिक गोपनीय रिपोर्टों में उपयुक्त रूप से दर्शाया जाए। स्वतंत्र निदेशकों की कार्य निष्पादन समीक्षा के लिए मूल्यांकन प्रणाली तैयार की जानी चाहिए।

17. मुख्य कार्यपालक तथा कार्यकारी निदेशक वितरण योग्य लाभ के 5% की स्वीकार्य सीमा के भीतर निष्पादन से सम्बन्द्ध बोनस/प्रोत्साहन के पात्र होंगे। सूचीबद्ध समझौते के अन्तर्गत गठित निदेशक मण्डल की प्रतिपूर्ति समिति के पास समीक्षाधीन वर्ष के दौरान किसी व्यक्ति के निष्पादन के आधार पर ऐसे निष्पादन से प्रोत्साहन की राशि का निर्णय तथा योगदान देने का अधिकार होना चाहिए तथापि ऐसे बोनस/प्रोत्साहन कम्पनी अधिनियम में निर्धारित सीमाओं द्वारा शासित किए जाएंगे।

18. मुख्य कार्यपालक निदेशक मण्डल के समग्र पर्यवेक्षण के अन्तर्गत कम्पनी के दैनिक प्रबन्धन तथा प्रचालन के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होगा।

19. प्रबंधन मंत्रिमण्डल द्वारा स्पष्ट रूप से प्रत्यायोजित सभी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा। इसे मुख्य कार्यपालक तथा निदेशक मण्डल में कार्यकारी निदेशक के अन्तर्गत कार्य करना चाहिए।

20. प्रबन्धन निदेशक मण्डल के निर्णय के कार्यान्वयन तथा सांविधिक अपेक्षाओं तथा साथ ही नीतिगत दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होना चाहिए।

सरकारी कम्पनियों का लेखा परीक्षण

21. तदर्थ विशेषज्ञ समूह ने समय बचाने तथा दोहराव से बचने के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की जांच/पूरकता/व्यवसाय लेखापरीक्षा की वर्तमान व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए विभिन्न सुझाव दिए हैं।

संविधान का अनुच्छेद 12 तथा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम

22. तदर्थ, विशेषज्ञ समूह ने सुझाव दिया है कि नीति निर्माता उपयुक्त समय पर संविधान के अनुच्छेद 12 के संशोधन से सम्बन्धित मामलों पर पुनः विचार कर सकते हैं।

संसदीय उत्तरदायित्व

23. तदर्थ विशेषज्ञ समूह ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में संसदीय उत्तरदायित्व के समबन्ध में कुछ सुझाव दिए हैं, ताकि अपने व्यापार पर ध्यान केन्द्रित करने में उनकी सहायता की जा सके तथा वाणिज्यिक रूप से संवेदनशील सूचनाओं के प्रकट होने से बचा जा सके।

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सतर्कता प्रबन्ध

24. अरविन्द पाण्डे समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखने के पश्चात तदर्थ विशेषज्ञ समूह ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से सम्बन्धित सतर्कता सम्बन्धी मामलों के बारे में अनेक सिफारिशें की हैं।

राजीव गांधी ग्रामीण एल.पी.जी. वितरक योजना का विस्तार

***315. श्री प्रताप सिंह बाजवा:**

श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में एल.पी.जी. की पहुंच बढ़ाने और सुदूर क्षेत्रों में एल.पी.जी. सुविधा उपलब्ध कराने हेतु "राजीव गांधी ग्रामीण एल.पी.जी. वितरक योजना" का देश के सभी भागों में विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को देश के सभी भागों में पूर्णतया कब तक कार्यान्वित किया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा):

(क) से (ग) जी, हां। एल.पी.जी. क्षेत्र के लिये अंगीकृत "झलक-2015" के अनुसार एल.पी.जी. जनसंख्या कवरेज बढ़ाकर 75% करने के लिए वर्ष 2015 तक तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज.) द्वारा 5.5 करोड़ नए एल.पी.जी. कनेक्शन जारी किए जाने का लक्ष्य है। ग्रामीण क्षेत्रों और उन क्षेत्रों पर संकेन्द्रण होगा जहां एल.पी.जी. कवरेज कम है।

इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक उपाय के रूप में ग्रामीण एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटर की एक नई योजना नामत: राजीव गांधी ग्रामीण एल.पी.जी. वितरक योजना (आर.जी.जी. एल.वी.वाई.) छोटे आकार की एल.पी.जी. वितरण एजेंसियों के लिए 16-10-2009 से शुरू की गई है। 8 राज्यों जहां एल.पी.जी. की पहुंच कम है नामत: बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 1215 स्थानों को शामिल करते हुए इस योजना के अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं। राज्यवार ब्यौरे निम्नानुसार है:-

राज्यों का नाम	स्थानों की संख्या	विज्ञापन की तारीख
बिहार	251	17-10-2009
छत्तीसगढ़	39	19-10-2009
झारखंड	80	17-10-2009
मध्य प्रदेश	97	19-10-2009
उड़ीसा	101	20-10-2009
राजस्थान	192	17-10-2009
उत्तर प्रदेश	280	17-10-2009
पश्चिम बंगाल	175	17-10-2009

देश के अन्य राज्यों के लिए आर.जी.जी.एल.वी.वाई. के अंतर्गत स्थानों की पहचान का कार्य प्रगति पर है। इस योजना के अंतर्गत एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरों की स्थापना, देश के सभी भागों को एल.पी.जी. नेटवर्क द्वारा शामिल किए जाने तक अब एक सतत प्रक्रिया रहेगी। तथापि 100% एल.पी.जी. कवरेज की प्राप्ति हेतु कोई समय सीमा इंगित नहीं की जा सकती है।

कंक्रीट स्लीपरों की आपूर्ति

***316. श्रीमती जे. शांता:**
श्री के. सुगुमार:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कंक्रीट स्लीपरों की आपूर्ति में कमी के कारण रेलवे की पटरी विस्तार योजनाओं में विलम्ब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार रेलवे के दक्षिण जोनों सहित देश में कंक्रीट स्लीपरों का निर्माण करने वाली कुछ और इकाइयां स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) और (ख) जी नहीं। विभिन्न परियोजनाओं/रेलपथ नवीकरण कार्यों के लिए स्लीपरों की उपलब्धता पर कड़ी निगरानी रखी जाती है।

(ग) और (घ) भारतीय रेल के दक्षिणी जोनों सहित विभिन्न क्षेत्रीय रेलों पर स्लीपरों के उत्पादन में बढ़ोतरी करने और नए संयंत्र स्थापित करने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा निरंतर समीक्षा की जाती है। दक्षिणी क्षेत्र में, दक्षिण पश्चिम रेलवे पर तीन नए संयंत्र और दक्षिण मध्य रेलवे पर एक संयंत्र स्थापित करने की मंजूरी दी गई थी।

(ङ) नए स्लीपर संयंत्र स्थापित करने के अलावा, रेल मंत्रालय ने कंक्रीट स्लीपर संयंत्रों को बहुतायत वाली रेलों से उन रेलों पर शिफ्ट करने के उपाय किए हैं जिन पर इनकी संख्या कम है।

नागर विमानन क्षेत्र हेतु खाका

***317. श्री एस. अलागिरी:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागर विमानन क्षेत्र के विकास हेतु एक व्यापक खाका तैयार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसकी रूपरेखा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) निजी विमान कंपनियों द्वारा पेश की जा रही

प्रतिस्पर्धा का सामना करने की दृष्टि से विमान यात्रा को सस्ता और सुगम बनाने तथा विमानन उद्योग के प्रचालन कौशल में सुधार करने हेतु चिन्हित किए गए उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिन पर ध्यान केन्द्रित करने एवं बल देने की आवश्यकता है; और

(घ) नया खाका तैयार करने में विभिन्न संबंधित पक्षों के विचार जानने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (घ) नागर विमानन क्षेत्र की संवृद्धि के मद्देनजर एक व्यापक रोड मैप तैयार किया गया है जिसे भारत सरकार द्वारा लागू किया जा रहा है इसके प्रमुख संघटक है:- प्रचालनिक हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण तथा सुधार कार्य विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों की हवाई सम्पर्कता सुविधा में सुधार लाने के लिए छोटे-छोटे हवाई अड्डों का प्रचालनिकीकरण, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण 'ए.ई.आर.ए.' का गठन करके विनियामक ढांचे का सुदृढ़ीकरण, मार्ग संवितरण मार्गदर्शी सिद्धांतों का निरूपण, नागर विमानन महानिदेशालय, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो का सुदृढ़ीकरण आदि।

उच्च प्रयोक्ता प्रभार

***318. श्री आर. ध्रुवनारायण:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आई.ए.टी.ए.) ने भारतीय विमानपत्तनों पर उच्च प्रयोक्ता प्रभारों तथा उपलब्ध कराई गई सेवाओं के बीच मेल न होने के बारे में टिप्पणी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने यह टिप्पणी की है कि विमानपत्तन आपरेटरों को मात्र अनुबंधों में उल्लिखित लक्ष्यों के पूरा न होने की प्रतिपूर्ति के लिए विमानपत्तन प्रभारों में वृद्धि करने अथवा प्रयोक्ता प्रभार वसूल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने विमानपत्तन आपरेटरों पर निजी विमानपत्तन डेवलेपरों के साथ हुए रियायत समझौतों को रद्द करने जैसा कठोर दंड लगाने की भी मांग की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात एसोसिएशन 'आयटा' ने भारतीय हवाई अड्डों पर उच्च प्रयोक्ता प्रभारों और उपलब्ध सेवाओं के बेमेल होने के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

प्रसंस्करण क्षमताओं में वृद्धि/उनका उन्नयन

***319. श्रीमती सुस्मिता बाउरी:** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्रसंस्करण क्षमताओं में वृद्धि करने तथा उनका उन्नयन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कार्यान्वित की गई विभिन्न योजनाएं क्या हैं;

(ख) क्या सरकार देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्यरत महिला स्व-सहायता समूहों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान करती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन योजनाओं से देश में प्रसंस्करण क्षमता में किस प्रकार वृद्धि/उन्नयन हुआ है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण/स्थापना संबंधी स्कीम के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को सामान्य क्षेत्रों और मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 25% की दर पर जिसकी अधिकतम सीमा 50.00 लाख रुपये है अथवा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम क्षेत्रों जैसे दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% की दर पर वित्तीय सहायता देता है जिसकी अधिकतम सीमा 75.00 लाख रुपये है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण संबंधी स्कीम का उद्देश्य नई प्रसंस्करण क्षमताओं का सृजन और विद्यमान प्रसंस्करण क्षमताओं का

उन्नयन, दूग्ध, फल एवं सब्जियों, मांस, पॉल्ट्री, मात्स्यिकी, अनाज, उपभोक्ता वस्तुएं, तिलहन, चावल मिलिंग, आटा मिलिंग, दाल आदि को शामिल करते हुए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का आधुनिकीकरण करना है। महिला स्व-सहायता समूह भी इस स्कीम के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

गत तीन वर्षों में स्कीम के अंतर्गत दी गई वित्तीय सहायात नीचे दी गई है:

वर्ष	आबंटन (करोड़ रुपये)	वित्तीय सहायता (करोड़ रुपये)
2007-08	113.50	119.36
2008-09	91.50	96.87
2009-10	66.00	55.47*

*04-12-2009 की स्थिति के अनुसार।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की वास्तविक वृद्धि दर जोकि वर्ष 2003-04 में 7% थी, वर्ष 2006-07 में बढ़कर 13.14% हो गई है और वर्ष 2006-07 में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कुल निवेश 40,000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी होने से बरबादी में कमी आई है और बेहतर मूल्यवर्धन अंशदान हुआ है।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण हेतु विभिन्न पहल की हैं। सरकार ने मेगा खाद्य पार्क, शीत श्रृंखला, मूल्यवर्धित केंद्र और बूचड़खानों के आधुनिकीकरण संबंधी स्कीम अनुमोदित की है। बुनियादी ढांचा संबंधी स्कीम में बुनियादी ढांचा विकास सहायता और सुस्थापित आपूर्ति श्रृंखला समेत अधुनातम प्रसंस्करण सुविधाओं को शामिल करते हुए सुपरिभाषित कृषि/बागवानी प्रसंस्करण अंचल की परिकल्पना की गई है। इस स्कीम का उद्देश्य किसानों, प्रसंस्करणकर्त्ताओं और खुदरा व्यापारियों को एक मंच पर लाने के लिए एक तंत्र उपलब्ध कराना और कृषि उत्पादन को बाजार से जोड़ना है ताकि अधिकतम मूल्यवर्धन, न्यूनतम अपव्यय और किसानों की आय में सुधार सुनिश्चित हो सके। इस स्कीम का प्राथमिक उद्देश्य मूल स्तर पर प्रसंस्करण और अपेक्षित फारवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज द्वारा समर्थित एक समेकित मूल्यश्रृंखला की स्थापना को सुकर बनाना है।

11वीं योजना के दौरान अन्य रणनीतिक पहलों में नियंत्रित वातावरण/संशोधित वातावरण शीतागारों, मूल्यवर्धित केंद्रों, पैकेजिंग केंद्रों तथा प्रदीपन सुविधाओं समेत समेकित शीतश्रृंखला और परिरक्षण बुनियादी ढांचा संबंधी स्कीम शामिल है। इस स्कीम के लाभ मूल्यवर्धन/प्रसंस्करण/बागवानी-परिरक्षण, डेरी, समुद्री और मांस क्षेत्र की समेकित परियोजनाओं को भी उपलब्ध होंगे।अन्य बुनियादी ढांचा विकास संबंधी स्कीम खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन है जिससे स्वदेशी उद्योग, निर्यातकों, उद्यमियों, लघु और मध्यम उद्यमियों, वर्तमान शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों, खाद्य मानक निर्धारक निकायों समेत सभी पणधारियों को लाभ पहुंचाएगी।

बूचड़खानों के आधुनिकीकरण संबंधी स्कीम का लक्ष्य मांस प्रसंस्करण उद्योग को बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना है। इसका लक्ष्य बूचड़खानों की गुणात्मक और मात्रात्मक क्षमताओं का उन्नयन करना है जो स्वदेशी उपभोग और निर्यात दोनों के लिए मांस के वाणिज्यिक प्रसंस्करण के साथ लिंक होगी। इस स्कीम के तहत सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र और मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की कुल लागत के 50% और दुर्गम क्षेत्रों में 75% और प्रत्येक परियोजना के लिए अधिकतम 15.00 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता, सहायता अनुदान के रूप में प्रदान की जा रही है। मंत्रालय ने देश में 127.00 करोड़ रुपये की कुल लागत से 10 बूचड़खानों की स्थापना के लिए "सिद्धांततः" अनुमोदन दे दिया है। 10.85 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

इसके अलावा, मंत्रालय के पास खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के संवर्धन के लिए अनेक स्कीमें हैं। इसी प्रकार गुणता आश्वासन, कोडेक्स मानक, अनुसंधान एवं विकास तथा संवर्धनात्क कार्यकलापों संबंधी स्कीम का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रेरित करना है कि वे आई.एस.ओ.-14000, आई.एस.ओ.-22000, एच.ए.सी.सी.पी., जी.एम.पी., जी.एच.पी. समेत संपूर्ण गुणता प्रबंधन जैसे खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन तंत्र को अपनाएं और उन्हें इस तरह तैयार करना है कि वे डब्ल्यू.टी.ओ. के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वैश्विक प्रतियोगिता का सामना कर सकें। स्कीम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि अनुसंधान और विकास संबंधी कार्य के अंतिम उत्पाद/परिणाम/निष्कर्ष खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को उत्पाद और प्रसंस्करण विकास, सुधरी हुई पैकेजिंग की शर्तों के अनुरूप खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को लाभ मिल सके जिससे वाणिज्यिक मूल्य समेत नवोत्पाद उत्पाद और प्रसंस्करण हो सके।

मानव संसाधन विकास संबंधी स्कीम खाद्य प्रसंस्करण

में गुणता प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकीविदों, प्रबंधकों, उद्यमियों और जनशक्ति के विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। इस स्कीम का उद्देश्य स्थानीय रूप से पैदा होने वाली कच्ची सामग्री का उपयोग करते हुए इन उत्पादन व प्रशिक्षण केंद्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग और महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए ग्रामीण उद्यमशीलता का विकास और प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण तथा व्यावहारिक अनुभव उपलब्ध कराना है।

संस्थानों को सुदृढ़ करने संबंधी स्कीम का उद्देश्य भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे वर्तमान संस्थानों का सुदृढ़ीकरण और राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता व प्रबंधन संस्थान की स्थापना करना है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता व प्रबंधन संस्थान का उदेद्श्य स्वदेशी और अंतर्राष्ट्रीय निकायों दोनों विद्यमान संस्थानों के बीच सहयोग और नेटवर्किंग का संवर्धन करना, स्वदेशी संसाधनों पर संपूर्ण आंकड़ा आधार तैयार करना और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सुधार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्ट प्रक्रियाओं को अपनाना है। उपरिलिखित संस्थानों के अतिरिक्त मंत्रालय के अधीन इस स्कीम के तहत दो बोर्ड स्थापित किए गए हैं अर्थात भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड और राष्ट्रीय मांस और पॉल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड।

उपर्युक्त उल्लिखित स्कीमों के अतिरिक्त, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को कतिपय राजकोषीय प्रोत्साहन दिए गए हैं। इसमें से कुछ आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर अवकाश और आयकर अधिनियम की धारा 80-झ ख की उपधारा 11 (क) के प्रावधानों के अनुसार, फलों अथवा सब्जियों के प्रसंस्करण, परिरक्षण तथा पैकेजिंग के कारोबार से किसी उपक्रम को व्युत्पन्न होने वाले लाभ के मामले में विनिर्दिष्ट शर्तो के अध्यधीन विनिर्दिष्ट राशि तक लाभ से कटौती की अनुमति दी गई है; खाने के लिए तैयार पैक किए हुए खाद्य और इंस्टेंट फूड मिक्सेज के उत्पाद शुल्क को 16% से घटाकर 8% किया गया है। वित्त (संख्या 2) विधेयक, 2009 में आयकर अधिनियम, 1961 में एक नई धारा 35 क घ को अन्तःस्थापित करके विनिर्दिष्ट उत्पादों के लिए शीत शृंखला सुविधाएं संस्थापित करने तथा कृषि उपज के भंडारण के लिए भांडागार सुविधाओं की स्थापना और परिचालन के बारे में कारोबार को निवेश से जुड़ा कर प्रोत्साहन भी देने का प्रस्ताव किया गया है। अधिकांश प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश शतप्रतिशत स्वतः अनुमोदन की प्रक्रिया में है।

विमानपत्तनों पर शीतागार सुविधाएं

***320. श्री एस.आर. जेयदुरई:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन विमानपत्तनों का ब्यौरा क्या है जहां शीघ्र खराब होने वाले खाद्य पदार्थों के सुगम निर्यात हेतु शीतागार सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) क्या विमानपत्तनों पर शीघ्र खराब होने वाले पदार्थों की संभलाई हेतु अपर्याप्त अवसंरचना होने के कारण शीघ्र खराब होने वाले खाद्य पदार्थों का काफी बड़ा भाग बर्बाद हो जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस कठिनाई से निपटने हेतु विमानपत्तनों पर और अधिक शीतागार सुविधाएं स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो सभी विमानपत्तनों पर यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) कोल्ड स्टोरेज तथा कार्गो हैंडलिंग सुविधाएं सभी प्रमुख हवाई अड्डों यथा नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, तिरूवनंतपुरम, कोचीन, बंगलौर, हैदराबाद, नासिक, गोवा बागडोगरा तथा अमृतसर पर उपलब्ध हैं। जयपुर, लखनऊ, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, अहमदाबाद तथा कोयम्बतूर, में वाक इन टाइप रेफ्रिजरेटर कंटेनर सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) जी, नहीं। उपरोक्त कोल्ड चेन अवसंरचना, शीघ्र खराब हो जाने वाले पदार्थों को खराब होने से रोकने में मददगार रही है।

(घ) और (ङ) जी, हां। शीघ्र खराब होने वाले कार्गो के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एग्रीकल्चरल तथा प्रोसेस्ड फूड प्राडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथारिटी (ए.पी.ई.डी.ए.) तथा कृषि मंत्रालय के सम्मिलित सहयोग से पेरिशेबल कार्गो केन्द्र को स्थापित किया गया है।

रेलवे स्टेशन के विकास हेतु विदेशी सहायता

3355. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने देश में रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए विदेशी सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न विदेशी संस्थानों/निकायों द्वारा दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ स्टेशनों विशेषकर दक्षिण रेलवे के अंतर्गत आने वाले स्टेशनों को इसके लिए चिन्हित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विभिन्न स्टेशनों और उनकी अतिरिक्त भूमि पर सिनेमा घरों की स्थापना करने का भी प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली और मुंबई हवाईअड्डों से उड़ानें

3356. श्री नवीन जिन्दल: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली और मुंबई से प्रतिदिन कितने निजी विमान और चार्टर्ड फ्लाइट उड़ान भरते हैं;

(ख) क्या इन हवाईअड्डों पर भीड़भाड़ को कम करने के लिए इनके लिए कोई अलग टर्मिनल बनाने का भी प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) इन्दिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा (आई.जी.आई.) से औसतन 25 निजी तथा चार्टर्ड विमान प्रतिदिन उड़ान भरते हैं तथा छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा (सी.एस.आई.) से 15 निजी एवं चार्टर्ड विमान प्रतिदिन उड़ान भरते हैं।

(ख) और (ग) इन्दिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, दिल्ली के मास्टर प्लान के अनुसार सामान्य विमानन उड़ानों के लिए एक विशिष्ट टर्मिनल हेतु प्रावधान किया गया है। घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय सामान्य विमानन उड़ानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सी.एस.आई. हवाईअड्डा, मुम्बई में एक पृथक सामान्य विमानन टर्मिनल आरंभ किया गया है।

[हिन्दी]

ई.वी.एम. में परिवर्तन

3357. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन में परिवर्तन करने संबंधी प्राप्त अभ्यावेदन पर विचार करने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में चुनाव आयोग की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इन मशीनों की गोपनीयता/सुरक्षा एवं उचित कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि राजस्थान उच्च न्यायालय से इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों के संबंध में कोई आदेश या निदेश प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इन मशीनों की गोपनीयता/सुरक्षा और उचित कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा उठाए गए कदमों को विनिर्दिष्ट करने वाला एक ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों (ई.वी.एम.) की गोपनीयता/ सुरक्षा और उचित कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम

इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों की गोपनीयता/सुरक्षा और उचित कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित प्रशासनिक उपाय और सुरक्षोपाय किए गए हैं:-

- गैर निर्वाचन अवधि के दौरान, इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों को जिला निर्वाचन अधिकारी की अभिरक्षा में रखा जाता है।

- निर्वाचनों से पूर्व, इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों की प्रथम स्तरीय जांच की जाती है। इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों की कार्यात्मकता के प्रत्येक पहलू की जांच भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड/इलैक्ट्रानिक्स

कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (विनिर्माताओं) के इंजीनियरों द्वारा जांच और सर्विस की जाती है।

- अधिक भरोसा और आराम प्रदान करने के लिए, विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को और तत्पश्चात् विभिन्न मतदान केंद्रों को इलेक्ट्रानिक मतदान मशीनों के यदृच्छया आबंटन के लिए इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों का द्विस्तरीय यदृच्छयाकरण, राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों द्वारा और उनके अभिकर्ताओं को सम्मिलित करके किया जाता है।

- अभ्यर्थियों की सूची को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् (अभ्यर्थियों को वापस लिए जाने के पश्चात्), इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों को मतदान के लिए तैयार किया जाता है। मतदान के लिए इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों को तैयार करने में, अभ्यर्थियों/उनके अभिकर्ताओं की उपस्थिति में नियंत्रण यूनिटों और मतपत्र यूनिटों को सेट करना, विभिन्न धागेदार सीलों और पेपर सीलों की व्यवस्था करना तथा तैयार किए जाने के पश्चात् इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों तक किसी अप्राधिकृत पहुंच के विरुद्ध संरक्षण अंतर्वलित है।

- तत्पश्चात्, इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनें अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं की उपस्थिति में भंडार/गोपनीय कक्ष में रखी जाती हैं और कक्ष पर उनकी उपस्थिति में सील लगा दी जाती है। अभ्यर्थी/उनके अभिकर्ता भी भंडार/गोपनीय कक्ष पर अपनी सीलें/अपने ताले लगाने के लिए प्राधिकृत हैं।

- मतदान दिवस के लिए मतदान दलों के प्रस्थान के दिन, अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं और आयोग के पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में भंडार/गोपनीय कक्ष में से इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनें निकाली जाती हैं।

- वास्तविक मतदान के पूर्व, इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों की सही कार्यात्मकता को सुनिश्चित करने तथा उसका प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में मतदान केंद्रों पर पूर्वाभ्यास मतदान संचालित किया जाता है। ऐसे पीठासीन अधिकारी और मतदान अभिकर्ताओं द्वारा, उन व्यक्तियों को, जो पूर्वाभ्यास मतदान में भाग लेते हैं, एक लिखित प्रमाणपत्र दिया जाता है।

- इसके पश्चात्, नियंत्रण यूनिट को धागे और पेपर सील से सीलबंद किया जाता है और अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ता, ऐसी पेपर सीलों पर अपने हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किए जाते हैं।

- मतदान के दौरान, मतदाता की पहले पहचान की जाती है, मतदाता का क्रम संख्यांक मतदाता रजिस्टर (प्ररूप 17क) में प्रविष्ट किया जाता है, मतदाताओं के उक्त रजिस्टर में उसके हस्ताक्षर अभिप्राप्त किए जाते हैं और पहचान दस्तावेजों की विशिष्टियां उसमें नोट की जाती हैं। तत्पश्चात्, मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर अमिट स्याही चिन्हित की जाती है।

- अगली मेज पर, अमिट स्याही चिन्ह मतदान अधिकारी/पीठासीन अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाता है। तत्पश्चात्, मतदान अधिकारी/पीठासीन अधिकारी नियंत्रण यूनिट पर "मतपत्र बटन" दबाकर मतपत्र यूनिट (मतदान कक्ष में स्क्रीन के पीछे रखा जाता है) को समर्थ बनाते हैं। तदुपरि, मतदान कक्ष के भीतर रखी मतपत्र यूनिट में एक रेडी लैम्प (हरे रंग का प्रकाश) जलता है। फिर मतदाता, मतदान कक्ष की ओर अग्रसर होता है, जहां पर मतपत्र यूनिट रखी होती है और गुप्त रूप से मतदान करता है।

- मतपत्र यूनिट में एक पारदर्शी संरक्षी कवर के नीचे संप्रदर्शित और सुरक्षित परम्परागत मतपत्र (जिसमें निर्वाचन लड़ने वाले व्यक्तियों के नाम और प्रतीक होते हैं) लगा होता है। मतपत्र यूनिट में रखे गए मतपत्र के साथ ही, प्रत्येक अभ्यर्थी के प्रतीक से आगे अभ्यर्थी का बटन होता है। मतदाता, अपनी पसंद के अभ्यर्थी/प्रतीक के सामने मतपत्र यूनिट पर नीला बटन (अभ्यर्थी का बटन) दबाता/दबाती है। तुरंत, नीले बटन के समीपस्थ प्रकाश 'लाल' चमकता है जिसके साथ ही एक लम्बी बीप ध्वनि उत्पन्न होती है, जो यह उपदर्शित करती है कि उस अभ्यर्थी के लिए मत अभिलिखित हो गया है।

- मतदान के समाप्त हो जाने के पश्चात्, नियंत्रण यूनिट 'बंद' बटन दबाकर मतदान के लिए बंद

कर दिया जाता है जिसके पश्चात् मशीन में कोई अतिरिक्त मत अभिलिखित नहीं किया जा सकता। इसके पश्चात्, इलैक्ट्रानिक मतदान मशीन सील कर दी जाती है और अभ्यर्थियों/उनके मतदान अभिकर्ताओं को भी उस पर अपनी सील लगाने के लिए अनुज्ञात किया जाता है।

- फिर इन्हें सुरक्षित रूप से गोपनीय कक्ष में वापस पहुंचाया जाता है। गोपनीय कक्ष में वापस ले जाते हुए रास्ते में, मतदान अभिकर्ताओं को इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों के साथ चलने का और उनकी सुरक्षा करने का अधिकार होता है। इसे भारत निर्वाचन आयोग सुकर बनाता है।
- इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों को पूर्ण वीडियो कवरेज के अधीन और अभ्यर्थियों तथा उनके अभिकर्ताओं तथा आयोग के पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में गोपनीय कक्ष में रखा जाता है।
- अभ्यर्थियों/उनके अभिकर्ताओं को गोपनीय कक्ष के ताले पर उनकी अपनी सील लगाने या उस पर उनका अपना ही ताला लगाने का अधिकार होता है।
- जहां इलैक्ट्रानिक मतदान मशीन रखी जाती है वहां अभ्यर्थियों को गोपनीय कक्ष की रक्षा करने के लिए अनुज्ञात किया जाता है और जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग आफिसर जहां ऐसे रक्षा दलों के ठहरने के लिए आवश्यक हो, मूलभूत व्यवस्थाएं करता है।
- गणना दिवस को, अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं की उपस्थिति में इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों के गोपनीय कक्ष की सील को पुनः खोला जाता है और इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों को गणना मेजों पर ले जाया जाता है।
- गणना के पश्चात्, इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों को अभ्यर्थियों/उनके अभिकर्ताओं की उपस्थिति में वापस गोपनीय कक्ष में रख दिया जाता है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियां

3358. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां देश के अनेक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में कार्यरत हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों की उपस्थिति से इस क्षेत्र में कार्य कर रहे लघु एवं कुटीर उद्योग निरुत्साहित हो रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा देशी उद्योगों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारी उपाय किए गए हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) और (ख) जी, हां। गत तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश सहित देश में विदेशी उद्यमियों द्वारा स्वीकृत एवं स्थापित की गई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के राज्य-वार ब्यौरे तथा दिनांक 09-07-2009 की स्थिति के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

(ग) और (घ) लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रतिकूल प्रभाव के बारे में कोई निश्चित संकेत नहीं हैं और स्वदेशी उद्योग पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रभाव के बारे में केंद्रीय रूप से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, स्वदेशी निवेश को पूरित और संपूरित करता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से पूंजी, अधुनातम प्रौद्योगिकी और उत्कृष्ट प्रबंधकीय प्रक्रियाएं उपलब्ध होती हैं जिससे विदेशी प्रौद्योगिकी को स्वदेशी उद्योग के लिए बेहतर पहुंच उपलब्ध होती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में समेकन होता है। वर्तमान नीति खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों समेत अधिकांश क्षेत्रों/कार्यकलापों में स्वतः अनुमोदन के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देती है। वैसे, सरकार की पूर्व अनुमति की अपेक्षा वाले प्रस्तावों पर विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा विचार किया जाता है जो एक अंतरमंत्रालयी सिफारिशी निकाय है, तथा यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए नीति और सेक्टोरल मार्गनिर्देशों को ध्यान में रखता है। विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड इस बात की भी जांच करता है कि क्या इस प्रस्ताव से भारत में इसी क्षेत्र में वर्तमान संयुक्त उद्यम अथवा प्रौद्योगिकी अंतरण/ट्रेड मार्क समझौता, यदि कोई है, पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

विवरण

(राशि मिलियन)

क्र. सं.	भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय	शामिल किए गए राज्य	2006-07 अप्रैल-मार्च		2007-08 अप्रैल-मार्च		2008-09 अप्रैल-मार्च		2009-10 अप्रैल-सितम्बर		संचयी जोड़ (अप्रैल, 2006 से सितम्बर, 2009)	
			रुपये	अमरीकी डॉलर	रुपये	अमरीकी डॉलर	रुपये	अमरीकी डॉलर	रुपये	अमरीकी डॉलर	रुपये	अमरीकी डॉलर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.29	8.70	420.29	8.70
2.	अहमदाबाद	गुजरात	315.62	6.85	227.23	5.72	79.11	1.78	7.22	0.15	629.18	14.50
3.	बंगलौर	कर्णाटक	667.32	14.87	566.66	14.02	1,838.49	43.35	14.87	0.31	3,087.34	72.54
4.	कोच्चि	केरल, लक्षद्वीप	12.61	0.27	7.85	0.19	0.22	0.01	78.89	1.65	99.57	2.12
5.	भोपाल	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.01	0.00	0.00	0.24	0.01
6.	मुंबई	महाराष्ट्र, दादर एवं नागर हवेली, दमण एवं दीव	131.29	2.88	175.12	4.36	1,136.01	24.37	740.09	15.35	2,182.51	46.96
7.	चेन्नई	तमिलनाडु, पाण्डिचेरी	7.85	0.17	0.00	0.00	450.02	10.68	0.00	0.00	457.87	10.86

8.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	4.11	0.10	4.79	0.10	5.89	0.12	14.79	0.32
9.	नई दिल्ली	दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भाग और हरियाणा	911.98	19.75	1,683.64	42.71	325.54	7.58	4,247.56	87.78	7,168.72	157.82
10.	पणजी	गोवा	0.20	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.35	0.01
11.	क्षेत्र नहीं दर्शाया गया		2,361.73	53.44	81.03	1.99	718.47	14.77	85.48	1.76	3,246.72	71.95
	कुल जोड़		4,408.60	98.24	2,745.65	69.08	4,553.04	102.64	5,600.28	115.82	17,307.57	385.78

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश - डाटा बेस के अनुसार (चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश को शामिल करते हुए) भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में दिनांक अप्रैल, 2006 से सितम्बर, 2009 की अवधि में कोई अंतर्वाह प्राप्त नहीं किया है।

[अनुवाद]

झज्जर में विमानपत्तन की स्थापना

3359. श्री अवतार सिंह भडाना: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हरियाणा के झज्जर में ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन की स्थापना के प्रस्ताव की क्या स्थिति है;

(ख) इसकी मंजूरी में विलंब, यदि कोई हो, के क्या कारण हैं; और

(ग) इसका क्रियान्वयन कब तक किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) हरियाणा राज्य सरकार से हवाई अड्डे की स्थापना के बारे में औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा है। इसके अतिरिक्त, कानूनी तथा संविदागत मुद्दे हैं जिनकी दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे की वैमानिकी दूरी 150 किमी. के तथ्य को ध्यान में रखकर इनकी जांच करने की आवश्यकता है।

केरल में रेलवे स्टेशन

3360. श्री कोडिकुन्नील सुरेश: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के पास त्रिवेन्द्रम के नैमान रेलवे स्टेशन को सैटेलाइट स्टेशन के रूप में विकसित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो केरल में रेलवे स्टेशनों के विस्तार/उन्नयन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी रेलगाड़ियों को कोचुवेली से नेमान स्टेशन तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अब तक इस उद्देश्य के लिए कितनी निधियां आवंटित की गई हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) इस समय केरल में कई स्टेशनों पर विस्तार/अपग्रेडेशन/सुधार संबंधी कार्य जैसे प्लेटफार्म का विस्तार, प्लेटफार्म सायबान की व्यावस्था, बुकिंग कार्यालय में सुधार, ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था, कंक्रीट सप्रन, परिचलन क्षेत्र में सुधार, प्लेटफार्म को ऊंचा करना, यार्ड के ढांचे में परिवर्तन आदि प्रगति पर हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

स्पाइसजेट एयरलाइंस पर बकाया राशि

3361. श्री एस. पक्कीरप्पा: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 सितंबर, 2009 की स्थिति के अनुसार स्पाइसजेट एयरलाइंस एवं अन्य निजी क्षेत्र की विमान कंपनियों द्वारा अपने विमानों के लिए ईंधन खरीदने के कारण उन पर कितनी राशि बकाया है;

(ख) किस नियम/कानूनी प्रावधान के तहत निजी क्षेत्र की विमान कंपनियों को उधार में ईंधन दिया गया;

(ग) क्या उपर्युक्त क्रेडिट सुविधा फुटकर विक्रेताओं सहित अन्य उपभोक्ताओं को दी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो विभिन्न निजी विमान कंपनियों से बकाया राशि की शत प्रतिशत वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) 30 सितंबर, 2009 की स्थिति के अनुसार, निजी क्षेत्र की विमान कंपनियों नामत: स्पाइसजेट, गो एयर, किंगफिशर एयरलाइन्स, जेट एयरवेज, इंडिगो और पैरामाउंट एयरवेज ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज) नामत: इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड तथा भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड को 1987.12 करोड़ रुपये की राशि चुकानी है।

(ख) से (घ) ओ.एम.सीज, ओ.एम.सीज के निदेशक मंडल और ओ.एम.सीज तथा एयरलाइनों के बीच हुए वाणिज्यिक करारों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार निजी एयरलाइनों को उधार सुविधा देती हैं। ओ.एम.सीज अपने उपभोक्ताओं/डीलरों को प्रचलित उधार नीति के अनुसार उधार सुविधा प्रदान करती हैं।

यदि एयरलाइनें अपनी बकाया राशि चुकाने में असमर्थ होती हैं, तो ओ.एम.सीज अपने और एयरलाइनों के बीच आपसी सहमति से हुए वाणिज्यिक निबंधनों के अनुसार देय राशि की वसूली के लिए कार्रवाई करती हैं। चूककर्त्ता

एयरलाइनों को 'नकद दो और ले जाओ' पर रखा जाता है और कालातीत भुगतान पर ब्याज वसूल किया जाता है।

बकाया राशि का मुद्दा नागर विमानन मंत्रालय के साथ उठाया गया था जिन्होंने एयरलाइनों को बकाया राशि शीघ्र चुकाने की सलाह दी।

अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को कोचिंग

3362. **श्री एन. चेलुवरया स्वामी:** क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के कितने विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा, तकनीकी, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए तथा रोजगार प्राप्त करने हेतु कोचिंग संस्थानों में प्रवेश दिया गया है;

(ख) प्रत्येक राज्य में इन कोचिंग संस्थानों की पहचान करने के लिए क्या मानदण्ड विहित हैं; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार ऐसे कितने कोचिंग संस्थानों की पहचान की गई है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान निःशुल्क कोचिंग और संबद्ध योजना के तहत कोचिंग प्रदत्त छात्रों की संख्या इस प्रकार है:-

वर्ष	कोचिंग प्रदत्त छात्रों की संख्या
2006-07	690
2007-08	4097
2008-09	5522
2009-10	4582

(ख) केवल उन्हीं संस्थानों की चयन हेतु मंत्रालय द्वारा जांच की जाती है जिनके प्रस्ताव संबद्ध राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा विधिवत अनुशंसित और सभी दृष्टि से पूर्ण और योजना के तहत निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हुए प्रस्तुत किए जाते हैं।

(ग) ऊपर उल्लिखित अवधि के दौरान अभिनिर्धारित कोचिंग संस्थानों की राज्य-वार संख्या संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। विस्तृत सूचना मंत्रालय की वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in पर भी उपलब्ध है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1.	अंडमान और निकोबार	–	–	–	–
2.	आन्ध्र प्रदेश	–	3	3	1
3.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–
4.	असम	–	4	–	1
5.	बिहार	–	–	–	2
6.	चंडीगढ़	–	–	1	–
7.	छत्तीसगढ़	–	1	1	1
8.	दादरा और नगर हवेली	–	–	–	–
9.	दमन और दीव	–	–	–	–

क्र.सं.	राज्य	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
10.	दिल्ली	–	6	7	2
11.	गोवा	–	–	–	–
12.	गुजरात	–	–	1	–
13.	हरियाणा	–	1	2	1
14.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	1
15.	जम्मू और कश्मीर	–	1	–	–
16.	झारखण्ड	–	–	1	–
17.	कर्नाटक	–	7	11	1
18.	केरल	–	–	2	–
19.	मध्य प्रदेश	–	2	5	3
20.	महाराष्ट्र	–	–	5	3
21.	मणिपुर	–	3	2	2
22.	मेघालय	–	–	–	1
23.	मिजोरम	–	2	1	1
24.	नागालैण्ड	–	–	1	–
25.	उड़ीसा	–	3	3	3
26.	पंजाब	–	1	1	1
27.	राजस्थान	5	12	1	10
28.	सिक्किम	–	–	–	–
29.	तमिलनाडु	–	–	–	–
30.	त्रिपुरा	–	–	1	–
31.	उत्तर प्रदेश	–	13	18	1
32.	उत्तरांचल	–	–	–	–
33.	पश्चिम बंगाल	–	–	4	1
34.	लक्षद्वीप	–	–	–	–
35.	पुडुचेरी	–	–	–	–
	योग	5	59	71	36

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती

3363. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम (सी.पी.एस.यू.) भूतपूर्व सैनिकों की सभी श्रेणियों के लिए नियुक्ति में समान अवसर प्रदान करने हेतु आयु में छूट सम्बन्धी आरक्षण निर्धारित कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने पर विचार कर रही है कि सभी सी.पी.एस.यू. रिक्त पदों पर भर्ती करते समय भूतपूर्व सैनिकों के लिए भर्ती तथा आयु छूट सम्बन्धी एकसमान नीति कार्यान्वित करें;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार सी.पी.एस.यू. में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित नहीं भरे गए रिक्त पदों को आगे ले जाने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) (क) से (घ) सरकार ने दिनांक 13-3-1980 के कार्यालय ज्ञापन के तहत अनुदेश जारी किए हुए हैं, जो भूतपूर्व सैनिकों को आयु छूट सीमा सहित स्थाई आधार पर सेवाएं एवं पदों में आरक्षण सहित कतिपय सुविधाएं प्रदान करते हैं। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में समूह 'ग' एवं 'घ' पदों में आरक्षण का प्रतिशत क्रमश: 14.5% और 24.5% है।

आयु सीमा में छूट के बारे में केन्द्रीय सिविल सेवाएं समूह 'ग' एवं 'घ' में किसी भी नियुक्ति के लिए तत्सम्बन्धी विशेष प्रावधान विद्यमान हैं, जहां इन नियमों के अन्तर्गत कोई आरक्षण नहीं है, प्रत्येक भूतपूर्व सैनिक जो संघ की सशस्त्र सेना में लगातार छ: महीने से कम की सेवा नहीं करता है, उसको ऐसी सेवा की अवधि में से वास्तविक आयु कम करने की अनुमति दी जाएगी तथा इसके कारण परिणामी आयु अधिकतम आयु सीमा से जो पद अथवा सेवा के लिए अधिकतम सीमा में न हो, जो तीन वर्षों से अधिक की नियुक्ति मांगते हैं उसे आयु सीमा के सम्बन्ध में शर्त से संतुष्ट समझा जाएगा। इन अनुदेशों को सरकार के दिनांक 22 जनवरी, 1980 के परिपत्र संख्या 6/55/79-बी.पी.ई. (जी.एम.-I) के द्वारा केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को अग्रेषित कर दिया था।

केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में इन अनुदेशों के कार्यान्वयन की निगरानी केन्द्रीय सरकारी उद्यम के सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा की जाती है।

(ङ) और (च) सरकारी उद्यम भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित किसी भी रिक्ती को तब तक अनारक्षित नहीं करते हैं जब तक कि रक्षा मंत्रालय के पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र नहीं दिया जाता है।

[हिन्दी]

हवाई पट्टियों का हस्तांतरण

3364. श्री गणेश सिंह: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सतना, पन्ना और खंडवा जिलों में स्थित हवाई पट्टियों को राज्य प्रशासन को सौंपने का अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा यह मंजूरी कब तक दिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार द्वारा यह मंजूरी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) के निदेशक मंडल द्वारा प्रस्ताव के बारे में विचार किए जाने पर निर्भर करती है।

यूरो-IV ईंधन की बिक्री

3365. डॉ. विनय कुमार पाण्डेय: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरो-IV उत्सर्जन मानकों को पूरा करने वाले ईंधन की बिक्री शुरू करने की अंतिम समय सीमा अप्रैल, 2010 तक शुरू नहीं हो पाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.), मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरू, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, सूरत, कानपुर, आगरा, लखनऊ और सोलापुर में यूरो-IV के मानक पूरे करने वाले मोटर स्पिरिट (एम.एस.) और हाई स्पीड डीजल (एच.एस.डी.) की आपूर्ति के लिए अंतिम तारीख, आटो ईंधन नीति में यथा निर्धारित 01 अप्रैल, 2010 से पूरी की जाएगी।

(ख) और (ग) ऊपर (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

असम में तेल ब्लॉक को दो भागों में बांटना

3366. श्री जोसेफ टोप्पो: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में सरकार ने असम में किसी तेल ब्लॉक को दो भागों में बांटने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने तेल ब्लाक को दो भागों में बांटने से पूर्व असम सरकार से परामर्श किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) असम में तेल ब्लॉक को दो शाखाओं में नहीं बांटा गया है। तथापि, असम-अराकन बेसिन में अन्वेषण ब्लॉक ए.ए.-ओ.एन./7 में 1934 वर्ग कि.मी. का मूल क्षेत्र, कुछ अंश तक असम राज्य (1126 वर्ग कि.मी.) और कुछ अंश तक नागालैंड राज्य में (808 वर्ग कि.मी.) फैला हुआ था।

असम सरकार ने ब्लॉक के असम भाग के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस दिनांक 27-3-2001 को प्रदान किया। नागालैंड सरकार ने ब्लॉक के नागालैंड भाग के लिए पी.ई.एल. 9-8-2006 को प्रदान किया था।

कैनोरो रिसोर्सिस लिमिटेड और असम कंपनी लिमिटेड संविदाकार ने असम भाग में अपने कार्य प्रतिबद्धता (पी.एस.ई. अनुबंधों के अनुसार न्यूनतम कार्य कार्यक्रम) को अन्वेषण के पूरा हो जाने के बाद 26-3-2008 को पूरा कर लिया। तथापि, चूंकि पी.ई.एल. पहले उपलब्ध नहीं था इसलिए संविदाकार ने ब्लॉक के नागालैंड भाग में अतिरिक्त कार्य करने का प्रस्ताव किया है।

सरकार ने ब्लॉक के नागालैंड भाग में अतिरिक्त कार्यक्रम को करने के लिए संविदाकार के प्रस्ताव को, ब्लॉक के नागालैंड भाग के लिए एक अलग रिंग फैंस्ड पी.एस.ई. पर हस्ताक्षर करते हुए, अनुोदित कर दिया है।

(ग) और (घ) उपरोक्त के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कमर्शियल पायलट लाइसेंस

3367. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रशिक्षु पायलटों को कमर्शियल पायलट लाइसेंस (सी.पी.एल.) जारी करने के लिए उनके लिए उड़ान के आवश्यक घंटों में कमी करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सी.पी.एल. जारी करने हेतु उड़ान की समय सीमा कम करने के संबंध में विमान उड़ानों की सुरक्षा के पहलू का आकलन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उड़ानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पायलटों को उचित प्रशिक्षण देने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, हां।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

प्राकृतिक गैस के मूल्य में वृद्धि

3368. श्री रूद्रमाधव राय: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा प्राकृतिक गैस के मूल्य में 31.25 प्रतिशत की प्रस्तावित वृद्धि को मंजूरी दे देने के बाद तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (ओ.एन.जी.सी.) तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओ.आई.एल.) के राजस्व में वृद्धि होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस वृद्धि के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (ग) ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओ.एन.जी.सी.) तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओ.आई.एल.) के नामांकन ब्लॉकों से उत्पादित प्राकृतिक गैस के मूल्य में संशोधन सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों पर रेल ओवर ब्रिज/अन्डर ब्रिज

3369. डॉ. संजय सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे भारी यातायात की भीड़ के कारण इलाहाबाद-प्रतापगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग के रेलवे गेट सं. 74 ख तथा सुल्तानपुर-कुडवार राष्ट्रीय राजमार्ग के गेट सं. 33 ख पर रेल ओवर ब्रिज/अंडर ब्रिज का निर्माण करने हेतु विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इनका निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) दोनों कार्यों को लागत में भागीदारी के आधार पर शुरू करने के लिए 2010-11 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव किया गया है। इन प्रस्तावों का व्यावहारिकता संबंधी अध्ययन किया जा रहा है।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में रेलवे परियोजनाओं के लिए निधियां

3370. श्री पोन्नम प्रभाकर: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को आन्ध्र प्रदेश सरकार से रेलवे परियोजनाओं और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में आने वाली नयी परियोजनाओं के लिए निधियां स्वीकृत करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर रेलवे द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) जी हां। चालू परियोजनाएं और नई परियोजनाएं शुरू करने के लिए धनराशि के आबंटन के संबंध में आन्ध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री से अनुरोध प्राप्त हुआ है। परियोजना की प्रगति की स्थिति और संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए स्वीकृत कार्यों के लिए वार्षिक आधार पर धनराशि आबंटित की जाती है। आन्ध्र प्रदेश में आंशिक रूप से/पूर्णतया आने वाली परियोजनाओं के लिए वर्ष 2009-10 के रेल बजट में लगभग 800 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। जहां-कहीं आवश्यकता थी नई परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण किए गए/शुरू किए गए हैं।

इंडियन ऑयल कार्पोरेशन द्वारा संयंत्र की स्थापना

3371. श्री रमेश राठौड़: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन ऑयल कार्पोरेशन 1000 मेगावाट के परमाणु विद्युत संयंत्र का निर्माण करेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परमाणु विद्युत संयंत्र में प्रत्येक संगठन की कितनी हिस्सेदारी होगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (ग) इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.) ने परमाणु विद्युत में अपने उद्यम के लिए दिनांक 4-11-2009 को न्यूक्लियर पॉवर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एन.पी.सी.आई.एल.) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए हैं। परमाणु

विद्युत के क्षेत्र में उपलब्ध विभिन्न अवसरों तथा अपनी भागीदारी को परिभाषित किए जाने की दृष्टि से दोनों पक्षकारों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका को पक्का किया जाएगा। परियोजनाओं की किस्म, शामिल किए जाने का स्तर तथा संबद्ध तकनीकी-वाणिज्यिक रीतियों को यथा समय पक्का किया जाएगा।

केरोसिन मार्कर योजना

3372. श्री सुरेश कुमार शेटकर: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में केरोसिन मार्कर योजना को वापस लेने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) जी नहीं। परिवहन ईंधनों के अपमिश्रण के लिए राजसहायता प्राप्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) मिट्टी तेल के विपथन की जांच करने के उद्देश्य से तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज) के सभी आपूर्ति स्थलों पर पूरे देश में दिनांक 1-10-2006 से मिट्टी तेल के साथ मार्कर की डोपिंग द्वारा एक मार्कर प्रणाली आरंभ की गई थी। मार्कर की आपूर्ति के लिए संविदा 31-12-2008 को समाप्त हो गई। परिणामस्वरूप, दिनांक 01-10-2009 से मिट्टी तेल के साथ मार्कर की डोपिंग बंद हो गई। वर्तमान में ओ.एम.सीज एक उपयुक्त मार्कर प्रणाली का पता लगा रही हैं।

एन.एम.डी.सी. तथा सेल द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन

3373. श्री राजय्या सिरिसिल्ला: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एन.एम.डी.सी.) तथा भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) ने हाल ही में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप): (क) और (ख) जी, हां। एन.एम.डी.सी. और सेल ने बुनियादी तौर पर सेल तथा एन.एम.डी.सी. के इस्पात संयंत्रों को न्यून सिलिका उच्च ग्रेड के चूना पत्थर की आपूर्ति हेतु हिमाचल प्रदेश में अरकी में चूना पत्थर की खान के विकास के लिए मिलकर कार्य करने हेतु दिनांक 16 नवंबर, 2009 को नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रस्तावित संयुक्त उद्यम में सेल और एन.एम.डी.सी. की बराबर शेयरधारिता होगी।

डीजल की मांग

3374. श्री प्रदीप माझी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डीजल की मांग दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान अभी तक पूर्ववर्ती वर्षों की इसी अवधि की तुलना में डीजल की मांग का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न तेल कंपनियां डीजल की इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए डीजल का आयात कर रही है;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान विभिन्न तेल कंपनियों द्वारा आयातित डीजल का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ये तेल कंपनियां किस दर पर डीजल का आयात कर रही है और उक्त अवधि के दौरान इस आयात पर व्यय की गई विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) वर्ष 2009-10 (अप्रैल-सितंबर, 2009) और विगत वर्ष अर्थात् 2008-09 की तदनुरूपी अवधि के दौरान देश में डीजल की खपत के ब्यौरे निम्नवत् हैं-

वर्ष	मात्रा (हजार मीटरी टन में)	वृद्धि (%)
2008-09 (अप्रैल-सितंबर 2008)	25034	8.5
2009-10 (अप्रैल-सितंबर 2009)	27172	8.5

(ग) से (ङ) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा घरेलू मांग को पूरा करने के लिए डीजल का आयात किया जाता है। वर्ष 2008-09 और अप्रैल-सितंबर, 2009 के दौरान आयातित डीजल की मात्रा के साथ-साथ, जिस दर पर आयात किया गया था उसका कंपनी-वार ब्यौरा और विदेशी मुद्रा का मूल्य संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

तेल कंपनी का नाम	2008-09 (अनंतिम)			2009-10 (अप्रैल-अक्तूबर 2009)		
	मात्रा (ह.मी.ट.)	औसत दर (अमरीकी डालर/ मी.ट.)	मूल्य (मिलियन अमरीकी डालर)	मात्रा (ह.मी.ट.)	औसत दर (अमरीकी डालर/मी.ट.)	मूल्य (मिलियन अमरीकी डालर)
आई.ओ.सी.एल.	373	877.63	327.58	330	471.17	155.53
बी.पी.सी.एल.	1057	780	825	1282	518	664
एच.पी.सी.एल.	1250.44	807.53	1009.97	313.31	491.87	154.11

वर्जन श्रेणी को हटाया जाना

3375. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ (सी.आई.टी.आई.) ने विदेश व्यापार नीति से वर्जन श्रेणी को हटाने की मांग की है जो प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.) के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाली वस्त्र यूनिटों को वर्जित करती है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ (सी.आई.टी.आई.) ने सरकार से विदेश व्यापार नीति (एफ.टी.पी.) 2009-14 में उस प्रतिबंधात्मक धारा को हटाने का अनुरोध किया है जो प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.) लाभ प्राप्त करने वाली इकाईयों को ई.पी.सी.जी. योजना के अंतर्गत आयात के शून्य शुल्क लाभ प्राप्त करने से रोकता है। सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है।

बोइंग विमान की खरीद

3376. श्री जोस के. मणि:

श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विमानों की खरीद के लिए युनाइटेड स्टेट्स बोईंग कंपनी को आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो कितने विमानों की खरीद की जाएगी, इस पर कितनी राशि व्यय होगी तथा विमानों के प्राप्त होने की समय अनुसूची क्या है;

(ग) क्या विमानों की आपूर्ति सहमति हुए समय के अनुसार की जा रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (घ) एअर इंडिया ने 35,000 करोड़ रुपये (लगभग) की लागत से 68 विमानों की खरीद के बारे में मैसर्स बोइंग, यू.एस.ए. के साथ खरीद करार पर हस्ताक्षर किये थे। विमानों की सुपुर्दगी किए जाने की अनुसूचित समयावधि नवम्बर, 2006 से 2011 तक थी। बी 787 विमानों की सुपुर्दगी में विलंब के कारण इसे अब संशोधित करके 2014 कर दिया गया है।

मानव दुर्व्यापार मामलों के लिए अदालतें

3377. श्री वैजयंत पांडा:

श्री नित्यानंद प्रधान:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मानव दुर्व्यापार मामलों की सुनवाई के लिए नामनिर्दिष्ट अदालतों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों को इस संबंध में कतिपय दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) से (घ) प्राप्त जानकारी के अनुसार, गृह मंत्रालय ने एक सलाह जारी की है जिसमें राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 22क के अधीन राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात्, इस अधिनियम के अधीन अपराधों के त्वरित विचारण का उपबंध करने के लिए एक या अधिक न्यायालय स्थापित कर सकेगी।

[हिन्दी]

रोजगार कार्यालयों को दिशा-निर्देश

3378. डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क: क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सच्चर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए अल्पसंख्यकों को रोजगार प्रदान करने के संबंध में विभिन्न रोजगार कार्यालयों/विभागों को कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो ये दिशानिर्देश किस तिथि को जारी किए गए तथा इनकी प्रमुख विशेषताओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ख) अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम में पुलिस कार्मिकों, केन्द्रीय पुलिस बलों, रेलवे, राष्ट्रीयकृत बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में अल्पसंख्यकों की भर्ती पर विशेष ध्यान दिए जाने का प्रावधान है तथा इस प्रयोजन से चयन समिति में इस वर्ग का व्यक्ति शामिल होना चाहिए। इसके अनुसरण में ही कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने 08 जनवरी, 2007 को कार्यालय ज्ञापन जारी किया है। कार्यालय ज्ञापन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

(i) चयन समिति में प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यह अनिवार्य होना चाहिए कि 10 अथवा इससे अधिक रिक्तियों पर भर्ती करने के लिए चयन बोर्डों/समितियों में एक सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का और एक सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय से हो।

(ii) यदि चयन हेतु रिक्तियों की संख्या 10 से कम है तो ऐसी समितियों/बोर्डों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक समुदाय से एक-एक अधिकारी को शामिल किए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

(iii) सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों में सभी नियुक्तियों को व्यापक रूप से प्रसारित किया जाना चाहिए। अंग्रेजी और हिन्दी के अतिरिक्त राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा में विज्ञापन जारी किए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त केवल आधारभूत अर्हक अपेक्षा वाले समूह 'ग' और 'घ' स्तर के पदों पर भर्ती हेतु रिक्तियों की सूचना का प्रसार सामान्य चैनलों के अतिरिक्त उस क्षेत्र में स्थित स्कूलों और कॉलेजों के माध्यम से किया जाना चाहिए।

(iv) जहां कहीं स्थानीय क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदाय की घनी आबादी है वहां उपयुक्त व्यवस्था द्वारा उस क्षेत्र में स्थानीय भाषा में रिक्ति परिपत्र जारी किए जाने चाहिए।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राजकोट तथा बड़ोदरा में रेल परियोजनाएं

3379. श्री प्रभातसिंह पी. चौहान: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम रेलवे के राजकोट तथा बड़ोदरा मंडलों में पूरी की गई/निर्माणाधीन रेल लाइन

के कार्यों का ब्यौरा क्या है और इसके साथ कुल कितने सड़क उपरि/अधोगामी पुलों तथा चौकीदार वाले/बिना चौकीदार वाले फाटकों का निर्माण किया जाएगा;

(ख) क्या ये सभी कार्य समय-सारणी के अनुसार निष्पादित किए जा रहे हैं/चल रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के परियोजना-वार कारण क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) राजकोट तथा वडोदरा मंडल में चालू परियोजनाओं का ब्यौरा तथा उनकी स्थिति निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	परियोजनाओं का नाम	लक्ष्य तिथि, जहां-कहीं निर्धारीत है, सहित स्थिति
1.	छोटा-उदयपुर-धार नई लाइन (157 किमी.)	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षम पूरा हो गया है। लक्ष्य तिथि अभी निर्धारित नहीं की गई है।
2.	भरूच-सामनी-दहेज (62.36 किमी.) आमान परिवर्तन	परियोजना रेल विकास निगम द्वारा निष्पादित की जा रही है। मिट्टी संबंधी, पुल संबंधी इत्यादि कार्य शुरू किए गए हैं।
3.	प्रतापनगर-छोटा उदयपुर (99.27 किमी.) आमान परिवर्तन	प्रतापनगर-दभोई-बोवेली खंड (70 किमी.) पूरा हो गया है।
4.	अंकलेश्वर-राजपीपला (62.89) आमान परिवर्तन	कार्य शुरू कर दिया गया है। मेगा खंड को बड़ी लाइन में परिवर्तन करने के लिए मीटर लाइन गाड़ियां रोक दी गई हैं।
5.	सुरेन्द्रनगर-घांग्घरा (34.48 किमी.) आमान परिवर्तन	कार्य पूरा होने वाला है।

प्रतापनगर-छोटा उदयपुर आमान परिवर्तन के पूरे हो चुके प्रतापनगर-दभोई-बोदेली खंड में 7 अतिरिक्त निचले सड़क पुल बनाए गए हैं।

परियोजनाएं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रगति कर रही हैं।

ए.जी.सी.पी. में स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया जाना

3380. श्री बदरूद्दीन अजमल: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को असम गैस क्रेकर परियोजना में स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिए जाने के कारण विभिन्न समूहों द्वारा किए जा रहे विरोधों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो स्थानीय लोगों के हित की रक्षा के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है;

(ग) उक्त परियोजना में कुल कितने लोगों को रोजगार दिया गया है;

(घ) परियोजना में कुल पदों में स्थानीय लोगों को श्रेणी-वार तथा पद-वार दिए गए रोजगार की प्रतिशतता कितनी है;

(ङ) अभी तक की गई कुल नियुक्तियों में अल्प संख्यकों की प्रतिशतता क्या है; और

(च) असम गैस क्रैकर परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) जी, हां। ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड (बी.सी.पी.एल.) को केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रम में लागू नियमों एवं विनियमों के शर्ताधीन पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों को पदस्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया गया है। इसके अतिरिक्त, बी.सी.पी.एल. ने ठेकेदारों को अनुबंधिक रोजगार के लिए उपलब्धता एवं योग्यता के अनुसार स्थानीय प्रार्थियों को नियुक्त करने का सुझाव दिया है। असम सरकार के साथ मिलकर बी.सी.पी.एल., परियोजना में जनशक्ति की आवश्यकता को

पूरा करने के लिए स्थानीय लोगों को सुसज्जित करने हेतु विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चला रहा है। बी.सी.पी.एल., पूर्वोत्तर राज्यों के संस्थानों में कैंपस साक्षात्कार के माध्यम से, जहां संभव हो, अपनी जनशक्ति की नियुक्ति कर रहा है।

(ग) और (ङ) अब तक बी.सी.पी.एल. में कुल 33 कर्मचारियों ने कार्यभार ग्रहण किया है जिनमें से 15(46%) पूर्वोत्तर में हैं और (2%) अल्पसंख्यक वर्ग के हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के कर्मचारियों का वर्ग-वार ब्यौरा इस प्रकार है- जी.ई.टी. (मैक.)-3, जी.ई.टी. (इन्स्ट.)-3, जी.ई.टी. (कैम.)-3, जी.ई.टी. (इलै.)-1, जी.ई.टी. (आई.टी.)-4 एवं ई.टी. (पी.आर./सी.सी.)-1।

(च) 1157 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है एवं उनका कब्जा लिया गया है। 287.67 करोड़ रु. राशि की पूंजीगत सब्सिडी जारी की गई है और नवंबर 2009 तक कुल 444.07 करोड़ रु. का व्यय हुआ है। एल.एल.डी.पी.ई./एच.डी.पी.ई. तथा पी.पी. इकाइयों के लिए लाइसेंसरों को ठेके दिए गए हैं। एल.एल.डी.पी.ई./एच.डी.पी.ई. स्विंग इकाई के लिए प्रोसेस पैकेज सितम्बर, 2009 में प्राप्त हो गए हैं, जबकि पॉलीप्रोपाइलीन इकाई के लिए बेसिक डिजाइन इंजीनियरिंग पैकेज (बी.डी.ई.पी.) अगस्त, 2009 में प्राप्त हुआ था। इथाइलीन क्रैकर के लिए बी.डी.ई.पी. नवंबर 2009 में प्राप्त हुआ है। विद्युत, साइट ग्रेडिंग, प्रशासनिक खंड-भवन, उत्पाद भंडार गृह, संयंत्र एवं गैर-संयंत्र भवन से संबंधित निर्माण कार्य शुरू हो गए हैं। बी.सी.पी.एल. का वित्तीय समापन सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है तथा 1756 करोड़ रु. के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

एफ.सी.आई.एल. के रामगुंडम यूनिट का पुनरुद्धार

3381. श्री गुथा सुकेन्द्र रेड्डी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड (एफ.सी.आई.एल.) के रामगुंडम यूनिट के पुनरूद्धार के संबंध में आन्ध्र प्रदेश सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ग) जी, हां। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की रामागुण्डम इकाई का शीघ्र पुनरुद्धार करने का अनुरोध किया है। इस संदर्भ में, भारत सरकार ने एफ.सी.आई.एल. की रामागुण्डम इकाई सहित हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एच.एफ.सी.एल.) और फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (एफ.सी.आई.एल.) की बंद पड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की उर्वरक इकाइयों के पुनरुद्धार की व्यवहार्यता की जांच करने का निर्णय लिया है बशर्ते कि प्राकृतिक गैस की सुनिश्चित उपलब्धता हो। सरकार ने सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है और अधिदेश दिया है कि वह एफ.सी.आई.एल./एच.एफ.सी.एल. की बंद पड़ी इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए सभी निवेश विकल्पों का मूल्यांकन करे और सरकार के विचार करने हेतु उपयुक्त सिफारिशें तैयार करे। ई.सी.ओ.एस. ने प्रत्येक बंद पड़ी इकाई के पुनरुद्धार के लिए निवेश के विभिन्न संभव विकल्पों पर विचार कर लिया है और उपयुक्त निधीयन विकल्प के संबंध में अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दे दिया है। ई.सी.ओ.एस. की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

सी.ओ.सी.ओ. पेट्रोल पंपों के लिए दिशा-निर्देश

3382. श्रीमती सुशीला सरोज:
श्री गजानन ध. बाबर:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कंपनी-स्वामित्वाधीन-कंपनी-संचालित (सी.ओ.सी.ओ.) खुदरा बिक्री केन्द्रों के संचालन के लिए तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सी.) की विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सी.ओ.सी.ओ. पेट्रोल पंपों को कार्यकरण पर इन दिशा-निर्देशों का क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (ग) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने दिनांक 6-9-2006 के पत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज) को स्थायी कंपनी के स्वामित्व में कंपनी द्वारा प्रचालित (कोको) खुदरा

बिक्री केन्द्रों (आर.ओज) को अपने ही अधिकारियों के सीधे पर्यवेक्षण में प्रचालित किए जाने और विभिन्न सामाजिक उद्देश्यपरक श्रेणियों के तहत लंबित आशय पत्र धारकों को सौंपते हुए अस्थायी कोको आरओज को बंद करने की सलाह दी है।

स्थायी कोको आर.ओज. के संबंध में ओ.एम.सीज आर.ओज को चलाने के लिए अपने स्टाफ को तैनात कर सकती हैं और यदि पर्याप्त संख्या में उनका अपना स्टाफ तैनात नहीं किया जा सकता, तो शेष जनशक्ति की व्यवस्था केवल विज्ञापन के जरिए, एक खुले और पारदर्शी ढंग से चयनित श्रमिक ठेकेदारों के माध्यम से कराई जाये। श्रमिक ठेकेदारी के लिए उम्मीदवारों का मूल्यांकन करने के लिए ओ.एम.सीज द्वारा समान लक्षित प्राचल अपनाए जाते हैं।

[हिन्दी]

देहरादून-कालसी रेल लाइन का निर्माण

3383. श्री गजेन्द्र सिंह राजुखेड़ी:
डॉ. चरण दास महन्त:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देहरादून-कालसी रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त रेल लाइन के लिए कितना बजटीय प्रावधान किया गया है; और

(ग) उक्त रेल लाइन का निर्माण कार्य कब तक आरंभ एवं पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। फील्ड सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि यह कार्य स्वीकृत नहीं है।

[अनुवाद]

टी.टी.ई. द्वारा कदाचार

3384. श्री प्रबोध पांडा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को चल टिकट परीक्षकों (टी.टी.ई.) के विरुद्ध कदाचार में संलिप्त होने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रेलवे द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। गाड़ी टिकट परीक्षकों (टी.टी.ई.) के विरुद्ध शिकायतों के माध्यम से और रेलवे द्वारा आंतरिक जांच के दौरान भी अधिक प्रभार वसूली, स्थान उपलब्ध कराने के बदले धन की मांग, उपयुक्त टिकट के बिना यात्रियों को यात्रा की अनुमति देने जैसे कदाचार के कुछ मामले नोटिस में आए हैं। इस प्रकार की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए नियमित निवारक जांचें की जाती हैं और विशेष अभियान चलाए जाते हैं। दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाती है।

लोको रनिंग स्टाफ

3385. श्री पूर्णमासी राम: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन (ए.आई.एल.आर.एस.ए.) ने लोको रनिंग स्टॉफ हेतु ड्यूटी समय-सीमा के संबंध में रेलवे से कोई अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके कार्य समय को तत्काल आठ घंटे तक रखने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) जी हां। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टॉफ एसोसिएशन ने रनिंग कर्मचारियों के ड्यूटी घंटों में कमी करने के लिए अभ्यावेदन किया है।

रेल अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के अनुसार, रेलों पर रनिंग कर्मचारियों को 'निरंतर' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, अतः उन्हें 14 दिनों की दो साप्ताहिक अवधि में औसतन एक सप्ताह में 54 घंटे कार्य करना संवैधानिक तौर पर अपेक्षित है। लेकिन उनके रोस्टर दो हफ्तों में औसतन प्रति सप्ताह 52 घंटों के रूप में निर्धारित किए गए हैं।

फिलहाल, रनिंग कर्मचारियों के ड्यूटी घंटे केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, एर्णाकुलम द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों

द्वारा शासित किए जाते हैं। तदनुसार, एक बार में रनिंग ड्यूटी सामान्यतः गाड़ी के प्रस्थान करने से 10 घंटों से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा दुर्घटनाएं, बाढ़, आंदोलन, उपस्कर विफलताएं आदि जैसी आपवादिक परिस्थितियों को छोड़कर, समग्र ड्यूटी 'साइनिंग ऑन' से 'साइनिंग ऑफ' तक 12 घंटों से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक पखवाड़े में 140 घंटों के भीतर ड्यूटी घंटे बनाए रखने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं।

[हिन्दी]

सफदरजंग रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी का ठहराव

3386. **श्री पन्ना लाल पुनिया:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में सफदरजंग रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी संख्या 4235/4236 का ठहराव प्रदान करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केरल के तटीय क्षेत्रों तक रेल संपर्क

3387. **श्री के.पी. धनपालन:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को केरल के तटीय क्षेत्रों को जोड़ने के लिए केरल में इडापल्ली से थिरूर तक रेल लाइन के निर्माण का अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज की तारीख के अनुसार इसकी क्या स्थिति है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) इदापल्ली-तिरूर नई लाइन के निर्माण के बारे में मांग की गई है। इस क्षेत्र में तनूर (तिरूनावाया)-गुरूवायूर नई लाइन का कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया है। बहरहाल, इस नई लाइन के लिए प्रस्तावित संरेखण का स्थानीय जनता द्वारा विरोध किया जा रहा है। इसके अलावा, गुरूवायूर-इदापल्ली नई लाइन के लिए एक अद्यतन सर्वेक्षण शुरू किया गया है।

[हिन्दी]

आरक्षण कोटा

3388. **श्री दानवे राव साहेब पाटील:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नांदेड से अमृतसर, नांदेड से मुंबई और नांदेड से हैदराबाद के बीच चलने वाली ट्रेनों में विशिष्ट व्यक्तियों के लिए श्रेणीवार कितनी सीटें/बर्थ आरक्षित हैं;

(ख) क्या इस कोटे में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रेलवे का विचार बढ़ती हुई मांग के कारण इन ट्रेनों में प्रथम श्रेणी वातानुकूलित शयनयानों और द्वितीय श्रेणी के वातानुकूलित शयनयानों में सीटों/बर्थ की संख्या में वृद्धि करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) अमृतसर, मुंबई तथा हैदराबाद की ओर जाने वाली गाड़ियों में नांदेड में उपलब्ध आपातकालीन कोटे का श्रेणी-वार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) और (ङ) नांदेड में उपलब्ध आपातकालीन कोटा मौजूदा मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझा गया है।

विवरण

(क) अमृतसर, मुंबई तथा हैदराबाद की ओर जाने वाले गाड़ियों में नांदेड में उपलब्ध आपातकालीन कोटे का श्रेणी-वार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	गाड़ी नं.	विभिन्न श्रेणियों में शायिकाओं की संख्या					
		1ए	2ए	3ए	प्रथम श्रेणी	कुर्सीयान वातानुकूलित	स्लीपर श्रेणी
1.	564 नांदेड-हैदराबाद पैसेंजर	-	-	-	6	-	18
2.	1402 नांदेड-मुंबई सी.एस.टी. नंदीग्राम एक्सप्रेस	-	04	12	-	-	24
3.	2715 नांदेड-अमृतसर सचखंड एक्सप्रेस	-	08	12	-	-	20
4.	7058 सिकंदराबाद-मुंबई सी.एस.टी. देवगिरि एक्सप्रेस (नांदेड से)	02	06	04	-	-	18
5.	7063 मनमाड-सिकंदराबाद अजंता एक्सप्रेस	-	05	06	-	-	20
6.	7618 नांदेड-मुंबई सी.एस.टी. तपोवन एक्सप्रेस	-	-	-	-	10	-
7.	7640 नांदेड-काचेगुडा इंटरसिटी एक्सप्रेस	-	-	-	-	6	-

1ए-प्रथम श्रेणी वातानुकूलित, 2ए-द्वितीय टियर वातानुकूलित, 3ए-तृतीय टियर वातानुकूलित।

[अनुवाद]

कांडला विमानपत्तन में किराए पर भूमि

3389. श्री पूर्णमासी राम: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात राज्य के कांडला विमानपत्तन क्षेत्र में किराए पर भूमि दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो पट्टे की दर तथा समयावधि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पट्टा प्रलेख की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी भूमि पट्टाधारी के नियंत्रण में है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या मामले को केन्द्र सरकार की नोटिस में लाया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

विमानपत्तनों पर बायोमीट्रिक फिंगरप्रिंट स्कैनर लगाना

3390. श्री एम.के. राघवन: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विमानपत्तनों पर यात्रियों के लिए बायोमीट्रिक फिंगरप्रिंट स्कैनर लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

पशुवधशालाओं का आधुनिकीकरण

3391. **श्री के.सी. वेणुगोपाल:** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों से देश में अत्याधुनिक पशुवधशालाएं और विद्यमान पशुवधशालाओं के आधुनिकीकरण, नई आधुनिक पशुवधशालाओं की स्थापना के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ऐसी पशुवधशालाओं की स्थापना/पशुवधशालाओं के आधुनिकीकरण के लिए राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) जी, हां। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्थानीय निकायों (नगर निगमों और पंचायतों) को शामिल करके देश में बूचड़खानों की स्थापना/आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता देता है और इसमें बूचड़खानों की स्थापना/आधुनिकीकरण के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में बुनियादी ढांचा विकास संबंधी स्कीम के अंतर्गत निजी निवेशकों/निर्यातकों/निर्माण-परिचालन स्वामित्व (बी.ओ.ओ.)/निर्माण परिचालन-अन्तरण (बी.ओ.टी.)/संयुक्त उद्यम पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को शामिल करने का लचीलापन होगा।

(ख) और (ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बूचड़खानों की स्थापना/आधुनिकीकरण के लिए उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र. सं.	निष्पादक का नाम	राज्य	मंजूरी की गई कुल राशि (लाख रुपये में)	वर्ष 2006-07 के दौरान संवितरित कुल राशि (लाख रुपये में)	वर्ष 2007-08 के दौरान संवितरित कुल राशि (लाख रुपये में)	वर्ष 2008-09 के दौरान संवितरित कुल राशि (लाख रुपये में)	वर्ष 2009-10 के दौरान संवितरित कुल राशि (लाख रुपये में) (07-12-09 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	दिल्ली नगर निगम	दिल्ली	400.00	100.00	300.00	-	-
2.	कोलकाता नगर निगम	पश्चिम बंगाल	1287.34	-	-	128.73	-
3.	दीमापुर नगर परिषद	नागालैण्ड	1437.50	-	-	143.75	-
4.	जम्मू नगर निगम	जम्मू और कश्मीर	1500.00	-	-	150.00	-
5.	ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम	आन्ध्र प्रदेश	1478.98	-	-	147.90	-

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	नगर निगम, शिमला	हिमाचल प्रदेश	1142.00	-	-	114.20	-
7.	नगर निगम, पटना	बिहार	1097.21	-	-	109.72	-
8.	ए.एच.वी. निदेशालय, शिलांग	मेघालय	1500.00	-	-	-	150.00
9.	जम्मू और कश्मीर भेड़ तथा भेड़ उत्पाद विकास बोर्ड, श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर	1410.00	-	-	-	141.00
10.	अहमदनगर गोट फेडरेशन को-ऑपरेटिव लिमिटेड	महाराष्ट्र	प्रक्रियाधीन	-	-	-	प्रक्रियाधीन
11.	नगर निगम, रांची	झारखण्ड	प्रक्रियाधीन	-	-	-	प्रक्रियाधीन

विमान यात्रियों की सुरक्षा संबंधी अध्ययन

3392. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विमान यात्रियों की सुरक्षा का मूल्यांकन करने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विमान दुर्घटनाओं को रोकने के लिए समय-समय पर विमान यात्रियों की सुरक्षा के पहलुओं की निगरानी करने का कोई तंत्र मौजूद है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित किया जाना नागर विमानन महानिदेशालय का प्राथमिक उत्तरदायित्व है तथा यह एक गतिशील प्रक्रिया है।

(ग) से (ङ) नागर विमानन महानिदेशालय एयरलाइनों और हवाईअड्डा प्रचालकों के ऑडिट, निगरानी और विभिन्न निरीक्षण संबंधी कार्यकलापों को सुनिश्चित करने का कार्य करता है ताकि इन संगठनों के सुरक्षा निगरानी कार्यक्रमों से कोई समझौता नहीं हो सके। किन्हीं कमियों के पाए जाने पर निर्धारित समय-सीमा के भीतर इन्हें ठीक करने के लिए संबंधित संगठनों को सूचित किया जाता है।

भुवनेश्वर में निफ्ट की स्थापना

3393. श्री नित्यानंद प्रधान:
श्री वैजयंत पांडा:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उड़ीसा के भुवनेश्वर में नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (निफ्ट) की स्थापना करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उड़ीसा राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य में अतिरिक्त कपास खरीद केन्द्र खोलने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) क्या उड़ीसा के हथकरघा उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने हेतु बेहतर संस्थागत सहायता प्रदान करने के लिए भुवनेश्वर में हस्तशिल्प निर्यात संवर्द्धन परिषद् का कार्यालय की स्थापना करने का भी प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) भुवनेश्वर, उड़ीसा में निफ्ट का एक केंद्र खोलने के लिए उड़ीसा राज्य सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसकी जांच निफ्ट द्वारा की जा रही है।

(ग) और (घ) जी, हां। वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम "भारतीय कपास निगम (सी.सी.आई.)" को उड़ीसा राज्य में जितना संभव हो सके उतने केंद्रों को चलाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि किसानों को अपने उत्पाद की बिक्री करने के लिए कठिनाईयों का सामना नहीं करना पड़े। सी.सी.आई. ने चालू कपास मौसम 2009-10 के दौरान उड़ीसा राज्य में 7 खरीद केंद्रों अर्थात करलापारा, कसिंगा, रायागाडा, कंताभंजी, गुनुपुर, जोगीमुंडा और उत्कल में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) खरीद शुरू की है। 03-12-2009 की स्थिति के अनुसार सी.सी.आई. ने उड़ीसा राज्य में 2179 गांठ के समतुल्य 12040 क्विंटल कपास खरीदी है।

(ङ) और (च) जी, नहीं। हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ई.पी.सी.एच.) वर्तमान में भुवनेश्वर में स्थित है जो हस्तशिल्प उत्पादों के संवर्धन के लिए संस्थागत सहायता प्रदान करती है। ई.पी.सी.एच. द्वारा इस समय उड़ीसा हथकरघा उत्पादों के लिए कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

गुजरात में रसोई गैस की एजेंसियां खोलना

3394. श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया:
श्री जगदीश ठाकोर:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 2009-10 के दौरान गुजरात के लोगों की मांग को पूरा करने के लिए राज्य में रसोई गैस की और अधिक एजेंसियां खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिले-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) रसोई गैस की नई एजेंसियां कब तक खोले जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (ग) दिनांक 1-10-2009 की स्थिति के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओ.एम.सीज) गुजरात राज्य में 545 एल.पी.जी. एजेंसियों का प्रचालन कर रही थीं।

ओ.एम.सीज ने मुख्यत: ग्रामीण और शहरी-ग्रामीण (अर्ध-शहरी) स्थानों में नई एल.पी.जी. एजेंसियां स्थापित करने के लिए गुजरात राज्य में 41 सहित देश में 1340 स्थानों के लिए एक साझा उद्योग विपणन योजना को अंतिम रूप दिया है। सभी स्थानों के लिए विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं और नीति के अनुसार इनका चयन प्रगति पर है। जिला-वार ब्यौरा संबंधित ओ.एम.सीज के निदेशक (विपणन) के पास उपलब्ध है।

एल.पी.जी. एजेंसियों के लिए अभ्यर्थी का चयन निर्धारित दिशा-निर्देशों के निबंधनों के अनुसार स्वयं ओ.एम.सीज द्वारा किया जाता है। वितरकों को चालू करने/खोलने में चयनित अभ्यर्थी के प्रत्यय पत्रों का क्षेत्र सत्यापन, गोदाम/शोरूम का निर्माण और सांविधिक अनापत्तियां प्राप्त करना शामिल हैं। इसलिए, एल.पी.जी. एजेंसियां चालू करने/खोलने के लिए कोई समय सीमा बता पाना संभव नहीं है, लेकिन इसे शीघ्र संभव बनाने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं।

[अनुवाद]

भारत ईरान गैस पाइपलाइन

3395. श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी:
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:
श्री एस. सेम्मलई:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन, ईरान-पाकिस्तान-भारत गैस पाइपलाइन परियोजना में भारत का स्थान ले रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(ग) आज की तारीख की स्थिति के अनुसार इस परियोजना की क्या स्थिति है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) आई.पी.आई. गैस

पाइपलाइन परियोजना में चीन के शामिल होने के संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) ईरान-पाकिस्तान-भारत (आई.पी.आई.) गैस पाइपलाइन परियोजना के माध्यम से ईरान से प्राकृतिक गैस आयात करने का भारत अनुशीलन कर रहा है। गैस का मूल्य निर्धारण, गैस सुपुर्दगी स्थल, परियोजना संरचना, आपूर्तियों की सुरक्षा, परिवहन प्रशुल्क और पाकिस्तान के रास्ते प्राकृतिक गैस के गुजरने के लिए मार्गस्थ शुल्क के भुगतान इत्यादि जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर भागीदार देशों के बीच चर्चा जारी है।

[हिन्दी]

यात्री सुविधाएं

3396. श्री महेश जोशीः
श्री इज्यराज सिंहः

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रेलवे ने ट्रेनों और स्टेशनों पर यात्रियों को प्रदान की जा रही मूलभूत सुविधाओं का निजीकरण करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो निजी क्षेत्र को सौंपी जाने वाली सेवाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप यात्रियों को कितना लाभ मिलने की संभावना है;

(घ) रेलवे द्वारा स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेटवर्क के रूप में विकसित करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) ट्रेनों में यात्रा करने वाली गर्भवती महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, निशक्त लोगों तथा उनके साथ यात्रा करने वाले उनके निकट संबंधियों की सुविधा के लिए क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) गाड़ियों और स्टेशनों पर मुहैया कराई गई सुविधाओं/सुख-सुविधाओं का बड़े पैमाने पर निजीकरण का फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया है। बहरहाल, कतिपय कार्य-कलाप ऐसे हैं, जिन्हें रेलें निजी संगठनों के माध्यम से करा रही हैं और उनमें महत्वपूर्ण हैंः चुनिंदा स्थलों पर गाड़ियों की मशीनों द्वारा सफाई, चिन्हित गाड़ियों में ऑन-बोर्ड हाउसकीपिंग सेवाएं, स्टेशन/सेवा भवनों का वस्तुपरक सुधार, अनुरक्षण और स्टेशनों पर भुगतान करो और इस्तेमाल करो शौचालयों का संचालन आदि।

(ग) विभिन्न सुविधाओं/सुख-सुविधाओं की व्यवस्था संबंधी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करके इन्हें संबंधित क्षेत्र में पेशेवर संगठनों को सौंपकर रेलें इन सेवाओं के गुणवत्ता स्तर में बढ़ोत्तरी की आशा करती हैं। ऐसी बढ़ी हुई गुणवत्ता वाली सेवाएं रेल यात्रियों की सुविधा के लिए होंगी।

(घ) यात्री सुविधाओं के संदर्भ में, भारतीय रेलों ने कई उपाए किए हैं जिसमें चल-स्टॉक के बेहतर डिजाइन, बेहतर यात्री सूचना प्रणाली, विश्वस्तरीय रेलवे स्टेशनों का विकास आदि शामिल है।

(ङ) रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों, निःशक्त व्यक्तियों और उनके परिचारकों, गर्भवती महिलाओं और गाड़ी द्वारा यात्रा कर रहे उनके स्वजनों, के कल्याण के लिए विभिन्न सुविधाएं यथा पृथक आरक्षण कोटे का निर्धारण, प्रमुख कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली (पी.आर.एस.) केन्द्रों पर पृथक आरक्षण काउंटर, लोअर बर्थ आवंटन (बुकिंग के समय, उपलब्धता के अध्यधीन), टिकट जांच कर्मचारियों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर गाड़ी में खाली पड़ी लोअर बर्थों का आवंटन इत्यादि मुहैया करा रही है।

[अनुवाद]

बेंगलुरु विमानपत्तन से नई उड़ानें

3397. श्री अनन्त कुमारः क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बेंगलुरू अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन से अन्य देश के लिए नई उड़ानों की शुरुआत की गई है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष के दौरान आज तक तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान उक्त विमानपत्तन से बंद की गई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) एअर इंडिया बेंगलुरू से सिंगापुर, मालदीव, यू.ए.ई. (दुबई) और ओमान के लिए जबकि किंगफिशर एयरलाइन्स दुबई के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन सेवा कर रही है। इनके अतिरिक्त,14 विदेशी वाहक कंपनियां बेंगलुरू के

लिए/वहां से प्रचालन सेवा कर रही हैं। इनमें से हांगकांग ड्रेगन एयरलाइंस, ओमान एयर, टाइगर एयरवेज और सऊदी अरेबियन एयरलाइंस ने पिछले वर्ष के दौरान अपनी-अपनी विमान सेवाओं की शुरुआत की है।

(ग) पिछले दो वर्ष के दौरान, जेट एयरवेज ने ब्रुसेल्स के लिए अपनी सेवाएं बंद कर दी हैं जबकि किंगफिशर एयरलाइंस ने बेंगलुरू से लंदन और कोलम्बो के लिए अपनी सेवाएं बंद कर दी हैं। किसी विदेशी एयरलाइन ने पिछले दो वर्ष में बेंगलुरू से अपनी प्रचालन सेवा बंद नहीं की है।

[हिन्दी]

कृष्णा गोदावरी बेसिन से गैस का उत्पादन

3398. श्री जगदीश शर्मा
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृष्णा गोदावरी बेसिन के डी-6 ब्लाक से पूर्व में अनुमानित गैस की तुलना में और अधिक गैस का उत्पादन किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो अन्ततः कितनी गैस का उत्पादन किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या इन अनुमानों में भिन्नता के कारण सरकार को कम राजस्व प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) जी हां। पूर्ववर्ती अनुमान अधिकतम उत्पादन के रूप में 40 एम.एम.एस.सी.एम.डी. था जिसे 80 एम.एम.एस.सी.एम.डी. तक संशोधित कर दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। वास्तव में सरकारी राजस्व बढ़ने की संभावना है।

रेल लाइनों का दोहरीकरण और विद्युतीकरण

3399. श्री बृजभूषण शरण सिंह:
श्री नीरज शेखर:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में रेलवे लाइनों के दोहरीकरण और विद्युतीकरण की लंबित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं के विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे का विचार इन लंबित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चालू वर्ष के दौरान दोहरीकरण और विद्युतीकरण के लिए प्रस्तावित रेल लाइनों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) 1-4-2009 की स्थिति के अनुसार, दोहरीकरण की 126 तथा रेल विद्युतीकरण की 19 चालू परियोजनाएं हैं, जिनका क्रमशः 11234 करोड़ रुपए तथा 2739 करोड़ रुपए का थ्रोफारवर्ड है। चालू परियोजनाओं का ब्यौरा बजट प्रलेख में दिया गया है। संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्य प्रगति पर है।

(ग) और (घ) सार्वजनिक निजी भागीदारी, राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त निधियों, राज्य सरकार तथा लाभार्थियों द्वारा भागीदारी तथा रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा परियोजनाओं का कार्यान्वयन के माध्यम से अतिरिक्त बजटीय संसाधन सृजित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इससे दोहरीकरण तथा विद्युतीकरण परियोजनाओं सहित सभी चालू परियोजनाएं तेजी से पूरी हो जाएंगी। ठेका प्रबंधन में कुशलता लाने के लिए ठेका शर्तों में भी आशोधन किए गए हैं।

(ङ) रेलवे बजट 2009-10 में दोहरीकरण की 13 नई परियोजनाएं शामिल की गई हैं। 2009-10 के दौरान विद्युतीकरण की कोई नई परियोजना शामिल नहीं की गई है।

बीमा कवर

3400. श्री रामकिशुन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीमा शुल्क की वसूली को यात्रा श्रेणी के अनुसार सभी आरक्षित टिकटों के साथ जोड़ दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो रेल यात्री बीमा योजना को बंद किए जाने के क्या कारण हैं और रेलवे द्वारा इस संबंध में तैयार किए गए विकल्पों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी नहीं। दुर्घटना में मृत्यु/चोट के मामले में, रेल दावा अधिकरण द्वारा दी गई डिक्री के अनुसार क्षतिपूर्ति का भुगतान करने की रेल अधिनियम 1989 के तहत भारतीय रेल की जिम्मेदारी है। सामान्य बीमाकर्त्ताओं से लिया गया बीमा कवर दावाकर्त्ताओं को रेलों द्वारा किए गए क्षतिपूर्ति भुगतान की प्रतिपूर्ति लेने के लिए एक आंतरिक तंत्र विद्यमान है। गाड़ी दुर्घटनाओं के शिकार हुए यात्रियों को क्षतिपूर्ति संबंधी भुगतान प्रभावित नहीं होता चाहे बीमा कवर हो अथवा नहीं।

रेल परिचालन में व्यवधान

3401. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में रेलवे परिसरों में धरना/प्रदर्शन करने की घटनाओं में वृद्धि हो रही है जिससे सरकारी कामकाज में बाधा आती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ऐसी घटनाओं का जोन-वार और मामले-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रत्येक घटना के कारण रेलवे के साथ-साथ रेलयात्रियों को हुई हानि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे और राज्य सरकारों के बीच सहयोग का अभाव है; और

(ङ) यदि हां, तो रेलवे द्वारा अभी तक ऐसा करने वालों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) जी हां। इन घटनाओं में 2006-2008 तक वृद्धि हुई है। बहरहाल, 2009 के दौरान, ऐसी घटनाओं में कमी आई है। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष अर्थात् 2006, 2007, 2008 और 2009 (अक्तूबर तक) रेलवे परिसरों में सूचित किए गए धरना/प्रदर्शन संबंधी घटनाओं, जिनके कारण सरकारी कामकाज में बाधा हुई, की संख्या तथा रेलों/रेल यात्रियों द्वारा उठाई गई हानि को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

जहां तक रेलों द्वारा उठाई गई हानि का संबंध है, क्षेत्रीय रेलों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) और (ङ) रेल परिसरों में कानून एवं व्यवस्था के संबंध में राज्य सरकारों तथा रेलों के बीच बेहतर समन्वय है, राज्य सरकारों के साथ सभी स्तरों पर समुचित समन्वय बनाए रखा जाता है।

विवरण

उन घटनाओं का ब्यौरा जिनके कारण पिछले तीन वर्षों 2006, 2007, 2008 तथा चालू वर्ष 2009 (अक्तूबर तक) रेल परिचालन में व्यवधान पड़ा:

रेलवे	वर्ष	मामलों की संख्या		
		धरना	प्रदर्शन	सरकारी कामकाज में बाधा
1	2	3	4	5
मध्य	2006	34	36	1
	2007	98	33	1
	2008	54	18	0
	2009 (अक्तूबर तक)	21	6	0
पूर्व	2006	21	97	0

1	2	3	4	5
	2007	25	124	0
	2008	28	126	0
	2009 (अक्तूबर तक)	22	115	0
पूर्व मध्य	2006	80	59	77
	2007	82	69	36
	2008	107	76	41
	2009 (अक्तूबर तक)	47	30	36
पूर्व तट	2006	39	20	0
	2007	39	21	0
	2008	72	19	0
	2009 (अक्तूबर तक)	55	16	0
उत्तर	2006	12	8	5
	2007	9	17	4
	2008	69	14	5
	2009 (अक्तूबर तक)	27	16	3
उत्तर मध्य	2006	6	12	0
	2007	6	15	0
	2008	6	25	0
	2009 (अक्तूबर तक)	8	4	0
पूर्वोत्तर	2006	13	6	0
	2007	5	4	0
	2008	2	0	0
	2009 (अक्तूबर तक)	2	2	0
पूर्वोत्तर सीमा	2006	34	23	1
	2007	26	47	0
	2008	35	37	1
	2009 (अक्तूबर तक)	28	35	3

1	2	3	4	5
उत्तर पश्चिम	2006	12	160	0
	2007	13	149	0
	2008	14	190	0
	2009 (अक्तूबर तक)	13	196	0
दक्षिण	2006	153	463	23
	2007	141	496	21
	2008	129	665	17
	2009 (अक्तूबर तक)	99	435	10
दक्षिण मध्य	2006	45	8	0
	2007	94	59	0
	2008	103	13	2
	2009 (अक्तूबर तक)	11	10	1
दक्षिण पूर्व	2006	18	57	0
	2007	13	87	0
	2008	25	128	0
	2009 (अक्तूबर तक)	21	61	0
दक्षिण पूर्व मध्य	2006	20	28	0
	2007	29	28	0
	2008	5	48	0
	2009 (अक्तूबर तक)	6	34	0
दक्षिण पश्चिम	2006	45	6	
	2007	21	43	
	2008	49	58	0
	2009 (अक्तूबर तक)	28	27	0
पश्चिम	2006	8	18	0
	2007	20	17	0

1	2	3	4	5
	2008	14	13	0
	2009 (अक्तूबर तक)	13	11	0
पश्चिम मध्य	2006	10	82	0
	2007	22	150	3
	2008	24	118	2
	2009 (अक्तूबर तक)	17	52	1
कुल	2006	538	1075	102
	2007	634	1342	61
	2008	667	1534	63
	2009 (अक्तूबर तक)	391	1034	51

[अनुवाद]

बी.ओ.जी.एल. के कर्मचारी

3402. शेख सैदुल हक: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दुर्गापुर स्थित मैसर्स भारत ऑप्थैल्मिक ग्लॉस लिमिटेड (बी.ओ.जी.एल.) के अधिकांश कर्मचारियों को स्वैच्छिक पृथक्करण योजना (वी.एस.एस.) के लाभों से वंचित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सुचारू परिसमापन के लिए उन्हें वी.एस.एस. के लाभ प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) (क) और (ख) दुर्गापुर स्थित मैसर्स भारत आप्थेल्मिक ग्लास लि. (बी.ओ.जी.एल.), एक रुग्ण कंपनी थी और 1992 से बी.आई.एफ.आर. को संदर्भित थी। बी.आई.एफ.आर. ने दिनांक 19-06-2003 को इसे बंद करने का आदेश दिया। मंत्रिमंडल की मंजूरी से बी.आई.एफ.आर. के निर्णय को स्वीकार करने और सभी कार्यरत कर्मचारियों को वी.एस.एस. का प्रस्ताव देने के बाद आई.डी. अधिनियम, 1947 के तहत कंपनी को बंद करने हेतु कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया था। इसके अनुरूप, कंपनी ने दिनांक 03-08-2006 से तीन माह के लिए वी.एस.एस. जारी किया। केवल 25 कर्मचारियों (18 गैर कार्यपालक और 7 अधिकारी) ने वी.एस.एस. के लिए आवेदन किया था जिनमें से प्रबंधन ने 17 गैर कार्यपालकों के मामले की सिफारिश की। कंपनी ने 7 अधिकारियों के लिए इस आधार पर वी.एस.एस. की सिफारिश नहीं की थी कि कार्यों के चरणवार पुनः आबंटन में कुछ वक्त लगेगा। चेन्नई में तैनात एक गैर कार्यपालक के मामले में प्रचालन संबंधी कारणों से वी.एस.एस. की सिफारिश नहीं की गई थी। इसी बीच, 09-07-2007 को माननीय न्यायालय ने कंपनी को बंद करने का आदेश दिया और इसका परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिए सरकारी परिसमापक नियुक्त कर दिया।

2. कर्मचारियों की याचिका पर, माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता ने दि. 7-5-2008 के अपने आदेश में निदेश दिया कि बी.ओ.जी.एल. के पूर्व कर्मचारियों के भुगतान हेतु सरकारी परिसमापक (ओ.एल.) को 199.15 लाख रुपए जारी कर दिया जाएं जिनमें 16 कर्मचारियों को वी.एस.एस. और एक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति संबंधी देयताएं (87.15 लाख रुपए), 01-01-2006 से 31-03-2007 तक लंबित वेतन और मजदूरी (98.00 लाख रुपए) और 01-01-2006 से 31-03-2007 तक सांविधिक देयराशियां (14.00 लाख रुपए) शामिल हैं। सरकारी परिसमापक को दावों के उचित

सत्यापन के बाद भुगतान करने का आदेश दिया गया था। ओ.एल. से प्राप्त सूचना के अनुसार, वी.एस.एस. के लिए 87.15 लाख रुपए वितरित कर दिए गए किन्तु बहुत से पूर्व कर्मचारियों द्वारा धनराशि लेने से इंकार कर दिए जाने के कारण शेष राशि वितरित न की जा सकी।

3. 25 कर्मचारियों में से 6 कर्मचारियों, जिन्हें बी.ओ.जी.एल. के प्रबंधन द्वारा वी.एस.एस. हेतु अनुमोदित नहीं किया गया था, ने दिनांक 21-11-2009 के अपने अभ्यावेदन में सरकार से उन्हें अब यह लाभ देने का अनुरोध किया है।

4. 26 कर्मचारियों के एक दूसरे समूह ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष वर्ष 2008 में, यह कहते हुए कि उन्होंने वी.एस.एस. लाभ के लिए निर्धारित अवधि में आवेदन किया था, वी.एस.एस. लाभ दिए जाने हेतु एक रिट याचिका फाइल की थी। परन्तु, ओ.एल. के जरिए कंपनी के रिकार्ड के निरीक्षण पर यह पाया गया कि उनके आवेदन कंपनी के कार्मिक विभाग में प्राप्त नहीं हुए हैं।

एन.एफ.एल. में निवेश

3403. श्री वरुण गांधी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार क्षमता संवर्द्धन हेतु नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एन.एफ.एल.) में निवेश बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ग) नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड (एन.एफ.एल.) ने विजयपुर इकाइयों में ऊर्जा बचत और क्षमता वृद्धि परियोजनाएं शुरू की हैं। विजयपुर-I और विजयपुर-II की संस्थापित यूरिया क्षमता 1729200 मी.टन से बढ़कर 2066130 मी.टन प्रति वर्ष हो जाएगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 900 करोड़ रुपए है जिसका निधीयन एन.एफ.एल. द्वारा आंतरिक स्रोतों और वाणिज्यिक उधारी से किया जाएगा।

एन.एफ.एल. पानीपत, भठिण्डा और नांगल स्थित अपने तीन उच्च लागत वाले ईंधन तेल आधारित संयंत्रों को 4064 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर कम लागत वाले प्राकृतिक गैस आधारित संयंत्रों में बदलने का कार्य भी कर रहा है। तथपि, इन संयंत्रों में यूरिया की संस्थापित क्षमता 15,01,500 मी.टन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इन परिवर्तन परियोजनाओं का निधीयन एन.एफ.एल. द्वारा 95% तक वाणिज्यिक उधारी से और शेष निधीयन आंतरिक स्रोतों से किया जाएगा।

केरल में उप-नगरीय सेवाएं

3404. श्री एंटो एंटोनी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को केरल सरकार से राज्य में उप-नगरीय सेवाएं (एम.ई.एस.यू.) आरंभ करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। प्रस्ताव की जांच की गई लेकिन फिलहाल व्यावहारिक नहीं पाया गया।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों में खान-पान सुविधाएं

3405. श्री अधीर चौधरी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने रेलगाड़ियों में खान-पान की सुविधाओं में सुधार हेतु वर्ष 2009-10 के रेल बजट में किए गए विभिन्न प्रावधानों को क्रियान्वित करना आरंभ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान इस पर कितना व्यय होने का अनुमान है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। खानपान सेवाओं, जैसा कि 2009-10 के रेल बजट में घोषणा की गई थी, में सुधार करने की कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है जो निम्नानुसार है:-

(i) बेहतर गुणवत्ता तथा स्वास्थ्यप्रद भोजन की व्यवस्था हेतु समुचित समन्वय सुनिश्चित करना।

(ii) जनता भोजन की उपलब्धता में सुधार करना।

(iii) अफॉर्डेबल भोजन की बिक्री के लिए जनाहार कैफेटेरिया खोलना।

(iv) बेस किचनों, मोबाइल खानपान यूनिटों तथा स्टालों में गुणवत्ता नियंत्रण उपाय शुरू किए गए हैं।

(v) पेंट्री कारों तथा उपस्करों का समुचित अनुरक्षणा।

(vi) भोजन की गुणवत्ता में सुधार विशेषकर मोबाइल खानपान यूनिटों में तथा जहां निष्पादन असंतोषजनक पाया जाता है, उन लाइसेंसधारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करना।

(vii) खानपान नीति की समीक्षा की जाती है।

[अनुवाद]

नीलाम्बर रेलवे स्टेशन पर बुकिंग कार्यालय

3406. श्री एम.आई. शानवास: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे केरल के नीलाम्बर रेलवे स्टेशन पर बुकिंग कार्यालय हेतु एक नए भवन के निर्माण की योजना बना रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस रेलवे स्टेशन पर कौन-सी अन्य यात्री सुविधाएं प्रदान किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) नीलाम्बर रोड रेलवे स्टेशन के सामने नए बुकिंग कार्यालय के निर्माण की व्यावहारिकता की जांच की गई। इस स्टेशन पर स्वीकृत अन्य निर्माण कार्य/सुविधाओं में नए प्रतीक्षालय, कंप्यूटरीकृत उद्घोषणा प्रणाली, प्लेटफार्म सं. 1 पर शेल्टर (4 बे वाला) और ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था करना शामिल है।

इंटरसिटी एक्सप्रेस रेलगाड़ी

3407. श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को गुजरात सरकार से गांधीधाम-अहमदाबाद अथवा गांधीधाम-बड़ोदरा इंटरसिटी एक्सप्रैस रेलगाड़ी आरंभ करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यारा क्या है; और

(ग) रेलवे द्वारा इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) गांधीधाम-अहमदाबाद/वडोदरा के बीच गाड़ियां चलाने के संबंध में विभिन्न क्षेत्रों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इस मामले की जांच की गई लेकिन परिचालनिक कठिनाइयों तथा संसाधनों की तंगी के कारण ऐसा करना फिलहाल व्यवहारिक नहीं पाया गया।

बहरहाल, 2009-10 के रेल बजट में अहमदाबाद-वडोदरा के रास्ते 2937/2938 गांधीधाम-हावड़ा एक्सप्रेस (साप्ताहिक) की घोषणा की गई है।

प्राकृतिक गैस का निर्यात

3408. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में कतिपय देशों को कंपनी-वार और देश-वार कितनी मात्रा में प्राकृतिक गैस का निर्यात किया गया; और

(ख) इस अवधि के दौरान सरकार द्वारा इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) भारत से प्राकृतिक गैस का कोई निर्यात नहीं किया जाता।

(ख) उपरोक्त (क) की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मार्कर प्रणाली का आरंभ किया जाना

3409. श्री राधा मोहन सिंह: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देशभर के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल-डीजल में अपमिश्रण को रोकने के लिए मार्कर प्रणाली को पुनः प्रारंभ करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपभोक्ताओं को इससे कब तक लाभ पहुंचने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (ग) जी हां। एक नए और कारगर मार्कर चयन की प्रक्रिया सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज) द्वारा प्रक्रियाधीन है। तेल

उद्योग की ओर से, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (अनुसंधान व विकास) ने नई मार्कर प्रणाली के प्रापण के लिए वैश्विक स्तर पर निविदा जारी की है। तेल उद्योग को ऐसा कोई पक्षकार नहीं मिला जिसने पूर्णत: में निविदा मांग को पूरा करते हुए मार्कर निविदा का प्रत्युत्तर दिया हो और इस प्रकार कोई भी मार्कर प्रणाली अपने वर्तमान रूप में क्रियान्वयन के लिए स्वीकार नहीं की जा सकी।

मंत्रालय ने तेल उद्योग को सलाह दी है कि 3 से 4 माह की अवधि के बाद निविदा को पुन: जारी किया जाए, ताकि तब तक कुछ निर्माता मांग के अनुरूप प्रणाली विकसित करने में सक्षम हो सकें। इसके अलावा तेल उद्योग को भारतीय पेट्रोलियम संस्थान (आई.आई.पी.), देहरादून, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान (आई.आई.टी.), वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.), आदि जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ परामर्श करके अनुसंधान व विकास द्वारा स्वदेशी रूप से उत्पादित एक मार्कर को विकसित करने की संभावना तलाशने की भी सलाह दी गई है।

रेलवे में सुरक्षा उपाय

3410. श्री एन.एस.वी. चित्तन:
श्री पूर्णमासी राम:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे सुरक्षा आयुक्तों की विभिन्न रिपोर्टों पर रेलवे द्वारा किए गए सुरक्षा उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रेलवे में सुरक्षा से संबंधित लगभग 90,000 पद रिक्त हैं;

(ग) यदि हां, तो इन सभी पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या जोनल रेलवे द्वारा आयोजित सुरक्षा शिविर सफलतापूर्वक नहीं चल रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) रेलवे कौन-कौन से अन्य सुरक्षा कार्यक्रमों को आरंभ करने की योजना बना रहा है; और

(छ) कर्मचारियों के मानव संसाधन विकास हेतु अब तक क्या कदम उठाए गए हैं तथा इस दिशा में क्या परिणाम प्राप्त हुआ है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) रेल संरक्षा आयुक्तों की सिफारिशों पर रेलों द्वारा किए गए संरक्षा उपायों में सभी संरक्षा कोटि कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण पर बल सहित जिम्मेदार ठहराए गए कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई तथा उनके द्वारा अनुशंसित निवारक कार्रवाई करना शामिल है।

रेलों द्वारा किए गए कुछ अन्य महत्वपूर्ण संरक्षा उपायों में गतायु परिसंपत्तियों के समय पर बदलाव हेतु ठोस प्रयास, रेलपथ, चल स्टाक, सिगनल एवं अंतर्पाशन प्रणालियों, संरक्षा उपकरणों के उन्नयन और अनुरक्षण के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियां अपनाना तथा संरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए कर्मचारियों को जागरुक करने के लिए नियमित अंतरालों पर निरीक्षण करना शामिल हैं।

(ख) और (ग) 31-03-09 को, संरक्षा संबंधित 89204 पद खाली पड़े हुए हैं। नीतिनुसार, रेल प्रशासन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार खाली रिक्तियों को तत्परतापूर्वक भरने के प्रयास करते हैं। तीव्रतर चयन करने के लिए विशेष बल दिया जाता है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) आरंभ किए जा रहे कार्यक्रमों में आधुनिकीकरण सहित परिसंपत्तियों का समय पर पुनर्स्थापन, नवीकरण तथा बदलाव और प्रौद्योगिकीय उन्नयन तथा रेल अवसंरचना आदि संवर्धन हेतु क्षमता बढ़ाना शामिल है।

(छ) प्रशिक्षण को उच्च प्राथमिकता दी जाती है तथा संरक्षा कोटि के कर्मचारियों के ज्ञान, कौशल तथा क्षमता स्तर में सुधार करने के लिए सुव्यवस्थित प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित हैं। प्रौद्योगिकी में बदलाव के अनुसार प्रशिक्षण मॉड्यूलों को आवधिक रूप से संशोधित किया जाता है।

[अनुवाद]

आर.ओ.बी./आर.यू.बी. की मरम्मत

3411. श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े:
श्री ए.टी. नाना पाटील:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुंबई में हाल ही में लोकल ट्रेन पर एक उपरिपुल गिर गया था;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्यौरा क्या है तथा इसमें कितने व्यक्ति हताहत हुए;

(ग) देश में उन आर.ओ.बी./आर.यू.बी. का जोन-वार ब्यौरा क्या है जिनका मियाद पूरी हो चुकी है;

(घ) उन पुराने आर.ओ.बी./आर.यू.बी. की मरम्मत संबंधी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, जो निर्धारित समय-सारणी से पीछे चल रहे हैं तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। 23-10-2009 को 10.45 बजे स्थानीय गाड़ी संख्या के-37 मध्य रेलवे के मुंबई मंडल के मुलुंड और ठाणे स्टेशनों के बीच नगर निगम थाणे के निर्माणाधीन ऊपरी सड़क पुल के कंक्रीट गर्डर के गिर जाने के कारण पटरी से उतर गई। गर्डर के गिर जाने के कारण निकटवर्ती पाइप लाइन भी क्षतिग्रस्त हो गयी। इस दुर्घटना में गाड़ी के मोटर मैन तथा एक यात्री की मृत्यु हुई, 4 व्यक्तियों को गंभीर रूप से चोटें आईं तथा 8 को मामूली चोटें आईं।

(ग) भारतीय रेल पर ऐसा कोई ऊपरी सड़क पुल/निचला सड़क पुल नहीं है, जिसने अपनी जीवनकाल पुरा कर लिया है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

सरकारी/निजी क्षेत्र को तेल क्षेत्रों का आवंटन

3412. श्री अनंत कुमार हेगड़े:
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी तथा निजी क्षेत्र की कंपनियों को तेल के अन्वेषण हेतु आवंटित तेल क्षेत्रों में अभी भी तेल का उत्पादन नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी तथा निजी क्षेत्र की कितनी कंपनियों को तेल क्षेत्र आवंटित किए गए हैं तथा कितने तेल क्षेत्रों में निबंधन एवं शर्तों के अनुसार तेल का उत्पादन हो रहा है;

(ग) क्या निबंधन एवं शर्तों के उल्लंघन के लिए इन कंपनियों को दंडित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो दंड का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या वित्तीय घाटे के लिए देश में तेल के कम उत्पादन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) लघु और मध्यम आकार के फील्ड दौरों के तहत कुल 24 तेल फील्ड दिए गए थे। इनमें से एक छोटे आकार के फील्ड को छोड़ दिया गया है और छोटे आकार के दो फील्डों से तेल उत्पादन अभी शुरू होना है। निजी/संयुक्त उद्यमों के तहत शेष 21 क्षेत्रों के लिए तेल का उत्पादन किया जा रहा है।

(ग) से (च) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि किसी पी.एस.सी. शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

विद्युत परियोजना हेतु गैस का आवंटन

3413. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहान:
श्री गुथा सुखेन्द्र रेड्डी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की गुजरात राज्य सरकार से पीपावाव विद्युत परियोजना हेतु 3.15 एम.सी.एम.डी. गैस तथा आन्ध्र प्रदेश सरकार से करीम नगर जिले में विद्युत परियोजना हेतु 9.5 एम.एम.एस.सी.एम.डी. गैस के आवंटन का अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) जी हां।

(ख) गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तावित पीपावाव विद्युत परियोजना के लिए 3.15 एम.एम.एस.सी.एम.डी. की आपूर्ति के लिए दिनांक 2-9-2009 को केन्द्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है और आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने

आन्ध्र प्रदेश के करीमनगर जिले के नेदुनूर गांव में प्रस्तावित 2100 एम.डब्ल्यू. की संयुक्त चक्रीय विद्युत परियोजना के लिए 8 एम.एम.एस.सी.एम.डी. प्राकृतिक गैस के आबंटन हेतु एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है।

(ग) यह निर्णय लिया गया है कि जब भी ये परियोजनाएं उत्पादन आरंभ करने के लिए तैयार हो जाएंगी, गैस उपलब्ध रहने की शर्त पर, इन परियोजनाओं को के.जी. डी6 क्षेत्रों से गैस का अपेक्षित आबंटन कर दिया जाएगा।

बुनकरों तथा शिल्पकारों हेतु बीमा

3414. श्री नीरज शेखर:

श्री जय प्रकाश अग्रवाल:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बुनकरों तथा शिल्पकारों हेतु कोई स्वास्थ्य बीमा नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में लाभ-भोगियों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ग) बुनकरों तथा शिल्पकारों को और अधिक संख्या में इस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए प्रक्रिया को सुचारू बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) भारत सरकार देश में हथकरघा बुनकरों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना तथा शिल्पकारों के लिए राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना कार्यान्वित कर रही है।

(ख) भारत सरकार हथकरघा बुनकरों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना कार्यान्वित कर रही है। इस योजना में न केवल बुनकर बल्कि उसकी पत्नी और दो बच्चे भी कवर किए जाते हैं। यह योजना सभी पहले से मौजूद रोगों और नए रोगों को कवर करती है। प्रति परिवार वार्षिक सीमा 15000 रुपये है जिसमें से 7500 रुपये ओ.पी.डी. कवर के लिए होते हैं। कुल वार्षिक प्रीमियम 896 रुपये सेवा कर 10.3 प्रतिशत की दर से है जिसमें से भारत सरकार द्वारा 809.10 रुपये सेवा कर वहन किया जाता है और 179.20 रुपये का अंश दान हथकरघा बुनकर/ राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। विगत तीन वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान योजना के तहत कवर किए गए राज्य-वार लाभार्थी इस प्रकार से है:-

राज्य का नाम	स्वास्थ्य बीमा योजना में कवर लाभार्थी			
	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (अक्तूर, 2009 तक)
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	34831	127594	121481	33485
अरुणाचल प्रदेश	2133	12318	16590	1292
असम	-	464635	445947	-
बिहार	-	7783	31226	10712
छत्तीसगढ़	82	-	3722	258
दिल्ली	-	289	-	-
गुजरात	1170	1341	3725	723
हरियाणा	-	-	25977	4188
हिमाचल प्रदेश	316	-	10940	1775

1	2	3	4	5
जम्मू और कश्मीर	89	-	517	271
झारखण्ड	661	23000	24600	5843
कर्नाटक	20000	40437	44600	11880
केरल	4703	5974	12779	3860
मध्य प्रदेश	822	21368	16601	499
महाराष्ट्र	-	-	1523	891
मणिपुर	7455	18866	44507	58
मेघालय	-	17000	33822	1352
मिजोरम	-	-	187	168
नागालैण्ड	-	-	32677	3956
उड़ीसा	21331	45812	47872	9651
राजस्थान	2395	2047	5765	3691
सिक्किम	-	-	118	-
तमिलनाडु	143890	284646	289023	47747
त्रिपुरा	62	24003	39444	-
उत्तर प्रदेश	88372	431921	371617	28322
उत्तराखंड	5299	-	6161	1406
पश्चिम बंगाल	67516	245000	246913	39201
कुल	401127	1774034	1878334	211229

राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना जो हस्तशिल्प के शिल्पियों के लिए कार्यान्वित की गई है, का उद्देश्य शिल्पी परिवार के चार सदस्यों जिसमें वह स्वयं और उसकी पत्नी, बच्चे तथा आश्रित माता-पिता में से किन्हीं तीन सदस्य सहित स्वास्थ्य और बीमा कवर प्रदान करना है। यह योजना 15000 रुपये की चिकित्सा कवरेज जिसमें ओ.पी.डी. 7500 रुपये सम्मिलित है, कैशलेश सुविधा और पहले से मौजूद रोगों के लिए कवर प्रदान किया जाता है। दुर्घटना से मृत्यु/बीमित शिल्पी की विकलांगता के लिए 1.00 लाख रुपये का बीमा कवरेज भी उपलब्ध कराया जाता है। योजना के अंतर्गत कुल वार्षिक प्रीमियम 897 रुपये + सेवा कर 10.3 प्रतिशत की दर से अर्थात् 92.40 रुपये है। सामान्य श्रेणी के शिल्पी को 200 रुपये का अंशदान देना होता है जबकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों और पूर्वोत्तर समुदाय के लोगों को केवल 100 रुपये का अंशदान देना होता है। भारत सरकार लागू दरों सेवा कर सहित वार्षिक प्रीमियम को शेष धनराशि का अंशदान करेगी। विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वित्त वर्ष के दौरान योजना के अंतर्गत कवर किए गए राज्य-वार लाभार्थियों की संख्या इस प्रकार है:-

राज्य का नाम	राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना में कवर लाभार्थी			
	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 (अक्तूर, 2009 तक)
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	3865	19097	41152	14169
अरुणाचल प्रदेश	170	1336	4417	2688
असम	2894	157343	233042	24765
बिहार	1654	6021	8667	8591
छत्तीसगढ़	242	930	1664	2592
दिल्ली	439	1934	4174	3495
गुजरात	6280	4353	30652	4054
गोवा	318		937	1118
हरियाणा	822	1754	3931	3602
हिमाचल प्रदेश	1130	1105	2876	1795
जम्मू और कश्मीर	1710	15333	16580	11101
झारखण्ड	1342	3055	5697	4838
कर्नाटक	1442	15034	19429	3967
केरल	1804	11247	17433	9190
मध्य प्रदेश	1149	4937	7531	5272
महाराष्ट्र	987	-	6067	4717
मणिपुर	3487	44876	79841	4659
मेघालय	184	7341	14511	4406
मिजोरम	150	186	681	1226
नागालैण्ड	925	1957	5047	3295
उड़ीसा	2611	5654	10994	8344
पांडिचेरी	180	3262	-	-
पंजाब	687	6646	15783	4830

1	2	3	4	5
राजस्थान	2777	11102	17222	6923
सिक्किम	123	316	4568	1495
तमिलनाडु	3549	26360	33269	9936
त्रिपुरा	441	12443	23803	12218
उत्तर प्रदेश	4945	298074	272276	33917
उत्तराखण्ड	2269	5996	7014	4511
पश्चिम बंगाल	3343	214108	125152	11052
कुल	51919	882000	1010300	212766

(ग) इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों की सुविधा के लिए राज्य सरकारों को योजना में लाभार्थियों द्वारा भाग लिए जाने को सुग्राही बना कर योजना का कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से जुड़ा रहना अपेक्षित है। आई.सी.आई.सी.आई. लोंबार्ड इन्श्यूरेंस कम्पनी लि. नामक क्रियान्वयी एजेंसी को अनुदेश दिए गए हैं कि वे देश भर के बुनकरों में योजना को देशी भाषा में जानकारी देकर अनेक प्रकार से लोकप्रिय बनाए हेतु सभी कदम उठाएं। क्रियान्वयी एजेंसी राज्य सरकारों के सहयोग से नियमित रूप से स्वास्थ्य शिविर तथा जागरुकता शिविर लगा रही है।

[हिन्दी]

गैर-सरकारी संगठनों को धनराशि का आवंटन

3415. श्री यशवंत लागुरी:

श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हस्तशिल्प आयुक्त ने उन गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) के कार्यकरण की समीक्षा की है, जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न हस्तशिल्प योजनाओं के अंतर्गत धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे गैर-सरकारी संगठन कौन-कौन से हैं जिन्हें अन्य प्रयोजनों हेतु धनराशि अन्यत्र उपयोग करते हुए पाया गया; और

(ग) इस प्रकार के कदाचार पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या रणनीति तैयार की गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) हस्तशिल्प क्षेत्र में भारत सरकार की किसी भी स्कीमों के तहत् परियोजनाओं के निष्पादन में गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकरण की नियमित समीक्षा क्रियान्वयनाधीन क्रियाकलाप के भौतिक निरीक्षण के माध्यम से की जाती है। तथापि, किसी भी स्कीम के तहत् परियोजना के कार्यान्वयन हेतु गैर-सरकारी संगठन के चयन स्तर पर वस्तुगत श्रेणीकरण की पद्धति को अपनाया जाता है जो काफी लम्बे समय से प्रचलन में है।

(ख) सरकार की जानकारी में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है जिसमें गैर-सरकारी संगठनों द्वारा निधियों का प्रयोग परियोजना के क्रियान्वयन के स्थान पर अन्य प्रयोजनों के लिए अन्यत्र उपयोग करते हुए पाया गया हो।

(ग) उक्त 'ख' के संबंध में प्रश्न नहीं उठता।

गया तक विमान संपर्क

3416. श्री हरि मांझी:

श्री कौशलेन्द्र कुमार:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली से गया तक विमान संपर्क प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) यातायात की मांग तथा वाणिज्यिक व्यावहार्यता को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट स्थानों के लिए विमान सेवायें उपलब्ध कराना एयरलाइनों पर निर्भर करता है।

(ख) तथा (ग) सरकार ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में विमान परिवहन सेवाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विमान परिवहन सेवाओं के बेहतर विनियमन को प्राप्त करने के उद्देश्य से मार्ग संवितरण मार्गदर्शी-सिद्धांत निर्धारित किए हैं। इस तरह, एयरलाइनें सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए देश में कहीं पर भी प्रचालन सेवा करने के लिए स्तवंत्र हैं।

तेल डिपो

3417. श्रीमती भावना पाटील गवली: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र के जनजातीय क्षेत्रों में स्थित विभिन्न तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सी.) के तेल डिपुओं का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त डिपुओं की जिला-वार भंडारण क्षमता कितने टन है; और

(ग) रोजगार सृजन और अपने संबंधित क्षेत्रों तथा निकटवर्ती क्षेत्रों के समेकित विकास में उक्त डिपुओं तथा तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सी.) का क्या योगदान है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) महाराष्ट्र में जनजातीय आबादी वाले जिलों में तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज) के डिपुओं की भंडारण क्षमता तथा उनके जिलेवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार, ढुलाई ठेका, सुरक्षा कार्मिकों के ठेके, परिवहन ठेके आदि जैसे अप्रत्यक्ष रोजगार देकर लाभ पहुंचाया जाता है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, स्थानीय लोगों को, आपूर्ति स्थल से निकटता होने के कारण पेट्रोलियम उत्पादों की समय पर आपूर्ति करके भी लाभ पहुंचाया जाता है।

महाराष्ट्र के जनजातीय क्षेत्रों में तेल विपणन कंपनियों के डिपुओं की भंडारण क्षमता तथा उनके जिलावार ब्यौरे:-

इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड

जिले का नाम	स्थल का नाम	टैंकेज क्षमता (मीटरी टनों में)
चन्द्रपुर	टडाली	14400

भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड

जिले का नाम	स्थल का नाम	टैंकेज क्षमता (मीटरी टनों में)
नासिक	पनेवाडी	267249
नागपुर	बोरखेड़ी	14620

[अनुवाद]

केजी बेसिन पेट्रोलियम से लाभ

3418. श्री रामसिंह राठवा: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वडोदरा के गुजरात तेलशोधन संयंत्र से हाल ही में लाभ की प्रथम किस्त प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो दशकों में प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में कच्चे तेल तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन में वडोदरा के गुजरात तेलशोधन संयंत्र का हिस्सा कितना रहा;

(ग) वडोदरा के गुजरात तेलशोधन संयंत्र की तुलना में जामनगर एस्सार तथा रिलायंस तेल शोधन संयंत्रों द्वारा दर्शाए गए लाभ के हिस्से में कितना अंतर है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) वडोदरा की गुजरात रिफाइनरी कच्चे तेल का उत्पादन नहीं करती। यह रिफाइनरी विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों को उत्पादित करने के लिए

स्वदेशी और आयातित कच्चे तेल का प्रसंस्करण करती है। भारत सरकार को दिये जाने वाले लाभ का अंशदान लाभांश के रूप में होता है, जो अकेले केवल गुजरात रिफाइनरी के लाभों के आधार पर न होकर इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल.) के नैगम लाभों के रूप में होता है। आई.ओ.सी.एल. द्वारा वर्ष 1991 से 2008 तक पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन के संबंध में गुजरात रिफाइनरी का हिस्सा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जामनगर स्थित एस्सार और रिलायंस रिफाइनरियां चूंकि निजी क्षेत्र की रिफाइनरियां हैं, इसलिए जानकारी उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण

वर्ष	गुजरात रिफाइनरी के कुल प्रमुख उत्पाद (ह.मी.ट.)	आई.ओ.सी. के कुल प्रमुख उत्पाद (ह.मी.ट.)	(3) की तुलना में (2) का %
(1)	(2)	(3)	(4)
1991	8779.4	22344.1	39.3
1992	9329.7	21764.3	42.9
1993	8796.8	22284.5	39.5
1994	8993.6	22984.7	39.1
1995	9299.4	23352.5	39.8
1996	9507.5	22186.1	42.9
1997	9868.5	24813.2	39.8
1998	10134.4	26894.2	37.7
1999	10002.0	29326.4	34.1
2000	11775.1	30669.8	38.4
2001	10780.0	30757.9	35.0
2002	11598.8	31736.1	36.5
2003	11688.0	33535.2	34.9
2004	11978.7	34625.2	34.6
2005	10019.4	33904.1	29.6
2006	11726.0	37424.5	31.3
2007	12189.3	41163.9	29.6
2008	12773.7	43131.7	29.6

[हिन्दी]

चौकीदार रहित रेलवे क्रासिंग

3419. श्री गोरखनाथ पाण्डेय: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद और वाराणसी के बीच भदोही जिले में चौकीदार रहित दर्जनों क्रासिंग्स को चौकीदार वाले रेलवे क्रासिंग्स में बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ किन-किन स्थानों की पहचान की गयी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। रेलवे ने बिना चौकीदार वाले 2 समपारों की चौकीदार तैनात करने हेतु पहचान की है। ये हैं - कटका और माधो सिंह स्टेशनों के बीच रेलवे कि.मी. 244/9-245/0 और 246/9-247/0 पर स्थित समपार संख्या 25सी और 26सी। इन पर मार्च, 2010 तक चौकीदार तैनात किए जाने का लक्ष्य है।

(ग) भदोही जिले में बिना चौकीदार वाले 9 और समपार हैं। यहां गाड़ी वाहन इकाई (टी.वी.यू.) घनत्व कम है। ये गाड़ी वाहन इकाइयों (टी.वी.यू.) वाले हैं। अतः चौकीदार तैनात करने का कोई औचित्य नहीं बनता।

[अनुवाद]

मौलाना आजाद शिक्षा फाउंडेशन

3420. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार:
श्री नरहरि महतो:

क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान मौलाना आजाद शिक्षा फाउंडेशन (एम.ए.ई.एफ.) द्वारा उन गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) को स्वीकृत किए गए अनुदान का राज्यवार ब्यौरा क्या है जो कि मुस्लिम अल्पसंख्यक संस्थाएं/संगठन नहीं है;

(ख) सरकार द्वारा उन संगठनों के चयन के लिए क्या मापदंड अपनाये गए हैं, जिन्हें उक्त योजनाओं के अंतर्गत अनुदान स्वीकृत किए गए हैं;

(ग) क्या गैर-मुस्लिम संस्थाओं को अनुदान देने की अनुमति है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रावधान का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे संगठनों को स्वीकृत किए गए कुल अनुदान का प्रतिशत क्या है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (घ) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान द्वारा ऐसे संस्थानों की व्यवस्था से जुड़े गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान स्वीकृत किया जाता है जिन संस्थानों में अन्य बातों के साथ-साथ शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यक लाभार्थियों की संख्या 50% से अधिक हो और अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा किया जाता हो। पात्रता मानदंड प्रतिष्ठान की वेबसाइट www.maef.nic.in पर उपलब्ध हैं। सहायता अनुदान पात्रता मानदंड में निर्धारित शर्तों को पूरा करने के आधार पर स्वीकृत किया जाता है न कि संस्थान की व्यवस्था देख रहे व्यक्तियों और/अथवा संस्थान की धार्मिक संबद्धता के आधार पर। प्रतिष्ठान द्वारा सहायता अनुदान स्वीकृत गैर-सरकारी संगठनों की सूची वेबसाइट www.maef.nic.in पर उपलब्ध है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

ओमान ऑयल कंपनी द्वारा बी.पी.सी.एल. में निवेश

3421. श्री तथागत सत्पथी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओमान ऑयल कंपनी का विचार भारत पेट्रोलियम निगम लि. (बी.पी.सी.एल.) में अतिरिक्त धनराशि का निवेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में हाल ही में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (घ) जी नहीं। ओमान ऑयल

कंपनी (ओ.ओ.सी.) का भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बी.पी.सी.एल.) में अतिरिक्त राशि निवेश करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

तथापि, ओ.ओ.सी., संबद्ध कच्चा तेल आयात सुविधाओं तथा राष्ट्रपार कच्चा तेल पाइपलाइन सहित बीना, मध्य प्रदेश में बी.पी.सी.एल. और ओ.ओ.सी. द्वारा संयुक्त रूप से प्रोन्नत, भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड (बी.ओ.आर.एल.) में अतिरिक्त निवेश करने का प्रस्ताव कर रही है। ओ.ओ.सी. द्वारा बी.ओ.आर.एल. में 1220 करोड़ रुपए के निवेश के संबंध में बी.पी.सी.एल., बी.ओ.आर.एल. तथा ओ.ओ.सी. ने 15-11-2009 को ओमान में एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं, जो 75.50 करोड़ रुपए के उनके वर्तमान निवेश के अलावा है, इससे इस परियोजना में ओ.ओ.सी. का कुल निवेश 1295.50 करोड़ रुपए तक हो जाएगा।

[हिन्दी]

नए स्टाफ की भर्ती

3422. श्रीमती मीना सिंह:
श्री विश्व मोहन कुमार:
श्रीमती श्रुति चौधरी:
श्री संजय सिंह चौहान:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने नए स्टाफ की भर्ती पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नई भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित करने के लिए नोटिस कब तक जारी किए जाने की संभावना है;

(घ) प्रत्येक जोन में पद-वार कितनी रिक्तियां हैं;

(ङ) कितने उम्मीदवारों की भर्ती किए जाने की संभावना है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) रेलवे भर्ती बोर्ड के कार्यकरण को सुचारू बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) भर्ती प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी तथा निष्पक्ष बनाने के लिए इसे सुप्रवाही बनाया गया है। भर्ती के लिए नई अधिसूचनाएं शीघ्र जारी करना एक सतत् तथा चालू प्रक्रिया है।

(घ) 31-03-2009 की स्थिति के अनुसार, क्षेत्रीय रेलों में रिक्तियों की संख्या नीचे दी गयी तालिका में दी गयी है:-

क्षेत्रीय रेलें	समूह "ग"	समूह "घ"	जोड़
मध्य रेलवे	7898	3304	11202
पूर्व रेलवे	10668	2065	12733
पूर्व मध्य रेलवे	10225	6817	17042
पूर्व तट रेलवे	6972	2735	9707
उत्तर रेलवे	14220	4793	19013
उत्तर मध्य रेलवे	8131	914	9045
पूर्वोत्तर रेलवे	5202	491	5693
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	6961	1914	8875
उत्तर पश्चिम रेलवे	5400	1875	7275
दक्षिण रेलवे	9794	-1936	7858
दक्षिण मध्य रेलवे	8383	2086	10469

क्षेत्रीय रेलें	समूह "ग"	समूह "घ"	जोड़
दक्षिण पूर्व रेलवे	8185	3376	11561
द.पू.म. रेलवे	8189	1677	9866
दक्षिण पश्चिम रेलवे	5949	2600	8549
पश्चिम रेलवे	4779	6052	10831
पश्चिम मध्य रेलवे	5217	3173	8390
जोड़	126173	41936	168109

(ङ) समूह "ग" तथा समूह "घ" में उम्मीदवारों की भर्ती प्रक्रिया विभिन्न क्षेत्रीय रेलों तथा रेल भर्ती बोर्डों में अलग-अलग चरणों में है।

(च) यह विनिश्चय किया गया है कि सभी रेल भर्ती बोर्डो द्वारा किसी एक पद विशेष के लिए एक साथ एक ही तिथि को परीक्षा आयोजित की जायेगी तथा रेल भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र हिन्दी, उर्दू तथा अंग्रेजी के अलावा, भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध उस स्थानीय भाषा (भाषाओं), जो उस रेल भर्ती बोर्ड के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हो, में भी बनाए जाएंगे।

इंदौर मंडल में रेल परियोजनाएं

3423. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंदौर मंडल में नई रेल लाइनों, रेललाइनों के दोहरीकरण और आमान परिवर्तन तथा रेल लाइनों के विद्युतीकरण के कार्य का ब्यौरा क्या है तथा इन परियोजनाओं के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या रेलवे को इंदौर मंडल में राजेन्द्र नगर में नया रेलवे स्टेशन विकसित करने का कोई प्रस्ताव मिला है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त प्रस्ताव को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) इंदौर में कोई रेल मंडल नहीं है। इंदौर रतलाम मंडल का हिस्सा है। इंदौर से संबंधित तीन चालू परियोजनाएं हैं। दाहोद-इंदौर नई लाइन, रतलाम-महू-खंडवा-अकोला खंड का आमान परिवर्तन और उज्जैन-इंदौर लाइन का विद्युतीकरण। विद्युतीकरण परियोजना को 31-03-2010 तक पूरा करने का लक्ष्य है। अन्य परियोजनाएं आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार पूरी की जाएंगी।

(ख) से (घ) दाहोद-इंदौर नई लाइन परियोजना के भाग के रूप में न्यू राजेन्द्रनगर स्टेशन की योजना बनायी गयी थी। चूंकि रतलाम-अकोला का आमान परिवर्तन कार्य शुरू किया गया है और मौजूदा स्टेशन रऊ और राजेन्द्रनगर बड़ी लाइन स्टेशन में परिवर्तित हो जाएंगे, अतः न्यू राजेन्द्रनगर स्टेशन की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी।

[अनुवाद]

विमानपत्तनों पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं

3424. श्री एल. राजगोपाल:

श्री गजानन ध. बाबर:

श्रीमती सुशीला सरोज:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नई ग्राउंड हैंडलिंग नीति तैयार करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने छः प्रमुख मेट्रो विमानपत्तनों पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं शुरू करने के लिए केवल तीन एजेंसियों को अनुमति देने संबंधी एक प्रस्ताव स्वीकृत किया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह महानगरों में विमानपत्तनों पर अंतर्राष्ट्रीय मानक कायम करने और ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं से जुड़ी एजेंसियों की संख्या को सीमित करने में किस हद तक सहायक रही है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क), (ख) और (ङ) जी, हां। एयरलाइन आपरेटरों ने नई ग्राउंड हैंडलिंग नीति के बारे में अपनी-अपनी चिंताएं जताई थीं। सरकार द्वारा इस मामले की छानबीन की गई थी और यह निर्णय लिया गया था कि घरेलू एयरलाइनों सहित गैर-अधिकार प्राप्त निकायों को केवल तभी बाहर किया जाएगा जब व्यापक समीक्षा कर ली जाएगी और अंतर-मंत्रालयीय विचार-विमर्श कर लिया जाएगा।

(ग) और (घ) जी, हां। महानगरीय हवाई अड्डे अर्थात दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बैंगलोर और हैदराबाद के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए थे:

(i) संबंधित हवाई अड्डा आपरेटर स्वयं अथवा इसके संयुक्त उद्यम भागीदार।

(ii) एयर इंडिया और इसकी सहायक कंपनियां/संयुक्त उद्यम कंपनियां जो ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं में विशेषज्ञता प्राप्त कंपनियां हैं। इन सहायक कंपनियों को तृतीय पक्ष हैंडलिंग की अनुमति भी होगी।

(iii) हवाई अड्डा आपरेटर द्वारा प्रतिस्पर्धी बोलियों के माध्यम से चयनित कोई अन्य ग्राउंड हैंडलिंग सेवा कंपनी।

एंड्रयू यूले एंड कंपनी लिमिटेड का विनिवेश

3425. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** एंड्रयू यूले एंड कंपनी लिमिटेड का विनिवेश के बारे में 06 अगस्त, 2009 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4511 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एस.बी.आई. कैपिटल मार्किट लि. को टाइड वाटर ऑयल कंपनी लि. में एंड्रयू यूले एंड कंपनी लिमिटेड की हिस्सेदारी को विनिवेश प्रक्रिया में सहायता के लिए परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या एस.बी.आई. कैपिटल मार्किट लि. ने विनिवेश के लिए अपनी सलाह दी है/डाटा प्रस्तुत किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) विनिवेश प्रक्रिया को कब तक शुरू किए जाने और पूरा किए जाने की संभावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) (क) जी, नहीं। टाइड वाटर ऑयल कंपनि लि. (टी.डब्ल्यू.ओ.एल.) में एंड्रयू यूले एंड कंपनी लिमिटेड की हिस्सेदारी की विनिवेश प्रक्रिया में सहायता के लिए एस.बी.आई. कैपिटल मार्किट लि. का परामर्शदाता के रूप में चयन किया गया है। नियुक्ति आदेश अभी जारी किया जाना है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) विनिवेश प्रक्रिया आरंभ हो गई है और 8-12 माह में पूरी होने की संभावना है।

मुंबई में वस्त्र मिलें

3426. श्री संजय निरुपम: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मुंबई शहर में सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र के अंतर्गत कितनी वस्त्र मिलें अभी भी चल रही हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान मुंबई में कितनी वस्त्र मिलें बंद हो चुकी हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान मुंबई शहर में मिलों के बंद होने के कारण अपनी नौकरी गंवाने वाले इन कामगारों के पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) 30-9-2009 की स्थिति के अनुसार मुंबई में कुल 21 सूती/मानव-निर्मित फाइबर वस्त्र मिलें चल रही हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई भी मिल बंद मिल के रूप में पंजीकृत नहीं की गई है।

(ग) भारत सरकार वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना (टी.डब्ल्यू.आर.एफ.एस.) के तहत वस्त्र इकाई के किसी विशेष हिस्से अथवा संपूर्ण वस्त्र इकाई के स्थायी रूप से बंद होने के फलस्वरूप बेरोजगार हुए वस्त्र कामगारों को अंतरिम राहत प्रदान करती है। इस योजना के तहत सहायता केवल पात्र कामगारों को उन्हें किसी अन्य रोजगार

पाने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से देय है। कोई भी कामगार पात्र है बशर्ते वह किसी बंद वस्त्र इकाई में इसके बंद होने की तिथि से लागतार पांच वर्षों अथवा उससे अधिक समय से कार्यरत हो और वह 6-6-1985 से 1-4-1993 के बीच बंद हुई मिलों के लिए 2500 रु. प्रति माह के समतुल्य अथवा उसके बाद 3500 रु. अथवा उससे कम मजदूरी अर्जित कर रहा हो। उनके द्वारा संबंधित राज्य के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा चलाई जा रही भविष्य नधि में अंशदान किया गया हो।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती

3427. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के उपक्रमों (सी.पी.एस.यू.) के लिए यह अनिवार्य है कि वे एक वर्ष विशेष में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्त पदों पर उनकी भर्ती के लिए रोस्टर का रखरखाव करें;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार के उपक्रम ऐसे रोस्टर का रखरखाव नहीं कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के कौन-कौन से उपक्रमों ने नियमों का पालन नहीं किया है; और

(घ) सरकार का विचार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) (क) सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में भूतपूर्व सैनिकों तथा युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों के लिए आरक्षण समूह 'ग' में 14.5% तथा समूह 'घ' में 24.5% है। इसके अलावा सरकार ने केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को उन पदों की पहचान करने का परामर्श दिया है जहां भूतपूर्व सैनिकों को नियुक्त किया जा सके। इन पदों की एक विस्तृत सूची उनके वेतनमान तथा गुणात्मक अपेक्षाओं सहित रक्षा मंत्रालय के पुनर्वास महानिदेशालय को केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा भेजी जाती है, ताकि इन पदों के लिए उपयुक्त व्यक्तियों को प्रायोजित किया जाए। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों से अपेक्षा की जाती है कि भूतपूर्व सैनिकों को उनके सुरक्षा विभागों में पदों पर नियुक्ति के लिए वरीयता दें।

जब समूह 'ग' और समूह 'घ' पदों की आरक्षित रिक्तियां भरने के लिए स्थानीय रोजगार कार्यालय द्वारा उपयुक्त भूतपूर्व सैनिक उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं तो केन्द्रीय सरकारी उद्यमों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इन पदों पर उपयुक्त भूतपूर्व सैनिक के प्रायोजित करने के लिए महानिदेशालय (पुनर्वास) को लिखें।

(ख) से (घ) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में इन अनुदेशों के कार्यान्वयन की निगरानी केन्द्रीय सरकारी उद्यम के सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा की जाती है।

सरकारी क्षेत्र के उद्यम भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित किसी की रिक्ती को तब तक अनारक्षित नहीं करते हैं, जब तक कि रक्षा मंत्रालय के पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र नहीं दिया जाता है।

ट्रेनों में हरित शौचालय

3428. श्री निशिकांत दुबे: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ट्रेनों में हरित शौचालय बनाने जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह योजना कब तक कार्यान्वित की जाएगी तथा इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए किन-किन ट्रेनों की पहचान की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) भारतीय रेलवे सवारी डिब्बों में नियमित उपाय के रूप में इस प्रकार के प्रसाधनों को अपनाए जाने से पहले पर्यावरण अनुकूल ग्रीन टॉयलैट विकसित करने की प्रक्रिया में है। इस समय नई दिल्ली-रीवा एक्सप्रेस, हावड़ा-गुवाहाटी सरायघाट एक्सप्रेस, अहमदाबाद-पटना अजीमाबाद एक्सप्रेस और चेन्नई-जम्मू तवी-अंडमान एक्सप्रेस गाड़ियों में विभिन्न डिजाइनों के "ग्रीन टायलटों" पर फील्ड परीक्षण किया जा रहा है।

पश्चिम रेलवे द्वारा अर्जित राजस्व

3429. श्री हरिन पाठक: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात राज्य सरकार का पश्चिम रेलवे नेटवर्क के राजस्व अर्जन में प्रबल/प्रमुख अंशदान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पश्चिम रेलवे द्वारा ढोए जाने वाले मालभाड़े और यात्री यातायात में गुजरात के हिस्से में व्यापक बढ़ोत्तरी हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या रेलवे द्वारा गुजरात में रेल यातायात की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए अहमदाबाद में एक पृथक उप-जोनल मुख्यालय की स्थापना किए जाने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) रेलवे आमदनी का ब्यौरा क्षेत्रीय रेलवे वार रखा जाता है, राज्य वार नहीं।

(ङ) और (च) इस क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अहमदाबाद में पश्चिम रेलवे का मंडल मुख्यालय पहले ही मौजूद है। अहमदाबाद में उप-क्षेत्रीय मुख्यालय की स्थापना करने की कोई योजना नहीं है।

आर.ओ.बी./आर.यू.बी. का निर्माण

3430. श्री एन. पीताम्बर कुरूप: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने विभिन्न राज्य सरकारों के साथ एक साझा प्राथमिकता वाला एजेंडा तैयार करने और देश में रेलवे क्रासिंग्स पर रेल ओवर ब्रिजों/रेल अंडर ब्रिजों का निर्माण पूरा करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो कार्यान्वयन प्रक्रिया कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। जिन समपारों पर यातायात का घनत्व एक लाख अथवा इससे अधिक गाड़ी वाहन इकाई होता है, उनके स्थान पर संबंधित राज्य सरकार के साथ लागत में 50:50 भागीदारी के आधार पर ऊपरी और निचले सड़क पुलों (आर.ओ.बी./आर.यू.बी.) के कार्य स्वीकृत किए जाते हैं। ये कार्य निर्माण, परिचालन एवं हस्तानांतरण (बोट) अवधारणा, निक्षेप शर्तों के आधार पर और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भी निष्पादित किए जाते हैं। इन व्यवस्थाओं के साथ इस समय 1316 निर्माण कार्य प्रगति पर हैं यथा 830 कार्य राज्य सरकार के साथ लागत में भागीदारी, 192 कार्य निक्षेप शर्तों, 52 कार्य बोट अवधारणा के आधार पर स्वीकृत किए गए हैं और 242 कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे हैं तथा उपयुक्त कार्य नियोजन एवं निष्पादन के विभिन्न चरणों पर हैं।

[हिन्दी]

जेट एयरवेज के पायलटों द्वारा हड़ताल

3431. श्रीमती सुषमा स्वराज: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में जेट एयरवेज के पायलट हाल ही में हड़ताल पर चले गए;

(ख) यदि हां, तो इसका पूर्ण ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त हड़ताल के कारण विमानन क्षेत्र को कितना नुकसान उठाना पड़ा;

(घ) क्या ऐसी हड़तालों के कारण देश में विमानन क्षेत्र की विश्वसनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, हां। प्रबंधन द्वारा दो पायलटों की सेवायें निलम्बित करने के कारण जेट एयरवेज के 760 भारतीय पायलटों में से 539 पायलट 07 सितम्बर, 2009 की रात से सामूहिक बीमारी अवकाश पर चले गए थे। 12 सितम्बर, 2009 को प्रबंधन तथा पायलटों के प्रतिनिधियों के बीच समझौता करार पर हस्ताक्षर किए जाने के उपरांत पायलट 13 सितम्बर, 2009 को पुनः ड्यूटी पर आ गए।

(ग) हड़ताल से केवल एक ही एयरलाइन यथा जेट एयरवेज प्रभावित हुई जिसे लगभग 80 करोड़ रुपए का घाटा हुआ।

(घ) और (ङ) हाल ही में जेट एयरवेज के पायलटों द्वारा सामूहिक छुट्टी लिए जाने के कारण नागर विमानन महानिदेशालय ने एयरलाइन को हवाई अड्डों पर नियंत्रण

कक्ष स्थापित करने, यात्रियों को अन्य एयरलाइनों द्वारा स्थानांतरित करने की व्यवस्था किए जाने, तत्काल विमान टिकटों की धन वापसी तथा सभी संबंधित यात्रियों को उड़ान रद्द होने की सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त वायुयान नियमावली, 1937 के नियम-135 के उप नियम-4 का अनुपालन करते हुए नागर विमानन महानिदेशालय ने सभी अनुसूचित घरेलू एयरलाइनों को जेट एयरवेज के पायलटों द्वारा सामूहिक अवकाश पर जाने से ठीक पूर्व विद्यमान दर वसूलने के निर्देश दिए थे, जिसका अनुपालन सभी घरेलू एयरलाइनों द्वारा किया गया था।

[अनुवाद]

"100 दिनों में 100 कदम" योजनाएं

3432. श्री के.आर.जी. रेड्डी: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "100 दिनों में 100 कदम" नामक योजना इस योजना के अंतर्गत उठाए गए कदमों की पहल करने में सफल रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) और (ख) मंत्रालय की कार्यसूची "100 दिनों में 100 कदम" का कार्यान्वयन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस कार्यसूची के कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने दिनांक 06-10-2009 को नई दिल्ली में राज्यों के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया। इस क्षेत्र के विकास से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की गई है, जिन मुद्दों पर चर्चा की गई उनमें खाद्य प्रसंस्करण बुनियादी ढांचा विकास, खाद्य प्रसंस्करण संबधी नीतियां तैयार करना, क्षमता निर्माण, इस क्षेत्र हेतु निधीयन, खाद्य सुरक्षा एवं गुणता तथा संस्थागत सुदृढ़ीकरण शामिल थे।

उपर्युक्त के अलावा, इस मंत्रालय ने योजना आयोग में राष्ट्रीय कुशल विकास समन्वय बोर्ड के साथ समन्वय बढ़ाने तथा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कुशल जनशक्ति में अन्तरालों को पहचानने के लिए राष्ट्रीय कुशल विकास बोर्ड द्वारा किए गए अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने जैसे अनेक अन्य पहल की हैं। इस मंत्रालय ने ग्रामीण विकास मंत्रालय और श्रम और रोजगार मंत्रालय के साथ भी मामला उठाया है कि वे वह खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को उनसे संबंधित स्कीमों में शामिल करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करे। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सचिव ने दिनांक 28-08-2009 को तंजावुर में एक कारोबार उद्भवन केंद्र का उद्घाटन किया।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण संबंधी स्कीम के अंतर्गत, मंत्रालय ने उपलब्ध धनराशियों में से देश में फल और सब्जी प्रसंस्करण, मांस प्रसंस्करण, डेरी प्रसंस्करण, मछली प्रसंस्करण, अनाज प्रसंस्करण और उपभोक्ता उद्योग के क्षेत्रों में इस अवधि में 320 नए उद्योगों को वित्तीय सहायता दी है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अनुसंधान क्षेत्रों को तैयार करने वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए औद्योगिक, वैज्ञानिक और अनुसंधान संस्थानों की एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला 31-7-2009 को आयोजित की गई। प्रौद्योगिकी उन्नयन, गुणता, पैकेजिंग और बाजार पहुंच से संबंधित क्षेत्र में पणधारियों के लिए क्षेत्रीय स्तर पर एक प्रदर्शनी-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम आहार, चैन्नई में आयोजित किया गया। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र पर एक पत्रिका समेत एक नई वेबसाइट इस मंत्रालय हेतु शुरू की गई हैं। दीमापुर, नागालैण्ड और शिलांग, मेघालय में आधुनिक बूचड़खाने के निर्माण के लिए धनराशियां वितरित की गई हैं।

असम में ट्रैक का दोहरीकरण कार्य

3433. श्रीमती विजया चक्रवर्ती: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का असम में तिनसुखिया तक बड़ी लाइन पर ट्रैक का दोहरीकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे का असम में सुंगसारी रेलवे क्रॉसिंग पर एक रेल ओवर ब्रिज का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी नहीं। बहरहाल, न्यू गुवाहाटी-दिगारू (29.81 कि.मी.) खंड पर कहीं-कहीं दोहरीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है।

(ग) और (घ) रेलवे सुंगसारी स्थान का पता नहीं लगा पाई। एक स्थान चांगसारी है, जहां चांगसारी और आझाथुरी के बीच समपार संख्या एस.के. 2 (रेलवे कि.मी. 389/8-9 रोड़ 1114 मार्ग कि.मी.) के स्थान पर भारतीय

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा ऊपरी सड़क पुल का निर्माण किया जा रहा है।

ग्राहक संतुष्टि योजना

3434. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड ने "ग्राहक संतुष्टि" नामक एक योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के उद्देश्य, विषय-क्षेत्र और लाभ क्या है; और

(ग) उक्त योजना को महाराष्ट्र सहित देश में कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ऊपर भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नदी बेसिन से तेल का अन्वेषण

3435. श्री दिलीप सिंह जूदेव: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उन नदी बेसिनों के नाम क्या हैं जहां से वर्तमान में तेल का अन्वेषण किया जा रहा है और भविष्य में अन्वेषण किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) नदी बेसिनों से तेल का अन्वेषण किस आधार पर किया जाता है;

(ग) उन नदी बेसिनों के नाम क्या हैं जिनसे अब तक पर्याप्त तेल भंडार मिला है; और

(घ) शेष नदियों में तेल भंडारों का अन्वेषण कब तक प्रारंभ किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) भारत में 26 तलछटीय बेसिनों में से, तेल और गैस अन्वेषण के अंतर्गत प्रमुख नदी बेसिन गंगा घाटी, असम शेल्फ, असम-अराकान, बंगाल, महानदी-एन.ई.सी., कृष्णा-गोदावरी और कावेरी बेसिन पूर्वी तट पर तथा कच्छ-सौराष्ट्र, कैम्बे, राजस्थान, मुंबई और केरल-कोंकण बेसिन पश्चिमी तट पर हैं। इन बेसिनों का विस्तार अपतटीय क्षेत्रों में भी हो गया है और इनमें विशाल तलछटीय क्षेत्र शामिल हैं जो वर्तमान में अन्वेषणाधीन हैं।

(ख) नदी बेसिन ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें विगत भूवैज्ञानिक युगों में अधिक मोटाई के तलछटों के जमा होने की आशा है और ये तलछट तेल और गैस निक्षेपों के अन्वेषण के लिए सर्वोत्तम स्थल हैं।

(ग) जिन नदी बेसिनों में तेल भंडार पाए गए हैं उनके नाम हैं असम-अराकान, कृष्णा-गोदावरी, कावेरी, राजस्थान और मुंबई अपतट।

(घ) स्पीति जांस्कर, भीमा-कालाडगी, कुड्डपा, बस्तर और छत्तीसगढ़ जैसे श्रेणी 4 के कुछ बेसिनों में भूरासायनिक नमूनों और भूवैज्ञानिक नक्शों जैसे सीमित अन्वेषण कार्य किए गए हैं। कोरी-कोमोरिन, 85 डिग्री ई और नार्कोडैम के गहरे/अत्यधिक गहरे पानी वाले बेसिनों के मामले में अब तक कोई अन्वेषण क्रियाकलाप नहीं किए गए हैं।

ग्यारहवीं योजना अवधि के अंत तक देश के कुल तलछटीय क्षेत्र का लगभग 80% अन्वेषण के लिए प्रदान किए जाने की संकल्पना है।

[अनुवाद]

वरिष्ठ नागरिकों को एयर इण्डिया की छूट

3436. श्री मधु गौड यास्खी:

श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इण्डिया वरिष्ठ नागरिकों को अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों पर प्रथम और एक्जीक्यूटिव क्लास की सीटों पर 20 प्रतिशत की छूट दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव रेलवे की तर्ज पर एयर इण्डिया में वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और परीक्षा/साक्षात्कार के लिए जाने वाले छात्रों को घरेलू उड़ानों में छूट देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, हां। एअर इंडिया द्वारा 17 नवम्बर, 2009 से प्रथम श्रेणी तथा एक्जिक्यूटिव श्रेणी के सभी किरायों पर किसी अंतर्राष्ट्रीय सेक्टर पर यात्रा करने वाले वरिष्ठ नागरिकों (65 वर्ष व ऊपर) को 20% की रियायत दी जा रही है तथा यह रियायत 31 मार्च, 2010 को/से पूर्व आरंभ होने वाली आउटबाउंड यात्रा तक वैध है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। बहरहाल, घरेलू सेक्टरों पर वरिष्ठ नागरिकों (पुरुष यात्रियों के लिए 65 वर्ष तथा महिला यात्री के लिए 63 वर्ष) को इकोनॉमी श्रेणी में यात्रा करने के लिए सामान्य सेक्टर किरायों पर 50% की रियायत दी जा रही है। 26 वर्ष तक की आयु वाले विद्यार्थियों को इकोनॉमी श्रेणी में यात्रा करने के लिए सामान्य सेक्टर किरायों पर 50% की रियायत दी जा रही है। विद्यार्थियों को उनके अध्ययन स्थान से गृह नगर तक के लिए एवं वापसी यात्रा करने की अनुमति है।

[हिन्दी]

आजमगढ़-लखनऊ मार्ग का दोहरीकरण

3437. डॉ. बलीराम: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आजमगढ़-शाहगंज-लखनऊ मार्ग पर मऊ जंक्शन से रेलगाड़ियां विलंब से चलती हैं क्योंकि इस मार्ग पर एक ही ट्रैक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मार्ग के दोहरीकरण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) जी नहीं। गाड़ियों की समुचित क्रासिंग और उन्हें अग्रता देने के लिए इकहरी लाइन रेलपथ पर पर्याप्त गुंजाइश है। अतः मात्र इकहरी लाइन के कारण ही गाड़ियां विलंब से नहीं चलतीं। इस खंड के दोहरीकरण का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

प्लास्टिक प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना

3438. श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात सरकार से पालनपुर में प्लास्टिक प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) जी, नहीं।

लग्जरी पर्यटक रेलगाड़ियों को प्रारंभ किया जाना

3439. श्री ई.जी. सुगावनम:
श्री एस.एस. रामासुब्बू:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न दक्षिणी राज्य विशेषीकृत दक्षिणी पर्यटक सर्किट विकसित करने के लिए चार दक्षिणी राज्यों को जोड़ने वाली लग्जरी पर्यटक रेलगाड़ी प्रारंभ करने के प्रस्ताव पर शीघ्रता से कार्रवाई करने की इच्छुक है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। गोल्डन चैरिएट लक्जरी पर्यटक गाड़ी, जो इस समय कर्नाटक और गोवा राज्यों को कवर करती है, को कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पांडिचेरी राज्यों को कवर करने वाले सर्किट पर भी चलाने की योजना है।

[हिन्दी]

पेट्रोल पंप आबंटन की नीति

3440. डॉ. करोड़ी लाल मीणा: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के स्वामित्व वाले पेट्रोल पंपों की बिक्री लगातार कम होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पेट्रोल पंप आबंटन की नीति में संशोधन करने का है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस स्थिति की समीक्षा

करने के लिए किसी प्रबंध संस्थान को नियोजित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (घ) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां नामतः इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.), भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बी.पी.सी.) और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.) ने सूचित किया है कि उनके पेट्रोल पंपों से पेट्रोल की बिक्री बढ़ रही है। वर्तमान में, इस स्थिति की समीक्षा करने के लिए किसी प्रबंधन संस्थान को शामिल किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राज्य अल्पसंख्यक आयोग का सम्मेलन

3441. **श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:** क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान राज्य अल्पसंख्यक आयोग का कोई सम्मेलन आयोजित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में किन मुद्दों पर चर्चा की गयी और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या सरकारी और निजी नौकरियों में अल्पसंख्यकों को उनका समुचित प्रतिनिधित्व दिलाने की कोई मांग की गयी है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ङ) अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) जी, हां। राज्य अल्पसंख्यक आयोगों का वार्षिक सम्मेलन जनवरी, 2008 और 2009 में आयोजित हुआ था।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा हेतु रक्षोपाय के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अनुशंसाओं को कार्रवाई ज्ञापन के साथ संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा।

(ङ) मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यकों के समाजार्थिक विकास के लिए निम्नलिखित सकारात्मक योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं-

(i) मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना

(ii) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना

(iii) मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना

(iv) निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना

(v) अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम

समाजार्थिक योजनाओं के ब्यौरे मंत्रालय की वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in पर उपलब्ध हैं।

[अनुवाद]

दुर्घटना राहत रेलगाड़ियां

3442. **श्रीमती जे. शांता:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिकांश मौकों पर दुर्घटना राहत रेलगाड़ियां दुर्घटना स्थल पर देरी से पहुंचती हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि राहत रेलगाड़ियां दुर्घटना स्थल पर कम से कम समय में पहुंच सकें?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी नहीं। आवागमन के लिए दुर्घटना राहत गाड़ियों को दुर्घटना स्थल पर भेजने हेतु उच्च प्राथमिकता दी जाती है। इसके आलावा, दुर्घटना राहत गाड़ियों को दुर्घटना स्थल पर शीघ्र पहुंचना सुनिश्चित करने के लिए रेलवे द्वारा किए गए उपायों में दुर्घटना के बाद दुर्घटना राहत गाड़ियों की निकासी के लिए न्यूनतम समय निर्धारित करना, दुर्घटना राहत गाड़ियों की रफ्तार उत्तरोत्तर 100 कि.मी. प्रति घंटा बढ़ाना, स्वचालित दुर्घटना राहत गाड़ियां चलाना आदि शामिल हैं।

एल.पी.जी. कनेक्शन

3443. **श्री एस. पक्कीरप्पा:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि

कर्नाटक के रायपुर, बेल्लारी, दावणगेरे, चित्रदुर्ग आदि जैसे कई जिलों में एल.पी.जी. का उपयोग पांच प्रतिशत से भी कम परिवार करते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन जिलों को और अधिक एल.पी.जी. कनेक्शन आबंटित करने की योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) दिनांक 1-10-2009 की स्थिति के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओ.एम.सीज) कर्नाटक राज्य में 486 एल.पी.जी. एजेंसियों का प्रचालन कर रही थीं। इन एजेंसियों के माध्यम से ओ.एम.सीज लगभग 63.9 लाख एल.पी.जी. उपभोक्ताओं की सेवा कर रही हैं जिनमें कर्नाटक के रायचूर, बेल्लारी, दावणगेरे और चित्रदुर्ग जिलों के 5.43 लाख एल.पी.जी. उपभोक्ता शामिल हैं।

(ख) और (ग) नए एल.पी.जी. कनेक्शनों को जारी करने के लिए ओ.एम.सीज स्वतः कोई आबंटन नहीं करती है, नए कनेक्शनों की पूरी मांग, वर्तमान एल.पी.जी. एजेंसियों द्वारा, सत्यापन के बाद 60 दिनों की अवधि के भीतर जारी करके, पूर्ण की जाती है।

चेंगानूर रेलवे स्टेशन पर तीर्थ केन्द्र

3444. श्री कोडिकुन्नील सुरेश: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे की योजना केरल में चेंगानूर के धार्मिक महत्व के कारण चेंगानूर रेलवे स्टेशन पर एक तीर्थ केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ख) परियोजना पर होने वाला अनुमानित व्यय कितना है और इसमें तीर्थयात्रियों को क्या सुविधाएं मुहैया कराए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) चेंगानूर रेलवे स्टेशन पर तीन तीर्थ केन्द्र उपलब्ध हैं जिनमें छत, सीमेंट/टाइल्स वाले फर्श, प्रकाश और पंखों की व्यवस्था है। उपरोक्त तीन तीर्थ परिसरों के साथ-साथ रेसुब स्टेशन के नजदीक निचले स्थल के विकास का कार्य 95 लाख रु. की लागत पर स्वीकृत है।

इसके अलावा, चेंगानूर स्टेशन पर अनुमोदित कार्य जो प्रगति पर हैं, का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(i) 132.25 लाख रु. की लागत पर चेंगानूर चिगावनम केदोहरीकरण का कार्य। इस कार्य में, स्टेशन भवन सहित अतिरिक्त प्लेटफार्म और प्लेटफार्म पर अन्य सुविधाओं की योजना बनायी गयी है।

(ii) 19 लाख रु. की लागत पर स्टेशन भवन और निरामिष जलपान कक्ष की छत को फिर से बनाना।

(iii) 50 लाख रु. की लागत पर वी.आई.पी. लाउंज, उच्च श्रेणी प्रतीक्षालय, स्टेशन प्रबंधक कक्ष की व्यवस्था और प्लेटफार्म संख्या 2 और 3 को उठाना।

शौचालय तथा स्नानागर सुविधा जल आपूर्ति, यात्रियों के मार्ग निर्देशन हेतु तेलगू, कन्नड़, हिंदी और तमिल भाषाओं में उद्‌घोषणा, एक जनता खाना की दुकान, पार्किंग सुविधा, चिकित्सा सुविधा, तीर्थयात्री सहायता बूथ, विश्रामालय और एक नव निर्मित विश्राम कक्ष आदि की भी सुविधा तीर्थयात्रियों को मुहैया करायी जाती है।

[हिन्दी]

कृषकों को उर्वरक राजसहायता

3445. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज ने कृषकों को उर्वरकों पर प्रत्यक्ष राजसहायता के संबंध में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या-क्या हैं;

(ग) क्या उपरोक्त रिपोर्ट के आलोक में सरकार का विचार कोई पहल करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (घ) दि फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इण्डिया ने किसानों को राजसहायता देने के वैकल्पिक तंत्र का पता लगाने के लिए टाटा कंसलटेंसी सर्विसिज (टी.सी.एस.) द्वारा एक अध्ययन कराया है। टी.सी.एस. की रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

(i) स्मार्ट कार्ड के जरिए किसानों/खेतिहरों को सीधे राजसहायता का वितरण करना।

(ii) किसानों और डीलरों का जिला स्तर पर पंजीकरण करने की आवश्यकता।

(iii) राजसहायता वितरण को उर्वरक उत्पादों (अथवा पोषक-तत्वों) की खरीद से जोड़ना।

(iv) उर्वरक राजसहायता के प्रावधान/बजट के लिए एक जिला (प्रत्येक राज्य में) एक इकाई होगा।

इस रिपोर्ट पर विभाग में विचार किया गया और इस मामले को मंत्रियों के समूह (जी.ओ.एम.) के विचारार्थ भेज दिया गया, जिसका गठन कृषि मंत्री की अध्यक्षता में उर्वरकों के सतत् प्रयोग और उचित मूल्य निर्धारण तथा राजसहायता मामलों की जांच करने के लिए किया गया था। मंत्रियों के समूह ने अपनी अंतिम सिफारिशों में उत्पादकों के जरिए दी जा रही उर्वरक राजसहायता के मौजूदा सुपुर्दगी तंत्र में कोई परिवर्तन करने की सिफारिश नहीं की है।

सरकार का इरादा मौजूदा पोषक-तत्व आधारित मूल्य-निर्धारण व्यवस्था की बजाय पोषक-तत्व आधारित राजसहायता व्यवस्था शुरू करने का है, ताकि उर्वरकों का संतुलित अनुप्रयोग सुनिश्चित किया जा सके और कृषि उत्पादकता में वृद्धि की जा सके और जिसके परिणामस्वरूप किसानों को बेहतर प्रतिलाभ मिल सके। पोषक तत्व आधारित राजसहायता व्यवस्था का प्रस्ताव मंत्रियों के समूह के विचाराधीन है, जिसका गठन पोषक-तत्व आधारित राजसहायता नीति की जांच करने और उर्वरक राजसहायता वितरण को युक्तिसंगत बनाने के उपाय करने के लिए किया गया है।

[अनुवाद]

एयर इण्डिया उड़ानों का रद्द होना

3446. श्री एस.आर. जेयदुरई: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एयर इण्डिया की चेन्नई-त्रिची-शारजाह उड़ान को रद्द किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या इस उड़ान को रोकने के निर्णय से खाड़ी में काम करने वाले दक्षिणी राज्यों के कई लोगों को परेशानी हो रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार खाड़ी देशों में काम कर रहे लोगों की परेशानियों के मद्देनजर इस सेवा को बहाल करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ङ) कामन रूटों पर एअर इंडिया तथा उसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रचालित सेवाओं के यौक्तिकरण की प्रक्रिया के भाग के रूप में, एयरलाइन ने अपनी चेन्नई-त्रिची--शारजाह उड़ान बंद कर दी है और इसके स्थान पर चेन्नई-त्रिची-दुबई मार्ग (दुबई और शारजाह हवाईअड्डे के बीच दूरी लगभग 20 कि.मी. है) पर एअर इंडिया एक्सप्रेस की दैनिक सेवा चालू की गई है। आई.सी. कोड के अंतर्गत पूर्ववर्ती ए-320 विमान सेवा को पर्याप्त लोड फैक्टरों के बावजूद कड़ी प्रतिस्पर्धा तथा प्रतियोगी एयरलाइनों द्वारा किरायों में भारी कमी के कारण घाटा हो रहा था। प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए इस निम्न लागत कैरियर मार्ग पर सेवा की शुरुआत की गई है। ऊपर उल्लिखित कारणों के दृष्टिगत त्रिची से होते हुए शारजाह के लिए विमान सेवाएं बहाल करने की एअर इंडिया की कोई योजना नहीं है।

इफको द्वारा चलाए जा रहे उर्वरक कारखाने

4747. श्री तूफानी सरोज: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इण्डियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (इफको) द्वारा चलाए जा रहे उर्वरक कारखानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त कारखानों ने उत्पादन के लिए नियत लक्ष्यों को पूरा किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ग) इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को-आपरेटिव लिमिटेड (इफको) द्वारा चलाए जा रहे उर्वरक कारखानों का तथा वर्ष 2008-09 और 2009-10 (अप्रैल-नवम्बर, 2009 तक) का संयंत्र-वार/उत्पाद-वार लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

चालू वर्ष 2009-10 (अप्रैल-नवम्बर, 2009) के दौरान इफको के संयंत्रों में उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। वर्ष 2008-09 के दौरान, वास्तविक उत्पादन

(i) पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक गैस की अनुपलब्धता, (ii) संयंत्रों के अप्रत्याशित रूप से बंद होने तथा (iii) कच्ची सामग्री की कमी और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इनके मूल्यों में उतार चढ़ाव होने के कारण लक्ष्य से कुछ कम था।

विवरण

वर्ष 2008-09 और 2009-10 (अप्रैल से नवम्बर, 2009 तक) के दौरान इफको द्वारा संयंत्र-वार/ उत्पाद-वार वार्षिक संस्थापित क्षमता और उर्वरक का उत्पादन

('000' मी.टन)

इकाई/संयंत्र का नाम	उत्पाद का नाम	संस्थापित क्षमता (1-4-2009 के अनुसार)	उत्पादन			
			2008-09		2009-10 (अप्रैल से नवम्बर 2009 तक)	
			लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
इफको: कांडला	डी.ए.पी.	1200.0	283.0	214.7	64.0	722.5
	10:26:26	515.4	525.0	1041.1	701.0	579.1
	12:32:16	700.0	1392.0	538.0	502.0	398.8
योग (इफको/कांडला):		**2415.4**	**2200.0**	**1793.8**	**1267.0**	**1700.4**
इफको: पारादीप	डी.ए.पी.	1500.0	623.0	436.5	220.0	283.2
	20:20	100.0	539.0	869.5	840.0	701.8
	10:26:26	160.0	50.0	0.0	0.0	0.0
	12:32:16	160.0	0.0	0.0	0.0	0.0
योग (इफको: पारादीप):		**1920.0**	**1212.0**	**1306.0**	**1060.0**	**985.0**
इफको: कलोल	यूरिया	544.5	576.0	559.9	402.0	407.4
इफको: फूलपुर	यूरिया	551.1	700.0	662.5	468.4	469.8
इफको: फूलपुर विस्तार	यूरिया	864.6	983.0	840.6	654.0	643.7
इफको: आंवला	यूरिया	864.6	1000.0	986.9	641.0	642.4
इफको: आंवला विस्तार	यूरिया	864.6	1035.0	1018.4	655.0	657.2
कुल (इफको):		**3689.4**	**4249.0**	**4068.3**	**2820.4**	**2820.5**
सकल योग इफको		8024.8	7706.0	7168.1	5147.4	5505.9

नोट: डी.ए.पी. और मिश्रित उर्वरकों की क्षमताएं आपस में बदली जा सकती हैं और इसलिए कच्ची सामग्री की मांग और आपूर्ति तथा उपलब्धता के स्वरूप पर निर्भर हुए इनके उत्पादन में समय-समय पर अन्तर आता रहता है।

हैंगर का निर्माण

3448. श्री पोन्नम प्रभाकर: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राज्य सरकार के हेलीकॉप्टर की पार्किंग के लिए हैदराबाद में एक नए हैंगर के निर्माण का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) हेलीकॉप्टरों की पार्किंग के लिए हैंगर के निर्माण हेतु हैदराबाद में 8880 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन के लिए ए.पी. एविएशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (आन्ध्र प्रदेश सरकार के स्वामित्व की कंपनी) के अनुरोध को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

[हिन्दी]

हेलीकॉप्टर दुर्घटना

3449. डॉ. विनय कुमार पाण्डेय:
श्री एम.आई. शानवास:
श्री अशोक कुमार रावत:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशालय ने पिछले तीन वर्षों के दौरान विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं की जांच के निर्देश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की तारीख के अनुसार हेलीकॉप्टर दुर्घटना-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दुर्घटना-वार जांच पूरी हो चुकी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार विमान दुर्घटनाओं की जांच के लिए कोई स्वतंत्र एजेन्सी का गठन करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) और (च) अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) ने सिफारिश की है कि नागर विमानन महानिदेशालय के जांच संबंधी तथा विनियामक संबंधी कार्य एक दूसरे से स्वतंत्र होने चाहिए। नागर विमानन महानिदेशालय को अपने विनियामक संबंधी कार्यों से दुर्घटना/घटना संबंधी जांच-पड़ताल के कार्यों को पृथक करके रोड-मैप तैयार करने को कहा गया है। योजना आयोग विमान दुर्घटनाओं सहित परिवहन दुर्घटना के सभी मामलों की जांच-पड़ताल करने के लिए राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड (एन.टी.एस.बी.) के लिए ब्लू प्रिंट तैयार कर रहा है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान दुर्घटनाओं का ब्यौरा

वर्ष 2007

क्र. सं.	दिनांक/स्थान	हेलीकॉप्टर प्रकार पंजीकरण सं.	प्रचालक	सुविधाएं	क्षति का विवरण	दुर्घटना के संभावित कारण का ब्यौरा
1	2	3	4	5	6	7
1.	19-10-2007 बंगलोर	मल्टी इंजन स्वेजर वी.टी.-एच.ए.आई.	एच.ए.एल. रोटरी विंग एकेडमी	शून्य	व्यापक	होवर प्रक्रिया के दौरान हेलीकॉप्टर का अनियंत्रित

1	2	3	4	5	6	7
						संचालन तथा अनुदेशक द्वारा निवारक कार्यवाही में विलम्ब के कारण हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग हुई। **जांच पूरी हो गई है।**
2.	21-05-2007 केदारनाथ हेलीपैड	एकल इंजन एल्यूट-III वी.टी.-ई.जी.के.	प्रभातम एविएशन प्राइवेट लिमिटेड	एक	कम	केदारनाथ हेलीपैड में अवतरण के दौरान मुख्य रोटर ब्लेड ग्राउंड क्रू जिसके परिणाम-स्वरूप ग्राउंड क्रू को घातक चोट आई। **जांच पूरी हो गई है।**
3.	14-07-2007 लांजी, रायपुर छत्तीसगढ़ के समीप	मल्टी इंजन ईसी-135 टी-1 वी.टी.-सी.जी.एच.	छत्तीसगढ़ सरकार	04	नष्ट	दुर्घटना का संभावित कारण एस.ओ.पी. का अनुपालन न किया जाना था जिसमें उड़ान क्रू पर्याप्त टैरेन क्लियरेंस बनाए रखने में विफल रहा। खराब मौसम तथा अनुचित क्रू की तैनाती, जो ऐसे प्रचालनों के लिए योग्य नहीं थे, दुर्घटना के मुख्य कारक हैं। **जांच पूरी हो गई है।**
वर्ष 2008						
1.	18-01-2008 मैसूर	एकल इंजन बेल-206-एल-3 वीटी-डी.ए.के.	डेक्कन एविएशन, बंगलोर	शून्य	व्यापक	अवतरण के दौरान पायलट को होवर में टेलरोटार की प्रभावशीलता की कमी का अनुभव हुआ और वह हवा की बदलती परिस्थितियों के कारण राईट यौव में प्रवेश कर गया जिसके परिणाम-स्वरूप हेलीकॉप्टर नियंत्रण से बाहर हो गया और उसकी क्रैश लैंडिंग हुई। **जांच पूरी हो गई है।**

1	2	3	4	5	6	7
2.	03-08-2008 कोडिजुट्टा गुट्टा, वेकटपुरम (आन्ध्र प्रदेश)	मल्टी इंजन बेल-830 हेलीकॉप्टर वी.टी.-आर.ई.ओ.	मेसर्स रान एयर	04	नष्ट	हेलीकॉप्टर खराब मौसम के कारण न्यूनतम सुरक्षित ऊंचाई से नीचे आ गया था तथा मार्ग में आये पर्वत से टकरा गया। अंशदायी कारक 1. क्रू ने प्रस्थान से पूर्व मौसम संबंधी ब्रीफिंग प्राप्त नहीं की थी। 2. क्रू द्वारा अनुचित मार्ग का चयन। **जांच पूरी हो गई है।**
वर्ष 2009						
1.	09-07-2009 अमरनाथ गुफा (जम्मू और कश्मीर) के समीप	एकल इंजन लामा-315 बी वी.टी.-डब्ल्यू.ई.एक्स.	मेसर्स हिमालयन हेली सर्विसेज (प्रा.) लि.	1	व्यापक	अमरनाथ गुफा हेलीपैड पर अवतरण के दौरान पायलट को समस्या का अनुभव हुआ और वह हेलीपैड से लगभग 500 मीटर पहले ही उतर गया। अवतरण के दौरान नीचे खड़े एक तीर्थयात्री हेलीकॉप्टर से टकराया और उसे घातक चोटें आईं। हेलीकॉप्टर के भीतर पायलट तथा दो यात्रियों को हल्की चोटें आईं। हेलीकॉप्टर को व्यापक क्षति हुई थी। **दुर्घटना की जांच चल रही है।**
2.	02-09-2009 सेरई सलेम हिल, कुरनूल (आन्ध्र प्रदेश) के समीप	मल्टी इंजन बेल-430 वी.टी.-ए.पी.जी.	आन्ध्र प्रदेश सरकार	5	नष्ट	बेगमपेट हवाई अड्डा, हैदराबाद से चितूर के लिए उड़ा, हेलीकॉप्टर खराब मौसम में नल्ला माला जंगल, कुरनूल में लापता हो गया। दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर का मलवा सेरई सलीम हिल, कुरनूल के समीप मिला था। हेलीकॉप्टर में बैठे सभी व्यक्तियों को घातक चोटें आईं। **दुर्घटना की जांच चल रही है।**

[अनुवाद]

एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटर, पंजाब के खिलाफ शिकायत

3450. डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी:
श्री अनुराग सिंह ठाकुर:
श्री वीरेन्द्र कश्यप:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब राज्य कार्यालय, इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल.) चण्डीगढ़ द्वारा एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिए जाने की सी.बी.आई. जांच की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मुख्य सतर्कता अधिकारी, आई.ओ.सी.एल. ने सी.बी.आई. की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या आई.ओ.सी.एल. को 2006 से 2008 की अवधि के दौरान पंजाब में आई.ओ.सी.एल. के विभिन्न एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा जारी जाली अनुभव और वेतन प्रमाणपत्र जारी किए जाने के घोटाले से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (घ) जी हां। इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.) ने रिपोर्ट दीहै कि उन्हें चंडीगढ़ सी.बी.आई. से किसी श्री विवेक बजाज द्वारा की गई अनियमितताओं के संबंध में रिपोर्ट मिली है, जो पंजाब राज्य में फगवाड़ा-I स्थल के लिए एल.पी.जी. एजेन्सी के आबंटन के लिए आवेदकों में से एक था और चयन प्रक्रिया के बाद, प्रथम स्थान पर सूचीबद्ध था। सी.बी.आई. ने अपनी रिपोर्ट में दर्शाया कि फगवाड़ा-I स्थल के लिए चयनित सूची में प्रथम स्थान पर रखे गए, श्री विवेक बजाज ने आई.ओ.सी. को दिए गए आवेदन पत्र में असत्य विवरणी दी, तथ्यों को छुपाया और जाली दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। अपनी रिपोर्ट अग्रेसित करते समय, सी.बी.आई. ने श्री विवेक बजाज के विरुद्ध उचित कार्रवाई, जो भी उचित समझी जाए, करने की सिफारिश की है। साक्षात्कार/सूची की तैयारी के बाद, आई.ओ.सी. प्रत्यय-पत्रों का क्षेत्रीय सत्यापन (एफ.वी.सी.) करती है और इस स्थल के संबंध में एफ.वी.सी. करते समय सी.बी.आई. की रिपोर्ट को ध्यान में रखा जाएगा।

(ङ) और (च) वर्ष 2008 में पंजाब राज्य में नकोदर और जालंधर स्थल के लिए आवेदकों द्वारा जाली अनुभव प्रमाण-पत्रों की प्रस्तुति के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। वर्ष 2008 में आई.ओ.सी. द्वारा बचविंद्र स्थल के लिए जांच करने पर पाया गया कि एक आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया अनुभव प्रमाणपत्र नकली था।

लेखांकन मानक

3451. श्री प्रदीप माझी: क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का लेखांकन मानकों संबंधी राष्ट्रीय परामर्शदात्री समिति को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मौजूदा मानक उचित जांच हेतु उपयुक्त नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार ने देश में लेखांकन मानकों संबंधी राष्ट्रीय परामर्शदात्री समिति को सुदृढ़ करने से पूर्व विशेषज्ञों के मतों पर विचार किया था;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इसकी प्रतिक्रिया में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (छ) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 210क में लेखांकन मानकों संबंधी राष्ट्रीय परामर्शदात्री समिति के गठन का प्रावधान है जिसमें एक अध्यक्ष तथा व्यवसायिक संस्थानों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड तथा औद्योगिक संगठनों/चैम्बर्स के प्रतिनिधि शामिल

हैं। इस गठन में परिवर्तन का कोई प्रस्ताव नहीं है। मौजूदा लेखा मानकों का सतत पुनरावलोकन किया जाता है एवं सुधार के लिए इन्हें अद्यतन किया जाता है तथा ये उचित जांच हेतु पर्याप्त हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

3452. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे: क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ख) जी हां। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 13 के अनुसरण में आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को उसमें उल्लिखित अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई ज्ञापन के साथ तथा किसी अनुशंसा को अस्वीकार किए जाने के कारणों, यदि कोई हों, और लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ संसद के दोनों सदनों में इसलिए प्रस्तुत किया जाना है कि उनका संबंध केन्द्र सरकार से है। सरकार ने अब तक आयोग की 13 वार्षिक रिपोर्टें उनमें उल्लिखित अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई ज्ञापन के साथ संसद में प्रस्तुत की हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर-लखनऊ रेल लाइन का विद्युतीकरण

3453. योगी आदित्यनाथ: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर-पूर्व रेलवे के गोरखपुर-गोंडा-लखनऊ खंड पर विद्युतीकरण की स्थिति क्या है;

(ख) इस परियोजना के लिए संस्वीकृत धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) लखनऊ-बाराबंकी रेल लाइन पहले ही विद्युतीकृत है। गोरखपुर-गोंडा-बाराबंकी रेल लाइन बरौनी-गोरखपुर-गोंडा-बाराबंकी (729 मार्ग कि.मी.) विद्युतीकरण परियोजना का हिस्सा है, जहां कार्य प्रगति पर है।

(ख) इस परियोजना को मई, 2007 में 679.96 करोड़ रु. की लागत पर स्वीकृत किया गया था। वर्ष 2009-10 के दौरान, इस परियोजना के लिए 94.32 करोड़ रु. आवंटित किए गए हैं।

(ग) समूचे खंड का कार्य जून, 2012 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

[अनुवाद]

लागत भागीदारी वाली रेल परियोजनाएं

3454. श्रीमती सुप्रिया सुले:
श्री जी.एस. बासवराज:
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे परियोजनाओं की लागत बांटने हेतु कितने राज्य सहमत हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य सरकार द्वारा तथा रेलवे द्वारा पृथक रूप से परियोजना की कितनी लागत वहन किए जाने की संभावना है;

(घ) प्रत्येक परियोजना की स्थिति क्या है; और

(ङ) इन परियोजनाओं को समय से पूरा किए जाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) कुछ राज्य सरकारें अपने राज्यों में कुछ चुनिंदा रेल परियोजनाओं पर लागत में हिस्सेदारी पर सहमत हो गई हैं। राज्य सरकारों, रेल परियोजनाओं और स्थिति सहित राज्य सरकारों के हिस्से का ब्यौरा इस प्रकार है:-

क्र.सं.	परियोजनाएं	राज्य	लागत (करोड़ रु. में)	राज्य की हिस्सेदारी (प्रतिशत)	स्थिति
1	2	3	4	5	6
नई लाइन					
1.	हरपनहल्ली के रास्ते कोट्टूर-हरिहर	कर्नाटक	328.06	66.67	मिट्टी संबंधी, पुल संबंधी आदि कार्य प्रगति पर है। 2009-10 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
2.	वर्धा-नांदेड	महाराष्ट्र	697	40	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है।
3.	रेवाड़ी-रोहतक	हरियाणा	475.17	50	रेवाड़ी-झज्जर को 2009-10 और शेष कार्य को 2010-11 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।
4.	जींद-सोनीपत	हरियाणा	234.45	50	भूमि अधिग्रहण, मिट्टी संबंधी, पुल संबंधी आदि कार्य शुरू कर दिए गए हैं।
5.	कुड्डापाह-बेंगलुरू (बंगारपेट्ट)	कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश	1000.23	50 (आन्ध्र प्रदेश सरकार)	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है।
6.	दल्लीराजहरा-रौघाट-जगदलपुर	छत्तीसगढ़	968.6	*	भूमि अधिग्रहण कार्य शुरू कर दिया गया है। कार्य को रेल विकास निगम लिमिटेड को सौंपा गया है।
7.	बीदर-गुलबर्गा	कर्नाटक	554.55	50	भूमि अधिग्रहण, मिट्टी संबंधी, पुल संबंधी आदि कार्य शुरू कर दिए गए हैं।
8.	दुमका-(झारखंड का भाग के रास्ते मंदारहिल-रामपुर हाट	झारखंड, पश्चिम बंगाल	676	दुमका-रामपुर हाट का 66.67	भूमि अधिग्रहण, मिट्टी संबंधी, पुल संबंधी आदि कार्य शुरू कर दिए गए हैं।

1	2	3	4	5	6
9.	गिरीडीह-कोडरमा	झारखंड	451.35	66.67	कोडरमा-महेशपुर खंड पूरा हो गया है और शेष भाग में तल्प संबंधी कार्य प्रगति पर है।
10.	देवबंद-मुजफ्फरनगर-रूड़की	उत्तराखंड	164.8	50	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। भूमि अधिग्रहण शुरू कर दिया गया है।
11.	कोडरमा-रांची	झारखंड	1099.2	66.67	भूमि अधिग्रहण, मिट्टी संबंधी, पुल संबंधी आदि कार्य शुरू कर दिए गए हैं।
12.	देवगढ़-दुमका	झारखंड	335	66.67	देवगढ़-घोरामारा खंड पूरा हो गया है और शेष भाग को 2009-10 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।
13.	कोडरमा-तिलैया (झारखंड का भाग)	झारखंड, बिहार	418.17	66.67% (झारखंड का भाग)	भूमि अधिग्रहण, मिट्टी संबंधी, पुल संबंधी आदि कार्य शुरू कर दिए गए हैं।
14.	भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी	हिमाचल प्रदेश	1046.88	25	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है।
15.	मुनीराबाद-महबूबनगर	कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश	497	50% (कर्नाटक का भाग)	भूमि अधिग्रहण, मिट्टी संबंधी, पुल संबंधी आदि कार्य शुरू कर दिए गए हैं।
16.	अहमदनगर-बीड-परली बैजनाथ	महाराष्ट्र	462.67	50	भूमि अधिग्रहण, मिट्टी संबंधी, पुल संबंधी आदि कार्य शुरू कर दिए गए हैं।
आमान परिवर्तन					
17.	शिमोगा-तालगुप्पा	कर्नाटक	158.59	50	2009-10 के दौरान पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

18.	टोरी तक विस्तार सहित रांची-लोहारदगा	झारखंड	449*.83	66.67	रांची-लोहारदगा का आमान परिवर्तन कार्य पूरा हो गया है। नई लाइन के भाग पर कार्य शुरू कर दिया गया है।
19.	बर्धमान-कटवा	पश्चिम बंगाल	346.47	50	बर्धमान-बालगोना के लिए ठेके को अंतिम रूप दे दिया गया है और कार्य शुरू कर दिया गया है।
20.	कुड्डालूर-सेलम	तमिलनाडु	556.64	50	कुड्डालूर-सेलम आमान परिवर्तन कार्य पूरा हो गया है। चिन्नासेलम से कल्लाकुरीची तक नई लाइन के भाग के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है।
दोहरीकरण					
21.	केंगेरी-मैसूर के विद्युतीकरण सहित रामानगरम-मैसूर	कर्नाटक	498.54	66.67	मिट्टी संबंधी, पुल संबंधी आदि कार्य शुरू कर दिए गए हैं।

*राज्य सरकार निशुल्क भूमि मुहैया कराएगी, भूमि अधिग्रहण की लागत वहन करेगी और इस लाइन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज और सामग्रियों पर रायल्टी और राज्य करों पर छूट प्रदान करेगी।

(ङ) उपरोक्त सभी परियोजनाएं प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं। इन परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा किए जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा लागत में हिस्सेदारी से वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है। इन परियोजनाओं को निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार पूरा करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

तकनीकी संस्थानों की स्थापना

3455. श्री राकेश सचान: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का निजी-सरकारी भागीदारी के तहत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में रेलवे भूमि पर तकनीकी संस्थान की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजना पर कार्य कब तक आरंभ हो जाएगा; और

(घ) देश में ऐसे संस्थान कहां स्थापित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से मौजूदा रेलवे अस्पतालों से संबद्ध 18 मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का प्रस्ताव है। ये स्थान हैं:- चेन्नै, हैदराबाद, बिलासपुर, लखनऊ, बरासात, भुवनेश्वर, मैसूर, खड्गपुर, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, जोधपुर, गार्डनरीच, नागपुर, अहमदाबाद, बी.आर. सिंह अस्पताल/कोलकाता, भोपाल, जम्मू और त्रिवेन्द्रम।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से मौजूदा रेलवे अस्पतालों से संबद्ध 7 नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना की जाएगी। ये स्थान हैं:- दिल्ली, कोलकाता, मुंबई (कल्याण), चेन्नै, सिकंदराबाद, लखनऊ और जबलपुर।

रेलवे ने दानकुनी (पश्चिम बंगाल) में एक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव किया है।

[अनुवाद]

एल.पी.जी. वितरकों का चयन

3456. श्री सुशील कुमार सिंह:
श्री अनुराग सिंह ठाकुर:
श्री वीरेन्द्र कश्यप:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 01 अप्रैल, 2007 से 31 मार्च, 2009 की अवधि के दौरान एल.पी.जी. वितरकों के चयन के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) तेल विपणन करने वाली कंपनियों (ओ.एम.सी.) द्वारा साक्षात्कार आयोजित किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त अवधि के दौरान पी.एस.यू., ओ.एम.सी. द्वारा कितने एल.पी.जी. वितरकों का चयन किया गया था;

(ग) क्या सरकार को विशेषरूप से उत्तरी क्षेत्र से पी.एस.यू., ओ.एम.सी. द्वारा एल.पी.जी. वितरकों के चयन के विरुद्ध कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) 1 अप्रैल, 2007 से 31 मार्च, 2009 की अवधि के दौरान एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटर्स की स्थापना हेतु 812 स्थलों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज) ने साक्षात्कार आयोजित किए हैं, जिनमें से 138 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटर्स चालू हो गई हैं। संबंधित ओ.एम.सीज के निदेशक (विपणन) के पास इसका ब्यौरा उपलब्ध है।

(ग) से (ङ) 1 अप्रैल, 2007 से 31 मार्च, 2009 की अवधि के दौरान ओ.एम.सीज को देश में एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटर्स के चयन के विरुद्ध उत्तरी क्षेत्र से 104 सहित कुल 594 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। शिकायत निवारण पद्धति के तहत नीति के अनुसार संबंधित ओ.एम.सीज के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा सभी शिकायतों की जांच की जाती है।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों में आग

3457. श्रीमती दीपा दासमुंशी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा मौजूदा वर्ष के दौरान मंडल-वार रेलगाड़ियों तथा रेल परिसरों में आग लगने की कितनी घटनाएं हुईं;

(ख) इन मामलों में की गई जांच का ब्यौरा क्या है तथा इन मामलों में क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए तथा इन पर क्या कार्यवाही की गई;

(ग) क्या रेलगाड़ियों में आग लगने की घटनाओं की जांच करने के लिए किसी कृतकबल का गठन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कालीन का निर्यात

3458. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों तथा मौजूदा वर्ष के दौरान निर्यात किए गए कालीनों का देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कालीन निर्यात संवर्धन परिषद् ने सरकार से कालीन उद्योग के पुनरुद्धार हेतु उपाय करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कदम उठाए गए हैं/अथवा उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) कालीन निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा बताए गए अनुसार पिछले तीन पर्त्येक वर्षों के दौरान निर्यात किए गए हाथ से बुने कालीनों का देश-वार ब्यौरा संलग्न विवरण के अनुसार है।

मौजूदा वर्ष के दौरान निर्यात किए गए कालीनों का देश-वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। तथापि, नवम्बर, 2009 तक विभिन्न देशों को 1538.07 करोड़ रुपये की सीमा तक कालीन निर्यात किए जा चुके हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) कालीन उद्योग के पुनरुद्धार हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल हैं - एफ.ओ.बी. मूल्य पर ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप की पात्रता के लिए विशेष फोकस उत्पाद स्कीम, निर्यात क्रेडिट पर ब्याज अर्थानुदान और ड्यूटी ड्रा-बैक दरों का पुनः स्थापन।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के लिए हाथ से बुने कालीनों एवं अन्य फर्श बिछावनों का देश-वार निर्यात निम्न प्रकार से है:-

क्र. सं.	देश	2006-07		2007-08		2008-09 (अनन्तिम)	
		करोड़ रुपए में	मिलियन अमरीकी डालर में	करोड़ रुपए में	मिलियन अमरीकी डालर में	करोड़ रुपए में	मिलियन अमरीकी डालर में
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अर्जेन्टीना	6.98	1.53	7.20	1.79	10.52	2.33
2.	आस्ट्रेलिया	51.08	11.23	62.56	15.54	68.81	15.20

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	आस्ट्रिया	27.92	6.13	19.11	4.75	23.70	5.25
4.	बेलजियम	33.80	7.43	58.02	14.41	11.56	2.56
5.	ब्राजील	17.25	3.79	17.70	4.41	4.69	1.04
6.	कनाडा	49.97	10.98	59.33	14.74	40.27	8.92
7.	डेनमार्क	26.09	5.73	28.36	7.05	18.82	4.17
8.	फिनलैण्ड	18.74	4.12	16.27	4.04	14.67	3.25
9.	फ्रांस	56.96	12.52	56.78	14.11	48.84	10.82
10.	जर्मनी	698.22	153.52	646.71	160.67	613.24	135.85
11.	इटली	45.56	10.01	105.94	26.32	25.50	5.65
12.	जापान	65.04	14.30	59.83	14.86	48.75	10.80
13.	नीदरलैण्ड	36.38	7.99	44.02	10.94	19.09	4.23
14.	नॉरवे	8.81	1.93	8.94	2.22	6.41	1.42
15.	स्वीडन	29.03	6.38	46.41	11.53	18.28	4.05
16.	स्वीट्जरलैण्ड	18.00	3.95	9.13	2.27	26.86	5.95
17.	स्पेन	38.95	8.56	82.07	20.39	24.38	5.40
18.	सं.रा. अमरीका	1,833.02	403.04	1,668.86	414.62	1,359.29	301.12
19.	यूनाटेड किंगडम	189.25	41.61	183.07	45.48	112.18	24.85
20.	अन्य	423.81	93.19	344.42	85.57	212.87	47.20
	कुल	3,674.86	807.94	3,524.73	875.71	2,708.73	600.06

(स्रोत - एन.आई.सी., वाणिज्य मंत्रालय की वेब साइट)

[हिन्दी]

यात्री आरक्षण तंत्र

3459. श्री पन्ना लाल पुनिया: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में हैदरगढ़ रेलवे स्टेशन पर यात्री आरक्षण प्रणाली (पी.आर.एस.) स्थापित करने का प्रस्ताव रेलवे के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक आरंभ हो जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) जी हां। उपस्करों तथा संपर्क व्यवस्था के लिए स्वीकृति के बाद कम से कम छः माह का समय अपेक्षित होगा।

[अनुवाद]

एल.पी.जी. की उत्पादन लागत

3460. श्री एस. अलागिरी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा एल.पी.जी. की उत्पादन लागत का मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों तथा मौजूदा वर्ष के दौरान एल.पी.जी. की औसत उत्पादन लागत क्या थी; और

(ग) उक्त वर्षों के दौरान केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा एल.पी.जी. पर कितने प्रतिशत करों, उपकरों तथा अधिभार का उद्ग्रहण किया गया?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) पेट्रोलियम को परिष्कृत करने में, कच्चे तेल का संसाधन अनेक संसाधन इकाइयों के माध्यम से किया जाता है। तैयार पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन विभिन्न मध्यवर्ती स्ट्रीम्स के मिश्रण से किया जाता है। परिष्करण प्रक्रिया में लागत का मुख्य घटक कच्चे तेल की लागत होता है जो उत्पादन की कुल लागत का लगभग 95% होता है। इसके अतिरिक्त, रिफाइनरियां वेतन और मजूदरी, रसायनों और उत्प्रेरकों, विद्युत और जल, मरम्मत और अनुरक्षण, मूल्यह्रास और अन्य ऊपरी खर्चों पर प्रचालन व्यय करती हैं। तैयार पेट्रोलियम उत्पादों को बनाने के लिए विभिन्न संसाधन इकाइयों से मध्यवर्ती उत्पादों की स्ट्रीम्स का मिश्रण करने के परिणामस्वरूप अलग-अलग परिष्कृत उत्पादों की कुल लागत, उपयुक्ततः सही-सही आबंटित करने में कठिनाई आती है। अतः कम्पनियों द्वारा अलग से उत्पाद-वार अलग-अलग लागत का आकलन नहीं किया जाता।

(घ) घरेलू एल.पी.जी. एक राजसहायताप्राप्त उत्पाद है। केन्द्र सरकार ने 1 मार्च, 2005 से घरेलू एल.पी.जी. पर सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क "शून्य" कर दिया है। इसके अतिरिक्त, पूरे देश में 19-04-2009 से प्रभावी अधिकतम बिक्री कर/वैट की दर 4% तक करके घरेलू एल.पी.जी. के केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत "घोषित माल" बना दिया गया था।

कच्चे तेल के मूल्यों में वृद्धि

3461. श्री आर. ध्रुवनारायण: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के मूल्य 80 डालर प्रति बैरल से अधिक हो गए हैं तथा विश्व में मांग के तेजी बढ़ने के कारण इसके इसी स्तर पर बने रहने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का पेट्रोल तथा डीजल जैसे पेट्रोल उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) वर्तमान वर्ष 2009-10 के दौरान, कच्चे तेल का मूल्य लगातार बढ़ता रहा है। अप्रैल, 2009 से नवम्बर, 2009 तक कच्चे तेल की भारतीय बास्केट का औसत मूल्य निम्नवत् हैः-

	कच्चे तेल (भारतीय बास्केट) डालर प्रति बैरल
अप्रैल, 2009	50.21
मई, 2009	57.75
जून, 2009	69.12
जुलाई, 2009	64.82
अगस्त, 2009	71.96
सितम्बर, 2009	67.70
अक्तूबर, 2009	73.07
नवम्बर, 2009	77.39

(ख) और (ग) सरकार अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों की ध्यानपूर्वक निगरानी कर रही है और उपयुक्त समय पर उचित मूल्य निर्धारण निर्णय लेगी।

[हिन्दी]

कृषि-रसायनों के उत्पादन में वृद्धि

3462. श्री दानवे रावसाहेब पाटील: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान कृषि रसायनों का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या मौजूदा वर्ष के दौरान कृषि रसायनों का उत्पादन बढ़ा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त अवधि के लिए निर्धारित वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो उत्पादन में कमी के क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इसके लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) वर्ष 2006-07, 2007-08 एवं 2008-09 के दौरान कृषि-रसायनों के उत्पादन के ब्यौरे नीचे तालिका (ख) में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। कृषि-रसायनों के उत्पादन में गत वर्ष की संगत अवधि की तुलना में चालू वर्ष के पूर्वार्द्ध (अप्रैल से सितम्बर, 2009 जिसके लिए उत्पादन ब्यौरा उपलब्ध है) में बढ़ोतरी हुई है। ब्यौरे नीचे तालिका में दिए गए हैं:

(आंकड़े एम.टी. में)

उत्पाद	2006-07	2007-08	2008-09	2008-09 (अप्रैल-सितम्बर, 08)	2009-10 (अप्रैल-सितम्बर, 09)
कृषि रसायन	84999	83423	85338	42967	45929

(घ) से (च) कृषि रसायन उद्योग के विनियम-मुक्त होने के कारण सरकार द्वारा उत्पादन लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं।

[अनुवाद]

बांग्लादेश से प्राकृतिक गैस का आयात

3463. श्रीमती सुस्मिता बाउरी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में विशेषकर पश्चिम बंगाल में बंग्लादेश से वाणिज्यिक उत्पादन के लिए प्राकृतिक गैस का आयात करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) भारत ने बांग्लादेश से प्राकृतिक गैस के आयात के लिए प्रयत्न किया था। तथापि, बांग्लादेश का यह मानना है कि गैस की अपनी आंतरिक मांग को ध्यान में रखते हुए, उनके पास निर्यात के लिए गैस की पर्याप्त मात्रा नहीं है। इसलिए वर्तमान में भारत के पास बांग्लादेश से गैस आयात के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

उडुमलपेट पर रेल अधोगामी पुल

3464. श्री के. सुगुमार: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे की डिंडिगुल पोंडानु रेल लाइन पर उडुमलपेट रेलवे स्टेशन पर रेल अधोगामी पुल 'रेड अंडर ब्रिज' के निर्माण करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) उडुमपेट्टै और गोमंगलम स्टेशनों के बीच 92/16-17 किमी. पर मौजूदा समपार सं. 95 के स्थान पर वर्ष 2006-07 के निर्माण कार्यक्रम के दौरान लागत में भागीदारी के आधार पर उडुमलपेट्टै में ऊपरी सड़क पुल (निचले पुल का नहीं) का कार्य स्वीकृत किया गया है। सामान्य व्यवस्था आरेख भी अनुमोदित कर दिए गए हैं। 40% प्रगति पहले ही कर ली गई है। पहुंच मार्गों पर राज्य सरकार ने कार्य शुरू करना है।

विमानन विनियमन परामर्शदात्री पैनल

3465. श्री एम.के. राघवन: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विमानन विनियमन परामर्शदात्री पैनल का गठन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पैनल का क्षेत्राधिकार क्या होगा;

(ग) सदस्यों का पैनल पर चयन करने हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई गई है तथा उनकी विशेषज्ञता क्या है;

(घ) पैनल में गठन में शामिल होने वाले विशेषज्ञों के निकाय का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके कब तक रिपोर्ट/सुझाव सौंपे जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां। नागर विमानन महानिदेशालय (डी.जी.सी.ए.) द्वारा दिनांक 03-09-2009 को विमानन विनियमन सलाहकार पैनल (ए.आर.ए.पी.) का गठन किया गया है।

(ख) विमानन विनियमन सलाहकार पैनल के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र हैं, उड़नयोग्यता, उड़ान प्रचालन, उड़ान संरक्षा, कार्मिकों को लाइसेंस देना, विमान परिवहन सेवायें, एयरोड्रम तथा विमान दिक्कचालन सेवायें तथा कोई अन्य क्षेत्र।

(ग) और (घ) सदस्यों का चयन विमानन उद्योग से प्राप्त संस्तुतियों के आधार पर किया गया था। पेनल में नागर विमानन महानिदेशालय, एयरलाइनों तथा हवाईअड्डा प्रचालकों से विशेषज्ञ शामिल किए हैं।

(ङ) अधिकार क्षेत्र के विशिष्ट क्षेत्रों में सलाह देने के लिए ए.आर.ए.पी. का गठन किया गया है तथा इसकी कार्य प्रणाली एक गतिशील प्रक्रिया है व समय-समय पर इसकी रिपोर्टें प्रस्तुत की जाती हैं।

[हिन्दी]

सी.एन.जी. स्टेशनों का खोला जाना

3466. श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया:

श्री रामसिंह राठवा:

श्री पी.टी. थॉमस:

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:

श्री जगदीश ठाकोर:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान, केरल तथा गुजरात में राज्य-वार और जिला-वार कुल कितने सी.एन.जी. फिलिंग स्टेशन खोले गए हैं;

(ख) मौजूदा बिक्री वर्ष के दौरान जिला-वार प्रत्येक राज्य में कुल कितने सी.एन.जी. फिलिंग स्टेशन की स्थापना की गई है;

(ग) क्या वाहनों की मांग में वृद्धि के मद्देनजर मौजूदा सी.एन.जी. फिलिंग स्टेशनों की संख्या मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार देश में राज्यवार और नगरवार सी.एन.जी. फिलिंग स्टेशनों की कुल संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। राजस्थान और केरल के किसी भी नगर में अभी तक नगर गैस वितरण शुरू नहीं किया गया है।

(ग) वाहनों का सी.एन.जी. पद्धति रूपांतरण एक सतत प्रक्रिया है। सी.एन.जी. स्टेशनों को, बाजार की मांग, प्राकृतिक गैस की उपलब्धता और स्थानीय कारकों के आधार पर प्राधिकृत कंपनियों द्वारा विकसित किया जाता है।

(घ) गेल के संयुक्त उद्यमों सहित केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत नगर गैस वितरण (सी.जी.डी.) कंपनियां सी.एन.जी. नेटवर्क का विस्तार करने के लिए कार्यकलापों को हाथ में ले रही हैं। इसके अतिरिक्त, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पी.एन.जी.आर.बी.) अन्य नगरों में सी.जी.डी. कार्यकलापों को करने के लिए कम्पनियों को प्राधिकृत करने की प्रक्रिया में है। के.जी. डी-6 से विभिन्न सी.जी.डी. कंपनियों को परिवहन और घरेलू क्षेत्रों को आपूर्ति के लिए, 834,631 मानक घन मीटर प्रति दिन (एस.सी.एम.डी.) गैस आबंटित की गई है।

विवरण

वर्तमान सी.एन.जी. स्टेशन (30-11-2009 की स्थिति के अनुसार)

राज्य	शहर	वर्तमान सी.एन.जी. स्टेशन	वर्ष 2009-10 के दौरान स्थापित सी.एन.जी. स्टेशन
1	2	3	4
दिल्ली-एन.सी.आर.	दिल्ली	173	2
	नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा गाजियाबाद	11	3
कुल दिल्ली (एन.सी.आर.)		**184**	**5**
महाराष्ट्र	मुंबई	123	13
	ठाणे	8	
	मीरा भायन्दर	3	
	नवी मुंबई	2	
	पुणे	10	3
कुल महाराष्ट्र		**146**	**16**
उत्तर प्रदेश	कानपुर	7	
	बरेली	1	
	लखनऊ	4	
	आगरा	3	
	मुरादाबाद	2	1
कुल उत्तर प्रदेश		**17**	**1**
गुजरात	बड़ोदरा	3	2
	सूरत, भडूच, अंकलेश्वर	29	7
	राजकोट, सौराष्ट्र, मध्य गुजरात, दक्षिणी गुजरात	63	38
	अहमदाबाद, बड़ोदरा	54	5
	गांधीनगर	10	1
	आणंद व समीप के गांव	1	

1	2	3	4
	अहमदाबाद	15	7
कुल गुजरात		**175**	**60**
आन्ध्र प्रदेश	विजयवाडा	6	
	हैदराबाद	4	1
	राजामुंदरी	1	
कुल आन्ध्र प्रदेश		**11**	**1**
त्रिपुरा	अगरतला	1	0
कुल त्रिपुरा		**1**	**0**
मध्य प्रदेश	इन्दौर	5	0
	उज्जैन	1	0
कुल मध्य प्रदेश		**6**	**0**
हरियाणा	गुड़गांव	3	2
	फरीदाबाद	2	0
कुल हरियाणा		**5**	**2**
पश्चिम बंगाल	आसनसोल तथा दुर्गापुर	5	2
कुल पश्चिम बंगाल		**5**	**2**
दमन एवं दीव	दमन एवं दीव	1	1
कुल दमन एवं दीव		**1**	**1**
योग		551	88

डिब्बाबंद केरोसिन की बिक्री

3467. **श्री गणेश सिंह:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार डिब्बाबंद केरोसिन की बिक्री हेतु योजना बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना से गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों को क्या लाभ मिलने की संभावना है; और

(घ) इस योजना के कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाले मिट्टी तेल के विपथन को रोकने के लिए इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पुनर्हस्तगमनीय पैक में डिब्बाबंद मिट्टी तेल बेचने की संभावना का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना हाथ में ली गई थी। परंतु इससे वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए, और पूरे मूल्य पर इस उत्पाद के लिए प्रकृतितः कोई मांग नहीं

रही है। इस पर विचार करते हुए, इस परियोजना के बंद करने का निर्णय लिया गया है।

(ग) और (घ) उपरोक्त (क) और (ख) में दिए गए उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

निजी कंपनियों को आवंटित तेल और गैस ब्लॉक

3468. श्री सुदर्शन भगत:

श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियों द्वारा अन्वेषित तेल और गैस स्थलों को गैस का अन्वेषण करने हेतु निजी कंपनियों को आवंटित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा उक्त अन्वेषण हेतु कितनी धनराशि व्यय की गयी है; और

(घ) उक्त स्थलों को निजी एजेंसियों को आवंटित किए जाने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियों द्वारा वे ब्लाक, जहां तेल और गैस की खोज होती है, समय-समय पर त्याग दिए जाते हैं और नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एन.ई.एल.पी.) व्यवस्था के अंतर्गत अन्वेषण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से निजी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के साथ राष्ट्रीय/राज्य तेल कंपनियों को प्रस्तावित करने के लिए नए ब्लाक तराशे जाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा त्यागे गए क्षेत्रों से निम्नलिखित ब्लाक तराशे गए हैं और एन.ई.एल.पी.-VIII के अंतर्गत प्रस्तावित किए गए हैं:-

(i) वी.एन.-ओ.एन.एन.-2009/1

(ii) वी.एन.-ओ.एन.एन.-2009/2

(iii) वी.एन.-ओ.एन.एन.-2009/3

(iv) एच.एफ.-ओ.एन.एन.-2009/1

(v) सी.बी.-ओ.एन.एन.-2009/1

(vi) सी.बी.-ओ.एन.एन.-2009/2

(vii) सी.बी.-ओ.एन.एन.-2009/3

(viii) सी.बी.-ओ.एन.एन.-2009/4

(ग) जिन्हें अन्वेषण के लिए तेल और गैस ब्लाक आबंटित किए गए हैं, उस/उन कंपनी/कंपनियों द्वारा ही व्यय किया गया है। तेल एवं गैस के अन्वेषण लिए सरकार द्वारा कोई राशि खर्च नहीं की गई है।

(घ) प्रस्ताव आमंत्रण नोटिस (एन.आई.ओ.) में दर्शाए अनुसार पारदर्शी और अनुमान्य बोली मूल्यांकन मानदंड (बी.ई.सी.) के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली प्रणाली, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां और निजी कंपनियां, दोनों ही, भाग लेती हैं, के द्वारा एन.ई.एल.पी. दौर के ब्लाक प्रस्तावित किए जाते हैं। तेल एवं गैस के अन्वेषण में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है। बी.ई.सी. के आधार पर सफल बोलीदाताओं को ब्लाक प्रदान किए जाते हैं।

[अनुवाद]

इस्पात की मांग

3469. श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या हाल के महीनों में अवसंरचना, आवास और वाहन उद्योग जैसे क्षेत्रों में अधिक मांग के कारण इस्पात की मांग आपूर्ति की अपेक्षा अधिक होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का विचार इस्पात की मांग को किस प्रकार पूरा करने का है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप): (क) और (ख) देश में इस्पात की मांग को घरेलू उत्पादन और आयात, दोनों के जरिए पूरा किया जा रहा है। अतः घरेलू बाजार में इस्पात की उपलब्धता घरेलू इस्पात उत्पादन और साथ ही आयात के जरिए पूरी की जा रही मांग को पूरा करने में समर्थ है। तथापि, देश में इस्पात की खपत घरेलू उत्पादन की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ रही है। संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा जारी किए गए अनंतिम आंकड़ों के अनुसार चालू वर्ष में अप्रैल-नवंबर तक की अवधि के दौरान घरेलू उत्पादन में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है जबकि इस्पात की खपत में 8.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई

है। भारत में इस्पात की खपत में होने वाली अधिकांश बढ़ोतरी हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमोबाइल और कंज्यूमर गुड्स सैक्टरों के कारण हो रही है।

(ग) तथापि, इसे ध्यान में रखते हुए कि भविष्य में भारत में इस्पात की मांग बढ़ने की संभावना है, सरकार देश में नई इस्पात उत्पादन क्षमताएं स्थापित करने को सुसाध्य बना रही है। इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र की इकाइयों, नामतः स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर.आई.एन.एल.) ने पहले ही प्रमुख क्षमता विस्तार योजनाएं शुरू कर दी हैं। सेल की अपरिष्कृत इस्पात की मौजूदा 13.82 मिलियन टन वार्षिक (एम.टी.पी.ए.) क्षमता को बढ़ाकर वर्ष 2012-13 तक 23.46 एम.टी.टी.पी.ए. करने की योजना है। इसी प्रकार आर.आई.एन.एल. भी अपनी द्रव इस्पात क्षमता को 3.0 एम.टी.पी.ए. से बढ़ाकर वर्ष 2011-12 तक 6.3 एम.टी.पी.ए. कर रहा है।

निःशक्त व्यक्तियों हेतु सुविधाएं

3470. श्री अनन्त कुमारः क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रेलवे विभिन्न रेलगाड़ियों में निःशक्त व्यक्तियों हेतु निर्धारित कोचों की जगह बदलने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रहा है; और

(ख) रेलगाड़ियां तथा रेलवे स्टेशन दोनों में निःशक्त और शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को सुविधा देने हेतु रेलवे द्वारा कौन से अन्य कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं। फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) निःशक्तता अधिनियम को लागू करने के अनुसरण में, स्टेशनों को विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिक सुगम्य बनाने के लिए चरणबद्ध आधार पर स्टेशनों पर सुविधाओं की व्यवस्था करने की योजना है। प्रथम चरण में, ए-। और ए श्रेणी के सभी स्टेशनों पर मानक रैम्प, पार्किंग स्थल, फिसलन रहित मार्ग, संकेतक, शौचालय, पानी के नल, "क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं" बूथ और व्हीलचेयरों की व्यवस्था कर दी गई है। मार्च, 2010 तक इन सुविधाओं को सभी 'बी' कोटि के स्टेशनों पर पूरा करने की योजना है। अन्य कोटियों के स्टेशनों को इन सुविधाओं में बाद में उपयुक्त रूप से सुसज्जित करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

तकनीकी वस्त्र

3471. श्री जगदीश शर्माः
डॉ. मुरली मनोहर जोशीः

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तकनीकी वस्त्र क्षेत्र तथा वस्त्र विनिर्माण क्षेत्र की औसत वार्षिक विकास दर कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने तकनीकी वस्त्र क्षेत्र तथा वस्त्र विनिर्माण क्षेत्र की विकास दरों में उक्त अंतर के कारणों का पता लगाने हेतु कोई अध्ययन कराया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.) के अंतर्गत तकनीकी वस्त्र क्षेत्र को औसतन कितनी वार्षिक धनराशि का संवितरण किया गया?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) तकनीकी वस्त्र के उत्पादन का वर्षवार आंकड़ा सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। तथापि, तकनीकी वस्त्र संबंधी विशेषज्ञ समिति (ई.सी.टी.टी.) की रिपोर्ट और भारत में तकनीकी वस्त्र उद्योग के बेस लाइन सर्वेक्षण संबंधी आई.सी.आर.ए. प्रबंधन परामर्श सेवा लि. (आई.एम.ए.सी.एस.) के अध्ययन के आधार पर, बाजार आकार संबंधी ब्यौरा नीचे दिया गया है-

क्र.सं.	वर्ष	तकनीकी वस्त्र बाजार का आकार (करोड़ रु.)	विकास दर (%)	परंपरागत वस्त्र [फैब्रिक्स (खादी, ऊन एवं रेशम सहित)] उत्पादन (मि. वर्ग मी.)	विकास दर (%)
1	2	3	4	5	6
1.	2005-06	23787.36#	-	49577	

1	2	3	4	5	6
2.	2006-07	26525.68#	11.51	53389	7.69
3.	2007-08	41756.00$	-	56025	4.94
4.	2008-09	46321.42$	10.93	54966*	-1.89

(#-ई.सी.टी.टी. रिपोर्ट, $-आई.एम.ए.सी.एस. रिपोर्ट और *-अनंतिम)

ई.सी.टी.टी. की रिपोर्ट के अनुसार 2003-04 के लिए तकनीकी वस्त्र का अनुमानित बाजार आकार 19129.59 करोड़ रु. है और 2007-08 के लिए तकनीकी वस्त्र का अनुमानित बाजार आकार 29579.23 करोड़ रु. है। इस रिपोर्ट के आधार पर 2005-06 और 2006-07 के लिए बाजार आकार कम्पाउंडेड वार्षिक वृद्धि दर (सी.ए.जी.आर.) प्रतिशत के आधार पर तय किया गया था।

आई.एम.ए.सी.एस. रिपोर्ट के अनुसार 2007-08 के लिए तकनीकी वस्त्र का अनुमानित बाजार आकार 41756.00 करोड़ रु. है और 2012-13 के लिए तकनीकी वस्त्र का अनुमानित बाजार आकार 70151.00 करोड़ रु. है। इस रिपोर्ट के आधार पर 2008-09 के लिए बाजार आकार कम्पाउंडेड वार्षिक वृद्धि दर (सी.एन.जी.आर.) प्रतिशत के आधार पर तय किया गया था।

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में कोई अध्ययन नहीं करवाया गया है। तथापि, तकनीकी वस्त्र के क्षेत्र और देश में उत्पादन के इसके प्रारंभिक चरण पर विचार करते हुए, तकनीकी वस्त्र क्षेत्र का विकास दर सामान्य वस्त्र क्षेत्र की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक रहने की आशा है।

(ग) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.) के अंतर्गत तकनीकी वस्त्र के वार्षिक निधि संवितरण ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, 01-04-2009 से 30-06-2009 तक गैर बुने हुए वस्त्र सहित तकनीकी वस्त्र इकाइयों की टी.यू.एफ.एस. के अंतर्गत प्रगति नीचे दी गई है-

(करोड़ रु. में)

क्षेत्र	प्राप्त			स्वीकृत			संवितरित	
	आवेदन की सं.	परियोजना लागत*	अपेक्षित ऋण राशि	आवेदन की सं.	परियोजना लागत*	राशि	आवेदन की सं.	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
गैर-एस.एस.आई.	213	1936.2311	931.7035	213	1935.7391	915.8761	213	862.4041
एस.एस.आई.	179	204.1618	108.518	177	199.4818	103.5846	177	96.3554
कुल	392	2140.3929	1040.2215	390	2135.2209	1019.4607	390	958.7595

*परियोजना लागत में इक्विटी (गैर ऋण राशि), गैर-टू.यू.एफ. पात्र निवेश के लिए ऋण शामिल है।

[अनुवाद]

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) को हुई हानि

3472. श्री बदरूद्दीन अजमल: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) द्वारा संचालित अधिकांश विमानपत्तनों के कम उपयोग तथा खराब प्रबंधन के कारण काफी हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है;

(ग) चालू वर्ष सहित गत तीन वर्षों से विमानपत्तनों द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के राजस्व के स्रोत क्या हैं; और

(घ) चालू वर्ष सहित गत तीन वर्षों का विमानपत्तन-वार लाभ/हानि का विवरण क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं। तथापि, कुछ हवाईअड्डे हानि में चल रहे हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को हुई हानि के मुख्य कारण, कम यातायात तथा इसके अधिकांश हवाईअड्डों पर कम वैमानिकी राजस्व का अर्जन किया जाना है।

(ख) गैर-वैमानिकी राजस्व को बढ़ाने, प्रचालनात्मक लागत को कम करने तथा मितोपयोग उपायों को लागू करने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं।

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के राजस्व के स्रोतों के बारे में ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(घ) हवाईअड्डा-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के राजस्व के स्रोत

(करोड़ रुपए)

	2006-07	2007-08	2008-09
मार्ग दिक्कचालन सुविधा प्रभार	1121.76	1288.59	1339.95
लैंडिंग पार्किंग हाऊसिंग	333.25	376.15	313.75
टर्मिनल दिक्कचालन अवतरण प्रभार	191.40	230.33	249.94
यात्री सेवा शुल्क	560.33	638.75	469.55
जन प्रवेश शुल्क	20.90	19.61	14.66
व्यापार रियायतें	189.36	284.79	298.83
किराया व सेवायें	137.42	136.69	223.83
कार्गो राजस्व	169.77	170.51	177.94
जमा निधियों पर ब्याज	144.84	172.24	92.79
अन्य विविध आय	857.20	226.10	184.45
हवाईअड्डे को पट्टे पर दिए जाने से आय	0.00	745.45	820.25
कुल	3726.23	4289.21	4185.94

विवरण-II

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्व/व्यय तथा लाभ का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपए)

क्र. सं.	वर्ष		2006-07			2007-08			2008-09		
	राज्य का नाम	हवाई-अड्डे का नाम	कुल राजस्व	कुल व्यय	कर पूर्व लाभ/हानि	कुल राजस्व	कुल व्यय	कर पूर्व लाभ/हानि	कुल राजस्व	कुल व्यय	कर पूर्व लाभ/हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
लाभ वाले अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे											
1.	दिल्ली	दिल्ली	61962.39	13727.98	48234.41	68863.35	16963.72	51899.63	69713.70	20776.490	48936.680
2.	महाराष्ट्र	मुम्बई	62602.36	15080.93	47521.43	64175.39	18855.79	45319.60	67721.470	22562.160	45159.310
3.	तमिलनाडु	चेन्नई	48838.55	18205.67	30632.88	63481.53	18596.18	44885.35	65522.640	25604.210	39918.630
4.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	24435.02	16355.09	8079.93	30890.59	19937.03	10953.56	33397.450	24083.160	9314.290
5.	कर्नाटक	बंगलोर	21420.22	5138.20	16282.02	24590.22	3633.67	21056.55	12689.080	4647.040	8042.040
6.	गोवा	गोवा (सीई)	4931.00	1195.40	3735.60	5838.95	1393.55	4445.40	5401.040	2849.000	2552.040
7.	महाराष्ट्र	पुणे (सीई)	3198.00	1205.42	1992.58	3665.14	3288.04	377.10	4414.220	2091.240	2322.980
8.	गुजरात	अहमदाबाद	7899.00	5402.87	2496.13	10948.31	5780.40	5167.91	10718.180	8311.820	2406.360
9.	केरल	कालीकट	5691.36	3812.02	1879.34	6396.29	5244.67	1151.62	8819.380	6745.960	2073.420
10.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	22516.74	6364.95	16151.79	22221.07	6818.89	15402.18	9615.920	8229.580	1386.340
लाभ वाले घरेलू हवाईअड्डे											
1.	महाराष्ट्र	जूहू (सीई)	1649.00	452.83	1196.17	1811.43	558.73	1252.70	1917.40	520.91	1396.49

2.	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर	1236.30	1351.21	-114.91	1353.88	2658.34	-1304.46	3003.51	2165.55	837.96
3.	चंडीगढ़	चंडीगढ़	313.52	541.76	-228.24	461.75	667.71	-205.96	822.54	762.65	59.89
हानि वाले अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे											
1.	तमिलनाडु	कोयम्बटूर	2246.08	1618.16	627.92	2990.26	2005.50	984.76	2818.60	2823.58	-4.98
2.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू	936.96	821.00	115.96	957.08	886.00	71.08	1078.10	1181.41	-103.31
3.	अंडमान और निकोबार	पोर्ट ब्लेयर	904.87	651.96	252.91	1208.69	700.16	508.53	781.96	1061.45	-279.49
4.	राजस्थान	जयपुर	2575.28	2687.09	-111.81	4078.27	3300.24	778.03	3923.47	4405.28	-481.81
5.	केरल	त्रिवेन्द्रम	7162.39	4801.24	2361.15	8958.10	5317.39	3640.71	8248.75	9105.12	-856.37
6.	पंजाब	अमृतसर	2158.46	2563.58	405.12	3215.90	3530.89	-314.99	3085.43	5370.8	-2285.37
7.	असम	गुवाहाटी	3081.93	5956.24	-2874.31	3975.29	5221.62	-1246.33	3317.96	6160.61	-2842.65
8.	महाराष्ट्र	नागपुर	2667.00	3615.28	-1348.28	2912.71	5497.74	-2585.03	2836.09	6531.64	-3695.55
हानि वाले प्रचालनिक हवाईअड्डे											
1.	आन्ध्र प्रदेश	राजमुंदरी	97.91	287.08	-189.17	158.63	223.12	-64.49	294.28	441.23	-146.95
2.		तिरूपति	298.85	627.49	-328.64	410.93	1042.12	-631.19	366.35	1242.3	-875.95
3.		विजयवाड़ा	126.69	465.75	-339.06	176.00	497.00	-321.00	191.8	653	-461.2
4.		विशाखापत्तनम	640.99	947.94	-306.95	1029.68	1841.38	-811.70	1336.94	2075.08	-738.14
5.	अरुणाचल प्रदेश	तेजू सीई	0.00	20.14	-20.14	0	21.12	-21.12	0	31.2	-31.2
6.	असम	डिब्रूगढ़ मोहा	347.09	1117.72	-770.63	283.21	1080.90	-797.69	343.38	2721.48	-2376.10
7.		जोरहट सीई	79.32	282.35	-203.03	88.17	259.07	-170.90	108.41	316.96	-208.55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.		लीलावाड़ी	14.51	357.76	-343.25	19.89	949.18	-929.29	18.8	1176.21	-1157.41
9.		सिल्वर सीई	-171.56	511.34	-339.78	222.60	608.67	-386.07	139.23	2015.57	-1876.34
10.		तेजपुर सीई	-7.03	175.86	-182.89	5.24	510.27	-505.03	2.42	497.10	-494.68
11.	बिहार	गया	189.74	1303.96	-1114.22	192.07	1726.25	-1534.18	210.73	2029.24	-1818.51
12.		पटना	855.95	1932.58	-1076.63	1187.84	2286.87	-1099.03	1020.50	2839.88	-1819.38
13.	छत्तीसगढ़	रायपुर, मन्ना सीई	773.00	850.01	-77.01	1360.63	1151.43	209.20	1201.40	1605.49	-404.09
14.	दीव	दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.78	82.18	-50.40
15.	दिल्ली	दिल्ली, सफदरजंग	60.04	1073.70	-1013.66	151.81	1519.94	-1368.13	185.32	1992.89	-1807.57
16.	गुजरात	भावनगर	113.00	487.99	-374.99	138.12	661.95	-523.83	130.24	994.50	-864.26
17.		भुज सीई	183.00	505.19	-322.19	284.76	514.39	-229.63	315.40	557.81	-242.41
18.		जामनगर सीई	165.00	213.74	-48.74	239.92	381.26	-141.34	140.6	304.07	-163.47
19.		कांदला	4.00	149.42	-145.42	63.68	216.17	-152.49	44.17	193.90	-149.73
20.		केशोड़, जूनागढ़	2.00	87.85	-85.85	0.54	545.03	-544.49	0.34	191.69	-191.35
21.		पोरबंदर	30.00	343.24	-313.24	34.17	511.41	-477.24	52.39	655.17	-602.78
22.		सूरत	8.00	82.67	-74.67	141.53	447.12	-305.59	68.35	1369.13	-1300.78
23.		रोजकोट	352.00	810.09	-458.09	381.77	887.95	-506.18	308.97	1182.77	-873.80
24.		बड़ोदरा, बड़ौदा	1139.00	1545.11	-406.11	1512.88	1969.46	-456.58	1456.13	2541.17	-1085.04

25.	हिमाचल प्रदेश	कुल्लू, भुन्तर	35.19	452.98	-417.79	49.81	586.13	-536.32	189.08	745.53	-556.45
26.		कांगड़ा, गग्गल	7.17	292.58	-285.41	35.00	411.04	-376.04	349.35	460.61	-111.26
27.		शिमला	7.14	252.71	-245.57	29.75	345.86	-316.11	21.53	441.65	-420.12
28.	जम्मू और कश्मीर	लेह सीई	227.44	349.07	-121.63	275.32	328.73	-53.41	323.63	389.44	-65.81
29.		कारगिल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.79	-265.79
30.	झारखंड	रांची	435.49	1173.21	-737.72	869.67	1583.89	-714.22	782.79	2029.30	-1246.51
31.	कर्नाटक	बेलगांव	52.00	875.72	-823.72	66.14	990.76	-924.62	45.58	628.22	-582.64
32.		हुबली	52.84	132.67	-79.83	151.01	343.95	-192.94	129.05	406.75	-277.70
33.		मंगलोर	1243.44	2134.47	-891.03	2014.11	2494.45	-480.34	2133.03	3405.25	-1272.22
34.		विजयनगर@	0.00	0.00	0.00	0.00	3.66	-3.66	0.00	3.47	-3.47
35.	लक्षद्वीप	अगाती	19.38	201.93	-182.55	36.40	310.25	-273.85	28.18	355.41	-327.23
36.	मध्य प्रदेश	भोपाल	551.00	1566.32	-1015.32	737.22	1988.46	-1251.24	730.36	2318.95	-1588.57
37.		ग्वालियर, सीई	36.95	298.99	-262.04	37.69	349.37	-311.68	26.58	406.87	-380.29
38.		इंदौर	1051.00	1276.48	-225.48	1610.38	1628.86	-18.48	2050.77	2171.64	-120.87
39.		जबलपुर	44.00	341.16	-297.16	63.89	669.38	-605.49	81.34	629.19	-547.85
40.		खजराहो	235.20	907.26	-672.06	276.89	1289.47	-1012.58	593.25	1418.21	-824.96
41.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	332.00	817.73	-485.73	518.28	751.04	-232.76	545.96	1952.53	-1406.57
42.		गोंदिया	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	79.82	-79.82
43.	मणिपुर	इम्फाल	462.47	1211.97	-749.50	738.12	1563.11	-824.99	724.05	1925.30	-1201.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.	मेघालय	शिलौंग, बारापानी	6.57	146.10	-139.53	6.34	295.40	-289.06	28.77	590.31	-561.54
45.	मिजोरम	लेंगपुई, एजवाल	52.86	168.77	-115.91	61.07	189.67	-128.60	59.07	203.21	-144.14
46.	नागालैंड	दीमापुर	-131.39	441.31	-572.70	105.76	1165.37	-1059.61	69.55	1300.16	-1230.61
47.	उड़ीसा	भुवनेश्वर	964.25	2002.73	-1038.48	1968.88	2373.52	-404.64	1765.09	3121.22	-1356.13
48.		झारसुगुडा	0.66	78.77	-78.11	0.36	83.73	-83.37	0.00	154.79	-154.79
49.	पांडिचेरी	पांडिचेरी	10.41	56.55	-46.14	12.21	95.92	-83.71	148.61	163.50	-14.89
50.	पंजाब	लुधियाना	2.22	201.18	-198.96	3.28	217.22	-213.94	7.33	214.29	-206.96
51.		जैसलमेर सीई	9.04	273.36	-264.32	27.02	324.84	-297.82	0.00	226.73	-226.73
52.	राजस्थान	जोधपुर, सीई	0.05	34.51	-34.46	9.79	38.47	-28.68	1.80	79.11	-77.31
53.		कोटा	307.08	585.99	-278.91	327.97	672.98	-345.01	209.41	735.42	-526.01
54.		उदयपुर	10.97	72.54	-61.57	32.09	71.30	-39.21	25.88	91.59	-65.71
55.			702.83	1137.25	-434.42	930.06	1995.72	-1065.66	1707.77	2326.95	-619.18
56.	तमिलनाडु	मदुरै	517.22	817.08	-299.86	772.80	1250.55	-477.75	778.42	1955.51	-1117.09
57.		सलेम	4.22	33.78	-29.56	0.75	44.54	-43.79	1.03	90.77	-89.74
58.		तिरूचिरापल्ली	826.72	1376.52	-549.80	1241.50	1859.63	-618.13	1371.23	2994.84	-1623.61
59.		तूतीकोरिन	32.00	89.60	-57.60	55.63	141.03	-85.40	62.52	274.17	-211.65
60.		बेल्लूर	0.02	6.95	-6.93	0.31	11.12	-10.81	-0.01	18.78	-18.79

61.	त्रिपुरा	अगरतला	614.18	1785.29	-1171.11	916.30	2336.73	-1420.43	843.73	2171.46	-1327.73
62.	उत्तर प्रदेश	आगरा, सीई	59.10	526.17	-467.07	94.02	585.34	-491.32	123.18	619.89	-496.71
63.		इलाहाबाद सीई	45.81	150.59	-104.78	42.18	440.42	-398.24	73.44	661.78	-588.34
64.		गोरखपुर सीई	10.70	44.70	-34.00	17.97	60.21	-42.24	37.47	120.31	-82.84
65.		कानपुर	12.46	336.54	-324.08	29.75	396.56	-366.81	45.69	434.07	-388.38
66.		लखनऊ	1962.21	3022.05	-1059.84	2431.95	3567.74	-1135.79	2913.45	4550.86	-1637.41
67.		वाराणसी	976.91	2122.66	-1145.75	1312.09	2573.11	-1261.02	2446.28	3014.10	-567,82
68.	उत्तरांचल	देहरादून	55.04	228.31	-173.27	7.75	935.14	-927.39	109.34	994.61	-885.27
69.		पंतनगर	22.26	133.21	-110.95	43.12	273.04	-229.92	28.62	355.39	-326.77
70.	पश्चिम बंगाल	बागडोगरा, सीई	545.45	900.66	-355.21	685.51	732.98	-47.47	842.37	945.77	-103.40
71.		बल्लूरघाट	0.30	4.81	-4.51	0.00	10.48	-10.48	0.00	10.76	-10.76
72.		बेहाला	0.00	24.88	-24.88	7.73	51.36	-43.64	0.00	112.59	-112.59
73.		कूच बिहार	-153.81	-93.09	-60.72	0.11	270.25	-270.14	0.00	171.58	-171.58
74.		मालदा	0.31	23.07	-22.76	0.00	36.48	-36.48	0.00	56.41	-56.41
						26738.04	**58591.34**	**-31853.30**	**30422.52**	**76504.88**	**-46082.36**

हानि वाले गैर प्रचालनिक हवाईअड्डे

1.	आन्ध्र प्रदेश	कुडप्पा	0.04	10.51	-10.47	0.02	14.50	-14.48	0.47	42.33	-41.86
2.		डोनाकोंडा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
3.		नादिरगुल, फ्लाईंग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.		वारंगल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
5.	अरुणाचल प्रदेश	अलोंग, सीई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
6.		डापोरिजी, सीई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
7.		पासीघाट	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
8.		जीरो, सीई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
9.	असम	रूपसी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
10.		शीला	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
11.	बिहार	जोगबनी	0.00	0.50	-0.50	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
12.		मुजफ्फरपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
13.		रक्सौल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
14.	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
15.	गुजरात	देसा, पालमपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
16.	झारखंड	चकोलिया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
17.	कर्नाटक	हसन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
18.		मैसूर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	13.88	-13.88
19.	केरल	कोचीन, सीई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
20.	मध्य प्रदेश	खंडवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
21.		पन्ना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
22.		सतना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00

23.	महाराष्ट्र	अकोला	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
24.		हदपसर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
25.		शोलापुर, एसजी.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
26.		कोल्हापुर, एसजी.	5.00	11.12	-6.12	5.60	11.41	-5.81	4.56	36.09	-31.53
27.	मिजोरम	तूरीयन, एजवाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
28.	राजस्थान	एन.ए.एल., बीकानेर	0.56	100.29	-99.73	0.00	101.71	-101.71	0	22.72	-22.72
29.	त्रिपुरा	कैलाशहर	0.00	1.24	-1.24	0.00	0.00	0.00	0	6.94	-6.94
30.		कमलपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
31.		खोवई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
32.	उत्तर प्रदेश	झांसी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
33.		कानपुर, चकेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
34.		ललितपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
35.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00

सी.ई.-सिविल इन्क्लेव

(एस.जी.)=राज्य सरकार को पट्टे पर दिया गया।

ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा

1.	केरल	कोचीन, सी.आई.ए.एल.	2905.29	1038.60	1866.69	4241.10	566.56	3674.54	4961.36	1034.79	3926.57

ब्राउनफील्ड/अमोनिया कॉम्पलेक्स की स्थापना

3473. शेख सैदुल हक: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वर्तमान में एच.एफ.सी.एल. लिमिटेड के बंद पड़े दुर्गापुर संयंत्र के स्थल पर एक ब्राउनफील्ड यूरिया/अमोनिया कॉम्पलेक्स की स्थापना हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ग) दि मैट्रिक्स फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड (एम.एफ.सी.एल.) ने कोल बेड मिथेन (सी.बी.एम.) गैस का इस्तेमाल करके इस समय बंद पड़े एम.एफ.सी.एल. के दुर्गापुर संयंत्र के स्थल पर एक ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया परियोजना लगाने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। चूंकि एच.एफ.सी.एल. की बंद पड़ी इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए निवेशकों का चयन एक पारदर्शक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना है, इसलिए इस प्रस्ताव पर कोई निर्णय लिया जाना सम्भव नहीं हो सका। बाद में, एम.एफ.सी.एल. ने पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में कोल बेड मिथेन (सी.बी.एम.) गैस आधारित एक ग्रीनफील्ड अमोनिया/यूरिया परियोजना स्थापित करने के बारे में सूचित किया है, जिसको गैस की आपूर्ति ऐस्सार ऑयल लिमिटेड के रानीगंज सी.बी.एम. ब्लॉक द्वारा की जाएगी।

[हिन्दी]

बिहार में अकार्यशील विमानपत्तन

3474. डॉ. संजय जायसवाल: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नागरिकों के उपयोग के लिए बिहार में दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि जैसे स्थानों पर बंद पड़े विमानपत्तनों को चालू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इन विमानपत्तनों को कब तक चालू किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) बिहार में मुजफ्फरपुर हवाईअड्डा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास इसे प्रचालनिक बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बिहार में दरभंगा हवाईअड्डा भारतीय वायुसेना (आई.ए.एफ.) के अधीन है।

(ग) न ही किसी एयरलाइन ऑपरेटर ने और न ही राज्य सरकार ने इन हवाईअड्डों के लिए नियमित अनुसूची उड़ानों के प्रचालन की मांग/अनुरोध किया है।

[अनुवाद]

रेलगाड़ियों में चिकित्सा सुविधा

3475. श्री एंटो एंटोनी:

श्री एस. पक्कीरप्पा:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में आपातकालीन स्थिति में डॉक्टरों तथा प्राथमिक उपचार सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) लम्बी दूरी की सभी गाड़ियों में यात्रियों के लिए प्राथमिक उपचार की सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। कुछ लम्बी दूरी की गाड़ियों, जिनका मार्ग में व्यवहारिक ठहराव नहीं है, में एक डॉक्टर को तैनात करने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

(ख) लम्बी दूरी की सभी यात्री गाड़ियों में प्राथमिक उपचार बॉक्स की व्यवस्था है, जिसमें आवश्यक दवाइयां, और मरहम-पट्टी सामग्री उपलब्ध रहती है। प्राथमिक उपचार बॉक्स गाड़ी के गार्ड के पास उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा, कई प्रकार की दवाइयों, प्रयोज्य चिकित्सा सामग्रियों सहित उन्नत प्राथमिक उपचार बॉक्स राजधानी/शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों के ट्रेन अधीक्षक तथा अन्य नामित गाड़ियों के गार्ड के पास मुहैया कराए गए हैं। वे यात्री, जिन्हें तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है, की देखभाल के लिए यात्रा कर रहे डॉक्टरों की सेवाओं का भी उपयोग किया जाता है। फ्रन्ट लाइन कर्मचारी यथा ट्रेन अधीक्षक, ट्रेन कंडक्टर, चल टिकट परीक्षक इत्यादि को भी प्राथमिक उपचार देने के लिए प्रशिक्षित किया

जाता है। यदि आवश्यक हुआ तो गाड़ियों को आपातकाल में मार्ग में उन स्टेशनों पर भी रोका जा सकता है, जहां ठहराव निर्धारित नहीं है। स्टेशन मास्टर के पास स्टेशन के निकट के डॉक्टरों, क्लीनकों और सरकारी तथा निजी अस्पतालों का विवरण होता है ताकि इमरजेंसी में इनकी सेवाओं का उपयोग किया जा सके। इसके अलावा, गाड़ियों में बीमार यात्रियों को इमरजेंसी चिकित्सा देखभाल मुहैया कराने के लिए रेलवे लाइन के आस-पास तथा मार्गवर्ती स्टेशनों में रेलवे से इतर चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता के संबंध में एक डाटाबेस भी तैयार किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नीलाम्बर पर अधिक लंबे प्लेटफार्म

3476. **श्री एम.आई. शानवास:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार नीलाम्बर पर 18 कोच जितने लंबे प्लेटफार्म बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

एन.एम.डी.सी. द्वारा हीरों का उत्पादन

3477. **श्री तूफानी सरोज:** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एन.एम.डी.सी.) भी हीरा के खनन में शामिल है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2004 से अक्तूबर, 2009 तक वर्षवार कितनी मात्रा में हीरे का खनन किया गया है;

(ग) क्या एन.एम.डी.सी. ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए हीरा उत्पादन हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) एन.एम.डी.सी. द्वारा अब तक निर्धारित लक्ष्य को किस हद तक प्राप्त कर लिया गया है; और

(च) कंपनी को कितने कैरेट के लिए पर्यावरणिक स्वीकृति प्रदान की गयी है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2004 से अक्तूबर, 2009 तक हीरों का वर्ष-वार उत्पादन निम्नानुसार है:

वर्ष	हीरों का उत्पादन (कैरेट)
2004-2005	78,217.12
2005-2006	43,877.75
2006-2007	1703.20
2007-2008	शून्य
2008-2009	शून्य
2009-अक्तूबर, 2009	5,819.17

(ग) से (ङ) जी, हां। एन.एम.डी.सी. ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादन के लिए 15,000 कैरेट का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें से दिनांक 30-11-2009 तक एन.एम.डी.सी. ने 7464.45 कैरेट हीरों का उत्पादन किया है।

(च) 1,00,000 कैरेट प्रति वर्ष।

केर्न इंडिया लिमिटेड द्वारा कच्चे तेल का उत्पादन

3478. **श्री अनंत कुमार हेगड़े:**
डॉ. मुरली मनोहर जोशी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रिटिश कंपनी केर्न इंडिया लिमिटेड देश के कई स्थानों पर कच्चे तेल के उत्पादन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां सितंबर, 2009 तक कंपनी द्वारा उत्पादन शुरू कर दिया गया है;

(ग) प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिदिन कितने बैरल कच्चे तेल का उत्पादन किया जाता है;

(घ) क्या देश में इस कच्चे तेल की उत्पादन लागत का अनुमान 5 डॉलर प्रति बैरल से 2 डॉलर प्रति बैरल तक लगाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) जी हां। केर्न इंडिया लिमिटेड पूर्वी अपतट में रावा क्षेत्र, गुजरात अपतट में सी.बी.-ओ.एस./2 (लक्ष्मी और गौरी क्षेत्र) तथा राजस्थान के बाड़मेर जिले में मंगला क्षेत्र में आर.जे.-ओ.एन.-90/1 ब्लाक से कच्चे तेल का उत्पादन कर रही है।

(ग) उपरोक्त क्षेत्रों से कच्चे तेल के उत्पादन का वर्तमान औसत निम्नानुसार है:-

रावा	31,000 बी.ओ.पी.डी.*
सी.बी.-ओ.एस./2	8,900 बी.ओ.पी.डी.
मंगला	17,000 बी.ओ.पी.डी.

*बी.ओ.पी.डी.-तेल बैरल प्रति दिन

(घ) और (ङ) उपरोक्त क्षेत्रों से कच्चे तेल के उत्पादन की लागत लगभग 6 अमरीकी डालर प्रति बैरल है।

[अनुवाद]

कोहरे के कारण उड़ानों में विलंब/रद्द किया जाना

3479. श्री रूद्रमाधव राय:

श्री तथागत सत्पथी:

श्री चंद्रकांत खैरे:

श्री मिलिंद देवरा:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक वर्ष कोहरे के कारण कुल कितनी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में बिलंब हुआ/उन्हें रद्द किया गया तथा गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितने राजस्व की हानि हुई;

(ख) क्या सरकार की योजना कोहरे की स्थिति में अपने पायलटों को उड़ान का प्रशिक्षण देने की हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(घ) सी.ए.टी.-3 बी स्थितियों में परिचालन हेतु सभी एयरलाइनों द्वारा अपने पायलटों को प्रशिक्षण दिए जाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) यात्रियों को बेहतर सुविधाएं विशेषकर कोहरे वाले दिनों में प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) कोहरे के दौरान प्रचालन हेतु दृश्यता न्यूनतम स्तर पर गिरने के कारण कई बार उड़ानें या तो विलंब हो जाती हैं या रद्द हो जाती हैं। अधिकांश एयरलाइन्स अवतरण अवरोध या उड़ान भरने के लिए देरी में, क्लीयरेंस मिलने के कारण से हुई देरी से संबंधित विवरण नहीं रखती है।

(ख) और (ग) नागर विमानन महानिदेशालय (डी.जी.सी.ए.) विनियमों के अनुसार निम्न दृश्यकता परिस्थितियों के दौरान कैटगरी-II/III प्रचालनों के लिए नियमित अंतरदेशीय उड़ानों के पायलटों को प्रशिक्षित किया, गया है।

सभी नियमित अंतरदेशीय एयरलाइनों द्वारा यह सूचित किया गया है कि उनके बेड़े में कैटेगरी-III संपूर्ण वायुयान के अनुरूप प्रशिक्षित कैटेगरी-III के पायलट पर्याप्त मात्रा में हैं।

(घ) इकाओ के दिशा-निर्देशों के अनुसार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) द्वारा आई.डी.आई. हवाईअड्डे, नई दिल्ली पर कैट-III बी, आई.एल.एस. पहले ही प्रतिष्ठापित किए जा चुके हैं जिससे प्रमाणित पायलटों सहित एयरलाइनों द्वारा धावनपल विजुअल रेंज (आर.वी.आर.) के 50 मीटर तक विमान प्रचालन की अनुमति दी जा सकती है। सभी एयरलाइनों को इस प्रकार की कम दृश्यता परिस्थितियों के अंतर्गत प्रचालन करने योग्य पायलटों और विमानों सहित अपने प्रचालन करने के निदेश दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, 42 अन्य हवाईअड्डों पर कम दृश्यता परिस्थितियों में विमान प्रचालन को सुगम बनाने के लिए उपकरण-अवतरण प्रणाली (आई.एल.एस.) भी प्रतिस्थापित की गई हैं।

(ङ) इस अवधि के दौरान यात्रियों, आंगतुकों एवं वायुयान संचलन की अतिरिक्त संख्या को संभालने के लिए एयरलाइन प्रचालक, एजेंसीज एवं ग्राहियों के साथ

एक समन्वय बैठक आयोजित की गई है। एयरलाइनों द्वारा पहले ही यात्रियों को कोहरे के उड़ानों के समय में परिवर्तन के बारे में सूचना दी गई। रद्दीकरण के मामलों में यात्रियों को धन वापस लेने या अगली उपलब्ध उड़ान का उपयोग करने का विकल्प दिया गया है। दो घंटे से अधिक देरी के मामलों में यात्रियों को स्वाल्पाहार उपलब्ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य यात्री सुविधाएं यथा विलंबित उड़ानों के बारे में सी.सी.टी.वी. मॉनीटर एवं उड़ान सूचना प्रदर्शन बोर्डो पर प्रदर्शित करना, ट्रालियां उपलब्ध कराना, प्रसाधन गृह की देखभाल के लिए एवं टर्मिनल के अंदर और शहर की ओर साफ-सफाई सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों को नियुक्त करना, विलंबित उड़ान के असहाय यात्रियों को उपयुक्त रूप से ठहराने के लिए व्यवस्था हेतु समन्वय करने के लिए एयरलाइन प्रचालकों की सलाह देना आदि की व्यवस्था की गई।

द्वितीयक इस्पात का उत्पादन

3480. **श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार शिप रिसाइकलिंग से द्वितीयक इस्पात के उत्पादन को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप): (क) और (ख) देश में इस्पात क्षेत्र नियंत्रणमुक्त है अतः किसी भी उद्योग के लिए आदान सामग्री का चुनाव प्रौद्योगिकी, आदान सामग्री की उपलब्धता और कीमत अनुकूलता पर निर्भर करता है। शिप रिसाइकलिंग से सृजित लोहा और स्पिात स्क्रैप सहित आदान सामग्री के उपयोग के संबंध में अंतिम चुनाव प्रयोक्ता उद्योग के कारोबारी निर्णय में निहित होता है।

बड़ोदरा विमानपत्तन का विकास

3481. **श्री रामसिंह राठवा:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा बड़ोदरा विमानपत्तन के विकास हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) को भूमि आवंटित कर दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ए.ए.आई. द्वारा राज्य सरकार से अतिरिक्त भूमि की मांग की गयी है;

(घ) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) विमानपत्तन पर आरंभ किए जा रहे विकास कार्यों की स्थिति क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने बड़ोदरा हवाईअड्डे पर, नए एकीकृत टर्मिनल भवन के निर्माण के लिए कार्रवाई आरंभ कर दी है। जिसके लिए निविदाएं आमंत्रित कर दी गई हैं।

विमानपत्तनों पर सिटी साइड विकास कार्य

3482. **श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ विमानपत्तनों पर सिटी साइड विकास कार्य जैसे होटलों, सम्मेलन केन्द्रों तथा ऐसी अन्य सुविधाएं शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कौन से विमानपत्तन हैं जिनका इस प्रयोजनार्थ विकास किए जाने का प्रस्ताव है तथा प्रत्येक विमानपत्तन पर क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी; और

(ग) इसकी लागत कितनी होगी और इस कार्य को कब तक शुरू किया जाएगा तथा इसके पूरा होने की समय-सीमा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) 24 हवाईअड्डों अर्थात् कोलकाता, हैदराबाद (बेगमपेट), अहमदाबाद, अमृतसर, गोवाहाटी, जयपुर, त्रिवेन्द्रम, लघनऊ, मदुरै, मंगलौर, खजुराहो, सूरत, वडोदरा, भोपाल, इंदौर, रायपुर, विजाग, त्रिची, भुवनेश्वर, वाराणसी, अगरतला, देहरादून, रांची और दीमापुर पर सिटी साईड विकास कार्य किये जाने का प्रस्ताव है, जिसकी योजना तैयार कीगई है।

तथापि अब यह विचार किया गया है कि पहले चरण में 10 हवाईअड्डों अर्थात् कोलकाता, हैदराबाद (बेगमपेट), विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर लखनऊ, इंदौर, अहमदाबाद, अमृतसर, गोवाहाटी और जयपुर को सीटी साईड विकास के लिए हाथ में लिया जाना चाहिए। कुछ उपलब्ध सुविधाओं की योजना में होटल, रेस्टोरेंट, सम्मेलन केन्द्र, फूड कोर्ट, फ्लाइट किचन, पैट्रोल पंप, खुदरा दुकानें, कार्गो सुविधाएं, पार्किंग इत्यादि है।

(ग) सिटी साईड पर हवाईअड्डों पर उपलब्ध भूमि को सुविधाओं के विकास के लिए खुली निविदाओं के माध्यम से लिया जाना है तथा इसे खुली निविदाओं के माध्यम से पट्टे पर दिया जाता है। प्रत्येक हवाई अड्डे पर सिटी साईड विकास के लिए खर्च की जाने वाली राशि, प्रतिस्पर्धी बोली कर्ताओं के माध्यम से सफलतम बोलीदाता द्वारा दी गई बोली के आधार पर निर्भर करेगा।

सुनतेरा संसाधनों द्वारा तेल तथा गैस की खोज

3483. **श्री तथागत सत्पथी:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या साइप्रस स्थित सुनतेरा संसाधन लिमिटेड ने भारत स्थित सभी छह तेल तथा गैस खोज ब्लॉकों से बाहर हो जाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड में सुनतेरा की कितने प्रतिशत की भागीदारी है;

(घ) इसके परिणामस्वरूप तेल तथा प्रकृतिक गैस निगम तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड की परियोजनाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (ङ) उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पी.एस.सी.) प्रणाली के अंतर्गत परिसंघ भागीदार के रूप में मैसर्स सुनतेरा रिसोर्सिज लिमिटेड को सात अन्वेषण ब्लॉक प्रदान किए गए थे। इनमें से एक ब्लॉक छोड़ा गया है। शेष 6 ब्लॉकों मैसर्स सुनतेरा संविदागत बाध्यता का दोषी है। तथापि, ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओ.एन.जी.सी.) और ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओ.आी.एल.) ने इन ब्लॉकों को जारी रखने की इच्छा प्रकट की है। इसलिए परियोजना की प्रगति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

पर्यावरण संरक्षण प्रौद्योगिकी

3484. **श्री वरुण गांधी:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड कोच्चि तेल शोधक कारखाने ने उच्च तापमान पर कच्चे तेल को गर्म करने से उत्पादित खतरनाक हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को दूर करने के लिए एक पर्यावरण संरक्षण प्रौद्योगिकी विकसित की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने तथा विपणन करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) कच्चे तेल से निर्वात डीजल और निर्वात गैस तेल जैसे मूल्यवान हाइड्रोकार्बन कट्स को प्राप्त करने के लिए वायुदाबीय आसवन के साथ पेट्रोलियम रिफाइनरीज में निर्वात आसवन लगाया गया है। प्रक्रिया के दौरान, पर्याप्त मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस (एच 2 एस.) (25% तक अधिक - कच्चा तेल संक्रिया के सल्फर अंश के आधार पर) सहित कम आणिविक भार वाली गैस निर्वात आसवन कालम से सृजित होती है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बी.पी.सी.एल.), कोच्चि रिफाइनरी ने एक आंतरिक प्रौद्योगिकी विकसित की है, जो इस विषैली हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को आत्मसात करके और उसे ठोस सल्फर में बदलकर पर्यावरण प्रदूषण कम करने में मदद करती है। हालांकि बी.पी.सी.एल. ने इस प्रौद्योगिकी के विपणन के लिए एक सुगठित माडल तैयार किया है और "पेटेन्ट" के लिए पेटेन्ट व डिजाइन नियंत्रक, भारत सरकार, चेन्नई, के समक्ष एक आवेदन दायर किया है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में वस्त्र योजनाएं

3485. **श्रीमती सुमित्रा महाजन:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान देश में विशेषरूप से मध्य प्रदेश में वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं;

(ख) क्या चालू योजनाएं अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रही हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) देश में वस्त्र उद्योग के संवर्द्धन के लिए चलाई जा रही योजनाएं संलग्न विवरण में दी गयी हैं।

(ख) से (घ) सभी योजनाएं सतत् योजनाएं हैं। योजना की प्रभावशीलता का पता लगाने के लिए योजनाओं की समीक्षा अथवा मूल्यांकन, योजना अवधि की समाप्ति पर किया जाता है। तथापि, सभी योजनाएं अच्छी प्रगति दिखा रही हैं।

विवरण

I. वस्त्र मंत्रालय के माध्यम से चलाई जा रही योजनाएं:

(i) मेघा समूह योजना का विकास

(ii) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.)

(iii) कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टी.एम.सी.)

(iv) वरियता योजना की सामान्यकृत प्रणाली (जी.एस.पी.)

(v) विद्युतकरघा योजना

(क) 20% मार्जिन मनी सब्सिडी योजना

(ख) संशोधित समूह कार्यशाला योजना

(ग) समूह बीमा योजना

(घ) विद्युकरघा समूह विकास के लिए एकीकृत योजना

(vi) पटसन प्रौद्योगिकी मिशन (जे.टी.एम.)

(vii) एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एस.आई.टी.पी.)

(viii) वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना (टी.डब्ल्यू.आर.एफ.एस.)

(ix) निर्यात संवर्धन योजना के लिए अध्ययन

II. वस्त्र मंत्रालय, **विकास आयुक्त हथकरघा का कार्यालय** के माध्यम से चलाई जा रही योजनाएं:

(i) मिलगेट मूल्य पर यार्न की आपूर्ति के लिए योजना

(ii) एकीकृत हथकरघा विकास योजना

(iii) विविधिकृत हथकरघा विकास योजना

(iv) विपणन एवं निर्यात संवर्धन योजना

(v) हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना

(vi) 3 वर्षों की अवधि अर्थात 2006-07 से 2008-09 के लिए 10% छूट योजना (गैर योजना)

(vii) हथकरघा मार्क योजना

III. वस्त्र मंत्रालय, **विकास आयुक्त हस्तशिल्प का कार्यालय** के माध्यम से चलाई जा रही योजनाएं:

(i) अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (ए.एच.वी.वाई.)

(ii) डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना

(iii) विपणन सहायता एवं सेवा योजना

(iv) मानव संसाधन विकास योजना

(v) राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना

(vi) हस्तशिल्प कारीगरों के लिए जनश्री बीमा योजना

(vii) अनुसंधान एवं विकास योजना

[अनुवाद]

हवाई अड्डों पर भीड़भाड़

3486. श्री सोमेन मित्रा: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय/अन्तर्देशीय हवाई अड्डों पर भीड़-भाड़ के चलते उड़ान भरने तथा उतरने में लंबा समय लगता है जिससे उड़ान म विलंब होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में देश के प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय/अन्तर्देशीय हवाई अड्डों से एक दिन में औसतन कितनी उड़ानों का परिचालन होता है;

(घ) क्या सरकार हवाई अड्डों पर भीड़-भाड़ के चलते नई उड़ानों को सीमित करने की सोच रही है; और

(ङ) यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय/अन्तर्देशीय हवाई अड्डों पर ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, नहीं। सामान्य परिस्थितियों में उड़ानों में विलंब नहीं होता। लेकिन कभी-कभी उड़ानों को खराब मौसम, तकनीकी/प्रचालन कारणों इत्यादि से एक साथ प्रचालन करने के कारण उड़ानों में विलंब होता है।

(ग) देश में अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डों पर एक दिन में प्रचालित औसत उड़ानों की संख्या निम्नलिखित प्रकार से है:-

मुम्बई (एम.आई.ए.एल.)-654, दिल्ली (डायल)-666, चेन्नई-306, बंगलौर (बी.आई.ए.एल.)-280, कोलकाता-231, हैदराबाद (जी.एच.आई.ए.एल.)-219, कोचीन-112, अहमदाबाद-107, गुवाहाटी-90, त्रिवेन्द्रम-71, गोवा-64, कालीकट-50, जयपुर-66, नागपुर-48, पोर्टब्लेयर-15, श्रीनगर-27, अमृतसर-27, पुणे-66, इंदौर-61, जूहू-60, भोपाल-59, लखनऊ-56, वडोदरा-54, भुवनेश्वर-50, कोयम्बतूर-42, विशाखापत्तनम-33, रांची-32, रायपुर-31, मंगलौर-30, पटना-27, जम्मू-23, अगरतला-23, त्रिची-21, चंडीगढ़-21, उदयपुर-21, इम्फाल-19, मदुरै-20, बागडोगरा-19, वाराणसी-16, औरंगाबाद-14, सिल्चर-11, तिरूपति-9, जोधपुर-7, लेह-6, राजकोट-6, गया-1।

(घ) और (ङ) प्रमुख हवाईअड्डों पर दबाव को कम करने के लिए विभिन्न उपाए किे गए हैं:

1. दिल्ली व मुंबई हवाईअड्डों पर हवाईअड्डा प्रचालकों ने उच्च गति के निकास टैक्सी-वे हेतु उपाय आरंभ किए हैं। दिल्ली हवाईअड्डे पर एक समानांतर टैक्सी ट्रैक तैयार किया गया है जिससे रनवे पर ठहरने के समय में काफी कमी आई है।
2. दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा लि. ने दिल्ली हवाई अड्डे पर अधिक आगमन व प्रस्थान सुनिश्चित करने के लिए तीसरे रनवे का निर्माण किया है।
3. दिल्ल और मुंबई हवाईअड्डों पर यातायात की भीड़-भाड़ की अवधि के दौरान दोनों रनवे का एक साथ प्रयोग आरंभ किया गया है।
4. मुंबई हवाईअड्डे पर एक नया टैक्सी ट्रैक बनाकर रनवे 32 और 27 को जोड़ा गया है तथा रनवे 27 के आरंभिक स्थान को अंतर्राष्ट्रीय एप्रन के साथ जोड़ा जा रहा है ताकि रनवे उपयोग का समय कम किया जा सके।
5. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 35 गैर मेट्रो हवाईअड्डों के उन्नयन की प्रयोजना पहले ही आरंभ की है ताकि इन हवाईअड्डों पर बढ़े हुए यातायात को संभाला जा सके।
6. उन्नत ए.टी.सी. प्रक्रियाएं तैयार की गई हैं।
7. मुंबई, दिल्ली, बंगलूरू तथा हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय अड्डों पर आर/टी कंजेशन कम करने के लिए क्लीयरेंस डिलीवरी पोजिशन स्थापित की गई है।
8. मुंबई हवाईअड्डे पर अधिक यातायात की अवधि के दौरान सामान्य विमानों पर रोक लगाई गई है।
9. दिल्ली, बंगलूरू और हैदराबाद हवाईअड्डों पर एडवांस सरफेस मूवमेंट गाइडेंस एंड कंट्रोल सिस्टम (ए.एस.एम.जी.सी.एस.) स्थापित किए गए हैं और प्रचालन में है।
10. कोलकाता आई.एल.एस. का श्रेणी II आई.एल.एस. में उन्नयन किया जा रहा है।
11. उड़ानों के लिए समय आवंटित करते समय आगमन और प्रस्थान समय इस प्रकार दिये जाते हैं कि ये एक समय पर न हों व इसके कारण देरी न हो।
12. मुंबई और दिल्ली हवाईअड्डों पर प्रति घंटा उड़ानों का संचालन रनवे/टर्मिनल भवन की क्षमता की उपलब्धता के आधार पर अधिकतम उपयोग के लिए निर्धारित किया गया है।

एयरलाइनों को लाइसेंस जारी करना

3487. श्री संजय निरुपम: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान गैर-अनुसूचित एयरलाइन परिचालनों के लिए कोई लाइसेंस जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कितनी एयरलाइनों ने परिचालन शुरू किया है; और

(ग) इस संबंध में क्या नीति अपनाई गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां। गैर अनुसूची प्रचालनों के लिए सरकार ने वर्ष 2007, 2008 और 2009 में क्रमशः 11, 37 और 11 एन.एस.ओ.पी. (गैर-अनुसूचित परिचालक परमिट) जारी किए हैं।

(ख) इनके ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ग) इच्छुक आपरेटरों को गैर-अनुसूचित परिचालकों की विभिन्न श्रेणी के लिए नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा जारी नागर विमानन अपेक्षाओं को पूरा करना होता है जो निम्न प्रकार है:-

एन.एस.ओ.पी.-पैक्स-सी.ए.आर. खंड 3 सीरीज सी भाग III

एन.एस.ओ.पी.-चार्टर-सी.ए.आर. खंड 3 सीरीज सी भाग V

एन.एस.ओ.पी.-कार्गो-सी.ए.आर. खंड 3 सीरीज सी भाग IV

विवरण

वर्ष 2007, 2008 तथा 2009 में जारी एन.एस.ओ.पी. का ब्यौरा

वर्ष 2007

क्र.सं.	ऑपरेटर का नाम	परमिट सं.	जारी करने की तिथि
1.	मैसर्स वेंचर एविएशन	01/2007	15-01-2007
2.	मैसर्स एम.डी.एल.आर. एयरलाइन्स प्रा. लि.	02/2007	27-04-2007
3.	राजस्थान सरकार	03/2007	09-05-2007
4.	मैसर्स डव एयरलाइन्स प्रा. लि.	04/2007	08-06-2007
5.	मैसर्स एस.के.बी. इनफ्राकोन्स प्रा. लि.	05/2007	21-06-2007
6.	मैसर्स जी.एम.आर. एविएशन प्रा. लि.	06/2007	07-08-2007
7.	मैसर्स स्काई एयरवेज	07/2007	24-08-2007
8.	मैसर्स फ्लाई टेक एविएशन लि.	08/2007	20-09-2007
9.	मैसर्स जी.एम.आर. इंडस्ट्रीज लि.	09/2007	09-10-2007
10.	मैसर्स डी.एल.एफ. लि.	10/2007	18-10-2007
11.	मैसर्स उमेगा एयरलाइन्स लि.	11/2007	07-12-2007
	वर्ष 2008		
1.	मैसर्स ई-वेक्टर एडिवेंचर टूरिजम प्रा. लि.	01/2008	02-01-2008
2.	मैसर्स रिलाइंस कमर्शियल डीलर्स प्रा. लि.	02/2008	15-01-2008
3.	मैसर्स इंटरनेशनल एयर चार्टरस आपरेशन (इंडिया) लि.	03/2008	16-01-2008
4.	मैसर्स एयरमिड एविएशन सर्विसेज प्रा. लि.	04/2008	30-01-2008
5.	मैसर्स सार एविएशन सर्विसेज प्रा.लि.	05/2008	14-02-2008

क्र.सं.	ऑपरेटर का नाम	परमिट सं.	जारी करने की तिथि
6.	मैसर्स मैसर्स वेलस्पन लोजिस्टिक लि.	06/2008	28-02-2008
7.	मैसर्स सन टी.वी. नेटवर्क लि.	07/2008	28-03-2008
8.	मैसर्स वी.आर.एल. लोजिस्टिक लि.	08/2008	04-04-2008
9.	मैसर्स प्रिविलेज एयरवेज प्रा. लि.	09/2008	04-04-2008
10.	मैसर्स मल्होत्रा हेलीकॉप्टर प्रा. लि.	10/2008	04-04-2008
11.	मैसर्स सराया एविएशन प्रा. लि.	11/2008	24-04-2008
12.	मैसर्स कंफिडन्ट एयरलाइन्स इंडिया लि.	12/2008	07-05-2008
13.	मैसर्स गोल्डन विंग्स प्रा. लि.	13/2008	08-05-2008
14.	मैसर्स केशट्रल एविएशन प्रा. लि.	14/2008	09-05-2008
15.	मैसर्स एयर चार्टर सर्विसेज प्रा. लि.	15/2008	15-05-2008
16.	मैसर्स विजनेस जेट्स प्रा. लि.	16/2008	23-05-2008
17.	मैसर्स ए.ए.ए. एविएशन प्रा. लि.	17/2008	11-06-2008
18.	मैसर्स एस.एस.पी. एविएशन प्रा. लि.	18/2008	16-06-2008
19.	मैसर्स पुंज लायड एविएशन लि.	19/2008	26-06-2008
20.	मैसर्स एसपेन्सर ट्रेवल सर्विसेज लि.	20/2008	27-06-2008
21.	मैसर्स जी.वी.के. एविएशन प्रा. लि.	21/2008	23-07-2008
22.	मैसर्स गुजरात एविएशन प्रा. लि.	22/2008	07-08-2008
23.	मैसर्स आरबिट एविएशन प्रा. लि.	23/2008	26-08-2008
24.	मैसर्स अबीर कंस्ट्रक्शन प्रा. लि.	24/2008	11-09-2008
25.	मैसर्स पिनकल एयर प्रा. लि.	25/2008	03-10-2008
26.	मैसर्स डेक्कन चार्टर लि.	26/2008	07-10-2008
27.	मैसर्स वीजा एविएशन लि.	27/2008	22-10-2008
28.	मैसर्स नोर्थ-ईस्ट सटल्स प्रा. लि.	28/2008	23-10-2008
29.	मैसर्स एरियल एडवरटाईजिंग प्रा. लि.	29/2008	24-10-2008
30.	मैसर्स फिचरा ट्रेवल्स लि.	30/2008	07-11-2008
31.	मैसर्स अमबर एविएशन इंडिया प्रा. लि.	31/2008	14-11-2008

क्र.सं.	ऑपरेटर का नाम	परमिट सं.	जारी करने की तिथि
32.	मैसर्स क्यूक फ्लाईट लि.	32/2008	28-11-2008
33.	मैसर्स आई.एल.सी. इंडस्ट्रिज लि. होसपेट	33/2008	01-12-2008
34.	मैसर्स कोरोमंडल ट्रेवल्स लि.	34/2008	08-12-2008
35.	मैसर्स जिंदल स्टील एंड पॉवर लि.	35/2008	23-12-2008
36.	मैसर्स बजाज आटो लि.	36/2008	24-12-2008
37.	मैसर्स आक्सफोल्ड इंटरप्राइजेज प्रा. लि.	37/2008	24-12-2008
	वर्ष 2009		
1.	मैसर्स हेलीगो चाटर्स प्रा. लि.	01/2009	11-02-2009
2.	मैसर्स एम.एस.पी.एल. लि.	02/2009	12-02-2009
3.	मैसर्स इंदरा एयर	03/2009	12-02-2009
4.	मैसर्स मेघा कॉरपोरेशन लि.	04/2009	13-02-2009
5.	मैसर्स केपिंग रिटरिटस ऑफ इंडिया प्रा. लि.	05/2009	24-2-2009
6.	मैसर्स जयप्रकाश एसोसिएट्रस लि.	06/2009	26-02-2009
7.	मैसर्स ग्लोबल प्राजेक्ट एंड एविएशन प्रा. लि.	07/2009	04-03-2009
8.	मैसर्स के.आर.चावला इंफ्रा एंड एविएशन एकाडमी प्रा. लि.	08/2009	05-03-2009
9.	मैसर्स रंजीतपुरा इंफ्रास्ट्रेक्चर प्रा. लि.	09/2009	18-03-2009
10.	मैसर्स ई.ओ.एन. एविएशन प्रा. लि.	10/2009	20-03-2009
11.	मैसर्स सवाजस एयर चार्टस प्रा. लि.	11/2009	26-03-2009
12.	मैसर्स अशोक लेलैंड	12/2009	02-04-2009
13.	मैसर्स आर्यन एविएशन प्रा. लि.	13/2009	08-04-2009
14.	मैसर्स सिम सम एअरवेज	14/2009	09-04-2009
15.	मैसर्स अशोक साहनी (मै. मोनार्क इंटरनेशनल)	15/2009	09-04-2009
16.	मैसर्स चिमस एविएशन	16/2009	17-04-2009
17.	मैसर्स भूषण एविएशन प्रा. लि.	17/2009	13-05-2009
18.	मैसर्स वी.एस.एल. एविएशन प्रा. लि.	18/2009	15-05-2009
19.	मैसर्स सिप्रट एअर प्रा. लि.	19/2009	05-06-2009

क्र.सं.	ऑपरेटर का नाम	परमिट सं.	जारी करने की तिथि
20.	मैसर्स टर्बो एविएशन प्रा.लि.	20/2009	18-06-2009
21.	मैसर्स क्रिसेंट एअर कार्गो सर्विसिज प्रा. लि.	21/2009	07-07-2009
22.	मैसर्स ए.के. एविएशन प्रा. लि.	22/2009	17-07-2009
23.	मैसर्स शमनूर शूगर लि.	23/2009	29-07-2009

तेल कंपनियों को हानि

3488. श्री एन. चेलुवरया स्वामी:
श्री अमरनाथ प्रधान:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तेल कंपनियों द्वारा पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल जैसे पेट्रोलियम उत्पादों पर कंपनी-वार प्रति लीटर कितने रुपये की हानि उठानी पड़ती है;

(ख) क्या पेट्रोलियम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से ईंधन बिक्री पर भारी हानि उठाने वाली तेल कंपनियों को और मुआवजा देने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) वित्त मंत्रालय तेल कंपनियों को किस सीमा तक मुआवजा प्रदान करने पर सहमत हुआ है;

(ङ) क्या सरकार का विचार ईंधन का मूल्य बढ़ाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (ग) दिसम्बर, 2009 के प्रथम पखवाड़े के लिए लागू रिफाइनरी द्वारा मूल्यों के आधार पर, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओ.एम.सीज) नामतः इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आई.ओ.सी.), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (एच.पी.सी.) तथा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (बी.पी.सी.) संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों नामतः पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल तथा घरेलू एल.पी.जी. की बिक्री पर अल्प वसूलियां वहन कर रही हैं। ब्यौरे निम्नवत् हैं:-

(रु./लीटर/सिलेंडर)

उत्पाद	अल्प वसूली
पेट्रोल	3.10
डीजल	2.55
पी.डी.एस. मिट्टी तेल	17.30
घरेलू एल.पी.जी.	241.03

अप्रैल, 2009 से सितम्बर, 2009 की अवधि के दौरान संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों पर ओ.एम.सीज द्वारा वहन की गई अल्प वसूलियों के ब्यौरे निम्नवत् हैं:-

(करोड़ रु.)

उत्पाद	आई.ओ.सी.	एच.पी.सी.	बी.पी.सी.	कुल
पेट्रोल	1016	560	621	2197
डीजल	1011	375	420	1806
पी.डी.एस. मिट्टी तेल	5029	1462	1268	7759
घरेलू एल.पी.जी.	2108	981	1005	4094
योग	9164	3378	3314	15856

*अपस्ट्रीम सहायता और तेल बाण्डों के बिना सकल अल्प वसूली।

पेट्रोल और डीजल पर वहन की गई 4,003 करोड़ रु. की अल्प वसूलियों की भरपाई सार्वजनिक क्षेत्र की अपस्ट्रीम तेल कंपनियों द्वारा कच्चे तेल और उत्पादों पर मूल्य रियायतें देते हुए की गई है। पी.डी.एस. मिट्टी तेल और घरेलू एल.पी.जी. पर 11,853 करोड़ रु. की शेष अल्प वसूलियों तथा इन उत्पादों पर अक्तूबर, 2009 से दिसम्बर, 2009 की अवधि के लिए 9,019 करोड़ रु. की अनुमानित अल्प वसूलियों के लिए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इस राशि के तेल बाण्डों की मंजूरी हेतु वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया है।

(घ) वित्त मंत्रालय ने अवगत कराया है कि तेल कंपनियों को की जाने वाली भरपाई संसद में 08-12-2009 को पेश वर्ष 2009-10 के लिए बजट (आम) के संबंध में प्रथम अनुपूरक मांग अनुदानों में शामिल नहीं है।

(ङ) और (च) सरकार अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों की बारीकी से निगरानी कर रही है और उचित समय पर उपयुक्त मूल्य निर्धारण निर्णय लिया जाएगा।

रेलगाड़ियों का विलंब से चलना

3489. श्री विश्व मोहन कुमारः क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इससे परिचित है कि बिहार जाने वाली विभिन्न रेलगाड़ियां चेन खींचने तथा अन्य अवरोधक गतिविधियों के चलते लगातार विलंब से चलती हैं; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं तथा इन घटनाओं के लिए कितने लोग जिम्मेदार हैं तथा कितने लोगों को दंड दिया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) उठाए गए कदम हैं:

(1) ऐसे खंडों की पहचान की जाती है जो बदनाम हैं तथा जहां चेन खींचे जाने की संभावना रहती है।

(2) चिन्हित खंडों पर मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों का रा.रे.पु./रे.सु.ब. द्वारा मार्ग रक्षण किया जाता है।

(3) मजिस्ट्रेट जांचों के साथ-साथ नियमित सुरक्षा अभियान चलाए जाते हैं।

(4) राज्य पदाधिकारियों के साथ निकट संपर्क बना कर रखा जाता है।

चेन खींचने और अन्य अवरोधक गतिविधियों के लिए जिम्मेदार ठहराए गए व्यक्तियों और ऐसे कार्यों के लिए दंडित किए गए व्यक्तियों की संख्या के राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। बहरहाल, पूर्व मध्य रेलवे पर अलार्म चेन खींचने के संबंध में ब्यौरा निम्नानुसार है:

जनवरी-नवंबर, 09 के बीच ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिन पर मुकदमा चलाया गया-1222

जनवरी-नवंबर, 09 के बीच दोषी ठहराए गए व्यक्तियों की संख्या-1222

[हिन्दी]

पेट्रोल पंप/रसोई गैस एजेंसियों का खोला जाना

3490. डॉ. बलीराम:

श्री दिलीप सिंह जूदेव:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान विभिन्न एजेंसियों द्वारा उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, हरियाणा तथा छत्तीसगढ़ में जिला-वार तथा स्थान-वार कितने पेट्रोल पंप तथा रसोई गैस की एजेंसियां खोले जाने का प्रस्ताव है;

(ख) इन एजेंसियों को खोलने/शुरू करने हेतु सरकार द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पेट्रोल पंपों तथा गैस एजेंसियों को जल्द से जल्द शुरू करने के लिए एजेंसियों की चयन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) वर्ष 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, हरियाणा और छत्तीसगढ़ राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज), नामतः, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.), भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बी.पी.सी.) तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.)

द्वारा चालू किए गए/चालू किए जाने वाले खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों/एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की संख्या निम्नानुसार है:

ओ.एम.सीज का नाम	2008-09 से 2010-11 के दौरान चालू किए गए/चालू किए जाने वाले खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों/एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की संख्या	
	आर.ओ.	एल.पी.जी.
आई.ओ.सी.	554	37
बी.पी.सी.	137	91
एच.पी.सी.	164	93

जिलावार और स्थानवार ब्यौरे ओ.एम.सीज के निदेशक (विपणन) के पास उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) सर्वेक्षणों और व्यवहार्यता अध्ययनों के आधार पर पहचाने गए स्थलों पर ओ.एम.सीज द्वारा नए खुदरा बिक्री केन्द्रों/एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना की जाती है। जिन स्थलों में पर्याप्त संभाव्यता पाई जाती है और जो आर्थिक रूप से व्यवहार्य होते हैं उन्हें खुदरा बिक्री केन्द्रों/एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना के लिए राज्यवार विपणन योजनाओं में सूचीबद्ध कर लिया जाता है। खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप/एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप की स्थापना के लिए विज्ञापनों को जारी करना, आवेदन पत्रों की छानबीन, अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए स्थलों की छानबीन, डीलरों के साक्षात्कार/चयन, चुनिंदा अभ्यर्थियों के प्रव्यय पत्रों के क्षेत्रीय सत्यापन, आशय पत्र जारी करना, भूमि का प्रापण, विभिन्न सांविधिक अनुमोदन प्राप्त करना, निर्माण कार्य, आदि जैसे विभिन्न कदम शामिल होते हैं। ओ.एम.सीज का यह प्रयास होता है कि सभी सांविधिक अनुमोदनों को प्राप्त करने के बाद शीघ्र ही खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप/एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप को चालू कर दिया जाए।

रेलवे स्टेशनों पर मॉल

3491. श्रीमती सुशीला सरोज: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने 64 शहरों में रेलवे स्टेशनों पर मॉल खोलने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो पहचान किए गए ऐसे स्टेशनों के नाम क्या हैं; और

(ग) रेलवे के विकास हेतु अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए इसने अन्य किन स्रोतों का पता लगाया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) तीर्थ स्थानों, उद्योग तथा पर्यटन महत्व के 66 रेलवे स्टेशनों की रेल उपयोगकर्त्ताओं को शॉपिंग, फूड स्टॉल, रेस्टोरेंट, बुक स्टॉल, पी.सी.ओ./एस.टी.डी./आई.एस.डी./फैक्स बूथ, दवाइयां, वेराइटी स्टोर, सस्ते होटल, भूमिगत पार्किंग इत्यादि जैसी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए बहुप्रयोजनीय परिसरों (एम.एफ.सी.) के रूप में विकसित करने हेतु पहचान की गई हैं। बहुप्रयोजनीय परिसरों के रूप में विकसित करने हेतु पहचाने गए स्टेशनों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने हेतु रेलवे ने रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2005 के तहत रेलों की खाली पड़ी भूमि और नभ क्षेत्र, जिसकी उन्हें भावी परिचालनिक आवश्यकताओं हेतु तत्काल आवश्यकता नहीं है, का वाणिज्यिक विकास करने हेतु रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आर.एल.डी.ए.) की स्थापना की है। भारतीय रेलवे वित्त निगम (भा.रे.वि.नि.) द्वारा उधार के जरिए ऋण जुटाना तथा कई क्षेत्रों में निजी भागीदारी अन्य ऐसे उपाय हैं, जिनका अनुसरण सरकार रेलवे के विकास के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए रही है। विश्व स्तरीय स्टेशनों का विकास, चल स्टॉक विनिर्माण यूनिटों की स्थापना, माल डिब्बे, आतिथ्य एवं पर्यटन जैसी गतिविधियां कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जिन्हें निजी भागीदारी के माध्यम से निष्पादित कर सकने हेतु पहचान की गई हैं।

विवरण

क्र.सं.	बहु-प्रयोजनीय परिसरों के रूप में पहचाने गए स्टेशनों की सूची
1	2
1.	अलीपुरद्वार जं.
2.	इलाहाबाद
3.	अल्लैपी

1	2
4.	आनंदपुर साहिब
5.	अयोध्या
6.	बांसपानी
7.	बर्द्धमान
8.	बीकानेर
9.	बिलासपुर
10.	कटक
11.	दार्जिलिंग
12.	देहरादून
13.	दीघा
14.	दुर्ग
15.	एर्णाकुलम जं.
16.	गांधीधाम
17.	गंगासागर
18.	घाटशिला
19.	गुंटूर
20.	ग्वालियर
21.	हल्दिया
22.	हरिद्वार
23.	हजूर साहिब नांदेड़
24.	हुबली
25.	हैदराबाद
26.	इंदौर
27.	जबलपुर
28.	जम्मूतवी
29.	जसीडीह
30.	झांसी
31.	जोधपुर
32.	कन्याकुमारी
33.	कन्नूर
34.	काठगोदाम
35.	कटरा
36.	खजुराहो
37.	कोट्टायम
38.	कोजीकोड
39.	कुरूक्षेत्र
40.	मदुरै जं.
41.	मनमाड
42.	मैसूर जं.
43.	नैनीताल
44.	नासिक रोड
45.	न्यू अलीपुर
46.	पालक्काड जं.
47.	पारसनाथ
48.	रायबरेली जं.
49.	रायपुर
50.	राजामुंद्री
51.	राजगीर
52.	राजकोट
53.	रामेश्वरम
54.	रांची
55.	शिरडी
56.	सिलचर
57.	सिलीगुड़ी

1	2
58.	तालचेर
59.	तारापीठ रोड (रामपुर हाट)
60.	तिरुचिरापल्लि जं.
61.	तिरुवल्ला
62.	त्रिचूर
63.	उदयपुर सिटी
64.	उज्जैन
65.	वडोदरा
66.	विशाखापत्तनम

[अनुवाद]

रेल संग्रहालय का पुनरुद्धार

3492. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के पास नई दिल्ली स्थित रेल संग्रहालय का पुनरुद्धार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विशेषरूप से बच्चों के लिए क्या आकर्षण जोड़े जाएंगे तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान टिकटों के माध्यम से कितना राजस्व अर्जित किया गया तथा इससे संबंधित व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विद्यमान सुविधाओं को बढ़ाने तथा यहां आए पर्यटकों को संग्रहालय से परिचित कराने तथा इसे निःशक्तों के अनुकूल बनाने के लिए भी कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) मौजूदा प्रदर्शित वस्तुओं के प्रस्तुतिकरण में सुधार करने तथा उन्हें अधिक आकर्षक बनाने का प्रस्ताव है। बच्चों को अधिकाधिक संख्या में आकर्षित करने का प्रयास है। पिछले तीन वर्षों के दौरान मात्र टिकटों से प्राप्त होने वाला राजस्व तथा व्यय निम्नानुसार है:

वर्ष	टिकटों से प्राप्त राजस्व (लाख रु. में)	खर्च (लाख रु. में)
2006-07	37,44,341	150,06,763
2007-08	27,62,457	110,16,440
2008-09	35,31,609	206,50,712

(ग) और (घ) जी हां। पर्यटकों को अधिकाधिक आकर्षित करने का प्रयास है। वेबसाइट और आवधिक विज्ञापनों के जरिए जानकारी हासिल की जा सकती है। इस समय, मांग करने पर व्हील चेयर सुविधा उपलब्ध है।

[हिन्दी]

फ्रेटमाइजर उपकरण

3493. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने बढ़ती रेलगाड़ी दुर्घटनाओं को रोकने तथा ईंधन बचाने के लिए रेलगाड़ी के इंजन में आयातित फ्रेटमाइजर उपकरण लगाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या फ्रेटमाइजर उपकरण की उपयोगिता के संबंध में कोई परीक्षण कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रेलवे देश में फ्रेटमाइजर उपकरण के उत्पादन हेतु संयंत्र लगाने जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) जी हां। डीजल और बिजली के रेल इंजनों पर क्रमशः एच.एस.डी. तेल और बिजली ऊर्जा बचाने के लिए सीमित मात्रा में फ्रेटमाइजर उपकरण स्थापित किए जा रहे हैं। डीजल रेल इंजनों पर परीक्षण प्रगति पर है। बिजली रेल इंजनों के लिए उपकरण हाल ही में प्राप्त किए गए हैं और उनके परीक्षण शीघ्र ही शुरू किए जाने की संभावना है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

चिकित्सा महाविद्यालय

3494. श्री कोडिकुन्नील सुरेश: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने देश में विशेषरूप से त्रिवेन्द्रम में एक चिकित्सीय महाविद्यालय शुरू करने की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि विनिर्दिष्ट की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) प्रस्ताव आरंभिक स्थिति में है, अतः इसके लिए धनराशि निर्धारित करना व्यावहारिक नहीं है।

अल्पसंख्यकों को आरक्षण

3495. श्री पोन्नम प्रभाकर: क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास अल्पसंख्यक समुदायों को आरक्षण देने हेतु संविधान में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो देश में विशेषरूप से आन्ध्र प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदायों की सहायता हेतु सरकार द्वारा क्या वैकल्पिक उपाय किए जा रहे हैं?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) जी, नहीं। तथापि, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित 27% कोटे के अंतर्गत ही मुस्लिम अल्पसंख्यकों में पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने पर सरकार द्वारा तत्परता से विचार किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार द्वारा आध्र प्रदेश सहित देश भर में 5 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के लिए विभिन्न सकारात्मक योजनाओं यथा-मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना, व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना, निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना और अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

इस्पात की मांग तथा पूर्ति

3496. श्रीमती सुप्रिया सुले:
श्रीमती जे. शांता:
श्री पशुपति नाथ सिंह:
श्री जे.एस. बासवराज:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व इस्पात संघ ने वैश्विक इस्पात की मांग में गिरावट की भविष्यवाणी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान देश में कंपनी-वार इस्पात उत्पादन कितना रहा;

(घ) उक्त अवधि के दौरान देश में इस्पात की मांग तथा पूर्ति के बीच अंतर का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अंतर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप): (क) और (ख) वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन (डब्ल्यू.एस.ए.) द्वारा अक्तूबर, 2009 में जारी किए गए शार्ट रेंज आउटलुक के अनुसार वैश्विक प्रत्यक्ष इस्पात खपत में वर्ष 2008 और 2009, दोनों में गिरावट आने का अनुमान लगाया गया है किंतु वर्ष 2010 में इसमें बढ़ोतरी की संभावना है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	अनुमानित वैश्विक प्रत्यक्ष इस्पात खपत	
	मात्रा (मिलियन टन अथवा एम.टी.)	पिछले वर्ष की तुलना में % बदलाव
2008	1207 (वास्तविक)	-1.4%
2009	1104	-8.6%
2010	1206	9.2%

स्रोत: वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन

(ग) पिछले 3 वर्षों के दौरान अपरिष्कृत इस्पात का उत्पादक/उत्पादक-समूह-वार उत्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है। अप्रैल-नवंबर, 2009-10 की अवधि के लिए आंकड़े निम्नानुसार हैं:-

(मिलियन टन)

उत्पादक/समूह	अपरिष्कृत इस्पात उत्पादनः अप्रैल-नवंबर, 2009-10*
1	2
सेल	8.97
आर.आई.एन.एल.	2.01
टाटा स्टील लिमिटेड	4.27
मुख्य उत्पादक	8.6
अन्य उत्पादक	14.05
योग	37.9

स्रोतः संयुक्त संयंत्र समिति;

* = अनंतिम

(घ) देश में पिछले 3 वर्षों और अप्रैल-नवंबर, 2009-10 के दौरान कुल परिसज्जित इस्पात (गैर-मिश्र + मिश्र) का बिक्री के लिए उत्पादन, आयात, निर्यात और खपत निम्नानुसार है और इससे पता चलता हैकि संबंधित अवधि के दौरान आपूर्ति इस्पात की खपत को पूरा करने में हमेशा समर्थ रही है:

(मिलियन टन)

वर्ष	कुल परिसज्जित इस्पात (गैर-मिश्र + मिश्र)			
	बिक्री के लिए उत्पादन	आयात	निर्यात	खपत
2006-07	52.53	4.93	5.24	46.78
2007-08	56.08	7.03	5.08	52.12
2008-09*	56.42	5.72	3.66	52.05
अप्रैल-नवंबर 2009-10*	38.57	4.58	1.78	35.97

स्रोतः संयुक्त संयंत्र समिति;

* = अनंतिम

(ङ) इसे ध्यान में रखते हुए कि भविष्य में भारत में इस्पात की मांग बढ़ने की संभावना है, सरकार देश में नई इस्पात उत्पादन क्षमताएं स्थापित करने को सुसाध्य बना रही है। इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र की इकाइयों, नामतः स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर.आई.एन.एल.) ने पहले ही प्रमुख क्षमता विस्तार योजनाएं शुरू कर दी हैं। सेल की अपरिष्कृत इस्पात की मौजूदा 13.82 मिलियन टन वार्षिक (एम.टी.पी.ए.) क्षमता को बढ़ाकर वर्ष 2012-13 तक 23.46 एम.टी.पी.ए. करने की योजना है। इसी प्रकार आर.आई.एन.एल. भी अपनी द्रव इस्पात क्षमता को 3.0 एम.टी.पी.ए. से बढ़ाकर वर्ष 2011-12 तक 6.3 एम.टी.पी.ए. कर रहा है।

निजी क्षेत्र के द्वारा भी ऐसी ही क्षमता विस्तार परियोजनाएं शुरू की गई हैं जिनके लिए सरकार परियोजनाओं की समय पर पूर्णता हेतु सभी सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है।

विवरण

परिसज्जित इस्पात की बिक्री के लिए उत्पादन

(गैर-मिश्र तथा मिश्र इस्पात)

(हजार टन)

संयंत्र	2006-07	2007-08	2008-09 (अनंतिम)
1	2	3	4
क. सरकारी क्षेत्र			
भिलाई इस्पात संयंत्र	3232	3603	3604
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	707	685	671
राउरकेला इस्पात संयंत्र	1939	2059	1944
बोकारो इस्पात संयंत्र	3612	3592	3274
इस्को इस्पात संयंत्र	316	316	318
राष्ट्रीय इस्पात निगम	3042	2899	2558
मिश्र इस्पात संयंत्र	29	30	35
सलेम इस्पात संयंत्र	183	231	180
विश्वैश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट	131	133	89
घटाएं: अंतर संयंत्र अंतरण	15	27	
उप योग (क):	**13176**	**13521**	**12673**
ख. निजी क्षेत्र			
टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी	4423	4472	4543
मुख्य उत्पादक (एस्सार, इस्पात, जे.एस.डब्ल्यू. और जे.एस.पी.एल.)	11629	13000	12775
अन्य	28418	30332	32225
घटाएं: अपनी खपत (मुख्य तथा अन्य उत्पादक)	5117	5250	5800
उप योग (ख):	**39353**	**42554**	**43743**
बिक्री के लिए कुल उत्पादन (क+ख)	52529	56075	56416

स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति

[हिन्दी]

औषधियों के मूल्य में वृद्धि

3497. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेटेंट कानून से दवाओं का मूल्य कई गुणा बढ़ने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आवश्यक तथा जीवनरक्षक औषधियों के मूल्य में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ग) वर्तमान भारतीय पेटेंट अधिनियम एवं औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 में ऐसे प्रावधान हैं जिनसे यह सुनिश्चित होता है कि रोगियों को उचित मूल्य पर दवाइयां उपलब्ध होंगी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के संयंत्रों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति

3498. श्री सुशील कुमार सिंह: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत मंत्रालय ने सरकार से राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के कवास तथा गांधार विद्युत संयंत्रों में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने में हस्तक्षेप का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (ग) विद्युत मंत्रालय ने अपने दिनांक 17-03-2009 के पत्र द्वारा विद्युत क्षेत्र के लिए केजी डी 6 गैस वितरित करने के प्रस्ताव के साथ-साथ यह भी सिफारिश की कि आन्ध्र प्रदेश से बाहर वर्तमान विद्युत संयंत्रों को 60.5 प्रतिशत विद्युत भार गुणक (पी.एल.एफ.) पर प्रचालित करने के लिए कवास और गांधार विद्युत संयंत्रों को क्रमशः 1.76 एम.एम.एस.सी.एम.डी. और 0.30 एम.एम.एस.सी.एम.डी. केजी डी 6 गैस की आपूर्ति की जाए। तद्नुसार, एन.टी.पी.सी. के कवास और गांधार संयंत्रों को उपर्युक्त मात्रा आबंटित की गई।

तद्नुसार विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 08-06-2009 के पत्र द्वारा सूचित किया कि कवास और गांधार में पूर्ववर्ती विस्तार परियोजनाओं के लिए गैस की आपूर्ति के संबंध में आर.आई.एल. और एन.टी.पी.सी. के बीच मुकदमें को ध्यान में रखते हुए एन.टी.पी.सी. कवास और गांधार में अपने मौजूदा संयंत्रों के लिए केजी डी 6 गैस नहीं लेगी। यह अनुरोध किया गया था कि एन.टी.पी.सी. के कवास और गांधार संयंत्रों के लिए निर्धारित की गई गैस की आपूर्ति देश के उत्तरी भाग में एन.टी.पी.सी. के संयंत्रों को की जाए और प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था (ए.पी.एम.)/पन्ना-मुक्ता-ताप्ती (पी.एम.टी. गैस की समान मात्रा देश के उत्तरी भाग में एन.टी.पी.सी. के संयंत्रों से उसके कवास और गांधार विद्युत संयंत्रों को दे दी जाए। तद्नुसार सरकार प्रस्तावित स्वापिंग करार के लिए सहमत हो गई और उसने एन.टी.पी.सी. के संयंत्र 70 प्रतिशत पी.एल.एफ. पर प्रचालित करने के लिए 2.71 एम.एम.एस. सी.एम.डी. परिवर्तित करने का निर्णय लिया।

[हिन्दी]

सड़क ऊपरि पुल का निर्माण

3499. श्री पन्ना लाल पुनिया: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाराबंकी-फैजाबाद खण्ड में एल.-सी 176-ए और बाराबंकी देवा रोड (उत्तर प्रदेश) पर बाराबंकी-गोण्डा खण्ड में एल.-सी-1-ए रेलवे क्रॉसिंग पर रेल ऊपरि पुल के निर्माण संबंधी कोई प्रस्ताव रेलवे के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो अनिवार्य अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत इस निर्माण कार्य के कब तक प्रारंभ होने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) और (ग) यद्यपि राज्य सरकार ने ऊपरी पुल के निर्माण के लिए प्रस्ताव प्रायोजित किया है, लेकिन ऊपरी

पुल का कार्य पूरा होने पर समपार को बंद करने की अपेक्षित वचनबद्धता उनके द्वारा नहीं भेजी गई है। सभी वचनबद्धताएं प्राप्त होने और मौजूदा नियमों के अंतर्गत अन्य अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ही प्रस्तावों के संबंध में विचार किया जा सकता है।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में रेल परियोजनाएं

3500. श्री आर. धुवनारायण:
श्री के. सुगुमार:
डॉ. एम. तम्बिदुरई:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में चालू/लंबित रेल परियोजनाएं, नई रेल लाइन बिछाने का सर्वेक्षण और रोड ओवर ब्रिज/अंडर ब्रिज निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है और इन्हें पूर्ण करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) इस हेतु परियोजना-वार आवंटित निधि और व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे का तमिलनाडु में चामराजनगर को मेट्टूप्लायम से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) तमिलनाडु राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली चालू नई लाइन, आमान परिवर्तन एवं दोहरीकरण परियोजनाओं, नई लाइनें बिछाने तथा ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुलों के लिए सर्वेक्षण, 2009-10 के दौरान परिव्यय की व्यवस्था, उन पर किया गया खर्च तथा पूरा करने की लक्ष्य तिथि जहां कहीं निर्धारित की गई है, का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) मेट्टुपलायम तक विस्तार सहित मैसूर-चामराजनगर के कार्य 1997-98 के बजट में शामिल किया गया था। चामराजनगर मेट्टुपलायम नई लाइन के सर्वेक्षण कार्य को शुरू नहीं किया जा सका। तमिलनाडु वन विभाग ने रेलों को वन क्षेत्र में सर्वेक्षण करने की अनुमति नहीं दी क्योंकि प्रस्तावित लाइन पश्चिमी लाइन के महत्वपूर्ण हाथी गलियारे से गुजर रही है।

तमिलनाडु वन विभाग से अनुमति न मिलने पर रेलवे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के तहत गठित केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति से सर्वेक्षण आयोजित करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए संपर्क किया। केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति याचिका की सुनवाई के बाद सर्वेक्षण कार्य की अनुशंसा करने में असमर्थ रही।

विवरण

1. चालू परियोजनाएं (करोड़ रुपए)

क्र. सं.	चालू परियोजना	मार्च, 2009 तक किया गया खर्च	2009-10 के लिए परिव्यय	स्थिति तथा पूरा करने की लक्ष्य तिथि, जहां कहीं निर्धारित की गई है
1	2	3	4	5
नई लाइन				
1.	टिंडीवनम-गिंगी-तिरूवन्नमलई (5.28 किमी.)	4.45	10	राज्य सरकार द्वारा अभी अपेक्षित भूमि सुपुर्द की जानी है। 4 बड़े पुलों पर जहां कहीं भूमि उपलब्ध है, कार्य शुरू हो गया है।
2.	टिंडीवनम-नगारी (179.2 किमी.)	9.05	25	राज्य सरकार द्वारा अभी अपेक्षित भूमि सुपुर्द की जानी है। पलार नदी पर बड़े पुल कार्य शुरू हो गया है। मिट्टी संबंधी छोटे पुलों

1	2	3	4	5
				तथा सड़क पुलों के लिए निविदाएं प्रदान की जा चुकी हैं।
3.	अट्टीपट्ट-पुत्तुर (88.30 किमी.)	0.31	45	यह कार्य निष्पादन हेतु रेल विकास निगम को सौंप दिया गया है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो चुका है।
4.	इरोड-पलानी (91.05 किमी.)	0	02	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है।
5.	चेन्नै-कुड्डालोर बरास्ता महाबलीपुरम (179.28 किमी.)	0.01	02	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है।
6.	करूर-सेलम (85 किमी.)	231.23	35.99	मिट्टी सबंधी, पुलों संबंधी आदि कार्य शुरू कर दिए गए हैं।
7.	बेंगलूरू-सत्यमंगलम (260 किमी.)	0.28	0.01	तमिलनाडु वन विभाग ने आरक्षित वन क्षेत्र में सर्वेक्षण करने के लिए अनुमति नहीं दी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने भी इस परियोजना की अनुशंसा नहीं की है क्योंकि इससे अभयारण्य में रह रहे जंगली हाथियों के जीवन को हानि पहुंचेगी। तमिलनाडु तथा कर्नाटक राज्य सरकारों से इस परियोजना को छोड़ने के लिए उनके विचार जानने का आग्रह किया गया है।
आमान परिवर्तन				
1.	विल्लूपुरम-काटपाडी (161 किमी.)	364.56	50	काटपाडी-वैल्लौर (10 किमी.) खंड पूरा हो गया है। वैल्लौर-विल्लुपुरम को (151 किमी.) 2009-10 में पूरा करने का लक्ष्य है, जो पूरा होने वाला है।
2.	मानमुदरै-विरुद्धनगर (66.5 किमी.)	41.56	21	मिट्टी, पुल संबंधी कार्य शुरू किए जा चुके हैं।
3.	दिंडीगुल-पोलाची-पालघाट और पोदानूर-कोयम्बटूर (224.88 किमी.)	54.20	31	पोडानूर-कोयम्बटूर (6 किमी.) पर कार्य पूरा हो गया है तथा पोलाची-पालघाट (58 किमी.) तथा दिडीगुल-पोलाची (141 किमी.) खंडों पर भी कार्य शुरू कर दिया गया है।
4.	मइलादुतुरई-तिरूवरूर-कराइकुडी एवं तिरूतुरइपुंडी-अगास्तयामपल्ली (224 किमी.)	14.18	15	मइलादुतुरई-तिरूवरूर खंडों में मिट्टी, पुल संबंधी कार्य शुरू कर दिए गए हैं। तिरूरवरूर-कराईकुडी खंडों के लिए अंतिम

1	2	3	4	5
				स्थान निर्धारण सर्वेक्षण (149 किमी.) पूरा कर दिया गया है।
5.	मदुरै-बोदिनायककनूर (90.41 किमी.)	0	01	कुछ पुलों तथा अंतिम स्थान निर्धारण सर्वक्षण के लिए निविदा संबंधी प्रक्रियाएं शुरू कर दी गई हैं।
6.	तिरूच्चिरापल्ली-नागोर-करइकल (200 किमी.) तिरूकुवलई के रास्ते नागपट्टिनम वेलनकन्नई-तिरूतुरइपुंडी के विस्तार सहित	332.42	30	तिरूच्चिरापल्ली-नागोर खंड पहले ही यातायात के लिए खोला जा चुका है। नागपट्टिनम-वेलनकननी नइर लाइन को 2009-10 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नागोर-करइकल और नागपट्टिनम-तिरूतुरईपुंडी नई लाइन खंडों पर भी कार्य शुरू कर दिया गया है।
7.	कोल्लम-तिरूनेलवेली-तिरूचेंदूर एवं तेनकासी-विरुद्धनगर (357 किमी.)	473.42	70	विरूद्धनगर-तेनकासी-सेंगोटइ (131 किमी.) तथा तिरूनेलवेली-तिरूचेंदूर (61 किमी.) खंड यातायात के लिए खोल दिए गए हैं। कोल्लम-पुनालूर (45 किमी.) खंड को 2009-10 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित है। शेष मार्ग पर भी कार्य शुरू कर दिया गया है।
8.	तंजावुर-विल्लुपुरम	496.85	42	पूरा हो गया है। खंड पर रेल संरक्षा आयुक्त का निरीक्षण प्रतीक्षित है।
दोहरीकरण				
1.	चेन्ने बीच-कोरूक्कुपेट तीसरी लाइन (4.1 किमी.)	0.21	02	इस कार्य रोयपुरम में उपलब्ध रेल भूमि को चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट से बदला जाना है तथा इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
2.	चेन्नै बीच-अट्टीपट्ट चौथी लाइन (22.1 किमी.)	0.16	11	इस कार्य रोयपुरम में उपलब्ध रेल भूमि को चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट से बदला जाना है तथा इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
3.	चेंगलपट्टु-विल्लुपुरम (103 किमी.)	73.01	73	मिट्टी, पुल तथा गिट्टी इकट्ठी करने संबंधी आदि कार्य शुरू कर दिए गए हैं।
4.	विल्लुपुरम-डिंडीगुल विद्युतीकरण	0.01	15	यह कार्य निष्पादन हेतु रेल विकास निगम को स्थानान्तरित कर दिया गया है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। भूमि अधिग्रहण संबंधी कागजात प्रक्रियाधीन हैं।
5.	तिरूवल्लूर-अरक्कोणम चौथी लाइन (26.83 किमी.)	0	01	यह कार्य निष्पादन हेतु रेल विकास निगम को स्थानान्तरित कर दिया गया है। अंतिम

1	2	3	4	5
				स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। भूमि अधिग्रहण संबंधी कागजात प्रक्रियाधीन हैं।
6.	अट्टीपट्ट-कोरुक्कुपेट्ट तीसरी लाइन (18 किमी.)	97.95	02	कोरुक्कुपेट्टै-एग्मौर (12 किमी.) पहले ही यातायात के लिए खोल दिया गया है। एण्णौर-अट्टीपट्टु (6 किमी.) पर भी कार्य शुरू कर दिया गया है तथा इस कार्य को 2009-10 के दौरान पूरा किए जाने की संभावना है।

II. नई रेल लाइनों के लिए चल रहे सर्वेक्षण

क्र.सं.	सर्वेक्षण	लंबाई किमी. में	स्थिति तथा पूरा करने की संभावित तिथि
1.	रामेश्वरम-तूतीकोरिन-कन्याकुमारी	240	सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है, मार्च, 2010.
2.	करइकुडी-तूतीकोरिन बरास्ता रामानाथपुरम	220	सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है, मार्च, 2010.
3.	मदुरै (बोदिनरयककुनूर)-कोट्टायम	211	सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है, जून, 2010.
4.	मदुरै-एर्णाकुलम (कोचीन)	200	2009-10 के बजट में शामिल नया सर्वेक्षण, लक्ष्य जून 2010।

III. ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल

तमिलनाडु में ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल के 132 कार्य शुरू किए गए हैं, जो प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं। इन कार्यों की कुल लागत 1584.90 करोड़ रु. है और इन कार्यों पर अक्तूबर, 09 तक 87.16 करोड़ रु. खर्च किए जा चुके हैं। 2009-10 के दौरान 78.71 करोड़ रु. के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

पी.पी.पी. के अंतर्गत रेलवे परियोजनाएं

3501. श्रीमती सुस्मिता बाउरी:
श्री वैजयंत पांडा:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का प्रस्ताव सरकारी-निजी भागीदारी मॉडल के अंतर्गत बहु-कार्य परिसरों की स्थापना करने, विश्व-स्तरीय रेलवे स्टेशनों को विकसित करने और लोकोमोटिव और रेलवे कारखानों की स्थापना करने और अन्य विकासात्मक परियोजनाएं प्रारंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे का प्रस्ताव इन परियोजनाओं को अल्प-विकसित और विकासशील क्षेत्रों में प्रारंभ करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। सार्वजनिक निजी भागीदारी के जरिए संभावित निष्पादन हेतु विश्व स्तरीय स्टेशनों का विकास, चल स्टॉक के लिए विनिर्माण इकाइयों की स्थापना और पत्तन संपर्क परियोजनाओं जैसे कतिपय क्षेत्रों की पहचान की गई है। अभी तक विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में विकास हेतु 39 रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है। मधेपुरा (बिहार) में ग्रीनफील्ड विद्युत रेल इंजन कारखाना, मरहोरा में डीजल रेल इंजन कारखाना और डानकुनि (पश्चिम बंगाल) में चितरंजन रेल इंजन कारखाना तथा डीजल रेल इंजन कारखाना की सहायक इकाइयों का विकास निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी के माध्यम से करने के लिए पहचान की गई है। रेलवे द्वारा स्वयं अथवा इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, राइट्स लिमिटेड और रेल विकास निगम लिमिटेड जैसे रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के

उपक्रमों के साथ संयुक्त रूप से रेल भूमि विकास प्राधिकरण के जरिए बहु-प्रयोजनीय परिसरों के विकास पर भी विचार किया गया है।

(ग) और (घ) इन परियोजनाओं को आवश्यकता के आधार पर शुरू किया जाता है राज्य के क्षेत्राधिकार को ध्यान में रखते हुए शुरू नहीं किया जाता है।

वी-सैटेलाइट

3502. श्री एन. चेलुवरया स्वामी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने कर्नाटक राज्य सहित देशभर में एजेंसी की संचालन आवश्यकता के लिए सुदूर एवं दुर्गम स्थानों पर वी.-सैट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए उपग्रह केन्द्र की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे वी.-सैट केंद्रों का राज्य-वार तथा स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। मुख्य सेटेलाइट हब दिल्ली में स्थित है और उन स्थानों, जिन्हें अतिलघु छिद्र टर्मिनलों (वी-सेट) से जोड़ा गया है, की राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) यह प्रणाली इन्सेट 4 सी.आर. पर कार्य करती है। दूरस्थ स्थलों से इन्सेट 4सी.आर. सेटेलाइट के जरिए नई दिल्ली स्थित हब में डेटा प्राप्त किए जाते हैं। जहां से इसे आगे की कार्रवाई के लिए विभिन्न सर्वरों को भेजा जाता है।

विवरण

वी.ए.एस.टी. का राज्यवार स्थिति

क्र.सं.	राज्य	स्थान
1.	आन्ध्र प्रदेश	कोल माइन, सस्ती
2.		कोल स्क्रीनिंग प्लांट, राम कृष्णपुर, मंडामारी
3.		कोल साइडिंग, मनुगुरू
4.		डुब्बाडा रेलवे स्टेशन
5.		फर्टीलाइजर कॉरपोरेशन, विजग पोर्ट
6.		गोदावरी फर्टीलाइजर्स और केमिकल लिमिटेड, काकीनाडा
7.		गुड्स माइडिंग, विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन
8.		एच.पी.सी.एल. साइडिंग, विजयवाड़ा पोर्ट
9.		एच.पी.सी.एल. साइडिंग, विजग पोर्ट
10.		आई.ओ.सी.साइडिंग, विजग पोर्ट
11.		मुख्यभवन, विजग पोर्ट
12.		मनचिरयार कोल, श्री रामपुर, अदीलाबाद
13.		नाल्को साइडिंग, विजग पोर्ट
14.		रामागुंडम रेलवे स्टेशन
15.		कोल साइडिंग, रूद्रमपुर

क्र.सं.	राज्य	स्थान
16.		आर.टी.पी.पी. साइडिंग, मुद्दानुरू रेलवे स्टेशन
17.		सिकन्दराबाद, रेल निलयम
18.		सिम्हाचलम रेलवे स्टेशन
19.		थर्मल पावर स्टेशन, कोठागुडम
20.		विजयवाड़ा थर्मल पावर स्टेशन, विजयवाड़ा
21.		विजग स्टील प्लांट, विशाखापत्तनम
22.		जुआरी सीमेन्ट साइडिंग, येर्रागुन्तल
23.	असम	बोंगईगांव रिफायनरी और पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, नई बोंगईगांव
24.		हेबारगांव रेलवे स्टेशन
25.		लोडो रेलवे स्टेशन
26.		नुमालीगढ़ रिफायनरी साइडिंग
27.	बिहार	बरौनी रेलवे स्टेशन
28.	छत्तीसगढ़	ए.सी.ई.एल., भाटापाड़ा, रायपुर
29.		अकलतारा रेलवे स्टेशन
30.		बचेली रेलवे स्टेशन
31.		भट्टागांव साइडिंग, करोंजी
32.		भिलाई स्टील प्लांट, दुर्ग, भिलाई
33.		विश्रामपुर रेलवे स्टेशन
34.		चिरिमिरि रेलवे स्टेशन
35.		कुर्चा कोल साइडिंग, बैकुंठपुर
36.		दल्लीराजा रेलवे स्टेशन
37.		दीपिका कोलियरी, कोरवा
38.		दुमन हील, दरिट्टोला
39.		ग्रासिम, हथबद, रायपुर
40.		हिमगिरी रेलवे स्टेशन
41.		जगदलपुर रेलवे स्टेशन

क्र.सं.	राज्य	स्थान
42.		जुनाडौह, गेवरा रोड स्टेशन
43.		किरान्दुल रेलवे स्टेशन
44.		किरोड़ीमलनगर जे.एस.पी.एस. साइडिंग, रायपुर
45.		कोरिया साइडिंग, दरिट्टोला
46.		कोटकोना साइडिंग, कटोरा
47.		कुमदा साइडिंग, करोंजी
48.		एल. एंड टी. हथबद, रायपुर
49.		एन.ए.सी.ए.एस.टी. मनधर सीमेंनट फैक्ट्री, रायपुर
50.		नई कुसुन्दा साइडिंग, कोरबा
51.		पुरानी कुसमुन्दा, गेवरा रोड स्टेशन
52.	दिल्ली	बडौदा हाउस, नई दिल्ली
53.		क्रिस, नई दिल्ली
54.		आई.पी. साइडिंग, दिल्ली रेलवे स्टेशन
55.		आई.आर.पी.एम.यू.एच.क्यू., नई दिल्ली
56.		थॉमसन रोड, नई दिल्ली
57.	गुजरात	अनारा, मुंदरा पोर्ट, कुछ
58.		गुजरात राज्य विद्युत कॉरपोरेशन, धरूवरण, आनंद
59.		हलवड रेलवे स्टेशन
60.		कलोल रेलवे स्टेशन
61.		मलिया मियाना रेलवे स्टेशन
62.		नवलखी रेलवे स्टेशन
63.		पेठापुर रेलवे स्टेशन
64.		रिलायन्स रेल टर्मिनस, कर्णालुम
65.		सुरेन्द्र नगर रेलवे स्टेशन
66.		बनकबोरी थर्मल पावर स्टेशन, तालुक-थसारा, खेड़ा
67.	हरियाणा	भत्तु रेलवे स्टेशन
68.		भुआ रेलवे स्टेशन

क्र.सं.	राज्य	स्थान
69.		गुड्स शेड, भदली रेलवे स्टेशन
70.		गुडगांव रेलवे स्टेशन
71.		हिसार रेलवे स्टेशन
72.		एन.एफ.एल. साइडिंग, दिवाना रेलवे स्टेशन
73.		हिसार रेलवे स्टेशन
74.	हिमाचल प्रदेश	पेंडारा रोड, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश
75.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू तवी रेलवे स्टेशन
76.	झारखण्ड	ए. साइडिंग, गिडी रेलवे स्टेशन
77.		बकुडीह रेलवे स्टेशन
78.		बडहरवा रेलवे स्टेशन
79.		बरकाकाना रेलवे स्टेशन
80.		बारवाडीह रेलवे स्टेशन
81.		बोकारो स्टील सिटी
82.		बोकारो स्टील सिटी, बोकारो
83.		कोल वशेरी, दुग्धा
84.		कोल वशेरी, जमदोवा
85.		कोल वशेरी, खतरा
86.		कोल वशेरी, सुदमडीह
87.		डोंगोपोसी रेलवे स्टेशन
88.		गढ़वा रोड रेलवे स्टेशन
89.		हजारीबाग रेलवे स्टेशन
90.		जोजबेरा टाटा प्राइवेट मिल, सिंहभूम
91.		कनुडीह रेलवे स्टेशन
92.		कतरासगढ़ रेलवे स्टेशन
93.		खलारी रेलवे स्टेशन
94.		लोहरदगा रेलवे स्टेशन

क्र.सं.	राज्य	स्थान
95.		महुदा रेलवे स्टेशन
96.		महुकुंडा रेलवे स्टेशन
97.		मेरलग्राम रेलवे स्टेशन
98.		पाथरडीह रेलवे स्टेशन
99.		पतरातु रेलवे स्टेशन
100.		फुसरो रेलवे स्टेशन
101.		रजरप्पा वशेरी, रामगढ़
102.		राय रेलवे स्टेशन
103.		रोपवे साइडिंग, गोमोह
104.		रोपवे साइडिंग, नौमडी
105.		सिंहभूम रेलवे स्टेशन
106.		टिस्को वर्क्स, जमशदपुर
107.		तोरी रेलवे स्टेशन
108.	कर्नाटक	सी.जी.एस. कार्यालय, सतलु रेलवे स्टेशन
109.		चीफयार्ड मास्टर ऑफिस, न्यू मंगलोर
110.		हुबली रेलवे स्टेशन
111.		रायचुर थर्मल पॉवर स्टेशन, रायचूर
112.		रंजीतपुरा रेलवे स्टेशन
113.		तोंरगल्लू रेलवे स्टेशन
114.	केरल	बी.पी.सी.एल., इरुम्पामग
115.		एर्णाकुलम रेलवे स्टेशन
116.		नगेरकोइल रेलवे स्टेशन
117.		शोरानूर रेलवे स्टेशन
118.		त्रिवेन्द्रम रेलवे स्टेशन
119.	मध्य प्रदेश	अमलाई रेलवे स्टेशन
120.		भागा रेलवे स्टेशन

क्र.सं.	राज्य	स्थान
121.		बिजुरी कोल साइडिंग, सहडोल
122.		बुरहर कोल साइडिंग, सहडोल
123.		धनसर बी.सी.सी.एल., दुधिचुआ
124.		ग्वालियर रेलवे स्टेशन
125.		जमुना ओ.सी.एम. साइडिंग, हराडा
126.		मुदरिया एस.जी.पी.टी. साइडिंग, बिरिसनपुर
127.		नौरादाबाद रेलवे स्टेशन
128.		राजनगर कोल साइडिंग, बिजुरी
129.		रतलाम रेलवे स्टेशन
130.		सिंगरौली रेलवे स्टेशन
131.	महाराष्ट्र	गोबेरवही रेलवे स्टेशन
132.		जमाइ/पनवेल रेलवे स्टेशन
133.		खपरी खेड़ा रेलवे स्टेशन
134.		कोराधी रेलवे स्टेशन
135.		मराठवाड़ा सीमेन्ट वर्क, चन्द्रपुर
136.		नई पन्थरपवनी, चन्द्रपुर
137.		सनफलैग साइडिंग, भण्डारा
138.	उड़ीसा	बरसुनम, पी.एस. तेन्सा, जिला सिंदरगढ़
139.		बेलापुर रेलवे स्टेशन
140.		बुरहापाका रेलवे स्टेशन
141.		सीमेन्ट साइडिंग, दुदवा
142.		दामनजोरी रेलवे स्टेशन
143.		ई.बी. साइडिंग, देवझर, बासपानी रेलवे स्टेशन
144.		एफ.एम.पी. साइडिंग, जोडा
145.		गढ़चन्दुर रेलवे स्टेशन
146.		गुड्स ऑफिस, किरीबुरू रेलवे स्टेशन

क्र.सं.	राज्य	स्थान
147.		जाजपुर केक्नीहर रोड रेलवे स्टेशन
148.		जेयपोर रेलवे स्टेशन
149.		जोडा ईस्ट, बांसपानी रेलवे स्टेशन
150.		जोडा साइडिंग, जोड़ा क्योंझर
151.		खुर्दाराड जं. रेलवे स्टेशन
152.		नरगुडी रेलवे स्टेशन
153.		ओ.सी.एल. साइडिंग, अजगैनपुर
154.		पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड, पारादीप
155.		पारादीप रेलवे स्टेशन
156.		पारादीप रेलवे स्टेशन II
157.		पुरी रेलवे स्टेशन
158.		राउरकेला/एच.एस.एल., राउरकेला
159.		स्ट्रा साइडिंग, सिंगापुर रोड
160.		सुकिंदा रोड रेलवे स्टेशन
161.		तालचर रेलवे स्टेशन
162.		विजग स्टील, दामनजोरी रेलवे स्टेशन
163.	पंजाब	बरनाला रेलवे स्टेशन
164.		धंधारीकला रेलवे स्टेशन
165.		धुरी रेलवे स्टेशन
166.		कोटकपुरा रेलवे स्टेशन
167.		एन.एफ.एल., नंगलडैम
168.		रामपुराफुल रेलवे स्टेशन
169.		संगरूर रेलवे स्टेशन
170.		सुनम रेलवे स्टेशन
171.	राजस्थान	बंद बरेठा रेलवे स्टेशन
172.		भोनरा रेलवे स्टेशन

क्र.सं.	राज्य	स्थान
173.		सीमेन्ट साइडिंग, बनस, अजमेर
174.		चन्देरिया रेलवे स्टेशन
175.		हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन
176.		जैसलमेर रेलवे स्टेशन
177.		नवासिटी रेलवे स्टेशन
178.		शंभुपुरा रेलवे स्टेशन
179.		सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन
180.		थैपाट हमीरा रेलवे स्टेशन
181.	तमिलनाडु	अटापटु रेलवे स्टेशन
182.		कोयम्बटूर नार्थ
183.		कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन
184.		इरॉड रेलवे स्टेशन
185.		मधुरई रेलवे स्टेशन
186.		मेट्टूर थर्मल पॉवर प्लांट, मेट्टूर
187.		पेराम्बूर रेलवे स्टेशन
188.		तलपुथु रेलवे स्टेशन
189.		त्रिचुरापल्ली रेलवे स्टेशन
190.		त्रियूनेलवेली रेलवे स्टेशन
191.		वेदालूर रेलवे स्टेशन
192.		विरारक्किपम रेलवे स्टेशन
193.	उत्तर प्रदेश	आउट रेलवे स्टेशन
194.		आलमनगर रेलवे स्टेशन
195.		बबराला/टी.सी.एल., इन्दराधन
196.		बसी पहाड़पुर रेलवे स्टेशन
197.		भीम सेन रेलवे स्टेशन
198.		बीना कोलयरी, दुधिचुआ

क्र.सं.	राज्य	स्थान
199.		चलेसर रेलवे स्टेशन
200.		चिरगांव रेलवे स्टेशन
201.		चोपन रेलवे स्टेशन
202.		एत्मादपुर रेलवे स्टेशन
203.		फतेहपुर सिकरी रेलवे स्टेशन
204.		गुड्स ऑफिस, सुबेदारगंज रेलवे स्टेशन
205.		हरदुआगंज रेलवे स्टेशन
206.		इफको, फूलपुर
207.		इफको/बिशारतगंज
208.		आई.ओ.सी. साइडिंग, पकी
209.		जमुना ब्रिज रेलवे स्टेशन
210.		कल्पि रेलवे स्टेशन
211.		किरौली रेलवे स्टेशन
212.		कोंच रेलवे स्टेशन
213.		कुबेरपुर रेलवे स्टेशन
214.		लालपुर रेलवे स्टेशन
215.		मिराकुर रेलवे स्टेशन
216.		नख जंगल रेलवे स्टेशन
217.		एन.टी.पी.सी. साइडिंग, दादरी
218.		पमन रेलवे स्टेशन
219.		पनकी थर्मल पॉवर हाउस, पकी
220.		परिश्चा रेलवे स्टेशन
221.		पठोली रेलवे स्टेशन
222.		रेणुकूट रेलवे स्टेशन
223.		रूपवास रेलवे स्टेशन
224.		रोजा रेलवे स्टेशन

क्र.सं.	राज्य	स्थान
225.		शोलाका रेलवे स्टेशन
226.		थर्मल पी.एच. ऊंचाहार
227.		थर्मल पॉवर स्टेशन, टांडा
228.	पश्चिम बंगाल	अनारा रेलवे स्टेशन, अनारा
229.		आसनसोल मंडल कार्यालय
230.		भुमपुर रेलवे स्टेशन
231.		कोल बशेरी, भोजुडीह
232.		दुर्गचक रेलवे स्टेशन
233.		हल्दिया डॉक कम्प्लेक्स, हल्दिया
234.		मधुकुंडा रेलवे स्टेशन
235.		पाकुड़ रेलवे स्टेशन
236.		पांडवेश्वर, इस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड
237.		राधानगर रेलवे स्टेशन
238.		राजग्राम रेलवे स्टेशन
239.		रामकनाली जं. रेलवे स्टेशन
240.		रूकनी रेलवे स्टेशन
241.		सकरेल, हावड़ा
242.		सतलडीह रेलवे स्टेशन
243.		सोनाचार, इस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड
244.		उखड़ा, इस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, सोनपुर बाजार

फूल पार्कों हेतु एस.ई.जैड.

3503. श्री के. सुगुमार: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव फूड पार्कों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लाभ देने का है ताकि देश खाद्य प्रसंस्करण हेतु एक क्षेत्रीय हब के रूप में शीघ्र विकसित हो सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) और (ख) विशेष आर्थिक अंचलों का लाभ केवल विशेष आर्थिक अंचल विकासकों और इकाइयों को उपलब्ध हैं। फिलहाल, मेगा फूड पार्क स्कीम सरकार द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देशों के विभिन्न सेटों द्वारा परिचालित होती है। 11वीं योजना में, मंत्रालय ने सुदृढ़ बैकवर्ड और फारवर्ड लिंकेज के साथ पूर्व में पहचाने गए समूह आधार पर देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए अधुनातम बुनियादी ढांचा विकास उपलब्ध कराने और मांग प्रेरित ढंग में पॉल्ट्री, मांस, डेरी, मात्स्यिकी, आदि समेत कृषि वस्तुओं का मूल्यवर्धन उपलब्ध कराने पर विचार करते हुए 30 मेगा खाद्य पार्क स्थापित करने की एक नई

स्कीम अनुमोदित की है। मेगा खाद्य पार्क का स्वामित्व और प्रबंधन विशेष प्रयोजन व्हीकल में निहित होगा जिसमें संगठित खुदरा विक्रेता, प्रसंस्करणकर्ता, सेवा प्रदान करने वाले, किसान आदि इक्विटी धारक हो सकते हैं। मेगा फूड पार्क में स्थित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के उत्पादों को स्वदेशी के साथ-साथ निर्यात बाजार में भी बेचा जा सकता है।

अल्कोहल की मांग और उत्पादन

3504. श्री प्रदीप माझी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अनेक क्षेत्र अपने उत्पादों हेतु अल्कोहल का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2008-09 और 2009-10 में अब तक अल्कोहल की क्या मांग है;

(ग) क्या देश में पिछले वर्षों की तुलनात्मक अवधि की तुलना में उक्त अवधि के दौरान अल्कोहल उत्पादन में कमी हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में विभिन्न क्षेत्रों की अल्कोहल की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए अल्कोहल के उत्पादन में वृद्धि हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) अल्कोहल का कच्चे सामग्री के रूप में उपयोग निम्नलिखित तीन क्षेत्रों द्वारा किया जाता है:

1. पेय क्षेत्र द्वारा डाइल्यूट व ब्लेंड करके
2. रसायन उद्योग द्वारा एसिटिक एसिड, एसिटिक एन्हाइड्राइड, इथाइल एसीटेट एवं एम.ई.जी. आदि के उत्पादन हेतु।
3. पेट्रोल कार्यक्रम में इथेनॉल ब्लेंडिंग के अधीन पेट्रोल के साथ ब्लेंडिंग हेतु।

(ख) वर्ष 2008-09 के दौरान देश में एल्कोहल की मांग लगभग 2900 मिलियन लीटर थी और वर्ष 2009-10 के दौरान (नवंबर, 2009 तक) लगभग 2000 मिलियन लीटर अनुमानित है।

(ग) और (घ) प्रमुख उत्पादक राज्यों के संबंध में एल्कोहल का वर्ष वार उत्पादन निम्नानुसार था:

वर्ष	उत्पादन (मिलियन लीटर)
2004-05	1197.3
2005-06	1669.9
2006-07	2502.9
2007-08	2482.8
2008-09	2264.9

उपरोक्त ब्यौरे से पता चलता है कि एल्कोहल के उत्पादन का स्वरूप परिवर्तनशील है।

(ङ) सरकार, बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एल्कोहल के उत्पादन के लिए वैकल्पिक स्रोतों की तलाश कर रही है। चीनी उद्योग द्वारा पर्याप्त मात्रा में इथेनॉल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, केन्द्र सरकार ने 9-10-2007 को अधिसूचना जारी करके चीनी मिलों द्वारा गन्ने के रस को सीधे इथेनॉल में परिवर्ति करने की अनुमति दे दी। अतः, पारंपरिक रूप से प्रयुक्त कच्चे माल जैसे शीरे के अतिरिक्त इथेनॉल के उत्पादन के लिए देश में अब गन्ने के रस से भी सीधे इथेनॉल का उत्पादन किया जा सकता है।

[हिन्दी]

विदेशी पायलटों को वेतन

3505. श्री सुदर्शन भगत: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया भारतीय पायलटों की तुलना में विदेशी पायलटों को 25 प्रतिशत अधिक वेतन प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह दृष्टिकोण भारतीय पायलटों के मनोबल और व्यावसायिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा;

(घ) क्या एयर इंडिया भारतीय पायलटों की अवहेलना कर विदेशी पायलटों की भर्ती कर रही है; और

(ङ) एयर इंडिया में कार्यरत पायलटों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) भारतीय विमान-चालकों की तुलना में विदेशी विमान-चालकों के समग्र वेतन पैकेज में कोई अंतर नहीं है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) इस समय, एअर इंडिया में 151 विदेशी विमान-चालक कार्यरत हैं।

सरकारी क्षेत्र की रुग्ण उर्वरक इकाइयां

3506. श्री जगदीश शर्मा:
श्री अनंत कुमार हेगड़े:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र की रुग्ण उर्वरक इकाइयों के पुनरुद्धार हेतु निजी क्षेत्र को राजस्व बंटवारे के आधार पर इन्हें चलाने के लिए कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस नीति की विस्तृत रूपरेखा क्या है;

(ग) क्या उक्त नीति पर विचार करने से पूर्व सरकारी क्षेत्र की रुग्ण उत्पादन इकाइयों का आकलन कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इन इकाइयों की कुल परिसंपत्तियां कितनी हैं और यह आकलन कब किया गया था और इस संबंध में कौन-सा संस्थान सम्मिलित था?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (घ) सरकार ने हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.एफ.सी.एल.) और फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफ.सी.आई.एल.) की सार्वजनिक क्षेत्र की बंद पड़ी उर्वरक इकाइयों के पुनरुद्धार की व्यवहार्यता का पता लगाने का निर्णय लिया गया है बशर्ते कि देश में यूरिया की उभरती मांग और उत्पादन के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए प्राकृतिक गैस की सुनिश्चित उपलब्धता हो। सरकार ने एफ.सी.आई.एल./एच.एफ.सी.एल. की बंद पड़ी इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए सभी निवेश विकल्पों का मूल्यांकन करने के अधिदेश के साथ एक सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति (ई.सी.ओ.एस.) का गठन किया है, जो सरकार के विचारार्थ उपयुक्त सिफारिशें करेगी। ई.सी.ओ.एस. द्वारा बंद पड़ी प्रत्येक इकाई के पुनरुद्धार के लिए निवेश के विभिन्न सम्भव विकल्पों पर पहले ही विचार किया जा चुका है और उपयुक्त निधियन विकल्प के बारे में अपनी सिफारिशों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है। ई.सी.ओ.एस. की ये सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

[अनुवाद]

कोल बैट मीथेन

3507. शेख सैदुल हक: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ कंपनियां नामतः मैसर्ज ग्रेट ईस्टर्न एनर्जी कार्पोरेशन लि. (जी.ई.ई.सी.एल.) एस्सार आयल्स, ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओ.एन.जी.सी.) पश्चिम बंगाल में कोल बैड मीथेन की खोज में कार्यरत हैं; और

(ख) यदि हां, तो इनके उत्पादन की दर, खपत का ब्यौरा और प्राप्य अधिकतम उत्पादन स्तर सहित अनुमानित समय-सीमा का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) मैसर्स ग्रेट ईस्टर्न एनर्जी कार्पोरेशन लि. (जी.ई.ई.सी.एल.), एस्सार ऑयल लि. (ई.ओ.एल.) और ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. (ओ.एन.जी.सी.) पश्चिम बंगाल राज्य में एक-एक कोल बेड मीथेन (सी.बी.एम.) ब्लॉक का प्रचालन कर रही हैं। जी.ई.ई.सी.एल. द्वारा प्रचालित केवल रानीगंज (दक्षिण) ब्लॉक से ही जुलाई, 2007 से वाणिज्यिक उत्पादन चालू हुआ है।

वर्तमान में, रानीगंज दक्षिण से सी.बी.एम. गैस उत्पादन दर लगभग 0.11 मिलियन मानक घन मीटर प्रति दिन (एम.एम.एस.सी.एम.डी.) है। आंतरिक उपभोग करने के अलावा स्थानीय उद्योगों को भी गैस की बिक्री की जा रही है और सम्पीड़ित प्राकृतिक गैस (सी.एन.जी.) के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है।

अनुमोदित विकास योजना के अनुसार, रानीगंज दक्षिण ब्लॉक से 2013 तक 1.49 एम.एम.एस.सी.एम.डी. की दर से गैस का अनुमानित अधिकतम उत्पादन प्राप्त किए जाने की संभावना है।

ओ.एन.जी.सी. और ई.ओ.एल. द्वारा प्रचालित अन्य दो सी.बी.एम. ब्लॉक अन्वेषण चरण के अधीन हैं।

इस्पात की कमी

3508. श्री एंटो एंटोनी: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश इस्पात की अत्यधिक कमी का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस्पात का अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मूल्य क्या है: और

(घ) सरकार द्वारा इस्पात के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप): (क) और (ख) जी, नहीं। देश में इस्पात की कोई कमी नहीं है। इस्पात की घरेलू जरूरत को घरेलू इस्पात उत्पादन और साथ ही अन्य देशों से आयात, दोनों के जरिए पूरा किया जाता है। अप्रैल-नवंबर, 2009 के लिए अनंतिम आंकड़ों से भी पता चलता है कि कुल परिसज्जित इस्पात (मिश्र + गैर मिश्र) की घरेलू उपलब्धता 41.37 मिलियन टन थी जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 7.1 प्रतिशत अधिक है।

(ग) इस्पात की 2 प्रतिनिधि श्रेणियों, तप्त बेल्लित क्वॉयल (चपटे उत्पाद श्रेणी) और टी.एम.टी./री-बार (लंबे उत्पाद श्रेणी) के लिए घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार के संबंध में संकेतात्मक इस्पात कीमतों का त्रैमासिक रुख संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) सरकार देश में नई इस्पात उत्पादन क्षमताएं स्थापित करने को सुसाध्य बना रही है। इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र की इकाइयों, नामत: स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर.आई.एन.एल.) ने पहले ही प्रमुख क्षमता विस्तार योजनाएं शुरू कर दी हैं। सेल की अपरिष्कृत इस्पात की मौजूदा 13.82 मिलियन टन वार्षिक (एम.टी.पी.ए.) क्षमता को बढ़ाकर वर्ष 2012-13 तक 23.46 एम.टी.पी.ए. करने की योजना है। इसी प्रकार आर.आई.एन.एल. भी अपनी द्रव इस्पात क्षमता को 3.0 एम.टी.पी.ए. से बढ़ाकर वर्ष 2011-12 तक 6.3 एम.टी.पी.ए. कर रहा है।

निजी क्षेत्र के द्वारा भी ऐसी ही क्षमता विस्तार परियोजनाएं शुरू की गई हैं जिनके लिए सरकार परियोजनाओं की समय पर पूर्णता हेतु सभी सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है।

विवरण

I. टी.एम.टी. बार्स की घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव (त्रैमासिक आधार पर)

(i) घरेलू कीमतें (सभी करों और शुल्कों सहित)

(रुपए/टन)

अवधि	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
अप्रैल	29325	32250	46000	34122
जुलाई	27150	30800	43335	33274
अक्तूबर	26000	32550	40253	32328
जनवरी	28700	37450	36448	-

(स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति)

(ii) अंतर्राष्ट्रीय एफ.ओ.बी. (अमरीकी डॉलर में औसत कीमत)

(अमरीकी डालर/टन)

अवधि	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5
अप्रैल	-	487.5	920	480

1	2	3	4	5
जुलाई	-	525	1050	530
अक्तूबर	-	610	625	505
जनवरी	407.5	735	580	-

(स्रोतः स्टील बिजनेस ब्रीफ)

II. एच.आर. क्वॉयल की घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव (त्रैमासिक आधार पर)

(i) घरेलू (सभी करों और शुल्कों सहित)

(रुपए/टन)

अवधि	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
अप्रैल	33275	37450	49000	34491
जुलाई	34950	34700	45327	34419
अक्तूबर	34850	35425	44984	35503
जनवरी	32975	35350	34831	-

(स्रोतः संयुक्त संयंत्र समिति)

(ii) अंतर्राष्ट्रीय (अमरीकी डालर में एफ.ओ.बी. औसत कीमत)

(अमरीकी डालर/टन)

अवधि	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
अप्रैल	492.5	575	875	495
जुलाई	560	525	1040	530
अक्तूबर	485	595	625	475
जनवरी	495	675	575	-

(स्रोतः स्टील बिजनेस ब्रीफ)

डी.जी.सी.ए. का विनियामक नियंत्रण

3509. श्री एम.आई. शानवासः क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार राज्यों द्वारा प्रचालित एअरक्राफ्ट और हेलिकाप्टरों को नागर विमानन महानिदेशालय के अंतर्गत लाने के लिए दिशानिर्देशों को जारी करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में केवल दो राज्य सरकारें ही अपने एअरक्राफ्ट को नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर परमिट (एन.एस.ओ.पी.) पर प्रचालित कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कुछ राज्य निर्धारित विनियमों का अनुपालन नहीं करते हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, हां। नागर विमानन महानिदेशालय ने राज्य सरकार के विमानों/हेलीकाप्टरों के प्रचालन, उड़ान योग्यता तथा सुरक्षा संबंधी पहलुओं पर नागर विमानन अपेक्षाओं से संबंधित मसौदा तैयार किया है।

(ग) और (घ) जी, हां। जम्मू और कश्मीर तथा राजस्थान की सरकारें गैर अनुसूचित-प्रचालक परमिट के तहत अपने विमान का प्रचालन कर रही हैं।

(ङ) और (च) राज्य सरकारों को नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा जारी विनियमों का अनुपालन किया जाना जरूरी होता है। निर्धारित विनियमों के अनुपालन पर नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा सुरक्षा ऑडिट, आकस्मिक जांच तथा निगरानी जांच के दौरान जांच की जाती है तथा इस प्रकार की जांचों के दौरान पाई गई कमियों/अभिमतों पर निवारक उपायों के अधीन कार्रवाई की जाती है।

सी.एन.जी. के मूल्यों में वृद्धि

3510. श्री रुद्रमाधव राय: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव सी.एन.जी. के मूल्यों में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका परिवहन क्षेत्र और आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ने की संभवना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (ग) सी.एन.जी. की बिक्री नगर गैस वितरण कंपनियों द्वारा की जाती है, जिनमें से कोई भी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सी.पी.एस.यूज) नहीं है। इसके अलावा, सी.एन.जी. का मूल्य निर्धारण के लिए सरकार का अनुमोदन आवश्यक नहीं होता। सी.एन.जी. का मूल्य विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है।

निजी एअरलाइनें

3511. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन क्षेत्र में निजी एअरलाइनों की संख्या कितनी है और इनके द्वारा कवर किए जा रहे क्षेत्र कौन-से हैं;

(ख) क्या सरकार को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रचालन हेतु अनुमति के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अब तक एअरलाइनों से नहीं जुड़े क्षेत्रों को कवर करने हेतु मांग की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) निजी अनुसूचित एयरलाइनों में से, जेट एयरवेज, जेटलाइट और किंगफिशर अनुसूचित घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं का प्रचालन करती हैं।

इनके अंतर्गत आने वाले घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सेक्टरों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) सभी ऑपरेटरों को देश के भीतर 5 वर्षों की अनिवार्य उड़ान सेवा का अनुपालन करना होता है तथा इनके पास, यदि वे अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा के इच्छुक है, तो कम से कम 20 विमानों का विमान-बेड़ा होना चाहिए।

(घ) और (ङ) घरेलू प्रचालनों के लिए, सरकार ने देश के विभिन्न क्षेत्रों की विमान परिवहन सेवाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विमान परिवहन सेवाओं के बेहतर विनियम को प्राप्त करने की दृष्टि से, मार्ग संवितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किए हैं। तथापि, यह एयरलाइनों पर निर्भर करता है कि वे यातायात मांग और वाणिज्यिक साध्यता के आधार पर विशिष्ट स्थानों के लिए विमान सेवाएं प्रदान करें। इस प्रकार, एयरलाइनें सरकार द्वारा जारी किए गए मार्ग संवितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए, देश में किसी भी स्थान के लिए प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

विवरण

घरेलू मार्ग

से	को	जेट एयरवेज	जेटलाइट	किंगफिशर
अगरतला	गुवाहाटी	✓		✓
अगरतला	कोलकाता	✓		✓
अगाती	कोचीन			✓
आगरा	दिल्ली			✓
अहमदाबाद	बेंगलूरू			✓
अहमदाबाद	चेन्नई		✓	
अहमदाबाद	दिल्ली	✓	✓	✓
अहमदाबाद	हैदराबाद			✓
अहमदाबाद	इंदौर	✓		✓
अहमदाबाद	मुम्बई	✓	✓	✓
आयजवाल	कोलकाता			✓
अमृतसर	दिल्ली	✓		✓
औरंगाबाद	दिल्ली	✓	✓	
औरंगाबाद	मुंबई	✓		✓
औरंगाबाद	हैदराबाद			✓
बागडोगरा	दिल्ली	✓		✓
बागडोगरा	गुवाहाटी	✓		✓
बागडोगरा	कोलकाता	✓		✓
बेंगलूरू	भुवनेश्वर			
बेंगलूरू	कालीकट			✓
बेंगलूरू	चेन्नई	✓		✓
बेंगलूरू	कोचीन	✓		✓
बेंगलूरू	कोयम्बतूर	✓		✓
बेंगलूरू	दिल्ली	✓	✓	✓
बेंगलूरू	गोवा	✓		✓

से	को	जेट एयरवेज	जेटलाइट	किंगफिशर
बेंगलूरू	हुबली			✓
बेंगलूरू	हैदराबाद	✓	✓	✓
बेंगलूरू	इंदौर			✓
बेंगलूरू	कोलकाता	✓	✓	
बेंगलूरू	मदुरै			✓
बेंगलूरू	मंगलौर	✓		✓
बेंगलूरू	मुंबई	✓	✓	✓
बेंगलूरू	पुणे	✓		✓
बेंगलूरू	त्रिवेन्द्रम	✓		✓
बेंगलूरू	विजयवाड़ा			✓
भावनगर	मुंबई	✓		✓
भोपाल	दिल्ली	✓		
भोपाल	इंदौर	✓		
भोपाल	मुंबई	✓		
भोपाल	रायपुर	✓		
भुवनेश्वर	दिल्ली		✓	✓
भुवनेश्वर	कोलकाता		✓	✓
भुवनेश्वर	मुंबई			✓
भुज	मुंबई	✓		✓
कालीकट	कोचीन			✓
कालीकट	मंगलौर			✓
कालीकट	मंबई		✓	
चंडीगढ़	दिल्ली	✓		✓
चंडीगढ़	जम्मू			✓
चंडीगढ़	मुंबई	✓		✓
चेन्नई	कोचीन	✓		✓

से	को	जेट एयरवेज	जेटलाइट	किंगफिशर
चेन्नई	कोयम्बतूर	✓		✓
चेन्नई	दिल्ली	✓	✓	✓
चेन्नई	गोवा		✓	
चेन्नई	हैदराबाद	✓	✓	✓
चेन्नई	कोलकाता	✓		
चेन्नई	मदुरै	✓		✓
चेन्नई	मुंबई	✓		✓
चेन्नई	पोर्टब्लेयर			✓
चेन्नई	पुणे			✓
चेन्नई	सलेम			✓
चेन्नई	त्रिची			✓
चेन्नई	त्रिवेन्द्रम	✓		✓
चेन्नई	तूतीकोरिन			✓
चेन्नई	विजाग		✓	✓
कोचीन	दिल्ली		✓	
कोचीन	हैदराबाद		✓	✓
कोचीन	मंगलौर			✓
कोचीन	मुंबई	✓		✓
कोचीन	त्रिवेन्द्रम			✓
कोयम्बतूर	हैदराबाद	✓		
कोयम्बतूर	मुंबई	✓	✓	✓
देहरादून	दिल्ली			✓
दिल्ली	धर्मशाला			✓
दिल्ली	गोवा		✓	✓
दिल्ली	गोरखपुर		✓	
दिल्ली	गुवाहाटी	✓	✓	✓

से	को	जेट एयरवेज	जेटलाइट	किंगफिशर
दिल्ली	हैदराबाद	✓	✓	✓
दिल्ली	इंदौर	✓	✓	✓
दिल्ली	जबलपुर			✓
दिल्ली	जयपुर	✓	✓	✓
दिल्ली	जम्मू		✓	✓
दिल्ली	जोधपुर	✓		
दिल्ली	कोलकाता	✓	✓	✓
दिल्ली	कुल्लू			✓
दिल्ली	लेह	✓		✓
दिल्ली	लखनऊ		✓	✓
दिल्ली	मुंबई	✓	✓	✓
दिल्ली	नागपुर		✓	
दिल्ली	पटना	✓	✓	
दिल्ली	पुणे	✓	✓	✓
दिल्ली	रायपुर			✓
दिल्ली	रांची			✓
दिल्ली	शिमला			✓
दिल्ली	श्रीनगर	✓		✓
दिल्ली	थोइस	✓		
दिल्ली	उदयपुर	✓		✓
दिल्ली	वडोदरा	✓		
दिल्ली	वाराणसी	✓		✓
दिल्ली	विजाग		✓	
डिब्रूगढ़	गुवाहाटी		✓	✓
डिब्रूगढ़	कोलकाता		✓	
दीमापुर	इम्फाल			✓

से	को	जेट एयरवेज	जेटलाइट	किंगफिशर
दीव	पोरबंदर	✓		
गया	कोलकाता			
गोवा	हैदराबाद	✓		✓
गोवा	मंगलौर			✓
गोवा	मुंबई	✓	✓	✓
गोवा	पुणे			✓
गुवाहाटी	इम्फाल		✓	✓
गुवाहाटी	जोरहाट		✓	✓
गुवाहाटी	कोलकाता	✓	✓	✓
गुवाहाटी	लीलाबाड़ी			✓
गुवाहाटी	मुंबई			✓
गुवाहाटी	सिल्चर			✓
हुबली	मुंबई			✓
हैदराबाद	कोलकाता	✓		✓
हैदराबाद	मुंबई	✓	✓	✓
हैदराबाद	नागपुर		✓	✓
हैदराबाद	पुणे	✓	✓	✓
हैदराबाद	रायपुर	✓		✓
हैदराबाद	राजमुंद्री	✓		✓
हैदराबाद	तिरुपति	✓		✓
हैदराबाद	विजयवाड़ा			✓
हैदराबाद	विजाग		✓	✓
इम्फाल	कोलकाता			✓
इम्फाल	सिल्चर			✓
इंदौर	मुंबई		✓	✓
इंदौर	नागपुर		✓	✓

से	को	जेट एयरवेज	जेटलाइट	किंगफिशर
इंदौर	पुणे			✓
इंदौर	रायपुर			✓
जयपुर	जोधपुर			✓
जयपुर	कोलकाता	✓		
जयपुर	मुंबई	✓		✓
जयपुर	उदयपुर	✓		
जम्मू	श्रीनगर		✓	✓
जमशेदपुर	कोलकाता			✓
जोधपुर	मुंबई	✓		
जोधपुर	उदयपुर			✓
जोरहाट	कोलकाता	✓		✓
काण्डला	मुंबई			✓
खजुराहो	वाराणसी	✓		✓
कोल्हापुर	मुंबई			✓
कोलकाता	लखनऊ		✓	
कोलकाता	मुंबई	✓	✓	✓
कोलकाता	पटना		✓	✓
कोलकाता	पोर्टब्लयेर		✓	
कोलकाता	रायपुर		✓	✓
कोलकाता	रांची		✓	✓
कोलकाता	सिल्चर			✓
कोलकाता	विजाग		✓	
लातूर	मुंबई			✓
लखनऊ	मुंबई		✓	✓
मंगलौर	मुंबई	✓		✓
मुंबई	दीव	✓		

से	को	जेट एयरवेज	जेटलाइट	किंगफिशर
मुंबई	नागपुर		✓	✓
मुंबई	नान्देड़			✓
मुंबई	नासिक			✓
मुंबई	पटना			✓
मुंबई	पुणे	✓		
मुंबई	रायपुर		✓	
मुंबई	राजकोट	✓		
मुंबई	सोलापुर			✓
मुंबई	त्रिवेन्द्रम	✓		✓
मुंबई	उदयपुर	✓		✓
मुंबई	वडोदरा	✓		✓
नागपुर	बंगलौर			✓
नान्देड़	लातूर			✓
पटना	रांची			✓
पोरबंदर	मुंबई	✓		

जेट एयरवेज, जेटलाइट और किंगफिशर एयरलाइन्स की अंतर्राष्ट्रीय रूटों पर उड़ान

जेट एयरवेज

1. चेन्नई-सिंगापुर-चेन्नई
2. चेन्नई-कुवालालम्पुर-चेन्नई
3. चेन्नई-कोलम्बो-चेन्नई
4. चेन्नई-बुसेल्स-न्यूयार्क और वापसी
5. चेन्नई-दुबई-चेन्नई
6. कोचीन-मस्कट-कोचीन
7. कोचीन-दोहा-कोचीन
8. कोचीन-कुवैत-कोचीन
9. कोचीन-शारजाह-कोचीन
10. दिल्ली-सिंगापुर-दिल्ली
11. दिल्ली-बैंकॉक-दिल्ली
12. दिल्ली-लंदन-दिल्ली
13. दिल्ली-काठमांडु-दिल्ली
14. दिल्ली-ढाका-दिल्ली
15. दिल्ली-दुबई-दिल्ली
16. दिल्ली-आबुधाबी-दिल्ली
17. दिल्ली-बुसेल्स-टोरंटो और वापसी

18. दिल्ली-हांगकांग-दिल्ली
19. हैदराबाद-हुबली-हैदराबाद
20. कोलकाता-बैंकॉक-कोलकाता
21. कोलकाता-ढाका-कोलकाता
22. मुंबई-सिंगापुर-मुंबई
23. मुंबई-बैंकॉक-मुंबई
24. मुंबई-हांगकांग-मुंबई
25. मुंबई-लंदन-मुंबई
26. मुंबई-मसक्ट-मुंबई
27. मुंबई-दुबई-मुंबई
28. मुंबई-दोहा-मुंबई
29. मुंबई-आबुधाबी-मुंबई
30. मुंबई-बहरीन-मुंबई
31. मुंबई-बुसेल्स-न्यूयार्क और वापसी
32. मुंबई-जेद्दाह-मुंबई
33. मुंबई-रियाद-मुंबई
34. मुंबई-कुवैत-मुंबई
35. मुंबई-काठमांडु-मुंबई
36. त्रिवेन्द्रम-मस्कट-त्रिवेन्द्रम
37. बैंकॉक-गया-वाराणसी-बैंकॉक

जेटलाइट

1. जेन्नई-कोलम्बो-चेन्नई
2. दिल्ली-काठमांडु-दिल्ली

किंगफिशर एयरलाइन्स

1. बेंगलोर-दुबई-बैंगलोर
2. चेन्नई-कोलम्बो-चेन्नई
3. कोलकाता-बैंकॉक-कोलकाता
4. कोलकाता-ढाका-कोलकाता
5. मुंबई-हांगकांग-मुंबई
6. मुंबई-लंदन-मुंबई
7. मुंबई-सिंगापुर-मुंबई

[हिन्दी]

इंदौर-पुणे पैसेंजर ट्रेन शुरू करना

3512. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार दैनिक आधार पर इंदौर-पुणे (9311/12) पैसेंजर ट्रेन शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं। 9311/9312 इंदौर-पुणे एक्सप्रेस (सप्ताह में तीन दिन) के फेरे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कैफियत एक्सप्रैस के यात्री

3513. डॉ. बलीराम: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को इस बात की जानकारी है कि कैफियत एक्सप्रैस के यात्री रसोईकार की अनुपलब्धता, शौचालयों में स्वच्छता और पानी की कमी के कारण काफी असुविधा का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त ट्रेन प्रायः अपने गंतव्य स्थान पर निर्धारित समय से घण्टों बाद पहुंचती है; और

(घ) यदि हां, तो रेलवे द्वारा उक्त ट्रेन में सुविधाओं में सुधार करने और इस ट्रेन का समय पर पहुंचना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) कैफियत एक्सप्रेस के यात्रियों को खानपान सेवाएं मुहैया कराने के लिए गाड़ी के बाहर से वेंडिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। यद्यपि शौचालयों में सफाई और

पानी के अभाव के संबंध में कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, तथापि इस गाड़ी में यात्री सुविधाओं की तत्काल निगरानी करने के लिए अनुदेश दे दिए गए हैं। कैफियत एक्सप्रेस के समयपालन के संबंध में बार-बार शिकायतें की जाती हैं। इस गाड़ी के समयपालन पर कड़ी निगरानी रखने के लिए समयपालन अभियान चलाया जा रहा है। आजमगढ़ में चौथी रनिंग लाइन, खुरहट, सरायमीर, सरायरानी, मोहम्मदाबाद और खुरासन रोड में तीसरी रनिंग लाइन के स्वीकृत कार्य से इसके समयपालन में सुधार होगा।

[अनुवाद]

पोटाशियम क्लोराइड की आपूर्ति

3514. श्री वरुण गांधी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उर्वरक कंपनियों को रियायती दरों पर पोटाशियम क्लोराइड की आपूर्ति की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार पोटाशियम क्लोराइड का आयात करती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा आयातित रसायन के उपयोग और आबंटन के संबंध में ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) पोटाशियम क्लोराइड अथवा म्यूरिएट ऑफ पोटाश (एम.ओ.पी.) एक नियंत्रणुक्त और असरणीबद्ध उर्वरक है। सरकार उर्वरक कंपनियों को पोटाशियम क्लोराइड अथवा एम.ओ.पी. की आपूर्ति नहीं करती है। पोटाशियम क्लोराइड अथवा म्यूरियट ऑफ पोटाश (एम.ओ.पी.) एक प्रत्यक्ष पोटाशयुक्त उर्वरक है जिसे रियायत योजना के अंतर्गत शामिल किया जाता है और किसानों को राजसहायता प्राप्त दर पर उपलब्ध कराया जाता है। देश एम.ओ.पी. की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पूर्णतः आयात पर निर्भर है। कृषि प्रयोग के लिए एम.ओ.पी. का आयात और इसकी आपूर्ति आयातकों द्वारा की जाती है। सरकार ने 4455 रु. प्रति मी.टन का अधिकतम खुदरा मूल्य (एम.आर.पी.) नियत किया है जिस पर देश में कृषि उपयोग के लिए किसानों को एम.ओ.पी. उपलब्ध कराया जाता है। आयातित एम.ओ.पी. की कुल सुपुर्दगी लागत और एम.आर.पी. के बीच के अंतर मूल्य को सरकार द्वारा रियायत के रूप में आयातकों को उपलब्ध कराया जाता है। पोटाशयुक्त मिश्रित उर्वरकों के उत्पादक भी इनका उत्पादन करने के लिए एम.ओ.पी. का आयात करते हैं। सरकार पोटाशयुक्त मिश्रित उर्वरकों पर भी रियायत देती है। देश में कृषि के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए राजसहायता प्राप्त मूल्य पर एम.ओ.पी. की बिक्री करने की अनुमति नहीं है।

(ग) और (घ) पोटाशियम क्लोराइड अथवा एम.ओ.पी. एक नियंत्रणमुक्त उर्वरक है और इसका आयात खुले आम लाइसेंस (ओ.जी.एल.) के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार, सरकार एम.ओ.पी. का आयात नहीं करती है और एम.ओ.पी. के आयात में सरकार की कोई सीधी भागीदारी नहीं है। आयातक देश में एम.ओ.पी. का आयात करते हैं और कृषि उपयोग के लिए विभिन्न राज्यों में किसानों को इसकी आपूर्ति करते हैं जिसके लिए वे सरकार से रियायत का दावा करते हैं, देश में पिछले पांच वर्षों में एम.ओ.पी. का वर्ष-वार आयात इस प्रकार है:

वर्ष	आयातित एम.ओ.पी. की मात्रा (लाख मी.टन)
2004-05	34.09
2005-06	45.78
2006-07	34.48
2007-08	44.21
2008-09	53.46
2009-10 (सितम्बर, 09 तक)	8.83

[हिन्दी]

विमानों के आगमन/प्रस्थान में विलंब

3515. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विमान यात्रियों को विमानों के आगमन/प्रस्थान में विलम्ब के कारण कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या नागर विमानन महानिदेशालय 'डी.जी.सी.ए.' द्वारा उपयुक्त स्थिति का संज्ञान लेते हुए कोई ऐहतियाती उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने विमानों के आगमन/प्रस्थान में होने वाले विलम्ब से निपटने के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ङ) यात्रियों को एयरलाइनों द्वारा उनके अनुसूचित आगमन/प्रस्थान समयावली का पालन करने में अक्षमता के कारण असुविधा होती है। एयरलाइनों द्वारा अनुसूचित उड़ानों का पालन सुनिश्चित करने के लिए, नागर विमानन महानिदेशालय ने एक विमान यातायात परिपत्र 10, 2009 जारी किया है जिसका अनुपालन एयरलाइनों, विमान यातायात नियंत्रक इकाइयों तथा हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा किया जाता है जिससे विलंब में कमी हो सके। इसके अतिरिक्त, डी.जी.सी.ए. मासिक आधार पर अनुसूचित एयरलाइनों की ऑनलाइम निष्पादन की निगरानी करता है, जो डी.जी.सी.ए. की वेबसाइट पर प्रदर्शित है।

[अनुवाद]

पी.डी.एस. के माध्यम से उर्वरक प्रदान करना

3516. श्री पोन्नम प्रभाकर: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) के माध्यम से कम दरों पर उर्वरक प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) वर्तमान में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कम दरों पर उर्वरक प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठते।

प्राकृतिक गैस का एक समान मूल्य

3517. श्रीमती सुप्रिया सुले: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देशभर में यूरिया संयंत्रों को दी जाने वाली प्राकृतिक गैस का एक समान मूल्य लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का प्रशासित मूल्य तंत्र (ए.पी.एम.), आयातित रीग्लासीफाईड एल.एन.जी. (आर-एल.एन.जी.) और डी-6 गैस जैसे विभिन्न स्रोतों से डिलीवर की जाने वाली प्राकृतिक गैस की सामान्य पूल कीमत लागू करना चाहती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार उद्योग को प्राकृतिक गैस स्रोत से निकटतम दूरी के कारण इसे कोई विशिष्ट लाभ/हानि का कम करने के लिए मौजूदा ढुलाई प्रशुल्क नीति की भी समीक्षा करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (घ) सरकार ने गेल (इंडिया) लिमिटेड को देश में प्राकृतिक गैस के मूल्यों की पूलिंग पर अध्ययन करने के लिए कहा है। गेल (इंडिया) लिमिटेड ने इस कार्य को एक प्रमुख परामर्शी संगठन मै. मेरकॉडोस ई.एम.आई. प्रा. लिमिटेड को सौंपा है।

(ङ) वर्तमान में, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

आर.आई.एल. के राजस्व में हिस्सेदारी

3518. श्री सुशील कुमार सिंह:
श्री के. सुधाकरण:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आर.आई.एल. विपणन मार्जिन के अंतर्गत उपभोक्ताओं से वसूले जा रहे राजस्व का हिस्सा सरकार को नहीं दे रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) आर.आई.एल. के विपणन मार्जिन से अर्जित राजस्व

में से अपना हिस्सा लेने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई आरंभ की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एन.ई.एल.पी.) के अंतर्गत सरकार और संविदाकार के बीच हस्ताक्षरित उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पी.एस.सी.) के प्रावधान के अन्तर्गत सरकार ने पी.एस.सी. सुपुर्दगी बिन्दु पर केजी-डी 6 गैस की बिक्री के लिए एक मूल्य सूत्र का अनुमोदन किया है। पी.एस.सी. में सुपुर्दगी बिन्दु पर उक्त मूल्य पर सरकार और गैस की बिक्री के संविदाकार के बीच राजस्व हिस्सेदारी का प्रावधान है।

विपणन लाभान्तर सुपुर्दगी केन्द्र से परे है तथा विक्रेता और क्रेता के बीच हस्ताक्षरित गैस बिक्री एवं खरीद करार (जी.एस.पी.ए.) के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है। पी.एस.सी. में सरकार और संविदाकार के बीच विपणन लाभान्तर पर संविदाकार द्वारा अर्जित राजस्व की हिस्सेदारी की संकल्पना नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सुरक्षा विनियम

3519. श्री आर. ध्रुवनारायण: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशालय (डी.जी.सी.ए.) ने सरकार से यात्रियों की संख्या के अत्यधिक दबाव वाली भारतीय विमान कम्पनियों को उस समय तक अपने बेड़े में और अधिक विमानों को शामिल करने से रोकने के लिए कहा गया है जब तक कि वे अपने वर्तमान बेड़े हेतु सभी सुरक्षा विनियमों को पूरा नहीं करते और अपनी वित्तीय स्थिति नहीं सुधारते;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डी.जी.सी.ए. ने अत्यधिक दबाव वाली विमान कम्पनियों की वित्तीय लेखापरीक्षा करने के लिए भी कहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने घरेलू विमान कम्पनियों की पारिश्रमिक भुगतान की स्थिति, विमानपत्तनों की बकाया राशि, तेल कम्पनियों की बकाया राशि और समग्र आय/व्यय की स्थिति का पता लगाने हेतु पिछले अप्रैल में उनके कार्यकरण का लेखा परीक्षा करवाया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) नागर विमानन महानिदेशालय ने एयरलाइनों के सुरक्षा निगरानी कार्यकलापों से कोई समझौता न हो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए अप्रैल, 2009 में अनुसूचित घरेलू एयरलाइनों की वित्तीय स्थिति और रैपिड ग्रोथ/डाउनसाइजिंग एसेसमेंट संबंधी अध्ययन कार्य किया है।

(ग) से (च) उपरोक्त अध्ययन के आधार पर, डी.जी.सी.ए. ने गंभीर वित्तीय संकट में एयरलाइनों के विस्तृत वित्तीय ऑडिट पर विचार किये जाने और विभिन्न विनियामक प्रावधानों के अनुपालनार्थ वाहकों की क्षमता के अनुसार एयरलाइनों के बेड़े में विस्तार की सिफारिश की है।

चेन्नई से तिरुचिरापल्ली के बीच ईंधन पाइपलाइन

3520. श्री के. सुगुमार: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चेन्नई से तिरुचिरापल्ली तथा मदुरई को जोड़ने वाली ईंधन पाइपलाइन के तमिलनाडु नेटवर्क की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल.) ने 2005 में असानूर से संकारी तक शाखा पाइपलाइन बिछाने सहित चेन्नई से तिरुचिरापल्ली और मदुरै तक 683 कि. मीटर लम्बी, 1.8 मिलियन मीटर टन प्रति वर्ष (एम.एम.टी.पी.ए.) पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन बिछाई है। इस पाइपलाइन को 2.3 एम.एम.टी.पी.ए. तक बढ़ाया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने काकीनाड़ा-नेल्लोर-चेन्नई, चेन्नई-बंगलोर-मंगलोर और चेन्नई-तुतिकोरिन प्राकृतिक गैस ट्रंक पाइपलाइनें बिछाने के लिए रिलायंस गैस ट्रांस्पोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. (आर.जी.टी.आई.एल.) को प्राधिकृत किया है।

[हिन्दी]

उर्वरकों की उत्पादन लागत

3521. श्री जगदीश शर्मा:

डॉ. मुरली मनोहर जोशी:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नाफ्था आधारित उर्वरक विनिर्माण इकाइयों की उत्पादन लागत गैस आधारित उर्वरक विनिर्माण इकाइयों से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 2008-2009 में राष्ट्रीय स्तर पर नाफ्था आधारित और गैस आधारित दोनों उर्वरक विनिर्माण इकाइयों की औसत उत्पादन लागत कितनी है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान उर्वरकों की उत्पादन लागत को न्यूनतम करने के लिए देश में गैस आधारित विनिर्माण इकाइयों की संख्या में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी इकाइयों की संख्या कितनी है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) जी, हां।

(ख) जहां तक यूरिया की उत्पादन लागत का संबंध है, वर्ष 2008-09 के लिए गैस आधारित और नेफ्था आधारित संयंत्रों के लिए यूरिया की अनंतिम भारित औसत रियायत दरें इस प्रकार हैं:-

	गैस आधारित इकाइयां	नाफ्था आधारित इकाइयां
वर्ष 2008-09 के दौरान भारित औसत अनंतिम रियायत दर (रुपए प्रति मी. टन यूरिया)	10891 (20 इकाइयां)	23352 (4 इकाइयां)

जहां तक मिश्रित उर्वरकों का संबंध है, एन.पी.के. मिश्रित उर्वरकों का उत्पादन करने वाली तीन इकाइयों नामतः मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड (एम.एफ.एल.), दि फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (फैक्ट) और गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स कंपनी लिमिटेड (जी.एन.वी.एफ.सी.) को नाफ्था फीडस्टॉक के आधार पर रियायत योजना के अंतर्गत क्षतिपूर्ति की जाती है। वर्ष 2008-09 (18-6-2008 से मार्च, 2009 तक) अवधि के लिए नाफ्था और गैस श्रेणियों में कुछ उर्वरक इकाइयों की औसत उत्पादन लागत का ब्यौरा इस प्रकार है:-

	नाफ्था आधारित मूल्य			(रुपए/मी. टन)
इकाइयों का नाम	एन.पी.के. उत्पाद	अधिकतम खुदरा मूल्य 18-6-2008	राजसहायता	औसत उत्पादन लागत
1	2	3	4	5
एम.एफ.एल.	17:17:17	6295	24196	30491
फैक्ट (कोचीन)	20:20:20:13	6295	23196	29491
फैक्ट (उद्योगमण्डल)	20:20:0:13	6295	23296	20591
जी.एन.वी.एफ.सी.	20:20:0:0	5343	19665	25008
गैस आधारित मूल्य				
जी.एस.एफ.सी. (बड़ौदा)	20:20:0:13	6295	19041	25336
दीपक फर्टिलाइजर्स	23:23:00	6145	17691	23836
आर.सी.एफ.	15:15:15	5121	18733	23854

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों में निम्नलिखित नेफ्था आधारित इकाइयों को गैस आधारित इकाइयों में परिवर्तित किया गया है:

(i) चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड की गडेपान-II इकाई

(ii) इण्डियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव की फूलपुल-II इकाई

(iii) श्रीराम फर्टिलाइजर्स की कोटा इकाई

[अनुवाद]

केरल में रेल परियोजनाएं

3522. श्री कोडिकुन्नील सुरेश:
श्री एंटो एंटोनी:
श्री एम.आई. शानवास:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में चल रही/लंबित परियोजनाओं, रेल लाइनों के दोहरीकरण और आमान परिवर्तन, नई लाइनें बिछाने के लिए सर्वेक्षण और रेल ओवर ब्रिज/रेल अंडर ब्रिज की स्थिति क्या है और इन्हें पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) आज की तारीख तक परियोजनावार कितनी धनराशि आबंटित और खर्च की गई है; और

(ग) देश में ब्राड गेज और मीटर गेज रेल लाइनों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) केरल राज्य में पूर्णतः/आंशिक रूप से आने वाली चालू नई लाइनों, आमान परिवर्तन एवं दोहरीकरण परियोजनाओं, नई लाइनें बिछाने के लिए सर्वेक्षण तथा ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुलों का ब्यौरा, 2009-10 के दौरान मुहैया कराया गया परिव्यय, उन पर किए गए व्यय और उनके पूरा किए जाने की लक्ष्य तिथि, जहां कहीं निर्धारित की गई है, इस प्रकार है:

I. चालू परियोजनाएं

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	मार्च, 2009 तक किया गया व्यय	2009-10 परिव्यय	स्थिति और पूरा किए जाने की लक्ष्य तिथि, जहां कहीं निर्धारित की गई है
1	2	3	4	5
नई लाइन				
1.	तिरूनवाया-गुरूवायूर (35 किमी.)	8.74	26.74	नई लाइन के लिए निर्धारित किए गए संरेखण का स्थानीय जनता द्वारा विरोध किया जा रहा है। जनता के विरोध के कारण अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण को रोक दिया गया है।
2.	अंगमाली-साबरीमला (116 किमी.)	45.12	15.00	राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित भूमि अभी रेलवे को सौंपी जानी है। माननीय केरल उच्च न्यायालय ने रेल मंत्रालय और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को स्थानीय जनता से प्राप्त आवेदनों की जांच करने का निर्देश दिया है।

1	2	3	4	5
आमान परिवर्तन				
1.	दिंडीगुल-पोलाची-पालक्काड एवं पोदानूर-कोयम्बटूर (224.88 किमी.)	54.20	31	पोदानूर-कोयम्बटूर (6 किमी.) खंड पर निर्माण कार्य पूरा हो गया है और पोलाची-पालक्काड (58 किमी.) एवं दिंडीगुल-पोलाची (141 किमी.) खंडों पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है।
2.	कोल्लम-तिरूनेलवेली-तिरूचेंदूर एवं तेनकासी-विरुद्धनगर (357 किमी.)	473.55	70	विरूद्धनगर-तेनकासी-सेनगोट्टई (131 किमी.) और तिरूनेलवेली-तिरूचेंदूर (61 किमी.) खंड पूरे हो गए हैं। कोल्लम-पुनालूर (45 किमी.) खंड पर निर्माण कार्य को 2009-10 के दौरान पूरा किए जाने का लक्ष्य है।
दोहरीकरण				
1.	मुलानतुस्ती-कुरूप्पनतारा (24 किमी.)	21.03	15.00	राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित भूमि अभी रेलवे को सौंपी जानी है। पुल संबंधी कार्य शुरू कर दिए गए हैं।
2.	कुरूप्पनतारा-चिंगावनम (26.54 किमी.)	2.82	15.00	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। राज्य सरकार से 30 हेक्टेयर भूमि की मांग की गई है। अभी तक कोई भूमि नहीं सौंपी गई है।
3.	चेंगनूर-चिंगावनम (26.5 किमी.)	9.03	26.00	राज्य सरकार से 18.88 हेक्टेयर भूमि की मांग की गई है। अभी तक कोई भूमि नहीं सौंपी गई है।
4.	मवेलिकारा-चेंगन्नूर (12.3 किमी.)	40.66	10.00	स्थानीय लोगों और राज्य प्राधिकरणों द्वारा मिट्टी ढोने वाले वाहनों के बार-बार रोके जाने के कारण कार्य की प्रगति धीमी है। इस कार्य को 2009-10 के दौरान पूरा किए जाने का लक्ष्य है।
5.	चेप्पड़-कायनकुलम (7.76 किमी.)	27.22	11.00	सभी निर्माण कार्यों के लिए ठेकों को अंतिम रूप दे दिया गया है। स्थानीय जनता के लगातार अवरोध के कारण कार्य प्रभावित है। इस कार्य को 2009-10 के दौरान पूरा किए जाने का लक्ष्य है।
6.	चेप्पड़-हरिपाद (5.28 किमी.)	12.98	8.00	स्थानीय लोगों द्वारा मिट्टी ढोने वाले वाहनों के बार-बार रोके जाने और ठेकों की विफलता के कारण कार्य धीमा है। नए ठेके दे दिए गए हैं। कार्य को 2009-10 के दौरन पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

1	2	3	4	5
7.	अंबलपुझा-हरिपाद (18.13 किमी.)	1.98	10.00	राज्य सरकार से 16 हेक्टेयर भूमि की मांग की गई है। अभी कोई भूमि सौंपी नहीं गई है।

II. नई लाइनों के लिए चालू सर्वेक्षण

क्र.सं.	सर्वेक्षण	लंबाई किमी. में	स्थिति और पूरा किए जाने की संभावित लक्ष्य तिथि
1.	मदुरै (बोदीनायक्कानूर)-कोट्टयम	211	सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है। मार्च, 2010 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।
2.	मदुरै-एर्णाकुलम (कोचीन)	200	नए सर्वेक्षण कार्य को बजट 2009-10 में शामिल किया गया।
3.	इरूमेली-पत्तनमथिट्टा-पुनालूर-तिरूवंतपुरम	136	नए सर्वेक्षण कार्य को बजट 2009-10 में शामिल किया गया।
4.	इदापल्ली-गुरूवायूर	77	अद्यतन सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है।

III. ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल

केरल में 59 उपरि सड़क पुल और निचले सड़क पुल शुरू कर दिए गए हैं और प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं। इन कार्यों की कुल लागत 597.62 करोड़ रु. है और इन कार्यों पर अक्तूबर, 2009 तक 27.52 करोड़ रु. व्यय किए गए हैं। 2009-10 के दौरान 33.49 करोड़ रु. का परिव्यय मुहैया कराया गया है।

(ग) 31-3-2009 तक देश में क्रमशः 52808 किमी. बड़ी लाइनें और 8473 किमी. मीटर लाइनें (मार्ग किमी.) हैं।

के.जी. बेसिन से निकाली गई प्राकृतिक गैस का बिक्री मूल्य

3523. श्री रुद्रमाधव राय: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को के.जी. बेसिन से निकाली गई गैस का बिक्री मूल्य निर्धारित करने का अधिकार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या के.जी. बेसिन के डी 6 ब्लॉक से प्राकृतिक गैस के बिक्री मूल्य पर एकमात्र प्राइस डिस्कवरी एन.टी.पी.सी. का इंटरनेशनल ऑर्डर था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथ्य हैं;

(ङ) एन.टी.पी.सी. तथा आर.आई.एल. के बीच गैस समझौतों को क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार ने गैस मूल्य को 2.34 से बढ़ाकर 4.20 करने के लिए कोई अधिसूचना जारी की थी;

(छ) यदि हां, तो कब; और

(ज) यदि नहीं, तो सरकार किस के इशारे पर गैस का मूल्य बढ़ाने का प्रयास कर रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पी.एस.सी.) के तहत, सूत्र या आधार जिस पर मूल्य निर्धारण किए जाने हैं, उपभोक्ताओं/क्रेताओं को प्राकृतिक गैस की बिक्री करने से पहले सरकार का अनुमोदन लेना होता है।

(ग) से (ङ) के.जी. डी.डब्ल्यू.एन.-98/3 ब्लॉक के ठेकेदार ने प्राकृतिक गैस की बिक्री करने से पहले, सरकार के अनुमोदन के लिए मूल्य-सूत्र प्रस्तुत किया था। ठेकेदार

द्वारा प्रस्तुत किए गए सूत्र की जांच करने के बाद, सरकार ने, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्य 25 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से 60 अमरीकी डॉलर और अधिक प्रति बैरल पर निर्भर करते हुए, उस सूत्र को इस आधार पर अनुमोदित किया था कि गैस का मूल्य 2.5 से 4.2 डॉलर तक घट-बढ़ सकता है।

(च) जी, नहीं।

(छ) और (ज) प्रश्न नहीं उठता।

साइबेरिया में तेल की खोज

3524. श्रीमती सुप्रिया सुले: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम की योजना अपनी नई अविगृहीत फर्म इंपीरियल इनर्जी के माध्यम से पश्चिमी साइबेरिया से कच्चे तेल के उत्पादन को बढ़ाना और उसे समेकित करना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम किस सीमा तक विदेशी खोज आदेश प्राप्त करने में सफल हुआ है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) ओ.एन.जी.सी. विदेश लिमिटेड (ओ.वी.एल.), ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओ.एन.जी.सी.) की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है, जो मूल कंपनी ओ.एन.जी.सी. के प्रयासों में मदद करने और राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए विदेश में तेल व गैस के अन्वेषण और उत्पादन में लगी है। इंपीरियल एनर्जी, जिसकी टाम्स्क क्षेत्र में परिसंपत्तियां हैं, के अर्जन के बाद ओ.वी.एल. ने भंडारों की स्थिति के रखरखाव के लिए उत्तम औद्योगिक व्यवहारों के समनुरूप वहनीय आधार पर उत्पादन को बढ़ाने/इष्टतम करने के लिए कई गतिविधियां आरंभ की हैं। वर्तमान महत्व, सभी संबंधित आंकड़ों और मूल्यांकन कार्यक्रम का एकीकरण करते हुए, क्षेत्रों की पूर्ण भौगोलिक स्थिति समझने पर दिया जा रहा है।

(ग) इंपीरियल एनर्जी के अर्जन के बाद ओ.वी.एल. ने विदेश में कोई अन्वेषण आदेश अर्जित नहीं किए हैं।

आर.आई.एल. के पूंजी लागत में बढ़ोत्तरी

3525. श्री प्रबोध पांडा: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृष्णा-गोदावरी बेसिन के डी 6 ब्लॉक में गैस का अन्वेषण करने हेतु रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (आर.आई.एल.) की पूंजी लागत में बढ़ोत्तरी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार के राजस्व की हिस्सेदारी संबंधी समझौते पर इस उपाय का क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) के.जी.-डी 6 परियोजना में पूंजीगत लागत नवंबर, 2004 में 2.47 बिलियन अमरीकी डॉलर से संशोधित करके 2007 में 8.83 बिलियन अमरीकी डॉलर कर दी गई है। यह संशोधित पूंजीगत लागत प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित कर दी गई है। प्रबंधन समिति का गठन उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पी.एस.सी.) के प्रावधानों के अनुसार किया गया था। उक्त संशोधन व्यापकतः निम्नलिखित के कारण थाः-

(i) निकासी योग्य भण्डार 3.81 ट्रिलियन घन फुट (टी.सी.एफ.) गैस से बढ़कर 10.02 टी.सी.एफ. गैस हो गए।

(ii) उत्पादन सुविधाएं 40 मिलियन मीट्रिक मानक घन मीटर प्रतिदिन (एम.एम.एस.सी.एम.डी.) से बढ़ाकर 120 एम.एम.एस.सी.एम.डी. तक कर दी गई।

(iii) उच्चतम गैस उत्पादन 40 एम.एम.एस.सी.एम.डी. से बढ़ाकर 80 एम.एम.एस.सी.एम.डी. किया गया।

(iv) विकास कूपों की संख्या 34 से बढ़कर 50 हो गई।

(v) क्षेत्र अवधि 9 वर्ष से बढ़कर 13 वर्ष हो गई।

(vi) दबाव रखरखाव और नियंत्रण के लिए उथला जल कम्प्रेशर प्लेटफार्म की स्थापना।

(vii) ई एण्ड पी उपस्करों और सेवा उद्योग में स्फीतिकारी रूझान।

(ग) पूंजीगत व्यय में वृद्धि के परिणामस्वरूप निकासी योग्य भण्डारों में वृद्धि हुई है और उच्चतम उत्पाद का स्तर और अधिक हुआ है। निवल प्रभाव के रूप में उच्चतर लाभ पेट्रोलियम और रायल्टी प्रत्याशित है।

एविएशन यूनिवर्सिटी की स्थापना

3526. श्री पोन्नम प्रभाकर:
श्री एम. राजामोहन रेड्डी:
श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में एविएशन यूनिवर्सिटी की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान नागर विमानन मंत्रालय के तत्वावधान में वैमानिक विश्वविद्यालयों को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

तिरूवनंतपुरम विमानपत्तन में हैंगर की स्थापना

3527. श्री कोडिकुन्नील सुरेश: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का तिरूवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर एयर इंडिया हैंगर की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इसके कब तक प्रचालन आरंभ कर देने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) जी, हां। तिरूवनन्तपुरम में एयर इंडिया एक्सप्रेस के बी 737-800 बेड़े के फेज तथा 'सी' चेक का कार्य करने के लिए दो हैंगरों के निर्माण का कार्य पहले ही आरंभ हो गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा हैंगर से रनवे को जोड़ने वाले टैक्सी ट्रैक की उपलब्धता होने पर मार्च/अप्रैल, 2010 तक इस हैंगर के प्रचालनिक होने की प्रत्याशा है।

न्यायिक सुधार

3528. श्री जी.एस. बासवराज:
श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री सुदर्शन भगत:
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:
श्री रेवती रमन सिंह:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का न्यायिक सुधार हेतु विभिन्न उपाय करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या न्यायिक समीक्षा हेतु प्रारूप पर अक्तूबर, 2009 को हुई विधिवेत्ताओं तथा न्यायाधीशों की राष्ट्रीय परामर्शदात्री बैठक में चर्चा की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए; और

(ङ) सुधारों को कब तक घोषणा किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री (डॉ एम. वीरप्पा मोइली): (क) जी, हां।

(ख) सरकार, देश में न्यायिक सुधारों के लिए एक कार्ययोजना तैयार कर रही है, जिसका उद्देश्य, अन्य बातों के साथ, न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या में कमी लाना, शीघ्र और प्रभावी न्याय उपलब्ध कराना, न्यायाधीशों की जवाबदेही और वादकारियों के लिए न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है।

(ग) और (घ) "लंबित मामलों की संख्या और उनके विलंब को कम करने के संबंध में न्यायपालिका को सुदृढ बनाने के लिए राष्ट्रीय विचार विमर्श", 24-25 अक्तूबर, 2009 को विज्ञान भवन में आयोजित किया गया था, जिसमें, अन्य बातों के साथ भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति जिनके साथ प्रत्येक उच्च न्यायालय का एक अन्य न्यायाधीश, प्रत्येक उच्च न्यायालय से दो जिला न्यायाधीश, राज्य विधि सचिव, राज्य सरकारों के महाधिवक्ता, शिक्षा जगत के प्रतिनिधि, विख्यात विधिवेत्ता और भारतीय विधिज्ञ परिषद् का अध्यक्ष और पदाधिकारी उपस्थित थे। राष्ट्रीय विचार विमर्श, में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को दृष्टिकोण कथन प्रस्तुत किया गया था जिस पर विचार और चर्चा की गई थी। राष्ट्रीय विचार विमर्श के समाप्त हो जाने पर एक

संकल्प अंगीकृत किया गया था। संकल्प की प्रति विवरण के रूप में संलग्न है। इस पर आधारित, न्यायिक सुधारों के लिए ब्लू प्रिंट तैयार किया गया है जो न्याय विभाग की वेबसाइट (www.lawmin.nic.in) पर उपलब्ध है।

(ङ) कोई निश्चित समय सीमा उपदर्शित नहीं की जा सकती है।

विवरण

तारीख 25 अक्तूबर, 2009 का संकल्प

भाग लेने वाले,

संवैधानिक वचनबद्धता को दोहराते हुए सभी नागरिकों को विधि के अधीन समान न्याय प्रदान करने और सभी को विशेष कर समाज के कमजोर वर्गों को न्याय प्रदान करना।

यह ध्यान देना कि भारत की राष्ट्रपति ने 3 जून, 2009 को संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए न्यायिक सुधारों के लिए एक रूप रेखा बनाने पर बल दिया था।

यह ध्यान देना कि भारत के प्रधान मंत्री ने 16 अगस्त, 2009 को आयोजित मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए बड़ी संख्या में मामलों के बकाया रहने और उनके लंबित पड़े रहने के संबंध में भारतीय विधिक प्रणाली के बारे में प्रमुख रूप से चिंता व्यक्त की थी।

भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति माननीय संघ के विधि और न्याय मंत्री, भारत के महान्यायवादी और विद्वान महा सालीसिटर तथा अन्य व्यक्तियों सहित सभी उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों के मतैक्य को ध्यान में रखते हुए यह मत व्यक्त किया गया कि न्यायालयों में लंबित मामलें और उनके विलंब पर अतिशीघ्र और तुरंत कार्रवाई की जाए।

भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति और न्यायपालिका के सदस्यों, न्यायिक अधिकारी, विधि अधिकारी, बार के सदस्यों, संघ के विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि तथा जनता के सदस्यों सहित उपस्थित सभी व्यक्तियों ने अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए लंबित मामलों की अवधि को घटाकर 15 वर्ष से तीन वर्ष तक करने के लिए तथा त्वरित, क्वालिटी और अन्नय न्याय को सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित विभिन्न उपायों को कार्यान्वित करने के लिए एक साथ मिलकर काम करने हेतु स्वयं को समर्पित करने के लिए एकजुटता दिखाई।

माननीय संघ के विधि और न्याय मंत्री द्वारा भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति को प्रस्तुत किए गए दृष्टिकोण दस्तावेज को ध्यान में रखना।

मामलों के लंबित रहने और उनके विलंब को कम करने के लिए न्याय परिदान प्रणाली को पुनः डिजाइन करने के लिए सार्वजनिक प्रतिबद्धता के रूप में दृष्टिकोण-कथन और कार्ययोजना को अंगीकार करना।

कार्ययोजना को कार्यान्वित करने के लिए सभी संघटकों से उनको अपनी विशेष भूमिका और दायित्व को पहचानने के लिए अनुरोध करना।

यह विनिश्चय करना कि इसके बाद में आने वाले विधि दिवस 26 नवम्बर, 2009 के पश्चात् कार्ययोजना को कार्यान्वित करने के लिए राष्ट्रीय बकाया ग्रिड और विशेष प्रयोजन यान को समाविष्ट किया जाए।

यह सिफारिश की गई कि उच्च न्यायालय 30 नवम्बर, 2009 तक राष्ट्रीय ग्रिड के लिए सभी आंकड़े उपलब्ध कराएं।

यह भी विनिश्चय किया गया कि कार्ययोजना के कार्यान्वयन में मानव संसाधन विकास, अवसंरचनात्मक विकास और प्रक्रियात्मक सुधारों पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाए।

सभी सेक्टरों में जिसके अंतर्गत न्यायाधीश, अधिवक्ता, विधि अधिकारी, अभियोजक और न्यायालय के कर्मचारिवृंद्ध भी है अनन्य रीति से व्यापक मानव संसाधन विकास के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई जाए।

विद्यमान अवसंरचना और सुधारों तथा भौतिक और प्रौद्योगिकीय अवसंरचना का दक्षतापूर्ण और अधिकतम उपयोग करने के लिए पुनः प्रतिबद्धता दिखाई।

समयबद्ध रीति में सभी स्तरों पर प्रक्रियात्मक सुधारों के विशिष्ट कार्यान्वयन के लिए भी प्रतिबद्धता दिखाई जिसके अंतर्गत स्थगनों में कमी, सिविल मामलों और दांडिक मामलों में निरंतर सुनवाई करने की प्रणाली को आरंभ करना और अनावश्यक विलंब को दूर करके निष्पादन की कार्यवाहियों में शीघ्रता लाना भी है।

केन्द्र सरकार द्वारा उत्तरदायी मुकदमों का संचालन सुनिश्चित करने और वैसी ही नीतियां विकसित करने के लिए प्रत्येक राज्य सरकार से अनुरोध करने के उद्देश्य से 31 दिसम्बर, 2009 तक राष्ट्रीय मुकदमा नीति बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहल को मान्यता देना।

न्यायपालिका को अवसंरचनात्मक, प्रबंधकीय, प्रौद्योगिकीय और जन-शक्ति सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वशासी और नमनीय साधनों के रूप में एस.पी.वी. के विचार का एस.पी.वी. की संकल्पना को साकार करने और उसके कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में डॉ. सेम पित्रोदा के एकल योगदान का स्वागत करना और उसकी प्रशंसा करना।

इस बात को ध्यान में रखना कि ऐसे सभी परिवर्तनों के केन्द्र में संपूर्ण विकास का समाज के सभी वर्गों तक पहुंचना और एक भारतीय मॉडल के सृजन की आवश्यकता होनी चाहिए।

कार्ययोजना को कार्यान्वित करने और समर्थन देने के लिए पर्याप्त तथा प्रतिबद्ध संसाधनों को उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करना।

संगठित मुख्य धारा न्याय प्रदान प्रणाली के रूप में सुलह और विवाद समाधान की अन्य पद्धतियों की आवश्यकता को मान्यता देना।

इस बात को पुनः मान्यता देना कि न्यायिक नियुक्तियों का सिद्धांत क्वालिटी और त्वरित न्याय तथा लोक सेवा ही होना चाहिए।

खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सर्वोत्तम संभव चयन को सुनिश्चित करने के लिए अखिल भारतीय न्याय सेवा की स्थापना पर विचार करने के लिए अनुशंसा करना।

जैसे ही रिक्ति उत्पन्न हो उस पर नियुक्ति के लिए अग्रिम चयन करने हेतु न्यायपालिका को समर्थ बनाने के लिए माननीय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के इस सुझाव का स्वागत करना कि राष्ट्रीय स्तर पर न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या में 25 प्रतिशत की वृद्धि करना।

सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और बार के सदस्यों से अस्थायी आधार पर न्यायापालिका के सभी स्तरों पर तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए आवश्यकता को भी मान्यता प्रदान की।

विभिन्न राज्यों में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पुल से व्यक्तियों को समर्थ बनाने के लिए सेवा निवृत्त न्यायाधीशों में न्यायिक अधिकारियों का राष्ट्रीय पुल सृजन करने की सिफारिश करना।

जहां अवधि तीन वर्ष से कम की है वहां सभी लंबित दांडिक मामलों पर कार्रवाई करने के लिए विशेष न्यायाधीश समनुदेशित करने की सिफारिश करना।

भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा किए गए नेतृत्व, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों तथा उनके साथियों, भारतीय विधिज्ञ परिषदों और विधिज्ञ संगमों के दृष्टिकोण दस्तावेजों के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने, उनकी सकारात्मक भूमिका तथा अर्थपूर्ण विचार-विमर्श को आगे बढ़ाने का स्वागत किया और प्रशंसा की।

अनुच्छेद 311 का संशोधन

3529. श्री जी.एस. बासवराजः क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार संविधान के अनुच्छेद 311 की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी समीक्षा कब तक किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री (डॉ एम. वीरप्पा मोइली): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

आर.आई.एल. और आर.एन.आर.एल. के बीच गैस आपूर्ति समझौता

3530. श्री पी. लिंगमः क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (आर.आई.एल.) और रिलायन्स नेचुरल रिसोर्स लिमिटेड (आर.एन.आर.एल.) के बीच हुए गैस आपूर्ति समझौते की एक प्रति सरकार को प्रस्तुत की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह समझौता उत्पादन भागीदारी संविदा (पी.एस.सी.) के उपबंधों के अनुपालन में किया गया था; और

(घ) यदि नहीं, तो पी.एस.सी. को शुरू में ही निरस्त नहीं करने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) ब्लॉक के.जी.-डी.डब्ल्यू.एन.-98/3 रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आर.आई.एल.) और नाइको रिसोर्सिज लिमिटेड के परिसंघ को प्रदान किया गया था। मंत्रालय में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार इस मंत्रालय में ऐसा कोई करार प्राप्त नहीं हुआ था। तथापि, उत्पादन

हिस्सेदारी संविदा (पी.एस.सी.) के अनुसार ऐसा कोई उपबंध नहीं है जिसमें संविदाकार कोई गैस आपूर्ति करार सरकार को प्रस्तुत करने का अधिकार देता है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता है।

के.जी. बेसिन से गैस निकालना

3531. **डॉ. संजीव गणेश नाईक:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रिलायन्स इन्डस्ट्रीज और रिलायन्स नेचुरल रिसोर्सेज का विवाद कृष्णा गोदावरी बेसिन से गैस निकालने में समस्या पैदा कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस विवाद में सरकार की क्या भूमिका है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (ग) जी नहीं। गैस का निष्कर्षण और गैस के उपभोक्ताओं को आपूर्ति, सरकार की नीतियों के अनुसार की जा रही है। तथापि, पेट्रोलियम मंत्रालय ने कुल मिलाकर सरकार और जनता के हितों की रक्षा करने के लिए रिलायंस नेचुरल रिसोर्सिस लिमिटेड (आर.एन.आर.एल.) और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आर.आई.एल.) के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है, क्योंकि बम्बई उच्च न्यायालय के निर्णय के आशय के अनुसार दोनों कंपनियों के बीच निजी समझौता ज्ञापन को कार्यान्वित किए जाने की संभावना है और इस प्रकार उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पी.एस.सी.) के तहत सरकार की गैस उपयोगिता नीति और मूल्य निर्धारण नीति, जिसे सरकार ने अपने अधिकारों और बाध्यताओं के अनुसार अनुमोदित किया है, की उपेक्षा होती है।

के.जी. बेसिन से गैस का उत्पादन

3532. **श्री के. सुदर्शन:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में रिलयांस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा के.जी. बेसिन के डी 6 ब्लॉक से कितनी मात्रा में गैस का उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) क्या कंपनी का विचार सरकार को पूर्ण उत्पादन की आपूर्ति करने का है या इसने कुछ अन्य पार्टियों के साथ प्रतिबद्धता जताई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या के.जी. बेसिन के डी-6 ब्लॉक से अधिकतम उत्पादन शुरू होने पर केरल में विद्युत संयंत्रों और उद्योगों को गैस की आपूर्ति की जाएगी; और

(ङ) के.जी. बेसिन के डी-6 ब्लॉक से अधिकतम उत्पादन कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) वर्तमान में के.जी.-डी 6 ब्लॉक से गैस का उत्पादन डी 1 और डी 3 गैस फील्डों से लगभग 48 मिलियन मीट्रिक मानक घन मीटर प्रति दिन (एम.एम.एस.सी.एम.डी.) है और के.जी.-डी 6 से फील्ड एम.ए. से लगभग 2.3 एम.एम.एस.सी.एम.डी. है।

(ख) और (ग) के.जी.-डी 6 ब्लॉक से उत्पादित गैस को मंत्रियों के शक्ति प्रदत्त समूह (ई.जी.ओ.एम.) के निर्देशानुसार आबंटित किया जाता है और बेचा जाता है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) वर्ष 2010 मध्य तक के.जी.-डी 6 ब्लॉक से लगभग 80 एम.एम.एम.एस.सी.एम.डी. के अधिकतम उत्पादन प्राप्त होने की संभावना है।

इंडियन ऑयल कारपोरेशन और इन्डो गल्फ, फर्टिलाइजर के बीच समझौता ज्ञापन

3533. **श्री अधलराव पाटील शिवाजी:**
श्री आनंदराव अडसुल:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन ऑयल कारपोरेशन और इन्डो गल्फ फर्टिलाइजर ने कृषि के लिए आवश्यक उत्पादों के संयुक्त रूप से विपणन हेतु किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक विपणन उत्पादों के लिए देश में संयुक्त रूप से स्थापित उर्वरकों के खुदरा बिक्री केन्द्रों का राज्य-वार विशेषकर महाराष्ट्र का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंडियन ऑयल कारपोरेशन ने ग्रामीण/कृषि उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्न लागत वाली बिक्री केन्द्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में अपने रिटेल नेटवर्क का विस्तार किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) जी हां। इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.) और इंडो गल्फ फर्टिलाइजर (आई.जी.एफ.एल.) ने किसानों को आई.ओ.सी. के ग्रामीण खुदरा बिक्री केन्द्रों, जो किसान सेवा केन्द्रों (के.एस.केज) के नाम से जाने जाते हैं, के माध्यम से आई.जी.एफ.एल. उत्पादों को उपलब्ध कराने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आई.जी.एफ.एल. और आई.ओ.सी. के बीच यह करार केवल बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्यों में कृषि अन्तर्वाहों की आपूर्ति और रखरखाव करने तक सीमित है।

(ग) और (घ) के.एस.के. 2004-05 से आई.ओ.सी. द्वारा विकसित निम्न लागत वाले बिक्री केन्द्र हैं, जो किसान के घर तक डीजल, अन्य पेट्रोलियम उत्पादों और गैर-ईंधन उत्पादों को पहुंचाने के उद्देश्य से ग्रामीण/कृषि बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। दिनांक 01-10-2009 की स्थिति के अनुसार, आई.ओ.सी. द्वारा देश में 2672 के एसकेज की स्थापना की गई है।

[हिन्दी]

रेलवे ट्रैक पर आवारा पशु

3534. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:
श्री विश्व मोहन कुमार:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ट्रैक पर आवारा और पालतू पशुओं के कारण रेल सेवाओं में बाधा उत्पन्न हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन घटनाओं को रोकने के लिए रेल अधिनियम के अंतर्गत पशु मालिकों पर दण्ड लगाने के लिए कोई प्रावधान है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर रेलवे द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) नवम्बर, 2009 माह के दौरान मवेशी के कुचले जाने के कारण क्षेत्रीय रेलों पर जो गाड़ियां समयपालन नहीं कर पाईं उनकी कुल संख्या लगभग 298 है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) ऐसे मामलों में ड्राइवरों को कड़ी नजर रखने और बार-बार सीटी बजाने के अनुदेश दिए गए हैं।

[अनुवाद]

सुधार कार्यसूची

3535. श्री निशिकांत दुबे: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उर्वरक विभाग एक सुधार कार्यसूची पर कार्य कर रहा था; और

(ख) यदि हां, तो सुधार कार्यसूची का ब्यौरा क्या है तथा प्रस्तावित सुधार कार्यसूची की प्रमुख विशेषताएं तथा उक्त कार्यसूची को तैयार किए जाने की स्थिति क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) सरकार का इरादा पोषक-तत्व आधारित राजसहायता व्यवस्था शुरू करने का है ताकि उर्वरकों का संतुलित अनुप्रयोग और कृषि उत्पादकता में वृद्धि सुनिश्चित की जा सके। पोषक तत्व आधारित राजसहायता व्यवस्था पर मंत्रियों के एक समूह, जिसका गठन पोषक तत्व आधारित राजसहायता नीति की जांच करने और उर्वरक राजसहायता वितरण को युक्तिसंगत बनाने के उपाय करने हेतु किया गया है, द्वारा विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

आर.पी.एफ. की शक्तियां

3536. श्रीमती सुशीला सरोज:
श्री जी.एम. सिद्देश्वर:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे सुरक्षा बल (आर.पी.एफ.) को अभियुक्तों को संबंधित स्थानीय पुलिस प्रशासन को सौंपने से पूर्व पूछताछ के लिए उन्हें रेलवे परिसर में गिरफ्तार तथा निरुद्ध करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान चालू वर्ष में रेलवे सुरक्षा बल तथा चल टिकट परीक्षकों (टी.टी.ई.) के विरुद्ध यात्रियों के साथ छेड़छाड़ तथा अत्याचार जैसे दुर्व्यवहार के लिए दर्ज किए गए मामलों का जोन-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का जोन-वार तथा मामला-वार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) सहायक उप निरीक्षक और इससे ऊपर के अधिकारियों को अभियुक्त के पास चुराई गई रेल संपत्ति पाए जाने पर उसे गिरफ्तार करने, जांच करने और न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए रेल संपत्ति (विधिविरुद्ध कब्जा) अधिनियम के अंतर्गत शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके अतिरिक्त सहायक उप निरीक्षक और इससे ऊपर के अधिकारियों को रेल अधिनियम की धारा 179(2) के अंतर्गत उस अपराधी को गिरफ्तार करने, जांच करने और न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए भी शक्तियां प्राप्त हैं जिसने अधिनियम की धाराओं 137 से 139, 141 से 147, 153 से 157, 159 से 167 और 176 से 176 के अंतर्गत अपराध किया है। रेल सुरक्षा बल अधिनियम की धाराओं 12 और 13 के अन्तर्गत भी बल का सदस्य विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के अन्तर्गत अभियुक्त को वारंट ओर सर्च के बिना गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत है।

(ग) और (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कारों तथा दुपहियों का निर्यात

3537. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल के वर्षों में भारत से विभिन्न देशों को कारों तथा दुपहियों के निर्यात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उपरोक्त अवधि के दौरान कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) क्या देश तेजी से कार निर्माण का केन्द्र बनता जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस रुझान को निरंतर बढ़ावा देने के लिए अगले तीन वर्षों हेतु क्या निर्यात लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव) (क) और (ख) जी, हां। भारतीय ऑटो-मोबाइल विनिर्माता संघ (एस.आई.ए.एम.) से मिली जानकारी के मुताबिक, भारत से यात्री कारों और दुपहिया वाहनों के निर्यात में वृद्धि हुई हैं। गत तीन वर्षों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

	निर्यात (संख्या)		
श्रेणी	2006-07	2007-08	2008-09
यात्री कार	192,723	211,112	331,539
% वृद्धि	13.37	9.54	57.04
दुपहिया वाहन	619,644	819,713	1,004,174
% वृद्धि	20.75	32.29	22.50

वाणिज्य विभाग, विदेश व्यापार महानिदेशालय से मिली जानकारी के मुताबिक, इस अवधि के दौरान यात्री कारों और दुपहिया वाहनों के निर्यात से अर्जित की गई विदेशी मुद्रा का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रु.)

आई.टी.सी. एच.एस.	मद विवरण	2006-07	2007-08	अप्रैल, 2008 से फरवरी, 2009
8703	आर.सी.एन.जी. कारों सहित मोटर कार और अन्य मोटर वाहन, आदि	5134.10	5575.07	9999.19
8711	आक्जलरी मोटर युक्त मोपेड और साईकिल सहित मोटरसाईकिल	1383.15	1180.39	2101.63

(ग) और (घ) भारतीय ऑटोमोबाईल विनिर्माता संघ (एस.आई.ए.एम.) से मिली जानकारी के मुताबिक, भारत में गत तीन वर्षों में 10.69 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर के साथ वर्ष में 1 मिलियन से अधिक कारों का उत्पादन हो रहा है। गत तीन वर्षों के दौरान यात्री कारों के उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

	उत्पादन (संख्या)		
श्रेणी	2006-07	2007-08	2008-09
यात्री कार	1,238,021	1,426,212	1,516,791
% वृद्धि	18.34	15.20	6.35

हालांकि, वाहनों की किसी विशेष श्रेणी के लिए निर्यात का कोई लक्ष्य नहीं है लेकिन छोटी कारों और दुपहिया वाहनों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए वाणिज्य विभाग, विदेश व्यापार निदेशालय ने फोकस मार्केट स्कीम, डी.ई.पी.बी., ड्रॉबैक स्कीम आदि जैसी पिछली स्कीमों के अलावा मार्केट लिंक्ड फोकस प्रोडक्ट स्कीम की घोषणा की है।

सार्वजनिक सुरक्षा निगरानी ऑडिट कार्यक्रम

3538. श्री प्रदीप माझी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आई.सी.ए.ओ.) ने अपने सार्वजनिक सुरक्षा निगरानी ऑडिट कार्यक्रम के अंतर्गत उड़ान परिचालन, विमान नौवहन सेवाओं तथा हवाई अड्डों से संबंधित क्षेत्रों के बारे में कोई सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नागर विमानन महानिदेशालय ने इन सभी सिफारिशों का अनुपालन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या आई.सी.ए.ओ. को अपनी लेखा-परीक्षा में उन खामियों का पता लगा है जिसके परिणामस्वरूप उनकी सिफारिशों के कियान्वयन में विलम्ब हो रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, हां। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) ने अपने यूनिवर्सल सेफ्टी ओवरसाइट ऑडिट प्रोग्राम के अधीन अक्तूबर, 2006 में भारत का ऑडिट किया था और 27 सिफारिशें की थीं। इन सिफारिशों में से 07 सिफारिशें उड़ान प्रचालनों, 11 नौवहन सेवाओं और 09 एयरोड्रम से संबंधित थीं।

(ग) और (घ) जबकि उड़ान प्रचालनों के क्षेत्र में सभी निष्कर्षों पर कार्रवाई पूरी हो गई है, हवाई नौवहन सेवाओं के क्षेत्र में इकाओ के 07 निष्कर्षों व एयरोड्रम के 05 निष्कर्षों पर कार्रवाई पूरी हो गई है।

(ङ) और (च) जी, नहीं। इकाओ के प्रावधान में सभी

देशों को निष्कर्षों तथा यू.एस.ओ.ए.पी. रिपोर्ट की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की प्रगति उपलब्ध कराने का अवसर है जिसे तत्पश्चात सभी देशों द्वारा अपनी-अपनी सार्वजनिक वेबसाइटों पर उपलब्ध कराया जाता है। डी.जी.सी.ए., की गई कार्रवाई को दर्शाते हुए समय-समय पर इन अद्यतन रिपोर्टों को इकाओ को उपलब्ध कराता है।

एन.टी.पी.सी. के विद्युत संयंत्रों को गैस की आपूर्ति

3539. श्री सुशील कुमार सिंह: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन.टी.पी.सी. ने अपने विद्युत संयंत्रों को प्राकृतिक गैस की बिक्री पर आर.आई.एल. द्वारा विपणन मार्जिन वसूलने पर आपत्ति की है; और

(ख) यदि हां, तो उपभोक्ताओं से विपणन मार्जिन वसूलने से आर.आई.एल. को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) एन.टी.पी.सी. ने के.जी. डी-6 गैस की बिक्री के लिए आर.आई.एल.-नाइको जे.वी. द्वारा विपणन मार्जिन प्रभार का मुद्दा उठाया था।

(ख) नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एन.ई.एल.पी.) के अन्तर्गत सरकार और संविदाकार के बीच हस्ताक्षरित उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पी.ए.सी.) में सरकार द्वारा गैस की बिक्री पर विपणन मार्जिन के निर्धारण हेतु प्रावधान नहीं है। सरकार ने आज तक किसी संविदाकार द्वारा प्राकृतिक गैस की बिक्री के लिए विपणन मार्जिन की मात्रा निर्धारित अथवा अनुमोदित नहीं की है। जी.एस.पी.ए. के निबन्धनों और शर्तों के निर्धारण के भाग के रूप में इस मामले पर चर्चा और निर्णय विक्रेता और क्रेता के बीच की बात है।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब पत्र सभा-पटल पर रखे जाएंगे।

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:-

(1) विधि आयोग के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) प्रतिवेदन संख्या 226 - तेजाब फेंकने की घटनाओं को भारतीय दंड संहिता में विशिष्ट अपराध के रूप में शामिल किया जाना तथा अपराध पीड़ित के लिए प्रतिकर हेतु एक विधि - जुलाई, 2009।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 1149/15/09]

(दो) प्रतिवेदन संख्या 227 - इस्लाम धर्म परिवर्तन के माध्यम से द्विविवाह को रोकना - उच्चतम न्यायालय के विनिर्णयों को सांविधिक प्रभाव देने संबंधी प्रस्ताव - अगस्त, 2009।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 1150/15/09]

(तीन) प्रतिवेदन संख्या 228 - सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी क्लिनिकों के विनियमन के साथ-साथ किराए के कोख के पक्षों के अधिकार एवं कर्तव्यों के लिए विधान की आवश्यकता - अगस्त, 2009।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 1151/15/09]

(चार) प्रतिवेदन संख्या 229 - दिल्ली में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ और दिल्ली, चेन्नई/हैदराबाद, कोलकात्ता और मुंबई क्षेत्रों में कैंसेशन पीठ स्थापित किए जाने की आवश्यकता - अगस्त, 2009।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 1152/15/09]

(पांच) प्रतिवेदन संख्या 230 - न्यायालय में सुधार हेतु कुछ सुझाव - अगस्त, 2009।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 1153/15/09]

(छह) प्रतिवेदन संख्या 231 - भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 और न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 जिसके अंतर्गत संदायगी के विभिन्न रूपों की अनुमति दी गई है, में संशोधन - अगस्त, 2009।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 1154/15/09]

(सात) प्रतिवेदन संख्या 232 - न्यायाधिकरण के सभापतियों और सदस्यों की सेवानिवृत्ति आयु में एकरूपता की आवश्यकता - अगस्त, 2009।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 1155/15/09]

(आठ) प्रतिवेदन संख्या 233 - दंड प्रक्रिया संहिता में

[श्री एम. वीरप्पा मोइली]

संशोधन जिससे शिकायत को पुनःस्थापित किया जा सके - अगस्त, 2009।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 1156/15/09]

(नौ) प्रतिवेदन संख्या 234 - सड़क दुर्घटनाओं पर काबू पाने के लिए विधिक सुधार - अगस्त, 2009।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 1157/15/09]

वस्त्र मंत्री (श्री दयानिधि मारन): मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:-

(एक) ऑल इंडिया हैंडलूम फैब्रिक्स मार्केटिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑल इंडिया हैंडलूम फैब्रिक्स मार्केटिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिये** संख्या एल.टी. 1158/15/09]

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): मैं वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत वायुयान (खतरनाक वस्तुओं का वहन) संशोधन नियम, 2009 जो 13 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 823(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 1159/117/09]

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) कंपनी (इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग और दस्तावेज का अधिप्रमाणन) संशोधन नियम, 2009 जो 7 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 642(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कंपनी (केन्द्रीय सरकार के) सामान्य नियम और प्रारूप (चौथा संशोधन) नियम, 2009 जो 7 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 643(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) कंपनी (केन्द्रीय सरकार के) सामान्य नियम और प्रारूप (पांचवां संशोधन) नियम, 2009 जो 8 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 649(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 1160/15/09]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 610ख की उपधारा (2) के अंतर्गत "स्कीम फॉर फाइलिंग ऑफ स्टेट्यूटरी डॉक्यूमेंट्स एण्ड अदर ट्रांजेक्शन्स बाई कम्पनीज इन इलेक्ट्रॉनिक मोड" (अमेंडमेंट) स्कीम, 2009, जो 7 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 2276(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 1161/15/09]

(3) लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 40 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-अक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) 31 मार्च, 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एण्ड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे, जो 13 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी/18-सी.डब्ल्यू.ए./9/2006 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) 31 मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एण्ड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 25 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी/18-सी.डब्ल्यू.ए./9/2007 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एण्ड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 25 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी/18-सी.डब्ल्यू.ए./9/2008 में प्रकाशित हुए थे।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिये** संख्या एल.टी. 1162/15/09]

(5) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 40 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) 31 मार्च, 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे, (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 20 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. संख्या 104/34/एकाउंट्स-रिपोर्ट ऑफ काउंसिल में प्रकाशित हुए थे।

(दो) 31 मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे, (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 18 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. संख्या 104/27/एकाउंट्स-रिपोर्ट ऑफ काउंसिल में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे, (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 18 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. संख्या 104/28/एकाउंट्स-रिपोर्ट ऑफ काउंसिल में प्रकाशित हुए थे।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिये** संख्या एल.टी. 1163/15/09]

(7) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 30 ख के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) 31 मार्च, 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे, (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 29 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1-सी.ए.(5)/57/2006 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) 31 मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे, (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 28 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1-सी.ए.(5)/598/2007 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे, (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 25 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1-सी.ए.(5)/59/2008 में प्रकाशित हुए थे।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिये** संख्या एल.टी. 1164/15/09]

(9) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 620क की उपधारा (3) के अंतर्गत उसमें उल्लिखित कंपनियों को निधि के रूप में घोषित किया जाना जो 14 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 522(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 1165/15/09]

(10) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) नेशनल मानइरिटीज डेवलपमेंट एण्ड फाइनेंस एण्ड कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल मानइरिटीज डेवलपमेंट एण्ड फाइनेंस एण्ड कारपोरेशन, नई दिल्ली का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयीं, **देखिये** संख्या एल.टी. 1166/15/09]

[श्री सलमान खुर्शीद]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) कृषक भारती को-आपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कृषक भारती को-आपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयीं, **देखिये** संख्या एल.टी. 1167/15/09]

(ख) (एक) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड, कोचीन के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड, कोचीन के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयीं, **देखिये** संख्या एल.टी. 1168/15/09]

(ग) (एक) प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयीं, **देखिये** संख्या एल.टी. 1169/15/09]

(घ) (एक) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिये** संख्या एल.टी. 1170/15/09]

(2) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयीं, **देखिये** संख्या एल.टी. 1171/15/09]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) मुंबई रेलवे विकास कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मुंबई रेलवे विकास कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए, **देखिये** संख्या एल.टी. 1172/15/09]

(ख) (एक) रेल विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रेल विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए, **देखिये** संख्या एल.टी. 1173/115/09]

(ग) (एक) इंडियन रेलवे फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-

2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन रेलवे फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिये** संख्या एल.टी. 1174/15/09]

(घ) (एक) रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिये** संख्या एल.टी. 1175/15/09]

(ङ) (एक) आर.आई.टी.ई.एस. (राइट्स) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आर.आई.टी.ई.एस. (राइट्स) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिये** संख्या एल.टी. 1176/15/09]

(च) (एक) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिये** संख्या एल.टी. 1177/15/09]

(छ (एक) कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिये** संख्या एल.टी. 1178/15/09]

(2) (एक) रेलवे स्पोर्ट्स-प्रोमोशन बोर्ड नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रेलवे स्पोर्ट्स-प्रोमोशन बोर्ड नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिये** संख्या एल.टी. 1179/15/09]

(3) रेलवे दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 30 की उपधारा (3) के अंतर्गत रेलवे दावा अधिकरण (सभापति उप-सभापति और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 2009 जो 17 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 828 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, **देखिये** संख्या एल.टी. 1180/15/09]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखंती हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिये** संख्या एल.टी. 1181/15/09]

[श्रीमती पनबाका लक्ष्मी]

(ख) (एक) बड्र्स जूट एण्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बड्र्स जूट एण्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिये** संख्या एल.टी. 1182/15/09]

(ग) (एक) नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिये** संख्या एल.टी. 1183/15/09]

(घ) (एक) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिये** संख्या एल.टी. 1184/15/09]

(ङ) (एक) कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिये** संख्या एल.टी. 1185/15/09]

(च) (एक) नेशनल हैण्डलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल हैण्डलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिये** संख्या एल.टी. 1186/15/09]

(छ) (एक) सिंथेटिक एण्ड रेयॉन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सिंथेटिक एण्ड रेयॉन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (घ) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिये** संख्या एल.टी. 1187/15/09]

(3) (एक) जूट मैन्यूफैक्चर्स डेवलपमेंट काउंसिल, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जूट मैन्यूफैक्चर्स डेवलपमेंट काउंसिल, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिये** संख्या एल.टी. 1188/15/09]

(5) (एक) कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के

वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिये** संख्या एल.टी. 1189/15/09]

(6) (एक) नार्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, गाजियाबाद के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नार्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, गाजियाबाद के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिये** संख्या एल.टी. 1190/15/09]

(7) (एक) टेक्सटाइल्स कमिटी, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्सटाइल्स कमिटी, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिये** संख्या एल.टी. 1191/15/09]

(8) (एक) सिंथेटिक एण्ड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिंथेटिक एण्ड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिये** संख्या एल.टी. 1192/15/09]

(9) (एक) बाम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बाम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिये** संख्या एल.टी. 1193/15/09]

(10) (एक) अपेरेल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अपेरेल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिये** संख्या एल.टी. 1194/15/09]

(11) (एक) साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, कोयम्बटूर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, कोयम्बटूर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिये** संख्या एल.टी. 1195/15/09]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिये** संख्या एल.टी. 1196/15/09]

(ख) (एक) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड,

[श्री जितिन प्रसाद]

मुंबई के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिये** संख्या एल.टी. 1197/15/09]

(ग) (एक) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिये** संख्या एल.टी. 1198/15/09]

(घ) (एक) बामर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बामर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महा-लेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिये** संख्या एल.टी. 1199/15/09]

(ङ) (एक) बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिये** संख्या एल.टी. 1200/15/09]

(च) (एक) बिक्को लॉरी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बिक्को लॉरी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिये** संख्या एल.टी. 1201/15/09]

(छ) (एक) तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिये** संख्या एल.टी. 1202/15/09]

(ज) (एक) ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिये** संख्या एल.टी. 1203/15/09]

(झ) (एक) इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिये** संख्या एल.टी. 1204/15/09]

(ञ) (एक) इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिये** संख्या एल.टी. 1205/15/09]

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सोल्वेन्ट, रैफिनेट और स्लोप (अर्जन, बिक्री, भण्डारण और ऑटोमोबाइल में प्रयोग का निवारण) संशोधन आदेश, 2009 जो 3 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 561(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) सोल्वेन्ट, रैफिनेट और स्लोप (अर्जन, बिक्री, भण्डारण और ऑटोमोबाइल में प्रयोग का निवारण) संशोधन आदेश, 2009 जो 23 नवंबर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 835(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिये** संख्या एल.टी. 1206/15/09]

(3) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, ए.सी. की धारा 62 के अंतर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए अपीलीय अधिकरण (प्रक्रिया, प्रारूप शुल्क और कार्यवाही वृत्तांत) नियम, 2009 जो 12 नवम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 812(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 1207/15/09]

(4) तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 की धारा 6क की उपधारा (4) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 615(अ) जो 29 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 1208/15/09]

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिये** संख्या एल.टी. 1209/15/09]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री विलासराव देशमुख): महोदया, मैं श्री अरुण यादव की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिये** संख्या एल.टी. 1210/15/09]

(ख) (एक) एंड्रयू यूले एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एंड्रयू यूले एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिये** संख्या एल.टी. 1211/15/09]

(ग) (एक) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कोलकाता

[श्री विलास राव देशमुख]

के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कोलकाता वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिये** संख्या एल.टी. 1212/15/09]

(घ) (एक) टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिये** संख्या एल.टी. 1213/15/09]

(ङ) (एक) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिये** संख्या एल.टी. 1214/15/09]

(च) (एक) त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, इलाहाबाद के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, इलाहाबाद का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिये** संख्या एल.टी. 1215/15/09]

(छ) (एक) नेपा लिमिटेड, बुरहानपुर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेपा लिमिटेड, बुरहानपुर का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिये** संख्या एल.टी. 1216/15/09]

(ज) (एक) तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, तुंगभद्रा डैम के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, तुंगभद्रा डैम के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिये** संख्या एल.टी. 1217/15/09]

(झ) (एक) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिये** संख्या एल.टी. 1218/15/09]

(ञ) (एक) भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेशर्स लिमिटेड, इलाहाबाद के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेशर्स लिमिटेड, इलाहाबाद का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिये** संख्या एल.टी. 1219/15/09]

(ट) (एक) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड, दिल्ली का वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड, दिल्ली का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिये** संख्या एल.टी. 1220/15/09]

(ठ) (एक) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिये** संख्या एल.टी. 1221/15/09]

(ड) (एक) नेशनल बाइसिकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल बाइसिकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिये** संख्या एल.टी. 1222/15/09]

(ढ) (एक) रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिये** संख्या एल.टी. 1223/15/09]

(ण) (एक) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिये** संख्या एल.टी. 1224/15/09]

(2) (एक) नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एण्ड रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एण्ड रिसर्च डेवलपमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिये** संख्या एल.टी. 1225/15/09]

(3) (एक) फ्लड कंट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट, पलक्कड के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फ्लूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट, पलक्कड के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिये** संख्या एल.टी. 1226/15/09]

(4) (एक) ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिये** संख्या एल.टी. 1227/15/09]

अपराह्न 12.02 बजे

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति

पहला प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री अरुण कुमार वुंडावल्ली (राजामुन्दरी): महोदया, मैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.02½ बजे

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति

पहला प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री एस.पी.वाई. रेड्डी (नांदयाल): महोदया, मैं जल संसाधन मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2009-10)' के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल), 2009-2010

[अनुवाद]

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): महोदया, मैं वर्ष 2009-10 के लिए बजट (रेल) के संबंध में अनुपूरक अनुदानों की मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं।

[ग्रन्थालय में रख गया, **देखिये** संख्या एल.टी. 1228/15/09]

अपराह्न 12.09 बजे

सदस्य द्वारा निवेदन

पृथक तेलंगाना राज्य के गठन को सुकर बनाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा की गई पहल के बारे में

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): अध्यक्ष महोदया, मैं बहुत आभारी हूं कि आप मुझे अवसर दे रही हैं कि मैं सदन को इस बात के लिए बधाई दूं कि आपने सदन में जिस प्रकार आन्ध्र की स्थिति में हस्तक्षेप करके एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। संसद के हस्तक्षेप के कारण सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके लिए मैं सरकार को भी बधाई और संसद को भी विशेष बधाई देना चाहता हूं। जिन दो बातों के बारे में सदन में कल चिंता प्रकट की गई थी, उन दोनों बातों का एक प्रकार से समाधान हुआ है। हम चाहते थे कि तेलंगाना की जनता की इच्छानुसार तेलंगाना प्रदेश बने और हम चाहते थे कि हमारे संसद के एक साथी, जो दस दिन से अनशन पर थे, जिनके स्वास्थ्य की स्थिति चिंताजनक हो गई थी, उनके जीवन को किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचे। ये दोनों बातें हो गईं, मुझे इसकी बहुत खुशी है और इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं।

अध्यक्ष महोदया, मैं अपेक्षा करता था कि सरकार ने जो निर्णय किया है, उस निर्णय को स्वयं गृहमंत्री हमें आकर बताएंगे। उन्होंने बाहर घोषणा की थी, यह बताएं कि यहां भी घोषणा करेंगे और इसके लिए सिवाय असैम्बली के प्रस्ताव पर क्या प्रक्रिया सोची है। यह संवैधानिक तौर पर जरूरी नहीं है, लेकिन हो जाता है तो बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूं इस विषय पर सरकार सदन को विश्वास में ले कि क्या प्रक्रिया सोची है, किस प्रकार से इस 29वें राज्य का गठन होगा और इसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। मैं जानता हूं कि इसके लिए विधेयक प्रस्तुत करने से पहले भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। मैं यह चाहूंगा कि यह करके सरकार यहां आए। लेकिन इस बारे में उन्होंने अब तक क्या सोचा है, आगे की क्या प्रक्रिया सोची है, यह कब तक हो जाएगा और उनकी क्या अपेक्षा है, इस बारे में सरकार सदन को विश्वास में ले तो मुझे खुशी होगी।

महोदया, मैं पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यह विषय उठाने का मौका दिया।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): महोदया, मैं सर्वप्रथम प्रतिपक्ष के नेता को धन्यवाद देना चाहूंगा और निवेदन करना चाहूंगा कि चूंकि निर्णय पिछली देर रात लिया गया था, हमें गृह मंत्री द्वारा की गयी घोषणा की प्रतिक्रिया के बारे में राज्य सरकार की सूचना अभी प्राप्त होनी है। वहां कुछ रैलियां आयोजित की जा रही हैं। इसलिए हमें राज्य सरकार से पूरी जानकारी प्राप्त होनी शेष है। अब

तक एकत्र की गई जानकारी यह है कि श्री चन्द्रशेखर राव ने अपना अनशन तोड़ दिया है। हम इसकी प्रशंसा करते हैं। उन्होंने इस पर अनुक्रिया की है। प्रतिपक्ष के माननीय नेता इस बात से पूरी तरह अवगत है कि अन्य जानकारी भी अपेक्षित है। नए राज्य के गठन के बारे में सभी प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा। लेकिन यदि हमें राज्य से जानकारी प्राप्त होती है जिसे हम सभा के साथ शेयर करना चाहेंगे तो निश्चित रूप से हम आज कक्ष सभा को जानकारी देंगे।

श्री सुवेन्द्र अधिकारी (तामलुक): महोदया, आपके माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री का ध्यान बहुत गंभीर मसले की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार की सिफारिश पर केन्द्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के हरीपुर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। हरीपुर कम आबादी वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 500 है। इसके पास जैनपुर नामक स्थान पर मत्स्य बंदरगाह भी है। यह भूमि बहुत उपजाऊ है। कृषक वर्ष में दो से तीन बार फसल का उत्पादन करते हैं।

मैं केन्द्र सरकार से आज इस निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करना चाहूंगा क्योंकि आज मानवाधिकार दिवस है और मानवीय आधार पर इस मसले पर केन्द्र सरकार द्वारा पुनर्विचार किया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल की सी.पी.आई. (एम) नेतृत्व वाली वाम मोर्चा सरकार गलत जानकारी देकर केन्द्र सरकार को गुमराह कर रही है क्योंकि वे हरीपुर में नंदीग्राम जैसे हालात की पुनरावृत्ति चाहते हैं। न तो केन्द्र सरकार न राज्य सरकार या परमाणु ऊर्जा आयोग के ही किसी प्रतिनिधि ने गंभीर प्रभाव वाले ऐसे निर्णय लेने के पहले स्थान का दौरा किया। मैं पुनः केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे इस संबंध में आवश्यक कदम उठाएं और हरीपुर को बचाएं जो न केवल कम जनसंख्या वाला क्षेत्र है बल्कि वहां की जमीन भी काफी उपजाऊ है। मैं माननीय प्रधानमंत्री से जमीनी हकीकत का मूल्यांकन करने के लिए केन्द्रीय दल भेजने का अनुरोध करना चाहूंगा।

डॉ. तरुण मंडल (जयनगर): महोदया, मैं उनके साथ स्वयं को संबद्ध करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदया: जो सदस्य श्री सुवेन्दु अधिकारी के विचारों से स्वयं को संबद्ध करना चाहते हैं, ऐसा कर सकते हैं।

डॉ. तरुण मंडल, श्री सुदीप बंदोपाध्याय, श्री गोबिन्द चन्द्रा नास्कर, श्री अंबिका बनर्जी, डॉ. काकोली घोष दस्तिदार, श्रीमती रत्ना डे, श्री नुरुल इस्लाम और श्री कबीर सुमन के नाम श्री सुवेन्दु अधिकारी के विचारों से संबद्ध किए जा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे शून्य प्रहर में बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। इसी सदन में पिछले बजट सत्र में मिलावट के बारे में चर्चा हुई थी और कई मामले उठे हैं। आज जो आवश्यक वस्तुएं खाद्य पदार्थ हैं, चाहे वे तेल, घी, दूध, खोवा, मसाला, सब्जी और फल हों, आज इन सबमें मिलावट हो रही है। जिसके कारण आम जनता त्रस्त है। आज लोग बीमार पड़ रहे हैं और यहां तक कि लोगों के मरने की भी खबरें हैं। 3 और 4 अक्तूबर, 2009 को मेरे निर्वाचन क्षेत्र जनपद कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश में कल्याणपुर में एक परिवार के 12 लोग सरसों का तेल पेराकर लाये और उससे खाना बनाकर खाना खाया। खाना खाने के बाद आठ लोगों की वहां मौत हो गई है। जब इसकी जांच के लिए ज्वाइंट फूड कमिश्नर वहां पहुंचे तो तेल की जांच में एक जंगली पदार्थ भटकटैया या उसे भड़भड़ा बोलते हैं, वह उस तेल में पाया गया। वहां नारायणस्वरूप हास्पिटल, नाजरेथ हास्पिटल और इलाहाबाद के पी.जी.आई. में भी उन्हें रेफर किया गया। उन लोगों को उल्टी, दस्त लगे थे और उनके शरीर पर लाल चकत्ते और दाग पाये। इस बारे में मैंने वहां के स्थानीय सी.एम.ओ., डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एस.डी.एम. से वार्ता की और कहा कि इस परिवार के अन्य लोग जो गंभीर रूप से बीमार हैं, उनका रोजाना परीक्षण कराया जाए।

महोदया, अभी मुझे खबर मिली है कि 18 तारीख को वहां पर पम्मी नाम की 18 साल की लड़की की मृत्यु हो गई। आज भी उस परिवार में आठ-दस लोग बीमार हैं जिसके कारण नेशनल हाईवे, जो पेशावर से लाहौर जाता है, उस मेन सड़क को वहां के ग्रामीणों ने जाम कर रखा था।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा कि उस पीड़ित परिवार के सात-आठ लोग मर गये हैं और कुछ लोग अभी भी बीमार हैं। इसलिए वहां एक केन्द्रीय दल जाए और परीक्षण करे और उन परिवारों को

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

मुआवजा दिलाया जाए। इसके साथ ही जो दोषी व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत एन.एस.ए. लगाकर कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसी घटनाएं पूरे देश में और कहीं घटित न हों।

इन्हीं बातों के साथ माननीय अध्यक्षा जी आपने मुझे अति लोक महत्व के प्रश्न को उठाने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सुदीप बंदोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): मैडम, श्री सुवेन्दु अधिकारी के प्रपोजल के साथ हम सभी सांसद अपने आपको एसोसिएट करते हैं।

अध्यक्ष महोदया: आप टेबल पर अपने नाम भेज दीजिए।

[अनुवाद]

श्री मनीष तिवारी (लुधियाना): अध्यक्ष महोदया, पिछले पांच वर्षों में और खासकर 26/11 के बाद से, केन्द्र सरकार ने सुरक्षा अवसंरचना को बेहतर करने के उल्लेखनीय प्रयास किए हैं। नए संगठन बनाए गए हैं। पुलिस आधुनिकी-करण के लिए राज्य सरकारों को सहायता बढ़ायी गयी है और नए उपकरण खरीदे जा रहे हैं, लेकिन एक क्षेत्र है जिस पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है और दुर्भाग्यवश जिसे नजरअंदाज किया गया है। वह है हमारे कर्मियों, कांस्टेबलों को बेहतर करना जिनसे इन उपकरणों को संभालने की अपेक्षा की जाती है और जो राष्ट्र की सुरक्षा वास्तव में कर रहे हैं।

पछले महीने, अखबारों और टेलीविजन चैनलों में इस प्रकार की रिपोर्टों की भरमार थी कि कैसे मुंबई में ताजमहल होटल की सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मी वास्तव में गेटवे ऑफ इंडिया में ठहरे हुए थे। यह देश के विभिन्न भागों में पुलिस की स्थिति का संकेत है और हममें से कुछ लोगों जो अशांत भागों में पले-बढ़े हैं, क्षेत्र की अत्यन्त खराब स्थितियों को करीब से देखा है।

केन्द्र सरकार से मेरा यह अनुरोध है कि पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को केन्द्र सरकार द्वारा भेजी गयी धनराशि में से 25 प्रतिशत राशि उस भौतिक अवसंरचना को उन्नत बनाने में जरूर खर्च की जानी चाहिए जिसमें पुलिस कर्मी रहते हैं अर्थात उनके लिए आवास बनाने में, उनके बच्चों के लिए स्कूल बनाने में, मनोरंजन सुविधाएं उपलब्ध कराने में आवश्यक खर्च की जाए ताकि वे तनाव मुक्त रहें, अपने कार्य पर केन्द्रित रहें और देश की सीमा की रक्षा तथा आंतरिक सुरक्षा के कर्तव्यों का वास्तव में निर्वहन करें। इससे भ्रातृहत्या की घटनाओं में भी कमी आएगी जो उन विभिन्न राज्यों में विगत वर्षों के दौरान देखने में आयी है जहां अर्ध सैनिक बल तैनात किए गए हैं।

***श्री पी. लिंगम** (तेनकासी): अध्यक्ष महोदया, हथकरघा बुनकरों के परंपरागत अधिकारों का संरक्षण करने के लिए, भारत सरकार ने कानून बनाया है जिसमें विशेष रूप से हथकरघा क्षेत्र में निर्मित की जाने वाली हथकरघा किस्म की कुछ मदों की सूची दी गई है जिसके आधार पर 150 वर्षों से अधिक समय से हथकरघा बुनकर इसका लाभ प्राप्त करते आ रहे हैं। भवानी के हथकरघा बुनकरों के पास भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर कालीन एवं कठोर किस्म के बिस्तर बनाने के अधिकार थे जिन्हें ऐसे विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं।

भवानी कालीन पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं और इसका व्यापक निर्यात किया जाता है। तमिलनाडु में इरोड जिले के भवानी तालुक में लगभग 30,000 हथकरघा कालीन बुनकर हैं। नामक्कल और सलेम जैसे पड़ोसी जिलों तथा इनसे लगे क्षेत्रों में वहां के हथकरघा बुनकरों द्वारा पारंपरिक व्यवसाय के रूप में ये कालीन बनाए जा रहे हैं। सभी को मिलाकर कुल लगभग 50,000 हथकरघा बुनकर इस क्षेत्र में हैं।

दुर्भाग्यवश अब पिछले कुछ वर्षों से कुछ विद्युतकरघा उद्यमियों ने गैर कानूनी रूप से कालीनों का निर्यात प्रारंभ किया है। तमिलनाडु के इरोड जिले में भवानी तालुक में सेतुनामपलायम, नल्लमूप्पानूर, अंतियूर, ताविट्टू-पलायम, ब्रह्मदेशम, अन्नामाडूनू जैसे स्थानों पर तथा महाराष्ट्र के शोलापुर एवं नागपुर में छोटे आकार के कालीन जो विशेष रूप से हथकरघा क्षेत्र के लिए रखे गये हैं, का अवैध रूप से विद्युतकरघा इकाईयों द्वारा विनिर्माण किया जा रहा है और वे बाजार में इस प्रकार बेचे जाते हैं, मानो वे भवानी के कालीन हों। शोलापुर में बने ये कालीन इरोड वस्त्र बाजार में लाए जाते हैं जिससे इस क्षेत्र के स्थानीय पारंपरिक हथकरघा बुनकरों के हितों पर प्रभाव पड़ता है।

विगत एक वर्ष में, इस अवैध व्यापार का गंभीर

---

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

प्रभाव पारंपरिक भवानी हथकरघा कालीन बुनकरों पर पड़ा है। उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। वे अपनी आजीविका जारी नहीं रख सकते। उन्हें भूखे रहना पड़ता है क्योंकि वे पैसा कमाकर अपने पारिवारिक सदस्यों का भी भरण-पोषण नहीं कर सकते। व्यापारिक गतिविधियों में कमी आने के कारण उनकी सहकारी समितियों पर बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। विद्युतकरघा कालीन हथकरघा पर निर्मित कालीनों से सस्ती दरों पर बेचे जाते हैं। इससे हथकरघा उद्योग काफी प्रभावित हुआ है और उनके द्वारा निर्मित माल खरीद न होने के कारण पड़ा रहता है।

चूंकि अवैध विद्युतकरघा इकाइयां भारत सरकार के नियम का उल्लंघन कर रही हैं इसलिए भवानी क्षेत्र में हथकरघा बुनकरों के परम्परागत अधिकारों की रक्षा करने के लिए केन्द्र को हस्तक्षेप करना चाहिए। मेरा केन्द्र सरकार से यह अनुरोध है कि वह गरीब हथकरघा बुनकरों को बचाने के लिए तेजी से कार्रवाई करे।

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): अध्यक्ष महोदया, मैं एक सामाजिक विषय पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। देश के मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिये सरकार अपनी जवाबदेही मानकर ऐसे बच्चों को कोई आर्थिक सहायता या जीवन-यापन के लिए कुछ मदद करे। सरकार देश में हर गांव में मानसिक रूप से विकलांग बच्चे पैदा होते हैं। पैदा होने से पहले उनकी गर्भ में जांच हो, ऐसा मैडिकल साइंस आज तक नहीं आया है। इसलिये जब ऐसे बच्चे पैदा होते हैं तो उस गरीब परिवार पर आर्थिक बोझ आ जाता है या किसी मध्यम वर्ग परिवार में ऐसा बच्चा पैदा होता है तो उसका परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। गम्भीर बीमारी के कारण उस परिवार पर आर्थिक चोट भी लगती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करना चाहता हूं कि मानसिक रूप से जो विकलांग बच्चे पैदा होते हैं, उनके लिये सरकार कुछ ऐसी योजना बनाये, नीति बनाये ताकि उनका आर्थिक बोझ सरकार वहन करे। ऐसे परिजनों को बच्चे के लिये 1000 रुपया प्रति मास आर्थिक सहायता के रूप में दे। ऐसा नहीं कि एक परिवार में केवल एक ही बच्चा पैदा होता है, किसी परिवार में एक से भी ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। परिवार त्रस्त होने की वजह से कई बार बच्चों को सड़क पर डाल देते हैं या मन्दिरों में छोड़ देते हैं। ऐसे बच्चों को एकत्र करके कुछ संस्थायें ये काम चलाती हैं और उनका पालन-पोषण करती हैं।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से एक ऐसी संस्था का उल्लेख करना चाहूंगा। महाराष्ट्र में अमरावती में एक शंकरा पापडकर महाराज संस्था चलाते हैं। उन्होंने 150 बच्चे एकत्र करके उस संस्था में पढ़ाते हैं और चलना भी सिखाते हैं। ऐसे बच्चों के लिये महाराष्ट्र सरकार या राज्य सरकार कुछ अनुदान देती हैं लेकिन ऐसे बच्चों को केवल 18 वर्ष तक की आयु तक रखने की अनुमति दी जाती है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि राज्य सरकारों की मदद से जो संस्थायें काम कर रही हैं, ऐसी संस्थायें केन्द्र सरकार भी चलाये और यदि वे बच्चे 18 वर्ष की आयु के बाद भी वहीं रहना चाहें तो उन्हें रहने दो क्योंकि 18 वर्ष की आयु के बाद भी उन बच्चों की अपाहिजता समाप्त नहीं होती है। मेरा एक निवेदन यह भी है कि जिन परिवारों में ऐसे बच्चे पैदा होते हैं, उन परिवारों को बी.पी.एल. का कार्ड दिया जाये। उन परिवारों को ऐसे बच्चों के पालन पोषण में काफी दिक्कतें आती हैं। उन बच्चों की देखभाल के लिये एक पूरा सदस्य घर में रहता है। यह एक बहुत गंभीर समस्या है। मैंने इस समस्या पर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है। मैं सरकार से विनती करूंगा कि इसे गंभीरता से लें और ऐसे परिजनों की मदद करें।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदया, मैं स्वयं को इस मुद्दे से संबद्ध करना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: क्या आप स्वयं को इस मुद्दे से संबद्ध करना चाहते हैं? ठीक है। आप कृपया अपना नाम भेज दें।

श्री कबीर सुमन (जादवपुर): महोदया, मैं भी स्वयं को इस मुद्दे से संबद्ध करना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: कृपया आप भी अपना नाम भेज दें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: श्री हुक्मदेव नारायण यादव, श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्री भर्तृहरि महताब, श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय, श्री कबीर सुमन, श्री धनंजय सिंह अपने आप को श्री हंसराज गं. अहीर जी के भाषण से संबद्ध करते हैं।

श्री पूर्णमासी राम (गोपालगंज): महोदया, पिछले कुछ वर्षों से केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की संख्या में वृद्धि

[श्री पूर्णमासी राम]

हुई है। जिससे राज्यों को केंद्र द्वारा मिलने वाली वार्षिक योजना राशि में कमी होती जा रही है। इसके परिणामस्वरूप राज्यों को विकास कार्यों में बाधाएं आ रही हैं। ऐसी परिस्थिति में राज्यों को अपने मुताबिक विकास योजनाएं बनाने एवं उन्हें लागू करने का अधिकार होना चाहिए। यहां पर एक बात और काबिले गौर है कि केन्द्र और राज्यों को संविधान में अलग-अलग कार्य सौंपे गये हैं। ऐसा देखा गया है कि केंद्र सरकार उन विषयों पर भी योजना बनाती है जो राज्य सूची में हैं। इससे राज्यों को अपने हिसाब से विकास की दिशा तय करने में कठिनाई होती है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए राज्यों को मिलने वाली वार्षिक योजना राशि के बजाए अलग से राशि की व्यवस्था की जाए। साथ ही इन योजनाओं के लिए दी जाने वाली राशि सीधे राज्य सरकारों को दी जाए क्योंकि इन योजनाओं के कार्यान्वयन की जवाबदेही राज्य सरकारों की होती है। केंद्र उन्हीं विषयों पर योजना बनाए जो केंद्र सूची में हैं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: 'शून्य काल' से संबंधित सभी मामलों पर दिन के अंत में विचार किया जाएगा। आज कोई मध्याह्न भोजनावकाश नहीं होगा।

अपराह्न 12.33 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब नियम 377 के अधीन मामलों में मद संख्या-15 पर विचार किया जाएगा। माननीय सदस्यगण नियम 377 के अधीन मामलों को सभा-पटल पर रखा जाएगा। आज जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है और जो उन्हें सभा-पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे स्वयं 20 मिनट के भीतर सभा पटर पर अपनी पर्ची दे दें। केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा गया माना जाएगा जिनके लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर सभा पटल पर पर्ची मिल जाएंगी और शेष को व्यपगत हुआ माना जाएगा।

*सभा-पटल पर रखे माने गए।

[हिन्दी]

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): महोदया, नियम 39, 40 और 41 का क्या हुआ? अतारांकित प्रश्न के उत्तर में अंग्रेजी के साथ हिन्दी प्रति नहीं दी जाती है, जबकि इसका नियम है।

अध्यक्ष महोदया: कल आपने इसे उठाया है। हम इसकी जांच कराकर, उसमें जो भी करने की आवश्यकता है, वह किया जाएगा।

(एक) उत्तर प्रदेश में बहराइच के सुहेल देव तीर्थ स्थल को राष्ट्रीय महत्व के पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री कमल किशोर कमांडो (बहराइच): महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र का जनपद-बहराइच एक ऐतिहासिक शहर है। बहराइच-गोण्डा मार्ग देश के ऐतिहासिक वीर राजा सुहेल देव की तीर्थ स्थली है। वीर राजा सुहेल देव दलित समाज के थे तथा क्षेत्र के दलित समाज के प्रेरणास्रोत तथा आदर्श हैं। यहां एक अत्यंत प्राचीन मनोहर झील है, जहां पर महामनीषी अष्टावक्र मुनि ने तपस्या की थी। इस झील में हिन्दू-मुस्लिम दोनों सम्प्रदाय के लोग स्नान करके प्रसिद्ध धार्मिक स्थल सैय्यद सालारगाजी बाबा की मजार पर मत्था टेकते हैं।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वीर राज सुहेल देव की तीर्थ स्थली तथा झील के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इस स्थल को राष्ट्रीय पर्यटन स्थल घोषित करने की कृपा करें।

(दो) केरल की वेम्बनाड झील की पारिस्थितिकी को सुरक्षित रखे जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एंटो एंटोनी (पथनमथीट्टा): एशिया की सबसे बड़ी पश्चजल झील वेम्बनाड झील पर तत्काल ध्यान दिए जाने की जरूरत है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण पारिप्रणाली है जो जलीय तथा समृद्ध वनस्पति तथा जीव-जंतुओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

इस समय वेम्बनाड झील प्रदूषित है, इसके आसपास बस्तियां हैं और यह जलजनित बीमारियों से प्रभावित है तथा इसमें पानी भी अत्यन्त कम है।

वेम्बनाड झील के संरक्षण हेतु चार नदियों - पम्पा, मीनाचिल, मनिमाला और अचमकोविल को संरक्षित करने

की जरूरत है। यद्यपि पम्पा नदी को बचाने के लिए पम्पा कार्य योजना नामक एक योजना तैयार की गई है किंतु अन्य नदियों को बचाने के लिए ऐसी कोई योजनाएं नहीं हैं।

चूंकि एक लाख मछुआरों की आजीविका और पांच लाख निवासियों की पेयजल उपलब्धता गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है इसलिए मेरा केन्द्र सरकार से यह अनुरोध है कि इस पर्यावरणीय मुद्दे के संबंध में तत्काल हस्तक्षेप करें।

(तीन) वर्ष 1981 के करार के अंतर्गत रावी और व्यास नदियों का अधिशेष पानी राजस्थान को दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राम सिंह कस्वां (चुरू): महोदया, रावी व्यास के आधिक्य जल में से राजस्थान को भाखड़ा नांगल मुख्य नहर से 0.17 एम.ए.एफ. जल के आबंटन की मांग राजस्थान वर्षों से करता आ रहा है। पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के मुख्यमंत्रियों द्वारा दिनांक 31-12-1981 को हुए अनुबंध के अंतर्गत राजस्थान को रावी व्यास के आधिक्य जल में से 8.60 एम.ए.एफ. पानी आबंटित किया गया था, इस समझौते के पैरा (4) में यह उल्लेख किया गया है कि "सचिव, सिंचाई मंत्रालय, भारत सरकार भाखड़ा मेन लाइन से रावी व्यास के आधिक्य जल में से राजस्थान के 0.57 एम.ए.एफ. के दावे पर 15 दिवस में निर्णय करेंगे, जो सभी संबंधित पक्षों को मान्य होगा"। सचिव सिंचाई भारत सरकार ने दिनांक 15-01-1982 ने निर्णय दिया कि सिधमुख-नाहर के लिए राजस्थान की उचित आवश्यकता 0.47 एम.ए.एफ. है, जिसमें से 0.30 एम.ए.एफ. पानी पूर्व में ही उपलब्ध है, शेष 0.17 एम.ए.एफ. पानी (एक्स नागल) राजस्थान को नांगल से भाखड़ा मेन लाइन के माध्यम से इसकी वास्तविक क्षमता में राजस्थान के संसाधनों से लाते हुए प्रभावित किया जाता है। राजस्थान द्वारा भाखड़ा व्यास प्रबंध निगम (बी.बी.एम.बी.) को 0.17 एम.ए.एफ. पानी भाखड़ा मेन लाइन के मार्फत सिधमुख-नाहर क्षेत्र को पानी प्रभावित करने हेतु काफी बार ऐजेंडा नोट प्रस्तावित करता आ रहा है। विभिन्न बैठकों में पंजाब ने यह स्वीकार किया कि भाखड़ा मेन लाइन की पूर्ण क्षमता प्राप्त कर ली गई है, परन्तु हरियाणा की असहमति के कारण भाखड़ा व्यास प्रबंध निगम ने दिनांक 3-8-2006 द्वारा उक्त प्रकरण भारत सरकार को निर्णय हेतु प्रेषित कर दिया। राजस्थान ने वर्ष 2002 में ही सिंधमुख-नाहर परियोजना पूर्ण कर ली है एवं परियोजना के सिंचित क्षेत्र की सिंचाई हेतु पूर्ण क्षमता विकसित कर ली है। उक्त क्षेत्र में पानी को लेकर भयंकर तनाव है, क्षेत्र में भयंकर अकाल है। उक्त पानी को लेकर प्रतिदिन धरना प्रदर्शन होते रहते हैं, प्रशासन के समक्ष कानून व्यवस्था कायम रखने का संकट पैदा हो गया है। अतः मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि रावी व्यास के आधिक्य पानी से 0.17 एम.ए.एफ. पानी (एक्स नागल) राजस्थान को अविलम्ब आबंटित किए जाने की व्यवस्था करें।

(चार) जीवन बीमा निगम अभिकर्ताओं के हितों की संरक्षा करने के लिए बीमा (संशोधन) विधेयक, 2008 की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): महोदया, बीमा एक्ट में संशोधन करने का प्रस्ताव वर्ष 2008 में ही सरकार द्वारा तैयार किया गया था। इस संबंध में लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया इंश्योरेंस एक्ट 1938 (संशोधन) विधेयक-2008 के कुछ सेक्शन्स को विलुप्त करने के संबंध में एक विस्तृत प्रतिवेदन माननीय वित्त मंत्री जी को अक्तूबर, 2009 में अधोहस्ताक्षरी के द्वारा भेजा गया है। उक्त प्रतिवेदन का संक्षिप्त प्रारूप है कि उक्त प्रस्तावित एवं पारित विधेयक में संशोधन होने से देश के करीब 12 लाख एल.आई.सी. एजेंट्स और 13 लाख बीमा अभिकर्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

इस संबंध में श्री डी. स्वरूप, चेयरमेन (पी.एफ.आर.डी.ए.) समिति की रिपोर्ट में उक्त एक्ट के संशोधन में ब्रिटेन के बीमा प्रक्रियाओं के संबंध में उदाहरण पेश किया गया है, जो भारतीय प्रक्रियाओं से भिन्न है। भारत के बीमाकर्ता जमाकर्ताओं के दरवाजे पर जाकर उनके भविष्य की आवश्यकताओं एवं चिंताओं के प्रति जागरूक करते हैं, जो अति कष्ट साध्य कार्य है।

अतः सरकार से आग्रह है कि देश के बीमा अभिकर्ताओं की जीवन रक्षा हेतु आवश्यक और प्रभावी कदम उठाने का कष्ट करें।

(पांच) पश्चिम बंगाल के कोलकाता, सिलिगुड़ी और हावड़ा शहरों में पाइप लाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार (बलूरघाट): भारत सरकार देश के प्रमुख शहरों में पाइपलाइनों के माध्यम से प्राकृतिक

[श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार]

गैस की आपूर्ति कर रही है किंतु पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में इसकी आपूर्ति नहीं की जा रही है जो भारत में सर्वाधिक आबादी वाला महानगर भी है। सिलिगुड़ी और हावड़ा सहित कोलकाता में पी.एन.जी. उपलब्ध कराने के लिए तत्काल पाइपलाइन बिछाई जाए। इसके अतिरिक्त, पी.एन.जी. एल.पी.जी. सिलिंडर से सस्ती भी है।

अपराह्न 12.24 बजे

सांविधिक संकल्प: आवश्यक वस्तु (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2009 (2009 का संख्यांक 9) का निरनुमोदन

और

आवश्यक वस्तु (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक 2009 - *जारी*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण मद संख्या 16 और 17 पर एक साथ विचार किया जाएगा। श्री राजू शेट्टी अपना भाषण जारी रखेंगे।

[हिन्दी]

श्री राजू शेट्टी (हातकंगले): महोदया, कल मैंने बताया कि कृषि मूल्य आयोग एक मजाक बनकर रह गया है। कृषि मूल्य आयोग और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बार-बार न्यूनतम समर्थन मूल्य डिक्लेयर किया, वह लागत मूल्य से भी बहुत ही कम था। मैं आपको बताता हूं कि वर्ष 2005-06 में 79 रुपए 50 पैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य था, वर्ष 2006-07 में उसमें सिर्फ 75 पैसे बढ़ गये और यह 80 रुपए 25 पैसे हो गया। वर्ष 2007-08 में 81 रुपए 18 पैसे हो गया और वर्ष 2008-09 में 81 रुपए 18 पैसे यानि कि वही का वही रहा। वर्ष 2009-10 में 107 रुपए बन गया। वर्ष 2006-07 में जब 80 रुपए 25 पैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य था, रिकवरी बेस जो 8.5 था, उसे बढ़ाकर 9 प्रतिशत किया गया। सन् 2009-10 में जब 107 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य किया गया तो रिकवरी बेस नौ प्रतिशत से साढ़े नौ प्रतिशत हो गया। इससे किसानों को बहुत बड़ा घाटा होता रहा।

अध्यक्ष महोदया, एक दिसम्बर को मंत्री महोदय ने इसी सदन में प्रश्न-काल में उत्तर दिया था कि चीनी मौसम सन् 2009-10 के लिए उचित और लाभकारी मूल्य अखिल भारत औसत उत्पादन और ढुलाई के 86 रुपए 27 पैसे। 86 रुपए 27 पैसे में ढुलाई के 14 रुपए कटवा दें तो भी 72 रुपए 27 पैसे लागत मूल्य होता है।

अध्यक्ष महोदया, मैं यहां दावे के साथ कहता हूं कि 72 रुपए 27 पैसे में देश के किसी भी क्षेत्र एवं राज्य में गन्ना पैदा नहीं हो सकता। कृषि मंत्री जी, किसी इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी और किसान के खेत में 72 रुपए 27 पैसे में एक क्विंटल गन्ना पैदा कर हमें दिखायें। किसान के बाद में समर्थन मूल्य नहीं मांगा है। असल बात यह है कि किसानों का गन्ने का लागत मूल्य कम से कम 170 रुपए है, सालों से लागत मूल्य कम दिखाया गया और इसी साल सन् 2009-10 में पहली बार, सन् 2008-09 में 81 रुपए 18 पैसे था, अचानक 107 रुपए हो गए। जब मिनिमम न्यूनतम समर्थन मूल्य का उचित और लाभकारी मूल्य दिया गया तो वह 129 रुपए 84 पैसे हो गया। अगर लागत मूल्य 170 रुपए हो सकता है तो उचित और लाभकारी मूल्य 129 रुपए 84 पैसे किस तरह से हो सकता है। इन्होंने 129 रुपए 84 पैसे कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में सन् 1982 में एक केस चल रहा था।

[अनुवाद]

ए.आई.आर. 1982 एस.सी. 902 में दिए गए मैसर्स सुखनंदन सरन, दिनेश कुमार बनाम भारत संघ के मामले में अपने निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि:

> "सीमांत किसान संगठित उद्योग के मुकाबले खड़ा होने में असमर्थ हैं। इस कृषि प्रधान समाज में यह बहस करने की जरूरत नहीं है कि छोटी जोत वाले किसानों को अपने थोड़े से कृषि उत्पादों को उचित दर पर बेचने के लिए संरक्षण की जरूरत है।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया, सुप्रीम कोर्ट ने भी यह माना है कि किसान शुगर इंडस्ट्री के आर्गनाइज्ड सैक्टर के खिलाफ संघर्ष नहीं कर सकता। यह जो मिनिमम समर्थन मूल्य रहा, वह पोलिटिकली रहा। सरकार जब चाहती है तब बढ़ा देती है और जब चाहती है तब कम कर देती है। सरकार सभी को खुश करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य डिक्लेयर करती थी, लेकिन राज्य सरकारें इस तरह नहीं कर सकती थीं। वहां के गन्ना उत्पादक किसान और वहां की चीनी मिलों को साथ लेकर, उनके साथ बहस

करके राज्य सरकारें स्टेट एडवायजरी प्राइस डिक्लेयर करती थीं। स्टेट एडवायजरी प्राइस न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा रहता था, इसलिए इसके खिलाफ जब शुगर मिलें कोर्ट में गईं तो कोर्ट ने कहा-

[अनुवाद]

"कमजोर वर्गों की रक्षा के लिए राज्य द्वारा की गई कार्रवाई न केवल न्यायसंगत है अपितु अतिआवश्यक भी है जब तक कि अत्यधिक प्रतिबंध न लगाया जाए।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया, उन्हें यह लगा कि अगर इन छोटे-छोटे और मार्जीनल फॉर्मर्स को राज्य सरकार संरक्षण नहीं देगी, तो उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए स्टेट एडवाइज्ड प्राइस गन्ना उत्पादकों दी जाती थी, जिससे उन्हें न्याय मिलता था। अध्यादेश में जिस सुधार की बात कही गई है, उसके अनुसार एसेंश्यल कमोडिटीज एक्ट में जो 3 (बी) क्लॉज था, उसे हटाने का आश्वासन दिया गया। अगर यह रिम्यूनरेटिव प्राइस है, तो किसी राज्य सरकार ने यदि स्टेट सपोर्टेड प्राइस डिक्लेयर किया, तो वह कोर्ट में नहीं टिकेगा। इसलिए इस बिल का नाम बदलना पड़ेगा और इसे स्टेट्यूटरी मिनीमम फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस किया जाएगा, तभी राज्य सरकारें अपने किसानों के लिए कुछ संरक्षण दे सकती हैं।

महोदया, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक से किसान दिल्ली आकर आंदोलन नहीं कर सकते। दो हफ्ते पहले, दिल्ली में संसद के सामने सड़क पर बहुत आक्रामक रूप से प्रदर्शन किया गया था। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब तो दिल्ली के नजदीक हैं। इसलिए वहां से किसान दिल्ली आ गए क्योंकि उन्हें गन्ने के जो कम दाम मिलते थे, उसके खिलाफ प्रदर्शन किया। राज्य सरकारों का यदि अधिकार छिन गया, तो आगे जाकर राज्य सरकारें किसानों के पीछे नहीं रहेंगी और चीनी मिलें गन्ना उत्पादक किसानों को लूटती रहेंगी। इसलिए आपको इसमें यदि सुधार करना है, तो स्टेट्यूटरी मिनीमम फेयर प्राइस के रूप में बदलाव किया जाए, तभी राज्य सरकारें किसानों को संरक्षण दे पाएंगी।

अध्यक्ष महोदया: अब, आप समाप्त कीजिए।

श्री राजू शेट्टी: अध्यक्ष महोदया, अभी मुझे बहुत कहना है।

अध्यक्ष महोदया: अब आप काफी बोल लिए। कुछ और समय लेकर आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री राजू शेट्टी: अध्यक्ष महोदया यह बहुत महत्वपूर्ण और गन्ना किसानों के जीवन-मरण का प्रश्न है। इसलिए मुझे बोलने दीजिए।

अध्यक्ष महोदया: संक्षेप में कहिए।

श्री राजू शेट्टी: अध्यक्ष महोदया, यदि गन्ना उत्पादकों को इस प्रकार का संरक्षण नहीं मिला, तो वे समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि वहां से गन्ना उत्पादक किसान बार-बार दिल्ली नहीं आ सकते। अगर लागत मूल्य 170 रुपए प्रति क्विंटल से ज्यादा है और यदि उसे फेयर बनाना है, तो लागत मूल्य सही निकालना चाहिए और उसके ऊपर रिम्यूनरेटिव प्राइस देने की नितान्त आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदया, कृषि मंत्री महोदय ने कहा है कि महाराष्ट्र में 230 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गन्ना किसानों को मूल्य मिल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में को-ऑपरेटिव सैक्टर में चीनी मिलें हैं, इसलिए ज्यादा पैसा मिल रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी परिस्थिति नहीं है। महाराष्ट्र में गन्ना उत्पादकों को उनके गन्ने के दाम इसलिए ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि इस साल गन्ने का शॉर्टेज है। महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव चीनी मिल के चेयरमैन क्या कोई गंगा में स्नान कर के और पवित्र होकर आए हैं, इसलिए गन्ना किसानों को ज्यादा मूल्य दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। वे कोई साधु-सन्त नहीं हैं। वे, गन्ना उत्पादकों को इसलिए ज्यादा मूल्य दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर वे शुगर फैक्ट्री में गन्ना क्रशिंग सीजन ज्यादा दिन तक चलाएंगे, तो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा। यदि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो इस साल महंगी चीनी बिकने के बाद, उन्हें ज्यादा पैसा मिलेगा और मुनाफा ज्यादा होगा। इसलिए कॉम्पीटीशन में जाकर वे पैसा ज्यादा दे रहे हैं।

महोदया, मैं आपका ध्यान, दो साल पहले, वर्ष 2007 की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहता हूं कि उस वर्ष देश में गन्ने का एक्सेस प्रोडक्शन हुआ, तब उत्तर प्रदेश के किसान 110 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का दाम ले रहे थे और इसी महाराष्ट्र के को-ऑपरेटिव सैक्टर को गन्ना देने वाले किसान सिर्फ 90 रुपए प्रति क्विंटल में गन्ना दे रहे थे। दो साल में महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव सैक्टर के लोग साधु-सन्त नहीं बन सकते। चूंकि उन्हें मालूम है कि इस साल गन्ने का क्रशिंग ज्यादा करना है, इसलिए वे गन्ने का ज्यादा दाम दे रहे हैं। इसलिए वे ज्यादा दाम दे रहे हैं। अगर न्यूनतम सपोर्ट मूल्य का संरक्षण किसानों का निकाल दिया गया तो दो साल बाद जब गन्ना अतिरिक्त हो जायेगा तो गन्ना उत्पादक किसानों की बहुत बड़ी लूट हो जायेगी।

[श्री राजू शेट्टी]

मैं आपका ध्यान एक और मुद्दे पर आकर्षित करना चाहता हूं। इस अध्यादेश के बाद अब शुगरकेन कंट्रोल ऑर्डर में 5(ए) क्लाज को हटा दिया जायेगा, क्योंकि यह तो फेयर एंड रैम्यूनरेटिव प्राइस है। क्लाज 5(ए) हटने के बाद जहां उत्तर प्रदेश में एक किश्त में सारा पैसा गन्ना उत्पादक किसानों को मिलता है, वहीं गुजरात, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के किसानों को दूसरी किश्त, तीसरी किश्त, इस तरह से किश्तों में पैसा मिलता है। क्योंकि क्लाज 5(ए) के तहत किसानों को उसके गन्ने से जो चीनी तैयार होती है, उससे जो बाई प्रोडक्ट होते हैं, उनके बिकने के बाद उसका हिसाब मिलने का क्लाज है। इस नये अध्यादेश के बाद 5(ए) बिल्कुल हटा दिया जायेगा। खासकर दक्षिण भारत में, जहां चीनी मिलों की रिकवरी ज्यादा होती है, वहां के किसानों को भारी नुकसान होने वाला है। इसकी क्या जरूरत थी?

अभी तो कृषि मंत्री महोदय ने इसी सदन में कहा है कि पूरी दुनिया में जो शुगर इंडस्ट्री चलाते हैं, उसमें गन्ने से जो प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट तैयार होते हैं, उसमें से कम से कम 70 परसेंट पैसा तो गन्ना उत्पादक किसानों को देना पड़ता है। इसी हिसाब से, उन्हीं के तर्क से अगर हम हिसाब करेंगे तो दिन-ब-दिन शुगर इंडस्ट्री में अब बदलाव हो रहा है। अब चीनी इंडस्ट्री में बाई प्रोडक्ट बनते जा रहे हैं, मेन प्रोडक्ट तो और कई हो रहे हैं। चीनी इंडस्ट्री में अब चीनी के साथ-साथ डिस्टीलरीज हुई हैं। डिस्टीलरीज के तहत स्परिट बन रही है, इथेनॉल बन रहा है, एल्कोहल बन रहा है, बिजली बन रही है और बैगास बिक रहा है। इस तरह से मेन प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट के रूप में एक क्विंटल गन्ने से कम से कम 400 रुपये तक चीनी मिलें पैसा कमा रही हैं। उसमें कन्वर्शन कॉस्ट 63 रुपये होती है। बाकी गन्ना उत्पादक किसानों को 200 रुपये दे दो, तो भी बहुत सारा पैसा इस इंडस्ट्री में बचता है। इसी इंडस्ट्री के तहत सैण्ट्रल गवर्नमेंट को बहुत सारा टैक्स मिल रहा है। स्टेट गवर्नमेंट को बहुत सारा टैक्स मिल रहा है। फिर भी आज इस चीनी इंडस्ट्री की तरफ हम गम्भीरता से नहीं देख रहे हैं।

इसमें कहा है कि अब देश की सार्वजनिक वितरण व्यवस्था में जो चीनी उपभोक्ताओं को मिलती है, उसकी शॉर्टेज के कारण हम अब शुगर इंडस्ट्री से 10 प्रतिशत की जगह 20 प्रतिशत लेवी शुगर लेंगे। अगर लेवी का परसेंटेज बढ़ाएंगे तो इसका असर गन्ना उत्पादक किसानों के भाव पर पड़ेगा क्योंकि मिलें अपने घर से तो नहीं देंगी। पिछले दो सालों में सरकार की जो नीति बनी, उसी के कारण इस देश में चीनी की बहुत बड़ी शॉर्टेज बनी है। जब जरूरत थी, उस वक्त तो गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया नहीं, इसलिए गन्ना उत्पादक किसानों ने गन्ना बोना छोड़ दिया और चीनी का प्रोडक्शन कम हो गया। जब चीनी का एक्सपोर्ट बन्द करने की जरूरत थी, उस वक्त सब्सिडी देकर इस देश की चीनी बाहर के देशों में भेजी गई और अब इम्पोर्ट किया जा रहा है। यह भी नहीं देखा गया कि इस देश की खपत क्या है, स्टॉक कितना है और जरूरत कितनी है।

अध्यक्ष महोदया: अब समाप्त करिये।

श्री राजू शेट्टी: मैं दो मिनट में खत्म करूंगा। मैंने प्रधानमंत्री जी को 28 अगस्त को इसके बारे में एक चिट्ठी लिखी थी कि यह सब बहुत गलत तरीके से हो रहा है। नौबत यहां तक आ गई कि जुलाई में हमें चीनी इम्पोर्ट करनी पड़ी। इण्टरनेशनल मार्केट से अगर हम चीनी इम्पोर्ट करेंगे तो वह 30 हजार रुपये प्रति टन से कम में नहीं मिलेगी। इसका मतलब यह है कि इस सबका बोझ उपभोक्ता पर पड़ने वाला है। अगर उसी वक्त गन्ना उत्पादक किसानों के लिए समर्थन मूल्य बढ़ा दिया जाता, तो 25 रुपए प्रति किलो के दाम पर इस देश के उपभोक्ता को चीनी मिल सकती थी। नीतियां गलत होने के कारण एक तरफ गन्ना उत्पादक किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हो गया जबकि दूसरी तरफ ग्राहकों को भी नुकसान हुआ।

महोदया, मुझे एक बात और कहनी है। कृषि मंत्री महोदय कहते हैं कि इस साल 70 लाख टन चीनी इंपोर्ट करने की जरूरत है। मेरा सवाल है कि अगर गन्ना उत्पादक किसानों से बन रही चीनी पर आप दस प्रतिशत की जगह बीस प्रतिशत लेवी बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो चीनी इंपोर्ट होने वाली है, रा-शुगर इंपोर्ट होने वाली है, इस पर आप लेवी क्यों नहीं लेते, उसको चार्ज क्यों नहीं करते हैं? ड्यूटी फ्री रा-शुगर इंपोर्ट हो रही है, उस पर लेवी नहीं है। कृषि मंत्री महोदय यह भी कह रहे हैं कि जो भी रा-शुगर इंपोर्ट होकर आएगी, उसे रिफाइन करने के लिए मिलों को हम सब्सिडी देंगे। एक तरफ आप चीनी मिलों को सब्सिडी दे रहे हैं, महंगे दामों पर चीनी इंपोर्ट हो रही है, लेकिन इस देश में ईमानदारी से जो गन्ना उत्पादन करने वाला किसान है, वह भूखा मर रहा

है। यह गलत है। इसलिए मैं इस अध्यादेश का विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का आपने अवसर दिया है। आर्डिनेंस दिनांक 21 अक्तूबर, 2009 गन्ना किसानों के लिए गन्ना मूल्य निर्धारित करने और उपभोक्ताओं के लिए लेवी चीनी के मूल्य निर्धारण करने से संबंधित है। आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है। इसमें पहले क्लॉज 3(1) के अंतर्गत स्टैच्युटरी मिनिमम प्राइस का उल्लेख था, उसमें संशोधन करके फेयर एंड रेमुनरेटिव प्राइस, एफ.आर.पी., में बदला जा रहा है। इससे गन्ना मूल्य, गन्ना उगाने की लागत के साथ-साथ रिस्क और प्रोफिटेबिलिटी का भी ध्यान रखने की, गन्ना मूल्य निर्धारित करते समय व्यवस्था की गयी है। इसके साथ धारा 3बी भी जोड़ी गयी थी, जिसमें प्रावधान किया गया था कि अगर कोई राज्य एफ.आर.पी. से बढ़कर गन्ना मूल्य निर्धारित करता है, तो उसका जो अंतर होगा, जो बढ़ा हुआ मूल्य होगा, उसके भुगतान की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।

माननीय मंत्री जी ने कल उल्लेख किया था कि यह संशोधन मुख्यतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए रखा गया था, जिसमें केंद्र सरकार के ऊपर 14 हजार करोड़ रुपए के भुगतान की जिम्मेदारी आ गयी थी। इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के द्वारा आंदोलन किया गया, जिसका प्रभाव हमें दिल्ली में भी देखने को मिला। वास्तविकता तो यह है कि गन्ना क्षेत्र निर्धारित करते समय हर साल राज्य सरकार के द्वारा रिजर्वेशन आर्डर जारी किया जाता है। उस रिजर्वेशन आर्डर को हर चीनी मिल स्वीकार करती है और स्वीकार करते ही उन्हें फार्म 'सी' पर दस्तखत करके एग्रीमेंट करना होता है। एग्रीमेंट करनेके बाद राज्य सरकार द्वारा घोषित स्टेट एडवाइज प्राइस एग्रीड प्राइस पर जो समझौता प्राइस है, जो मिल और सहकारी समितियों के बीच होता है, वह लागू हो जाता है, चाहे एस.एम.पी. जो भी हो, चाहे एफ.आर.पी. जो भी हो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 05-05-2004 के द्वारा यह निर्धारित किया जा चुका है कि एस.एम.पी. चाहे जो भी हो, अगर किसी स्टेट के द्वारा एस.ए.पी. निर्धारित है, स्टेट एग्रीड प्राइस उसके द्वारा घोषित की गयी है, तो वही किसानों को देय होगी, एस.एम.पी. नहीं होगी। केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य नहीं दिया जाएगा। यह व्यवस्था आज भी है। क्लॉज 3(ए) द्वारा राज्य सरकार द्वारा एस.ए.पी. (स्टेट एडवाइस प्राइस) घोषित की जाती है। उस धारा को हटाया नहीं गया है, वह लागू है। मैं माननीय कृषि मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। एक भ्रांति फैलाई गई कि केन्द्र सरकार किसान विरोधी है। यह संशोधन किसान विरोधी बिल्कुल नहीं था। यह कहा गया कि राज्य सरकारों के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है कि यदि वे एस.एम.पी., एफ.आर.पी. से बढ़ाकर कोई प्राइस देते हैं, तो उनके अंतर के भुगतान करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। इसका संज्ञान लेते हुए, संवेदनशीलता दिखाते हुए शुगर कंट्रोल आर्डर में जोड़ी गई धारा 3(बी) को वापिस ले लिया गया।

अभी मेरे पूर्व वक्ता इसी धारा 3(बी) के बारे में बता रहे थे जो वापिस ली जा चुकी है, और ऐसी बातें भी बता रहे थे जो आज के संशोधन से कोई ताल्लुक नहीं रखतीं। यह सही है कि एफ.आर.पी., जो पहले एस.एम.पी. था, पूरे हिन्दुस्तान के हर राज्य की परिस्थितियों को देखते हुए वह मूल्य घोषित किया जाता है। उसी शुगरकेन कंट्रोल आर्डर में 3(ए) में यह भी प्रावधान है कि राज्य सरकारें प्रदेश की जैसी परिस्थितियां हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए स्टेट एग्रीड प्राइस लागू करें। उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से पिछले 35 वर्षों में एक साल भी ऐसा नहीं हुआ जब एस.एम.पी. के अनुसार भुगतान किया गया हो। स्टेट एडवाइस प्राइस जो एस.एम.पी. से हमेशा ज्यादा रही है, उसके हिसाब से भुगतान होता रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 5-5-2004 को जो आदेश दिया, उसमें भी स्पष्ट उल्लेख था कि जहां स्टेट द्वारा निर्धारित प्राइस है, अगर वह ज्यादा है, तो गन्ना किसानों को एस.ए.पी. के अनुसार भुगतान किया जाएगा। कौन मना करता है? हर राज्य को चाहिए कि अपने यहां की परिस्थिति देखते हुए, किसानों की मांग को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा मूल्य निर्धारित करे। ऐसा होता रहा है। लोगों को आज भी भ्रमित किया गया और कहा गया कि केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार पर एक बंदिश लगा दी है। क्लॉज 3(ए) वस्तुतः वहां मौजूद रहा, उसे हटाया नहीं गया। एस.एम.पी. की जगह एफ.आर.पी. को लागू किया गया लेकिन धारा 3ए के अधीन राज्य सरकार का अधिकार मौजूद था, उसे हटाया नहीं गया था, लेकिन भ्रांति फैलाई गई कि यू.पी.ए. सरकार ने किसान विरोधी काम किया है। यू.पी.ए. सरकार के ऊपर यह आरोप कभी नहीं लग सकता। यू.पी.ए. सरकार द्वारा पिछले पांच सालों में और अब जो काम किए गए हैं, वे ऐतिहासिक काम हैं, चाहे कर्ज माफी का काम हो। अपने आपको किसानों का नेता कहलाने वाले लोग भी प्रधान मंत्री रहे

[श्री पन्ना लाल पुनिया]

हैं, लेकिन किसी के ध्यान में यह नहीं आया। सोनिया जी के नेतृत्व में, डॉ. मनमोहन सिंह जी की रहनुमाई में यू.पी.ए. सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया। पूरे हिन्दुस्तान में 72 हजार करोड़ रुपये का कर्ज माफ कर दिया गया। इससे साढ़े चार करोड़ किसान परिवारों को लाभ मिला। यह बहुत ऐतिहासिक निर्णय था। उसके साथ भारत निर्माण योजना में जितनी भी योजनाएं हैं, वे ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों को ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु जैसे शहरी क्षेत्रों में सुविधाएं हैं, वे सब सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए भारत निर्माण योजना बनाई गई। पहले किसी ने यह नहीं किया। इंडिया शाइनिंग करते रहे, शहरों की बात करते रहे, बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों की बात करते रहे, लेकिन किसानों के ग्रामीण क्षेत्रों की बात किसी ने नहीं की। अगर वह बात किसी ने की तो मात्र यू.पी.ए. सरकार ने की जिससे ग्रामीण क्षेत्र का विकास और किसानों को आगे बढ़ने का मौका मिला।

राज्य सरकारों को चाहिए कि अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए, क्लॉज 3(ए) का इस्तेमाल करते हुए किसानों को अधिकतम मूल्य दें। इसके साथ ही मैं माननीय कृषि मंत्री जी से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों के प्रति जो दायित्व है, राज्य सरकारें उसका निर्वहन करें। उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर चीनी मिले, आप कृपया यह भी सुनिश्चित कीजिए। आपने क्लॉज 3(बी) हटा दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केन्द्र सरकार के ऊपर भुगतान करने की जो जिम्मेदारी आती है, उसे किस तरह निभाएंगे, आप जवाब देते समय कृपया इस बात का भी उल्लेख कीजिए। आप राज्य सरकार के ऊपर भी अपेक्षा करें, क्योंकि वह निजी चीनी मिलों के लिए तो मूल्य भुगतान हेतु कह देती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के पास 31 चीनी निगम की मिलें हैं, उसके साथ सहकारी समितियों की चीनी मिलें हैं, उनके द्वारा पूरा गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं किया जाता है। अगर भुगतान दे भी दिया जाता है, निर्धारित भी कर दिया जाता है, आदेश भी कर दिये जाते हैं, लेकिन उनकी क्षमता नहीं है कि वे किसान के मूल्यों का भुगतान कर दें। वह भुगतान राज्य सरकार को करना पड़ता है। कभी-कभार दो-तीन साल में एक दफा किसानों को भुगतान करने के लिए इन चीनी मिलों को अनुदान दे दिया जाता है, वर्ना किसानों का बकाया बना रहता है। आप यह भुगतान भी सुनिश्चित करें, क्योंकि मूल्य निर्धारण के बाद यह जरूरी बात है। लेकिन उसके साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करें कि हर हफ्ते किसानों को वास्तव में मूल्य का भुगतान मिल जाये, उपलब्ध हो जाये।

माननीय मंत्री जी का मैं बहुत आभारी हूं कि किसानों के हित में जब पहले स्टेचुटरी मिनियम प्राइस (एल.एम.पी.) कह दिया जाता था, लेकिन आपने एक दूर-दृष्टि अपनाते हुए किसानों के हित में काम करते हुए कहा कि फेयर रैमुनरेटिव प्राइस किसानों को मिले। उनको वैसे ही निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उनकी कॉस्ट, लागत क्या आती है, उसे ध्यान में रखा जाये। उसके साथ-साथ जो किसानों को रिस्क है जैसे बरसात नहीं होती, ज्यादा बारिश हो जाती है, उसमें खेती का नुकसान होता है, तो रिस्क फैक्टर को भी ध्यान में रखा जाये। इसके साथ-साथ प्रॉफेटेबिलिटी, क्योंकि उसमें पूंजी के रूप में जमीन है जिसमें उसकी लागत आती है, इसलिए कुछ प्रॉफेटेबिलिटी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो लागत आये, वह उसे मिल जाये, तो इससे काम चल जायेगा। प्रॉफेटेबिलिटी को भी ध्यान में रखने के लिए जो प्रावधान किया गया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देना चाहूंगा। यह बहुत अच्छा कदम है, अच्छा संशोधन है। इसका मैं समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): आदरणीय सभापति जी, मैं बहुत आभारी हूं कि इस महत्वपूर्ण बिल पर आपने मुझे बोलने का समय दिया।...*(व्यवधान)*

श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद): आदरणीय सभापति नहीं, अध्यक्ष महोदया हैं।...*(व्यवधान)*

श्री राजेन्द्र अग्रवाल: सम्माननीय अध्यक्षा जी, मैं क्षमा याचना करता हूं कि मैंने आपके लिए गलत शब्द का प्रयोग किया है। मैं बहुत आभारी हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर जिसमें खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश के सारे किसानों को बहुत आंदोलित होकर दिल्ली आना पड़ा, उस पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। अभी हमारे माननीय सदस्य जो बात कह रहे थे, उससे ऐसा लगता है कि गन्ना किसानों का जब विषय आता है, तो केन्द्र और प्रदेश सरकार के बीच में फुटबाल की तरह गन्ना किसान को बना दिया जाता है। मेरा सीधा सवाल यह है कि जो लाभकारी और उचित मूल्य घोषित किया गया, उसका आधार क्या था? वह बता रहे हैं कि उसके अंदर सब चीजों का कंसीडरेशन किया गया। उसमें लागत भी सोची गयी, रिस्क भी लिया गया, सारी बातें कंसीडर

करके किया गया है। मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि यदि यह मूल्य इतना लाभकारी और उचित था, तो किसान आंदोलित क्यों हुआ?

माननीया अध्यक्षा जी, किसान अपनी फसल को बच्चे की तरह पालता है। इस मूल्य के घोषित होने के बाद किसान गुस्से के कारण अपनी फसल को फूंकने के लिए मजबूर हुआ। बहुत सारे किसानों ने आत्महत्या की कोशिश की। एक किसान ने मुजफ्फरनगर के अंदर रेल के सामने कटकर अपनी जान दे दी। यह बात ऐसी नहीं है कि मूल्य को आप केवल कागजों में ठीक कर दें। आप उसे आंकड़ों में कुछ बता दें और वह ठीक हो जाये। मंत्रालय ने इस संबंध में जो उत्तर दिया है, मैं उसे यहां बताना चाहता हूं। हालांकि उसका उल्लेख एक प्रकार से हमारे आदरणीय पुनिया जी ने भी किया है कि किस तरीके से अनेक बातों को जोड़कर यह मूल्य आया है। उसमें सात बिन्दु हैं - गन्ने की उत्पादन लागत, वैकल्पिक फसलों से उत्पादकों को लाभ और कृषि जिन्सों के मूल्यों का आम रूझान, उचित मूल्य पर उपभोक्ताओं की चीनी की उपलब्धता, वह मूल्य जिस पर गन्ने से उत्पादित चीनी इसके निर्माताओं द्वारा बेची जाती है, गन्ने से चीनी की रिक्वरी, सहउत्पादन और बाय-प्रोडक्ट्स का दाम और जोखिम और लाभ के कारण गन्ना उत्पादकों के लिए उचित मार्जिन। इस लिखित उत्तर में सात बिन्दु बताये गये हैं। ये निकाला गया है कि यह सब जोड़कर केवल 86 रुपये 27 नये पैसे, जैसे एक-एक पैसे का हिसाब लगाकर इस बात को कहा गया हो। इसके बाद मेहरबानी की गयी है और 50.50 प्रतिशत उस लाभ को बढ़ाकर यह मूल्य 129.84 पैसे हमें बताया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो मूल्य घोषित किया गया है, उसमें लागत का क्या आधार है? मैंने इसके लिए कोशिश की, चार तारीख को एक सवाल पूछा कि इसका ब्रेक-अप दिया जाए। मुझे ऑफिशियली जवाब दिया गया है:

[अनुवाद]

"संसदीय ग्रंथालय में उपलब्ध स्रोतों से कुछ भी संगत जानकारी प्राप्त नहींकी जा सकी। मामले को संगत मंत्रालय को भेजा जा रहा है और जैसे ही हमें यह जानकारी होगी, इसे आपको प्रेषित कर दिया जाएगा।"

[हिन्दी]

यह जवाब मुझे प्राप्त हुआ है लाइब्रेरी से। उनके पास बताने के लिए इसका ब्रेक-अप नहीं है कि कैसे यह प्राइस डिसाइड की गयी। ड्राइंग रूम में बैठकर, एसी रूप में बैठकर, मूल्य को कैलकुलेट कर दिया गया और इसके आधार पर पूरे देश में, प्रदेश सरकारों को भी एक प्रकार से मजबूर किया जाता है कि वे कम दाम दें। मैं इस लागत को जानने के लिए खुद खेतों पर गया हूं, किसान भी मेरे पास आए हैं, मैं उसका थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा कि क्या लागत वास्तव में आज गन्ना किसान को गन्ने के उत्पादन में आती है। इसमें कुल मिलाकर 24 छोटे-मोटे हेडिंग्स हैं, मैं सारे हेडिंग्स नहीं पढ़ूंगा, इसमें समय ज्यादा लग जाएगा। यदि माननीय कृषि मंत्री जी या उनके कोई सहयोगी जानना चाहेंगे, तो मैं जरूर उनको भेज दूंगा क्योंकि शायद उनको फुरसत न हो किसानों के पास, मेड़ों तक जाने की। गन्ने की खेती के लिए एक हेक्टेअर का हिसाब मैं बता रहा हूं। इसमें दो बार हैरो इस्तेमाल करना होता है जुताई के लिए, जिस पर 1920 रुपए खर्चा आता है। टिलर से दो बार जुताई करनी पड़ती है, 1600 रुपए का खर्चा आता है। मैं सारे प्वाइंट्स नहीं बोल रहा हूं क्योंकि इसमें समय ज्यादा लग जाएगा, कुल मिलाकर एक हेक्टेअर खेत में गन्ने का उत्पादन करने के लिए 68160 रुपए की लागत आती है। एक हैक्टेअर में औसत गन्ना उत्पादन 640 क्विंटल है। आप जो लाभकारी और उचित गन्ना मूल्य के रूप में दे रहे हैं, उसमें मैं 16 पैसे और जोड़ देता हूं। अब अगर एक हेक्टेअर में उत्पादन होने वाले गन्ने का मूल्य 130 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएं, तो कुल मिलाकर 83,200 रुपए होते हैं यानि एक हेक्टेअर खेत पर किसान को कुल मुनाफा 14040 रुपए होते हैं। इसमें किसान की अपनी मेहनत और जमीन की कीमत शामिल नहीं है, जो लाभकारी मूल्य में दी जानी चाहिए। हमारे माननीय कृषि मंत्री जी बी.सी.सी.आई. के अध्यक्ष रहे हैं, चौके-छक्कों की वह करोड़ों में कीमत लगाते हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि किसान के पसीने की वह क्या कीमत लगाते हैं?

हमारे अन्नादाता का नसीब देखिए,
उसके महकमे अब कुनबे की वफादारी से बंटते हैं।
किसानों का भला वे दर्द क्या समझे,
जिनके दिन कभी क्रिकेट में कटते हैं,
कभी मुम्बई में कटते हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि यह मूल्य किसी भी प्रकार से उचित नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): महोदया, माननीय सदस्य को शायद यह नहीं मालूम है कि मंत्री जी किसान हैं।...(*व्यवधान*)

श्री राजेन्द्र अग्रवाल: महोदया, मैं प्राथमिकताओं की बात कह रहा हूं। मैं उनके किसान होने पर कोई आपत्ति नहीं कर रहा हूं। वह बहुत योग्य मंत्री हैं, पर मुझे जो कष्ट है, उसे कहने का मुझे अधिकार है।

जिन दिनों, 19-20 तारीख को, गन्ना किसान यहां दिल्ली में आए थे, इन्होंने कहा कि हम गन्ने के मूल्य के बारे में चीनी मिल मालिकों से बात करेंगे। आप चीनी मिल मालिकों से बात करके गन्ना मूल्य तय करना चाहते हैं। ऐसा लगता है जैसे चीनी मिल मालिकों का शोषण गन्ना किसान कर रहे हों। चीनी मिल मालिकों की स्थिति के बारे में मेरे पूर्व वक्ताओं ने विस्तार से बातें कही हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए कहना चाहूंगा कि गन्ने के प्रथम चरण में तीन उत्पाद होते हैं - चीनी, खोई और शीरा। इन तीनों का यदि दाम जोड़ा जाए, तो एक क्विंटल गन्ने से लगभग 424 रुपए आते हैं। जिसमें शीरे और खोई से अनेक बाई-प्रोडक्ट्स बनते हैं। खोई से बिजली पैदा होती है, गत्ता, कागज आदि चीजें बनती हैं।

अपराह्न 1.00 बजे

(**श्री पी.सी. चाको** *पीठासीन हुए*)

शीरे से अल्कोहल बनता है, स्प्रिट बनती है और कुल मिलाकर ऐसे ही 23 बाई-प्रोडक्ट्स बनते हैं। यदि पूरा हिसाब जोड़ा जाए, तो एक क्विंटल गन्ने से चीनी मिल मालिक, जिन्होंने अपनी छोटी-मोटी डिस्टलरी यूनिट, केमिकल फैक्टरी बना रखी हैं, 1100 रुपए कमाते हैं। यह बात ठीक है कि इस सारी प्रोसेसिंग में उनका करीब 700 रुपया खर्चा आता है। कुल मिलाकर एक क्विंटल गन्ने के ऊपर चीनी मिल वालों को 400 रुपए की कमाई होती है। स्थिति यह है कि उसके बाद भी इस प्रकार की बात होती है जैसे कि चीनी मिल वालों का बड़ा भारी शोषण हो रहा है और गन्ना किसान बहुत खुश हैं।

महोदय, मैं मेरठ के पास एक छोटे से कस्बे का रहने वाला हूं। मैंने देखा है कि किस प्रकार से गन्ना किसान गन्ने के आधार पर अपनी वर्ष भर की अर्थव्यवस्था का निर्माण करता है, बजट बनाता है। उसमें चाहे बिटिया की शादी हो, बेटे की शिक्षा हो या छप्पर डालना हो, कुछ भी बात हो। लेकिन इस प्रकार की नीतियों के कारण गन्ना किसान बर्बाद हो रहा है और उस पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है। स्थिति यह है कि गन्ना किसानों ने मौजूदा नीतियों के कारण ही गन्ना पैदा करने की जमीन का रकबा घटा दिया है। मेरठ मंडल में 17 प्रतिशत, सहारनपुर में 22 प्रतिशत, मुरादाबाद में 25 प्रतिशत, इस प्रकार से लगभग 21 प्रतिशत गन्ने का रकबा घट गया है। अगर गन्ना उपलब्ध नहीं होगा तो क्या आप रॉ शूगर द्वारा ही चीनी की आपूर्ति करेंगे, क्या खेल है यह? जिन चीनी मिल मालिकों की आपको बहुत चिंता रहती है, उसके साथ ही साथ आपको गन्ना किसान की भी चिंता करनी चाहिए।

अभी पूनिया जी ने सही बात का उल्लेख किया था। मैं उन्हें उस बात के लिए धन्यवाद देता हूं। हमारे शूगर कंट्रोल आर्डर 1966 के अनुसार चीनी मिल मालिकों को 14 दिन के अंदर गन्ना किसानों को गन्ने का भुगतान करना आवश्यक है, यह मेंडेटरी है। लेकिन आज तक किसी भी चीनी मिल ने निर्धारित 14 दिनों की सीमा के अंदर गन्ना किसान को भुगतान नहीं किया है। अगर 14 दिन के अंदर कोई चीनी मिल वाला गन्ना किसान को भुगतान नहीं करता है, तो उसे निर्धारित अवधि के बाद का ब्याज देना होता है, लेकिन किसी ने भी ब्याज देने की कोशिश नहीं की है। इस तरह देखा जाए तो हकीकत में दुखी गन्ना किसान है, चीनी मिल मालिक तो बहुत खुश हैं। उन्हें करोड़ों, अरबों रुपयों का मुनाफा होता है। मैं यह कहने के लिए माफी चाहता हूं, मैंने तो यह भी सुना है कि वे लोग करोड़ों रुपया तो यूं ही बांट देते हैं।

अंत में एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। माननीय कृषि मंत्री को मैं कहना चाहता हूं कि आपसे पहले चौधरी चरण सिंह जी, बाबू जगजीवन राम जी जैसी विभूतियों ने भी कृषि मंत्री के पद को सुशोभित किया है। आप गन्ना किसानों की पीड़ा को समझें, बल्कि सभी किसानों की पीड़ा को समझें।

कीमत तो खूब लगाई गई दिल्ली में धान की,
लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की।

असलियत यही है। किसान अगर बर्बाद होगा तो देश में सामर्थ्य पैदा नहीं होगा। अगर किसान की जेब में पैसा नहीं होगा, तो देश में कोई अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी। आज दुनिया में मंदी की वजह यह है कि सामान बहुत है, लेकिन खरीदार नहीं है। जब खरीदार होंगे, तब ही अर्थव्यवस्था चल सकेगी। आप गन्ना किसान की जेब में पैसा डालिए।

पिछली सरकार ने किसानों के कर्ज माफ करने के लिए नीति बनाई थी। देश का किसान सम्मान वाला किसान है, वह कर्जा नहीं लेना चाहता और न ही कर्ज माफ कराना चाहता है। अगर उसे उसकी उपज का सही और लाभकारी मूल्य मिले, तो मैं समझता हूं कि कभी उसे कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और न आपको कर्ज माफ करने की जरूरत पड़ेगी। गन्ना किसान को उसकी उपज का सही मूल्य नहीं मिला इसलिए मजबूर होकर उसने दिल्ली की सड़कों पर अपनी आवाज उठाई और संसद पर दस्तक देनी पड़ी। ऐसा न हो, इसके लिए जरूरी है कि सरकार उसे उपज का सही और लाभकारी मूल्य दिलाए।

इतना कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय सभापति जी, आपने मुझे आवश्यक वस्तु (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2009 पर राजू शेट्टी जी द्वारा पेश किए गए सांविधिक संकल्प पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

सभापति महोदय, इस सदन में एक नहीं, कई बार किसानों की समस्याओं पर चर्चा हुई है। खासकर आज देखा जाए तो पूरे देश में करीब 70 फीसदी किसान कृषि पर निर्भर हैं, उनमें से अधिकांश को अपने उत्पाद का वाजिब मूल्य नहीं मिल पाता। इस बारे में कई बार चर्चाएं हुईं, सरकार की तरफ से अनेक घोषणाएं हुईं, कई कार्यक्रम भी लागू किए गए, लेकिन क्या कारण है कि किसान आज आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। जैसा हमारे अग्रवाल जी ने कहा कि यही गन्ना किसान जिन्होंने अपनी खड़ी फसलों में आग लगाने का काम किया, स्युसाइड किया। ये तमाम तरह की बातें हैं जो दक्षिण भारत में ज्यादा हैं लेकिन उत्तर भारत में भी यह समस्या है, जिसकी रिपोर्ट हम यहां तक नहीं पहुंचा पाते हैं न ही आ पाती है।

जहां तक इस संशोधन में 31 अक्तूबर, 2009 को संशोधित करके पथकर लगाने की बात कही गयी है, जिसके दाम निर्धारण के लिए वर्ष 1996-1998 और 1999 में भी कार्रवाई की गयी है। लेकिन जहां तक चीनी पर कर लगाने की बात है, बड़े विस्तार से माननीय शेट्टी साहब और अन्य माननीय सदस्यों ने यहां पर बात उठाई है। यहां पर जो चर्चा हो रही है उस पर हमें यह देखना पड़ेगा कि हमारे जो पूरे देश के गन्ना किसान हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं और गन्ने का उत्पादन ज्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होता है लेकिन उत्तर प्रदेश के अन्य अंचलों में भी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी इसका उत्पादन होता है। लेकिन यहां जो संवैधानिक संकल्प पर चर्चा हो रही है, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो गन्ना किसान हैं, उसे वास्तविक दाम दे पाए, इस बात के लिए सभी सम्माननीय सदस्यों के विचार यहां आये हैं। खासकर चीनी मिलों के लेवी शुगर के बारे में भी यहां पर बात हुई है। संवैधानिक संशोधन विधेयक पर जो आपने कहा है, उसे हमने ध्यान से पढ़ा है। आपने कहा है कि राज्य सरकार गन्ना किसानों के दाम और लेवी-शुगर और खासकर जो कर की बात है उस पर प्रमुख रूप से राज्य सरकार का रोल होता है। यह बात सत्य है कि राज्य सरकार का रोल तो होता है लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को भी इस बात पर ध्यान देना होगा कि हम जब खाद्यान्न की कमी कहकर इम्पोर्ट करते हैं, चाहे चावल हो, गेहूं हो, चीनी हो, जब उसके इम्पोर्ट की बात करते हैं तो दूसरी तरफ हमें यह सोचना पड़ेगा कि हमारे देश में जो उत्पादन होता है, चाहे गन्ने का हो या किसी भी खाद्यान्न वस्तु का हो, उस पर ध्यान देने की जरूरत है कि उसके उत्पादन को हम कैसे बढ़ाएं? जब यूरिया और डी.ए.पी. खाद्य की कमी हुई, तो इसी सदन में उस पर चर्चा हुई। कॉलिंग अटेंशन में भी हमने उस पर चर्चा की। आज किसान दर-दर भटक रहा है, चाहे किसी भी अनाज के उत्पादन की बात हो। वक्त पर न उसे बिजली मिलती है, न खाद्य मिलती है, न उसे बीज मिलता है और इसी सदन में हमने हर साल उस पर चर्चा की है, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्यक्रम हम तय नहीं कर पाए जिससे किसान खुशहाल हो पाये और हमारे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। इस पर गंभीरता से हमें सोचना पड़ेगा।

नॉन-लेवी-शुगर के निर्धारण की भी यहां पर बात हुई है। आपने जो जवाब दिया है, इसे भी हम देख रहे थे। समय-समय पर चीनी मिलों द्वारा जो भुगतान लक्ष्य निर्धारित किया गया था, वह भी कभी पूरा नहीं हुआ। मुझे याद है, माननीय मुलायम सिंह की जब सरकार थी तो जो गन्ना किसानों का बकाया मूल्य था, उसे बड़ी गंभीरता से हमारी सरकार ने निर्धारित किया था। उसका रिजल्ट भी हमें मिला। माननीय कृषि मंत्री जी, आपने इसी सदन में अपने मुख से उत्तर प्रदेश की तारीफ की थी, माननीय मुलायम सिंह जी की तारीफ की थी और कहा था कि हां, चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। क्या कारण है कि अभी जंतर-मंतर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और देश के

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

किसान एकत्रित हुए थे और यहां धरना दिया था। उनकी केवल यही मांग थी कि गन्ना किसानों को वाजिब मूल्य दिया जाए। आपने 130 रुपये दाम निर्धारित किया था और पिछली बार 145 रुपये निर्धारित किया था जबकि गन्ना किसानों की मांग थी कि 250 रुपये से लेकर 300 रुपये प्रति-क्विंटल का दाम उन्हें दिया जाए। हम वह नहीं कर पाए। हम चाहते हैं कि यहां हम इस संकल्प पर बल देते हुए गन्ना किसानों को वाजिब दाम दें और हमें यह भी याद है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे देश में प्रति-एकड़ क्या कृषि जोत है, क्या किसानों की आवश्यकता है? कृषि उपकरण के बीज, खाद्य या उसके उत्पाद के मूल्य निर्धारण का आपके पास पूरा लेखा-जोखा है। जैसा अभी माननीय अग्रवाल जी ने कहा कि यह बात सत्य है कि हम यहां एसी में बैठकर इन चीजों के मूल्य का निर्धारण करते हैं। पांच सितारा होटलों में बैठ कर हम मूल्यों का निर्धारण करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कृषि जगत से जुड़े हैं। आपके पास शुगर मिलें भी हैं। आप किसानों के दर्द को जानते हैं। आपको गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि हम किसानों को प्रति एकड़ जोत पर क्या मूल्य दे सकते हैं, इसके अनुरूप हमें सुविधा मुहैया करानी पड़ेगी, तभी हम भारत के किसान की स्थिति को मजबूत कर सकते हैं।

मैं एक बात और कहूंगा कि 14 हजार करोड़ रुपया मिलों को देने की बात आपने कही है। अगर आप मिलों के बारे में इतना चिंतित हैं, तो इसके साथ-साथ आपको किसानों के लिए भी सोचना चाहिए कि किसान जो भी उत्पादित करे, चाहे गन्ने का उत्पादन हो या किसी दूसरे प्रकार के अनाज का उत्पादन हो, उसे वाजिब मूल्य कैसे मिले। कृषि मंत्री जी, जिस दिन हम किसानों को मजबूत कर देंगे, उस दिन भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था भी सुधर जाएगी और भारतवर्ष विकास करेगा।

इन्हीं बातों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं और इस संविधानिक संकल्प पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही): महोदय, आपने मुझे आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन विधेयक पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। देश में गन्ना किसानों की जो दयनीय स्थिति है, इसका एक नमूना हमें पिछले दिनों दिल्ली में ही देखने को मिला, जब वे आंदोलन करने के लिए दिल्ली में इकट्ठा हुए। उन्होंने प्रदर्शन किया, अनशन किया और उनकी दयनीय स्थिति का स्वरूप देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिला। हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि है। देश में अस्सी प्रतिशत किसान रहता है, जो कृषि पर निर्भर करता है। किसान हमारे देश का अन्नदाता है और देश की अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित करता है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की जो स्थिति है, जो आत्महत्या करने पर मजबूर हुए हैं, उनकी स्थिति की तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। किसान गन्ने का उत्पादन करता है, लेकिन उसकी जो लागत मूल्य है, उससे भी कम मूल्य निर्धारण किया गया है। देहात में ईंधन के रूप में लकड़ी का प्रयोग होता है। उस लकड़ी की कीमत भी गन्ने की कीमत से अधिक है। जिस किसान का पूरा परिवार कृषि पर निर्भर करता है, विशेष रूप से गन्ना किसान, वह आज बहुत दयनीय स्थिति में है। आज जो समर्थन मूल्य रखा है, वह बहुत ही कम है। जो मांग है वह ढाई सौ से तीन सौ के बीच है। आज चीनी का दाम गांवों में भी बढ़ा है। छह महीने के अंतराल में चीनी का रेट 25 रुपए से बढ़ कर 40-45 रुपए किलो हो गया है। आज हर व्यक्ति महंगाई से परेशान है, चाहे वह गांव में रहता हो या शहर में रहता हो। अपनी गाढ़ी कमाई से गरीब आदमी अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पा रहा है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान चीनी की तरफ ले जाना चाहता हूं। चीनी मिलों को आपने व्यवस्था दी है। चीनी से शीरा मिलता है, जिससे एल्कोहल बनता है। खोई है, जिससे कागज व अन्य चीजें बनती हैं। कई प्रकार की वस्तुओं का प्रोडक्शन गन्ने से होता है। मिल मालिक को एक क्विंटल चीनी से साढ़े तीन सौ से लेकर चार सौ रुपए की कमाई हो रही है, लेकिन उस गन्ना किसान को, जो मेहनत मजदूरी करके देर रात तक खेतों में कमाई करता है, उसे उसका वाजिब मूल्य भी नहीं मिल रहा है। आप चीनी के उत्पादन का एक भाग लेवी के रूप में लेते हैं, बाकि शेष भाग खुले मार्केट में बेचने के लिए आपने व्यवस्थित किया है, लेकिन किसान को उसका लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, जिसका परिवार, जिसके बच्चों की पढ़ाई, जिसकी सारी आवश्यकता खेती पर निर्भर करती है। लेकिन उन्हें वह मूल्य नहीं मिल पा रहा है जिसकी वजह से किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। हमारे सहयोगियों ने आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया है और मैं भी इस तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हम गांव के रहने वाले हैं, खेती से हुए हैं लेकिन किसान

अपनी गाढ़ी कमाई के साथ एक तरह से जुआ खेल रहा है।

कल मानसून के बारे में चर्चा हुई है। भारत की खेती विशेष रूप से मानसून पर आधारित है। खेती के लिए सिंचाई की सुविधाएं नहीं हैं, बिजली की सुविधाएं नहीं हैं। किसानों को बुआई के समय खाद और उचित बीज नहीं मिल पाते हैं। इसके बावजूद किसान हर वर्ष जुआ खेलता है, रिस्क लेता है। वह रिस्क लेकर दिन रात खेती करता है और जब उपज का समय आता है, जब उसे उपज का मूल्य मिलना होता है तो समर्थन मूल्य बहुत कम होता है। इसके कारण उसकी रुचि उत्पादन में कम हो रही है और देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है। हम विदेशों से आयात कर रहे हैं क्योंकि हमारा ध्यान अपने देश के किसानों के प्रति उनकी सुविधाओं की तरफ नहीं जा रहा है। हम कब तक आयात करते रहेंगे? हम कब तक विदेशों पर निर्भर रहेंगे? हमारे देश में कुछ समय पहले निर्यात होता था लेकिन आज हम आयात कर रहे हैं। ये परिस्थितियां इसलिए बनीं क्योंकि हम किसानों की सुविधाओं की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर हम समर्थन मूल्य पर ध्यान देंगे तो न आंदोलन होगा और न किसानों को कर्जा लेना पड़ेगा। केंद्रीय सरकार ने पिछले बजट सत्र में कहा कि किसानों का इतना कर्ज माफ कर दिया। मैं कहना चाहता हूं कि कर्ज की स्थिति तब आती है जब किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलता, उत्पादन मूल्य नहीं मिलता, आप लाभकारी मूल्य तो छोड़ दीजिए तब किसान कर्ज में डूब जाता है। आप कितने परसेंट कर्ज माफ कर रहे हैं? गांव में रहने वाला किसान किस तरह से जीवन यापन कर रहा है, यह गांव में रहने वाला व्यक्ति ही जानता है। सरकार कहती है कि किसानों का इतने हजार करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया। आप किसानों को समय पर खाद, बीज दिला दीजिए, समय पर बिजली और पानी की व्यवस्था करा दीजिए, उनको समय पर उपज का मूल्य दिलवा दीजिए क्योंकि यही किसान चाहता है। अगर ये व्यवस्थाएं मिलेंगी तो वह कर्ज क्यों लेगा। अगर वह कर्ज नहीं लेगा तो कर्ज माफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि अगर किसान खुशहाल है तो देश खुशहाल है और हम तभी आयात कम कर सकते हैं। गन्ना किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं क्योंकि उनकी कुछ कठिनाइयां हैं। इसलिए हम आपके माध्यम से माननीय माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि उनकी उपज का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए और उनकी सुविधाओं की ओर ध्यान दिया जाए।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

शेख सैदुल हक (बर्धमान-दुर्गापुर): माननीय सभापति महोदय, इस विधेयक पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि यह विधेयक गन्ना किसानों के हितों के विरुद्ध जाता है। सरकार पहले ही अध्यादेश लागू कर चुकी है और सरकार यह विधेयक अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने तथा इसके लिए संसद का समर्थन प्राप्त करने के लिए ला रही है। वास्तव में, यह विधेयक और कुछ नहीं बल्कि चीनी क्षेत्र को नियंत्रण मुक्त करने के लिए लाया जा रहा है, जो विध्वंसकारी होगा।

यह विधेयक में क्या कहा गया है? इस विधेयक में सांविधिक न्यूनतम मूल्य (एस.एम.पी.) को उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफ.आर.पी.) नामक एक नई श्रेणी द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। सरकार ऐसा क्यों कर रही है? ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया है। वर्तमान में केंद्र सरकार लेवी के रूप में वसूल की गई चीनी के लिए मिलों को क्षतिपूर्ति देती है और लेवी के लिए मूल्य एस.एम.पी. से सम्बद्ध होता है।

अब, कुछ राज्यों में मिलों द्वारा राज्य परामर्शी मूल्य (एस.ए.पी.) का भुगतान किया जाता है और स्वाभाविक रूप से एस.एम.पी. की तुलना में एस.ए.पी. अधिक होता है। मिलों द्वारा मामले को उच्चतम न्यायालय ले जाया गया जिसमें यह कहा गया है कि केंद्र को एस.ए.पी. के आधार पर लेवी मूल्य का भुगतान करना चाहिए। अतः, न्यायालय केंद्र पर विगत बकाया राशि के रूप में 14,000 करोड़ रुपए तथा प्रत्येक आगामी वर्ष 2500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय भार डालने के लिए सहमत हो गई। सरकार ने भुगतान करने की बजाय अब एस.एम.पी. को निरस्त करने तथा इसे एफ.आर.पी. से प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि चीनी मिलों ने काफी समय से गन्ना किसानों के बकाए का भुगतान नहीं किया है और इनमें से कुछ मिलें बंद की जा चुकी हैं। अतः, अगर कोई यह मूल्य पाने के लिए पात्र हैं, तो वह गन्ना उत्पादक हैं, न कि मिल मालिक।

हमें यह तथ्य याद रखना होगा कि वर्ष 2003 से केंद्र ने एस.एम.पी. 80 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया

[शेख सैदुल हक]

है जो कि उत्पादन लागत से काफी कम है। अब केंद्र सरकार ने 129.84 रुपए प्रति क्विंटल का उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफ.आर.पी.) निर्धारित किया है। यह और कुछ नहीं बल्कि एक मजाक है। सरकार क्या कहती है? सरकार यह कहती है कि एफ.आर.पी. में किसानों के लिए गन्ने के उत्पादन तथा इसकी ढुलाई पर उपगत व्यय पर जोखिम तथा लाभ के लिए एक विशेष मार्जिन का प्रावधान किया गया है। यह बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है। दक्षिण में मिलों द्वारा पहले से ही 200 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान किया जा रहा है। यह मूल्य और कुछ नहीं बल्कि किसानों के साथ एक प्रकार का मजाक है। अब केंद्र सरकार किस प्रकार मूल्य निर्धारित करती है? सरकार ने एक पक्षीय रूप से यह मूल्य निर्धारित किया है। इसने किसान संगठनों तथा राज्य सरकारों से परामर्श नहीं किया गया है।

राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफारिश क्या है? डॉ. स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह कहा है कि किसी फसल का समर्थन मूल्य सी 2+50 प्रतिशत मार्जिन, अर्थात् उत्पादन लागत का दुगुना जमा मार्जिन/लाभ के रूप में लागत का 50 प्रतिशत निर्धारित किया जाना चाहिए। अब कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सी.ए.सी.पी.) ने गन्ना की अखिल भारतीय औसत उत्पादन लागत 101.32 रुपए प्रति क्विंटल परिकलित किया है। अगर राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखा जाए तो गन्ने का समर्थन मूल्य 250 रुपए से कम नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, चीनी मिल शराब बनाने वालों के लिए शीरा तथा अन्य उप-उत्पादों का उपयोग कर लाभ अर्जित कर रही है। लेकिन किसानों को उन उप-उत्पादों के लाभ में कोई हिस्सा नहीं मिल रहा है।

एक बात स्पष्ट है कि चीनी की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। इसका किसानों को गन्ने के लिए भुगतान किए गए मूल्य से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि गत वर्ष प्रति क्विंटल 125 रुपए अथवा 130 रुपए का भुगतान किया गया था, लेकिन चीनी की कीमत बढ़कर 40 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। इसका कारण जमाखोरी तथा कालाबाजारी है। यह मुख्य वजह है तथा नव-उदारवादी नीतियों के लिए प्रतिबद्ध यह सरकार नियंत्रण करने में असमर्थ है।

विगत कई वर्षों से गन्ना किसानों के साथ होने वाले सौतेले व्यवहार के कारण किसानों को हाल के वर्षों में गन्ने की खेती छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा है। यह अनुमान लगाया गया है कि गन्ना खेती क्षेत्र वर्ष 2007-08 में पांच मिलियन हेक्टेयर से घटकर वर्ष 2008-09 में 4.38 मिलियन हेक्टेयर हो गया तथा अब वर्ष 2009-10 में यह और घटकर 4.26 मिलियन हेक्टेयर रह गया है। इसके परिणामस्वरूप, हमारे देश में चीनी का उत्पादन भी एक वर्ष में लगभग 30 मिलियन टन से घटकर 15 मिलियन टन रह गया है। अतः, हमें चीनी का आयात करना पड़ता है तथा हमें उस चीनी के लिए अधिक मूल्य का भुगतान करना पड़ता है।

ऐसी स्थिति में विगत वर्षों में मिलों से प्राप्त की गई लेवी चीनी की मात्रा 60-70 प्रतिशत तक के उच्च स्तर पर थी। अब यह घटकर उत्पादन का 10-20 प्रतिशत रह गया है। केंद्र सरकार का यह आश्वासन बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है कि उचित एवं लाभकारी मूल्य बेंचमार्क मूल्य के रूप में कार्य कर सकता है, क्योंकि जैसा कि माननीय मंत्री जी द्वारा बताया गया है कि अगर उचित एवं लाभकारी मूल्य का कोई विधिक आधार नहीं है, तो वैसी स्थिति में किसान अधिक मूल्य के लिए मोल-भाव नहीं कर सकेंगे। 19 नवम्बर को गन्ना उत्पादकों द्वारा किए गए विशाल प्रदर्शनों के बाद सरकार ने एस.ए.पी. के उपबंध को बनाए रखने का आश्वासन दिया है, लेकिन चीनी नियंत्रण आदेश, 1966 के 5(क) को बनाए रखने की मांग अभी भी लंबित है। यह उपबंध क्या कहता है? इस उपबंध में किसानों को मिलों द्वारा अर्जित अतिरिक्त मुनाफे में हिस्से का दावा करने का अधिकार प्रदान किया गया है। अतः, इस उपबंध को निरस्त करना गन्ना किसानों कि हितों के विरुद्ध है। इसके अतिरिक्त, चीनी के उप-उत्पादों को शामिल करना होगा, लेकिन सूची में न तो सह-उत्पादित बिजली और न ही इथनौल का उल्लेख है। सह-उत्पादों से निवल लागतें घटती हैं जिसे लेबी चीनी मूल्य निर्धारित करते समय तथा अतिरिक्त लाभों की गणना करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। किसानों को इन अतिरिक्त लाभों में हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन चीनी उद्योग के उप-उत्पादों को शामिल नहीं कर केंद्र दो तरीके से किसानों का नुकसान कर रही है, प्रथम लेवी मूल्य कम रखने के लिए गन्ने के न्यूनतम मूल्य को कम रखना, तथा, द्वितीय, मिलों की आय के उन साधनों को मान्यता नहीं देना जिन पर किसानों का अधिकार है।

इसके दृष्टिगत, मैं सरकार से आवश्यक वस्तु तथा गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 में निम्नांकित संशोधन लाने का अनुरोध करता हूं। पहला उचित एवं लाभकारी मूल्य

को न्यूनतम समर्थन मूल्य द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। द्वितीयतः, दूसरा, 'उस हद तक' शब्द का लोप किया जाना चाहिए तथा 'खरीद केंद्र से फैक्टरी गेट तक' शब्दों को "खेत से फैक्टरी गेट तक" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। तीसरा, "उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण" के पैरा 7, पृष्ठ 6 में संशोधन। इस पैरा को निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, "एस.एम.पी. तथा एस.ए.पी. की पुरानी प्रणाली जारी रहेगी तथा समर्थन मूल्य 250 रुपए प्रति क्विंटल से कम नहीं होगा।"

गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के पैरा 5क को बनाए रखा जाये ताकि चीनी मिल तथा गन्ना उत्पादक लाभ का सासा कर सकें। गन्ना (नियंत्रण) आदेश 1966 के पैरा 3क को बनाए रखा जाये जिसके अनुसार जब चीनी उत्पादक सुपुर्दगी के 14 दिनों के भीतर खरीदे गए गन्ने का भुगतान करने में विफल रहता है तो उसे 14 दिनों से अधिक के विलंब की अवधि के लिए बकाया राशि पर 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज अदा करना चाहिए।

इसके अलावा, भारत सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम को सख्ती से लागू करते हुए यह कार्रवाई करे जिससे जमाखोर तथा कालाबाजारी करने वाले लाभ नहीं कमा सकें तथा चीनी का मूल्य बहुत अधिक नहीं बढ़े।

श्री नित्यानंद प्रधान (अस्का): सभापति महोदय, जैसा कि हम सभी जानते हैं, गन्ना उत्पादन इस देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है। एक बहस का उत्तर देते हुए एक दिन माननीय मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि गन्ने की खेती के क्षेत्र में प्रति वर्ष गिरावट आ रही है तथा गन्ना उत्पादक अपने उत्पाद का लाभकारी मूल्य नहीं प्राप्त कर रहे हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मैं महसूस करता हूं कि माननीय मंत्री तथा केन्द्र सरकार को गन्ना उत्पादकों तथा किसानों के हितों को देख रहे विभिन्न संगठनों तथा मिल मालिकों के परामर्श से एक राष्ट्रीय गन्ना उत्पादक नीति तैयार करने पर विचार करना चाहिए। यदि सरकार द्वारा गन्ना उत्पादकों के लिए ऐसी दीर्घावधि नीति स्वीकार की जाती है तो इससे न केवल गन्ना उत्पादकों को सहायता मिलेगी वरन् यह राष्ट्रीय हितों को भी संरक्षण प्रदान करेगा। इसके मद्देनजर हम जिन उपायों पर चर्चा कर रहे हैं, वे ज्यादा सहायक नहीं होंगे।

गन्ना उत्पादकों के साथ उनको मिलने वाले लाभकारी मूल्य के मुद्दे पर अवश्य सलाह ली जानी चाहिए तथा तभी सरकार को किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। यहां यह किया जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय के कुछ निर्णयों तथा अन्य बातों का लाभ लेकर वास्तविक उद्देश्यों की उपेक्षा की जा रही है। मूल प्रश्न यह है कि गन्ना उत्पादकों को किस प्रकार उनके उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य मिले।

गन्ने की फसल को बढ़ने में न्यूनतम 13 महीनों की अवधि लगती है जबकि अन्य सभी फसलें चार से छह महीने लेती हैं। इन 13 महीनों में, गन्ना उत्पादक कीटनाशकों तथा खाद के मूल्य में वृद्धि के चलते काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करते हैं। उसे प्रकृति की वीभीषिका का भी सामना करना पड़ता है। भारत में हर जगह प्राकृतिक आपदाओं के कारण अत्यधिक कठिनाई व्याप्त है। गन्ना उत्पादकों को इन सभी का सामना करना पड़ता है। इन सबों पर विचार करने के पश्चात्, केन्द्र सरकार को गन्ने का न्यूनतम मूल्य 2,200 प्रति मैट्रिक टन निर्धारित करना चाहिए।

इसके अलावा, चीनी मिलें जो गन्ना के सह उत्पादों से लाभ कमा रही हैं, उन्हें अपने लाभ को गन्ना उत्पादकों के साथ साझा करना चाहिए।

इसलिए यदि इन सभी चीजों पर विचार किया जाये तो सरकार गन्ना उत्पादकों के बीच विश्वास पैदा कर सकती है जिससे वे इसकी खेती का क्षेत्र बढ़ा सकते हैं। यदि ऐसा नहीं किया जाता है क्योंकि हम इस सदन में या केन्द्र सरकार मूल्य पर निर्णय लेती है तो इससे गन्ना उत्पादकों को कोई सहायता नहीं मिलेगी तथा इसके परिणामस्वरूप गन्ने की खेती में कमी आएगी तथा अन्य देशों से भारी मूल्य पर गन्ने का आयात करना पड़ेगा। अतएव, आपके माध्यम से, मैं माननीय कृषि मंत्री से अनुरोध करूंगा, जोकि इस मामले के विशेषज्ञ हैं, कि वे गन्ना उत्पादकों की दयनीय स्थिति पर विचार करें तथा उन्हें अन्य सुविधाएं प्रदान करने के अलावा इसकी न्यूनतम मूल्य 2,200 रुपए प्रति मीट्रिक टन निर्धारित करें।

श्री एस. सेम्मलई (सलेम): सभापति महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद। हमारी सरकार द्वारा रखे गए कई विधेयकों का स्वागत आल इंडिया अन्ना डी.एम.के. द्वारा किया गया था लेकिन इस बार हम इस विधेयक का स्वागत करने में असमर्थ हैं क्योंकि यह गन्ना उत्पादकों के हितों के लिए घातक होगा। मैं यह समझ पाने में असमर्थ हूं कि अध्यादेश प्रख्यापित करने की हड़बड़ी क्यों थी। अध्यादेश प्रख्यापित करने के लिए कौन सी असाधारण परिस्थिति उत्पन्न हो गई? जब अध्यादेश

[श्री एस. सेम्मलई]

प्रख्यापित किया गया था, तो इससे अध्यादेश की मंशा के विषय में संदेह उत्पन्न हुआ। महान द्रविड़ नेता, अदिग्नार अन्ना ने एक बार कहा था कि सरकार की नीति गरीबों की पीठ थपथपाने तथा अमीरों पर कर लगाने की होनी चाहिए। इस विधेयक के माध्यम से सरकार गरीबों का दोहन कर रही है तथा अमीरों की पीठ थपथपा रही है। निश्चित रूप से, यह विधेयक गन्ना मिल मालिकों के पक्ष में है।

माननीय मंत्री यह कह सकते हैं कि ऐसा उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कारण है। मैं गंभीरतापूर्वक हमारे माननीय मंत्री से पूछता हूं: क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सभी आदेशों को निष्ठापूर्वक क्रियान्वित किया है? पुनः, माननीय मंत्री क्या इसका कारण बता सकते हैं कि मिलों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 10 से 20 प्रतिशत लेवी चीनी में वृद्धि की गई। यह कारण भी अस्वीकार्य है। यदि सरकार फैक्ट्री मालिकों की सहायता करना चाहती, तो वह ऐसा कर सकती है। हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन किसानों के मूल्य पर नहीं। यही मेरा अनुरोध है।

खंड 5(क) का हटाया जाना गन्ना उत्पादकों के लिए घातक है। विधेयक लाने के पूर्व विपक्षी पार्टियों के विचारों पर विचार नहीं किया गया। खंड 5(क) को हटाने से केवल दक्षिणी राज्यों, यथा, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश तथा कर्नाटक के गन्ना उत्पादकों पर प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा। यदि मिलें एक वर्ष में 300 दिनों से ज्यादा चलीं तो औसत वसूली गिर जाती है। यदि लाभ का साझा केवल किया जाये तो गन्ना उत्पादकों को एफ.आर.पी. के ऊपर बढ़ा हुआ मूल्य मिलेगा।

35 वर्षों का अधिकार - जो गन्ना उत्पादकों के पास था, वह खंड 5(क) के हटाने से समाप्त हो गया है। लाभ का साझा किया जाना किसानों का अधिकार है। मिल मालिक लाभ कमा रहे हैं तथा सह उत्पादों के माध्यम से पुनरीक्षा कर रहे हैं। यह उत्पादों का कच्चा माल किसानों की परिसंपत्ति है। अतएव, वे अपना हिस्से का उचित दावा कर रहे हैं। खंड 5(क) के हटाए जाने से, किसानों को कोई संविधिक संरक्षण प्राप्त नहीं रहा। अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। माननीय कृषि मंत्री के प्रति हमारे दिल में अत्यधिक आदर भाव है यदि वह यह सोचते हैं कि वह इस विधेयक के प्रावधानों में संशोधन या समुचित परिवर्तन कर सकते हैं।

और मेरे आदरणीय नेता, ए.डी.एम.के. के महासचिव, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बारंबार जोर दे रहे हैं कि गन्ना उत्पादकों को 2,000 रुपये प्रति टन दिया जाना चाहिए। इसका कारण है कि एफ.आर.पी. और एस.ए.पी. के अन्तर्गत निर्धारित मूल्य कृषकों के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए सरकार, मूल्य बढ़ाने और इसे 2000 रुपये प्रति टन निर्धारित करने की कृषकों की लंबे समय से की जा रही मांग पर कृपया विचार करे। हमें सरकार से यही आशा है।

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे एक अत्यंत लोक महत्व के विधेयक पर चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी है। मैं बहुत देर से अपने सभी माननीय सदस्यों की बात सुन रहा था। किसानों की चिन्ता सभी को है, चाहे वह सत्ता पक्ष या प्रतिपक्ष के लोग हों, निश्चित तौर से सभी लोगों के मन में उनके प्रति दर्द एवं मर्म है। सभी की इच्छा है कि किसानों को उनका उचित और लाभप्रद मूल्य मिले। आज उससे भी महत्वपूर्ण सवाल यह है कि पूरे देश में एक तरफ चीनी के उत्पादन की कमी की बात की गई है तो स्वाभाविक है कि अगर चीनी का उत्पादन कम हो रहा है तो उसके पीछे कहीं न कहीं कारण यह है कि पूरे देश का किसान जो गन्ने की खेती करता है, उसका तीन साल का निरंतर एक साइकिल होता है। वह एक साल जो गन्ने का उत्पादन करता है, वह सर्वाधिक अधिक होता है, फिर जब उस गन्ने का उसे उचित मूल्य या उसकी मार्केटिंग या मिलों में पिराई करने की क्षमता से अतिरिक्त उत्पादन हो जाता है तो फिर किसान निराश होकर अगले साल गन्ने की खेती कम करता है और उस कम की स्थिति के बाद यह होता है कि उस साल उसे ठीक मूल्य मिल जाता है, लेकिन फिर तीसरे साल किसानों का गन्ने का उत्पादन इतना कम होता है कि चीनी का उत्पादन भी कम होता है और निश्चित तौर से किसानों को फिर लाभ नहीं मिलता है। कृषि मंत्री जी खुद एक किसान हैं, उन्हें इस बात के लिए नये सिरे से प्रयास करना होगा कि राज्य सरकारें किसी भी उत्पाद की, उद्योग से निकली हुई उत्पाद की मार्केटिंग की सुनिश्चितता रहती है, लेकिन क्या किसान ही एक है, जिसके उत्पाद की सुनिश्चितता न हो। अगर किसान का उत्पाद है तो वह इस बात पर निर्भर करता है कि उसे केन यूनियन सोसायटी से गन्ने की पर्चियां मिलेंगी, तभी वह अपने गन्ने की आपूर्ति चीनी

मिलों को कर सकता है या उसकी पिराई सुनिश्चित हो सकती है, अन्यथा उस गन्ने की पिराई के लिए उसे कोल्हू या खांडसारी में जाना पड़ेगा। आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां निर्मित हो गई हैं कि किसानों को वहां पर एक ऐसे बिचौलियों का सामना करना पड़ रहा है, गन्ना माफिया औने-पौने दामों पर किसानों का गन्ना खरीद रहे हैं।

सभापति महोदय, आज जो विधेयक आया है, यह मूलतः उस अध्यादेश को लेकर आया है जो सुप्रीम कोर्ट के परिप्रेक्ष्य में थ्री जजेज के बैंच का फैसला हुआ, जिसमें 14 हजार रुपए का अंतर मूल्य जैसा बोझ आ रहा था, जिसका पुनिया जी ने उल्लेख किया, ये उस थ्री बी का संशोधन है। निश्चित तौर से थ्री बी का तो संशोधन हो रहा है, लेकिन थ्री ए उस समय भी था और आज भी इस विधेयक में है, जिसे कि राज्य सरकारों को स्टेट एडवायजरी प्राइस, जो राज्य परामर्शदात्री मूल्य है, वह निर्धारित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। अभी हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि आज ऐसा लग रहा है कि यह जो केन्द्र के द्वारा फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस निर्धारित हुआ है, लगता है कि राज्यों या देश के किसानों का मूल्य है। अगर यह लगातार फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस है तो इसके पहले यह एम.एस.पी. थी और जब एम.एस.पी. की दरें निर्धारित होती थीं, जो एक बैंच मार्क मूल्य होता था कि देश में केन्द्र सरकारें चाहे किसी की रही हों, वे निर्धारित करती थीं कि देश के किसी राज्य में चीनी मिलों के द्वारा किसी से कम गन्ना मूल्य नहीं मिलेगा। यह राज्य की जिम्मेदारी होती थी और उसके सापेक्ष और परिप्रेक्ष्य में फिर राज्य सरकारें अपने स्टेट एडवायजरी प्राइस तय करती थीं। अगर आज एक कोर्ट के फैसले में एम.एस.पी. की जगह पर फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस हो गया तो आज भी कहां राज्य सरकारों के द्वारा गन्ना मूल्य को, जो लाभप्रद है, उसे दिलाने में कौन आड़े आ रहा है?

सभापति महोदय, आज भी जैसे कि महाराष्ट्र की बात हुई, वहां 230 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने के दाम मिल रहे हैं, हरियाणा में 225 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहे हैं। उत्तरांचल और पंजाब में भी मिल रहे हैं। आज तमाम राज्यों में, उत्तर प्रदेश को छोड़कर, गन्ना मूल्य 200 रुपए प्रति क्विंटल से ऊपर मिल रहा है। जब स्टेट एडवाइजरी बोर्ड की प्राइस देने का अधिकार फिर राज्य सरकार के हाथ में निहित हो गया, तो वहां 165 या 170 रुपए प्रति क्विंटल राज्य सरकार ने गन्ने का मूल्य निर्धारित किया है। मैं श्री पन्ना लाल पुनिया जी से इस बात में सहमत हूं कि जब गन्ने का रिजर्वेशन, यानी केन रिजर्वेशन, राज्य सरकार के हाथ में है, चीनी मिलों की गन्ने की कितनी आवश्यकता है, उनकी पिराई क्षमता कितनी है, उनकी क्रशिंग क्षमता कितनी है, गन्ने की आपूर्ति का रिजर्वेशन राज्य सरकार देगी और राज्य सरकार, मिल मालिकों को, किसान प्रतिनिधियों को, किसानों के बीच में बैठकर केन का रिजर्वेशन करती है और केन रिजर्वेशन से ही मिलों को गन्ने की आपूर्ति होती है, तो इस प्रकार निश्चित तौर से कोई चीनी मिल मालिक राज्य सरकार के उन फैसलों से अलग नहीं हो सकता। जब आप केन रिजर्वेशन करते हैं, उसी समय आप गन्ना मूल्य भी निर्धारित करते हैं और फॉर्म 'सी' पर हस्ताक्षर भी होते हैं कि आप गन्ना मूल्य देंगे, तो आज इसके बावजूद भी जब यह संशोधन हो गया, उसके बाद भी, उत्तर प्रदेश सरकार का बयान आया कि हमारे प्रदेश के मंडलायुक्त चीनी मिलों से कहकर गन्ने के मूल्य दिलाएंगे, तो भी आज वहां गन्ना किसानों को 200 रुपए प्रति क्विंटल का मूल्य भी नहीं मिल रहा है। 15 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने की बात हुई, फिर 10 रुपए बोनस देने की बात की गई। इसलिए मुझे इसे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जब स्टेट एडवाइजरी प्राइस से गन्ना मूल्य निर्धारित करने का दायित्व राज्य सरकारों का हो गया, तो राज्य नहीं देंगे। लोगों ने कहा कि किसानों को आना पड़ा और उन्हें आन्दोलन करना पड़ा।

महोदय, मैं तो केन्द्र सरकार और कृषि मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि आज अगर किसान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के परिप्रेक्ष्य में दिल्ली आए, तो जिस दिन आए, उसी दिन केन्द्र सरकार ने उस फैसले पर पुनर्विचार करने का निर्णय लिया और केवल निर्णय ही नहीं लिया, बल्कि यह कह दिया कि हम जिस अध्यादेश को लाए हैं, उसमें तत्काल संशोधन करेंगे और आज विधेयक के रूप में उसे लाया गया है। केन्द्र सरकार ने कोई जिद या कोई हठ नहीं की, जबकि वह केवल एक बैंच मार्क प्राइस थी और उसकी जिम्मेदारी भी राज्य सरकारों पर थी। उसे संशोधित करने का फैसला केन्द्र सरकार ने कर लिया। इतिहास क्या कहता है, जब किसानों ने राज्य में गन्ने का मूल्य मांगा, उन्होंने दिन-रात मेहनत करके, साल भर की कमाई, जाड़े में ठिठुरते हुए या गर्मी की धूप में तपते हुए, जो अपना उत्पाद किया और अपना गन्ना तैयार किया और उसे बैलगाड़ी और ट्रैक्टर पर लाद कर 24-24 घंटे मिल के परिसर में खड़े रहने के बाद, उसे दिया और उस गन्ने की कीमत लेने के लिए

[श्री जगदम्बिका पाल]

तत्काल नहीं, बरसों केन यूनियनों और मिलों के चक्कर लगाने पड़े। हमारे माननीय सदस्य राजू जी कह रहे थे कि किसानों को आन्दोलन करना पड़ा और अब वे आत्महत्या करने के लिए वे मजबूर हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि एक दिन में फैसला बदल गया। आजादी के बाद, कभी निहत्थे किसानों पर, गन्ना मूल्य मांगते हुए, अपने गन्ने की कीमत मांगते हुए, कभी गोली चली, तो वह उत्तर प्रदेश के पडरौना में चली, रामटोला में चली और वह तब चली है, जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार थी। बेनी प्रसाद जी ने मुंडरवा, ठीक कहा, हर्षवर्धन जी कि मुंडरवा में भी गोली चली। उस समय बहुजन समाजवादी पार्टी और भाजपा की मिलीजुली सरकार थी।...*(व्यवधान)*

महोदय, मैं विधेयक पर ही बोल रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं विधेयक से बाहर जा रहा हूं। जब आप कहेंगे कि किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है, तो मैं कहूंगा कि इस अध्यादेश के आने के बाद ऐसा एक भी कहीं उदाहरण नहीं मिला। अगर आप इसका जिक्र करेंगे, तो कम से कम मैं इस बात को कहूंगा कि इस आदेश से तो किसी किसान ने आत्महत्या नहीं की है, लेकिन उत्तर प्रदेश में किसानों ने अपने गन्ना मूल्य को मांगने के लिए अपनी छाती पर गोलियां खाई हैं, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज अगर चीनी की कमी हुई, तो यह नहीं कि होर्डिंग करने वाले और ब्लैक मार्कीटियर्स को मुनाफा मिले या वे मनमाने दामों पर बेचें। आज अगर चीनी के उत्पादन में कमी आई है, तो उस चीनी की आवश्यकता की प्रतिपूर्ति के लिए निश्चित तौर से गन्ने का रकबा पिछले सालों में कम हुआ है और अगले साल बढ़ेगा, लेकिन आज इस साल चीनी का उत्पादन निश्चित तौर से मांग के अनुरूप कम है। ऐसा माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि हमें 70 लाख टन चीनी और मंगानी पड़ेगी, लेकिन आज केन्द्र सरकार ने जहां देखा कि चीनी की कमी है, देश के किसानों और जनता को चीनी की आवश्यकता है, तो ओ.जी.एल. में तत्काल जीरो ड्यूटी पर इम्पोर्ट करने की इजाजत दी।...*(व्यवधान)* आप मंगा लीजिए। वह तो एक प्रक्रिया है, लेकिन आज राज्य, जीरो इम्पोर्ट ड्यूटी पर शुगर इम्पोर्ट कर सकते हैं। आपको नहीं मालूम, तमाम जगह रॉ शुगर आई है। तमाम जगह पर चीनी आई। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री ने कहा कि जो मिलों में बाहर से रॉ शुगर आ गई है, उसको हम वापस करते हैं। उनके तुगलकी फैसले से उन्होंने उसे वापस करने का निर्णय ले लिया। वे जनता की आवश्यकताओं को दृष्टि में नहीं रख रही हैं कि इस देश के लोगों की क्या आवश्यकता है।

आज आपने पढ़ा होगा कि दिल्ली में भी जो 12.5 प्रतिशत इम्पोर्ट ड्यूटी थी, वह खत्म कर दी गई, जिससे कि लोगों को चीनी की जो कमी है, उसे पूरा किया जा सके। आज जैसे प्रति हैक्टेयर उत्पादन की बात हो रही है कि आज गन्ने के उत्पादन में कमी आ रही है। उस गन्ने के उत्पादन में कमी के कारण क्या हैं? जहां एक तरफ यह है तो निश्चित तौर से दूसरी तरफ यह भी है कि जो उनको प्रगतिशील प्रजातियां मिलनी चाहिए, जो गन्ने के बीज का उत्पाद मिलना चाहिए। आज प्रदेशों के राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में क्या हो रहा है कि कोई नये गन्ने की प्रजातियां नहीं आ रही हैं। आज किसानों का जब क्षेत्रफल कम हो रहा है तो जरूरत इस बात की है कि हम उत्पादन अधिक बढ़ायें। प्रति हैक्टेयर हमारा प्रोडक्शन अधिक हो, इसके लिए निश्चित तौर से राज्य सरकारों को चिन्ता करनी पड़ेगी।

अगर आज गन्ना मूल्य में संशोधन की बात हुई तो मैं समझता हूं कि इस संशोधन के बाद अगर 225 रुपया दिलाना है या 250 रुपया, जैसा हमारे बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने कहा, आज जिन राज्यों में जिसकी सरकार है, फिर गन्ना मूल्य को निर्धारित करने का, स्टेट एडवाइजरी प्राइस और गन्ना मूल्य के केन रिजर्वेशन के साथ मिल मालिकों से उस मूल्य को दिलाने का जो दायित्व है, अब वह राज्य सरकारों का है। अब हम कैसे केन्द्र सरकार से इस समय 250 रुपये की मांग कर सकते हैं। अगर हमने इस संशोधन को न किया होता तो कोई अपेक्षा होती।

शुगरकेन कंट्रोल एक्ट की बात की गई कि 14 दिन में पेमेण्ट होना चाहिए। हम लोग लगातार 28 सालों तक उत्तर प्रदेश की विधान सभा में इस बात की मांग करते रहे।...*(व्यवधान)* गन्ने की पैदावार भी निरन्तर घट रही है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसकी भी चिन्ता करनी चाहिए, लेकिन आज 14 दिन में गन्ना मूल्य का भुगतान होना चाहिए, मेंडेटरी शुगरकेन कंट्रोल एक्ट के अन्तर्गत भुगतान कराने की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार की होगी। एक तरफ संघीय ढांचे की बात की जाती है, एक तरफ राज्य सरकार के द्वारा किसानों के हित की रक्षा की बात की जाती है, लेकिन अगर वास्तविक रूप से किसानों के हितों की अगर बात की जा रही है तो आज उनके गन्ना

मूल्य का भुगतान अगर वे मिल मालिक नहीं कर रहे हैं तो उस पर ब्याज दिलाने की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार की है। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर से आज इस देश में, जिस तरीके से हमारे पिछले वक्ताओं ने कहा, किसानों के ही दृष्टिगत कोई फैसला किया जाना चाहिए। आज किसानों के हक-हकूक की हिफाजत के लिए यह संशोधन विधेयक लाया गया है, जिसका सभी ने स्वागत किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो उचित और लाभप्रद मूल्य मिलने की बात है, यह निश्चित तौर से किसानों को मिलेगा। इसमें जो राज्य सरकारें हैं, उन राज्य सरकारों को अधिक उत्पादन के लिए भी आगे प्रयास करना होगा और उसे शुगरकेन कंट्रोल एक्ट कहो या रिजर्वेशन के आधार पर, किसानों के हक-हकूक की हिफाजत राज्य सरकारें करेंगी।

आज बहुत सी चीनी मिलें बन्द हो गई हैं। आज इसकी चिन्ता नहीं है कि आज हमारे उत्तर प्रदेश में कोऑपरेटिव की चीनी मिलें बन्द हैं, शुगर फैडरेशन की चीनी मिलें बन्द हैं। जब हम लोगों की सरकार थी, अगर कोई प्राइवेट चीनी मिल भी बन्द हो जाती थी तो उस समय हम लोग उन चीनी मिलों का अधिग्रहण करते थे। हम केवल व्यापार नहीं करते थे। हम वैलफेयर स्टेट की तरह से, एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अन्तर्गत राज्य के किसानों के हितों की रक्षा के लिए, उनके हितों पर कोई कुठाराघात नहीं हो, इसलिए हम निजी चीनी मिलों का अधिग्रहण करके उत्तर प्रदेश सहकारी संघ में या उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम के अन्तर्गत उन चीनी मिलों को चलाने का प्रयास करते थे। आज जैसा पूनिया जी ने कहा कि 22 चीनी मिलें आज भी बन्द पड़ी हुई हैं। आखिर किसानों के सामने निश्चित तौर से एक समस्या खड़ी होगी कि जहां पेराई सत्र शुरू हुए डेढ़ महीने से ऊपर हो गया और यही समय है, जब गन्ने में रिकवरी अच्छी आती है। जो चीनी का पड़ता पड़ता है, वह अच्छा होता है। जब गर्मी बढ़नी शुरू होगी, फिर मार्च, अप्रैल, मई के बाद जहां आज अगर 10, 11 या 12 परसेंट रिकवरी है, तब वह 8-9 परसेंट हो जाती है और जब चीनी के पड़ते में कमी आयेगी तो निश्चित तौर से फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और तभी उसमें घाटा भी होगा। आज अगर मिलें नहीं चल रही हैं तो मैं तो यह भी मांग करूंगा कि हमारे कृषि मंत्री जी राज्य सरकारों को निर्देशित करें या उन्हें सुझाव दें कि कम से कम वे सभी चीनी मिलें चलाई जायें। उन चीनी मिलों के द्वारा इस स्टेचुटरी एडवाइजरी प्राइस पर जिस तरह से महाराष्ट्र में, हरियाणा में और अन्य राज्यों में किसानों को गन्ने का मूल्य दिया जा रहा है, वही मूल्य हमारे उत्तर प्रदेश में भी दिया जाए और वह किसानों के हित अनुकूल रहे, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): सभापति महोदय, इस पर लंबी चर्चा चली है और माननीय सदस्यों ने अपने विचारों को रखा है। मैं कुछ नयी बात सरकार के सामने रखना चाहता हूं। माननीय शरद पवार जी इस पर गंभीरता से चिंतन करने का काम करें। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह कृषि मंत्री तो हैं, लेकिन उपभोक्ता मंत्रालय के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, कृषि मंत्रालय पर इनका ध्यान कम रहता है। उस पर ज्यादा ध्यान दें, तो इस देश के किसानों का भला हो जाएगा।

मैं यह कहना चाहूंगा कि सात केस, इस संबंध में न्यायालय में दायर किए गए। चीनी मिल-मालिकों की तरफ से सात केस दायर किए गए, लेकिन उसमें न कोई किसान गया, न कोई किसान का प्रतिनिधि गया, न हमारी तरफ से कोई बोलने गया, न सरकार की तरफ से किसान के संबंध में या हित में कोई एफिडेविट पड़ा। एकतरफा निर्णय अदालत से हो जाएगा, उसमें किसान को बुलाया ही नहीं गया, तो मेरे हित की रक्षा किसने की? क्या उसमें महेंद्र सिंह टिकैत को बुलाया गया, क्या उसमें चौधरी अजीत सिंह को बुलाया गया, क्या उसमें हुक्मदेव नारायण यादव को बुलाया गया, क्या उसमें किसी किसान नेता को जो इस देश के हैं, उनको पार्टी बनाया गया? अगर किसी चीनी मिल मालिक ने किसी किसान नेता को पार्टी नहीं बनाया, तो बिना हमको पार्टी बनाए हुए, हमारे संबंध में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय किया, उस निर्णय को मानने के लिए हम बाध्य नहीं हैं, क्योंकि हम उसमें पार्टी नहीं हैं। एकतरफा निर्णय हुआ और एकतरफा चीनी मिल-मालिक और सरकार के जवाब पर, निर्णय हो गया। तीन बार इसमें अब तक संशोधन हो चुका है। मैं भी उस एरिया से आता हूं, बिहार में भी 11-12 चीनी मिलें बंद हैं। रैय्याम, सकरी और लोहट दस किलोमीटर के अंदर ये तीन चीनी मिलें हैं, जिन्हें दरभंगा महाराज ने बनाया था, बाद में सरकार ने उन्हें टेक-ओवर किया। आज तीनों मृत पड़ी हुई हैं। जहां कभी किसानों के दरवाजे पर बड़े-बड़े हाथी जैसे बैल होते थे, आज उस किसान की गधा रखने की भी औकात नहीं रह गयी है। वहां इतनी निर्धनता और दरिद्रता आ गयी है। जिनके घर में नोटों की वर्षा होती रहती थी, गन्ना नहीं होने के कारण उनके घर के बच्चे छठ और दीपावली के अवसर पर नये वस्त्र नहीं ले सकते हैं।

[श्री हुक्मदेव नारायण यादव]

किसानों की यह हालत वहां तीन चीनी मिलों के बंद होने के कारण है।

जगदंबिका पाल जी इस संबंध में बोल रहे थे। श्रीमान, तीन तरह के किसान हैं। एक है असली किसान, दूसरा है राजनैतिक किसान और तीसरा है बुद्धि विलासी किसान। असली किसान जो खेती करता है, जाड़े में, गर्मी में, धूप में, शीत में, जलता है, ठिठुरता है, गलता है, उत्पादन में बाल-बच्चों समेत लगा रहता है, वह असली किसान है। एक है राजनीतिक किसान, जो हम लोग हैं। जगदंबिका पाल जी बोल रहे थे, किसानों के दुख, तकलीफ सबकी चर्चा कर रहे थे, लेकिन वे सरकार की नीति का समर्थन करते हैं। ये ऐसे भोजन करने वाले हैं, दाल खट्टी है, मिठाई बासी है, दूध फटा है, लेकिन भोजन कराने वाले का जयजयकार करते हैं कि वह भोजन करवा रहे हैं। इस तरह की जो राजनीतिक किसानी करने वाले लोग हैं, वह कभी किसान का भला नहीं कर सकते हैं। आपसे मैं विनम्र प्रार्थना करूंगा कि चीनी और गन्ने के बीच में एक नीति निर्धारित हो, हमारे गन्ने की कीमत आप कृषि आयोग बैठाकर तय करेंगे, उसमें कोई किसान प्रतिनिधि नहीं है, वह एकतरफा कीमत तय करेगा। किसान आयोग जब कीमत तय करता है, तो उसमें हमारा परिश्रम, हमारे बच्चों का परिश्रम, हमारी निगरानी, रात-दिन हम काम में लगे रहते हैं, उस पक्ष को किसान आयोग कभी नहीं देखता है।

यशवंत सिन्हा जी जब वित्त मंत्री थे, उन्होंने बजट बनाने के पहले किसानों के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया था, मैं भी उसमें गया था और वहां उद्योगपति और किसान दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनको उन्होंने सुनने का काम किया था। सरकार का फर्ज है कि वह ऐसा करे, क्योंकि कृषि आयोग में जब तक किसान का प्रतिनिधि नहीं होगा, तब तक किसान की बात कौन सुनेगा? हमारे हित की बात कौन करेगा? एकतरफा बात होती है, बड़े-बड़े बाबू लोग हैं, कोट वाले, पैंट वाले, टाई वाले, टोप वाले, सूट वाले, गिटपिट बोलने वाले, कांटा चम्मच से खाने वाले, पंचसितारा होटल में विश्राम करने वाले, वह हमारे किसानों के हित की बात सोचते हैं। का दुख जाने दुखिया, का दुख जाने दुखिया माय, जाके पैर न फटे बिवाई, सो का जाने पीर पराई। वह क्या हमारे दुख को जानेंगे? इसलिए उसमें किसान के प्रतिनिधि को रखा जाए।

महोदय, एक बात मैं आपके सामने उठाना चाहता हूं। इन्होंने तीन बातों का जिक्र किया है। जोखिम और लाभ की बात कही है। किसान से ज्यादा जोखिम कौन उठाता है? मिल वाले क्या जोखिम उठाते हैं। वे मिल के लिए कर्ज लेंगे, बैंक से लोन लेंगे। उससे लोन लेकर मुम्बई, कोलकाता में, बड़े-बड़े शहरों में अपना मकान बनाएंगे, रैस्ट हाउस, गैस्ट हाउस बनाएंगे। मिल बंद हो जाएगी तो उसे सिक डिक्लेयर करेंगे, सरकार टेक-ओवर करेगी, हम बीमार मिल को चलाएंगे और सरकार उन्हें मार कर शमशान घाट पहुंचा देगी। मिल वाले तो सब तो ले लेंगे लेकिन हमें क्या मिलेगा। यदि उनकी मिल बंद हो जाती है तो बी.आई.एफ.आर. से पैसा देते हैं। आप शुगर डैवलपमैंट फंड से पैसा देते हैं। यदि हमारे गन्ने का खेत मर गया, गन्ना पैदा होना बंद हो गया, तो क्या हमारे लिए बी.आई.एफ.आर. है? हमारे लिए शुगर डैवलपमैंट फंड है? अगर सुगर डैवलपमैंट फंड है तो शुगरकेन फार्मर्स डैवलपमैंट फंड कहां है। हमें वह भी क्यों नहीं दिया जाता। अगर इस पर विचार किया जाए तो हम समझेंगे कि यह सर्वांगीण है और इस पर सरकार विचार करती है। इसकी एक नीति बनाइए। जोखिम और लाभ - हमारे जोखिम को देखिए और हमारे लाभ को भी देखिए। उचित और लाभकारी कीमत - हम आज तक लाभकारी कीमत के लिए लड़ते हैं। हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं चाहिए। आप न्यूनतम समर्थन मूल्य देते हैं। अगर धान, गेहूं का मिनिमम सपोर्ट प्राइस देते हैं, तो हम धान कहीं भी बेचेंगे, गेहूं कहीं भी बेचेंगे, लेकिन यदि आप गन्ने का मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे, तो हम गन्ना मिल के अलावा कहां बेचने जाएंगे। क्या गाड़ी पर, ठेले पर लादकर दिल्ली की सड़क पर घूम-घूमकर कहेंगे कि गन्ना ले लो, गन्ना ले लो, गन्ना ले लो? क्या गन्ने के मिनिमम सपोर्ट प्राइस से अधिक कीमत हमें बाजार में कहीं मिलेगी जहां जाकर हम उसे बेच सकते हैं? इसलिए गन्ने का मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं, सरकार एक बार गन्ने की लाभकारी कीमत तय करे। उसमें सरकार बैठे, एक्सपर्ट बैठें, किसान का प्रतिनिधि बैठे, इकोनॉमिक एडवाइजर बैठें। मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के जो सबसे बड़े अर्थशास्त्री हों, सरकार के अनुग्रह, अनुदान पर पलने वाले प्लानिंग कमीशन के अर्थशास्त्री और विद्वान हों, चाहे कृषि मंत्रालय के हों या वित्त मंत्रालय के हों, कहीं बिठाइए, हुक्मदेव नारायण यादव, एक साधारण किसान, उनके सामने बात करूंगा और उन्हें नील डाउन करवा दूंगा कि आप हमारी समस्या को जानते हैं या नहीं। तब तथ्य और सत्य सामने आएगा। इसीलिए उस पर विचार किया जाए।

न्यूनतम कीमत क्या होगी? क्या आप चीनी की न्यूनतम कीमत तय करेंगे? यदि आप हमारे गन्ने की न्यूनतम कीमत तय करें, तो कृषि मूल्य आयोग चीनी की न्यूनतम कीमत भी तय करे। वह हमारे सामने बैठे। जो उद्योग में पैदा होगा, उसकी कीमत तय नहीं होगी। हम 35 रुपये किलो खरीदें, यह कहां का न्याय है। हम अपना गन्ना न्यूनतम कीमत पर बेचें और बेटी के विवाह में, बाप के श्राद्ध में, गणेश पूजा में, छट व्रत में महंगी चीनी खरीदें। अगर आप हमारी चीनी लेते हैं तो 20 प्रतिशत लेवी प्राइस पर चीनी किसान को दे दीजिए। हम अपनी चीनी बेच लेंगे, अपना पैसा निकाल लेंगे। यह तय करना चाहिए कि यह किस आधार पर हो।

पंडित जवाहर लाल नेहरू जी के समय में रफी अहमद किदवई कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने कहा था - जितने रुपये मन चीनी, उतने आता मन गन्ना। उस समय 32 रुपये मन चीनी थी और गन्ने का भाव दो रुपये मन था। अगर आज उस आधार पर तय करेंगे, तो 35 रुपये किलो चीनी है, उसके हिसाब से कम से कम 245, ढाई सौ रुपये रुपये क्विंटल गन्ने का भाव होता है। रिकवरी के हिसाब से एक नीति बनाइए कि गन्ने में औसत रूप से जितने प्रतिशत रिकवरी होगी, गन्ने की कीमत उसी प्रतिशत के हिसाब से दी जाएगी। अगर औसत रूप से 10 प्रतिशत रिकवरी है और 35 रुपये किलो भाव है, तो 10 प्रतिशत के हिसाब से गन्ने की कीमत तय कर दीजिए। हम कोर्ट में क्यों जाएंगे। आप लेवी चीनी लेते हैं। लेवी चीनी का रंग एक ही है। क्या उसके दो रंग हैं? आप लेवी चीनी लेते हैं और फिर वही चीनी ब्लैक मार्किट में उचित कीमत पर नहीं बल्कि महंगी कीमत पर बिकती है। आप लेवी चीनी और फ्री चीनी, दोनों के रंग में फर्क कर दीजिए। डॉ. लोहिया कहा करते थे कि लेवी चीनी को रंगीन बना दीजिए कि अगर वह ब्लैक में जाएगी तो चोर पकड़ा जाएगा। लेकिन दोनों चीनी सफेद हैं। वही लेवी है, वही फ्री है। इसमें से उसमें मिलाइए, उसमें से इसमें मिलाइए, ब्लैक मार्किट में बेचकर खाइए, किसान का गला कटवाइए। इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप लेवी क्यों नहीं हटा देते। लेवी हटाइए। आप कहते हैं कि हम गरीब आदमी को बी.पी.एल. कार्ड के अंतर्गत लेवी चीनी देंगे। मेरी प्रार्थना है कि उस लेवी चीनी पर आप प्रति यूनिट जितनी चीनी देते हैं, उसकी पांच सौ, एक हजार, दो हजार, तीन हजार, जितनी डिफरैंस मनी होती है, एक रेट तय कीजिए।

अपराह्न 14.00 बजे

सरकार हर बी.पी.एल. परिवार के नाम पर बैंक में खाता खोल दे और डेढ़-दो या तीन हजार रुपया नगद उसके खाते में डाल दे। आप मार्केट को फ्री कर दीजिए। हम बाजार की कीमत पर खरीद लेंगे। इस तरह कहीं ब्लैकमार्केटिंग नहीं होगी और मेरा हिस्सा भी कोई नहीं खायेगा। आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि हमारे साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए।

अंत में, मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप एक नीति तय कीजिए, तब कीमत निर्धारण कीजिए। चौधरी चरण सिंह इस देश के बड़े किसान नेता हुए थे। पहले तम्बाकू पर एक्साइज ड्यूटी लगती थी। चौधरी चरण सिंह जब वित्त मंत्री थे, तब उन्होंने कहा कि तम्बाकू पर से एक्साइज ड्यूटी खत्म करो। उस समय बड़े-बड़े अफसर आये और उन्होंने कहा कि एक्साइज ड्यूटी खत्म करने से नुकसान होगा। चौधरी चरण सिंह जी ने कहा कि उद्योगपति उद्योग लगाता है, उसका मन करे तो वह कपड़ा बनाये, दवा बनाये, जूता बनाये या बर्तन बनाये। उसी तरह किसान का अपना खेत है, उसका मन करे, तो वह गन्ना पैदा करे, तम्बाकू पैदा करे या मिर्च पैदा करे। तुम लोग तम्बाकू पर टैक्स क्यों लगाओगे? आज तक तम्बाकू उत्पादक किसान एक्साइज ड्यूटी से फ्री हैं। एक नेता वह था जिसकी ऐसी दृष्टि थी। आप हमारे गन्ने पर नियंत्रण लगाते हो।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रिजर्व एरिया में कोल्हू से गुड़ नहीं बना सकते थे, उन्होंने उसे फ्री कर दिया। अब किसान की मर्जी है कि वह गुड़ बनाये या न बनाये। इसी तरह चीनी मिल लगाने पर 20 किलोमीटर का प्रतिबंध था, उसे कम करके 15 किलोमीटर किया गया। जो मिनी शुगर मिल है, उसे शिफ्ट करने का आदेश नहीं था, उस बारे में उन्होंने कहा कि यह उनकी मर्जी है कि वह चीनी मिल को जहां कहीं भी ले जाये। यह एक किसान की दृष्टि है और एक उद्योगपति की दृष्टि चीनी मिल मालिकों के फायदे के लिए, शुगर लॉबी के दबाव में, चीनी मिल मालिकों और उद्योगपतियों के हित की रक्षा के लिए है। ऐसा क्यों है? यह इसलिए है, क्योंकि जो चीनी मिल मालिक हैं, उनकी यूनियन चुनाव के समय एक बार में ही मोटा रुपया चुनाव फंड में दे सकता है, लेकिन अगर हमें कोई लाभ दे देंगे, तो हम दस-पांच रुपया किसान से वसूल करके किस पार्टी को कहां चंदा पहुंचायेंगे? चौधरी चरण सिंह जब जाते

[श्री हुक्मदेव नारायण यादव]

थे, तो किसान उनकी थैली में पांच-दस या बीस रुपये डाल देते थे। इसलिए हम मारे जाते हैं, गन्ना उत्पादक मारे जाते हैं। यहां चीनी उत्पादकों की लॉबी है। उनके लिए एस.डी.एफ. है, उनके लिए बहुत सारे फंड्स हैं। आप उन्हें सहायता आदि सब कुछ देते हैं।

अंत में, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जय प्रकाश के आंदोलन में हम लोग इस देश के किसानों, नौजवानों को कहते थे-

लाख-लाख झोंपड़ियों में छायी हुई उदासी है,
सत्ता सम्पद के बंगले में हंसती पूर्णमासी है,
यह सब अब न चलने देंगे, हमने कसमें खाई हैं,
तिलक लगाने तुम्हें जवानों, क्रांति द्वार पर आई है।

मैं आज इस सदन से कहना चाहूंगा कि-

आओ श्रमिक, कृषक, मजदूरों, इंकलाब का नारा दो,
शिक्षक, गुरूजन, बुद्धिजीवियों, अनुभव भरा सहारा दो,
फिर देखें यह सत्ता कितनी बर्बर और बौराई है,
तिलक लगना तुम्हें किसानों, क्रांति द्वार पर आयी है।

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू (श्रीपेरुम्बुदूर): सभापति महोदय, डी.एम.के. की ओर से मैं आवश्यक वस्तु (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2009 का समर्थन करता हूं। बड़ी मुश्किल से और डी.एम.के. तथा अन्य दलों द्वारा बार-बार मनुहार के बाद सरकार एस.ए.पी. की पुनर्बहाली पर राजी हुई है। इसके लिए, सामान्यतया अन्य दलों तथा विशेष तौर पर डी.एम.के. की ओर से मैं माननीय कृषि मंत्री, जो भारतीय राजनीति के अनुभवी राजनेता हैं, को धन्यवाद करता हूं।

अपराह्न 2.04 बजे

(श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना *पीठासीन हुए)*

जब हम इस विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं, बारह राज्यों के 299 जिले भारी सूखे का सामना कर रहे हैं। उन्हें पहले ही सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। 526 जिलों में से 311 जिलों में महज छिटपुट और अपर्याप्त बारिश हुई है। साथ ही, उत्तर भारत, पश्चिमोत्तर भारत और मध्य भारत में अपर्याप्त बारिश हुई है।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में गन्ने का उत्पादन 6.7 प्रतिशत कम होगा। इसका अर्थ क्या है? जब गन्ने का उत्पादन कम हो रहा है तो मूल्य पर दबाव होगा। माननीय कृषि मंत्री को दोहरी भूमिका निभानी पड़ेगी। उन्हें एक भूमिका में यह देखना है कि उपभोक्ता चीनी किफायती मूल्यों पर प्राप्त करें तथा गन्ना उत्पादकों को भी उचित प्रतिपूरक कीमत मिलनी चाहिए। इसलिए उन्हें दोनों के बीच संतुलन बनाना है तथा यह देखना है कि इन दोनों समुदायों पर ही कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

महोदय, प्रत्येक वर्ष भारत सरकार सांविधिक न्यूनतम मूल्य (एस.एम.पी.) की घोषणा किया करती है। राज्य सरकार राज्य परामर्शी मूल्य (एस.ए.पी.) की घोषणा करती है। अब एस.एम.पी. के स्थान पर तीसरा मूल्य आ गया है और वह है एफ.आर.पी.। इसलिए, वैधानिक न्यूनतम मूल्य के स्थान पर, इस विधेयक के पारित होने के बाद उचित और प्रतिपूरक मूल्य अंगीकार किया जा रहा है। कई राज्य जैसे तमिलनाडु एस.ए.पी. की घोषणा एस.एम.पी. से ज्यादा करते हैं।

2005-06 में भारत सरकार ने एस.एम.पी. कितना घोषित किया था? यह 795 रुपये प्रति टन था और अब 2009-10 में यह 1077 रुपया प्रति टन है। 2005-06 में तमिलनाडु द्वारा घोषित एस.ए.पी. 1,019 रुपये था, 2009-10 में तमिलनाडु सरकार द्वारा घोषित एस.ए.पी. 1550 रुपये प्रति टन है। कृपया अन्तर पर गौर करें। भारत सरकार ने चार वर्ष के भीतर अपना एस.एम.पी. बढ़ाया और बढ़ोतरी महज प्रति टन 282.60 रुपये रही। पर तमिलनाडु सरकार ने चार वर्षों में 536 रुपये प्रति टन के स्तर तक मूल्यों में वृद्धि की। राज्य सरकार ने इस मसले पर साझीदारों के साथ चर्चा की और समुचित रूप से भारत सरकार की दर से अधिक करने का निर्णय किया इसलिए दबाव के कारण भारत सरकार उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच में रेखा नहीं रख पायी। मैं तमिलनाडु सरकार को महज उदाहरण के तौर पर ले रहा हूं। इसलिए तमिलनाडु सरकार द्वारा बढ़ाये गये मूल्य का एक परिणाम यह रहा कि उत्पादकों ने अधिक गन्ने का उत्पादन किया। तमिलनाडु में 2005-06 में गन्ने का उत्पादन 351 लाख टन था जबकि 2006-07 में यह 411 लाख टन हो गया। इसलिए 2005-06 के 351 लाख टन से 2006-07 में 411 लाख टन तथा 2007-08 में 382 लाख टन उत्पादन हुआ। 2005-06 के आंकड़े से तुलना करने पर यह बढ़ोतरी 30 लाख टन से ज्यादा है।

तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री डॉ. कलाईगर करुणानिधि द्वारा दिए गए प्रोत्साहन के कारण ऐसा हुआ। मैं अपने मित्र में दोष नहीं ढूंढ रहा। मुझे इससे इंकार नहीं कि उन्हें भी कई सारी समस्याएं हो रही हैं। साथ ही हम एफ.आर.पी. की घोषणा का स्वागत करते हैं। यह न्यायालय के निर्णय के कारण हुआ है और उन्हें मिल मालिकों को 14 हजार करोड़ रुपये अदा करने हैं, वे यह देखने के लिए आगे आए कि इस विधेयक में संशोधन हो और न्यायालय के सामने यह कहते हुए जाएं कि हमने इस विधेयक में संशोधन कर दिया है तथा इसके पश्चात् उचित और प्रतिपूरक मूल्य दिया जाएगा। यही बात वह न्यायालय के समक्ष कहने जा रहे हैं।

मेरी केवल यही आशंका है। मेरे जैसे अन्य कई मित्रों द्वारा मनाने के बाद मेरे मित्र ने उचित निर्णय लिया है। वह अपने सभी विधिक महानुभावों के साथ तर्क करते जा रहे थे। उनका तर्क है कि गन्ना नियंत्रण आदेश, 1996 के खंड 5क द्वारा जिन घटकों का ध्यान रखा जा रहा था उनका ध्यान इस एफ.आर.पी. द्वारा भी रखा जा रहा है। मेरा अभी भी यह मानना है कि यह कोई समस्या नहीं है। गरीब किसान चीनी मिल मालिकों के बारे में आशंकित हैं। उनका यह कहना है कि खंड 5क होने के बावजूद मिल मालिक उन्हें धोखा देते रहे, उन्हें गन्ने का उचित और लाभप्रद मूल्य नहीं मिला। अब, खंड 5क के बिना कृषकों के पास मोलभाव करने की शक्ति कहां से आएगी? वे इसे खो देंगे। यदि खंड 5क रहेगा तो ये शक्ति भी रहेगी ताकि राज्य सरकार और गन्ना उत्पादक मिल मालिकों पर निश्चित रूप से दबाव बना सकें कि उन्हें उचित और लाभप्रद मूल्य दिया जाए। किंतु ऐसा नहीं हो रहा है। अतः मैं अपने मित्र और मंत्री जी को यह सुझाव देना चाहता हूं कि वे इस विधेयक को पारित करा दें। फिर कोई समस्या नहीं होगी। लगभग सारी सभा आपके साथ है। किंतु इसके साथ-साथ आपको एक कानून भी बनाना होगा ताकि मिल मालिक गन्ना उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य प्रदान करें। उन्हें 15 दिनों के भीतर भुगतान किया जाए। मैं यह दोहराता हूं कि वे 15 दिनों के भीतर गन्ना उत्पादकों को उनके उत्पाद के लिए भुगतान कर दें। यह बहुत महत्वपूर्ण है।

इसके साथ-साथ, मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरे मित्र राष्ट्रीय कृषक आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों पर विचार क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय कृषक आयोग गन्ना उत्पादकों का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है। मंत्री जी, आप राष्ट्रीय कृषक आयोग द्वारा सुझाई गई दर पर विचार क्यों नहीं कर रहे हैं? महोदय, मैं समझता हूं कि उत्तर देते समय आप इस मुद्दे पर एक सही, और स्पष्ट उत्तर देंगे।

अपनी बात समाप्त करने से पहले, मेरी यह मांग है कि उन्हें गन्ना नियंत्रण आदेश, 1966 से खंड 5क को हटाने से बचना चाहिए...*(व्यवधान)* मैं दोहराता हूं कि उन्हें गन्ना नियंत्रण आदेश, 1966 से खंड 5क को हटाने से अपने को रोकना चाहिए अथवा उन्हें एक उचित नियम या तंत्र उपलब्ध कराना चाहिए ताकि गन्ना उत्पादकों को एक सही, उचित और लाभप्रद मूल्य मिल सके जो उन्हें अपने गन्ना सह-उत्पाद का भी लाभ बांटने का अधिकार प्रदान करेगा।

मेरा दूसरी मांग है कि वे वर्तमान व्यवस्था की जगह राष्ट्रीय कृषक आयोग की सिफारिशों के अनुसार एक लाभप्रद मूल्य निर्धारित करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री प्रबोध पांडा (मिदनापुर): माननीय सभापति महोदय, मैं विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

हम हाल ही में दिल्ली में बड़ी संख्या में किसानों और गन्ना किसानों के एकत्र होने के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक वस्तु (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। हाल ही में न केवल हजारों बल्कि लाखों किसान राजधानी में एकत्र हुए थे। वे प्रधानमंत्री से मिले। वे हमारे मंत्री से भी मिले...*(व्यवधान)* माननीय मंत्री जी, कृपया मेरी बात सुनिए। यह आशा थी कि अपने उत्तर में वे न केवल सभा में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देंगे अपितु बड़ी संख्या में किसानों के राजधानी में एकत्र होने के बारे में भी जवाब देंगे।

परम्परा क्या है? परम्परा यह है कि प्रत्येक चीनी मिल को अपने आस-पड़ोस में एक कमान क्षेत्र आवंटित किया जाता है और मिल उस क्षेत्र में उगाए गए गन्ने को खरीदने के लिए बाध्य है। गन्ना किसान से भी उसी मिल को गन्ना बेचने की आशा की जाती है और मिल राज्य परामर्शी मूल्य या सांविधिक न्यूनतम मूल्य से ऊंची कीमत पर गन्ना खरीदती थी। ऐसी परम्परा है।

अब, सांविधिक न्यूनतम मूल्य को उचित और लाभप्रद मूल्य से प्रतिस्थापित किया गया है। मैं नहीं जानता हूं कि यह कितना उचित और लाभप्रद है। जब किसान यह महसूस करता है कि एस.ए.पी. लाभप्रद नहीं है तो फिर

[श्री प्रबोध पांडा]

केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित एफ.आर.पी. को किस प्रकार उचित और लाभप्रद माना जा सकता है? मैं एस.एम.पी. और एस.ए.पी. के बीच अंतर और उससे संबंधित आंकड़ों पर विस्तार से बात नहीं करना चाहता हूं। सरकार इस मूल्य को जो भी लाभ दे किंतु वह इसे उचित और लाभप्रद न कहे। यह और कुछ नहीं एक मजाक है।

हम उच्चतम न्यायालय के आदेश के बारे में बातें कर रहे हैं? वह क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि लेवी चीनी के मूल्य को गन्ना नियंत्रण आदेश, 1966 की धारा 5क में यथानिर्दिष्ट अतिरिक्त मूल्य से बाहर रखा जाए जिसे भार्गव फार्मूला के नाम से जाना जाता है और एस.ए.पी. राज्य सरकारों द्वारा नियत किया जाता है। यह आशा थी कि केन्द्र सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अनुपालन करेगी। किंतु क्या किया गया, उन्होंने केवल धारा 5(क) और दूसरी अनुसूचि को हटा दिया। फिर उन्होंने धारा 3(ख) को जोड़ दिया जिसके लिए यह अपेक्षित है कि यदि राज्य सरकारें एस.ए.पी. का एफ.आर.पी. से ज्यादा मूल्य निर्धारित करती है तो वे बढ़ी हुई लागत को वहन करेंगी। केवल यही नहीं, इसे भूतलक्ष्मी प्रभाव से भी लागू किया जाएगा। अतः धारा 5(क) को हटाना और धारा 3(ख) को जोड़ना किसानों के हितों के विरुद्ध है।

चीनी मिल मालिकों के बारे में कई बातें कही गई हैं। अब लेवी को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया गया है और शेष 80 प्रतिशत चीनी बाजार में जाएगी। अतः इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। दूसरी ओर, उन्हें एस.ए.पी. से अधिक कीमत देने से छूट दी गई है। अतः मेरा यह कहना है कि सभी राज्य किसानों के हित के विरुद्ध काम कर रहे हैं और वे उन आंदोलनकारी किसानों की मांग पर ध्यान नहीं दे रहे हैं जो दो सप्ताह पूर्व राजधानी में एकत्र हुए थे।

हम लाभप्रद मूल्य के बारे में बात कर रहे हैं। कई माननीय सदस्यों ने डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय कृषक आयोग की रिपोर्ट का उल्लेख किया है। स्वामीनाथन आयोग की क्या सिफारिशें हैं? उनकी सिफारिश यह है कि कृषि लागत और 50 प्रतिशत लाभ के आधार पर सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाए।

इस पर आज तक तवज्जो नहीं दी गई है। स्वामीनाथन आयोग की दूसरी सिफारिश है कि खरीद मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य एकसमान न हों। न्यूनतम समर्थन मूल्य न्यूनतम है किंतु खरीद मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य के समान नहीं होना चाहिए।

माननीय बालू जी ने यह मुद्दा उठाया है कि यह सरकार स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों का पालन क्यों नहीं कर रही है? मैं भी यह प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं माननीय मंत्री श्री शरद पवार जी का बहुत आदर करता हूं। मैं समझता हूं कि वे इन सभी बातों का उत्तर देंगे। वे हमें संतुष्ट करेंगे और कम से कम दिल्ली में आयोजित विशाल रैली के बारे में भी उत्तर देंगे। यह आशा है कि सरकार उनके हित में कुछ सोचेगी, यह भी आशा है कि प्रधानमंत्री स्वयं भी उनके हितों के बारे में सोचेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं पुरजोर इस विधेयक का विरोध करता हूं और समझता हूं कि सरकार किसानों के हित में इस पर विचार करेगी।

[हिन्दी]

श्रीमती जयाप्रदा (रामपुर): सभापति महोदय, मैं आपकी बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर अपने विचार सदन में रखने का अवसर प्रदान किया है। मैं मंत्री जी का बहुत सम्मान करती हूं और उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में जो गन्ना किसान हैं, जिनके विषय पर हम सदन में चर्चा कर रहे हैं, उनको फायदा मिलेगा। हमारे देश के 70 प्रतिशत लोग कृषि क्षेत्र पर निर्भर हैं। जब-जब किसानों को परेशानी होती है, तब-तब हम सदन में उनकी आवाज उठाते हैं। हुक्म यादव जी ने जैसा कहा है कि तीन तरह के किसान हैं। पहला किसान बहुत गरीब से गरीब किसान है। दूसरा किसान राजनीति का किसान है। तीसरा किसान अमीर किसान है। मैं किस श्रेणी में अपने किसान को बिठाऊं, यह मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जब से मैं राजनीति में आई हूं और लोकसभा सदस्य बनी हूं, तब से मैं बहुत नजदीक से किसान की पीड़ा को देखती हूं। सदन में हमने हर बार किसानों से संबंधित सभी मुद्दों को उठाया है, चाहे आन्ध्र प्रदेश के किसान हों, चाहे महाराष्ट्र के किसान हों या तमिलनाडु के किसान हों या उत्तर प्रदेश के किसान हों। किसानों को हर साल प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ता है। कभी बारिश ज्यादा होने पर, कभी बारिश कम होने पर या कभी तूफान आने पर किसान सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। किसान आसमान की तरफ देखता रहता है कि कहीं से दो बूंद पानी वर्षा हो जाए और उसकी उपज पैदा हो सके। उपज के बाद, जब किसान फसल बेचने के लिए बाजार जाता है, तो उसे पता चलता है कि

उसका लागत मूल्य भी उसे नहीं मिल पा रहा है। उस वक्त उसका, उसके परिवार का क्या हाल होता है, यह मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूं। किसान उम्मीद रखता है कि जब अपनी फसल या गन्ना बेचने के बाद अपने बच्चों की अच्छी परवरिश या शादी भी न कर पाए, तो उसकी मानसिक हालत को मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूं। आज मैं यही बताना चाहती हूं कि हम इस बिल को सदन में प्रस्तुत करके विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, इससे मैं समझ सकती हूं कि नीति और नीयत के बीच में राजनीति चल रही है। भारत के किसान दिल्ली के जंतर-मंतर में इकट्ठा हो कर धरना देकर अपनी बात रखने के लिए मजबूर हुए। अगर यू.पी.ए. सरकार किसानों द्वारा उत्पादन के मूल्य के लिए पहले ही सोच लेती, तो यह नौबत नहीं आती।

मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश की ओर ले जाना चाहती हूं। मैं बताना चाहती हूं जब मुलायम सिंह जी की सरकार थी तब ऐसी ही नौबत आई थी तब उन्होंने किसानों के कर्ज को निरस्त किया था। मैं बताना चाहती हूं कि राज्य सरकार, किसानों और मिल मालिकों के बीच कैसे समझौता हो सकता है। मंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि कभी आपने गन्ना किसानों को बुलाकर बात की? क्या उनकी समस्याओं का समाधान किया? फार्मर्स की उपज के लिए जो प्राइस डिसाइड होता है, क्या आपने उस बारे में उनको बिठाकर निर्णय लिया? क्या निर्णय राज्य सरकार ने लेना है? वह कैसे ले सकती है क्योंकि राज्य सरकार और मिल मालिकों के दाम का फासला बहुत अधिक है, बहुत अंतर है। इससे किसे नुकसान हो रहा है? जो बाधाएं आ रही हैं, वे केवल किसान के लिए आ रही हैं। आज चीनी कम हो रही है और इससे भारत देश को क्या नुकसान होने वाला है, यह आपको मालूम है। आप एक तरफ चीनी इम्पोर्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ गन्ने का मूल्य देने के लिए तैयार नहीं हैं। गन्ना किसानों को पूछने वाला कौन है? मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूं कि अभी भी हमारे पास समय है। मुझे उम्मीद है क्योंकि आपने नेतृत्व में कई बार किसानों को न्याय दिलाने की कोशिश की गई है। मुझे आज भी उम्मीद है कि आप किसानों को न्याय दिलाने में पीछे नहीं हटेंगे। आपने प्राइस तय किया है लेकिन आप बाकी स्टेट्स के प्राइस को भी देख लीजिए कि इसमें कितना अंतर है। उत्तर प्रदेश के किसान नुकसान उठा रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश के उन किसानों की बात कह रही हूं। इतना कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसी भी क्षेत्र में किसी राज्य में नहीं है। मैं आज अपील करना चाहती हूं कि किसान को बिचौलियों से बचाने का एक ही उपाय है और वह है मूल्य को बढ़ाना। वे जिस सपोर्ट प्राइस की अपील कर रहे हैं, आपको तत्काल उस पर विचार करना चाहिए।

मैं आपसे एक और बात कहना चाहती हूं यहां लेवी शुगर की बात हो रही है। मैं पूछना चाहती हूं आप इसमें क्या सपोर्ट कर रहे हैं? इसमें कोई सपोर्ट नहीं हो रहा है। एक ही बात हो सकती है कि हम मिल मालिकों से प्राइस डिसकस करें और यह राज्य सरकार की अनुमति से हो जाए। इस तरह से यह कैसे होगा? आप अधिकारियों को बुलाइए, फार्मर्स एसोसिएशन को बुलाइए और दोनों में समझौता कराइए और एक प्राइस डिसकस कीजिए। अपने मूल्य को इनके मूल्य से बढ़ाइए और इनको दिलाइए। मैं उम्मीद करती हूं कि इस सदन में गन्ना किसानों की परेशानी को समझ कर उन्हें न्याय दिलाने के लिए सब समर्थन करेंगे।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

[अनुवाद]

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): सभापति महोदय, आवश्यक वस्तु विधेयक पर मुझे चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही हैं। आज, चीनी के संबंध में मुद्रास्फीति 43 प्रतिशत है।

सब्जियों के संदर्भ में मुद्रास्फीति 45 प्रतिशत है: आलू के संदर्भ में मुद्रास्फीति 75 प्रतिशत है; चावल के संदर्भ में मुद्रास्फीति 32 प्रतिशत है; और दलहनों के संदर्भ में मुद्रास्फीति 55 प्रतिशत है। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब सरकार की गलत नीतियों के कारण हो रहा है। वह कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रही है।

यदि आप आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 देखें, तो आप पाएंगे कि उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करने की शक्ति पूर्ण रूप से सरकार के पास है किन्तु सरकार इन वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ है।

[हिन्दी]

इसी वजह से कॉमन मैन के ऊपर बहुत भार पड़ा है। कमोडिटीज के प्राइसेज को कंट्रोल नहीं करने के कारण आज देश में कॉमन मैन बहुत सफर कर रहा है।

[श्री नामा नागेश्वर राव]

चूंकि सरकार कुछ नहीं कर पाई है। इस बीच में प्रधान मंत्री ने कहा है कि:

[अनुवाद]

"कीमतों में वृद्धि बाजारी ताकतों की वजह से होती है"।

[हिन्दी]

कृषि मंत्री कहते हैं कि:

[अनुवाद]

"रबी फसलों की कटाई होने के पश्चात् स्थिति में बदलाव आएगा।" क्या कीमतों को नियंत्रित करने का यह तरीका है?

भारत में पहले ही 12 राज्यों के 301 जिले सूखाग्रस्त हैं। कृषि मंत्री भी वही आंकड़े दे रहे हैं। सरकार बता रही है कि 61,15,000 हेक्टेयर भूमि सूखे के कारण प्रभावित हुई, और इसके अतिरिक्त 2,10,68,000 टन खाद्यान्न का नुकसान हुआ। रबी फसल की कटाई शुरू होने पर आप कीमतों को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं?

[हिन्दी]

इस तरह से यह भारतीय लोगों को पूरे डार्क में रख रहे हैं।

[अनुवाद]

क्या लोगों को बताने का यही तरीका है।

[हिन्दी]

इसके ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। अभी शुगर का इश्यु आया तो,

[अनुवाद]

गत तीन वर्षों से चीनी के उत्पादन में भारी कमी आई है। 2007 में चीनी का उत्पादन 282 लाख टन था और

[हिन्दी]

लास्ट ईयर में 146 लाख टन था।

[अनुवाद]

सरकार बता रही है कि इस वर्ष चीनी का उत्पादन 160 लाख टन रहेगा। यह बहुत ही मुश्किल होगा और यह 130 लाख टन को भी पार नहीं कर पाएगा।

गत तीन वर्षों में चीनी के संबंध में बफर स्टॉक की स्थिति में भारी गिरावट आई है। 2001 में चीनी का बफर स्टॉक 110 लाख टन था और गत वर्ष यह केवल 24 लाख टन था। इस वर्ष के दौरान हमें लगभग 100 लाख टन चीनी का आयात करना पड़ेगा।

पिछलीवार, कृषि मंत्री ने इस सभा में उल्लेख किया था कि वे 50 लाख टन गन्ने का आयात करने की योजना बना रहे थे। किस दर पर? सरकार हमारे किसानों को वही कीमत क्यों नहीं दे रही है? वह 500 से 600 डॉलर प्रति टन की कीमत पर गन्ने का आयात कर रही है, जो कि लगभग 30 रु. प्रति किलो है किंतु वह हमारे किसानों को गन्ने की वही कीमत नहीं दे रही है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री को जानकारी देना चाहता हूं कि आपने इस संशोधन विधेयक से जो खंड 5(क) हटाया है, उसे सम्मिलित किया जाए। इस खंड 5(क) को पुनः सम्मिलित किया जाए क्योंकि यह खंड 5(क) किसानों को 50 प्रतिशत अतिरिक्त लाभ के हिस्से में से अतिरिक्त कीमत प्राप्त करने का हकदार बनाता है।

[हिन्दी]

उससे आपको कोई नुकसान नहीं है।

[अनुवाद]

सरकार इसे क्यों हटाना चाहती है?

एक ओर तो आप यह बता रहे हैं कि उचित और लाभप्रद मूल्य में लाभ को पहले ही शामिल किया जा चुका है? आप किस मूल्य पर यह निर्धारित कर रहे हैं? यह 129.81 रु. प्रति क्विंटल है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज न्यूनतम वास्तविक दर 150 रु. प्रति क्विंटल है।

एक ओर तो वे कह रहे हैं कि वे किसानों के लाभ के लिए 50 प्रतिशत शामिल कर रहे हैं। इस प्रकार उन्हें 150 रु. जमा 50 प्रतिशत की न्यूनतम राशि अर्थात्

225 रु. देने चाहिए। अन्यथा गन्ना उत्पादकों के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। इसीलिए, हम माननीय मंत्री जी को खंड 5(क) शामिल करने का अनुरोध कर रहे हैं।

हाल ही में उन्होंने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों के बारे में बताया था। किंतु वे किस प्रकार नियंत्रित कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है, "चीनी पर शून्य आयात शुल्क सहित आयात शुल्क में कटौती"। उन्होंने रिफाइंड और वनस्पति तेलों पर आयात शुल्क में कटौती के बारे में कहा है, सफेद और रिफाइंड चीनी के आयात की अनुमति देने और कच्ची चीनी तथा सफेद चीनी के आयात के संबंध में दायित्व को हटाने के बारे में कहा है। उन्होंने चीनी मिलों को घरेलू बाजार में प्रसंस्कृत और कच्ची चीनी बेचने की अनुमति देने और टन दर टन के आधार पर निर्यात दायित्व पूरा करने के बारे में कहा है। इसके साथ-साथ उन्होंने अनेक और भी बातें कही हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या चीनी और अन्य वस्तुओं की कीमत को नियंत्रित करने का यह तरीका है?

महोदय, चावल, चीनी और अन्य वस्तुओं के लिए वे आयात पर निर्भर है। देश में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। किंतु सरकार की गलत नीतियों के कारण ही अब ऐसा हो रहा है। उन्हें इसके बारे में सोचना चाहिए।

इसलिए, मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार को किसानों की दयनीय स्थिति के बारे में तत्काल रूप से सोचना चाहिए। हमारे पास डॉ. स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट थी डॉ. स्वामीनाथन समिति रिपोर्ट ने क्या सिफारिश की थी? इसने सिफारिश की थी कि हमें किसानों की वास्तविक लागत को ध्यान में रखना चाहिए। किंतु वे 129.84 रु. पर कैसे पहुंच रहे हैं? वे मूल्य सूचकांकों सहित किसानों की वास्तविक लागत भी ले रहे हैं। मात्र इसी कारण से किसान को अपनी वास्तविक लागत नहीं मिल पा रही है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि किसानों की वास्तविक लागत पर विचार किया जाए और 50 प्रतिशत की सिफारिश पर भी विचार किया जाए।

सरकार को समस्त करों को हटा देना चाहिए। अन्य वस्तुओं के आयात पर, वे आयातकों को 100 प्रतिशत कर लाभ दे रहे हैं। वे भारतीय किसानों को भी वही लाभ क्यों नहीं देते? किसानों को सीधे तौर पर राजसहायता देने की आवश्यकता है। यह और भी अधिक जरूरी है। किसानों को सभी राजसहायता दी जानी चाहिए।

महोदय, मैं यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि प्रत्यक्ष बाजार सुगमता भी उपलब्ध होनी चाहिए। हमारे यहां "रय्यत बाजार" होने चाहिएं। आन्ध्र प्रदेश में, श्री चन्द्रबाबू नायडु ने अपने कार्यकाल के दौरान "रय्यत बाजार" की शुरुआत की - जिसे किसानों का बाजार कहा जाता है - ताकि किसान सीधे ही बाजार जा सकें और अपने उत्पाद बेच सकें। किसी बिचौलिए की आवश्यकता नहीं है।

इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि सरकार इन सभी चीजों पर गंभीरता से सोचे। साथ ही साथ, मैं एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि चीनी संशोधन विधेयक में खंड 5(क) को शामिल किया जाए चूंकि यह किसानों के लिए अति आवश्यक है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, दुनियाभर में हल्ला है कि हिन्दुस्तान में चीनी के दामों में आग लगी हुई है - 40 रुपये किलो, 50 रुपये किलो। इस कानून को तो मैं होशियार लोगों पर छोड़ देता हूं लेकिन मोटे तौर पर मैं यह बता दूं कि भारत सरकार ही एस.एम.पी. तय करती रही है। जब मीटिंग होती तो उसमें राज्य सरकार भी बैठती, किसान भी रहते थे और मिल वाले भी रहते थे, स्टेट एडवाइज प्राइस अथवा निगोशिएटिंग प्राइस तय होता था। जब ऐसा कानून बना तो स्टेट एडवाइज प्राइस तय नहीं कर सकते जो एस.एम.पी. है, वह होगा, अगर ज्यादा देना है तो राज्य सरकार अपनी तरफ से दें। राज्य सरकार अलग से बात करने लगी, किसान का गला कटने लगा तो हल्ला होने लगा। कई लोग हटा लिये हैं लेकिन मैं मोटे तौर पर बताना चाहता हूं कि श्री रफी अहमद किदवई साहब ने भी एक फॉर्मूला दिया था कि गन्ने का दाम क्या होगा, चीनी का दाम क्या होगा? सरकार ने एक क्विंटल गन्ने का एस.एम.पी. 130 रुपये तय किया।

एक क्विंटल गन्ने में कम से कम साढ़े आठ किलो चीनी जरूर होती है। कहीं-कहीं 9 किलो, 10 किलो, 11 किलो, 12 किलो, 13 किलो भी होती है। इस साढ़े आठ पर जोड़ते हैं। 130 रुपए के गन्ने से साढ़े आठ किलो चीनी बनती है, लेकिन उपभोक्ता को 40 रुपए के हिसाब से साढ़े आठ किलो चीनी 340 रुपए की मिल रही है। एक

[डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह]

क्विंटल गन्ने का दाम 130 और उसकी जो चीनी बनी, जिसे उपभोक्ता ले रहे हैं, उसका दाम 340 रुपए है। गन्ने से चीनी पेराई करने में, उसे बनाने में खर्च जरूर लगता है, लेकिन कितना लगता है? 120 रुपए के गन्ने का उन्हें दाम मिल रहा है 340 रुपए, तीन गुणा से भी अधिक, यह अंधेर नहीं है तो क्या है? मैं मोटा-मोटा हिसाब बता रहा हूं, जिसे मुरकटी, देहाती और आम आदमी समझ सकता है। 130 रुपए गन्ना हो तो चीनी का भाव 16 रुपए, 17 रुपए, 18 रुपए होगा।

महोदय, तीन पक्ष हैं, एक उपभोक्ता है, हमारे देश में करोड़ों उपभोक्ता हैं, वे असंगठित हैं। किसान हैं, वे भी लाखों, करोड़ों की संख्या में होंगे, वे भी असंगठित हैं, मिलें हैं, ये संगठित हैं। एक पक्ष संगठित हैं और दो पक्ष असंगठित हैं। सरकार को तीनों पक्षों को देखना है। मिलों का रहना भी जरूरी है, उन्हें भी खत्म नहीं होना चाहिए, लेकिन इन दोनों असंगठित क्षेत्रों के लिए सरकार को देखना है। सरकार की तरफ से माननीय मंत्री जी कहेंगे कि तीन साल तक गन्ना खूब उपजेगा और खूब चीनी होगी। दो साल वह गन्ना फिर घट जाता है और चीनी कम हो जाती है। यह साइकल है। आप इस साइकल को जानते हैं तो सरकार ने इसके लिए क्या इंतजाम किए हैं? हम सवाल उठाते हैं। अगर डिमांड और सप्लाई से ही तय होना है तो सरकार की क्या जरूरत है? सरकार को देखना है कि असंगठित समूह के लोग शोषित न हों। उसमें सबसे ज्यादा किसान मेहनत करता है और उन्हें बीज का अभाव हो जाता है, ऋण का अभाव हो जाता है, खाद्य का अभाव हो जाता है। गुड़ भी नहीं मिलेगा, गन्ने नहीं बिकेगा, उसे गन्ने को जलाना पड़ता है। किसान असंगठित है, लेकिन वह सबसे ज्यादा मेहनत और सबसे ज्यादा जोखिम उठाने का काम करता है। सरकार को उनके हक और उनके संरक्षण में खड़ा होना चाहिए। या फिर आम उपभोक्ता हैं, बेचारे 200 ग्राम चीनी लेने गये, वह 10 रुपए की मिलती है, उसका दाम हुआ 50 रुपए किलो। गांव में आदमी एक क्विंटल, दो क्विंटल थोड़े ही खरीदता है। लेवी भी 60 परसेंट, 65 परसेंट से घटकर 40 परसेंट, 45 परसेंट, और भी 10-15 परसेंट लेवी वसूली जाती है या नहीं। तब उससे 100 रुपए पी.डी.एस. मिलता था, लेकिन अब हो गया कि पी.डी.एस. मिलेगा, चीनी मिलेगी आधा किलो, गरीब बेचारा चीनी किसलिए खाएगा? बहुत कम नगण्य गरीब लोग चीनी लेते हैं। गांव-गांव में चीनी की कीमत में आग लगी हुई है, पूरे देश में चीनी की कीमतों में आग लगी हुई है, यह सरकार को देखना चाहिए। सरकार की तरफ से बयान आता है कि अभी महंगाई बढ़ती जाएगी, महंगाई नहीं रुकेगी, सरकार किस बात के लिए है। जब प्रकृति पर ही निर्भर करना है, यह प्रकृति प्रदत्त नहीं है, यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह मानव निर्मित, जो सशक्त लोग हैं, उनके द्वारा निर्मित आपदा है। यह गांव के किसान और उपभोक्ता दोनों पर मानव निर्मित आपदा है। मैं दोनों के लिए कहता हूं कि ये असंगठित क्षेत्र हैं। किसान और उपभोक्ता दोनों असंगठित क्षेत्र में हैं। इन दोनों का संरक्षण होना चाहिए। मैं देख रहा हूं कि 130 रुपए तय हो गया, नेपाल में जाने लगा तो अपनी मिल वाले खुशामद करने लगे कि 200 रुपए ले लीजिए। फिर सरकार कहती है कि रोकिए, रोकिए, स्मगलिंग हो रही है, यह आपने कहां पढ़ा है? आपने कहा है कि इसेंशियल कमोडिटीज में गन्ना और चीनी दोनों हैं। गन्ने का मूल्य आप कम निर्धारित कीजिए, जिससे किसान को कम मूल्य मिले और चीनी के लिए यह कह दीजिए कि डिमांड और सप्लाई है, जितना लूट सकते हो, लूट लो। अलग कारोबार, अलग फ्यूचर ट्रेडिंग को कौन कहता है, वह गलत, ऐसा कहीं अंधेर है। सरकार का यह व्यवहार ठीक नहीं है। जो असंगठित किसान और उपभोक्ता हैं, दोनों की लूट की छूट दे दी गयी, यह उचित नहीं है।

यह सहन भी नहीं किया जा सकता क्योंकि विपक्षी लोग अभी कुछ इधर-उधर लगे हुए हैं और गांवों तक बात नहीं पहुंच पा रही है। यह कुछ दिनों में पहुंचेगी। विपक्ष मानेगा नहीं और मानना पड़ेगा कि - देना हो तो सही दो दाम, नहीं तो होगा चक्का जाम। अगर डिमांड और सप्लाई पर ही चलेगा तो सरकार किसलिए है? डिमांड तो जनता करेगी और सप्लाई किसके हाथ में है? बड़े बड़े पूंजीपतियों ने सब सामान लेकर घर भर दिये। दो रुपये किलो आलू कोई लेता नहीं था और जब सब चला गया कोल्ड स्टोरेज में, तो 20, 25 और 30 रुपये उसका भाव हो गया। किसान मारे जा रहे हैं। किसान को तकलीफ है और फिर आम उपभोक्ता को तकलीफ है। चीनी वाला तो संगठित है, सरकार से अपने पक्ष में फैसला करा लेगा। कोर्ट में भी - सुप्रीम कोर्ट का नाम मैं सुन रहा हूं। वहां इतना भारी यंत्र है, तीन पन्नों में तो सुप्रीम कोर्ट का ही जिक्र है। कौन-कौन सी उसमें पार्टी? सुप्रीम कोर्ट में क्यों बहस किया किसान के पक्ष से? अनआर्गनाइज्ड सैक्टर में उपभोक्ता के पक्ष से किसने बहस की - सरकार ने। लेकिन सरकार केस हार जाती है। कोई पक्ष करने वाला नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का

नाम सुनते सुनते हम अजीज हो गए। उसमें है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसके लिए हम कानून बना रहे हैं। कानून बना रहे हैं उपभोक्ता के खिलाफ। सभापति जी, आप हमें ज्यादा समय तो देंगे नहीं, नहीं तो हम सब विश्लेषण करके इतिहास और भूगोल, सब स्पष्ट करने का निश्चय हमारा है।...*(व्यवधान)*

श्री अधीर चौधरी (बहरामपुर): मैथेमैटिक्स भी है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: हां, मैथेमैटिक्स तो बता दिया। 130 रुपये क्विंटल गन्ना और 40 रुपये किलो चीनी। एक क्विंटल में साढ़े आठ किलो चीनी बनती है। साढ़े आठ किलो के दाम जोड़िये 40 रुपये से - 340 रुपये बनते हैं। छोवाल अलग, बगास अलग, सिट्ठी और उसका रस अलग मिलता है। उसका स्पिरिट बनता है, रंग बिरंगी और महंगी चीजें बनती हैं।...*(व्यवधान)* इसलिए मोटा-मोटा हिसाब हम बता रहे हैं। हम उसके बहुत विशेषज्ञ नहीं हैं। मोटा-मोटा देहाती आदमी मुड़कट्टी हिसाब अंगुली पर जोड़ते हैं तो पता चलता है कि इसमें बड़ी भारी गड़बड़ है और सरकार को देखना चाहिए कि किसानों और आम उपभोक्ता का शोषण न हो। मिल वाले तो संगठित हैं, वे कागज वगैरह बांट देंगे कि हम ही मर रहे हैं, हमारी मदद करिये। नहीं तो दुनिया में चीनी सस्ती है तो हिन्दुस्तान में चीनी महंगी क्यों है? कहते हैं कि डब्लू.टी.ओ. हो गया, सीमा टूट गया, गेहूं वाला में होता तो नहीं। बाहर महंगा हो गया तो यहां कैसे मंगाएं? तो 16 रुपये पर मंगाएंगे। आपसे लेंगे दस रुपये और बाहर से मंगाएंगे 16 रुपए में। क्या बात है? दुनिया में गेहूं महंगा हो गया। अभी क्या है? यहां चीनी महंगी खरीदिए। किसान आपको भी पैसा नहीं देंगे और बाहर से भी चीनी नहीं आएगी। बाहर तो चीनी सस्ती है। यह सब पेंच सुनकर लगता है कि हालत खराब है। इसलिए आम जनता और किसान का हित नहीं होगा तो महाभारत होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह मैं बोल रहा हूं लेकिन गांवों में जो जनता और किसान की बोली है, उसे हम दबा नहीं सकते। यह हमारा कर्तव्य और धर्म है कि जो गांव की बोली है, यहां ऊंची पंचायत में बता दे नहीं तो फिर मैं कहना चाहता हूं कि - याचना नहीं अब जंग होगा, जीवन-मरण या जय होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार** (बलूरघाट): माननीय सभापति महोदय गन्ना और चीनी आवश्यक वस्तुएं हैं। देश में चीनी के कुल उत्पादन में से 20% लेवी चीनी तथा 80% गैर-लेवी चीनी होती है। उस 20% चीनी का मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीब लोगों में इसे वितरित किया जाता है। परन्तु वास्तविकता इससे अलग है। चीनी मिल से ही अधिकांश उत्पादन को गैर-लक्षित समूहों अर्थात धनी लोगों तथा काला बाजारियों को भेज दिया जाता है। आम आदमी को इतना हिस्सा नहीं मिलता। दूसरी ओर उत्पादित की गई 80% चीनी पर मिल मालिकों का नियंत्रण होता है और वे अपनी इच्छानुसार इसका मूल्य बढ़ाते रहते हैं। इसके मूल्य में 45% तक की वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप चीनी का मूल्य 16 रुपए के स्थान पर अब 42 रुपए प्रति किलोग्राम है। अतः यह भारी लाभ का मार्जिन है।

यह सही है कि भारतीय बाजार विश्व बाजार से जुड़ा हुआ है। वहां हुए हर परिवर्तन से घरेलू बाजार प्रभावित होता है। हमारी जनसंख्या दर बहुत या अधिक है और वैश्विक तथा स्थानीय मूल्यों के बीच संतुलन होना चाहिए। यदि विदेश में चीनी का मूल्य अधिक है तो भारत में भी इसकी कीमत में वृद्धि होती है, परन्तु यहां गन्ना किसानों को उचित लाभकारी मूल्य नहीं मिलता। विश्व बाजार में यदि मूल्य अधिक होता है तो चीनी को देश से बाहर भेजा जाता है तथा गन्ना उत्पादकों को तब भी उनका हिस्सा नहीं मिलता। गन्ने का मूल्य कौन निर्धारित करता है? सरकार निर्धारित करती है। अतः उत्पादकों के हितों की रक्षा करना सरकार का दायित्व है परन्तु दुर्भाग्य से सरकार डीलरों की पक्षधर हैं। मुझे लगता है कि आज चीनी उद्योग देश का सबसे अधिक लाभकारी उद्योग है। उसके बावजूद विशेषकर पूर्वी भारत के लोगों में चीनी को लेकर काफी रोष है। इसलिए अब उचित लाभकारी मूल्य की बात की जा रही है। उचित मूल्य कौन निर्धारित करेगा? पहले, सरकार मूल्य निर्धारित किया करती थी। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग इस दायित्व को निभाया करता था। अब यह दायित्व कौन उठाएगा - आयोग, सरकार अथवा मंत्रालय? इस बारे में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है।

मुझे यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि धान का समर्थन मूल्य है, गेहूं का समर्थन मूल्य है तथा इनकी घोषणा पहले ही की जाती है। परन्तु इसके बावजूद कि गन्ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसकी फसल के लिए कोई समर्थन मूल्य नहीं होता। पश्चिम बंगाल में अहमदपुर तथा

*मूलतः बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार]

पलासी की केवल दो मिलों में ही चीनी का उत्पादन होता था। हम स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए छोटे पैमाने पर गन्ना उगाते हैं। परन्तु इसके बावजूद मुझे लगता है कि गन्ने का समर्थन मूल्य पहले घोषित किया जाना चाहिए। चीनी के कई सह-उत्पाद हैं - चीनी से शराब बनती है, शीरा भी बनता है। सिरके के साथ पेपर भी गन्ने का सह-उत्पाद है। चीनी से ईंधन भी बनाया जा सकता है। जैसे कि हम पटसन के भाग से ईंधन बनाते हैं, उसी प्रकार से गन्ने के भाग से ईंधन बनाया जा सकता है। यह बहुत ही महंगा होता है, परन्तु किसानों को इन उत्पादों से किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलता। मेरा पक्का विश्वास है कि यह उद्योग धनी लोगों पर केन्द्रित है।

दूसरा, महोदय यदि जे.सी.आई. के माध्यम से सरकार द्वारा पटसन खरीदा जा सकता है, तो सरकार चीनी क्यों नहीं खरीदती? खेत से ही, सरकार गन्ना खरीद सकती है। इससे गरीब उत्पादकों को लाभ होगा। धान और पटसन में ऐसी ही व्यवस्था है - तो गन्ने के मामले में ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता? यदि ऐसा किया जाता है तो इससे उत्पादकों को उनका लाभ मिलेगा तथा इससे उनकी स्थिति में सुधार होगा। हमें सदा याद रखना चाहिए कि यदि गरीब लोग नहीं बचेंगे तो देश कभी भी समृद्ध नहीं बन सकता। हम यहां आप लोगों की शिकायतों तथा चिंताओं को व्यक्त करते हैं। हमें संकट के समय अपने नागरिकों के साथ रहकर उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने का लगातार प्रयास करना चाहिए। मैं जानता हूं कि माननीय कृषि मंत्री श्री शरद पवार बहुत ही सक्षम, मददगार और अनुभवी हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि चूंकि हमारा संबंध आप लोगों से है, हमें चीनी और गन्ने की इस समस्या को पूरा महत्व देकर उन्हें संकट से उबारना चाहिए। हमें उनकी दुर्दशा को भूलना नहीं चाहिए तथा उनके उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ ही मैं अपका धन्यवाद करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

***श्री ए. गणेशमूर्ति** (इरोड): सभापति महोदय, हम अब इस विधेयक के माध्यम से भारत सरकार द्वारा 21-10-2009 को प्रख्यापित गन्ना उत्पादकों के अधिकार छीनने वाले अध्यादेश के स्थान पर इस विधेयक को कानून बनाना चाह रहे हैं।

21-10-2009 के अध्यादेश ने एस.ए.पी. घोषित करने के राज्य सरकारों के अधिकारों को छीन लिया था। अब इस विधेयक को आवश्यक वस्तु (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2009 के रूप में इस सभा में पुरःस्थापित कर राज्यों को एस.ए.पी. की घोषणा करने का अवसर प्रदान कर उनके अधिकार बहाल किए जा रहे हैं। गन्ना उत्पादकों की ओर से इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं।

अध्यादेश तथा इस विधेयक में से 1966 के गन्ना नियंत्रण आदेश की अनुसूची II तथा खण्ड (5) को हटा दिया गया है। मैं बताना चाहता हूं कि इस खण्ड के हटाने से गन्ना उत्पादकों के वे अधिकार छीने जा रहे हैं जिसमें, चीनी मिलों की बिक्री के माध्यम से हुए मुनाफे में उन्हें हिस्सा मिलता है।

यह विधान तथा अध्यादेश गन्ना उत्पादकों के उन वैधानिक अधिकारों को छीन रहा है, जिसके अनुसार वे प्रति वर्ष अक्तूबर, से सितंबर माह के बीच, एस.एच.पी. तथा चीनी, शीरे तथा खोई की कुल बिक्री में से उत्पादन लागत घटा कर चीनी मिलों आय अर्जित लाभ में से 50 प्रतिशत के हकदार होते थे। इससे गन्ना उत्पादकों को भारी नुकसान हुआ है।

जब राज्य सरकारें एस.ए.पी. की घोषणा नहीं करती थीं तो किसानों के पास अर्थोपाय तथा चीनी मिलों से लाभ का हिस्सा लेने का अधिकार था, जिसे 1966 के गन्ना नियंत्रण आदेश की अनुसूची II तथा खण्ड 5(क) से संभव बनाया था।

तमिलनाडु सरकार ने 1998-99 से 2004-05 तक एस.ए.पी. की घोषणा नहीं की, परन्तु इसके बावजूद तमिलनाडु के गन्ना उत्पादकों को खण्ड 5(क) के उपबंध के अनुसार अधिक मूल्य मिलता रहा। वर्ष 1998-99 में उन्हें 128.10 रुपए मिले, 1999-2000 में उन्हें 159.05 रुपए प्राप्त हुए, 2000-01 उन्हें 196.84 रुपए का भुगतान किया गया था; ल2001-02 में उन्हें 25.90 रुपए वितरित किए गए थे और 2003-2004 में यह हिस्सा 286.65 रुपए था।

तमिलनाडु में एक विशेष चीनी मिल ने वर्ष 2003 के अक्तूबर सत्र में खरीदे गए गन्ने के लिए अतिरिक्त मूल्य का भुगतान करने से मना कर दिया था। अतः

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

मद्रास उच्च न्यायालय से न्याय पाने के लिए एक जनहित याचिका (डब्ल्यू.पी. सं. 5665/2007) दायर की गई थी। इस मामले में फैसला उनके हक में आया तथा गन्ना किसानों को न्यायालय के निदेशों के अनुसार 15 प्रतिशत ब्याज के साथ अतिरिक्त मूल्य भी मिला। इसलिए, मैं यह बात कहना चाहता हूं कि खंड 5(क) अनुसूची-II को समाप्त करने से गन्ना किसान अपने अधिकार खो देंगे और वे पूर्णतः चीनी मिल मालिकों तथा सरकार के रहमों-करम पर निर्भर हो जाएंगे।

यह बताया गया है कि यदि इस विधेयक को भारत के उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार तैयार नहीं किया गया तो इससे सरकार को 14,000 करोड़ का नुकसान होगा। लेकिन इसके साथ-साथ सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि गन्ना किसानों को अतिरिक्त मूल्य के रूप में लगभग 74000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना है जोकि पिछले पांच वर्षों से लम्बित है, यह धनराशि चीनी मिलों पर अब भी बकाया है। गन्ना किसानों के लिए यह चिंता की बात है।

यह भी बताया गया है कि अब किसान उचित और लाभकारी मूल्य प्राप्त करने के पात्र हो जाएंगे, जोकि गन्ना नियंत्रण आदेश, 1966 के खंड 5 की अनुसूची। के उपबंधों के अनुसार किसानों को मिलने वाले अतिरिक्त मूल्य से अधिक होगा? हम लाभकारी मूल्य को तो समझ सकते हैं लेकिन हम यह नहीं समझ सकते कि उचित मूल्य क्या है क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन उचित तरीके से उचित मूल्य निर्धारित करेगा? हमें इस बात की आशंका है कि इस एफ.आर.पी. को गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 के खंड 5(क) की द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत संरक्षण नहीं मिलेगा।

सामान्यतः सरकार, कृषि मूल्य आयोग द्वारा संस्तुत मूल्य भी स्वीकार नहीं करती, जिसे अब कृषि लागत और मूल्य आयोग के साथ-साथ राष्ट्रीय किसान आयोग एवं योजना आयोग के कृषि प्रकोष्ठ के रूप में जाना जाता है।

हमें इस प्रकार की गलत सरकारी नीतियों के कारण किसानों को होने वाले नुकसान के बारे में पता है। इस सम्मानीय सभा को हजारों किसानों की आत्महत्याओं के बारे में भी पता है। सरकार ने 65000 करोड़ रुपए की ऋण माफी की घोषणा करके, उनकी क्षतिपूर्ति के लिए आगे आई है। एक तरफ आप 65,000 करोड़ रुपए के ऋण माफ कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर आप किसानों को 74,000 करोड़ रुपए से वंचित कर रहे हैं जोकि चीनी मिलों पर बकाया है। यह बहुत बड़ा अन्याय है।

सामान्य क्रम में यदि गन्ना किसानों को उचित लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा तो गन्ने की पैदावार कम होगी। जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रभावित होगी तथा खुले बाजार में इसकी कीमतों में वृद्धि होगी। मेरी राय में यह विधेयक चीनी मिल मालिकों के लिए वरदान है और कृषक समुदाय के लिए अभिशाप।

गन्ना किसानों ने अपनी समस्याओं के बारे में सभी को बताया है उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया है। यद्यपि विभिन्न राजनीतिक दलों से संबंधित - संसद सदस्यों को इस विधेयक के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में पता है, लेकिन गठबंधन के साझीदार होने की राजनीतिक विवशता के कारण वे स्वतंत्रत रूप से अपने विचार अभिव्यक्त नहीं कर रहे हैं। मैं यहां पर यह बात बताना चाहता हूं कि इससे गन्ना किसानों विशेषकर दक्षिण भारतीय किसानों और इससे भी अधिक तमिलनाडु में गन्ने की खेती को बहुत नुकसान होगा। अतः मैं सरकार से इस विधेयक को वापस लेने का अनुरोध करता हूं। अन्यथा आप इस विधेयक में गन्ना नियंत्रण आदेश, 1966 के खंड 5(क) की द्वितीय अनुसूची को सम्मिलित करे।

यह विधेयक जो किसानों के निहित अधिकारों को समाप्त कर देगा। इसलिए इसे इसके वर्तमान स्वरूप में पारित नहीं किया जाना चाहिए। मैं तमिलनाडु के गन्ना किसानों के साथ-साथ मरुमालार्ची द्रविड मुनेत्र कषगम की ओर से इसका कड़ा विरोध करता हूं तथा इस विधेयक के प्रति अपना विरोध दर्ज कराता हूं।

हम सभी जानते हैं कि इस विधेयक के उपबंधों के बावजूद भी तमिलनाडु द्वारा इस वर्ष घोषित मूल्य अलाभकारी तथा देश में सबसे कम है। अतः मैं सरकार से 8.5 की वसूली दर के साथ गन्ने के लिए 2,500 रुपए का भुगतान करने का अनुरोध करता हूं। इस विधेयक में 'किसी केन्द्र से गन्ने की ढुलाई की निवल लागत' शब्द के स्थान पर गन्ने के खेत (पूर्व खेत) से गन्ने की ढुलाई की निवल लागत, शब्दों को रखना चाहिए। संशोधन के रूप में इस परिवर्तन पर विचार करने का अनुरोध करते हुए मैं गन्ना किसानों की समस्याओं को उद्घाटित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

अपराह्न 3.00 बजे

[हिन्दी]

श्री राजाराम पाल (अकबरपुर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जो एमेंडमेंट बिल माननीय कृषि मंत्री जी लाये हैं, उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

आज सदन में किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए यू.पी.ए. सरकार यह बिल लाई है। पूरे देश के किसानों को लाभकारी मूल्य मिले, इसके लिए जो जन्तर-मन्तर पर उत्तर प्रदेश के किसानों ने बड़े पैमाने पर धरना-प्रदर्शन किया, उसके कारण यह एमेंडमेंट बिल आया है, ताकि किसानों को लाभकारी मूल्य मिल सके।

लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि आज चीनी की कीमतें आसमान छू रही हैं। क्यों छू रही हैं, चीनी की कीमतें कम कब होंगी, जब उसका उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन कब बढ़ेगा, जब किसानों को लाभकारी मूल्य मिलेगा। उसे समय से खाद मिलेगा, समय से बीज मिलेगा और समय से उसका भुगतान होगा। आज उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, उसमें 22 सहकारी और राज्य सरकार के अधीन जो चीनी मिलें हैं, उनमें पेराई का काम अब तक बन्द है। तीन चीनी मिलें ऐसी हैं, जो यू.पी.ए. की चेयरपर्सन आदरणीय सोनिया गांधी जी के क्षेत्र रायबरेली में हैं, मेरे क्षेत्र में घाटमपुर चीनी मिल और छाता चीनी मिल, दोनों को बन्द कर दिया गया है। प्रदेश सरकार उन चीनी मिलों को नीलाम करके निजी लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए बेचना चाहती है। उत्तर प्रदेश चीनी मिलों का बड़ा हिस्सा, जो सरकारी चीनी मिलें हैं, उनमें पेराई न होने के कारण मजबूर होकर किसान निजी चीनी मिलों में गन्ना देगा।

उत्तर प्रदेश सरकार निजी चीनी मिलों से पैसा बटोरने में लगी है, उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के प्रति आंख बन्द किए है। क्यों बन्द किये है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार का किसानों से कोई लेना-देना नहीं है। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि हम लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए कटिबद्ध हैं, केन्द्र सरकार कटिबद्ध है, लेकिन ऐसे प्रदेशों में इस बिल में कौन सा प्रावधान किया जा रहा है कि जो सरकारें, जैसे महाराष्ट्र और हरियाणा में अगर 225-230 रुपया सरकारें गन्ने का मूल्य दे रही हैं और अगर उत्तर प्रदेश सरकार 225-230 रुपया पर क्विंटल किसानों को न दे तो इस विधेयक में ऐसा प्रावधान किया जाये कि प्रदेश की सरकार किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए मजबूर हो सके। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि जो निजी चीनी मिलें हैं, उनके लिए भी इस विधेयक में ऐसा प्रावधान हो कि वे 15 दिन के अन्तर किसानों को भुगतान करें और अगर 15 दिन के बाद अगर किसानों को पैसा भुगतान किया जाये तो उनको बैंकों के ऋण की दर से ब्याज प्रदान करने का काम किया जाये।

अगर ऐसा प्रावधान इस बिल में कर दिया जाएगा, तो किसानों को वास्तव में लाभ हो पाएगा और किसान आत्महत्या से भी बचेगा। अगर किसान खुशहाल होगा, तो देश खुशहाल होगा। यू.पी.ए. सरकार निश्चित तौर पर किसानों के प्रति संवेदनशील है। मैं इसी के साथ इस बिल का समर्थन करते हुए, माननीय सभापति जी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री घनश्याम अनुरागी (जालौन): सभापति महोदय, मैं बुंदेलखंड की जालौन सीट से हूं। बुंदेलखंड के क्षेत्र व खासतौर से कानपुर देहात, फतेहपुर, इटावा, औरय्या सहित पूरा बुंदेलखंड कृषि पर आधारित हैं। वहां पर पहले भी लगातार चार-पांच साल से सूखा पड़ता रहा। किसान भुखमरी की कगार पर आ गया। ज्यादातर किसान बड़े-बड़े शहरों में पलायन कर गया। किसान मजदूर बन गया और मजदूर बनकर पलायन करके चला गया। आज की पोजीशन यह है कि वहां सिंचाई का कोई साधन नहीं है। माननीय कृषि मंत्री जी और सरकार से हम आपके माध्यम से निवेदन करेंगे कि बुंदेलखंड में और कोई चारा नहीं है। वहां के बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। रोजी-रोटी के लाले पड़े हुए हैं। हम लगातार बुंदेलखंड की चर्चा करते रहे हैं, और लोगों ने इसके लिए मांग की। हम आपके माध्यम से प्रार्थना करते हैं कि हमारे क्षेत्र को सिंचाई के लिए उपयुक्त साधन देने की कृपा करें, जिससे हर गांव में गहरे राजकीय नलकूप हों तथा पेयजल व बिजली की व्यवस्था की जाए।

महोदय, जहां तक गन्ना की बात है, सूखी लकड़ी, सड़ी सड़ाई जलाने योग्य लकड़ी तो साढ़े तीन सौ रुपए प्रति क्विंटल है और गन्ना एक सौ चालीस रुपए। यह तो किसानों के साथ धोखा है। किसान इस समय परेशान है। जब तक किसानों के हित के लिए कोई कार्य योजना नहीं बनायेंगे, तब तक किसान खुशहाल नहीं होगा और देश खुशहाल नहीं होगा। बुंदेलखंड के लिए हम बार-बार

सरकार से प्रार्थना करते हैं कि बुंदेलखंड के लिए कोई न कोई ऐसा कदम उठाए, जिससे वहां के किसान के लिए सिंचाई की व्यवस्था हो। वहां बिजली तीन घंटे से ज्यादा नहीं आती है। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना ही क्या है, उसको महंगाई से कोई मतलब ही नहीं है। हम आपसे कहते हैं, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार भी ध्यान नहीं दे रही है, तो किसान कहां जाएगा?

हमें तो लग रहा है कि उत्तर प्रदेश और केन्द्र सरकार दोनों छोटी-बड़ी बहनें हैं। इन्हें किसानों से कोई हमदर्दी नहीं है। इन्हें पूंजीपतियों और उद्योगपतियों से हमदर्दी है। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गयी है। सुरसा नाम की राक्षसनी का त्रेतायुग में जिस तरह बहुत भारी, विकराल मुंह बढ़ गया था, उसी तरह महंगाई ने आज उससे भी ज्यादा मुंह बढ़ा लिया है। अब वह आम गरीबों को खाने लगी है, किसानों को खाने लगी है। यह पोजीशन हो गयी है कि गरीब फल नहीं खा सकते, अस्पताल में तड़प रहे हैं, लेकिन फल नहीं खा सकते, सब्जियां नहीं खा सकते हैं। अब सब्जियां और फल बड़े लोगों के लिए हो गयी हैं। क्या इस देश में किसानों का कोई हक नहीं है, क्या इस देश में गरीबों का कोई स्थान नहीं है? गरीब और किसान, फल-सब्जियां नहीं खा सकता है, सूखी रोटी-चटनी के भी लाले पड़ गए हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि वह महंगाई पर नियंत्रण करें। यदि महंगाई नियंत्रित नहीं होगी, तो निश्चित तौर पर पूरे देश में हाहाकार मच जाएगा और किसान अपने हाथ में डंडा-लाठी लेकर निकल पड़ेगा और निश्चय ही पूंजीवादियों को और घूसखोरों को पकड़कर उनकी पूंजी निकाल लेगा, उनसे मारपीट करेगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि किसानों और मजदूरों के हित में सरकार कोई कदम उठाए और बुंदेलखंड में व कानपुर देहात में, इटावा और जितना भी लंबा बुंदेलखंड का क्षेत्र है, सब के हित में एक महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहिए। उनके लिए महत्वपूर्ण पेयजल की व्यवस्था करें तथा बुंदेलखंड प्रखंड है, वहां गहरे कुएं और ट्यूबवेल गहरे की व्यवस्था की जाए।...*(व्यवधान)* हमारे यहां भी गहरे ट्यूबवेल होने चाहिए।...*(व्यवधान)*

इन्हीं शब्दों को कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय (श्रावस्ती): सभापति महोदय, माननीय सदस्य इतनी बात कह रहे हैं, ये किसानों के बड़े हितैषी हैं। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि 24 अक्तूबर से उत्तर प्रदेश में एस.ए.पी. का रेट 165 रुपए लागू है। वह अभी तक वापस नहीं लिया गया है। यहां ये सरकार की ऊपर दबाव बना रहे हैं। मैं बड़े ही शालीनता के साथ आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि 3(a) लागू है, जिसमें स्टेट एडवाइजरी प्राइज देने की पावर स्टेट सरकार को है, यह 24 अक्तूबर से लागू है। माननीय आर.एल.डी. के सदस्यगण बोले, समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्य बोले, भारतीय जनता पार्टी के भी माननीय सदस्य बोले, मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि वी.एम. सिंह जी को जो याचिका थी, 2086/1997, इसके बारे में हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने आर्डर किया था और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी जिसको अपहोल्ड किया था। आरक्षण का आर्डर और एस.ए.पी. दोनों ही एक सिक्के के पहलू हैं। स्टेट गवर्नमेंट एस.ए.पी. तय करती है। यूनियन गवर्नमेंट की उसमें दखलअंदाजी नहीं है। यहां बहुत अच्छी बहस हो रही है। इनके सम्मानित सदस्य जो पेशे से वकील हैं, वे मिल मालिकों की तरफ से भी वकील हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन विपक्ष के राजनीतिक दल, जिन्होंने सरकार के ऊपर प्रहार किया है, अपने को किसानों के हितैषी बताते हैं, उनके सर्वोच्च सदन के सदस्य सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वकील रहे हैं। उन्होंने गन्ना किसानों का गला काटने का काम किया है। 2086 नम्बर उच्च न्यायालय में बी.एम. सिंह जी की याचिका रही है, वह उनका नजीर है जिसके आर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहोल्ड किया था। जब सन् 2003 की डिफर पेमेंट नहीं मिली थी, मैं माननीय राहुल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इंटरवीन करके गन्ना किसानों को 517 करोड़ रुपये का डिफर दिलाया है। उससे किसानों को राहत पहुंची है। स्वामी अग्निवेश जी, उस समय उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के तत्कालीन गन्ना मंत्री रहे हैं। माननीय अजीत सिंह जी ने भी किसानों के लिए लड़ाई लड़ी है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि अगर गन्ना किसानों के सब लोग हितैषी हैं, तो जो 24 अक्तूबर को उत्तर प्रदेश सरकार ने 165 रुपये की एस.ए.पी. लागू की थी, उत्तर प्रदेश के सम्मानित सदस्यों को स्टेट गवर्नमैंट पर दबाव बनाना चाहिए कि वे मिल मालिकों से न मिलकर गन्ना किसानों के सच्चे हितैषी बने और एस.ए.पी. के 165 रुपये के आर्डर को वापस कराकर गन्ना किसानों

[डॉ. विनय कुमार पाण्डेय]

को वाजिब दाम दिलाने का कष्ट करें, जो इस संशोधन के माध्यम से लाया जा रहा है। मैं इस विधेयक का पूरा समर्थन करता हूं। श्री पुनिया, श्री जगदम्बिका पाल, और हमारे अन्य साथियों ने जो इस समर्थन में कहा है, उससे अपने को सम्बद्ध करते हुए आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि गन्ना किसानों की हालत वास्तव में बहुत खराब है, इसलिए उनकी दशा पर ध्यान दिया जाये। जो बिचौलिये का काम करते हैं और लड़ने का काम करते हैं, यह दोहरी नीति बंद करके वास्तव में गन्ना किसानों के हितैषी बनें और उन्हें वाजिब दाम दिलायें।

[अनुवाद]

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): सभापति महोदय, मैं आभारी हूं कि देश के विभिन्न भागों से अनेक माननीय सदस्यों ने इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लिया। सामान्यतया, जब भी कृषि से संबंधित कोई विषय आता है, हमेशा यह देखा जाता है कि सभी अपने क्षेत्र की समस्याओं को व्यक्त करने का अवसर प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।

यह विधेयक आवश्यक वस्तु (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2009 है। लेकिन हमने बुंदेलखंड मुद्दे पर चर्चा की है; हमने अन्य मदों के लाभकारी मूल्यों के मुद्दे पर चर्चा की है; हमने आज देश के समक्ष प्रमुख समस्याओं में से एक बढ़ती कीमतों पर चर्चा की है और मुझे खुशी है कि कुछ माननीय सदस्यों ने चीनी तथा गन्ना किसानों की समस्या पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा की है। वास्तव में इस विधेयक पर सभा के अंदर तथा बाहर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई है। विधेयक प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ कई बैठकें की गई हैं।

अंततोगत्वा, इस सभा में सभी दलों ने जबरदस्त बहुमत के साथ सहमति बनाई तथा समुचित संशोधन करने के पश्चात् सभा के समक्ष नया विधेयक लाया गया। यू.पी.ए. ने संगठन के अंदर इस पर चर्चा की है तथा यू.पी.ए. के संघटक दल इस आवश्यक वस्तु विधेयक पर व्यवहार्यत: सहमत हो गए हैं। मैं इसलिए भी आभारी हूं कि प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी, अन्य प्रमुख राजनीतिक पार्टियां यथा समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सी.पी.आई. (एम.), सी.पी.आई. तथा डी.एम.के. ने भी इस विस्तृत चर्चा में भाग लिया तथा सहमत भी हुए तथा उस पक्ष से दिए गए सुझावों को भी शामिल किया गया। यही वजह है कि व्यवहार्यत: हम इस विधेयक पर सर्वसम्मति के नजदीक पहुंच गए हैं।

अपराह्न 3.16 बजे

(श्री अर्जुन चरण सेठी *पीठासीन हुए)*

यह विधेयक किस बारे में है? यह विधेयक चीनी नीति के एक विशेष मद तक सीमित है और वह है लेवी चीनी के मूल्य का मुद्दा। विधेयक में 5क के बारे में कोई उल्लेख नहीं है जिसके बारे में यहां विस्तारपूर्वक चर्चा हुई है। 5क आवश्यक वस्तु (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2009 का भाग नहीं है। 5क गन्ना नियंत्रण आदेश का एक भाग है जो कि एक पृथक् आदेश है, एक प्रशासनिक आदेश है और यह इस विधेयक का भाग नहीं है। यह लेवी चीनी मूल्य मुद्दे के संबंध में है।

लेवी चीनी क्या है? इस देश में चीनी उत्पादन करने वाले चीनी मिल किसानों से गन्ना खरीदते हैं, इसका प्रसंस्करण करते हैं तथा इससे चीनी बनाते हैं एवं इसे खुले बाजार में बेचते हैं। सरकार के पास समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करने का उत्तरदायित्व है। यही वजह हैं कि हम देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। अत:, लेवी चीनी कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करने तथा एक विशेष मूल्य पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चीनी उपलब्ध कराने, हो सकता है कि यह सीमित मात्रा में हो, के लिए शुरू की गई थी।

लगभग 20 वर्ष पूर्व इस देश में मिलों द्वारा उत्पादित चीनी का 70 प्रतिशत भाग भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए किए जाने की परम्परा थी तथा मात्र 30 प्रतिशत चीनी खुले बाजार में उपलब्ध थी। यह अनुपात घटाकर 70:30 से 60:40; पुन: 50:50; तत्पश्चात् 40:60 पर लाया गया तथा एन.डी.ए. शासनकाल में यह निर्णय लिया गया कि मिलों से मात्र 10 प्रतिशत चीनी ली जाएगी तथा 90 प्रतिशत चीनी को खुले बाजार में बेचने की अनुमति चीनी मिलों को दी जाएगी। यह नीति पिछले वर्ष तक जारी रही। इसी वर्ष हमने इसमें लघु संशोधन किया कि 10 प्रतिशत के स्थान पर हमने इस वर्ष सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चीनी मिलों से 20 प्रतिशत चीनी लेने का निर्णय लिया है तथा चीनी मिलों द्वारा उत्पादित शेष 80 प्रतिशत चीनी उन्हें खुले बाजार में बेचने की अनुमति दी जाएगी।

वास्तव में मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि इससे किसान प्रभावित होंगे। वास्तव में चीनी चीनी मिलों से प्राप्त की जाती है। अतः किसानों के प्रभावित होने का कोई प्रश्न नहीं है। हमें आशा है कि हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चीनी मिलों से एक विशेष मूल्य पर 20 प्रतिशत चीनी की उम्मीद रखते हैं, अगर यह मान लिया जाए कि इस मूल्य विशेष के लाभकारी नहीं होने के कारण मिलों को नुकसान होता है, लेकिन उन्हें शेष 80 प्रतिशत चीनी खुले बाजार में बेचने की हर प्रकार से स्वतंत्रता है। उन्हें वहां जो भी नुकसान होता है उसकी क्षतिपूर्ति करने का उन्हें हर अधिकार प्राप्त है। इसमें किसी किसान अथवा गन्ना उत्पादक को नुकसान होने का कोई प्रश्न नहीं है।

इस सभा में सम्पूर्ण मुद्दा उठाया गया। जहां तक गन्ना के मूल्य को निर्धारित किए जाने का प्रश्न है, हमारे देश में एक प्रणाली शुरू की गई है तथा यह कई वर्षों से पूरे भारत में लागू की गई है और वह है सांविधिक न्यूनतम मूल्य (एस.एम.पी.)। एस.एम.पी. तथा एम.एस.पी. में अंतर है। भारत सरकार भी कतिपय कृषि उत्पादों यथा गेहूं, चावल तथा कुछ अन्य मदों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। लेकिन अंतर क्या है? जब भारत सरकार गेहूं तथा चावल के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करने का निर्णय लेती है, ऐसी स्थिति में अगर खुले बाजार में इसकी कीमत नीचे चली जाती है तो यह भारत सरकार का उत्तरदायित्व होता है कि खुले बाजार में प्रवेश करे तथा इसकी खरीद करे। आज हम भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से गेहूं तथा चावल की खरीद कर रहे हैं तथा किसानों को संरक्षण दे रहे हैं ताकि वह निश्चित रूप से उस न्यूनतम समर्थन मूल्य को प्राप्त कर सके। सांविधिक न्यूनतम मूल्य में ऐसा संभव नहीं है। अगर गन्ना की कीमत एस.एम.पी. के नीचे चली जाती है, वैसी स्थिति में सरकार के लिए मूल्यों को समर्थन देना संभव नहीं है। सरकार के लिए यह संभव नहीं है कि वह खुले बाजार में प्रवेश कर गन्ने की खरीद करे?

हम गन्ने के बारे में क्या करेंगे। हमारे पास मिल नहीं हैं। मिल कई अन्य लोगों द्वारा चलाए जाते हैं। अतः यह संभव नहीं है, लेकिन हम मूल्य निर्धारित करते हैं, दिशानिर्देश देते हैं और यह उम्मीद करते हैं कि मूल्य इससे कम नहीं होंगे; मूल्य भारत सरकार द्वारा घोषित मूल्य के आस-पास अथवा अधिक होने चाहिए। यह बेंचमार्क है। एक आधार है। उस आधार पर तथा उस मानदंड पर मूल्य निर्धारित किया गया था। सम्पूर्ण भारत में यह परम्परा अनेक वर्षों से विद्यमान है, लेकिन चार अथवा पांच राज्य हैं जिन्होंने अपने राज्य के किसानों के लिए स्वयं अपनी प्रणाली शुरू की है - विशेषकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा तथा तमिलनाडु ने।

उत्तर प्रदेश विधान सभा ने एक पृथक् विधेयक पारित किया है तथा राज्य सलाहकारी मूल्य आरम्भ करने एवं निर्धारित करने का अधिकार हासिल किया है। कीमतें दो प्रकार की होती हैं - एक जिसका निर्धारण भारत सरकार करती है और दूसरा जिसका निर्धारण कुछ राज्य अपने संबंधित सरकारों के निर्णय द्वारा करते हैं। कई अवसरों पर हमने देखा है कि भारत सरकार द्वारा घोषित कोई कीमत 'X' है और राज्य सरकार ने निर्णय अलग ढंग से लिया और उसकी कीमत 'X' से अधिक है। इसी कारण वे चीनी मिलें जिन्हें भारत सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य किसानों को देना था, वे प्रदर्शन कर रहे हैं।

अब हम, चीनी की कीमतों की वसूली हेतु गणना करते हैं तो हम हमेशा उस मूल्य की गणना करते हैं जिसकी घोषणा भारत सरकार करती है। अतः मिल मालिकों से खासकर उत्तर प्रदेश के मिल मालिकों से यह शिकायत प्राप्त हो रही है कि हमें अधिक भुगतान करना पड़ रहा है और भारत सरकार हमें उचित मूल्य नहीं दे रही। वे न्यायालय गए। मामला उच्चतम न्यायालय तक गया और अंत में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि यह भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि वह कीमतों का पुनर्निधारण करे और पुनर्निधारण के कारण जो भी अंतर हो उसका भुगतान मिल मालिकों को 1982 से करे। इस पुनर्निधारण और गणना के कारण 14,000 करोड़ रुपए का अंतर सामने आया।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि भारत सरकार ये रुपए मिल-मालिकों को देना चाहती है। नहीं। हम लोग इच्छुक नहीं हैं। हम लोग इसे कहां से देंगे? वे कहते हैं कि हम लोग मिल मालिकों को 14,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना चाहते हैं तथा किसानों अथवा गन्ना उत्पादकों को एक पैसा नहीं देना चाहते - यह भारत सरकार की मंशा नहीं है। इसलिए हमने अंत में कानूनी सलाह ली और अंतिम निर्णय लिया; इसका कारण हमारे द्वारा पूर्व में लिए गए कई निर्णय हैं; इसी निर्णय के आधार पर उच्चतम न्यायालय विशेष निर्णय तक पहुंचा है और यही कारण है कि हमें यह बेहतर लगा कि हम

[श्री शरद पवार]

इसकी वैधानिकता पर निर्णय लें। यही कारण है कि संसद के समक्ष यह विशेष विधेयक लाया गया है।

हमें विश्वास है कि संसद की दोनों सभाओं द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद तथा इसे एक कानून बनाने के बाद हम किसानों के हितों की रक्षा, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा कर पाएंगे। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें उठाया गया है कि - एफ.आई.पी. क्या है, नया खण्ड क्या है जिसे शामिल किया गया है आदि। जैसा कि मैंने कहा है कि पहले सांविधिक न्यूनतम मूल्य था। अब इस विधेयक द्वारा सांविधिक न्यूनतम मूल्य को समाप्त करने का प्रावधान है। हमने उचित और लाभकारी मूल्य लागू किया है। इन दोनों के बीच अंतर क्या है?

मूलतः कीमतों का निर्धारण सी.ए.सी.पी. द्वारा कुछ चीजों के आधार पर किया गया था। मूल रूप से यह सी2 लागत था। उत्पादन के सी2 लागत में रोकड़ में किए गए सभी वास्तविक खर्च तथा मालिकों द्वारा उत्पादन में हुए सभी खर्च, भूमि, अपनी भूमि का किराया मूल्य और भूमि को पट्टे पर दिए जाने से प्राप्त किराया तथा पारिवारिक श्रम के मूल्य को छोड़कर अपनी पूंजी परिसंपत्ति के मूल्य पर प्राप्त ब्याज। अतः ये सभी चीजें सी2 लागत पर परिगणित की जाती हैं।

कुछ अन्य आधार भी हैं जिसके अनुसार चीनी की वसूली जाने वाली कीमतों का निर्धारण किया जाता है। ये निर्णय सी.ए.सी.पी. के सिफारिश पर सी.ए.सी.पी. द्वारा लिया जाता है। सी.ए.सी.पी. से संबंधित भी कुछ मुद्दे उठाए गए हैं। यह कहा गया कि कृषक समुदाय का कोई प्रतिनिधि सी.ए.सी.पी. में शामिल नहीं है। तथ्यतः यह सही नहीं है। सी.ए.सी.पी. में विशेषज्ञ होते हैं इसके साथ ही इसमें कृषि वैज्ञानिकों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है। अतः वे भी इसके एक भाग हैं।

सी.ए.सी.पी. की प्रणाली यह है कि यह राज्य सरकार के कृषि विभाग से सूचना इकट्ठा करता है साथ ही कृषि विश्वविद्यालयों से भी सूचना इकट्ठा करता है, सी.ए.सी.पी. कृषि संगठनों के प्रतिनिधियों को भी मौका प्रदान करता है। अंत में सब मिलकर एक आम सहमति बनाते हैं और फिर भारत सरकार को अपनी सिफारिश देते हैं। यह भारत सरकार पर निर्भर करता है कि वह इसे स्वीकार करती है या नहीं। परंतु भारत सरकार 95 प्रतिशत मामलों में सी.ए.सी.पी. की सिफारिशों को पूर्णतः स्वीकार कर लेती है।

यहां यह मुद्दा उठा कि वर्ष 2007-08 में सी.ए.सी.पी. द्वारा निर्धारित कीमत अथवा की गई सिफारिश भारत सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं की गई। इसमें कुछ हद तक सच्चाई है और कुछ हद तक नहीं भी।

वर्ष 2008-09 में सी.ए.सी.पी. ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और इस रिपोर्ट में इसने गन्ने की कीमत विशेष की संस्तुति की। प्रायोगिक रूप से यह कीमत पिछले वर्ष के सुझाव के बिल्कुल समान थी। सी.ए.सी.पी. ने अपनी संस्तुति में मुख्यतः क्या कहा था? वह विशिष्ट वर्ष अपने में एक अपवाद वर्ष था। तब चीनी का काफी उत्पादन हुआ था। इसके पर्याप्त भंडार थे। बाजार में उसकी मांग कम थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी मूल्य पूर्णतया गिर चुके थे। मिल इस स्थिति में नहीं थे कि वे किसानों को कीमतों का भुगतान कर सकें। अधिक गन्ना और गन्ना उत्पादन के कारण स्थिति और भी खराब होती जा रही थी। इन सबका अध्ययन करने के पश्चात् सी.ए.सी.पी. ने कहा:

> "घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चीनी की कीमतों में लगातार अवस्फीति, देश में चीनी की अत्यधिक आपूर्ति के साथ-साथ मांग तथा चीनी उद्योग ही नहीं बल्कि गन्ने की अर्थव्यवस्था की लगातार गिरती स्थिति और इस कारण वर्ष 2008-09 के लिए गन्ने के एस.एम.पी. में बढ़ोत्तरी का कोई सवाल ही नहीं उठता।"

सी.ए.सी.पी. ने यह भी कहा:

> "हालांकि, चीनी की बिक्री के बाद मौजूदा कीमत के आधार पर वर्तमान स्तर से एस.एम.पी. में कुछ कमी का औचित्य हो सकता है परंतु हो सकता है कि लागत मूल्यों में बढ़ोत्तरी के साथ-साथ किसानों की कमजोर आर्थिक अवस्था के मद्देनजर कुछ लोगों की नजर में यह उपयुक्त न हो।"

इसी सी.ए.सी.पी. ने कहा था कि कीमतों में कमी लाये जाने की आवश्यकता है परंतु भारत सरकार ने इसे स्वीकृत नहीं किया। हमें यह रिपोर्ट अगस्त, 2007 में प्राप्त हुई थी। 20 मार्च, 2008 को आर्थिक मामलों की मंडलीय समिति ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया तथा सी.ए.सी.पी. द्वारा संस्तुत मूल्यों संबंधी सिफारिशों को पूर्णतः स्वीकार करने की घोषणा की गयी। यह सी.ए.सी.पी. की जिम्मेदारी है कि लागत कारकों का प्रतिवर्ष अध्ययन किया जाए तथा वार्षिक आधार पर कीमतों संबंधी सिफारिशें दी जाए।

20 मार्च, 2008 को भारत सरकार ने सी.ए.सी.पी. की सिफारिशों पर निर्णय लिया परंतु 27 मार्च को सी.ए.सी.पी. ने एक अन्य रिपोर्ट भेज दी जिसके लिए सरकार ने नहीं कहा था। उन्होंने यह रिपोर्ट अपने आप ही भेज दी। सी.ए.सी.पी. जो यह कह रही थी कि मूल्यवृद्धि का कोई मामला नहीं है तथा वस्तुतः मूल्य में कमी का मामला है - यह उनकी सिफारिश थी - लेकिन वस्तुतः कुछ ही दिनों के अन्दर कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदन किए जाने के पश्चात्, सी.ए.सी.पी. ने एक नई सिफारिश भेजी, जो न केवल एक नई सिफारिश थी, वरन् एक रोचक सिफारिश थी, जिसके अनुसार:

"आयोग सिफारिश करती है कि वर्ष 2008-09 के लिए गन्ना का सांविधिक न्यूनतम मूल्य को संशोधित करके 125 रुपए किया जाये (पहले, उन्होंने 72 रुपए का सुझाव दिया था तथा 72 रुपए से फिर 125 रुपए किया गया) जिसका भुगतान चीनी मिलों द्वारा 9 प्रतिशत वसूली और केन्द्र सरकार द्वारा अदा किए जाने वाले 30 रुपए प्रति क्विंटल बोनस के साथ किया जाए।"

यह काफी रोचक है। गन्ना चीनी मिलों द्वारा खरीदा जायेगा। चीनी मिल इस गन्ने का प्रसंस्करण करेंगे, चीनी को खुले बाजार में बेचेंगे तथा लाभ या हानि कमाएंगे लेकिन भारत सरकार द्वारा बोनस अदा करने का प्रश्न कहां से उठता है? भारत सरकार को चीनी या गन्ना उसके अपने खजाने में प्राप्त नहीं हो रहा है। वह इन चीनी मिल मालिकों के पास जा रहा है। वस्तुतः, इसका भुगतान उनके द्वारा किया जाना चाहिए। यहां पर सी.ए.सी.पी. की सिफारिश थी कि भारत सरकार को मूलभूत कच्चे माल का मूल्य अदा करना चाहिए जिसका अन्ततः कुछ निजी क्षेत्र द्वारा उपभोग किया जायेगा। अतएव, हमने इस दूसरी सिफारिश को नहीं स्वीकार किया। इसके अलावा पिछले कई वर्षों से व्यावहारिक रूप से सी.ए.सी.पी. की सिफारिशें भारत सरकार द्वारा पूर्णतः स्वीकार की गई। हम हमेशा कृषक समुदाय के हितों को संरक्षण प्रदान करने की कोशिश करते हैं।

एक प्रश्न उठाया गया था कि उचित तथा लाभकारी मूल्य क्या है। उचित तथा लाभकारी मूल्य में गन्ना उत्पादकों के हितों को संरक्षण प्रदान करने के लिए एक नए प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है। पहले 5(क) था तथा अब हमने उचित तथा लाभकारी मूल्य लाया। मूलतः हमने 5(क) को समाप्त कर दिया। यह 5(क) भी आवश्यक वस्तु अधिनियम से नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, यह चीनी नियंत्रण आदेश से है। समाप्त किया गया प्रावधान 5(क), अनुपात में मौसम के बीच जाने तथा वित्तीय परिणाम घोषित होने के बाद मिल मालिकों तथा किसानों के बीच 50:50 प्रतिशत लाभ का साझा करने की व्यवस्था करता था। यदि मिल के अपने तुलन पत्र में लाभ दर्शाया हो, तभी किसान लाभ प्राप्त करने के योग्य होंगे। लेकिन कम से कम गत पांच वर्षों से मैंने इस देश में एक भी चीनी मिल को 51(क) के अन्तर्गत गन्ना उत्पादकों को लाभ प्रदान करते नहीं देखा है। हमारे दक्षिण भारत से माननीय सदस्य ने कहा है कि यह किसानों के लिए लाभदायक था। लेकिन दक्षिण भारत में भी एक भी चीनी मिल ने 5(क) के अंतर्गत किसानों को लाभ नहीं दिया है। यह इसलिए कि प्रथा यह है कि किसान अपना गन्ना चीनी मिल को देते हैं। वह अंतिम मूल्य जो भी निर्धारित होता है, लेता है तथा घर चला जाता है। एक साल पूरा होने के बाद, अपनी लेखाओं, तुलन पत्र तथा लेखापरीक्षक विवरण पूरा होने के बाद, मान लिया जाये कि वे कुछ लाभ दर्शाते हैं, तो किसान का 5(क) के अनुसार पूरा अधिकार बनता है कि वह अतिरिक्त मूल्य की मांग करे। लेकिन किसानों ने इस विषय पर कभी नहीं सोचा तथा वे उस मिल में कभी नहीं जाते। वे उस मिल में अगले वर्ष तभी जाएंगे जब उनका गन्ना पेराई के लिए तैयार होगा। इसलिए, न तो किसान कोई रुचि दर्शा रहे थे और न ही मिल कोई पैसा अदा कर रहे थे। इसलिए, भारत सरकार द्वारा गठित महाजन समिति नामक एक समिति थी जिसने यह सिफारिश की कि 5(क) का प्रावधान किसानों के लिए लाभदायक नहीं है तथा इसे हटाना ही बेहतर होगा। अतएव, हमने इसे समाप्त कर दिया है तथा हमने उचित तथा लाभकारी मूल्य लागू किया है जो किसानों को लाभ-विशेष देता है। इस प्रणाली तथा पिछली प्रणाली में क्या अंतर है? पिछली प्रणाली में, यदि मिल लाभ कमाती है, तो एक वर्ष पूरा होने के बाद, किसानों को लाभ का हिस्सा प्राप्त करने का हक प्राप्त होता है। लेकिन उचित तथा लाभकारी मूल्य में, मिल लाभ कमाता हो या नहीं, पहले ही दिन जब किसान अपना गन्ना मिल को देने जाते हैं, तब मिल की जिम्मेवारी बनती है कि वह लाभ का एक हिस्सा किसानों को दें चाहे वे लाभ कमाएं या नहीं। जोखिम के रूप में भी लगभग 50 प्रतिशत राशि किसानों को अदा की जानी होती है तथा यह अग्रिम के रूप में होगी। अतएव, मौसम के समाप्त तक प्रतीक्षा करने का कोई प्रश्न नहीं है। इसलिए, उचित तथा लाभकारी मूल्य निश्चित रूप से किसानों के लिए लाभदायक है। जब सी.ए.सी.पी. की सिफारिश पर गत वर्ष निर्णय लिया

[श्री शरद पवार]

गया था तब गन्ने का मूल्य 107 रुपए प्रति क्विंटल था। लेकिन जब हमने उचित तथा लाभकारी मूल्य लागू किया तो तुरंत चीनी का मूल्य 107 रुपए से बढ़कर 129.50 रुपए हो गया। व्यावहारिक तौर पर, गन्ने के मूल्य में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसलिए, उचित तथा लाभकारी मूल्य निश्चित रूप से किसानों के लिए लाभकारी होगा।

दूसरा मुद्दा यह उठाया गया कि 129.50 रुपयों का यह मूल्य पर्याप्त नहीं है क्योंकि चीनी का मूल्य आसमान को छू रहा है। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं। मैंने सरकार की स्थिति स्पष्ट की। मूल्य जो दिया गया है वह अंतिम मूल्य नहीं है। जो लोग इसे खरीद रहे हैं उनके पास ज्यादा भुगतान करने का पूरा अधिकार है। इस वर्ष वास्तव में क्या हुआ? सरकार द्वारा घोषित मूल्य केवल 129 रुपए रहा हो लेकिन वास्तव में उत्तर प्रदेश में, राज्य सरकार ने 129 रुपए की तुलना में 165 रुपये का मूल्य घोषित किया। इसे उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। मिलों तथा उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादक संघों के बीच एक वार्ता हुई तथा उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादक 200 रुपए प्रति क्विंटल प्राप्त कर रहे हैं। अतएव, यद्यपि भारत सरकार द्वारा घोषित मूल्य 129 रुपए है, तथापि, उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों के किसान 200 रुपए प्रति क्विंटल का मूल्य प्राप्त कर रहे हैं तथा कुछ स्थानों पर वे 230 रुपए प्रति क्विंटल का मूल्य प्राप्त कर रहे हैं। गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे राज्यों में यद्यपि भारत सरकार द्वारा घोषित मूल्य 129 रुपए है लेकिन किसान 210 रुपए से 230 रुपए तक का मूल्य प्राप्त कर रहे हैं। उन मूल्यों में अंतर है जो किसान गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र में प्राप्त कर रहे हैं तथा जो उत्तर प्रदेश के किसान प्राप्त कर रहे हैं। यह अंतर इसलिए है क्योंकि उत्तर भारत में गन्ने की फसल कटाई तथा ढुलाई किसानों की जिम्मेवारी है जबकि दक्षिण भारत में यह मिल मालिकों की जिम्मेवारी है। प्रत्येक टन या प्रति क्विंटल फसल कटाई तथा ढुलाई की लागत 30 रुपए है। जब महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात तथा कर्नाटक जैसे राज्यों के किसान 220 रुपए प्रति क्विंटल गन्ना का मूल्य प्राप्त करते हैं तो इसमें आवश्यक रूप से 30 रुपए जोड़ा जाना चाहिए तथा जब उत्तर प्रदेश राज्य का एक किसान 200 रुपए प्रति क्विंटल प्राप्त कर रहा है तो उसमें से 30 रुपए घटाया जाना चाहिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में फसल कटाई तथा ढुलाई की जिम्मेवारी किसानों की है। यह अंतर वहां पर मौजूद है। हमने यहां सुझाव दिया था कि जब मूल्य निर्धारित किए जाएंगे तब सी.ए.सी.पी. ढुलाई तथा फसल कटाई लागत पर भी विचार करेगी। इससे किसानों को भी लाभ मिलेगा।

अतएव, जो भी निर्णय लिए गए हैं, प्रत्येक निर्णय किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए हैं। किसानों के हितों को संरक्षण प्रदान किया गया है। कई माननीय सदस्यों ने चीनी के मूल्य का मुद्दा उठाया है। यह सही है कि मूल्य असामान्य हैं। देश का प्रत्येक नागरिक चीनी के मूल्य में इस वृद्धि से कठिनाई अनुभव कर रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि देश की सामान्य आवश्यकता 230 मिलियन टन है लेकिन दुर्भाग्यवश गत वर्ष उत्पादन 150 मिलियन टन से कम रहा तथा मांग तथा पूर्ति के बीच अंतर था। इस परिस्थिति में मूल्य बढ़ गए हैं। जब इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न होती है तब सरकार के पास आयात को प्रोत्साहित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है।

एक आलोचना की गई कि सरकार चीनी का आयात क्यों कर रही है। चीनी आयात करने का निर्णय आज नहीं लिया गया है। पहले भी, चीनी आयात किया जाता रहा है। मैं स्मरण करता हूं कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के काल में, एक विशेष वर्ष में, चीनी की कमी हो गई तथा इसका पड़ोसी देशों से आयात किया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी के खिलाफ उन दिनों भी आलोचना की गई थी लेकिन उन्होंने इसके कारणों का स्पष्टीकरण दिया क्योंकि अंततः यह निर्वाचित सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वह उपभोक्ता तथा उत्पादकों के हितों के बीच संतुलन बनाए। किसी को यह नहीं भूलना चाहिए। उपभोक्ताओं का प्रतिशत 80 से 85 प्रतिशत से ज्यादा है तथा हम उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी नहीं कर सकते हैं। हम तब आयात करने के इच्छुक नहीं होते जब प्रत्येक वर्ष पर्याप्त चीनी उपलब्ध हो। लेकिन जब कमी हो, जब मांग तथा आपूर्ति के बीच अंतर हो, तो समाज के विभिन्न क्षेत्रों के हितों को संरक्षण प्रदान करने के लिए हमारे पास आयात के सिवा कोई विकल्प नहीं बचता है। मैं आश्वस्त हूं कि इस वर्ष परिस्थिति ऐसी होगी तथा अगले वर्ष अधिकतम होगी।

जैसा कि माननीय सदस्य, श्री जगदम्बिका पाल ने कहा है, यह बार-बार आने वाली परिस्थिति है। प्रत्येक पांच वर्षों में, चीनी तथा गन्ने की खेती ऐसी है कि दो वर्षों में गंभीर समस्या होगी तथा अगले तीन वर्ष, अतिरेक की समस्या होगी। अतएव, परिस्थिति में एक और वर्ष में निश्चित परिवर्तन होगा। यह मेरा स्वयं का आकलन है।

मैं स्वयं गन्ना उत्पादक हूं तथा इसलिए इस विशेष विषय के बारे में गहराई से जानता हूं। मैं आश्वस्त हूं कि भारत सरकार द्वारा किया गया समग्र प्रयास किसानों के हितों को संरक्षण प्रदान करने तथा किसानों एवं उपभोक्ताओं के हितों के बीच संतुलन बनाने का भी है।

मैं और ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। मैंने इस महान सभा के सामने समूची स्थिति स्पष्ट करने का प्रयास किया है। मेरा सभा से अनुरोध है कि इस विधेयक को पारित कर दिया जाये।

श्री राजू शेट्टी ने सांविधिक संकल्प लाना है। मेरी उनसे अपील है कि वे किसानों के हितों के प्रति चिंतित नहीं हों हम निश्चित रूप से किसानों के हितों को संरक्षण प्रदान करेंगे। यहां उल्लिखित जो भी कार्रवाई है वह गन्ना उत्पादकों के हितों को संरक्षण प्रदान करने के लिए है तथा किसी को उपभोक्ताओं के हितों की भी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। उस दृष्टिकोण से, हमने संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया है। अतएव, माननीय सदस्य से मेरी अपील है कि वे इस सांविधिक संकल्प को वापल ले लें।

सभापति महोदयः श्री राजू शेट्टी, माननीय मंत्री द्वारा स्पष्ट आश्वासन दिए जाने को देखते हुए क्या आप अपना संकल्प वापस लेंगे?

श्री राजू शेट्टीः नहीं।

सभापति महोदयः माननीय मंत्री ने आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे ही दिया है। उन्होंने आपके प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर दिया है।

[हिन्दी]

श्री राजू शेट्टीः मुझे मंत्री महोदय से कुछ पूछना है।

मैं मंत्री जी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। यह गन्ना उत्पादक किसानों से संबंधित सवाल है। इस साल चीनी के दाम बढ़ने के कारण कम्पिटीशन में चीनी मिलें ज्यादा रेट दे रही हैं। मुझे मालूम है, चूंकि मैं गन्ना उत्पादक किसान हूं। दो साल बाद गन्ना सरप्लस होने वाला है। उस वक्त सिर्फ एफ.आर.पी. ही मिलने वाली है और इतनी कम एफ.आर.पी. लेकर गन्ना उत्पादक किसान खेती नहीं कर सकता है। इसलिए हमने एक सवाल पूछा था कि असल में गन्ना उत्पादक किसानों का लागत मूल्य क्या है? इसके अलावा मैंने एक सवाल यह पूछा था कि हार्वेस्टिंग और ट्रांसपोर्टिंग मिलकर 1 दिसम्बर को मंत्री महोदय ने कहा था कि 83 रुपये प्रति क्विंटल लागत मूल्य है। मैं जानना चाहता हूं कि यह किसके खेत का लागत मूल्य है? यह किस इंस्टीट्यूशन ने निकाला है? लागत मूल्य 170 रुपये से कम हो ही नहीं सकता। इसके अलावा जो अनपढ़ किसान हैं, जो हिसाब-किताब नहीं कर सकते हैं, उनके लिए इंस्टीट्यूशन व सी.ए.सी.पी. कुछ भी रिकमेंडेशन करते रहते हैं। जब आपके हित में होता है, आप उसे एक सैप्ट कर लेते हैं और जब हित में नहीं होता तब एक्सैप्ट नहीं करते हैं। गन्ना उत्पादक का लागत मूल्य 170 रुपये से कम नहीं है, फिर सरकार 129 रुपये कैसे कर सकती है? सरकार बताये कि एम.आर.पी. की कैलकुलेशन करने के लिये क्या टर्म्स एंड कंडीशन्स हैं? मंत्री महोदय ने बताया कि किसानों को 5ए का लाभ नहीं मिलता है, उस क्लाज को क्यों हटा दिया गया है? अगर शूगर मिल वालों को नुकसान नहीं है तो रहने दें। जब कभी शूगर मिल वालों के पास गन्ना सरप्लस होता है तो वे एस.एम.आर.पी. से ज्यादा नहीं देते हैं ताकि चीनी के दाम मार्किट में ऊपर चले जायें, 5ए के तहत किसान कोर्ट में जा सकते हैं, 5ए के तहत अपने लिये न्याय मांग सकते हैं, लेकिन 5ए हटाने से गन्ना किसानों के साथ विश्वासघात हो रहा है। इसलिये मैं अपना सांविधिक संकल्प वापस नहीं ले रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। अब एस.एम.पी. को एफ.आर.पी. द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उचित तथा लाभाकारी मूल्य निर्धारण के लिए कोई प्रक्रिया अपनाई गई है या यह सांविधिक न्यूनतम मूल्य के समान या कैसी ही होगी। यदि नई प्रक्रिया या कारक नहीं जोड़े जाते हैं तो आप यह किस प्रकार सुनिश्चित करेंगे कि गन्ना उत्पादक और ज्यादा मूल्य प्राप्त करेंगे तथा उचित तथा लाभकारी मूल्य बेहतर है तो विधेयक की धारा 5(क) में क्या प्रावधान है? यदि हम विधेयक में 5(क) को रखते हैं, तो क्या उचित तथा लाभकारी मूल्य भी होगा?

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): सभापति महोदय, जो श्री राजू शेट्टी जी ने कहा है, मैं अपने आपको उससे सम्बद्ध करता हूं। जमीनी हकीकत जो तय हुआ है, उससे अलग है। किस प्रकार बात होती है, किस प्रकार तय होता है, उसके बारे में कोई डिटेल्ज नहीं हैं। इससे किसान नहीं

[श्री राजेन्द्र अग्रवाल]

बचेगा। यह किसी दल का मुद्दा नहीं है। सरकार किसान के विषय में ठीक से विचार करे, उसे ठीक मूल्य दे, केवल आयात करने से मांग पूरी नहीं कर सकते हैं। हमें घर से मांग पूरी करनी पड़ेगी।

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पांडा (मिदनापुर): मैं मंत्री महोदय से दो बातें जानना चाहता हूं। उत्पादन लागत या खेती की लागत अलग-अलग राज्यों में विभिन्न है। जूट के मामले में, सी.ए.सी.पी. द्वारा निर्धारित मूल्य अलग-अलग जिलों में नहीं तो राज्यों में, विभिन्न हैं। अतएव, केन्द्र सरकार उचित तथा लाभकारी मूल्य के नाम पर एकसमान नीति कैसे अपना सकती है? यह पहला प्रश्न है।

दूसरा प्रश्न है कि वर्तमान स्थिति में क्या सरकार इस संबंध में नियंत्रण आदेश की पुनरीक्षा करने जा रही है?

[हिन्दी]

श्री शरद पवार: सभापति जी, यहां बात उठायी गई, मैं उससे सहमत हूं कि सरकार चीनी आयात करने के पक्ष में नहीं है, मगर जब देश की जरूरत और देश की उत्पादन में अंतर पैदा हो जाता है तब कीमतें ऊपर चली जाती हैं। उस समय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिये उपलब्धता करनी पड़ती है और तब आयात के बारे में डिसीजन लेना पड़ेगा।

[अनुवाद]

वास्तव में, गत वर्ष तक चीनी के आयात पर भारी शुल्क था। लेकिन हमने इसे हटा दिया है तथा खुले बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए शुल्क ढांचे में परिवर्तन किया है। एक नई चीज जोड़ी गई है।

जब उचित तथा लाभकारी मूल्य निर्धारित की जाएगी, तो कुछ दिशानिदेश हैं:

1. उस विशिष्ट वर्ष के उत्पादन लागत की सी2 अखिल भारतीय प्रति एकड़ उत्पादन का भार नौ प्रतिशत वसूली दर से समायोजित।

2. फैक्ट्री के गेट तक गन्ने की ढुलाई लागत।

3. नौ प्रतिशत वसूली दर पर ढुलाई लागत सहित गत वर्ष औसत सी2 उत्पादन लागत के साथ अखिल भारतीय भार का कुल समायोजन।

4. 9.5 प्रतिशत वसूली दर पर उपर्युक्त समायोजित।

5. किसानों को लाभ का हिस्सा @ 15 प्रतिशत।

6. किसानों को जोखिम के कारण 25 प्रतिशत की दर से प्लस मार्जिन।

वास्तव में, पहले जोखिम के लिए कोई प्रावधान नहीं था। अतः अब 25 प्रतिशत की दर से जोखिम का प्रावधान है। अतः, मुद्दा यह नहीं है कि मिल को मुनाफा होगा अथवा घाटा होगा। प्रत्येक वर्ष मिल को गन्ना किसानों को इन सभी लागतों के अतिरिक्त जोखिम घटक के रूप में 25 प्रतिशत का भुगतान करना पड़ता है। अतः, यह अलग से है। वास्तव में, इससे किसानों के हित की रक्षा होगी तथा यह निश्चित रूप से कानूनी न्यूनतम कीमत (एस.एम.पी.) से बेहतर होगा।

यहां एक अन्य प्रश्न उठाया गया,

[हिन्दी]

गन्ना तैयार करने के लिए 172 का खर्च आता है। यह सी-2 कॉस्ट पर है। सी-2 कॉस्ट अलग-अलग राज्य की अलग-अलग हो सकती है, किसानों की भी अलग-अलग हो सकती है। कई क्षेत्र ऐसे होते हैं, जो अपने खेत में 60 या 70 टन शुगरकेन बना सकता है, प्रोड्यूज कर सकता है। देश का एवरेज आप देखेंगे तो 20 टन से भी नीचे है। नॉदर्न इंडिया में 10 टन प्रति एकड़ है।

[अनुवाद]

दक्षिण भारत में यह 20 टन प्रति एकड़ है। कई ऐसे किसान हैं जो प्रति एकड़ 80 से 100 टन का उत्पादन करते हैं। अतः सी-2 की लागत उस एकड़ की कुल उपज पर निर्भर करता है। आन्ध्र प्रदेश में सी टू लागत 91.95 रुपए प्रति क्विंटल है; हरियाणा में 82 रुपए है; कर्नाटक में यह 62 रुपए है; महाराष्ट्र में यह 72 रुपए है; तमिलनाडु में यह 83 रुपए है; उत्तर प्रदेश में यह 69 रुपए है तथा उत्तराखंड में यह 60 रुपए है। अतः सी-2 लागत अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है। यह पानी की उपलब्धता, भूमि की गुणवत्ता तथा किसानों के समग्र दृष्टिकोण पर निर्भर करता है।

एफ.आर.पी. के संबंध में यहां एक अन्य प्रश्न उठाया गया था। एफ.आर.पी. निर्धारित किए जाते समय सात मानदण्डों पर विचार किया जाना अपेक्षित होता है।

1. गन्ना उत्पादन की लागत;
2. वैकल्पिक फसलों से किसानों की आय तथा कृषि जिंसों की कीमतों की सामान्य प्रवृत्ति;
3. उपभोक्ता को उचित मूल्य पर चीनी की उपलब्धता;
4. चीनी उत्पादकों द्वारा गन्ना से उत्पादित चीनी किस कीमत पर बेची जाती है;
5. उप-उत्पादों, नामशः शीरा, खोई तथा प्रेस मद की बिक्री से प्राप्त आय अथवा उनका आरोपित मूल्य;
6. जोखिम तथा लाभ के लिए गन्ना उत्पादकों के लिए युक्तिसंगत मार्जिन।
7. गन्ना से चीनी की उत्पादित मात्रा...

अतः, ये सात मानदंड हैं जिन्हें निर्धारित किया गया है और इसके पश्चात् इस मानदण्ड के आधार पर सी.ए.सी.पी. गन्ना उत्पादकों के लिए कीमत तय करेगा और सिफारिश करेगा।

सभापति महोदयः माननीय सदस्य, श्री राजू शेट्टी, क्या आप सांविधिक संकल्प वापस ले रहे हैं?

श्री राजू शेट्टीः नहीं।

सभापति महोदयः प्रश्न यह है:

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 21 अक्तूबर, 2009 को प्रख्यापित आवश्यक वस्तु (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2009 (2009 का संख्यांक 9) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.00 बजे

[हिन्दी]

श्री राजू शेट्टीः मैं इस बिल के विरोध में वाकआउट करता हूं।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 4.01 बजे

तत्पश्चात् श्री राजू शेट्टी सभा-भवन से बाहर चले गए।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः प्रश्न यह है:

"कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का और संशोधन करने और उद्गृहीत चीनी की कीमत का अवधारण करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी कतिपय आदेशों तथा उन आदेशों के अधीन की-गई-कार्रवाइयों के विधिमान्यकरण के लिए और उनसे संबद्ध विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदयः अब यह सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेगी। शेख सैदुल हक, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे?

खंड 2 धारा 3 का संशोधन

शेख सैदुल हक (बर्धमान-दुर्गापुर): मैं अपने संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 3, पंक्ति 35,-

"उचित और लाभकारी कीमत" के स्थान पर "कानूनी न्यूनतम कीमत" प्रतिस्थापित किया जाए। (1)

पृष्ठ 4, पंक्ति 9,-

"उचित और लाभकारी कीमत" के स्थान पर "कानूनी न्यूनतम कीमत" प्रतिस्थापित किया जाए। (2)

पृष्ठ 4, पंक्ति 13,-

"क्रय केंद्र से" के स्थान पर "खेत से" प्रतिस्थापित किया जाए। (3)

पृष्ठ 4, पंक्ति 12-13,-

"उत्पादक द्वारा वहन की गई सीमा तक" का लोप किया जाए। (4)

सभापति महोदयः मैं अब शेख सैदुल हक द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन संख्या 1, 2, 3 तथा 4 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

सभी संशोधन सभा के मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 और 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियम सूत्र, प्रस्तावना तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री शरद पवार: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.04 बजे

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2009-2010

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब हम मद संख्या 18 पर विचार आरम्भ करेंगे - वर्ष 2009-10 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों (सामान्य) पर चर्चा तथा मतदान करेंगे।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1, 2, 4 से 7, 9, 11, 12, 14, 17 से 21, 28 से 33, 35, 38, 39, 41, 44, 46, 49, 51, 53 से 55, 57 से 62, 64, 65, 67, 71, 74, 79, 80, 84, 86 से 88, 90 से 93, 100, 101 तथा 103 से 105 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए स्तम्भ 3 में दिखायी गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से संबंधित अनधिक राशियां भारत की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को दी जाए।"

सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2009-2010 की अनुपूरक अनुदानों की मांगों (सामान्य) की सूची

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुपूरक अनुदानों की मांग की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	2	3	4
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	14,23,00,000	-
2.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	19,96,00,000	-
4.	परमाणु ऊर्जा	422,48,00,000	199,83,00,000
5.	न्यूक्लीयर विद्युत योजनाएं	55,67,00,000	302,28,00,000
6.	रसायन और पैट्रोरसायन विभाग	166,07,00,000	-
7.	उर्वरक विभाग	3000,00,00,000	-
9.	नागर विमानन मंत्रालय	281,00,00,000	800,00,00,000
11.	वाणिज्य विभाग	160,58,00.000	-

1	2	3	4
12.	औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग	1,00,000	-
14.	दूरसंचार विभाग	249,24,00,000	171,75,00,000
17.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	3660,82,00,000	150,00,00,000
18.	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	9,43,00,000	1,00,00,000
19.	संस्कृति मंत्रालय	2,00,000	9,00,00,000
20.	रक्षा मंत्रालय	29,81,00,000	1,00,000
21.	रक्षा पेंशन	2210,00,00,000	-
28.	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	1,00,000	-
29.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	4,00,000	1,00,000
30.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	5,00,000	1,00,000
31.	विदेश मंत्रालय		297,50,00,000
32.	आर्थिक कार्य विभाग	1,00,000	-
33.	वित्तीय सेवाएं विभाग	400,02,00,000	1266,00,00,000
35.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अन्तरण	1200,02,00,000	-
38.	व्यय विभाग	3,94,00,000	-
39.	पेंशन	4533,33,00,000	-
41.	राजस्व विभाग	1,00,000	-
44.	विनिवेश विभाग	-	3139,90,00,000
46.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	3,00,000	-
49.	भारी उद्योग विभाग	1,00,000	1,00,000
51.	गृह मंत्रालय	195,33,00,000	-
53.	पुलिस	2,00,000	2,00,000
54.	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	7,92,00,000	48,00,00,000
55.	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	105,68,00,000	-
57.	स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	1,00,000	-
58.	उच्च शिक्षा विभाग	87,12,00,000	100,00,00,000

1	2	3	4
59.	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	1,00,000	-
60.	श्रम और रोजगार मंत्रालय	1,00,000	-
61.	निर्वाचन आयोग	5,59,00,000	-
62.	विधि और न्याय	1,00,000	-
64.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	2,00,000	-
65.	खान मंत्रालय	21,13,00,000	-
67.	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	1,00,000	-
71.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	39,13,00,000	15,21,00,000
74.	विद्युत मंत्रालय	75,93,00,000	-
79.	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	41,00,000	-
80.	ग्रामीण विकास विभाग	154,45,00,000	-
84.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	6,77,00,000	-
86.	पोत परिवहन मंत्रालय	2,00,000	3,00,000
87.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	1,00,000	311,00,00,000
88.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	2,00,000	-
90.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	3,00,000	-
91.	इस्पात मंत्रालय	728,69,00,000	1,00,000
92.	कपड़ा मंत्रालय	514,45,00,000	-
93.	पर्यटन मंत्रालय	2,00,000	-
100.	शहरी विकास विभाग	414,76,00,000	2025,10,00,000
101.	लोक निर्माण कार्य	25,52,00,000	-
103.	जल संसाधन मंत्रालय	1,00,000	-
104.	महिला और बाल विकास मंत्रालय	1200,00,00,000	-
105.	युवा मामले और खेल मंत्रालय	312,42,00,000	350,58,00,000
	जोड़	20312,79,00,000	9187,25,00,000

सभापति महोदय: माननीय सदस्य श्री यशवंत सिन्हा।

श्री यशवंत सिन्हा (हजारीबाग): सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा इस सभा में प्रस्तुत अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा कि अनुपूरक मांगों में निवल नकद व्यय मात्र 25,000 हजार करोड़ रुपए तथा कुछ और करोड़ रुपए तक सीमित है।

विगत वर्ष अपने पूर्ववर्ती मंत्री द्वारा प्रस्तुत काफी विशाल अनुपूरक मांगों की तुलना में यह एक बड़ी राहत के रूप में आया है। लेकिन मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि अगर कोई अनुपूरक मांगों - जो कि सरकार के लिए निवल नकद व्यय है - को पढ़ता है तो पाएगा कि व्यय की ऐसी कई मदें हैं जिनका अनुमान बजट तैयार करते समय सहजतापूर्वक लगाया जाना चाहिए था तथा लगाया जा सकता था। इस समय मामला 800 करोड़ रुपए का है जिसे एयर इंडिया को नई इक्विटी के रूप में प्रदान किया गया है। हम सभी यह जानते हैं कि एयर इंडिया काफी समय से मुश्किल में है। जब वित्त मंत्री इस वर्ष के शुरू में बजट तैयार कर रहे थे, उस समय उन्हें एयर इंडिया की दु:खद स्थितियों की जानकारी थी और उस समय एयर इंडिया के इक्विटी आधार में वृद्धि करने का निर्णय आसानी से लिया जा सकता था। एअर इंडिया को लगभग 7,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। मुझे यह जानकारी नहीं है कि इस 800 करोड़ रुपए की नई इक्विटी एयर इंडिया को संकट तथा रुग्णता से बाहर निकालने में कितनी सहायक होगी। लेकिन मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि एयर इंडिया सरकारी क्षेत्र के एक लोक उद्यम की विशाल विफलता तथा कुप्रबंध का द्योतक है। इस सभा में यह चर्चा होनी चाहिए कि इसके लिए उत्तरदायी कौन है तथा दोषी कौन है तथा भविष्य में कार्यवाही के लिए स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचा जाना चाहिए। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि एयर इंडिया में 800 करोड़ रुपए की इक्विटी डाले जाने मात्र से समस्या का हल नहीं होगा तथा वित्त मंत्री को एयर इंडिया की मदद के लिए इस सभा में पुन: आना होगा।

इसके अतिरिक्त किसानों के लिए सब्सिडी, भारतीय खाद्य निगम को सब्सिडी, रक्षा तथा सिविल दोनों में पेंशन पर अतिरिक्त व्यय और इन जैसे अन्य सभी मदों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता था। मैं इस तथ्य को जानता हूं कि हर वित्त मंत्री कुछ हाथ की सफाई दिखाता है। मैं इस तथ्य को भी जानता हूं कि वित्त मंत्री अक्सर 29.4 अथवा 29.6 जैसे आंकड़ों पर ज्यादा ध्यान देते हैं और अगर वे समग्र बजट घाटा में एक प्रतिशत के कुछ अंश की भी कमी कर सकते हैं, तो वे अक्सर ऐसा करते हैं। लेकिन सभा इससे सहमत होगी कि यह सर्वोत्तम बजटीय प्रथा नहीं है और इसलिए इससे बचा जाना चाहिए।

लेकिन वित्त मंत्री द्वारा सभा में प्रस्तुत 25,000 करोड़ रुपए के निवल नकद व्यय वाली अनुपूरक मांगें उस समग्र समस्या का एक छोटा हिस्सा है जिसका सामना अर्थव्यवस्था कर रही है। मैं इससे सहमत हूं कि वर्तमान वित्त मंत्री को अपने पूर्ववर्ती वित्त मंत्री से विरासत में एक अस्त-व्यस्त स्थिति मिली। मैं यह बता सकता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार यू.पी.ए. प्रथम की विफलता यह थी कि उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का प्रबंध किस प्रकार किया जाए। उन्हें यह पता नहीं था कि अधिशेष वाली अर्थव्यवस्था का प्रबंध किस प्रकार किया जाए। अत:, उन्होंने अर्थव्यवस्था के प्रबंधन में काफी बड़ी गलतियां की।

वर्तमान वित्त मंत्री के पूर्ववर्ती श्री चिदम्बरम बड़े भाग्यशाली वित्त मंत्री थे। मैं मानता हूं कि वे स्वतंत्र भारत के इतिहास में सर्वाधिक सौभाग्यशाली वित्त मंत्री रहे हैं, लेकिन जब हम शांतिपूर्ण वर्षों से गुजर रहे थे, जब हमारी अर्थव्यवस्था के अच्छे वर्ष थे, उस समय वे वैसा कोई कदम उठाने में विफल रहे जो उस समय आवश्यक थे और मैं यह कहना चाहूंगा जो कि कई टिप्पणीकारों द्वारा बताया जा चुका है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो संकट आया वह संकट स्वयं हमारे द्वारा पैदा किया गया था। हम विकास दर को कम करने के लिए जिम्मेदार थे। हम विशाल राजकोषीय घाटे के लिए जिम्मेदार थे और हम मूल्य वृद्धि के लिए जिम्मेदार थे।

अपराह्न 4.12 बजे

(डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए)*

यह अब रिकार्ड में है कि वैश्विक वित्तीय संकट काफी बाद में आया, जब हम स्वयं को और अधिक संकट में धकेल चुके थे। सभापति महोदय, वैश्विक वित्तीय संकट ने हमारी परेशानियों में इजाफा ही किया। इसका कुल परिणाम यह निकला कि आज जो समस्या हमारे समक्ष आ रही है उसकी 75 प्रतिशत समस्याएं हमारे द्वारा पैदा की गई थीं, जबकि केवल 25 प्रतिशत समस्या ही वैश्विक वित्तीय संकट का नतीजा थी। इससे इस देश के लोगों को काफी परेशानियां सहनी पड़ी क्योंकि अभाव

[श्री यशवंत सिन्हा]

की अर्थव्यवस्था को अधिशेष की अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए एन.डी.ए. शासन के दौरान किए गए व्यापक प्रयासों को पुनः अभाव की अर्थव्यवस्था में तब्दील कर दिया गया है।

हम इस सभा में कुछ देर पहले अभी चीनी उद्योग की समस्या पर चर्चा कर रहे थे। अब कृषि, खाद्य एवं उपभोक्ता कार्य, मंत्री इस सभा में अपना विधेयक पारित करा भी लें, फिर भी क्या संदेश पहुंचा है। यह संदेश पहुंचा है कि जबकि सरकार खुदरा बाजार में 35-40 रु. प्रति किलो चीनी को बिक्री की अनुमति दे रही है, गन्ने के उत्पादकों, किसानों को अपनी कीमत प्राप्त नहीं हो पा रही है, बल्कि उनकी कीमत को कम किया जा रहा है। देशभर में यही सामान्य संदेश गया है।

यहां चीनी के मामले में ही ऐसा नहीं है कि आप चीनी का आयात करते हैं या नहीं, आप चावल का आयात करते हैं या नहीं, यह जुदा मामला है। किंतु तथ्य यह है कि अभाव मौजूद है, तथ्य यह है कि केवल चीनी का ही अभाव नहीं है बल्कि हर चीज का अभाव है। मेरा मतलब यह है कि मैं कल्पना नहीं कर सकता कि इस देश में एल.पी.जी. का अभाव क्यों हो। एक समय था, जब हम शासन में थे, जब एल.पी.जी. सिलिंडरों के डीलर घर-घर में जाकर कहते थे कि क्या उपभोक्ता एल.पी.जी. के सिलिंडर खरीदने के इच्छुक हैं। आज प्रतीक्षा की अवधि एक महीने से अधिक हो गई है। लोगों को घरेलू रसोई के प्रयोजनार्थ एल.पी.जी. सिलिंडर पाने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। अधिशेष को अर्थव्यवस्था अचानक ही एक बार फिर अभाव की अर्थव्यवस्था क्यों बन गई? यह ऐसा कुछ है जिसे सरकार को स्पष्ट करना होगा।

जहां तक अर्थव्यवस्था के प्रबंधन का संबंध है प्रत्येक समयकाल अपने समय की समस्याएं पैदा करता है यह उजागर है। आज की समस्याएं उन समस्याओं से भिन्न है, जो गत पांच वर्ष पहले हमारे समक्ष आई थीं। वित्त मंत्री जी को इन समस्याओं से निपटना होगा, इन पर काबू पाना होगा यदि भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे ले जाना है और भारत के लोगों को सम्मानजनक और आरामदायक जीवन व्यतीत करना है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आज वित्त मंत्री जी के समक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या, महंगाई और अनियंत्रित खाद्य कीमतों की समस्या है। मैं इस सभा में बैठा था, अतः मुझे ज्ञात नहीं है कि मुद्रास्फीति, विशेषकर हमारे खाद्यान्नों के आंकड़े क्या हैं, जो आज आने चाहिए।

किंतु मैं प्रधान मंत्री जी की आर्थिक सलाहकार परिषद् की रिपोर्ट का उल्लेख करना चाहता हूं जिसे अक्तूबर माह में ही प्रकाशित किया गया था। उसने स्वयं कहा है कि घरेलू मोर्चे पर खाद्यान्नों, विशेषकर चावल और दलहनों तथा अन्य प्राथमिक खाद्य उत्पादों और चीनी की कीमतों में भारी वृद्धि एक प्रमुख नीतिगत चिंता है। उन्होंने यह भी कहा है कि 2008-09 के शीतकाल में भी, जब विश्व स्तर पर विनिर्मित वस्तुओं और अंतर्राष्ट्रीय रूप से व्यवसाय के तहत मूल खाद्य पदार्थों की कीमतें घट रही थीं, तब एक वर्ष पहले घरेलू कीमतों में वृद्धि हो रही थी और यह क्रम जारी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य कीमतें कम हो रही थीं; हमारी घरेलू खाद्य कीमतें बढ़ रही थीं। यह प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के निष्कर्ष हैं। अतः, हमें इस तथ्य से भी कोई सांत्वना नहीं मिल सकती कि वैश्विक कीमतें बढ़ रही हैं।

तत्पश्चात् इससे उन खतरों का आभास होता है, जो छिपे हुए हैं; वो खतरा जो एक उभरती वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ा है, किस प्रकार वस्तुओं की कीमतें, विशेषकर पेट्रोलियम कीमतें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। वैश्विक वित्तपोषण के प्रबंधन में कोई अन्य झटका अतुलनीय स्तर का संकट उत्पन्न कर देगा और अस्थिरीकरण की ओर ले जाएगा। यह प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का निष्कर्ष है।

जब गत वर्ष कीमतों में बढ़ोतरी शुरू हुई थी, हमने सरकार को संसद में और संसद से बाहर सलाह दी थी कि आर.बी.आई. जिस प्रकार की मौद्रिक नीति अपना रहा है इससे अधिक समस्याएं पैदा होंगी। मुझे स्मरण है कि मैंने तब भी यह उल्लेख किया था कि मुद्रास्फीति की प्रकृति भिन्न थी। मुद्रास्फीति की प्रकृति खाद्यान्नों सहित आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि तक सीमित थी। इसलिए, आप जितनी भी कड़ी मौद्रिक नीति अपनाएं, यह खाद्यान्नों और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने में सहायक नहीं होगी। यह एक साधारण तर्क था। वित्त मंत्री जी, मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं; न ही आप हैं। मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं कि उन अर्थशास्त्रियों से पीछा छुड़ाइए। उस समास्त तकनीकी सलाह की तुलना में, जिसकी आप अपेक्षा करते हैं, एक ठोस समझदारी नीति निर्धारण में अधिक सहायक साबित होती है, इसलिए उन सबसे पीछा छुड़ाइए, विशेषकर मौद्रिक

विशेषज्ञों से। मौद्रिक विशेषज्ञ इस देश की अर्थव्यवस्था की स्थिरता के लिए सबसे बड़ा खतरा है।

इसलिए, उन्होंने कड़े मौद्रिक उपाय किए। कड़े मौद्रिक उपायों से निधियों का अभाव हो गया; जिससे ब्याज लागत अधिक हो गई; पैसा अवहनीय हो गया और पैसा महंगा हो गया। इससे समस्या उत्पन्न हो गई है। वैश्विक संकट ने केवल इसमें इजाफा किया।

आपकी अर्थव्यवस्था का अब 8 प्रतिशत के लगभग क्यों विकास हो रहा है? आपके निर्यात घट रहे हैं। दूसरी तिमाही में आपकी कृषि वृद्धि जी.डी.पी. के एक प्रतिशत से कम है। आप दूसरी तिमाही में भी 7.9 प्रतिशत पर विकास कर रहे हैं। यह किस प्रकार हो रहा है? यही यदि भारतीय अर्थव्यवस्था का रहस्य छुपा है। यह घरेलू बचत और घरेलू मांग है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे ले जाएगी। यही वह चीज है, जिस पर हमें ध्यान केन्द्रित करना चाहिए और वह है घरेलू मांग और घरेलू बचत।

सभापति, महोदय, मुद्रास्फीती ही है जिस पर सरकार न केवल बुरी तरह विफल रही है बल्कि उसने ऐसे संदेश दिए हैं, जो सर्वाधिक भ्रामक हैं। क्या भारत के प्रधानमंत्री खड़े होकर कह सकते हैं: "हम कीमतें नियंत्रित करने में असमर्थ हैं और हमें कीमतों में और अधिक वृद्धि झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए?" भारत के खाद्य मंत्री खड़े होते हैं और कहते हैं: "हम कीमतों को काबू में नहीं कर पाएंगे"। कल, माननीय वित्त मंत्री रांची में थे, जो मेरे राज्य की राजधानी है, जहां उन्होंने ऐसे स्पष्टीकरण दिए जिसे भारत के लोग हजम करने को तैयार नहीं होंगे। ऐसा नहीं करेंगे।

मैं पुनः वह उद्धृत करना चाहता हूं जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने कहा है। उसमें लिखा है, "तथारीय अर्थव्यवस्था में मुख्यतः, वास्तविक और सामाजिक अवसंरचना, विद्युत, सिंचाई और पेयजल, सड़क और अन्य परिवहन तथा ग्रामीण और शहरी आर्थिक अवसंरचना जिसमें सरकार बड़ी भूमिका निभाती है में आपूर्ति की कमी जारी रही।" हममें इन क्षेत्रो में खामियां रहीं। जब हम आपूर्ति संबंधी बाधाओं या कमी की बात करते हैं तो इसका अर्थ मात्र वास्तविक आपूर्ति न होकर उन सभी पहलुओं से है जो आपूर्ति संबंधी अर्थव्यवस्था के घटक हैं। दुर्भाग्यवश हम इन सभी क्षेत्रों में मांग के अनुसार आपूर्ति नहीं कर पाए हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री को याद दिलाना चाहता हूं कि वर्ष 2002 में इस देश को गंभीर सूखे का सामना करना पड़ा। मैं आंकड़ों पर गौर कर रहा था और मुझे बताया गया कि खरीफ की फसल के संबंध में खाद्यान्न उत्पादन में 10 मिलियन टन से अधिक का नुकसान होने की संभावना है। यदि मैं गलत हूं तो मेरी बात को ठीक करें। खरीफ उत्पादन में 10 मिलियन टन का नुकसान होगा। इतिहास के सबसे भयानक सूखे के कारण 2002 में खाद्यान्न उत्पादन में 40 मिलियन टन की गिरावट आई। मैं वित्त मंत्री को यह सलाह दूंगा कि वे 2004-05 के बजट से पहले अपनी सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए 2003-04 के आर्थिक सर्वेक्षण को देखें जिसमें तत्कालीन सरकार द्वारा मूल्यों को नियंत्रण में रखने के तरीके की प्रशंसा की गई थी और गरीब किसानों को छोड़कर इस देश के लोगों को इस बात का पता भी नहीं चला कि सूखा पड़ा है और खाद्यान्न उत्पादन में गिरावट आई है। क्यों? ऐसा इसलिए कि हमारे गोदामों में 65 मिलियन टन चावल और गेहूं था। हमने उसे बाजार में उतारा। हमने राज्य सरकारों से कहा "कृपया काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू कीजिए। हम आपको निःशुल्क खाद्यान्न देंगे।" हमने चक्की मालिकों को आटा बनाकर उसे बाजार में बेचने के लिए अनाज दिया। हमने राज्य सरकारों को **अन्त्योदय अन्न योजना** और **अन्नपूर्णा अन्न योजना** के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा वितरण हेतु निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया।

मध्याह्न भोजन योजना भी जारी थी। अतः हमने सरकारी गोदामों में पड़े स्टॉक को बाजार में उतारने के लिए कई कदम उठाए। यदि वित्त मंत्री रिकार्ड को देखने की जहमत उठाए, जो सरकार के पास है, तो मुझे उम्मीद है कि उन्हें आज की स्थिति को काबू में रखने के लिए जादुई कुंजी मिल जाएगी। जहां तक सरकारी गोदामों से माल जारी करने का संबंध है उन्हें रूढ़िवाद और कंजूसी नहीं दिखानी चाहिए। उन्हें उदारता से इसे जारी करना चाहिए। मैं यह भी सुझाव दूंगा कि जहां तक नरेगा का संबंध है - मैं उस पर बाद में आऊंगा - सरकार मजदूरी का कुछ भाग खाद्यान्न के रूप में दे ताकि यह खाद्यान्न लोगों के पेट में जा सके, बाजार में पहुंचे और बाजार पर दबाव कम हो सके।

सप्ताह दर सप्ताह इतनी अधिक मूल्यवृद्धि अस्वीकार्य है। महोदय, जब हम वहां से बोल रहे थे तो आप चीनी बाजार में आई तेजी के बारे में बात कर रहे थे। मैं कहूंगा कि सारे बाजार में तेजी है। इस देश में आवश्यक

[श्री यशवंत सिन्हा]

वस्तुओं के बाजार में काफी तेजी है। इससे मेरा तात्पर्य यह है कि कीमतें रोज बढ़ रही हैं। आपको कीमत के बारे में पता लगाने के लिए एक सप्ताह के लिए भी इंतजार नहीं करना होगा।...*(व्यवधान)*

माननीय सभापति महोदय, यह सरकार खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित करने में जिस प्रकार की लाचारगी दिखा रही है, वह मेरी समझ से परे है। उनके पास सभी तरीके हैं। उनके पास प्रशासनिक तरीके और नीतिगत तरीके हैं। क्या वह उन्हें प्रयोग करने की अनिच्छुक है? मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता है कि इस सरकार में वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री सरीखे बुद्धिमान लोग यह नहीं जानते हैं कि उन्हें इस स्थिति में क्या करना चाहिए। फिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है?

महोदय, मैं सीधे अपने गृह राज्य झारखंड से लौट रहा हूं जहां चुनाव होने हैं। शायद आप यह जानते होंगे कि संसद के इस सत्र में मैं पहली बार भाग ले रहा हूं और मैं जानता हूं कि मूल्यवृद्धि से लोगों को कितना दर्द महसूस हो रहा है। मैं वित्त मंत्री को यह बताना चाहता हूं कि जब हम लोगों से मिलकर उनसे बात करते हैं, सभाओं को संबोधित करते हैं और हम मूल्यवृद्धि की बात करना भूल जाते हैं तो वे हमें याद दिलाते हैं और कहते हैं: "आप मूल्यवृद्धि की बात क्यों भूल गए? आप इसका उल्लेख क्यों नहीं कर रहे हैं? हम कैसे जीएंगे? हम अपने बच्चों को जीवित कैसे रखेंगे? अपने परिवार का भरण-पोषण कैसे करेंगे?" यह बिल्कुल अस्वीकार्य स्थिति है। जब वित्त मंत्री सभा में इस चर्चा का उत्तर देंगे तो मुझे आशा है कि वे कुछ सांत्वना देने वाली बात कहेंगे, आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए सरकार की क्या योजना है, उसके बारे में कुछ सकारात्मक कहेंगे। आज यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या है जिसका सामना अर्थव्यवस्था कर रही है।

मैं आपको बाद में सचेत करूंगा कि यदि आप धनवानों के जाल में फंस गए तो आपको और अधिक कठिन स्थिति का सामना करना पड़ेगा।

इसके बाद हमारा देश और वित्त मंत्री आज कौन सी दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या का सामना कर रहे हैं? एक बार फिर मैं आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट का उल्लेख करूंगा।

यह रिपोर्ट वित्तीय घाटे की स्थिति के बारे में है। मैं यशवंत सिन्हा, अर्थात् विपक्ष का एक सदस्य नहीं अपितु यह रिपोर्ट ऐसा कहती है कि "यदि आप सरकार की बजटेत्तर देयताओं की बात करते हैं..." उनके पूर्ववर्ती ने इस प्रकार की बाजीगरी की है। इसी पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने प्रतिकूल टिप्पणी की है। चिदम्बरम जी के लिए सबसे आसान रास्ता क्या है? वे घाटे और देयताओं को लाइन के नीचे रखें और फिर उसे वित्तीय घाटे और समग्र घाटे में शामिल न करें। वे इसे बाजीगरी कह सकते हैं। मैंने इसे इस देश का बजट बनाने में धोखा करना कहा है।

आपके पास हर प्रकार के बांड जैसे - ऑयल बांड, फर्टिलाइजर बांड, फूड बांड, ये बांड वो बांड क्यों हैं? सभापति महोदय, इसका क्या अर्थ है? साधारण भाषा में इसका यह अर्थ है कि सरकार अपने घाटे में ब्याज के भार को बढ़ा रही है और भविष्य में मूल धन का भार उत्तरवर्ती पीढ़ी पर डाल दिया जाएगा। यह 10 वर्षीय बांड है। कोई और 15 वर्ष का बांड देगा। कोई और इसका भुगतान करेगा। उन्हें अपनी देयता चुकानी होगी। फिर भी आप कहते हैं कि कोई समस्या नहीं है और घाटा बरकरार रहता है।

तब भी वित्त मंत्री को बजट के छह प्रतिशत से ज्यादा घाटा रखने पर बाध्य होना पड़ा था। परिषद क्या कहती है? परिषद कहती है कि आप भारत सरकार का, राज्य सरकार का घाटा बढ़ाते हैं और ये बजटेतर देयताएं; जो वास्तविक देयताएं हैं, कुल राजकोषीय घाटा इस वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद का 10.4 प्रतिशत है। हम 80 और 90 के दशक के परवर्ती वर्षों में लौट आए हैं। वित्त मंत्री इसे किसी से भी अधिक बेहतर जानते हैं कि भारत ने 1990-91 में भुगतान संतुलन के संकट का सामना क्यों किया और इतनी मुश्किल अनियंत्रित राजकोषीय घाटे के कारण थी।

तब, सौभाग्यवश भारत सरकार के लिए वैश्विक वित्तीय संकट आया क्योंकि एक तरफ तो इसने अपनी सभी विफलताओं को पूरी तरह छुपा लिया क्योंकि वे भारत के लोगों को कह सकते थे कि ये सभी समस्याएं वैश्विक वित्तीय संकट के कारण हैं, ये हमारी उपज नहीं है और दूसरी कि वे इन सभी को प्रोत्साहन पैकेज कह सकते थे।

मैंने सोचा कि...शब्द असंसदीय शब्द है पर मैंने गृह मंत्री को इस सभा में इसे बार-बार दोहराते रहने का दृश्य टेलीविजन पर देखा जब वह लिब्राहन बहस का

उत्तर दे रहे थे। इसलिए मैं इस अवमानसूचक शब्द को कहकर नियम और इस सभा का मानदंड तोड़ने नहीं जा रहा हूं। लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि वैश्विक संकट की आड़ में अपनी असफलता छुपाने, अपनी असमर्थतता, कमियां छुपाने तथा भारी राजकोषीय घाटे की व्याख्या प्रोत्साहन पैकेज के रूप में करने से ज्यादा असत्य बात कुछ भी नहीं हो सकती।

मैं आज इस सभा में सरकार पर आरोप लगा रहा हूं कि ये सब और कुछ नहीं बल्कि चुनावों को जीतने की कोशिश थी। यही हुआ...*(व्यवधान)* यदि मैं इसके आंकड़े बताऊं तो पिछली लोक सभा के चुनावों में कांग्रेस पार्टी को मिली 206 सीटों के लिए देश को 4,00,000 करोड़ रुपये की कीमत चुकानी पड़ी। यह इस बजट में घाटा है।

वित्त मंत्री, महोदय, आपने अपने बजट भाषण में कहा था कि राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में लाने के लिए हमें चालू वर्ष में ही सांस्थानिक सुधार उपाय शुरू करने हैं। इन उपायों में बजट के सभी पहलुओं जैसे राजसहायता, करों, व्यय और विनिवेश को शामिल करना है। यही आपने अपने बजट भाषण में कहा था। अब दिसम्बर का महीना है और हम इस सभा में पहली बैंच पर बैठे अनुपूरक मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। इसका सबूत कहां है कि घाटे पर नियंत्रण करने के लिए ऐसे उपाय सोचे गए थे या उनके बारे में सभा को विश्वास में लिया गया था? मेरे पास बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री का आलेख है जिसमें उन्होंने कहा है, "यदि वे सकल घरेलू उत्पाद के 3.5 से 4 प्रतिशत तक राजकोषीय घाटे को नहीं ला सकते तो यह गैर जिम्मेदारी की इंतहा होगी।"

इसके बारे में अखबारों में अनेक लेख लिखे गए हैं। क्या सरकार के पास विकल्प या संतुष्टि है कि वे जब भी चाहें इन खर्चों से पीछे हट सकते हैं? शायद अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान, शायद चीन सहित कोई अन्य देश जिसने बेल-आऊट की सोची है, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन क्या हम ऐसा करने की स्थिति में हैं?

सभापति महोदय, वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत करते समय सभा को गर्व से सूचित किया था कि इतिहास में पहली बार हमने 10 लाख करोड़ का आंकड़ा पार किया है जहां तक व्यय बजट का सम्बंध है। अब मैं आर्थिक परामर्शदात्री परिषद के प्रतिवेदन का उल्लेख करूंगा क्योंकि यह सरकारी दस्तावेज है। यह क्या कहता है? यह कहता है:

"उपर्युक्त राजकोषीय घटनाचक्र चार महत्वपूर्ण विंदुओं को रेखांकित करती है-

(1) घाटे में वृद्धि प्रोत्साहन पैकेज के कारण नहीं बल्कि राजसहायता, वेतन संशोधन, ऋण माफी और एन.आर.ई.जी.ए. की बढ़ी कवरेज पर अतिरिक्त परिव्यय के कारण थी।

(2) घाटे का संरचनात्मक घटक महत्वपूर्ण है, यद्यपि इसका कुछ भाग संरचनात्मक घटक है।

(3) बजट के आंकड़े से महत्वपूर्ण उच्च संशोधित व्यय खराब व्यय प्रबंधन को बेहद केन्द्र में ला देता है।

(4) प्रोत्साहन पैकेज के लिए राजकोषीय स्थान सीमित था और इसे वांछित क्षेत्रों खासकर अवसंरचना की ओर निदेशित नहीं किया जा सका था"।

निष्कर्ष यह है, मैं प्रधानमंत्री की आर्थिक परामर्शदात्री परिषद की टिप्पणियां हैं।

अब मैं 10 लाख करोड़ की राशि पर आता हूं। मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री सभा को विश्वास में लें और हमें बताएं कि यदि प्रोत्साहन पैकेज (स्टिमूलस पैकेज) देते तो आप व्यय को किन मदों को छोड़ते। मैंने इसका विश्लेषण किया था। गैर योजना राजस्व व्यय के लिए 6,18,834 करोड़ रुपए निर्धारित हैं, जोकि भारत सरकार के व्यय का सबसे अनुत्पादक हिस्सा है। क्यों? क्योंकि इसमें ब्याज भुगतान, राजसहायता, पेंशन, स्थापना व्यय, डाक घाटा तथा इसी प्रकार की मदें शामिल हैं। आप इसे कहां दबाएंगे? क्या यहां कुछ ऐसा है जिसे आप अगले वर्ष वापस ले सकें और कहें कि इस स्तर पर राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं? योजना व्यय केवल 3,25,149 करोड़ रुपए है जोकि कुल गैर योजना व्यय के आधे से भी कम है। इस वर्ष भारत सरकार को केवल ब्याज के रूप में ही 2,25,511 करोड़ रुपए का भुगतान करना है। ब्याज के रूप में हम इस धनराशि का भुगतान कर रहे हैं। इस वर्ष हम 4 लाख करोड़ रुपए उधार लेने जा रहे हैं। आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि इससे ब्याज के भार में कितनी वृद्धि होगी?

आज प्रत्येक व्यक्ति ऋण - जी.डी.पी. अनुपात पर टिप्पणी कर रहा है। ऋण-जी.डी.पी. अनुपात में सभी युक्तियुक्त सीमाओं से अधिक वृद्धि हो रही है। कुछ

[श्री यशवंत सिन्हा]

अनुमानों के अनुसार इस वित्तीय वर्ष के आखिर तक इसके जी.डी.पी. के 80 प्रतिशत तक पहुंच जाने का अनुमान है। जी.डी.पी. का 80 प्रतिशत इस देश का ऋण है। इसे एक सकारात्मक स्थिति तो नहीं कहा जा सकता। इसलिए भारत सरकार के व्यय की कठोर प्रकृति जिसे वे बरकरार रख पाए थे क्योंकि कर संग्रहण अधिक था क्योंकि अर्थव्यवस्था विशेषकर औद्योगिक अर्थव्यवस्था के साथ-साथ देश की सेवा अर्थव्यवस्था का भी विकास हो रहा था और कर संग्रहण बहुत ज्यादा थे। लेकिन इस वर्ष कर संग्रहण उतने अधिक नहीं है। माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट में जितना कर संग्रहण करने का अनुमान लगाया था उस की तुलना में इस वर्ष के आखिर तक हमें बहुत कम कर मिलने की संभावना हो। प्रत्यक्ष कर, जो इस देश की कर संरचना के सबसे उत्प्लावक हिस्सा है, के संग्रहण में भी कम वृद्धि दर्ज की गई है।

अतः आपके समक्ष एक स्थिति है जहां आपका खर्च बढ़ता जाएगा और कर संग्रहण से आपको कम धनराशि मिलेगी तथा राजकोषीय घाटा जोकि सकल घरेलू उत्पादन का 10 प्रतिशत है, में और वृद्धि हो जाएगी। अतः राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम जिसे हमने सरकारी वित्त में कुछ अनुशासन लाने के लिए पारित किया था वह कहां है? हमने उसका मजाक उड़ाया है। संसद घाटा पारित यह एक पवित्र अधिनियम है। जिस तरीके से इसका मजाक बनाया गया है उन्हें शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता।

एफ.आर.बी.एम. अधिनियम का क्या हुआ? मैं जानना चाहूंगा कि वित्त मंत्री हमें साफ तौर पर बताए कि क्या वे इस अधिनियम को जारी रखना चाहते हैं; क्या वे कोई दीर्घकालिक राजकोषीय नीति लानी चाहते हैं? वे क्या सोच है और वे सरकारी वित्त व्यवस्था को पुनः पटरी पर कैसे लाएंगे? कोई भी यहां खड़ा होकर यह नहीं कहेगा कि चार लाख करोड़ रुपए का बड़ा राजकोषीय घाटा, जोकि अगले वर्ष पांच लाख करोड़ रुपए हो सकता है और उसके बाद छह लाख करोड़ रुपए हो सकता है, एक अच्छी चीज है। मैं कुछ टेलीविजन चैनलों पर एक विज्ञापन देखता हूं जिसमें वे कहते हैं कि

[हिन्दी]

दाग अच्छे हैं। वह बच्चा खेलता है मिट्टी में, वह कहते हैं दाग अच्छे हैं।

[अनुवाद]

वे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे एक विशेष ब्रांड के डिटर्जेन्ट पाउडर का प्रचार कर रहे होते हैं। इसलिए वे कह रहे हैं दाग अच्छे हैं। अब मैं यह नहीं चाहता कि सरकार यहां उठे और यह कहे कि

[हिन्दी]

फिस्कल डेफिसिट अच्छा है इसलिए बढ़ाते जाओ, क्योंकि उसको धोने के लिए कोई डिटर्जेंट नहीं है आपके पास नारायण सामी जी, कोई डिटर्जेंट नहीं है जो उस दाग को धो पाए।

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, कृपया अपना भाषण समाप्त करें। आपकी पार्टी को अलाट किया समय समाप्त हो रहा है, जबकि दो और सदस्य आपकी पार्टी से बोलेंगे।

श्री यशवंत सिन्हा: मैं अपनी बात समाप्त ही कर रहा हूं।

[अनुवाद]

यह नवीनतम आंकड़े हैं जोकि मासिक आंकड़े हैं जो लेखा महानियंत्रक द्वारा जारी किए गए हैं और ये अक्तूबर तक के हैं। अक्तूबर तक भारत सरकार सात महीनों में 73.1 प्रतिशत का राजस्व घाटा उठा चुकी थी।

[हिन्दी]

आगे क्या होगा चलकर भगवान ही जानता है। मैं बिल्कुल आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी भी नहीं जानते। इस वर्ष के आखिर में यह डेफिसिट बढ़ते-बढ़ते कहां पहुंच जाएगा? मेरे दो छोटे-छोटे पाइंट्स हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आई।...सटे कोपेनहेगन यहां आ गया!

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): रात को जाऊंगा, अभी तो आपकी बात सुनने आया हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री यशवंत सिन्हा: निसन्देह मैं सभा में बिना किसी डर के यह कह सकता हूं कि पिछले पांच-छह वर्षों के दौरान अवसंरचना को भारी नुकसान हुआ है - चाहे वह राजमार्ग हो या अन्य चीजें हों। केवल एक चीज प्रगति

कर रही है और वह है संचार लेकिन संचार का विचार एक गति के कारण हो रहा है जोकि स्वयं ही बनी है। अतः यह स्वयं ही विकास कर रही हैं, सरकार के पास इसे रोकने की ताकत नहीं है। लेकिन सड़कों को देखो। इस वर्ष 16 मई को लोक सभा निर्वाचित हुई थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नए मंत्री को कुछ समय हो पाया है। मुझे नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं वे कहां गायब हो गए हैं। श्री जयराम रमेश की तरह वे जब वाणिज्य मंत्री थे तो वे मीडिया में छाए रहते थे। अब वे अचानक दृश्यपटल से गायब हो गए हैं। कई बार सुना है कुछ...*(व्यवधान)*

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): वे मीडिया को अच्छी तरह संभाल लेते हैं...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा: ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं ये श्रीमान नारायण स्वामी कह रहे हैं...*(व्यवधान)* अतः अवसंरचना को लीजिए इस संबंध में प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने क्या कहा था।

सभापति महोदय, मैं यह बात गंभीरतापूर्वक कह रहा हूं। यदि सरकार राजकोषीय घाटे को जी.डी.पी. का 15 प्रतिशत कर दे और देश में अवसंरचना के सृजन के लिए धनराशि जाती तो, मैं ऐसा पहला व्यक्ति होता जो इस सभा में खड़े होकर उन्हें बधाई देता तथा ये कहता कि मैं यही करना चाहता था। लेकिन वे इस धन को बर्बाद कर रहे हैं।

मैंने एन.आर.ई.जी.एस. का उल्लेख किया है जोकि सरकार की प्रमुख योजना है। सभापति महोदय, इसमें से कितनी धनराशि बर्बाद की जा रही है?

[हिन्दी]

आप लोगों ने कैसे उस स्कीम को बनाया, मैं नहीं जानता हूं। मैं लोक सभा के एमपी के नाते अब उसे देख रहा हूं। आपकी एक स्कीम में मिट्टी-मोरम की सड़क है। उपस्कर और मशीनों के उपयोग पर पूर्णतया निषेध है। वह सड़क पर मिट्टी डालता है, वह कम्पैटिंग होता नहीं है, उसके ऊपर से मोरम डाल देगा, तो उसका क्या होगा? एक बरसात में वह सड़क बह जाती है। मैं इस तरह के अनेकों केसेज जानता हूं जहां उसने मिट्टी भी नहीं डाली। एक लम्बी सड़क के लिए वह मोरम लेकर गया और प्रसाद की तरह छिड़कता चला गया और बिल 10-20 लाख का बन गया। मैं तो यह मानता हूं कि नरेगा से...* इस देश में कभी बनी ही नहीं है। इतना...* एम्प्लाएमेंट के नाम पर हो रहा है।...*(व्यवधान)* मजदूरों को महीनों तक कुछ नहीं मिलता है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): सभापति महोदय, ये सरकार पर आरोप लगा रहे हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: जब मैं अपनी सीट पर जाऊंगा और मुझे बोलने का मौका मिलेगा तो सारी बातों को स्पष्ट कर दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा: रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ पैसे की...* हो रही है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वी. नारायणसामी: श्री सिन्हा, आप भी व्यवस्था के एक भाग हैं तथा समितियों में शामिल भी थे...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री यशवंत सिन्हा: सभापति महोदय, आपका भी अनुभव होगा और हम सभी का अनुभव है कि जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो एक बड़ा मुद्दा जो हमारे सबके सामने आता है वह बी.पी.एल. कार्ड का होता है। सब कहते हैं कि हमें बी.पी.एल. कार्ड दो। सबसे बड़ी डिमांड आज रूरल एरियाज में यही है। हर जगह लोग कहते हैं कि मुझे बी.पी.एल. सूची में शामिल करो, मेरे को लाल कार्ड दो। सरकार से मैंने पता किया तो पता चला कि भारत सरकार की तरफ से रोक लगी है कि बी.पी.एल. में कोई नया नाम नहीं जोड़ा जाएगा। सक्सेना कमेटी रिपोर्ट बनी, उसके बाद अब सुरेश तेंदूलकर कमेटी रिपोर्ट बनी। यह रिपोर्ट, वह रिपोर्ट मैं कहना चाहता हूं कि गरीब-गरीब है। क्या गरीब की पहचान करने के लिए किसी चीज की जरूरत है? गरीब तो गरीब है, उसकी पहचान करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं भारत सरकार को यह सुझाव दे रहा हूं कि गरीबों की

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री यशवंत सिन्हा]

पहचान करने के बदले अमीरों की पहचान कर लें और बाकी सब गरीब हैं और सभी को लाल कार्ड, हरा कार्ड उपलब्ध कराना चाहिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय, मैं झारखंड का उदाहरण देता हूं। वहां भी एन.सी. सक्सेना, जो भारत सरकार के पावर्टी कमीशन को हेड कर रहे थे, मैंने अखबार में उनके बयान को पढ़ा कि झारखंड में गरीबों की संख्या 82 परसेंट है और केवल 30 परसेंट लोगों को बी.पी.एल. कार्ड मिला है। इसका मतलब जो लोग सचमुच गरीबी रेखा से नीचे हैं, उन्हें इस कार्ड का लाभ नहीं मिल रहा है। न उन्हें इंदिरा आवास योजना का लाभ मिल रहा है, न वृद्धा पेंशन मिलती है और न ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती है, उन्हें नरेगा का लाभ नहीं मिलता है और खाना भी नहीं मिलता है तथा ये इंक्लूसिव डवलपमेंट की बात कर रहे हैं। जनता को बहुत तकलीफ है, बहुत वेदना है। मैं उसका वर्णन भी सदन में नहीं कर सकता हूं और हम इक्नोमिक ग्रोथ की बात करते हैं। क्या गरीब इक्नोमिक ग्रोथ खाएगा? जिसका पेट खाली है, उसे आप कह दो कि आठ परसेंट ग्रोथ हो गई है, नौ परसेंट ग्रोथ हो गई है, क्या वह ग्रोथ खाएगा?

सभापति महोदयः आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री यशवंत सिन्हाः मैं सरकार से अंत में अपील करना चाहता हूं कि जहां एक तरफ इन्हें अपने बजट को मैनेज करना चाहिए, ढंग से मैनेज करना चाहिए, बजट में संतुलन बनाना चाहिए, जो पूरी तरह से असंतुलित और बरबाद हो गया है, उस बजट को संतुलित करने का प्रयास करना चाहिए और उन मुद्दों की तरफ ध्यान देना चाहिए, जो कि गरीबों से संबंधित हैं, जो गांवों से संबंधित हैं और शहर के गरीब लोगों से रिलेटिड हैं, जो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएंगे। जब तक ऐसा नहीं होगा, तब तक कभी गांवों तक सड़क नहीं पहुंचेगी। कभी गांव में पीने का पानी नहीं पहुंचेगा, कभी गांव में घर और स्कूल नहीं बनेंगे। आज देखिए, तो आपको पता चलेगा कि सर्व शिक्षा अभियान, जो हम लोगों ने चलाया था, केवल उसी की बिल्डिंग दिखाई देती है।...*(व्यवधान)* इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया है और चुनाव जीतने के लिए भारत सरकार का चार लाख करोड़ रुपया इन लोगों ने बरबाद किया है। देश की इन्हें चिंता नहीं है, इन्हें केवल अपनी चिंता है। ऐसी व्यवस्था इस देश में नहीं चल सकती है।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बहरामपुर): धन्यवाद सभापति महोदय। मैं वर्ष 2009-2010 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों के प्रथम खेप के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। कुल राशि 30,942.62 करोड़ रुपए के सकल अतिरिक्त व्यय जिसके अंतर्गत 25,725.22 करोड़ रुपए के औसत निवल नकदी व्यय को अधिकृत करने हेतु अनुपूरक अनुदान मांगों की स्वीकृति संसद से मांगी गई है।

हमारे पूर्व वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा जी अपना भाषण दे रहे थे जिसे मैंने काफी ध्यान से सुना। वे यू.पी.ए.-I और यू.पी.ए.-II सरकार की सतत् वर्षों में जन आधारित नीतियों और जन आधारित कल्याण कार्यक्रमों की सफलता को छोटा साबित करते हुए नकारने का प्रयास कर रहे थे। ऐसा पहली बार है जब मुझे हमारे पूर्व वित्त मंत्री से यह मालूम हुआ कि एन.डी.ए. शासन के दौरान अर्थव्यवस्था में आधिक्य था। मैं यह नहीं जानता कि अर्थव्यवस्था की इस अधिक्य का क्या मतलब है।

इसका क्या अभिप्राय है? श्री यशवंत सिन्हा जी ने यह पुरजोर कोशिश की थी वे यू.पी.ए.-I और यू.पी.ए.-II सरकारों के बीच दरार को सामने ला सकें। उनकी यह कोशिश थी कि वर्तमान वित्त मंत्री और उनके पूर्ववर्ती के बीच के अंतर को सामने लाया जाए। पर मुझे लगता है कि यह कारगर सिद्ध नहीं होगा। क्योंकि हमारी सरकार समन्वित रूप से देश के समावेशी विकास का एकल लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं।

[हिन्दी]

ये लोग उस जमाने में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे। उन लोगों का जमाना मुंगेरी लाल के सुनहरे सपने देखते-देखते खत्म हो गया तो वे "शाइनिंग इंडिया" का स्लोगन सोचने लगे। यह उस समय हिन्दुस्तान की आम जनता के लिए रखा गया था लेकिन इन लोगों के लिए यह कामयाबी की जगह बरबादी लाया। इसी सिलसिले में जिन लोगों ने एन.आर.ई.जी.एस. के खिलाफ मेज थपथपाई है, मैं कहना चाहता हूं कि आप खुलेआम कहो कि तुम एन.आर.ई.जी.एस. के खिलाफ हो, तब मैं मानूंगा। जब आप गांव में जाते हैं तो एन.आर.ई.जी.एस. के तहत अपने यहां काम करवाते हैं। लेकिन जब आप पॉर्लियामेंट में आते हैं तो इस सरकार के खिलाफ बोलने के लिए एन.आर.ई.जी.एस. की बात करते हैं। चेयरमैन साहब, आप इस मंत्रालय के मंत्री थे। जब आपकी बारी

आएगी तब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस बारे में विस्तार से चर्चा करें क्योंकि एन.आर.ई.जी.एस. एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसा हथियार है जिससे हमने एन.डी.ए. को दोबारा ठस्स करके यू.पी.ए. टू सरकार बनाई। यह बात इसलिए उन्हें अच्छी नहीं लगेगी।

[अनुवाद]

महोदय, यू.पी.ए.-II सरकार ने अपनी दूसरी पारी समावेशी विकास पर विशेष जोर देते हुए शुरू की थी। गत वर्षों में विकास के बावजूद यह माना जाता है कि अवसरों की असमानता है, व्यापक लिंग असमानता है और क्षेत्रीय असमानता स्पष्ट है। अतः सरकार का विशेष जोर देश में समावेशी विकास पर है।

ग्यारहवीं योजना में समग्र जी.डी.पी. में 9 प्रतिशत का विकास दर निर्धारित की गई है जिसके अंतर्गत प्रतिव्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) 7.8 प्रतिशत प्रति वर्ष है। सच्चाई यह है कि हमें यह विकास वैश्विक प्रतिस्पर्धा के वातावरण में हासिल करना है, वैश्विक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में करना है जहां हमें अवसरों और चुनौतियों दोनों का सामना करना है। वैश्विक आर्थिक मंदी जिसका विश्व पर काफी प्रभाव पड़ा उससे हम भी अछूते नहीं हैं।

अपराह्न 5.00 बजे

परंतु संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोपीय संघ और अन्य कई विकसित देशों की तुलना में हम भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक आर्थिक मंदी से बचाने में सफल हुए। यह यू.पी.ए. सरकार की एक विशिष्ट उपलब्धि है। इसमें ही यू.पी.ए.-II सरकार की सफलता है। केवल यही नहीं बल्कि इस अवधि में भारत वैश्विक स्तर पर एक लचीली अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा। हमारी लचीली अर्थव्यवस्था को औद्योगिक, विनिर्माण और निर्यात सहित अधिकांश क्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण ने साबित किया है। मुख्य रूप से विश्व बैंक के अध्यक्ष मि. लोएलिक ने कहा था कि "भारत की विकास दर अगले एक दो वर्षों में 8-9 प्रतिशत के स्तर पर वापस दिखाई देगी जैसा कि देश के 11वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया।" यह विश्व बैंक के अध्यक्ष की टिप्पणी थी। सशक्त वित्तीय और मौद्रिक नीति ने निर्यात में कमी तथा खाद्य, ईंधन और वित्तीय संकट जैसे बहुस्तरीय बाह्य संकट का सफलता से सामना करने में हमें सक्षम बनाया है। यह कौन नहीं जानता कि अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत नियंत्रण से बाहर जा चुकी है? यह कौन नहीं जानता कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य पदार्थों की क़ीमतें बेतहाशा बढ़ गई हैं? अब अगर कोई केवल बहस के लिए कोई प्रबुद्ध साथी वैश्विक आर्थिक परिदृश्य की सत्यता पर सवाल उठाता है तो मैं केवल उनके प्रति सहानुभूति ही रख सकता हूं।

किसी प्राकृतिक संसाधनों को सरकार की उपलब्धि नहीं मानना चाहिए। एन.डी.ए. सरकार के काल में हुई कृषि विकास का कारण प्रकृति की देन थी। यह किसी सरकार की उपलब्धि नहीं थी। परंतु उस समय सरकारी गोदामों में अनाजों का सड़ना और लोगों को आवश्यक अन्न तक न मिलना और इससे देश में भूख से हुई मृत्यु एन.डी.ए. सरकार की असफलता थी। और बाद में इसी एन.डी.ए. सरकार ने उन निर्यातकों को जिन्होंने एन.डी.ए. सरकार को उदार समर्थन दिया था उन्हें उस बहुमूल्य अनाज को बेचने का प्रस्ताव किया। यह सच है।

माननीय वित्त मंत्री ने पहले ही कहा कि "अर्थव्यवस्था संकट का सामना करने में सफल रही है और दूसरी तिमाही में 7.9 प्रतिशत विकास दर पर आ गई है। यह सरकार द्वारा लागू किए गए प्रोत्साहनों की क्षमता तथा सशक्त आर्थिक बुनियाद को दर्शाता है।"

यह हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि वैश्विक मंदी के बावजूद भारत का अ.घ.उ. विकास दर अगले तीन वर्षों में 9 प्रतिशत पर वापस आ जाएगी। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि हमारे पास संतुलित बचत के साथ-साथ हमारी अर्थव्यवस्था में पर्याप्त निवेश क्षमता है।

मैं पूर्व की घटनाओं का उल्लेख करना चाहूंगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का इतिहास, भारतीय अर्थव्यवस्था का आरंभिक पथ यह बताता है कि पूर्व के दिनों में यहां तक की आजादी के बाद भी हमारे देश ने काफी विपरीत परिस्थितियों का सामना किया है। मुझे याद आता है जब वर्ष 1966 के दौरान तत्कालीन वित्त मंत्री श्री सचिन चौधरी ने रेडियो प्रसारण के माध्यम से रुपए के 36.5 प्रतिशत अवमूल्यन करने के साथ आयात प्रशुल्क, कर ऋण, प्रत्यक्ष राजसहायता और महत्वपूर्ण अधिकृत योजनाओं में कटौती करने के भारत के निर्णय की घोषणा की थी।

बर्लिन की दीवार के गिरने के साथ जब संपूर्ण विश्व व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन आए, कई बार रुपए-रूबल के वित्तीय गठजोड़ और करीबी कारोबार होने के बावजूद हमारा देश सोवियत संघ के पतन से उत्पन्न दबाव से प्रभावित नहीं हुआ। 1991 में, सभी जानते हैं कि संचित किया कुल सरकारी ऋण हमारे सकल घरेलू

[श्री अधीर चौधरी]

उत्पाद का 76 प्रतिशत था, ब्याज भुगतान, सकल घरेलू उत्पाद का चार प्रतिशत तथा सकल घरेलू उत्पाद के व्यय का 20 प्रतिशत रहा। इन परिस्थितियों में, विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक से ऋण लेने के साथ-साथ अनुपूरक एवं सामाजिक वित्तीय सुविधा के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शरण में जाना एकमात्र रास्ता था, इसके द्वारा हम संकट से उबरे तथा नए वेग के साथ वित्तीय सुधार आरंभ किए गए। उदारीकरण और संस्थागत पुनर्गठन आदि के युग में हमारा आगमन हो गया था।

1997-98 में इस भारतीय अर्थव्यवस्था ने दक्षिण-पूर्वी एशियाई संकट का दबाव झेला, और 2008 में लेएमैन ब्रदर्स घोटाले के कारण वैश्विक आर्थिक मंदी आई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इसे दुनिया की सभी आर्थिक मंदियों की जननी करार दिया। दोहराता हूं कि इस मंदी को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने उभारते हुए बाजारों की सबसे बड़ी मंदी बताया। इस सबके बावजूद हम इस आर्थिक मंदी से बचने का लगातार प्रयास कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि विपक्ष द्वारा यू.पी.ए. सरकार के पत्तन को सारी भविष्यवाणियों के बावजूद यू.पी.ए. सरकार सफल होगी। कोई भी हमें इस देश के लोगों का **दिल** जीतने से रोक नहीं सकता।

वैश्विक अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है? यदि हम वैश्विक अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति को नहीं समझते हैं तो हमारे लिए प्रगति के पथ पर अग्रसर होना और अपने देश पर वैश्विक अर्थव्यवस्था के परिणामी प्रभावों का आकलन करना हमारे लिए कठिन होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार इस समय वैश्विक अर्थव्यवस्था का सकारात्मक पहलू यह है कि दूसरी तिमाही में विश्व सकल उत्पाद में तीन प्रतिशत की वृद्धि हुई है, विनिर्माण क्रियाकलापों में तेजी आई है; व्यापार जगत उबर रहा है; वित्तीय बाजारों की स्थिति में सुधार हो रहा है, लोगों की जोखिम भरे निवेश करने की मनोस्थिति सुधर रही है।

ये विश्व अर्थव्यवस्था के सकारात्मक पहलू हैं। हालांकि, इसके सकारात्मक पहलू की हैं। नकारात्मक पहलू यह है कि आर्थिक स्थिति में इस सुधार की जड़ें गहरी नहीं हैं। दूसरी तिमाही में सुधार नीतिगत प्रोत्साहनों का परिणाम है। केवल हमारे देश ने ही प्रोत्साहनों की घोषणा नहीं की है। विश्वभर में, यहां तक कि विकसित देशों में भी आर्थिक मंदी से निजात पाने के लिए प्रोत्साहन पैकेज लाए गए।

2009 की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने 6.1 प्रतिशत को विकास पर दर्ज की, जोकि वर्ष 2008-09 की इसी अवधि की 7.8 की दर की तुलना में कम है। सब कुछ पारदर्शी है। हमारे माननीय वित्त मंत्री महोदय के अनुसार दूसरी तिमाही में 7.9 प्रतिशत की विकास दर अपेक्षित है। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन की सराहना करते हुए 2010 में सात प्रतिशत तथा 2011 में 5 प्रतिशत विकास दर का अनुमान लगया है।

औद्योगिक क्षेत्र समष्टि आर्थिक **स्थिति** का सही सूचक है। यदि हम औद्योगिक क्षेत्र के मामले को लें तो इसने हाल के महीनों में उबरने के स्पष्ट संकेत दिए हैं। अप्रैल-अगस्त 2009 के दौरान औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक 5.8 प्रतिशत की दर से बढ़ा, जबकि पिछले वर्ष, इसी अवधि के दौरान यह 4.8 प्रतिशत था। ताजा आंकड़े बताते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र में 9-10 प्रतिशत की दर से वृद्धि हो रही है।

अप्रैल-अगस्त 2009 के दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, प्रमुख अवसंरचना क्षेत्र में 26.7 प्रतिशत की दर से वृद्धि के कारण पिछले वर्ष इसी अवधि में 3.3 प्रतिशत की दर की तुलना में 4.8 प्रतिशत को दर से बढ़ा है। इससे क्या इंगित होता है? इससे इंगित होता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। यह स्पष्ट संकेत है।

अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने तथा उपयोग के लिए उपलब्ध आय बढ़ने के साथ कल ही समाचार आया कि पिछले छह वर्षों में कारों की बिक्री में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की जा रही है। लगभग छह वर्षों में, कारों की बिक्री में 61 प्रतिशत की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। इसका क्या अर्थ हुआ? शेयर बाजार में तेजी आने के कारण मांग बढ़ी है।

सेवाओं के क्षेत्र में, भारत ऐसा देश है, जोकि 1991 से सेवा क्षेत्र में अपनी दक्षता सिद्ध करता आ रहा है। अप्रैल-जुलाई 2009 के दौरान सेवा क्षेत्र का कार्य निष्पादन 2008-09 की चौथी तिमाही के अनुरूप ही रहा। प्रमुख समुद्रों तथा विमानपत्तनों पर कार्गो संभलाई (हैंडलिंग) जैसी व्यापार संबंधी सेवाओं में कमी आई, जोकि व्यापार संतुलन को प्रतिविम्बित करता है। व्यापार कम हुआ है और सभी यह बात जानते हैं। परन्तु हमारे वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने यह कहा, जिसका कि मैं हवाला दे रहा हूं:

"अक्तूबर, 2008 से भारत के निर्यात में गिरावट आ

रही है, यद्यपि हाल के महीनों में यह गिरावट थम गयी है। मई 2009 में देश के वस्तु निर्यात में 38.9 प्रतिशत की गिरावट आई थी, इसमें अब सुधार नजर आने लगा है तथा इस वर्ष अक्तूबर में इस गिरावट को नियंत्रित कर 6.6 प्रतिशत के स्तर पर लाया गया है।"

ऐसी आशा की जा रही है कि अगले वित्तीय वर्ष में निर्यात में 15 प्रतिशत की वृद्धि होगी। संचार एवं निर्माण जैसी अन्य घरेलू क्रियाकलापों संबंधी सेवाओं से उबरने के संकेत मिलने शुरू हो गये हैं। रेलवे के ढुलाई यातायात से अर्जित राजस्व में अच्छी वृद्धि दर्ज की गई है। 2009-10 के प्रथम पांच माह में हम स्वीकार कर चुके हैं कि केन्द्र सरकार का वित्तीय घाटा 54.9 प्रतिशत था। हमने यह कभी नहीं कहा कि हम एफ.आर.बी.एम. अधिनियम का उल्लंघन करने जा रहे हैं, परन्तु स्थिति यह है कि हम आर्थिक परिदृश्य में एफ.आर.बी.एम. का पूर्णत पालन करना संभव नहीं है। इसलिए जब स्थिति में सुधार होगा तो सरकार फिर से एफ.आर.बी.एम. पद्धत्ति पर लौटेगी। किसी को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

हमारे विदेशी मुद्रा बाजार की क्या स्थिति है? 2009-10 के दौरान विदेशी मुद्रा बाजार व्यवस्थित रहा, रुपये ने प्रमुख मुद्राओं की तुलना में ऊपर-नीचे, दोनों तरह की चाल दिखाई। यह मुद्राओं के व्यापार आधार वाली वास्तविक विनिमय दर 96.3 प्रतिशत से बढ़कर अक्तूबर 2009 तक 104.2 प्रतिशत हो गई।

शेयर बाजार की क्या स्थिति है। महोदय यह भी संभावनाओं से परिपूर्ण है। शेयर बाजार तेजी से उबरा, यहां बड़ी मात्रा में विदेशी संस्थागत निवेश हुआ जोकि भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति आशावादी दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। जब भारतीय अर्थव्यवस्था सामान्य हुई तो हमारी अर्थव्यवस्था की प्रगति के अनुरूप ही विदेशी निवेशकों का रुझान भी बढ़ रहा है। शेयर बाजार इसे इंगित करता है। यह सूर्य के प्रकाश के समान बहुत ही सरल मामला है।

मैं अब आपकी विदेशी क्षेत्र की स्थिति की संक्षिप्त जानकारी दूंगा। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भारत का विदेशी खाता सहज स्तर पर रहा। कम बाह्य मांग तथा घरेलू अर्थव्यवस्था में मंदी आने के साथ ही निर्यात से ज्यादा आयात में कमी आने के परिणामस्वरूप वस्तुओं की खरीद-फरोख्त में कमी आई। कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि के साथ वर्ष 2009-10 की पहली तिमाही में व्यापार घाटा वर्ष 2008-09 की चौथी तिमाही में 14.6 बिलियन अधिक है।

महोदय, पूंजी लेखे में वर्ष 2008-09 की अंतिम दूसरी तिमाही में नकारात्मक शेष से वर्ष 2009-10 के पहली तिमाही के दौरान 6.7 बिलियन का सकारात्मक शेष दर्शाया।

हमारा विदेशी विनिमय भण्डार बहुत अच्छा है तथा यह पिछले माह तक लगभग 284.4 बिलियन था। तथापि, हम हमारी अर्थव्यवस्था के अनाकर्षक पहलू से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। जी हां, कुछ नकारात्मक पक्ष भी है जिनकी हम अनदेखी नहीं कर सकते हैं। हाल ही के वर्षों में कुल रोजगार की स्थिति में सुधार हुआ है परंतु श्रम बल और भी तेजी से बढ़ा है जिससे बेरोजगारी की दर में वृद्धि हुई है। संगठित क्षेत्र में स्थायी रोजगार में कमी हुई है जबकि संगठित क्षेत्र की फर्मों में अनौपचारिक रोजगार में वृद्धि हो रही है। क्षेत्र में आर्थिक विकास संतुलित नहीं रहा है। अर्थव्यवस्था के मौजूदा तंत्र में मानव विकास के कहीं अधिक उच्च स्तर की प्राप्ति की जा सकती थी यदि डिलीवरी प्रणाली में सुधार होता। श्री यशवंत सिन्हा सरकार पर इल्जाम लगा रहे थे कि नरेगा तथा बी.पी.एल. सूची को तैयार करने का कार्य राज्यों में लागू नहीं किया जा रहा है। क्या मैं अपने पूर्व वित्त मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या केन्द्र सरकार के लिए झारखण्ड में उनके निवास स्थान या उनके गांव के आसपास नरेगा योजना को लागू करने की बाध्यता है? क्या केन्द्र सरकार को उस गांव में जहां श्री यशवंत सिन्हा जी का निवास स्थान है वहां बी.पी.एल. सूची तैयार करने की कोई बाध्यता है?

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिमी चम्पारण): वहां राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। इसलिए, यह आपकी जिम्मेदारी है।

श्री अधीर चौधरी: पिछले कुछ माह से ही राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है।

मैं यह बता रहा हूं कि वे भी हमारे देश के वित्त मंत्री थे। इसलिए, संघीय ढांचे में होने के नाते उन्हें भी जानकारी है कि केन्द्र सरकार द्वारा सभी उत्तरदायित्व वहन नहीं किए जा सकते हैं। एक संघ सूची है, एक समवर्ती सूची है तथा राज्य सूची है। हम पहले ही मान चुके हैं कि खराब डिलीवरी प्रणाली के चलते, देश में अनेक कल्याण योजनाएं आम आदमी तक नहीं पहुंच पाती हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: झारखंड में तीस वर्षों से पंचायती राज के चुनाव नहीं हुए। ये सारी योजनाएं पंचायत राज के द्वारा लागू होती हैं।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी: जहां तक कृषि का संबंध है, भारत सभी कृषि वस्तुओं के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं जिनकी हमें आवश्यकता है। विशेषरूप से, देश में खाद्य तेलों तथा दलहनों की अत्यंत कमी है। प्रत्येक वर्ष, भारत लगभग 40 प्रतिशत खाद्य तेल तथा 12 से 15 प्रतिशत दलहन, जिनकी हमें जरूरत है, का आयात करता है। इस वर्ष, हम जानते हैं कि संपूर्ण देश सूखे तथा बाढ़ आदि प्राकृतिक विपदाओं से ग्रस्त रहा है। हम चाहें या नहीं हमें सूखे तथा उग्र पर्यावरणीय घटनाओं के परिणाम का सामना करना होता है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण खाद्य फसलों के तहत क्षेत्रफल में कमी हुई। यह 69.22 मिलियन हैक्टेयर से कम होकर 63.78 मिलियन हैक्टेयर हो गया। खाद्यान्नों के लिए 239 मिलियन टन के कुल लक्ष्य का निर्धारण किया गया था परंतु 233 मिलियन टन खाद्यान्नों के पैदा होने की आशा है। यह खाद्यान्नों की कमी को दर्शाता है। कृषि विभाग ने इस वर्ष 12 राज्यों के 299 जिलों को सूखा प्रभावित घोषित किया है। क्या हमारी सरकार सूखा लाई है? क्या सूखे और बाढ़ के लिए हमारी सरकार जिम्मेदार है? मुझे विपक्ष तथा यहां तक की पूर्व वित्त मंत्री द्वारा बढ़-चढ़ कर दिए गए तर्क से आश्चर्य हुआ। मैं पूर्व वित्त मंत्री को स्मरण कराना चाहूंगा कि उनके कार्यकाल के दौरान धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या था। एन.डी.ए. के शासनकाल के दौरान, धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 530 रुपये था जमा 20 रुपये था परंतु यू.पी.ए. के शासनकाल के दौरान 2009-10 के उस वर्ष में धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ा कर 950 रुपये कर दिया गया है...*(व्यवधान)* मैं जानता हूं इस पर आपका गुस्सा आएगा और कुंठित होंगे। उच्च मुद्रास्फीति की दर वाली केवल पांच अनिवार्य वस्तुएं ही चिंता का विषय है। मुद्रास्फीति पर हमारे प्रधान मंत्री ने चिंता जताई है; वित्त मंत्री ने चिंता जताई है; यू.पी.ए. सरकार ने चिंता जताई है। परंतु कुछ चीजें हमारे द्वारा नियंत्रण योग्य तथा वश में होती हैं परंतु कुछ चीजें हमारी क्षमता से परे हैं। इसे स्वीकार करना होगा। 17 आवश्यक वस्तुओं में से, गेहूं, चावल, दलहनों, आलू और प्याज के संबंध में उच्च मुद्रास्फीति पाई गई। हमें उन कारकों को समझने की जरूरत है जिससे प्रत्येक वस्तु का मूल्य प्रभावित हुआ। खेती के तहत क्षेत्रफल और उत्पादन कम हुआ चूंकि यह मौसम तथा प्रौद्योगिकी पर निर्भर है। इसे स्वीकार करना होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के परिणामस्वरूप किसानों की क्रय शक्ति में वृद्धि हुई जिससे उनके उपयोग पैटर्न में वृद्धि हुई और जब क्रय शक्ति में वृद्धि हुई परिणामस्वरूप उपभोग पैटर्न में वृद्धि हुई। परंतु आपूर्ति में कमी हुई। यह अर्थशास्त्र का तर्क है। मांग और उपभोग में बेमेलता क्रय शक्ति में वृद्धि तथा परिणामस्वरूप लोगों की उपयोग शक्ति में वृद्धि के कारण हुई। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों का भी प्रभाव पड़ा है। जबकि वर्ष 2008-09 में कुल खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि हुई थी, दलहनों, चीनी जैसी कुछ खाद्य वस्तुओं का उत्पादन भी कम रहा था। लोगों की आय में वृद्धि के परिणामस्वरूप वस्तुओं की मांग बढ़ती जा रही थी और ईंधन के मूल्यों में वृद्धि के परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि हुई, तत्पश्चात् मानसून देरी से आया तथा सूखे का प्रभाव भी पड़ा। इन सभी कारकों ने खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि की। यू.पी.ए. सरकार की प्रगतिशील नीतियों के परिणामस्वरूप गरीब लोगों के प्रयोज्य आय में वृद्धि हुई और इससे उपभोग की तरफ रुझान हुआ तथा परिणामस्वरूप प्रत्येक वस्तु के लिए मांग में वृद्धि हुई। यह नरेगा के माध्यम से गरीब लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि के कारण हुआ। इस कार्यक्रम द्वारा देश के 619 जिलों को कवर किया गया है और इस कार्यक्रम के परिव्यय को 144 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। भूतपूर्व मंत्री के रूप में आप जानते होंगे कि यह मांग आधारित कार्यक्रम है। आप जितनी ज्यादा मांग करेंगे, उतनी ज्यादा आपको अदा की जायेगी। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका मेरे रा.प्र.ग. के मित्रों को छोड़कर पूरे विश्व में प्रशंसा की गई है। चीनी का मूल्य बढ़ा, लेकिन क्यों? चीनी का मूल्य इसलिए बढ़ा क्योंकि गन्ने की खेती के क्षेत्र घटे तथा इससे कम गन्ने का उत्पादन हुआ। उत्पादन 4 प्रतिशत घटा लेकिन मूल्य 10 प्रतिशत बढ़े। जून, 2008 में जब उत्पादन 20 प्रतिशत घटा, जून, 2009 में मूल्य 45 प्रतिशत बढ़े तथा यह असर जारी है। गन्ने की खेती से गेहूं जैसे फसल की ओर रुझान एक अन्य कारण था तथा यह उच्चतर न्यूनतम समर्थन मूल्य के कारण था तथा गन्ने के कम उत्पादन में प्रदर्शित हुआ तथा इसके परिणामस्वरूप चीनी वसूली में कमी हुई। दालों के मूल्य में वृद्धि मांग तथा आपूर्ति के बीच असंतुलन तथा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में कठोरता के चलते हुई। वर्ष 2008-09 में आलू की खेती तथा उत्पादन अनुमानत क्रमशः

18.10 लाख हेक्टेयर तथा 311.27 लाख मैट्रिक टन था जो पिछले वर्ष क्रमशः 17.19 लाख हेक्टेयर तथा 304.42 मैट्रिक टन था। 2008-09 में 2007-08 की तुलना में कम उत्पादन हुआ तथा इससे मूल्य वृद्धि हुई।

वर्तमान में, शीतागार के आलू उपभोग के काम में लाए जाते हैं। हम आशावान हैं कि पंजाब, हरियाणा तथा अन्य स्थानों से समय पूर्व कटाई से आलू बाजार में आएगा तथा इससे इसका मूल्य स्थिर होगा।

जहां तक प्याज का संबंध है, हम जानते हैं कि यह नष्ट होने वाली फसल है। वर्षा में जरा सी वृद्धि इनकी गुणवत्ता तथा उत्पादकता को प्रभावित करती है। आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक में बाढ़ तथा महाराष्ट्र में भारी वर्षा ने प्याज की खरीफ फसल तथा पूरे देश में बाजार में इसकी आपूर्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया।

जहां तक गेहूं तथा चावल का संबंध है, औसत थोक मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य के कारण है। हमारे प्रधानमंत्री ने भी स्वीकार किया कि खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के चलते हुई। सरकार ने 28-7-08 को 15 रुपए प्रति किलोग्राम की राजसहायता पर राज्यों को एक मिलियन टन खाद्य तेल वितरित करने की योजना शुरू की तथा यह राजसहायता जून, 2009 में बढ़कर 25 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। हमें अपने मूलभूत खाद्यान्न को लेकर चिंता नहीं करना चाहिए।

केन्द्रीय पुल में 1-11-09 की स्थिति के अनुसार, खाद्यान्नों की कुल उपलब्धता 268.88 लाख टन थी तथा कुल उठान 127 लाख टन थी। 1-4-2010 की स्थिति के अनुसार संतुलन 141.88 लाख टन होगी। बजट स्टाक मानदंड 40 लाख टन है तथा रणनीतिक रिजर्व 30 लाख टन है तथा 1 अप्रैल को भंडार 70 लाख टन होगी।

जहां तक चावल के भंडार का संबंध है, वास्तविक भंडार 153.49 लाख टन है, बफर स्टाक मानदंड 52 लाख टन है तथा रणनीतिक भंडार 20 लाख टन है।

अतः, हमें अनावश्यक रूप से देश की खाद्यान्न क्षमता के विषय में चिंतित नहीं होना चाहिए। मुद्रास्फीति हम सभी के लिए चिंता का विषय है। सरकार मुद्रास्फीति के दवाब से निकलने के लिए कड़ी मेहनत करती है।

महोदय, मेरा घर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में है। मुर्शिदाबाद की हमारे देश के सबसे पिछड़े जिले के रूप में ही पहचान नहीं की गई है वरन् यह हमारे देश में अल्पसंख्यकों की सबसे ज्यादा संख्या के रूप में भी जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष, बाढ़ मुर्शिदाबाद के एक बड़े क्षेत्र को पानी से भर देता है। वर्षों से, हमारे जिले के लोग कांडी मास्टर प्लान नामक योजना के क्रियान्वयन की मांग कर रहे हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कांडी मास्टर प्लान हेतु धनराशि जारी करने का अनुरोध करता हूं।

हम हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर चर्चा कर रहे हैं तथा हम सभी संसद के जिम्मेवार सदस्य हैं। इस परिस्थिति में, हमें आर्थिक परिस्थिति पर चर्चा करते हुए आधी अधूरी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए क्योंकि यदि हम स्वस्थ चर्चा नहीं करेंगे तो पूरे देश में यह संदेश जाएगा कि हम अनावश्यक रूप से देश की मूल्य स्थिति पर चिल्ला रहे हैं क्योंकि बिचौलिए, जमाखोर तथा कालाबाजारी करने वाले इस प्रकार की चर्चा का लाभ उठा लेंगे। कभी-कभी इस सरकार की आलोचना इन कालाबाजारियों तथा जमाखोरों की सहायता करते हैं।

सरकार ने कई निदेश, कई आदेश जमाखोरों तथा कालाबाजारियों पर लगाम लगाने के लिए जारी किये है। मैं सोचता हूं कि डॉ. मनमोहन सिंह तथा संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में यू.पी.ए.-II सरकार अपना कार्य सफलतापूर्वक संपन्न करेगी। इसके लिए चिंता है। इन शब्दों के साथ, मैं अनुपूरक अनुदानों (सामान्य) की मांगों का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

डॉ. संजय जायसवाल: माननीय सभापति महोदय, एक मिनट मेरी बात सुन ली जाए। कृपा करके इनको दो मिनट समय और दिया जाए ताकि सप्लीमेंट्री डिमांड फार ग्रांट्स के बारे में एक शब्द तो वह बोल सकें, जिससे हम जान सकें कि...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप बैठ जाइए। श्री शैलेन्द्र कुमार जी।

...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे वर्ष 2009-10 की अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय मंत्री जी ने इसे प्रस्तुत किया है और प्रतिवर्ष अनुपूरक बजट की मांग की जाती है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

वह जरूरी जानकारी दें कि इस बजट में आम आदमी की भागीदारी के लिए कोई उपाय किए हैं या नहीं और विकास में आम आदमी की भागीदारी के लिए सदन में किसी विचाराधीन याचिका पर वित्त मंत्रालय ने कोई जवाब दिया है या नहीं? याचिका में प्रस्तावित वोटरशिप के उपाय के अलावा सरकार के पास विकास में आम-आदमी की भागीदारी के अन्य उपाय विचाराधीन हैं या नहीं? इसका जवाब आप जरूर देंगे।

अभी बात कही जा रही थी कि एयर इंडिया 800 करोड़ रुपए के घाटे में है, इसलिए 800 करोड़ रुपए की डिमांड की गयी है। जो अब तक कुल 60 हजार करोड़ रुपए के घाटे में है, मेरे ख्याल से एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस के जो मर्जर की बात है, इसमें बहुत बड़ा असंतोष कर्मचारियों और खासकर पायलटों में है। इसके लिए स्ट्राइक भी हुई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के बारे में बड़े विस्तार से यशवंत सिन्हा जी ने अपनी बात रखी।

महोदय, आप इस विभाग के मंत्री रह चुके हैं और हम आपके सुनने के लिए बैठे हैं कि जब आप अपनी सीट से बोलेंगे, तो इसके बारे में ज्यादा विस्तार से बोलेंगे। आज जब गांव में हम लोग जाते हैं, तो हम देखते हैं कि ग्रामीण विकास से संबंधित तमाम समस्यायें खड़ी हैं, चाहे वह इंदिरा आवास हो या बी.पी.एल. सूची का मामला हो, या वृद्धा पेंशन का मामला हो या बच्चों के वजीफे का मामला हो। पी.एम.जी.एस.वाई. की सड़क के बारे में अभी यशवंत सिन्हा जी ने बड़े विस्तार से कहा और सर्वशिक्षा अभियान के बारे में भी कहा कि जहां पर चालीस सड़कें हैं, वहां सात-आठ अध्यापक हैं और जहां पांच सौ बच्चे हैं, वहां सिर्फ दो अध्यापक हैं। इस तरह का जो असंतुलन है, इसे दूर करना चाहिए। तमाम स्कीम्स हैं, जो बेसिक गरीब हैं, खासकर जो बी.पी.एल. कार्ड धारक हैं, उनके लिए फायदे की बात है। अस्पताल की स्थिति के बारे में आपने विस्तार से देखा ही होगा। जहां-जहां भी हमारी सी.एस.सी., पी.एस.सी. है, उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है।

जहां तक विद्युत उत्पादन की बात है, हम लोगों के यहां ग्रामीण स्तर पर चार-पांच घंटे से ज्यादा बिजली आ ही नहीं पाती है। कई बार एक-एक हफ्ते तक बिजली नहीं मिल पाती है। पावर प्रोजेक्ट और विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए जो डिमांड की गयी है, उस पर भी बड़ी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। पेयजल की स्थिति तो और भी दयनीय है। जहां भी हम जाते हैं, हमसे इसके लिए डिमांड की जाती है। शुद्ध पानी, पेयजल हम आज तक ग्रामीण स्तर पर नहीं दे पाए हैं। इन तमाम मुद्दों से जुड़े हुए सवाल हैं। प्रतिवर्ष डिमांड ग्रांट्स अनुपूरक बजट में मांगी जाती हैं। ठीक है, आप दे दीजिए। खासकर जो गरीब लोग हैं, उन तक ये योजनायें पहुंचें, यह हमारा मकसद होना चाहिए और सरकार का भी मकसद होना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को मैं समाप्त करता हूं, चूंकि दूसरे माननीय सदस्य भी इस पर बोलना चाहेंगे।

श्री गोरखनाथ (भदोही): सभापति महोदय, आपने अनुपूरक मांग विधेयक 2009-10 के संदर्भ में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। अभी मैं पूर्व वित्त मंत्री जी को बड़े ध्यान से सुन रहा था और उसके बाद अधीर चौधरी जी ने भी अपनी बातों को बड़े विस्तार से कहा। वित्त मंत्री जी इस समय सदन में उपस्थित नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 25 हजार करोड़ रुपये की जो अनुपूरक मांगें रखी गई हैं, उसमें शुरुआती तौर पर जो बातें आईं, जैसे हमारे पूर्व वित्त मंत्री जी ने कहा कि एयर इंडिया के लिए 800 करोड़ रुपये की प्रतिभूति की मांग है जबकि 60 हजार करोड़ रुपये के घाटे की बात बताई गई है। इसी तरह उन्होंने और भी बातें बताईं। विश्व की आर्थिक मंदी को लेकर अपने देश के बजट की अस्त-व्यस्तता की बात कही गई। मैं कहना चाहूंगा कि विश्व की आर्थिक मंदी अपनी जगह है, लेकिन हमारी अपनी आर्थिक व्यवस्था की नीति के लिए भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। हम नीतियां बनाते हैं और उसके आधार पर बजट बनाते हैं। जब हमारी नीतियों में गड़बड़ी होती है तो उसका खामियाजा हमारे देश, प्रदेश और गरीब जनता को भुगतना पड़ता है।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान ग्रामीण अंचलों की ओर दिलाना चाहता हूं। गांवों में गरीब लोग रहते हैं। गांवों में लोग झुग्गी-झोंपड़ियों में रहते हैं। उन्हें अपनी आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने में भी कठिनाई हो रही है। आज महंगाई चरम सीमा पर है। यदि देखा जाए, तो चावल, चीनी, दाल, आलू, खाद्यान्न तेल आदि के दाम आसमान छू रहे हैं। सरकार कहती है कि जब हमारी मांग अधिक होगी, आपूर्ति कम होगी, तो हमें आयात करना पड़ेगा। इससे पहले वित्त मंत्री जी और

कृषि मंत्री जी ने बजट के समय कुछ बातें कही थीं। उन्होंने कहा था कि देश में अनाज के पर्याप्त भंडार हैं। लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद आयात के साथ-साथ दामों में वृद्धि पर भी अंकुश नहीं लग पाया। माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा कि अभी त्योहारों का समय है, इसलिए चीनी के दाम बढ़ सकते हैं। दूसरे ही दिन बाजार में चीनी के दाम बढ़ गए। एक परिवार को चलाने के लिए परिवार का मुखिया भी अपने वर्ष भर के लिए आय और व्यय का ब्यौरा रखता है। अगर वह किसान है तो खाद्य सामग्री की व्यवस्था करता है कि हमारा परिवार सालभर किस तरह रहेगा। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यहां आंकड़ों के भ्रमजाल की बात की जा रही है। यहां महंगाई से हटकर आंकड़े बनाए जा रहे हैं।

अभी अधीर चौधरी जी कह रहे थे कि कारों की बिक्री में वृद्धि हुई है, लोगों की जेबें भारी हुई हैं, इसलिए कारें खरीदी जा रही हैं। कारों में वे लोग चढ़ते हैं जिनके पास आमदनी के स्रोत हैं। जो लोग दो जून की रोटी के लिए मोहताज हैं, वे कारों का केवल सपना ही देख पाएंगे। भारत गांवों का देश है। यहां की 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है। गांवों में वे लोग बसते हैं जो इस देश की तस्वीर हैं, इस देश का आइना हैं, जो गरीबी से जूझ रहे हैं। हमारे बजट में बहुत सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं। यहां इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात कही जा रही है। हमारी आधारभूत व्यवस्थाएं बढ़ी हैं। यदि व्यवस्थित चीजों की ओर भी ध्यान दिया जाए, जैसे पी.एम.जी.एस.वाई. की बात हमारे और माननीय सदस्यों ने कही है। हम गांव के लोग हैं, गांव में रहते हैं और गांव के लोगों से रोज सरोकार होता है। हम पेशे से किसान भी हैं। मैं आपका ध्यान पी.एम.जी.एस.वाई. योजना की तरफ दिलाना चाहूंगा। उन सड़कों को देखा जाए तो मानक काफी घटिया किस्म का है। एक वर्ष के अंदर ही सड़क में गड्ढे हो जाते हैं। सड़कें टूट जाती हैं, सड़कें बैठ जाती हैं। जितनी लागत लग रही है, घटिया मानक से सड़कें बनाई जा रही हैं। इसकी इन्क्वारी होनी चाहिए, कमेटी बिठाई जानी चाहिए।

मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश, विशेष रूप से अपने लोक सभा क्षेत्र भदोही की तरफ ले जाना चाहूंगा। हमने उधर भी सड़कों को देखा है, निरीक्षण किया है। वहां घटिया किस्म की सड़कें हैं जिन्हें व्यवस्थित किया जाना चाहिए।

पेयजल एक बहुत बड़ी समस्या है। जब हम अपने क्षेत्र में होते हैं तो जो लोग मिलने आते हैं, उनमें से अधिकांश लोग पेयजल की समस्या से ग्रसित हैं। सरकार का ध्यान उस तरफ जाना चाहिए। छोटी सी निधि मिलती है। यदि हम चाहें कि अपने क्षेत्र के लोगों की प्यास बुझा सकें, तो उस निधि से वह भी नहीं कर पाते, विकास करना तो दूर की बात है।

महोदय, सर्वशिक्षा अभियान की तरफ भी हम सरकार का ध्यान ले जाना चाहेंगे। गरीब लोगों के बेटे शिक्षा के लिए गांव में मोहताज हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती। उनके बेटे अच्छी शिक्षा नहीं पाते। उनमें भी गड़बड़ियां हैं। इसलिए उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, उस तरफ भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

मान्यवर, मैं नरेगा के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। अभी हमारे सम्मानित सदस्य ने कहा कि दूसरी बार हमारी सरकार आयी है। निश्चित रूप से यह सरकार दूसरी बार आयी है, इसे कहने में हमें कोई संकोच नहीं है, लेकिन गांव के वास्तविक स्वरूप को आप देखिये। मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता। यह बहुत अच्छी स्कीम है। सरकार ने उन गांवों में रहने वाले गरीब लोगों, झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छी व्यवस्था दी है। उनकी रोजी-रोटी चलाने के लिए सरकार द्वारा अच्छी योजनाएं बनायी गयी हैं। लेकिन वे योजनाएं गांव में पहुंचते-पहुंचते फ्लाप हो जाती हैं। गांव में नरेगा में काम करने वाले मजदूर को उसकी मजदूरी नहीं मिल पा रही है। चीजें चाहे प्रदेश सरकार के पास जा रही हों,...*(व्यवधान)* उस सरकार की तरफ भी आप देखिये।...*(व्यवधान)*

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि नरेगा निश्चित रूप से एक अच्छी योजना है। लेकिन जमीन तक पहुंचते-पहुंचते इसका विकृत स्वरूप गांव में चलकर देखा जा सकता है। इसकी भी जांच होनी चाहिए और इसमें जो भ्रष्टाचार है, उस पर अंकुश लगना चाहिए। हम मंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने इस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में माननीय सांसदों को नियुक्त किया है। लेकिन उसका जो वास्तविक स्वरूप है, उसके लिए जांच और गांव में सुधार की जरूरत है तभी इस पर अंकुश लग सकेगा।

मान्यवर, गांव में गरीब रहता है। गांव में ऐसे लोग रहते हैं जिनकी आवश्यक आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान हैं। आज इस महंगाई के युग में उन किसानों, गरीबों, मजदूरों को रोटी के लाले पड़े हैं। आज दाल

[श्री गोरखनाथ]

की कीमत काफी बढ़ चुकी है। यह रोज के खाने की चीज से दूर हो चुकी है, यह दवा बन चुकी है।

मान्यवर, आलू के रूप में लोग अपने भोजन की व्यवस्था कर लिया करते थे, लेकिन आज उसके दाम भी काफी बढ़ चुके हैं। महंगाई काफी बढ़ गयी है। हमारे वित्त मंत्री और कृषि मंत्री जी का ध्यान उस ओर भी जाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि गांव में रहने वाला गरीब, मजदूर और झोंपड़ी में रहने वाले किसान के लिए भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। इस बजट में उसकी तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए। उन लोगों के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था होनी चाहिए। इस बजट में उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए और उसे सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मंगनी लाल मंडल (झंझारपुर): आदरणीय सभापति महोदय, यशवंत बाबू ने सरकार की आर्थिक नीति, मौद्रिक नीति का बहुत ही तथ्यात्मक विश्लेषण किया। सरकार की आर्थिक और मौद्रिक नीति का सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में जो दुष्प्रभाव पड़ा, उसका उन्होंने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है। यह सप्लीमैंट्री बजट संवैधानिक प्रावधान है और आते ही रहते हैं। लेकिन सप्लीमैंट्री बजट में यह माना जाता है कि एक वित्तीय वर्ष में जो मूल बजट है, उसके बाद कोई अत्यावश्यक काम आ गया, तो उसके खर्च पर अनुमति लेने के लिए सप्लीमैंट्री बजट आता है। इसमें टी.ए.-डी.ए.• आदि सब चीजें हैं। उनका पूर्वानुमान नहीं किया गया होगा। सप्लीमैंट्री बजट में 105 मांगें हैं, जिनके लिए कुल 30,942.62 करोड़ रुपये मांगे गये हैं। इसमें बहुत निवल नकद व्यय का प्रस्ताव है, उसकी कुल राशि 25,725.22 करोड़ रुपया है। यशवंत बाबू जिस फिस्कल डेफीसिट की बात कर रहे थे, उसमें वृद्धि होने वाली है। आजकल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, प्रधान मंत्री के आर्थिक सलाहकार और योजना आयोग के द्वारा एक ही मैराथन एक्साइज चल रही है कि हमारी विकास दर क्या होगी? अब 5.5 से लेकर साढ़े छः तक सब अटक जाते हैं। यह विकास दर का बहुत बड़ा अभ्यास हो रहा है, लेकिन राजस्व की प्राप्ति कहां से होगी, इसकी दिशा में सरकार का कम ध्यान है। इस 4.14 लाख करोड़ रुपए की कमी आने वाली है। सरकार ने जो मूल बजट पेश किया था, उस बजट में जो अनुमान किया था, उसके बारे में अर्थशास्त्रियों ने अनुमान किया है कि 6.14 लाख करोड़ रुपए की राजस्व की प्राप्ति हो सकती है, करों के द्वारा संग्रह हो सकता है। जब चार लाख करोड़ रुपए का जब बर्डेन होगा तो जी.डी.पी. में 6.8 प्रतिशत तक का घाटा होगा। फिर भी सरकार मेराथन एक्सरसाइज कर रही है।

अभी गरीबी के बारे में माननीय सदस्यों ने चर्चा की है। एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि काम के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया जाए, यह लड़ाई इस देश में बहुत पुरानी है। जो लोग समाजवादी आंदोलन से आए हैं, वे जानते हैं कि काम दो, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता दो, हमारी पुरानी मांग रही है। हम लोग इसके लिए संघर्ष करते रहे हैं और जेल भी जाते रहे हैं। नरेगा के द्वारा काम के मौलिक अधिकार का समावेश किया गया है। इसमें प्राविजन किया गया है कि अगर 15 दिनों तक काम नहीं मिलेगा तो उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी, पैसा दिया जाएगा सरकारी खजाने से। यह बहुत क्रांतिकारी कार्यक्रम है। लेकिन यह बात भी सही है कि नरेगा में जो कमियां हैं, उनको दूर किया जाना चाहिए क्योंकि नरेगा से लोग यह समझते हैं कि भौतिक परिसम्पत्तियों के सृजन पर ध्यान नहीं देना है और काम की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देना है। यह जरूर है कि गरीबों को जितने बड़े पैमाने पर इससे काम मिलना चाहिए, उसमें धोखाधड़ी हो रही है। इतना बड़ा क्रान्तिकारी कदम सरकार ने उठाया, नरेगा कार्यक्रम को लाई है और वर्षों का जो संघर्ष नौजवानों, विद्यार्थियों, समाजवादियों का था कि या तो काम दो या बेरोजगारी भत्ता दो, उसे पूरा किया है। इसमें जो गड़बड़ी है, उसको दूर किया जाना चाहिए चाहे वह गुणवत्ता का मामला हो, चाहे परसम्पत्ति के सृजन का मामला हो।

मैं यह मानकर चलता हूं कि सरकार देश में गरीबी मिटाने की बात करती है, लेकिन गरीबी कितनी है उसका आकलन सरकार के पास नहीं है। मैं मानता हूं नारायणसामी जी पक्के कांग्रसी हैं, लेकिन वह समाजवादी नहीं हैं क्योंकि जब बजट आता है, जब गरीबी मिटाने की बात आती है, तो पंडित जवाहर लाल नेहरू की सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, कोआपरेटिव कॉमनवेल्थ और महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप के सिद्धान्त की चर्चा हम कभी नहीं करते हैं। गरीबी मिट नहीं रही है बल्कि बढ़ रही है, अमीरी बढ़ रही है इस देश में। इसीलिए उन्होंने ठीक ही कहा है कि इस बजट में जो मांग संख्या 80 है, इसमें मूल और पूरक, दोनों मिलाकर 1,06,803.28 करोड़

रुपए की मांग की गयी है। यह पैसा क्यों लिया जा रहा है, उसके बारे में कहा गया है कि देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे लोगों अर्थात बी.पी.एल. का सर्वेक्षण करने संबंधी प्रशासनिक व्यय की पूर्ति हेतु नकद व्यय होगा। सबसे अन्त में कहा गया है कि देश में बी.पी.एल. सर्वेक्षण हेतु इससे नकद व्यय होगा। यह जो पैसा पूरक बजट के द्वारा लिया जा रहा है, उसमें बी.पी.एल. सर्वेक्षण की बात कही जा रही है। सरकार ने कहा कि इसके जो पैरामीटर्स हैं, उनके बारे में सरकार ने अभी निर्णय नहीं किया है। कभी सरकार नेशनल सैंपल सर्वे आर्गनाइजेशन के आंकड़े को लाती है, कभी सरकार कहती है कि योजना आयोग के आंकड़े विश्वसनीय हैं और सारे विभागों, इनक्लूडिंग ग्रामीण विकास विभाग, ने इसको मांगा है, जोकि विश्वसनीय नहीं है।

यशवंत बाबू ने ठीक ही कहा अपने भाषण में, मैं अपने को उससे सम्बद्ध करता हूं। उन्होंने कहा कि गरीबी का सर्वेक्षण आप नहीं कर सकते हैं, तो दो काम आप कर दीजिए। डॉ. राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि इस देश में जब तक विलासिता पर प्रतिबंध नहीं लगेगा, जब तक फिजूलखर्ची पर प्रतिबंध नहीं लगेगा, जब तक अपव्यय पर टैक्स नहीं लगेगा, इन तीनों चीजों पर टैक्स लगाओ, तब गरीबी घटेगी। आज टैक्स लगाया जाता है तो वह सम्पत्ति पर लगाया जाता है या आमदनी पर लगाया जाता है। खर्चे पर टैक्स नहीं लगता है। इस देश में जो दौलत पैदा करता है, 8000 करोड़ रुपए का मकान बनाता है, घर की छत पर हैलीकॉप्टर उतारने के लिए हैलीपैड बनाता है और कहता है कि वह अपनी पत्नी को गिफ्ट करूंगा, यह फिजूलखर्ची की पराकाष्ठा है। सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है कि जो पैसा उत्पादन में लगना चाहिए, जो पैसा गरीबी मिटाने में लगना चाहिए, जो पैसा आधारभूत संरचना के विकास पर लगना चाहिए, वह पैसा फिजूलखर्ची, अय्याशी पर खर्च हो रहा है, अपव्यय हो रहा है। उस पर या तो टैक्स लगाओ या उसे प्रतिबंध करो, लेकिन सरकार यह नहीं कर रही है। इसलिए यशवंत बाबू ने कहा कि आप गरीबी मिटाने का नारा देते हैं, गरीबों की तो संख्या बढ़ रही है।

झारखंड में 30 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे लोग रहते हैं, यह जो कहा गया और बिहार का उन्होंने 30 प्रतिशत कोट किया। योजना आयोग का जो बिहार का आंकड़ा है, राष्ट्रीय आंकड़ा 22 प्रतिशत है, तो बिहार का 42 प्रतिशत है। लेकिन परकेपिटा इनकम बिहार से ज्यादा झारखंड का दिखाया गया है। झारखंड में गरीबी ज्यादा है, लेकिन परकेपिटा इनकम बिहार से ज्यादा झारखंड में इसलिए है कि वहां टाटा का माल है, टाटा का पैसा है। इसके अलावा वहां कोयले का पैसा बैंकों में जमा होता है, उसके बाद मुख्यालयों में वह पैसा पांच बजे के बाद ट्रांसफर हो जाता है। झारखंड में पैसा नहीं रहता है। बैंकों में जितना पैसा कोल का जमा होता है, जितना पैसा टिस्को, टेल्को का जमा होता है, वह पैसा मुम्बई, कोलकाता आदि दूसरे बड़े शहरों में जहां हैड क्वार्टर्स हैं, पांच बजे के बाद ट्रांसफर हो जाता है। इस तरह पर दोहरी मार पड़ रही है। इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है कि बैंक का पैसा जहां जमा हो, वहां कितना प्रतिशत खर्चा हो। अगर गरीबों का सर्वेक्षण कराने में आप विफल हैं, तो अमीरों का सर्वेक्षण कराएं। उसके लिए कोई पैरामीटर बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अमीरी लोगों को दिखाई देती है। वैसे तो गरीबी भी दिखाई देती है, लेकिन सरकार आज तक यह नहीं कह सकी है कि देश में कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हैं। यह जो 22 प्रतिशत योजना आयोग का आंकड़ा है, वह सही नहीं है, भ्रम फैलाता है, तथ्यहीन है और देश को धोखा देने के लिए है। इसलिए इस सप्लीमेंटरी बजट के माध्यम से जो पैसा लिया जा रहा है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, कृपया आसन को सम्बोधित करें।

श्री मंगनी लाल मंडल: महोदय, मैं तो अपनी बात कह रहा हूं, लेकिन ये लोग बीच में टोक रहे हैं। मैं इनसे यही कहना चाहता हूं कि आप हमसे नहीं, सरकार से पूछें। डॉ. मनमोहन सिंह जी बड़े आदरणीय हमारे लिए भी हैं, वह महान अर्थशास्त्री हैं, लेकिन संकल्प होना चाहिए देश में गरीबी मिटाने का। गरीबी को मिटाएं, गरीबी बढ़ रही है, गरीबों की संख्या बढ़ रही है।...*(व्यवधान)* जब हमारी सरकार थी, तो बाजारों में आग नहीं लगी थी। अभी आपके माननीय सांसद बता रहे थे...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया बीच में टोकाटाकी न करें और अपना आसन ग्रहण करें। माननीय सदस्य, अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री मंगनी लाल मंडल: महोदय, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। कृषि के मामले में सरकार ने कहा कि द्वितीय हरित क्रांति करेंगे। इसके लिए देश के कई जिलों का सर्वेक्षण कराया गया है। चीन आज हमसे कई मामलों में आगे है। इस देश में आर्थिक स्थिति बेहतर होने जा रही

[श्री मंगनी लाल मंडल]

है, यह हमारी सरकार कहती है। पोर्टफोलियो इंवेस्टमेंट, एफ.डी.आई. के माध्यम से और स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से पैसे आ रहे हैं। सरकार कह रही है कि हमारे यहां पैसे की बरसात होने वाली है। फिर भी गरीबों का उद्धार नहीं होगा, लेकिन चीन में हमसे ज्यादा पैसा जाता है इसलिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पास हमसे ज्यादा है।

महोदय, एक बात बड़े आश्चर्य की है कि टोटल एरिया ऑफ एग्रीकल्चर लैंड है, चीन का क्षेत्रफल हमसे बहुत बड़ा है, वह हमारा चीन से बड़ा है।

अपराह्न 6.00 बजे

उनसे बड़ा क्षेत्र होने के बावजूद भी प्रति-हैक्टेयर हमारा प्रोडक्शन चीन से आधा है। यहां तक कि इजिप्ट से कम है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः मेरे पास बोलने वाले आठ माननीय सदस्यों की सूची है, सदन की सहमति हो, तो उनके बोलने के बाद जीरो-आवर तक सदन की कार्यवाही बढ़ाई जाए।

श्री तूफानी सरोज (मछलीशहर): पहले शून्यकाल ले लिया जाए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः अध्यक्ष महोदया की यह रूलिंग है, कृपया आप बैठ जाएं। जीरो-आवर आखिरी समय में होगा, आप कृपा करके बैठ जाएं।

[अनुवाद]

श्री वी. नारायणसामी: माननीय अध्यक्ष महोदया, पहले ही पूर्वाह्न में बता चुकी है कि इस चर्चा के बाद, दिवस के अंत में, 'शून्य काल' की कार्यवाही आरंभ की जाएगी। पहले ही यह अध्यक्षपीठ का विनिर्णय है कि 'शून्य काल' को उस चर्चा के बाद आरंभ किया जाएगा।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मंगनी लाल मंडलः महोदय, इसीलिए यह जो कृषि का उत्पादन है, इस बार भी कम होने वाला है। बाजार में महंगाई की और भयंकर आग लगने वाली है। आज जितने दाम हैं, उससे ज्यादा दूसरे दिन बढ़ जाते हैं। इसीलिए महोदय, यह जो कृषि अनुसंधान का क्षेत्र है, उसमें हमें ज्यादा उपज देने वाली वैराइटी को बढ़ावा देना चाहिए तथा कृषि विज्ञान पर ज्यादा खर्चा होना चाहिए। आज आवश्यकता इस बात की है कि प्रति-हैक्टेयर उत्पादन देश में बढ़े और सभी जानते हैं कि इस देश में खाद्यान्न कालाबाजारियों द्वारा तस्करी के माध्यम से बंगलादेश भेजा जा रहा है, सरकार सबसे पहले उस पर नियंत्रण करे और जो होल्डिंग करने वाले हैं उन्हें पकड़कर जेल में बंद करे, तभी महंगाई रुकेगी, नहीं तो महंगाई रुकने वाली नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ हम इस सप्लीमेंट्री बजट का विरोध करते हैं।

[अनुवाद]

श्री बंस गोपाल चौधरी (आसनसोल): सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने सभा के समक्ष अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) रखी हैं। जब केन्द्रीय बजट प्रस्तुत किया गया था, उस समय अर्थव्यवस्था वैश्विक मंदी के कारण गंभीर मंदी के दौर से गुजर रही थी।

वर्ष 2007-08 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद विकास दर 9 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2008-09 के दौरान 6.7 प्रतिशत पर आ गई। कृषि क्षेत्र तथा विनिर्माण क्षेत्र की विकास दर भी कम हो रही है। वास्तव में, अक्तूबर, 2008 से ही सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नौकरियां तथा वेतन कटौती हुई। मैं जो कहना चाहता हूं और मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान जिस चीज की ओर आकृष्ट चाहता हूं वह यह है कि बजट पारित करने के बाद, जब माननीय वित्त मंत्री अनुपूरक बजट प्रस्तुत कर रहे है, तब इस समय देश का आर्थिक परिदृश्य कैसा है। आर्थिक सर्वेक्षण में छह लाख नौकरियों का आकलन अत्यंत ही अल्पानुमान है। वास्तव में, वर्तमान में, सभी क्षेत्रों में तथा विशेष रूप से निर्यात क्षेत्र में लगभग 50 लाख नौकरियां गई हैं। वेतन में कटौती तथा निर्यातोन्मुखी उद्योगों में नौकरियां समाप्त हो जाने के कारण अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर हो रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में, हम पहले सी ही जारी किए गए प्रोत्साहन पैकेज के बारे में चर्चा करेंगे, जो मौजूदा नौकरी समाप्त होने तथा वेतन कटौती के दौर को रोकने में असफल रहा है। यह अभी भी जारी है। समस्या को रोकने के लिए सरकारी खजाने से जारी प्रोत्साहन पैकेज ने केवल उद्यमियों की ही मदद की है और आम आदमी जिसे बजट में 'आम आदमी की संज्ञा दी गई है, उसकी वास्तव में कोई मदद नहीं की जा रही है और उन्हें कोई सहायता प्राप्त नहीं हो रही है। कार्पोरेट क्षेत्र, बड़े औद्योगिक घराने हैं। यहां मैं कृषि परिदृश्य के संबंध में चर्चा पर ध्यान देना चाहता हूं जो कि मुद्रास्फीति के मौजूदा परिदृश्य के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण

है। आर्थिक मंदी से निपटने के लिए मौजूदा संकट से कृषि को उबारना, सभी क्रियाकलापों का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए।

नई उदारीकरण की नीतियों का मुख्य उद्देश्य धीरे-धीरे राष्ट्र की भूमिका को कमजोर बनाना है तथा अर्थव्यवस्था में बड़े कारपोरेट घरानों के हितों की पूर्ति करना है।

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं; सरकारी खरीद केवल कुछ मुख्य फसलों तक ही सीमित रही है तथा खरीद कार्य देश के सीमित भागों में ही चलाया जाता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस वर्ष, वर्षा में 24 प्रतिशत कमी के चलते देश के 11 राज्यों के 278 जिलों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया है।

महोदय, वर्ष 2008-09 में हमारी कृषि विकास दर गिरकर 1.6 प्रतिशत रह गई है। जबकि हम हमारी अर्थव्यवस्था में गंभीर मुद्रास्फीति का सामना कर रहे हैं, इस बारे में कोई नीति नहीं है। अनुपूरक अनुदानों की मांगों (सामान्य) पर इस चर्चा के दौरान मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। मुद्रास्फीति तथा मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए सरकार की मुख्य नीति क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मौजूदा परिदृश्य क्या है जो सरकार सभा के समक्ष रख रही है? अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली में एक अव्यवस्था व्याप्त है। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, चार मुख्य कारणों के चलते उच्च मुद्रास्फीति को रोका नहीं जा सका है। पहला कारण सरकार की नई उदारवादी नीतियां है; दूसरा कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कमजोर होना है; तीसरा कारण जमाखोरी को रोक पाने में असफलता; तथा चौथा कारण ईंधन के मूल्यों में वृद्धि है।

हमें हमेशा बताया गया कि वैश्विक मंदी है; मूल्यवृद्धि पर कुछ वैश्विक प्रभाव भी है। सरकार द्वारा प्रकाशित किए गए अनेक दस्तावेजों में हमें बताया गया कि यह वैश्विक परिदृश्य के कारण हम इस स्थिति का सामना कर रहे हैं। परंतु वास्तव में, भारत में, पेट्रोल के प्रति लीटर मूल्यों में लगभग 50 प्रतिशत तथा डीजल के प्रति लीटर मूल्यों में लगभग 25 प्रतिशत वृद्धि करों तथा मुल्कों के कारण हुई है। मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वे आम जनता के लाभ के लिए इस प्रकार के करों तथा शुल्कों को हटाने के लिए तैयार हैं। बजट में आम जनता को 'आम आदमी' कहा गया था। इस वर्ष के बजट को आम आदमी का बजट कहा गया था।

महोदय, मैं अन्य मुद्दे पर आ रहा हूं, जोकि अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि वे विनिवेश प्रस्तावों के माध्यम से संसाधन जुटाने का प्रयास कर रही है। ये विनिवेश के प्रस्ताव कौन से हैं? माननीय वित्त मंत्री कहेंगे कि "सार्वजनिक सम्पत्तियों को बेचने का हमारा ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। सार्वजनिक हित तथा सार्वजनिक क्षेत्र की सम्पत्तियों की बिक्री की हमारी ऐसी कोई नीति नहीं है।" परंतु वास्तविक परिदृश्य क्या है?

मैं आपको केवल संक्षिप्त जानकारी देना चाहूंगा। पहले से ही विनिवेशित सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के गैर सरकारी शेयर होल्डिंग प्रोफाइल बिलकुल ही भिन्न तस्वीर दर्शाते हैं। बी.एच.ई.एल. में 32.28 प्रतिशत शेयर निजी लोगों के पास है। इसमें से आम जनता के पास महज 1.92 प्रतिशत शेयर ही हैं। एस.ए.आई.एल. में 14.18 प्रतिशत विनिवेशित शेयरों में आम जनता के पास महज 1.92 प्रतिशत शेयर ही हैं। ओ.एन.जी.सी. में विनिवेशित 25.86 प्रतिशत शेयरों में आम जनता के पास महज 1.69 प्रतिशत शेयर हैं। जी.ए.आई.एल. में विनिवेशित 42.66 प्रतिशत शेयरों में आम जनता के पास महज 2.27 प्रतिशत शेयर ही हैं।

महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि सरकार किसके लिए इस अनुपूरक अनुदान मांगों (सामान्य) को रख रही है। हम किसके लिए संसाधन एकत्र करने की कोशिश कर रहे हैं। संसाधनों का संग्रहण मुद्रास्फीति पर अंकुश रखने के लिए किया जाना चाहिए। संसाधनों का उपयोग जन वितरण प्रणाली के लिए किया जाना चाहिए। जन वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। सरकार हमारे देश के उद्योगों के निजीकरण के लिए महज धन संग्रह करने के लिए इन सरकारी संपत्तियों का विनिवेश करना चाह रही है जो बहुत लज्जाजनक है। इसी कारण मुझे लगता है कि सरकार इस नीति को बदलेगी, यह व्यापक जनवितरण प्रणाली का रास्ता अख्तियार करेगी और यह सरकारी क्षेत्रों के दरवाजे केवल आम जनता के लिए खोलेगी।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): सभापति महोदय, मैं वर्ष 2009-10 की अनुपूरक अनुदानों की मांगों (सामान्य) पर हो रही चर्चा में भाग ले रहा हूं।

वर्ष 2009-10 की अनुदानों अनुपूरक मांगें (सामान्य) के पहले बैच में 61 अनुदान और दो विनियोजन हैं। 30,942.62 करोड़ रुपये के सकल अतिरिक्त व्यय को प्राधिकृत करने के लिए संसद का अनुमोदन लिया जाता है। व्यय के मुख्य शीर्षों में, जिसके लिए निवल नकद

[श्री भर्तृहरि महताब]

व्यय किया जाएगा, 3000 करोड़ रुपये की उर्वरक राजसहायता, 3458.98 करोड़ रुपये की खाद्य राजसहायता, 2210 करोड़ रुपये रक्षा पेंशन के लिए शामिल हैं। छठे वेतन आयोग के कार्यान्वयन के फलस्वरूप केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के पेंशन एवं अन्य पेंशनों में 4,533.33 करोड़ रुपये का खर्च आएगा और राष्ट्रीय निवेश निधि में विनिवेश प्राप्तियों का अंतरण पर 3,139.90 करोड़ रुपये लगेंगे।

सायं 6.12 बजे

(श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना *पीठासीन हुए*)

सरकार एअर इंडिया के लिए 800 करोड़ रुपये के इक्विटी अंतरण, इक्विटी इंफ्लूजन हेतु भी संसद का अनुमोदन भी चाहती है। राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष में 1200 करोड़ रुपये का अंतरण प्रस्तावित है जो स्वागतयोग्य कदम है।

सरकार रुपये निर्यात क्रेडिट के संबंध में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में दो प्रतिशत ब्याज सबवेंशन भी करना चाह रही है और इसके लिए 200 करोड़ की मांगें रखी गई हैं। दिल्ली मेट्रो के दूसरे चरण के लिए 350 करोड़ रुपये, डी.एम.आर.सी. को कर्ज के लिए 1500 करोड़ रुपये बेंगलुरु मेट्रो के लिए 135 करोड़ रुपये तथा चेन्नै मेट्रो के लिए 40 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

मैं इस विशिष्ट सभा का ध्यान वस्त्र मंत्रालय में हुई हानियों की प्रतिपूर्ति के संबंध में भी आकृष्ट करना चाहूंगा। कपास पर एम.एस.पी. प्रचालन की मद में भारतीय कपास निगम को हुई हानि की प्रतिपूर्ति में 500 करोड़ रुपये लगेंगे। मैं यह बात समझ नहीं पाया और मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि भारतीय कपास निगम को हुई हानि के कारण क्या हैं और 500 करोड़ रुपये क्यों वहां दिए जा रहे हैं।

लेकिन मैं एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त जरूरतें पूरी करने के लिए राज्य सरकारों को अनुदान सहायता का स्वागत करता हूं।

जैसा कि बताया गया है, बाहर से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता 1400 करोड़ रुपये बैठती है।

इसलिए ये इस विधेयक के प्रमुख घटक हैं और इसी कारण हमारे समक्ष अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) विचारार्थ हैं।

महोदय, श्री यशवंत सिन्हा जी द्वारा यह पहले ही कह दिया गया है कि निवल नकद व्यय 25,725.22 करोड़ रुपये होंगे जिसमें 7935 करोड़ रुपये योजनागत तथा 23006.96 करोड़ गैर योजनागत होंगे। यह कहा जाता है कि अन्य अनुदानों में समतुल्य समग्र बचत होगी।

यह तर्क निःसंदेह बुद्धिमतापूर्ण है पर यह समझना मुश्किल है कि हमें आयातित विनियंत्रित उर्वरकों पर 1500 करोड़ रुपये क्यों खर्च करने चाहिए और स्वदेशी यूरिया पर 2300 करोड़ रुपये राजसहायता देनी चाहिए। अन्य अवसर पर पूर्व में मैंने उर्वरकों के आयात पर खर्च की जा रही रकम का उल्लेख किया था। क्या सरकार आयातित उर्वरकों की दर को कम नहीं कर सकती जब आप पूरी तरह जानते हैं कि इसमें गठजोड़ शामिल है?

दूसरी तिमाही अर्थात् इस वित्त वर्ष के जुलाई-सितम्बर में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सराहनीय 7.9 प्रतिशत की वृद्धि पूरी तरह अप्रत्याशित नहीं थी क्योंकि देश के औद्योगिक उत्पादन आंकड़े सतत उर्ध्वाधर गति दर्शा रहे हैं? इसका अधिकांश विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि के कारण है और यह खुशी की बात है खासकर रोजगार मोर्चे पर इसके प्रभाव के कारण यह खुशी की बात है। इसके बारे में खुश होना कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी होगी। हम तीसरी तिमाही के आंकड़े का इंतजार कर लें। मैं ऐसा क्यों कहता हूं? इसका कारण है कि वृद्धि, का श्रेय प्रोत्साहन पैकेजों एवं छठे वेतन आयोग के प्रभाव को दिया जा सकता है। कृषि को उसकी समग्रता में नहीं लिया गया होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि सभी राजी होंगे कि उच्च सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि में एक कारक जिसने योगदान किया वह था - इस अवधि में बिलकुल ही कम हो गयी मुद्रास्फीति और नकारात्मक मुद्रास्फीति। लेकिन तब से मुद्रास्फीति बढ़ती जा रही है।

हालिया आई.आई.पी. आंकड़ों में एक परेशानी दिखी है और वह है कि क्रेडिट ऑफ-टेक में धीमी वृद्धि के बावजूद वह बहुत तेज रही है। एक प्रतिवेदन के अनुसार, पहली छमाही की तुलना में अक्तूबर के दूसरी छमाही में बकाया क्रेडिट 21000 करोड़ रुपये तक कम हो गयी। प्रचलित मान्यता यह है कि अगर बैंक ऋण वृद्धि धीमी हो जाए तो औद्योगिक वृद्धि भी धीमी हो जाती है। आर.बी.आई. ने ब्याज दरों में कमी की है ताकि आर्थिक मंदी जैसे बुरे समय में उद्योगों की पहुंच बैंक ऋण तक हो जाए। परन्तु पिछले सप्ताहों में आई.आई.पी. के आंकड़ों में बढ़ोत्तरी इस सिद्धांत को नकारती है। वित्त मंत्री इस बारे में क्या कहेंगे?

कुछ लोगों का कहना है कि भारत वित्तीय संकट से इसलिए बच सका क्योंकि नीति संतुलित थी और व्यवस्था की कार्यक्षमता में सुधार करने का काम नहीं किया गया। परन्तु यह विचार सही नहीं है। मौद्रिक और वित्तीय दोनों क्षेत्रों में नीतिगत हस्तक्षेप किए गए। हमें निःसंदेह उन्हें इसका श्रेय देना चाहिए। परंतु चुनौतियां अब भी हैं। आर्थिक स्थिति से उबरने का प्रबंधन और स्फीतिकारी ऋण नीति से बाहर निकलने जैसी तात्कालिक चुनौतियां आज भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष खड़ी हो सकती हैं। अतः सुधारोत्तर विकास गति को बनाए रखने के लिए आर्थिक वृद्धि को काफी व्यापक और समावेशी होना चाहिए। हमें ऐसी नीतियों पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है जिनसे बुनियादी शिक्षा तक सबकी पहुंच और उसकी गुणवत्ता में सुधार, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य सामाजिक सेवाओं में सुधार हो सके तथा आर्थिक क्रियाकलापों में गरीबों की सहभागिता के अवरोधक कारकों को दूर किया जा सके। क्या सरकार ब्राजील की तरह वहां काफी सफल रहे सशर्त लाभ ही अंतरण कार्यक्रम जैसी अधिक प्रभावी सामाजिक नीतियों के द्वारा इस बढ़ती असमानता और गरीबी को दूर करने का सीधा प्रयास करेगी?

वर्ष 1991 से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को जादू की छड़ी के रूप में देखा जाता रहा है जो 'अविकसित' भारत का रूपांतरण 'आधुनिक' अवसंरचना से युक्त उन्नत राष्ट्र के रूप में कर देगा। आने वाली प्रत्येक सरकार निष्ठापूर्वक एफ.डी.आई. को प्रोत्साहित और विस्तारित करने हेतु कदम उठाने की बात की हैं। भारत को काफी एफ.डी.आई. प्राप्त हो रही है और साथ ही साथ एफ.आई.आई. निवेश भी प्राप्त हो रहा है। अब तक भारत को 2006-2007 में रिकार्ड 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर एफ.डी.आई. निवेश प्राप्त हुआ है। परंतु मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी अर्थव्यवस्था में अनियंत्रित एफ.डी.आई. और एफ.आई.आई. निश्चित तौर पर खतरा साबित हो सकता है। अधिकांश एफ.डी.आई. सट्टा निवेश के रूप में भारतीय शेयर बाजार में आया है।

सभापति महोदयः माननीय सदस्य, कृपया समाप्त कीजिए।

श्री भर्तृहरि महताबः एफ.डी.आई. प्रवाह ने साधारण तौर पर संक्रमणशील प्रतिपूर्तियों को अत्यधिक लाभ वाले क्षेत्रों में एकाधिकार स्थापित करने का आसान मौका दे दिया है। इसके अलावा एफ.डी.आई. विदेशी मुद्रा प्रवाह का लाभ केवल एक बार होता है जबकि संभावित विदेशी बाध्यता स्थायी और दीर्घकालीन होती है।

मैंने इस सभा में पहले भी एफ.आई.आई. के माध्यम से आने वाले संभावित काले धन के बारे में जिक्र किया था। मैं आभारी रहूंगा अगर वित्त मंत्रीजी चर्चा का उत्तर देते समय इन मुद्दों का भी उत्तर देंगे।

मैं केन्द्र सरकार द्वारा उड़ीसा के प्रति किए गए अन्याय को भी व्यक्त करने के लिए थोड़ा समय चाहूंगा। जैसे खनिज संपन्न राज्य खनिज रॉयल्टी नीति के विलंबित क्रियान्वयन और कृतियों के कारण हमारी समृद्ध बिरासत का पूरा लाभ उठाने में असफल रहे हैं। रॉयल्टी का ढांचा ऐसा है कि उड़ीसा सहित खनिज संपन्न राज्य सरकारी विनिवेश हेतु अपनी संसाधन सृजना क्षमता में भारी नुकसान उठा रहे हैं।

सभापति महोदयः कृपया समाप्त कीजिए, आप अपना विचार रख चुके हैं।

श्री भर्तृहरि महताबः हमें कई खनिजों को दोहन के अनुरूप रॉयल्टी नहीं मिलती क्योंकि रॉयल्टी की दरों में समयानुसार संशोधन नहीं किया जाता यद्यपि खनिज और विनियमन संबंधी केन्द्रीय विधान में प्रत्येक तीन वर्ष के अंतराल पर रॉयल्टी दरों में संशोधन का प्रावधान है। 11वें वित्त आयोग ने इसका समर्थन किया तथा 12वें वित्त आयोग ने इसे मूल्यानुसार संशोधित करने की बात कही है। तथापि इसका पालन नहीं किया जा रहा है।

आपने अभी हाल ही में 1 अगस्त, 2007 को कोयला और अन्य प्रमुख खनिजों के संबंध में एक संकट तंत्र लागू किया है। परंतु यह खनिज संपन्न राज्यों को उचित रूप से क्षतिपूर्ति नहीं प्रदान करता। गोआ भी इससे प्रभावित है।

सभापति महोदयः कृपया समाप्त कीजिए।

श्री भर्तृहरि महताबः मैं मांग करूंगा कि रॉयल्टी की दर यथामूल्य के 20 प्रतिशत की दर पर निर्धारित की जानी चाहिए। आप रॉयल्टी के विरुद्ध उन करों को समायोजित कर रहे हैं जो राज्यों द्वारा खनन भूमि पर लगायी जा रही है। यह अनुचित है और राज्य की सांविधानिक शक्तियों का अतिक्रमण करता है।

एक और चिंताजनक क्षेत्र है अयस्क और क्रोम अयस्कों पर निर्यात शुल्क लगाना। इससे प्राप्त आय को वित्त आयोग द्वारा निर्धारित कर विनिमयन सूत्र के आधार पर सभी राज्यों में वितरित किया जाना चाहिए। लौह अयस्क और क्रोम अयस्क के भंडार वाले राज्यों को इन खनिजों

[श्री भर्तृहरि महताब]

के ऐसे निर्यात शुल्क से प्राप्त आय से पूरी तरह क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। मैं अगले सदस्य का नाम बुला रहा हूं।

श्री भर्तृहरि महताब: छठे वेतन आयोग पर बोलने के दौरान मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा कि इसकी सिफारिशों से राज्य सरकारों पर भारी वित्तीय बोझ पड़ा है जिसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन की जरूरत पैदा हुई है। मैं नहीं जानता कि क्या भारत सरकार ज्यादातर राज्यों की मदद करने के लिए आगे आ सकती है।

मैं इस सभा का ध्यान केन्द्रीय कोषों का कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रत्यक्ष कर अंतरण किए जाने की ओर भी दिलाना चाहूंगा। इसे रोका जाना चाहिए। सभी निधियों का अंतरण राज्य बजट के माध्यम से किया जाना चाहिए। इससे जबावदेही बढ़ेगी। इससे समुचित नीतिगत हस्तक्षेप और अभिविन्यास हेतु विशेष क्षेत्र में निधियों का समग्र प्रवाह होगा और इससे योजनाओं के दोहरीकरण से बचा जा सकेगा।

सभापति महोदय: अब कृपया समाप्त कीजिए। आपके दल के लिए 5 मिनट का समय आबंटित किया गया था आपने दस मिनट लिए हैं।

श्री भर्तृहरि महताब: मुझे केवल दो मिनट और दीजिए।

सभापति महोदय: मैं आप को केवल एक मिनट और दे रहा हूं।

श्री भर्तृहरि महताब: मैं बेहद गंभीर मसला उठाना चाहूंगा। ताप विद्युत का उत्पादन उड़ीसा में किया जाता है और विभिन्न उपक्रमों के द्वारा इसका निर्यात दूसरे राज्यों को किया जाता है। चूंकि विद्युत शुल्क केवल उपभोग पर प्रभारित किया जाता है इसलिए उड़ीसा को पर्यावरणीय अबमूल्यन के सिवा कुछ नहीं मिलता।

यदि उड़ीसा में 1,000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है तथा अन्य राज्यों को दिया जाता है तो आयात कर रहे राज्य को 100 करोड़ रुपये तक विद्युत शुल्क प्राप्त होता है। इस स्थिति को बदले जाने की जरूरत है। या तो आप राज्य को उत्पादन पर शुल्क लगाने की अनुमति दें या फिर उत्पादित विद्युत का एक प्रतिशत संबद्ध सरकारी क्षेत्र उपक्रम द्वारा उस राज्य को निःशुल्क दिया जाना चाहिए।

महोदय, अपनी बात समाप्त करने के पूर्व मुझे एक आलेख का स्मरण हुआ है जिसे मैंने अखबार में पढ़ा था और जिसे बहुसंख्यक दल के एक हमारे पूर्व सहयोगी, जो मंत्री भी रहे हैं, ने लिखा था। उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं और ये सवाल संगत हैं और इसका उत्तर देने की जरूरत है।

सभापति महोदय: आप इसे अपने सहयोगी को दीजिए, वे उन प्रश्नों को पूछेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री भर्तृहरि महताब: मैं नहीं जानता कि वह उस मत में विश्वास करते हैं या नहीं। पहला है - हमारे सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के साथ-साथ मानव विकास सूचकांक में हमारे तुलनात्मक स्थान में गिरावट हुई है। क्यों? गरीबों के लिए जिन्दगी को और अधिक सहनीय बनाने वाली सभी चीजों पर उच्च परिव्यय का तुलनात्मक रूप से कम प्रभाव क्यों पड़ता है? बढ़ी वृद्धि को समावेशी वृद्धि में बदलने के लिए क्या अपेक्षित है? उन्होंने आलेख में इन्हीं तीन सवालों को उठाया है।

मूल बात पर लौटते हुए मैं कहूंगा कि मौजूदा वित्त वर्ष में कुल अनुमानित संग्रह 6.14 लाख करोड़ से अधिक नहीं भी हो सकता है जिससे ऐसी स्थिति बनती है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: नहीं ऐसा नहीं कीजिए। अन्य सदस्य भी इसी बात को पूछेंगे। मैंने आपको पर्याप्त समय दिया। अन्य लोग प्रतीक्षारत हैं। हमें यह चर्चा आज ही अवश्य समाप्त करनी है। कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री भर्तृहरि महताब: मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। वर्ष 2009-10 में संसाधन अंतराल 4.14 लाख करोड़ रुपये है असमाहित घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.8 प्रतिशत है। यदि हम केन्द्र और राज्य के संसाधन अंतराल को शामिल करेंगे तो यह राशि सकल घरेलू उत्पाद के 11 प्रतिशत या लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपये होती है।

महोदय, मेरी अंतिम पंक्ति है - यह बेहद दुःखद है, सरकार कब एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के निष्कर्षों पर गौर करेगी?

श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती): महोदय, धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा लायी गयी

अनुपूरक अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। मैं इस अवसर का उपयोग माननीय वित्त मंत्री के ध्यान में एक बात लाकर करूंगा। हम बजट और इन अनुपूरक मांगों के माध्यम से भी विभिन्न विभागों को करोड़ों रुपये उपलब्ध कराते हैं। लेकिन हमने यह कभी नहीं देखा कि क्या उनका समुचित उपयोग किया जाता है या नहीं। महाराष्ट्र के अमरावती के जनजातीय क्षेत्र विशेषकर मेलघाट क्षेत्र में मेरा अनुभव यही है। करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन जनजातीय लोगों का विकास नहीं हो पाया है। वे अभी भी उनकी स्थिति वैसी ही है।

जब भी हम पूरे देश के लिए कुछ योजनाएं लागू कर रहे होते हैं तो राज्यों को भारी धनराशि आबंटित करते है। उदाहरणतः, हरेक तहसील में क्रीड़ा परिसर बनाना इस केन्द्र सरकार की योजना है। मैं विदर्भ नामक पिछड़े क्षेत्र का हूं। यद्यपि इस पिछड़े क्षेत्र के विकास हेतु भारत सरकार द्वारा धनराशि उपलब्ध करायी गयी है, परन्तु दुर्भाग्यवश आधी राशि मंत्रियों या मुख्य मंत्रियों के जिलों में अंतरित कर दी जाती है। उदाहरण के लिए विदर्भ के लिए निर्धारित दो क्रीड़ा परिसरों को नांदेड में अंतरित कर दिया गया था जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का जिला है और जनजातियों के लिए निर्धारित नौ विद्यालयों को भी नांदेड अंतरित कर दिया गया था।

इस तरह से कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसी कारण पिछड़े क्षेत्र पहले की तरह ही पिछड़े हैं। वही बात वहां भी है। तब, केन्द्र सरकार ने आदिवासी मलिन बस्ती के विद्यालयों के लिए धनराशि आबंटित की है। इसे भी नांदेड अंतरित किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि यह देखने के लिए कोई तंत्र नहीं है कि हमने जो धनराशि उपलब्ध करायी थी वह उस उद्देश्य के लिए ही खर्च की गयी या नहीं। यही मुख्य बात है। इसी कारण भ्रष्टाचार हो रहा है। जनजातीय क्षेत्रों में विशेषरूप से कई गैर सरकारी संगठन हैं। इसलिए गैर सरकारी संगठन और अधिकारी वहां भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। वहां ऐसा कोई तंत्र नहीं देखा गया जो इस भ्रष्टाचार को समाप्त कर सके।

मेरा संबंध सहकारी बैंकिंग उद्योग क्षेत्र से है। आयकर अधिनियम, 1961 के अधिनियमन वर्ष से सहकारी बैंकिंग उद्योग को धारा 80 पी के तहत आय कर से छूट दी गयी थी क्योंकि यह आम लोगों के आंदोलन का जनित था। इस कानून को लागू हुए 48 वर्ष हो चुके हैं। लेकिन पिछले वर्षों में अर्थात् वर्ष 2006 के बाद इस छूट को समाप्त कर दिया गया है। हम वित्त मंत्री से मिलते रहे हैं लेकिन हमें कोई सफलता नहीं मिली है। इस वर्ष भी मैं अपने सहयोगी, श्री एकनाथ ठाकुर जोकि राज्य सभा के भूतपूर्व संसद सदस्य हैं के साथ वित्त मंत्री से मिला था वे मेरी बात से सहमत थे लेकिन दुर्भाग्य से धारा 80 पी को बहाल नहीं किया गया।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि सहकारी बैंकिंग उद्योग को छूट क्यों दी जानी चाहिए। ऐसा इसलिए है चूंकि सहकारी बैंकिंग उद्योग का गठन तथा कार्यकरण सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा अन्य बैंकों से अलग होता है। यह विशुद्ध रूप से आम आदमी का लोकतांत्रिक आंदोलन है।

आजकल दुर्भाग्य से या सौभाग्यवश चाहे यह जो कुछ भी हो सहकारी बैंकिंग उद्योग को स्वयं सहकारी बैंकिंग उद्योग को साथ-साथ सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा निजी क्षेत्र के बैंकों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए नई प्रौद्योगिकियों को स्वीकार करने के लिए विकास कोष का सृजन किया जाना चाहिए। दूसरा, जैसाकि मैंने पहले बताया है कि सहकारी बैंकों के गठन का तरीका अलग होता है। इसीलिए इस बैंक के सदस्य इस बैंक के उधारकर्ता भी होते हैं यह भी एक कारण है जिसके चलते सदस्य लाभांश प्राप्त करने के लिए उचित रूप से पात्र होते हैं। यदि लाभांश और विकास कोष समाप्त हो जाएगा तो बैंक आयकर का भुगतान कैसे करेगा? सहकारी बैंक उद्योग के समक्ष यही समस्या आती है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आयकर अधिनियम की धारा 80पी को बहाल की जाए तथा सहकारी बैंकिंग उद्योग को छूट दी जानी चाहिए। मेरा यही अनुरोध है।

[हिन्दी]

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): सभापति महोदय, मैं खासकर अंडमान निकोबार द्वीपसमूह के बारे में कहना चाहूंगा।

[अनुवाद]

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): आप केवल अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के बारे में बताएं।

[हिन्दी]

श्री विष्णु पद राय: जैसे नारायणसामी जी कह रहे हैं, वैसे ही मैं फॉलो करूंगा। मैं केवल अंडमान की बात करूंगा, उसके बाहर नहीं जाऊंगा।

[श्री विष्णु पद राय]

महोदय, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सीधा केन्द्र सरकार द्वारा शासित होता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रशासन, जो केन्द्र सरकार के अंडर काम करता है, उसने 163 करोड़ रुपये अतिरिक्त मांगे। मैं उसके लिए एक-दो पॉइंट में आर्ग्यूमैंट दूंगा। अंडमान निकोबार में सूनामी के बाद करीब 10610 हैक्टेयर लैंड सबमर्ज हो चुकी है। उसके लिए जरूरत है परमानैन्ट डाइक्स एंड स्लूज गेट्स की। इस पर विभाग ने काम शुरू किया। उस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने केवल 2 करोड़ 21 लाख रुपये मांगे। राज्यपाल महोदय ने खुद सरकार से मांग की कि जो लैन्ड इरोजन हो गया, स्लूज गेट बनाने के लिए 2008 में 60 करोड़ रुपये मांगे, जो आज तक नहीं मिले। हमारे द्वीपों में 90 परसैंट फोरेस्ट हैं और केवल दस परसैंट रेवेन्यू लैंड है। सूनामी में लैंड डूब चुकी है। उसकी कुल जमीन 10610 हैक्टेयर है। इसके लिए सुलूज गेट बनाना है। हमारा देश नदी-नालों का है, उसमें जमीन का कटाव हो रहा है, उसके लिए अलग रुपए दिए जाएं। नरेगा में सैलेरी देने के लिए एक करोड़ 79 लाख रुपए मांगे। पंचायत में सैलेरी देने के लिए 30 लाख रुपए मांगे। फोरेस्ट डिपार्टमेंट में 106 नेशनल पार्क और सेंचुरीस हैं। उनके मजदूरों को छठे पे-कमीशन की एरियर्स साढ़े पांच करोड़ दिए जाएं। मिनिमम वेजेज वेरिएवल डी.ए. में, जैसे छः महीने के बाद दिल्ली सरकार मिनिमम मजदूरी बढ़ती है, उसी तरह अंडेमान-निकोबार में भी बढ़ाएं।

सभापति महोदय, हमने एजुकेशन में 29 करोड़ 58 लाख रुपए मांगे हैं, क्योंकि हमारे यहां स्कूलों में बहुत जगहों पर छत नहीं है। वहां चटाई की दीवार बनी हुई है। वहां बिल्डिंग गिरने वाली है। कुछ स्कूलों में क्लास रूम, टॉयलट और कीचन बनाने के लिए दस करोड़ रुपए मांगे। भारत सरकार ने इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, लेकिन उनके इनफ्रास्ट्रक्चर के लिए चार करोड़ 11 लाख की जरूरत है। अंडेमान-निकोबार का पुलिस का रोल बी.एस.एफ. का भी है, नैवी, आर्मी और सब का है, लेकिन उनके पास क्वार्टर्स की बहुत कमी है। वहां बहुत से थाने कच्चे हैं, पुलिस वाले बैराक में रहते हैं। बहुत जगह फायर ब्रिगेड स्टेशन नहीं है, उसके लिए 20 करोड़ रुपए मांगे हैं। वहां म्युनिसिपल काउंसिल एक ही है, जो पोर्ट ब्लेयर में है। वहां 1812 मजदूर स्टाफ है, उनका छठे पे-कमीशन के बाद सालाना 12 करोड़ 80 लाख रुपए का एडीशनल बर्डन आया। वहां थ्री टायर पंचायत है, जैसे प्रधान, समिति, जिला परिषद है, उनके स्टाफ की सैलेरी भारत सरकार ग्रांट में देती है, लेकिन म्युनिसिपल एम्प्लाइस को नहीं देती है। जैसे 80 प्रतिशत ग्रांट्स भारत सरकार ने देने का वायदा किया था, लेकिन नहीं मिला। छठे पे-कमीशन में सैलेरी की बढ़ोत्तरी हुई, वैसे ही 12 करोड़ 80 लाख रुपए पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल को भी दिए जाएं। चेरापूंजी और शिलांग के बाद हायस्ट रेनफॉल हमारे द्वीप समूह में होती है, लेकिन वहां विकली दो-तीन बार पानी राशन में मिलता है। उसके लिए जो पानी की स्कीम चल रही है, उसके लिए 13 करोड़ रुपए दिए जाएं। स्वास्थ्य में जो मेडिसिन बिल चुकाने के लिए, सिटी स्केन मशीन खरीदने के लिए 21 करोड़ रुपए की जरूरत है, क्योंकि हमारे यहां सुपर स्पेशल होस्पिटल नहीं है।

सभापति महोदय, ओल्ड एज पेंशन, विडो और आंगनवाड़ी का ओनरेरियम बढ़ाने के लिए सोशल सैक्टर में चार करोड़ 15 लाख रुपए की जरूरत है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

महोदय, इस सभा में मुझे इस मुद्दे पर बोलने के लिए जो समय मिला है ये वह समय बर्बाद कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, कृपया इन्हें बीच में न टोकें चूंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे का उल्लेख कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: सदस्य द्वारा उठाया जा रहा मुद्दा बहुत ही गंभीर है। कृपया इन्हें बीच में न टोकें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विष्णु पद राय: सभापति महोदय, सूनामी के बाद फिशरमैन का डिंगी ध्वस्त हो गया। स्कीम का नाम राजीव गांधी रिहेबिलिटेशन पैकेज है। उन्हें रिहेबिलिटेशन के नाम पर डिंगी के साथ लोन मिला। जब फिशरमैन का सब कुछ खत्म हो गया तो निकोबार में डिंगी फ्री मिली। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्य कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए। आप काफी चीजें पूछ चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री विष्णु पद रायः महोदय, मुझे बोलने के लिए कुछ मिनट और दीजिए...*(व्यवधान)*...मैंने इस मुद्दे पर बोलने के लिए मात्र तीन मिनट का समय लिया है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय, अंडेमान और केंबलवे जिले में 686 मछुआरों को लोन में डिंगी दी। आज उनके इंटरस्ट के साथ तीन करोड़ 53 लाख माफ किए जाएं। तमिलनाडु, पांडीचेरी में सूनामी के विध्वंस के बाद उन्हें डिंगी दी गई, उस पर लोन नहीं था। उनका 3.53 करोड़ लोन और इंटरस्ट के साथ बकाया है, उसे माफ किया जाए।

सभापति महोदय, मैं आखिर में एक मांग कर के बैठना चाहूंगा। हमारा द्वीप जब बैठा था, तब सरकार ने किसानों को लोन दिया था। मेरे पास फिगर्स हैं। जिस आदमी ने वर्ष 1968 में 1.25 रुपए लोन लिया था, उस पर इंटरैस्ट लगाकर, उसे 454 रुपए कर दिया गया है। वर्ष 1968 में किसानों को कृषि विभाग ने ऐसा लोन दिया कि उस पर इंटरैस्ट लगाकर वह 454 रुपए हो गया। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि करीब 20-21 तरह के लोन जो किसानों को दिए गए हैं, उन्हें सरकार माफ करे। इसके साथ ही मैं एक मांग और करूंगा कि हमारे फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के रिवाइवल का पैकेज, केन्द्र सरकार के पास पैंडिंग पड़ा है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के रिवाइवल के लिए केन्द्र सरकार कम से कम 110 करोड़ रुपए का पैकेज तथा रबर बोट का रिवाइवल पैकेज दे। मिडिल एंड नॉर्थ अंडमान में नया डिस्ट्रिकल बनाए, उसके इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 करोड़ रुपए प्रशासन ने मांगे हैं, वे दिए जाएं। मेरी मांगों को सरकार पूरा करे, ऐसी मैं आशा करता हूं।

[अनुवाद]

डॉ. थोकचोम मैन्या (आंतरिक मणिपुर): सभापति महोदय, मैं यहां पर वर्ष 2009-10 की अनुपूरक अनुदानों की मांगों (सामान्य) का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सभी संबधित प्राधिकरणों की सिफारिशें प्राप्त करना एक संवैधानिक बाध्यता है। जैसाकि हम सभी अच्छी तरह से अवगत हैं कि इन अनुपूरक अनुदानों की मांगों में 61 अनुदान और दो विनियोग विधेयक शामिल होते हैं। जैसाकि पूर्व वित्त मंत्री ने सही कहा है कि निवल नकद निर्गम को काफी हद तक सीमित किया गया है। मैं इसका पुनः विश्लेषण करना चाहूंगा। 25,725 करोड़ के निवल नकद निर्गम में गैर योजना व्यय 20,000 करोड़ रुपए था और योजना व्यय केवल 5000 करोड़ रुपए तक सीमित था। यह बहुत ही अच्छा संकेत है।

वर्तमान संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के अंतर्गत जिसे हम संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन-द्वितीय कहते हैं, वित्त मंत्री के नेतृत्व तथा हमारी अध्यक्षा के मार्गदर्शन में हम धीरे-धीरे वैश्विक आर्थिक मंदी के अवांछित प्रभावों से बाहर निकल आए हैं। सबसे ज्यादा खुश होने वाली बात यह है कि सकल घरेलू उत्पादन की दर 6 प्रतिशत से अधिक है और इस विकास दर में और वृद्धि होने की संभावना है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम आराम से बैठ जाएं। अपनी अर्थव्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ तथा गतिशील बनाने के लिए हमें और प्रयास करने होंगे।

महोदय, मैं पूरी शिद्दत से यह महसूस करता हूं और मानता हूं कि यदि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का शासन चलता रहा तो हम भारत को हम दो या तीन दशकों के अंदर एक महाशक्ति बना देंगे। यह मेरा अनुमान नहीं है। अन्य देशों के विभिन्न मीडियाओं का यही अनुमान है।

धीरे-धीरे विकास दर में वृद्धि हो रही है और महंगाई को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया गया है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अच्छी स्थिति में है। हाल ही में हमने और अधिक सोना/बुलियंस खरीदा है, हमने तत्कालीन जनता सरकार के जमाने में बेचे गए सोने से अधिक सोना खरीदा है।

महोदय, आज भारत एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है और सभी महाशक्तियों द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया है तथा हम सभी को इस बात पर गर्व होना चाहिए। हां, यहां कुछ चिंता के क्षेत्र भी है मसलन आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते मूल्य तथा किसानों की दयनीय स्थिति आदि। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकती। हमारी ऋण माफी नीति, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम इत्यादि से किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामलों में कमी आई है। हमें माननीय वित्त मंत्री के नेतृत्व पर पूरा विश्वास है। वे अनुभवी अर्थशास्त्री और रणनीतिकार हैं तथा वे किसी भी प्रकार की स्थिति और घटनाक्रम को संभाल सकते हैं। माननीय मित्रों आप जानते ही हैं कि पिछले कुछ महीनों में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें स्थिर हो गयी हैं। इसके लिए राज्य सरकारें भी समान रूप से उत्तरदायी हैं। राज्य तथा केन्द्र दोनों ही सरकारों को

[डॉ. थोकचोम मैन्या]

उत्तरदायित्व समान रूप से बहन करना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप से आम आदमी का कोई भला नहीं होगा। इससे आगे जाकर कुछ और करने की आवश्यकता है हम भी आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण करने तथा किसानों द्वारा की जाने वाली आत्महत्याओं को रोकने को तैयार हैं।

मैं माननीय वित्त मंत्री से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आदि जैसे यू.पी.ए. के प्रमुख कार्यक्रमों के लिए धनराशि की कमी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ आगे आने वाले राष्ट्रमण्डल खेलों के लिए भी पर्याप्त धनराशि उपलब्ध रहनी चाहिए क्योंकि यह राष्ट्र के गौरव और प्रतिष्ठा का मामला है। हम राष्ट्रमंडल खेलों के लिए कुछ वित्तीय शिथिलता की उम्मीद कर रहे हैं।

देश के सभी राज्यों में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाना है। गरीब राज्यों के लिए इसे क्रियान्वित करना बेहत मुश्किल काम होगा। इसलिए, मैं वित्त मंत्रालय से गरीब राज्यों को वित्तीय सहायता देने का अनुरोध करना चाहूंगा ताकि उन्हें छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में सहायता मिल सके। केन्द्र की वित्तीय सहायता और समर्थन के बिना इन राज्यों के लिए इसे लागू करना नामुमकिन ही होगा।

मेरा राज्य विशेषकर मणिपुर वित्तीय अडचनों के कारण अभी तक इसे क्रियान्वित करने में असमर्थ है। मेरा वित्त मंत्रालय से पुरजोर अनुरोध है कि यदि हो सके और नियम इस बात की अनुमति दें तो वह वित्तीय सहायता मुहेया कराने के लिए आगे आकर मेरे राज्य की सहायता करें ताकि हम आयोग की सिफारिशों को लागू कर सकें।

हमें सभी राज्यों और क्षेत्रों का विकास समान रूप से करना होगा। हमें चाहिए कि हम क्षेत्रीय असंतुलन समाप्त करें। इसके लिए सरकार, वित्त मंत्रालय और योजना आयोग द्वारा एक नए दृष्टिकोण को अपनाना और नई नीति बनाना बेहद जरूरी है। यदि कोई राज्य अथवा क्षेत्र विकास के मामले में पिछड़ रहा है तो वहां असंतोष और विद्रोह होना स्वाभाविक है। इसलिए, मुझे डर लग रहा है, हमें अपनी आर्थिक योजना और वित्तीय प्रबंधन के प्रति नई सोच और नए दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। पिछड़े क्षेत्रों अथवा राज्यों की ओर ज्यादा ध्यान देना होगा। समाज के गरीब वर्गों और वंचित वर्गों की ओर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए।

अंत में, यू.पी.ए. सरकार सभी के समग्र विकास के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। यू.पी.ए. सरकार आम आदमी के प्रति कृतसंकल्प है। यू.पी.ए. सरकार सभी राज्यों के समान विकास के प्रति दृढ़संकल्प है। हमारी मैडम सोनिया गांधी, श्री मनमोहन सिंह तथा श्री प्रणब मुखर्जी तथा अन्य लोगों के कुशल नेतृत्व में हमें इस बात का पूरा विश्वास है कि हम सभी वित्तीय समस्याओं से उबर जाएंगे और आर्थिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आएंगे। एक बार पुनः मैं वर्ष 2009-10 हेतु अनुदानों की अनुपूरक मांगों का पूरी तरह से और दिल से समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, गांव में मैं देखता हूं कि महंगाई की मार है और किसानों को तकलीफ है, उससे इच्छा होती है कि सरकार पर बड़ा कड़ा हमला करूं, अटैक करूं, लेकिन जब देखता हूं कि वही हमारे पुराने साथी, जो पांच वर्षों तक एक साथ रहे हैं, जनता का, सरकार का काम किया है। डॉ. मनमोहन सिंह, प्रणव बाबू, नमोनारायण मीणाजी, नारायण स्वामी जी, हम सब लोगों ने एक साथ काम किया है और श्रीमती सोनिया गांधीजी इतना समर्थन और अपनापन रखती थीं तो मोह हो जाता है। 15वीं लोक सभा में मोह हुआ कि जनता की बात बोली जाये कि इतने हमारे पुराने साथी हैं, इन पर कड़ा अटैक किया जाये तो फिर हम कृष्ण तो हैं नहीं तो मोह छुड़ाने के लिए डॉ. लोहिया को हमने याद किया।

डॉ. लोहिया का जन्म शताब्दी समारोह, उनकी जयन्ती की 100वीं वर्षगांठ 2010 में होने जा रही है। हमने मांग की थी और 11 माननीय सदस्यों ने प्रधानमंत्री जी को लिखा था कि डॉ. लोहिया जन्म शताब्दी समारोह जानदार, शानदार ढंग से मनाया जाये, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। 23 मार्च, 1910 को उनका जन्म हुआ था। उन्होंने ही कहा था कि जहां रहो, करोड़ों की बात करो, गरीबों की बात बोलो, लड़ो और उनके लिए काम करो। उसका स्मरण जब करता हूं तो मेरा मोह खत्म हो जाता है। मैं चाहता हूं कि जनता और गरीब आदमी का सवाल यहां पर उठाऊं।

महंगाई की मार से लोग तबाह हैं ओर सरकार की कार्रवाई से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। केन्द्र सरकार राज्य सरकार पर फेंक देती है कि राज्य सरकार ब्लैक मार्केटिंग और जमाखोरी, मुनाफाखोरी को नहीं रोक रही है। राज्य

सरकार कहती है कि यह केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है तो राज्य सरकार और भारत सरकार के बीच में दोनों कह रहे हैं कि उनकी ढिलाई हैं और वे कहते हैं इनकी ढिलाई है। दोनों की ढिलाई में हो रही जनता की पिसाई, गरीब आदमी की पिसाई, इसलिए महंगाई को रोका जाए। आज और आग क्यों नहीं लगती, देश में हल्ला क्यों नहीं उठता? जैसे ही केंद्र से यह होता है कि मुनाफाखोरी पर कार्रवाई की जाए, तो मुनाफाखोरी के समर्थक दल सुटूक कर देह मार देता है, इसीलिए हल्ला नहीं उठता है। लेकिन हल्ला उठाना पड़ेगा। ज्यादा कुछ नहीं, पर महंगाई हमारा मूल सवाल है। महंगाई रोकने की कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। यह कहते हैं कि इन्फ्लेशन घट रहा है, लेकिन महंगाई बढ़ रही है। यह कौन सा अर्थशास्त्र है? इसके लिए क्या इंतजाम है? सरकार किस काम के लिए है, जब डिमांड-सप्लाई और मार्केटफोर्स इतनी ताकतवर हो जाएगी, तो सरकार की क्या जरूरत है? उसे फ्री छोड़ दीजिए। गरीबों का संरक्षण और महंगाई को रोकना, दाम बांधना, वाजिब है और जरूरत है। डॉ. लोहिया कहा करते थे। ज्यादा डिटेल पर न जाते हुए इस बहस को मैं विद्वानों पर छोड़ देता हूं।

फिस्कल डेफिसिट की बात की जाती है, मैं सुनते-सुनते परेशान हो गया हूं। एक गरीब पर जब खर्च होने लगता है, तब फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट। यशवंत बाबू ने पहले पांच वर्ष तक बजट पेश किया था। ग्रामीण विकास पर पांचों वर्षों में मिलाकर कुल 72 हजार करोड़ रुपए खर्च हुए थे और केवल वर्ष 2008-09 में 72 हजार करोड़ रुपए ग्रामीण विकास पर खर्च किए हैं। आप पांच वर्ष में इतना खर्च किए और यहां एक वर्ष में, तो फिस्कल डेफिसिट नहीं बढ़ेगा क्या? मल्टीनेशनल के लिए या उद्योगपति के लिए ही बजट है, गांव के या गरीब के लिए नहीं है। देश में एंटी रूरल, एंटी पुअर लॉबी है। जब गांव में और गरीब पर खर्च करने की बात होती है, तो कहते हैं कि गड़बड़ी है, गड़बड़ी है, गड़बड़ी है।

रोजगार गारंटी कानून के बारे में मैं कहना चाहता हूं। रोजगार गारंटी कानून की उपलब्धियां अभी तक क्या हैं? यशवंत बाबू उन्हें नहीं जानते हैं। झारखंड में पंचायत राज का चुनाव नहीं हुआ। रोजगार गारंटी का हथियार और उसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है पंचायती राज है, तो वहां कैसे ठीक से लागू होते हुए आप देखेंगे? 18 लाख योजनाओं में एक साल में काम लगा है, लोगों का हाथ लगा है। एक किसी योजना को देखा और कह दिया कि संपूर्ण लूट-खसोट है। इतनी भारी गलती, सही बातों से इन्कार करना, आंख मूंदना है। साढ़े चार करोड़ परिवारों को इससे रोजगार मिला है। आप कहते हैं कि इसमें लूट है। एकाउंट से पेमेंट है, बैंक के खाते से पेमेंट है। बैंक या पोस्ट आफिस में कितने खाते खुले हैं? बैंक या पोस्ट आफिस में 8 करोड़ गरीब परिवारों के खाते खुले हैं। पहले क्या कोई गरीब आदमी बैंक में झांक भी पाता था? कोई उन्हें क्या वहां जाने देता था? अब गरीब आदमी का वहां खाता है। वह उस खाते का मालिक है। फाइनैंशियल एक्सप्रेस ने लिखा, "विश्व का सबसे व्यापक वित्तीय समावेशन" दुनिया में इतना बड़ा क्रांतिकारी काम अभी तक नहीं हुआ, जितना यह हुआ। गरीब को आप क्या देते थे? उसे काम भी नहीं देते थे। काम में सौ ही दिन की गारंटी हुयी, तो लोगों के प्राण छूट रहे हैं कि पैसा जा रहा है, नाली में जा रहा है, नाली में चला जाएगा। शुरू में ही, लागू करते वक्त विभिन्न अर्थशास्त्री कह रहे थे कि यह बेकार चला जाएगा। जॉन ड्रैजर अर्थशास्त्री ने झारखंड में सोशल आडिट किया है। झारखंड में तो खासतौर से रोजगार गारंटी योजना गरीबों के लिए वरदान है। लागू करने में जरूर ऐसा हो सकता है, जैसे कहते हैं कि सिंचाई करने में माली से कुछ पत्तियां झड़ गयी होंगी, तो आप कहते हैं कि उसको खत्म कर रहे हैं। कहीं त्रुटियां या कमियां जरूर होंगी, हो सकती हैं। 6 लाख गांव, ढाई लाख पंचायत, 614 डिस्ट्रिक्ट्स, अब उसमें कैसे-कैसे काम करने वाले लोग होंगे? उसमें गड़बड़ियां हो सकती हैं, लेकिन आपने यह भी कहा कि कैसे बनाया गया? उसमें जीरो टालरेंस टुवर्ड्स करप्शन है। उसमें कैसे चोरी हो सकती है? साठ प्रतिशत मजदूरी पर भुगतान करना है, चालीस पर्सेंट का मैटेरियल खरीदना है। वह भुगतान कैसे अवैध हो सकता है, जब चेक से भुगतान होना है। उसमें पांच बातों का महत्व दिया गया है। अवेयरनेस जेनरेशन-जानकारी, पीपुल्स पार्टिसिपेशन-भागीदारी, एकाउंटेबिलिटी-जवाबदारी, स्ट्रिक्ट विजिलेंस मानिटिरिंग-खबरदारी और ट्रांसपरेंसी-पारदर्शिता, ये पांच चीजें हैं। राज्य सरकार उसे लागू करे या न करे, यह उसकी गड़बड़ी है। झारखंड की बात कहते हैं तो झारखंड में उनका राज था। इन्होंने जी-फाइव चलाया। वहां सब जेल में हैं।

उस राज में क्या हो सकता था। वहां का एक उदाहरण देकर रोजगार गारंटी जैसे क्रान्तिकारी कानून, कैम्ब्रिज यूनीवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी और जितनी निष्पक्ष एजेंसियां हैं, सबने जांच की और पाया कि यह गरीबों के लिए वरदान है, देश के लिए कायाकल्प योजना

[डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह]

है। लेकिन फंड जा रहा है तो प्राण छूट रहे हैं और कहा जा रहा है कि देश में एंटी-रूरल, एंटी-पुअर लॉबी है। ऐसी जगह कहां है जहां फ्रॉड नहीं होता। बैंकिंग की व्यवस्था काफी बड़ी है, लेकिन क्या उसमें फ्रॉड नहीं होता, ए.टी.एम. से जाली तरीके से पैसे नहीं निकाले जाते। गड़बड़ी और अपराध हो सकता है। यहां पार्लियामैंट है जिसकी बैठक छः महीने में जरूर होती है। यहां काफी कमेटियां हैं, सी.ए.जी., जांच आदि है जिनमें पकड़ की गुंजाइश है, लेकिन क्या फिर भी गड़बड़ी नहीं होती है? इस गड़बड़ी को नहीं देखा जाता। राज्यों में विधानसभाएं हैं। उनमें भी सवाल-जवाब होते हैं, कार्यवाही होती है। गांवों में ग्राम सभा है। संविधान की धारा 243 में प्रावधान किया गया है कि ग्राम सभा होगी, कौन्सटीट्यूशनल बॉडी है, लेकिन उसकी बैठक अनिवार्य होगी, इसका प्रावधान नहीं है। कहीं पर बैठक होती है, कहीं पर नहीं होती, कहीं राज्य सरकार देखती है, कहीं नहीं देखती है, कोई देखने वाला नहीं है। इसीलिए कहीं कागजी, जाली बैठक हो जाती है, तो वहां गड़बड़ी हो सकती है। इसमें एक ही कमी रह गई है कि जैसे लोक सभा और विधानसभा की बैठक के लिए संविधान में प्रावधान है, उसी तरह उसमें भी प्रावधान होना चाहिए। ग्राम सभा की बैठक अनिवार्य होनी चाहिए। सैल्फ डिसक्लोजर इतने पैसे आए, कौन सा काम होना है, कितने मजदूर हैं, क्या काम लिया गया, कितना पैसा मिला, उसमें सब कुछ बताना चाहिए। नहीं तो छः लाख गांवों में ठीक से काम हो जाए, यह दिल्ली में बैठकर कोई कैसे देख सकता है। इस योजना को या सरकार को कोई कैसे कसूरवार ठहरा सकता है। यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है यदि यहां से कार्यवाही की जाएगी तो कहा जाएगा कि हस्तक्षेप हो रहा है, वह यूनियन लिस्ट है और यह स्टेट लिस्ट है। कोई आन्ध्र प्रदेश में जाकर देखे कि वहां कैसा काम हुआ है।

यशवंत बाबू ने रोजगार गारंटी के खिलाफ बोला है, इसमें हमें ज्यादा आश्चर्य नहीं है। देश भर में हल्ला हो गया कि रोजगार गारंटी के चलते कांग्रेस की तरक्की हो गई और सरकार पलट गई, यू.पी.ए. नम्बर टू हो गई। कोई विपक्षी नेता कैसे कहेगा कि यह ठीक है। उन्हें पता है कि ये इसी के चलते आ गए, इसीलिए इसी को खराब कहिए।...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा (हजारीबाग)**:** आपने उन्हें सत्ता में बिठाया और उन्होंने आपको ही बाहर कर दिया।...*(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: बिहार में एन.डी.ए. की सरकार थी। उसने देखा कि यह केन्द्र की योजना है। इसलिए इसे बढ़िया से लागू नहीं किया, गड़बड़ी कर दी। वहां के लोगों को यह समझ में नहीं आया, देशभर के लोगों को समझ में आ गया, इसलिए बाहर हो गए। ...*(व्यवधान)* ग्रामीण विकास की सारी योजनाओं को ग्राम सभा में करना चाहिए।

श्री गोरखनाथ पांडेय प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में बोल रहे थे। हमने शुरू नहीं किया है, यू.पी.ए. ने नहीं शुरू किया, उन्होंने शुरू किया। साल में ढाई हजार करोड़ रुपये का खर्च था। ढाई हजार करोड़ रुपये में एक ब्लॉक में दो किलोमीटर के हिसाब से 50-60 लाख करोड़ रुपये होता है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में चार वर्षों में 48 हजार करोड़ रुपये खर्च हुआ है। 12 हजार करोड़ रुपये केवल सड़क पर खर्च हुए हैं और आपने सम्पूर्ण बजट में 12 हजार करोड़ रुपये खर्च किए थे। पांच वर्षों में 72 हजार करोड़ रुपये खर्च किए थे, लेकिन यहां एक साल में 72 हजार करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। पहले साल 16 हजार करोड़ रुपये, फिर 24 हजार करोड़ रुपये बढ़े, 53 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई, तीसरे साल 31 हजार करोड़ रुपये, चौथे साल 42 हजार करोड़ रुपये और पांचवें साल साढ़े 49 हजार करोड़ रुपये थे। यह कहा गया कि पैकेज क्यों दिया। पैकेज दिया तो ग्रामीण विकास का बजट 72 हजार करोड़ रुपये हो गया। सौ प्रतिशत खर्च हुआ। गांव और गरीब का विकास होगा। सब जगह ग्रामीण विकास की योजना ही झलकती है।

अपराह्न 7.00 बजे

बूढ़ा-बूढ़ी पेंशन, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, महिलाओं की भागीदारी, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना आदि इन सभी से गांवों का कायाकल्प हो रहा है। यदि कोई गांव में जाकर देखेगा, तो इंकार नहीं कर सकता। उसमें गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि इम्प्लीमैंटेशन में चंद तरह के लोग हैं। लेकिन उसमें भी कानून है। वहां का सुपरिटैंडेंट इंजीनियर माननीय सांसद को खबर करेगा और सड़क का ज्वाइंट इंस्पेक्शन होगा। अब एम.पी. साहब को उसकी खबर होती है या नहीं, यह पता नहीं? एम.पी. साहब को अगर कहीं जाना है, तो वह कह देते हैं कि हमें समय नहीं है।...*(व्यवधान)* उसके बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एम.एल.ए. को खबर करेगा। जूनियर इंजीनियर मुखिया को खबर करेगा। इस तरह ज्वाइंट चुने हुए

प्रतिनिधि और लागू करने वाले अधिकारी, इंजीनियर सब सड़क को देखेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे। देश में 3 लाख 78 हजार किलोमीटर सड़क है। देश में कुल सड़क 33 हजार किलोमीटर है, 66 हजार किलोमीटर हाइवेज हैं और सवा लाख किलोमीटर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं और स्टेट हाईवेज साढ़े तीन लाख किलोमीटर है। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स 26 लाख किलोमीटर है। ग्रामीण सड़क में 3 लाख 70 हजार किलोमीटर की मंजूरी हुई है।...*(व्यवधान)* बहुत से माननीय सदस्यों ने सवाल उठाये हैं। इसलिए रोजगार गारंटी कानून को बिना जाने-समझे कितने आस्पेक्ट हुए हैं। पंचायती राज का सशक्तीकरण हुआ। महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज का सपना था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चौखम्बा राज और बाबू जयप्रकाश नारायण का जो सपना था, उस सपने का साकार रोजगार गारंटी कानून है। इसलिए ऐसे सनसनी तौर पर और सरकास्टिक रिमार्क्स में कुछ कह देना गरीबों के साथ अन्याय होगा। मैं ही पूछता हूं कि आप एक भी ऐसी स्कीम बताइये जहां जाली कार्य हुआ है। हंड्रैड परसेंट एकाउंट पैमेंट है। कैश पैमेंट एवॉयडेड है। इसलिए कैसे कहा जाता है कि एक रुपये भेजते हैं तो 15 पैसे पहुंचते हैं। सौ फीसदी एकाउंट में पहुंचता है। अब एकाउंट के बाद उस गरीब आदमी को नशा पिलाकर ठग ले, फरेब करके जमीन लिखवा ले, ऐसी शिकायत हो सकती है। लेकिन उसमें चोरी की गुंजाइश नहीं है। भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाशत नहीं। लेकिन इन स्कीम्स को लागू करने में जहां-तहां हेराफेरी हो सकती है। इसमें लोग पकड़े भी गये हैं और पकड़े जाते रहे हैं। उसमें डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस मौनीटरिंग कमेटी है जिसे तीन महीने में बैठक करनी है। मैं सब लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या वह बैठक हुई है? जिला में क्या आपने कहीं देखा है? आपने क्यों नहीं उसकी इंसपेक्शन की? आपने क्यों नहीं कलैक्टर को निर्देश दिया कि यहां शिकायत है। मोरम सड़क के बारे में बोल रहे थे। अब पक्का करने का भी उसमें प्रवाधान है। 40 परसेंट मैटीरियल का, उसमें भी दूसरी योजना से उस पर पक्का करा दो। बैंकवर्ड रीजन ग्रांट फंड से आप सड़क पक्की करवा दीजिए। कच्चा काम रोजगार गारंटी योजना से हो जायेगा। डवटेल का प्रावधान है, अमालगमेशन का प्रावधान है। लेकिन सरजमीं पर भारत सरकार से, पार्लियामैंट से कैसे आप गांव में नियंत्रण कर सकते हैं। ये सभी चीजें हैं। हमें कभी फिर मौका मिलेगा, तो हम ग्रामीण विकास के बारे में अक्षरशः बतायेंगे, सदन को जानकारी देंगे जिससे गरीबों का कल्याण हो सके। गांव में जो गरीब बसते हैं, पार्लियामैंट का ऊंचा घर मैंने बनाया रे, लेकिन मुझे काम नहीं।

अब मंगनी लाल मंडल जी ने कहा था। हम समाजवादी लोग लड़ते थे और कहते थे कि काम को मौलिक अधिकार दो, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता दो। वह जब चरितार्थ हो रहा है, तो कहा जा रहा है कि वह खराब है। यह गलत है। दुनिया की कोई भी योजना हो, क्या उसमें गड़बड़ी नहीं हो सकती? उसमें गड़बड़ी हो सकती है।...*(व्यवधान)* डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि करोड़ों की बात कहो, डॉक्टर ऐसा आदमी दो, जो करोड़ों की बात बोले। एक आदमी पर 12 डॉक्टर और करोड़ों लोगों के लिए डॉक्टर नहीं। यह डॉ. लोहिया की बोली है। उस कारण मैं मोह से मुक्त हो रहा हूं कि सही और वाजिब बात इस लोक सभा में, जहां देश भर के चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं, जनतंत्र की सर्वोच्च पंचायत है, इसमें करोड़ों गरीब लोगों की बात गूंजे, उनकी परेशानी का सवाल उठे। यहां कारपोरेट कहने से क्या होगा। सी.आई.आई. ऐसोचैम से गरीब की बात नहीं होगी। अब विपक्ष का काम यह नहीं है कि सब कुछ इसके खिलाफ ही बोल दे। हो गया न देश भर में हल्ला कि रोजगार गारंटी से कांग्रेस लौट आई, यह उनको फायदा कर गया, तो अब लोगों को लगता है कि इसका विरोध करना चाहिए। लेकिन अगर इसका विरोध होगा तो वह गरीब के खिलाफ होगा। अगर गरीब के खिलाफ हो जाएगा तो आप लोग जो जा ही रहे हैं रसातल में, और चले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सायं 7.05 बजे

कार्य मंत्रणा समिति

नौवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का नौवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूं।

सायं 7.06 बजे

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2009-10 - *जारी*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब श्री प्रबोध पांडा बोलेंगे। कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री प्रबोध पांडा (मिदनापुर): मुझे समय सीमा की जानकारी है परन्तु कृपया फिर भी मुझे सभी बिंदुओं पर बोलने दीजिए।

महोदय, अनुपूरक अनुदान की मांगों का प्रथम भाग 3942.62 करोड़ रुपए के सकल व अतिरिक्त व्यय के अनुमोदन हेतु है। हम अनुपूरक अनुदान की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। यहां आय बजट पर चर्चा नहीं हो रही है। इसलिए, इस विषय पर हम सीमित चर्चा ही कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यह प्रस्ताव अनौपचारिक रूप से लाया गया है। इसमें प्राथमिकता का अभाव है। आसमान छूती महंगाई के मद्देनजर हम इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं। हम इस मामले पर चर्चा उस समय कर रहे हैं जब किसानों की बदहाली बढ़ती जा रही है और उनकी आत्महत्याओं का सिलसिला बेरोकटोक जारी है। हम ऐसी स्थिति में इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं जब लगभग 50 लाख कामगार बेरोजगार होने की कगार पर हैं। प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? मैं कहूंगा कि इस प्रस्ताव में प्राथमिकता का अभाव है।

इसमें आम आदमी, समावेशी विकास की बात कही गई है। हम 'भारत निर्माण' की बात कर रहे हैं। हम एन.डी.ए. सरकार से लगभग यही नारे सुन चुके हैं। उन्होंने नारा दिया था 'भारत उदय' और अब हम 'भारत निर्माण' की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा था 'फील गुड' और हम अब आम आदमी, समावेशी विकास की बात कर रहे हैं। यह एक ही बात है। मुझे अभी याद आया कि एन.डी.ए. के कार्यकाल के दौरान पूर्व वित्त मंत्री माननीय यशवन्त सिन्हा जी ने अपने बजट भाषण में कहा था कि हम किसानों को स्वतंत्रता देने जा रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। ये आत्महत्याएं बेरोकटोक जारी हैं।

सरकार ने स्वीकार किया था कि वह प्राथमिकता के बारे में निर्णय लेगी, परन्तु इसका अभाव है। महंगाई रोकने को मुख्य प्राथमिकता दी जानी चाहिए। श्री यशवन्त सिन्हा ने अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के जो आंकड़े बताए हैं, मैं उनसे सहमत हूं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूल्य कम हो रहे हैं, परन्तु हमारे देश में स्थिति इसके बिलकुल विपरीत है। लगभग सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस संबंध में हम सरकार का क्या दृष्टिकोण है? इस प्रस्ताव में कुछ भी दिखाई नहीं देता।

हम बहुत बार मांग और आपूर्ति के बारे में सुन चुके हैं। आपूर्ति किस प्रकार से बढ़ाई जाएगी? क्या इसे केवल आयात, आयातों पर से प्रतिबंध हटाकर बढ़ाया जा सकता है? निवेश बढ़ाए बिना, घरेलू बाजार में हमारी आपूर्ति किस प्रकार बढ़ेगी? आपका 30,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रस्ताव है। परन्तु योजना अनुमान तथा योजना क्षेत्र की क्या स्थिति है जो दो-तिहाई से भी कम है? कृषि के संबंध में योजना अनुमान की स्थिति क्या है? यह लगभग शून्य है। सामान्य बजट प्रस्तुत करते हुए माननीय वित्त मंत्री महोदय ने कहा था कि यह कई और ऐतिहासिक बात है कि हमने 10 लाख करोड़ से अधिक के प्रस्ताव तैयार किए हैं। परन्तु कृषि का क्या होगा, जो लगभग एक प्रतिशत है? अतः कृषि की अनदेखी की गई है। यही बात इस प्रस्ताव में परिलक्षित होती है तथा कृषि को लगभग नजरअंदाज कर दिया गया है। हमने कई बार राष्ट्रीय कृषक आयोग संबंधी मुद्दे को उठाया है। इसका अपमान किया जा रहा है। सरकार, राष्ट्रीय कृषक आयोग के प्रस्तावों को मानने की स्थिति में नहीं है।

जहां तक मूल्य की बात है, तो हम कई बार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बढ़ाने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने तथा सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली अपनाने का सुझाव दे चुके हैं। हम गांवों में भेद किस प्रकार करेंगे कि कौन बी.पी.एल. है और कौन ए.पी.एल.? क्या आप संक्सेना समिति के प्रतिवेदन को मानते हैं? क्या आप डॉ. अर्जुन सेन गुप्ता समिति द्वारा सौंपे गए प्रतिवेदन को मानते हैं? क्या आप तेंदुलकर समिति के प्रतिवेदन को मानते हैं? उन्होंने क्या कहा है? योजना आयोग राज्यों पर यह सीमा किस प्रकार लगा सकता है कि यह लक्ष्य होना चाहिए तथा बी.पी.एल. परिवारों की पहचान हेतु यह प्रक्रिया है? अतः गरीबी की समस्या के समाधान के लिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जाए। यही प्राथमिकता होनी चाहिए मुझे लगता है कि सरकार इस बारे में कार्य करेगी। जहां तक कृषि उत्पादों का संबंध है इस प्रकार की फॉरवर्ड मार्किटिंग को बंद किया जाना चाहिए। जहां तक खाद्य उत्पादों का संबंध है, इस प्रकार की फॉरवर्ड मार्किटिंग बंद की जानी चाहिए। कृपया पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करने का प्रयास कीजिए। आप स्थिति को समझने का प्रयास करें। इसलिए, मैं कहना चाहता हूं कि उत्पादन क्षेत्र को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह प्रस्ताव लाभकारी नहीं है। इससे हमारे देश की वर्तमान स्थिति में वास्तविक समस्याओं के समाधान में सहायता नहीं मिलेगी।

यही नहीं, संसाधन जुटाने के बारे में क्या स्थिति है? काले धन को बाहर निकालने के लिए आपका क्या

दृष्टिकोण है? विदेशी बैंकों में जमा भारी धन राशि को निकालने के लिए आपका क्या दृष्टिकोण है? मुझे संसद की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्वारा दिया गया भाषण तथा बजट भाषण याद आ रहा है। उसमें कहा गया था कि सरकार विदेशी बैंकों में जमा भारी धनराशि का पता लगाना चाहती है। अपने बजट में हम लगभग 10 लाख करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं। परन्तु दिल्ली प्रेस में प्रकाशित हुआ है कि स्विस बैंक में पहले से ही 75 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि जमा है। तो, आपका क्या दृष्टिकोण है? अतः यह दर्शन शास्त्र की हानि है। यह प्राथमिकता की हानि है। यह उपयोगी नहीं है और इसे अनौपचारिक रूप से लाया गया है। मैं इस प्रस्ताव के विरुद्ध नहीं हूं क्योंकि इसका समर्थन करने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। परन्तु मेरा मानना है कि मंत्री महोदय इस बारे में विचार करेंगे। हम यहां चर्चा कर सकते हैं तथा किसी विरोध के बिना इस विधेयक को पारित कर सकते हैं। यह ठीक है। परन्तु संसद के बाहर स्थिति थोड़ी भिन्न है। हमारे देश का परिश्रमी वर्ग आज कठिनाई में है। कृषि कामगारों की क्या स्थिति है? गरीब तथा सीमान्त किसानों की स्थिति किस प्रकार की है? हमारे देश के बटाईदारों की क्या स्थिति है? हमारे देश के कामगार लोगों की क्या हालत है? हमारे देश के निम्न मध्यम वर्ग के लोगों की क्या स्थिति है? मेरा केवल यही अनुरोध है कि सरकार, हमारे देश के इन वर्गों के लोगों की समस्याओं का समाधान करे। मेरा अनुरोध है कि सरकार इन लोगों के बारे में प्राथमिकता से विचार करे। यह केवल सरकार का ही दायित्व नहीं है, बल्कि यह संसद का भी दायित्व है।

इन शब्दों के साथ ही, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर (पोन्नानी): महोदय, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे अनुपूरक अनुदान मांगों (सामान्य) पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया।

महोदय, मैं सभी पूर्व वक्ताओं विशेषकर पूर्व वित्त मंत्री को काफी ध्यानपूर्वक सुन रहा था। वह सरकार पर दोषारोपण करने का प्रयास कर रहे थे और व्यर्थ में यह साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि सरकार की आर्थिक नीति उपयुक्त नहीं है और भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब है। मैं आदरपूर्वक यह कहना चाहूंगा कि मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता।

जहां तक इस देश का संबंध है तो समूचा विश्व यह प्रारम्भिक बात जानने के लिए भारत की ओर देख रहा है कि इस आर्थिक संकट से कैसे निकलें। इस सरकार को इसकी बधाई देनी चाहिए। हमारा देश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु आकर्षण का केन्द्र बनता जा रहा है। एक समय ऐसा भी था जब हमारा देश विकसित देशों के लिए कुड़े का ढेर समझा जाता था। परंतु अब चीजें पूर्णतया बदल गयी हैं और आज स्थिति यह है कि हमारा देश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु पसंदीदा स्थान माना जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विश्व आर्थिक सम्मेलन दिल्ली में हुआ था। समूचे विश्व से आर्थिक विशेषज्ञ यहां आए थे और उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को अपना 'गुरू' माना। उनके विचारों को सबसे महत्वपूर्ण माना गया और ये विचार आर्थिक मंदी के इस दौर में चुनौतियों का सामना करने हेतु अन्य क्षेत्रों के लिए यह प्रारंभिक पाठ थे। इसी तरह हमारा देश अपनी वित्तीय स्थिरता पर गर्व कर सकता है। निःसंदेह कुछ खामियां हो सकती हैं। नयी विश्व व्यवस्था से हम अपने आपको अलग नहीं रख सकते और इसलिए हो सकता है कि आर्थिक मंदी से हमें कुछ समस्याएं होंगी। साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए कि हम इस स्थिति पर काबू पाने में समर्थ हैं। यह सरकार एक मिशन के साथ काम कर रही है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसे वित्त मंत्री हैं जिन्होंने विश्व को यह बताया है कि भारत में मंदी कहीं भी नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था स्थिर है।

ऐसे समय में जब आर्थिक सुधार शुरू किए जाने की बात की गई उस समय कुछ ऐसी शक्तियां थीं जिन्होंने आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में बाधक बनने का काम किया परंतु सौभाग्यवश आज ऐसी शक्तियां राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य से बाहर कर दी गयी हैं। आज स्थिति सुविधाजनक है। जहां तक विकासात्मक क्रियाकलापों की बात है तो हमारे पास एक ही प्रकार के कारण नहीं हो सकते, विभिन्न देशों में विभिन्न स्थितियां होती हैं और जब हम अपनी स्थिति का मूल्यांकन करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि सुधार लाभ आधारित न होकर मानव आधारित होना चाहिए। गांधीजी की इच्छा थी कि जब कि किसी कार्य को किया जाए या उसे कार्यान्वित किया जाए तो उस सबसे उस गरीब-पिछड़े भारतीय का चेहरा याद रखना चाहिए। अतः हम जब भी कोई योजना बना रहे हों तो ऐसे दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए योजना बनानी चाहिए।

इससे पूर्व एक अन्य माननीय सदस्य नरेगा के बारे

[श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर]

में बात कर रहे थे। एक बहुत वरिष्ठ सदस्य ने नरेगा का खुबसूरती से लागू किए जाने की बात कही है। यह बात तो निश्चित रूप से एक अविवादित है। आजादी के बाद नरेगा की तरह का कोई कार्यक्रम हमारे देश में नहीं हुआ। यह हमारे देश में अब तक का सर्वोत्तम गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। एक चीज तो निश्चित है। जैसाकि माननीय सदस्य ने सही कहा है कि कुछ खामियां हो सकती हैं। इसमें कुछ आरंभिक समस्याएं हो सकती हैं। यह स्वाभाविक है। जहां तक रोजगार देने की बात है, यह बिल्कुल ठीक है। भुगतान पक्ष भी ठीक है। परंतु जहां तक दूसरे भाग की बात है तो हमें इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करना पड़ेगा। इस तरह धन का संवितरण किया जाता है और रोजगार भी दिया जाता है। इस योजना को पूर्णतया भ्रष्टाचार मुक्त बनाने हेतु तंत्र की स्थिति क्या है?

उसी प्रकार नरेगा के माध्यम से सृजित परिसंपत्तियों की गुणवत्ता और स्थायित्व का भी ठीक ढंग से जांच की जाए। जहां तक नरेगा के अंतर्गत शामिल कार्य की मदों की बात है तो यह अकुशल क्षेत्र में है। वहां भी हमें प्रगति करनी है। अतः अर्द्धकुशल कार्य और कुशल कार्य की इस योजना के अंतर्गत लाना होगा। हमें यह भी जांच करनी होगी कि क्या ये सभी योजनाएं उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो रही हैं जिन्हें हमने संजोया है।

मूल्य वृद्धि और अन्य चीजों के बारे में अन्य वक्ताओं ने उल्लेख किया है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। कुछ योजनाएं अभी भी धनराशि के अभाव में बंद बस्ते में पड़ी हैं। जहां तक कैंसर और हृदय रोगियों के लिए प्रधान मंत्री राहत कोष की बात है तो इस संबंध में भी हजारों आवेदन लंबित हैं। धनराशि हेतु पर्याप्त आवंटन नहीं किया गया है। हम प्रधानमंत्री को पत्र अग्रसारित कर रहे हैं। परंतु दुर्भाग्यवश धनराशि जारी नहीं की गयी है। मैं सरकार से विनम्र निवेदन करता हूं कि इस कोष हेतु अधिक आवंटन किया जाए ताकि इसे जनता के लिए वस्तुतः अच्छा बनाया जा सके।

सामाजिक न्याय क्षेत्र के लिए एक अलग मंत्रालय की मांग की जा रही है। सामाजिक न्याय के क्षेत्र में कुछ खामियां हैं। हमारे पास प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम की तरह अनेक योजनाएं हैं परंतु इस हेतु पर्याप्त आवंटन नहीं किया गया है। छात्रवृत्ति हेतु आवेदन काफी लंबे समय से लंबित हैं। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस क्षेत्र में अधिकतम संभावित आवंटन किया जाए।

प्रधान मंत्री ने यह घोषणा की है कि न्यायमूर्ति मिश्रा आयोग की रिपोर्ट कल इस सदन में सभा पटल पर रखी जाएगी। मैं प्रधान मंत्री की इस घोषणा के लिए सरकार को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं।

महोदय, जहां तक उचित जन शक्ति का संबंध है, माननीय सदस्य चीन के बारे में बात कर रहे थे। निःसंदेह विभिन्न देशों से सीखी जाने योग्य बहुत सी चीजें हैं। इस देश की परिसंपत्ति कुशल प्रशिक्षित जनशक्ति है। इस जनशक्ति का यथेष्ट उपयोग कैसे होगा? यह अपने आप में कुशलता है और भारत को इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए क्योंकि यही ऐसा क्षेत्र है जहां देश विकास कर सकता है। यदि हम जनशक्ति की आपूर्ति का समुचित प्रयोग करेंगे तो हमारा देश विश्व के अन्य सभी देशों से अधिक तरक्की कर सकता है।

मेरी अगली बात योजनाओं की अंतरण हानि के संबंध में है। भारत सरकार योजनाओं की स्वीकृति देती है परंतु जब यह आम आदमी तक पहुंचती है तो इसके अन्तरण में काफी हानि होती है विशेषकर राज्य सरकार और पंचायत स्तर पर क्रियान्वयन के संबंध में। इस अंतरण हानि को दूर किया जाना चाहिए। कोई भी योजना जिसे हम शुरू कर रहे हैं उसे बिना किसी क्षति के आम आदमी तक पहुंचना चाहिए।

एन.जी.ओ. की भूमिका की बात की जाए तो वे विकासात्मक क्रियाकलापों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। परंतु मेरा सुझाव यह है कि जो कार्य गैर सरकारी संगठनों को सौंपी गई योजनाओं के निष्पादन का उचित मूल्यांकन और निगरानी की जानी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

***श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार** (बलूरघाट): माननीय सभापति महोदय, आज हम अनुपूरक अनुदान मांगों पर चर्चा कर रहे हैं और इस पर कहने के लिए अब कुछ नहीं है। परंतु यह सच है कि समूचे देश में वह गांवों में और शहरों में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। खाद्यान्नों की कीमतें 25% तक तथा चीनी की कीमतें 45%; आलू और दाल की कीमत 104% और 35% तक बढ़ चुकी हैं। जिस तरह से कीमतों में असामान्य वृद्धि हो रही है इससे

*मूलतः बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

आम आदमी का जीना मुश्किल होता जा रहा है। अर्जुन सेनगुप्ता समिति की रिपोर्ट यह दर्शाती है कि देश की जनसंख्या के 77% लोगों को एक वक्त का ही भोजन मिल पाता है। फिर आप उनकी दुर्दशा का भली भांति अंदाजा लगा सकते हैं। वास्तव में हम कहां खड़े हैं? बी.पी.एल. सूचियों में अनेक खामियां हैं और आज भी हम सही व्यापक सूची नहीं बना पाए हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी काफी कमजोर है। अभी दोपहर में हमने चीनी और गन्ने पर चर्चा पूरी की है। मैंने उस समय भी कहा था कि 20% लेवी चीनी मिल से ही गायब कर दी जाती है और इस मामले में पी.डी.एस. लागू नहीं होता। शेष 80% गैर लेवी चीनी की कीमतें पहले ही 40 रु. अथवा 42 रुपए तक पहुंच चुकी है। इस प्रकार ऐसी वस्तुओं की कीमतें पहले ही आसमान छू रही हैं।

सरकार कहती है कि यह 'आम आदमी' के लिए है। परंतु व्यवहार में कुछ और ही नजर आता है। पिछली बार हमने यू.पी.ए. सरकार को इस उम्मीद के साथ बिना शर्त समर्थन दिया था कि और अधिक आर्थिक विकास होगा। मैं यह नहीं कहूंगा कि कुछ नहीं हुआ। पी.एम.जी.एस.वाई. और रोजगार गारंटी योजना से ग्रामीण जनसंख्या की काफी सहायता हुई है। उन्नति हुई है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि सरकार ने पिछली बार अच्छा काम किया और हम उनके सहयोगी थे।

समूचे विश्व में आर्थिक मंदी है जिसे भारत में भी महसूस किया जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में 15 से 20 लाख लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई। वे अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? वे क्या खाएंगे? वे कष्ट उठा रहे हैं। सरकार को उन्हें बचाने के लिए प्रोत्साहन पैकेज के साथ आगे आना होगा।

एक ओर कृषि है तथा दूसरी ओर उद्योग और देश की आर्थिक उन्नति के लिए दोनों को साथ काम करना चाहिए। दूसरे, आप सभी जानते हैं कि पी.एम.जी.एस.वाई. के माध्यम से देश के सभी भागों से सड़क संपर्क का विस्तार तथा अवसंरचना का विकास हुआ है। परंतु उचित निगरानी के अभाव में सड़कों की स्थिति खराब होती जा रही है। रघुवंश प्रसाद सिंह ने इसका उल्लेख किया है। हम यह भी देखते हैं कि जनजातीय क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण नहीं किया जा रहा है। जनजातीय लोग छोटे पुरवा में रहते हैं और 200 अथवा 250 से कम लोग ही साथ रहते हैं। परंतु पी.एम.जी.एस.वाई. का प्रथम मानदण्ड लोगों की संख्या है; जहां अधिक लोग रहेंगे वहां उन्हें सड़क संपर्क पहले मिलेगा। अतः जनजातीय लोग इससे वंचित हैं। उनकी संख्या कम है, वे वनों में अस्वास्थ्यकर स्थितियों अथवा पिछड़े गांवों में रहते हैं। उन्हें पक्की सड़कें या बुनियादी अवसंरचना नहीं मिली है। इन क्षेत्रों में विकास तो दूर की बात है। इस कारण ये अभागे लोग बहुत निराश हैं, दुःखी है। कोई भी सरकार इन जनजातीय लोगों और अनु.जाति/अनु.जनजाति के लोगों के बारे में कभी नहीं सोचती।

महोदय, आपके माध्यम से इस सम्माननीय सभा से मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि मुख्यधारा से दूर रहे इन जनजातीय लोगों का ध्यान रखे। उनकी संख्या अधिक है। उनकी इस वंचित स्थिति का लाभ माओवादी विद्रोही उठा रहे हैं जो झारखंड, मध्य प्रदेश जैसे क्षेत्रों में अव्यवस्था फैला रहे हैं। हम लोगों को इस पर नजर रखनी चाहिए। निश्चित रूप से अनुदान मांगों को पारित करेंगे परंतु हमें इस पहलु को नहीं भूलना चाहिए।

तीसरे धान, गेहूं, पटसन, गन्ना का समर्थन मूल्य वस्तुतः उपलब्ध नहीं है। जे.सी.आई., एफ.सी.आई. है और सरकार भी इन फसलों की खरीद कर सकती है लेकिन कुछ नहीं होता है। पश्चिम बंगाल में ही प्रत्येक किसान को केवल 700 रुपए दिए गए जबकि राशि 900 रुपए निर्धारित थे। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सरकार इस की जांच करे।

एक अन्य उत्तर बंगाल के चाय बागान का है। अधिकांश चाय बागान के कामगार अपना रोजगार खो चुके हैं। अनेक बागान के बंद होने के कारण उन्हें बहुत कठिनाईयां आ रही हैं। सरकार को भी इनका ध्यान रखना चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री तूफानी सरोज (मछलीशहर): सभापति महोदय, आपने मुझे सप्लीमैन्टरी बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने जब सदन में बजट पेश किया था तब इन्होंने ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी। इन्होंने ग्रामीण विकास के तहत आने वाली योजनाओं में बजटीय प्रावधान में खुलकर इजाफा किया। नरेगा में 144 फीसदी की बढ़ोतरी की गई। नरेगा के संबंध में तमाम हमारे सांसद साथियों ने चिंता जाहिर की है कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। श्री रघुवंश बाबू ने कहा कि मॉनिटरिंग कमेटी

[श्री तूफानी सरोज]

बनाई है। मॉनिटरिंग कमेटी के कितने सुझाव होते हैं, उसके बारे में लोग कितना सुनते हैं, उसके बारे में सब लोग जानते हैं. मैं उत्तर प्रदेश से चुनकर आता हूं। अभी पिछले दिनों अखबारों में आया था कि नरेगा का पैसा दूसरी मदों में ट्रांसफर कर दिया गया। जब इसकी बात यहां उठती है, यहां इसका जिक्र किया जाता है कि इसकी जांच-पड़ताल की जाए कि आप जो पैसा दे रहे हैं, उसका सदुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है तो सरकार कहती है कि स्टेट गवर्नमेन्ट की भी जिम्मेदारी है, इसलिए स्टेट गवर्नमेन्ट जाने। इससे आपकी विकास करने की जो मंशा है, उसका पता चलता है। आप जिस काम के लिए आप पैसा देते हैं, वह पैसा सही जगह पर उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है।

आपने बजट में बताया कि देश में 44 हजार ऐसे गांव हैं, जहां 50 परसैन्ट से ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। इन 44 हजार में से एक हजार गांव में आपने पायलट प्रोजैक्ट योजना बनाई थी। वह पायलट प्रोजैक्ट योजना जो सौ करोड़ रुपये से बनाई गई थी, उसका कहीं अता-पता नहीं चल रहा है। लगता है कि पायलट प्रोजैक्ट योजना को लेकर पायलट आकाश में उड़ गया है और वहीं पर मंडरा रहा है। उसका कुछ पता नहीं चल रहा है, वह लैंड नहीं कर रहा है।

बी.पी.एल. कार्ड्स के बारे में लोगों ने यहां चिंता व्यक्त की। पूरे देश में सूखा पड़ा...*(व्यवधान)* सूखा पड़ा तो बी.पी.एल. कार्ड्स बनाने में तमाम अनियमितताएं बरती गईं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि सूखा अमीरों के खेतों में भी रहा, मध्यम वर्ग के खेतों में भी रहा। मैं चाहूंगा कि बी.पी.एल. कार्ड्स की नियमावली में संशोधन करके मध्यम वर्ग को भी खाद्यान्न देने की व्यवस्था की जाए।

सभापति महोदय, जी.डी.पी. के बारे में बड़ी चर्चा हुई। जी.डी.पी. को देश के 80 परसैन्ट लोग नहीं जानते हैं कि यह क्या है। गांव में जी.डी.पी. क्या है, यह क्या होता है। पेपर्स में हम लोग पढ़ लेते हैं कि कभी जी.डी.पी. आठ परसैन्ट हो गई और कभी चार परसैन्ट हो गई। इससे गांवों के गरीब, मजदूर और किसानों का क्या लेना-देना है। भले ही आपके जी.डी.पी. की ग्रोथ नौ परसैन्ट हो जाए। लेकिन गांवों में, हमारे पूर्वांचल में सूखा पड़ा हुआ है। गांव के किसान, गरीब और मजदूर भूखे पेट सो रहे हैं, पेट पर हाथ रखकर सो रहे हैं। ताकि जी.डी.पी. ग्रोथ हो गई। जी.डी.पी. ग्रोथ हो जाने से पेट में अन्न नहीं जा रहा है। ग्रोथ तब होगी जब गरीब के पेट में आलू जायेगा, गोभी जायेगी, दाल जायेगी, सब्जी जायेगी, हर पदार्थ जायेगा, तब वह जी.डी.पी. का मतलब समझेगा। आप बार-बार जी.डी.पी. का बखान करते हैं। हमने बड़ी उन्नति कर ली है, बहुत बहस करते हैं कि हमने प्रगति कर ली है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया, अब अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री तूफानी सरोज: मुझे याद आता है कि जब हम लोग पढ़ते थे तो यही नारा लगाते थे - कांग्रेस आयी है, महंगाई लाई है। आज गांव में भी यही चर्चा हो रही है कि जब जब कांग्रेस आती है, तब तब महंगाई बढ़ती है। अब अगर यही हालात रहेंगे तो निश्चित तौर पर जी.डी.पी. से फिर आप इधर नहीं बैठे रहेंगे, उधर आपको आना पड़ेगा। यह जी.डी.पी. ग्रोथ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जे.एम. आरुन रशीद (थेनी): कांग्रेस सरकार ने किसानों के लिए ऋण माफी की घोषणा की...*(व्यवधान)* कांग्रेस सरकार द्वारा 60,000 करोड़ रुपए की कृषि ऋण माफी की घोषणा की गई है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय सदस्य श्री तूफानी सरोज के भाषण के अलावा कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए। माननीय सदस्य, आप कृपया अपनी बात जारी रखें।

(व्यवधान)...*

[हिन्दी]

श्री तूफानी सरोज: वैट के बारे में भी प्रदेश सरकार को लिखा है कि मूल्य वृद्धि कर को लागू किया जाये। उनके कर राजस्व में दिसम्बर, 2008 को खत्म हुये नौ महीने में पिछले साल की तुलना में 19 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। आज हमने पेपर में पढ़ा कि जो चीनी आयात की जायेगी, उसे वैट फ्री किया जायेगा, आप क्यों वैट फ्री कर रहे हैं? एन.डी.ए. के लोगों ने भी वैट लागू किया था, इनका भी समर्थन था। लेकिन हमारे नेता श्री मुलायम सिंह यादव ने कहा कि हम वैट लागू करके

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

गरीब जनता पर भार नहीं लादेंगे। आज वैट चीनी पर से हटा रहे हैं। मैं तो मांग करता हूं कि जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, सब पर वैट हटाया जाये। महंगाई एक अहम समस्या है। महंगाई के कारण सब परेशान हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैं माइक बंद कर रहा हूं। कृपया आखिरी बात कहें।

[हिन्दी]

श्री तूफानी सरोज: सभापति महोदय, मैं अंत में यह कहना चाहता हूं कि एक बहुत इम्पार्टेंट विषय है जिसके कारण हमारे 300 सांसद चुनाव हार गये हैं। जब भी हम सैंट्रल हाल में बैठते हैं तो लोग कहते हैं कि सांसद निधि की वजह से हमारी हार हुई। कल एम.पी.लैड्स कमेटी की बैठक थी जिसमें पढ़ने को मिला कि 12 मार्च, 2009 को सरकार ने रिपोर्ट दी...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया उन्हें परेशान न करें। वे बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री तूफानी सरोज: उसमें लिखा है कि 12 मार्च को सरकार ने जवाब दिया है कि हम असमर्थ हैं। हमारे पास धन की व्यवस्था नहीं है। सरकार ने अपनी असमर्थता जाहिर की है। सर्वोच्च न्यायालय की बात भी कही है। सर्वोच्च न्यायालय में कोई एन.जी.ओ. गया है लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहीं नहीं कहा है कि सांसद निधि न बढ़ाई जाये जब हम लोग यहां 1998-99 में थे, तब भी वही रेट था और आज 2009 में भी वही रेट है। उस समय भी 2 करोड़ रुपया मिलता था और आज भी वही मिलता है। हर चीज में ग्रोथ हो रहा है। उस समय 700 रुपये में एक हजार ईंट आती थी लेकिन आज 3500 रुपये में आती है। इसी प्रकार सीमेंट की बोरी 50 रुपये थी जो आज 250 रुपये में आती है। तब छड़ 1200 रुपये था, आज 3000 रुपये है। एक लोक सभा क्षेत्र में 5-7 विधानसभायें आती हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): मेरे यहां 17 हैं।

[हिन्दी]

श्री तूफानी सरोज: सांसद को एक विधान सभा क्षेत्र में दो किलोमीटर सड़क बनवाने के लिये 40 लाख रुपये एक साल में मिलते हैं और जनता यह जानती है कि सांसद को विकास कार्य के लिये पैसा मिलता है। वह हमारा हिसाब-किताब और लेखा-जोखा नहीं जानती है कि हमें कितना पैसा मिल रहा है या कितना नहीं मिल रहा है। उसका मतलब है कि काम होना चाहिये।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आपने काफी समय ले लिया है। मैंने आपको काफी समय दिया है। कृपया अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री तूफानी सरोज: सुबह-सुबह हमारे मकान पर मांगने के लिये 200 लोग आ जाते हैं। अच्छा होता है जब लोगों की भीड़ अपनी मांग को लेकर जुटती है। उसमें कुछ शुगर फ्री लोग रहते हैं, कम चाय खर्च होती है। अगर सब लोग आकर चाय पीते तो जो चीनी का भाव इस समय चल रहा है, हम जनप्रतिनिधियों के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती। आपने मिड-डे-मील में पैसा बढ़ा दिया।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैं कहूंगा "कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।" मैंने आपको अधिक समय दिया है। कृपया अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री तूफानी सरोज: मिड-डे-मील में जो योजना चला रहे हैं, कभी कढ़ाई में सांप मिल रहा है, कभी छिपकली मिल रही है, कभी मीनू के हिसाब से भोजन नहीं पक रहा है। इसमें तमाम तरह की बातें हैं...*(व्यवधान)* मैं सरकार से मांग करता हूं कि वर्तमान समय में महंगाई की समस्या है, उसे देखते हुये सांसद निधि दस करोड़ की जाये जिससे जो समस्यायें हैं, उनका निराकरण किया जा सके।

[अनुवाद]

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड): सभापति महोदय,

[श्री पी. करुणाकरन]

जबकि हम अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि सरकार को जवाब देना चाहिए कि वह महंगाई को नियंत्रित क्यों नहीं कर पा रही है। सरकार दावा करती है कि वृद्धि दर बेहतर है। सरकार यह भी दावा कर रही है कि मुद्रास्फीति का रुझान नकारात्मक है। इसका अर्थ यह है कि कोई महंगाई नहीं होनी चाहिए। यह सही है कि जहां तक बढ़ती अर्थव्यवस्था का संबंध है ये दो आर्थिक पैरामीटर से बेहतर हैं। फिर भी सरकार लोगों में यह संदेश नहीं पहुंचा पाई है। क्यों? सरकार को अपनी खरीद नीति, भंडारण नीति और अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी नीति के संबंध में गहन आत्म विश्लेषण करना चाहिए।

महोदय, इस चर्चा में भाग लेते हुए, मैं इस सभा के समक्ष कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे रखना चाहता हूं, जिनका राष्ट्र और राज्य भी सामना कर रहे हैं। गत कुछ वर्षों से देश के विभिन्न हिस्सों में सूखा और बाढ़ की स्थिति रही है।

इसके परिणामस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में गिरावट आई है और अर्थव्यवस्था भी कमजोर हुई है। जब हम अनुपूरक अनुदानों की मांगों के रूप में अतिरिक्त व्यय पर चर्चा करें, तो इस पर विचार करें कि क्या केन्द्र सरकार ने गत कुछ वर्षों में न्याय किया है।

वर्ष 2007, 2008 और 2009 के दौरान केरल के उन किसानों को भारी घाटा हुआ था जो सामान्य कृषि उत्पादों का उत्पादन करते हैं और जो नकदी फसलों का उत्पादन करते हैं। एक केन्द्रीय दल ने राज्य का दौरान किया है और यह अनुमान लगाया कि राज्य को लगभग 5000 से 6000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। किंतु सी.आर.एफ. अथवा एन.सी.सी.एफ. के अन्तर्गत नाममात्र की ही धनराशि स्वीकृत की गई? इसलिए, केन्द्र सरकार को किसानों को हुए भारी घाटे की भरपाई के लिए कम से कम निष्पक्ष रूप से बर्ताब करना चाहिए।

महोदय, किसी भी प्रकार के विकास के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं एक पूर्व आवश्यकता हैं। बिजली सभी परियोजनाओं के लिए अनिवार्य है। केरल सरकार केरल के 14 जिलों हेतु राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना शुरू करने के लिए एक विस्तृत योजना अनुमान प्रस्तुत कर चुकी है। किंतु मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि किसी भी परियोजना को स्वीकृति नहीं दी गई है।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना एक श्रेष्ठ योजना है जिसे एन.डी.ए. सरकार ने शुरू किया और इस सरकार ने जारी रखा। यह एक अच्छी योजना है। यह गांवों में लोगों को बेहतर ग्रामीण सड़क संपर्क उपलब्ध कराती है। इस योजना को कार्यान्वित करते हुए, केरल की कुछ व्यावहारिक समस्याएं हैं जो केरल सरकार केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर चुकी है। प्रत्येक राज्य की विशेष प्रकृति पर विचार करते हुए इस योजना के तहत निर्धारित मानदंडों को लचीला बनाया जाना चाहिए। 8 मी. चौड़ाई, 1.12 ग्रेडियल जैसे मानदंड और पैकेज योजना भी केरल में इसके कार्यान्वयन में कठिनाई पैदा कर करे हैं। इसलिए, केन्द्र सरकार को इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए कुछ छूट देने पर विचार करना चाहिए ताकि केरल सरकार द्वारा अधिक कार्य शुरू किए जा सकें।

आजकल गरीब लोगों के लिए आवास सुविधा सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गई है। केरल सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों और आश्रय या भूमि विहीन अन्य पात्र लोगों के लिए 4 लाख आवास स्वीकृत करने का निर्णय लिया है। यह योजना ई.एम.एस. आवास योजना के नाम से जानी चाती है। सहकारी क्षेत्र इस क्षेत्र को वित्तपोषित करने के लिए आगे आया है। किंतु साथ ही साथ राज्य सरकार को भारी वित्तीय भार उठाना पड़ेगा। केरल सरकार भारत सरकार को इस संबंध में वित्तीय सहायता देने का अनुरोध कर चुकी है। मेरा अनुरोध है कि केन्द्र सरकार इस पर विचार करे।

महोदय, आसियान समझौता कृषि और नकदी फसल क्षेत्र दोनों में किसानों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा। हालांकि नकारात्मक सूची में कुछ मदें शामिल की गई हैं, इससे सभी किसानों के लिए कोई स्थाई हल नहीं निकलेगा। इसलिए, सरकार को मदों का आयात करते वक्त बेहतर प्रशुल्क ढांचा लागू करने के लिए कदम उठाने चाहिएं।

केरल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्यकरण सर्वविदित है। यह देश के अन्य राज्यों के लिए आदर्श है। किंतु साथ ही साथ, हमें बहुत ही कम मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त हो रहे हैं। केरल को आपूर्ति किए गए ए.पी.एल. चावल के संबंध में 82 प्रतिशत की कटौती की गई। इतनी मात्रा से सभी वर्गों के लोगों, विशेषकर ए.पी.एल. श्रेणी के लोगों के लिए राशन उपलब्ध कराना संभव नहीं है। अतएव बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए हमने लगभग सभी क्षेत्रों में नई उचित दर दुकानें और आवश्यक स्टोर भण्डार खोल रहे हैं। मावेली स्टोर में हम 14 रुपये

किलो की दर से चावल प्राप्त कर सकते हैं जबकि खुले बाजार में इसकी कीमत 28 से 30 रुपये प्रति किलो है और केरल में राज्य सरकार के हस्तक्षेप के चलते इसकी कीमत 22 रुपये प्रति किलो है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि सरकार द्वारा दिया गया वास्तविक आबंटन मुहैया कराया जाए।

केन्द्र सरकार ने देश में 6000 आदर्श विद्यालय प्रारंभ करने का निर्णय लिया है परंतु इस प्रयोजनार्थ बनायी गयी सूची में केरल को शामिल नहीं किया गया है। शायद इसका कारण यह है कि राज्य सरकार ने बेहतर शैक्षणिक स्थिति प्राप्त कर ली है। परंतु साथ ही साथ वहां ऐसे कई स्थान और क्षेत्र हैं जो पिछड़े हुए हैं। इसलिए कुछ वार्डों को शामिल करना ही होगा।

चूंकि राज्य ने सामाजिक क्षेत्र में प्रगति दर्ज की है इसलिए इसकी यह उपलब्धि शिक्षा और स्वास्थ्य के संबंध में केरल के लिए एक बाधा बन गयी है, क्योंकि इस कारण हमें ज्यादा धनराशि नहीं मिल रही है। साथ ही साथ हमें उच्चतर शिक्षा संबंधी मुद्दों तथा नयी बीमारियों के मुद्दों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए केन्द्र सरकार को नये मानदण्ड बनाकर अधिक धनराशि मुहैया करानी चाहिए।

केरल में तकरीबन 600 किलोमीटर लंबी तटरेखा फैली हुयी है। लाखों मछुआरे अपनी जीविका के लिए मछली पकड़ने के काम पर निर्भर हैं। मशीनीकृत नावें और देशी नावों में केरोसीन का उपयोग होता है परंतु सरकार ने गरीब मछुआरों के लिए केरोसीन के किसी विशेष कोटे का निर्धारण नहीं किया है। सरकार वास्तव में स्वयं ही पीडी प्रणाली का उपयोग अन्य कार्यों के लिए कर रही है।

महोदय, वित्त मंत्रालय ने राष्ट्रीयकृत तथा वाणिज्यिक सभी बैंकों को परिपत्र जारी किए हैं कि वे उन व्यक्तियों की सूची मुहैया कराएं जिन्होंने 10 लाख रुपये तक की राशि बैंक में जमा कराई है। परंतु मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है कि जहां तक सहकारी बैंकों का प्रश्न है उन्हें उन व्यक्तियों की सूची देनी होगी जिन्होंने केवल एक लाख रुपये तक भी जमा करा रखे हैं। जहां तक केरल का प्रश्न है वहां पर सहकारी बैंक काफी मजबूत हैं जैसा कि हमने देखा है कि राष्ट्रीयकृत और वाणिज्यिक बैंकों की तरह सहकारी बैंक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निस्संहेद, यह सच है कि वित्त मंत्रालय सूची मांग सकता है परंतु साथ ही साथ जहां तक सूची प्रस्तुत कराने का प्रश्न है राष्ट्रीयकृत, वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों में एकरूपता होनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): सभापति महोदय, मैं आपका बेहद आभारी हूं कि आपने मुझे सप्लीमैंट्री डिमांड्स पर वक्तव्य रखने का अवसर दिया।

सभापति जी, मैं पहली बार लोक सभा का सदस्य बना हूं। मैं बहुत देर से सुन रहा था। इतनी देर में तीन सांसदों को छोड़कर किसी ने भी सप्लीमैंट्री डिमांड्स में क्या ऐक्सैस है और क्यों चाहिए, उस पर चर्चा नहीं की। अपने साथियों की परंपरा का पालन करते हुए मैं अपने आपको माननीय तूफानी सरोज जी से एसोसियेट करता हूं कि या तो हमारा सांसद फंड रीजनेबल किया जाए जिससे हम सब अपने क्षेत्र में कार्य कर सकें, अथवा यह हटा ही दिया जाए क्योंकि एक अनार और सौ बीमार वाली बात है। हर पंचायत से हमारे पास डिमांड आती है और हम किसी की डिमांड पूरी नहीं कर पाते हैं।...*(व्यवधान)*

चौधरी लाल सिंह: हटाने की बात मत बोलो, नहीं तो ये तो तैयार बैठे हैं।...*(व्यवधान)*

डॉ. संजय जायसवाल: हर ब्लाक में हम रीजनेबल काम कर सकें इसके लिए सांसद फंड की व्यवस्था दें।• ...*(व्यवधान)*

सप्लीमैंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर मैं उम्मीद कर रहा था कि कांग्रेस से माननीय अधीर रंजन चौधरी जी कुछ सप्लीमैंट्री डिमांड्स के बारे में बोलेंगे। उन्होंने मूल्य वृद्धि बोला, नरेगा बोला, पी.एम.जी.एस.वाई. बोला, वर्ल्ड का रिसैशन बोला, सब कुछ बोला, लेकिन सत्ता पक्ष ने भी यह नहीं बोला कि इन्हें एक्सैस फंड क्यों चाहिए, किस चीज के लिए यूटिलाइज करेंगे। इसके लिए माननीय अधीर रंजन चौधरी जी ने कोई भी वक्तव्य नहीं दिया। पर मैं अपने आपको इसी पर सीमित रखूंगा। कांग्रेस के सांसद जब भी बजट पर चर्चा करते हैं, तो माननीय पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का नाम जरूर लेते हैं कि वे कहते थे कि हम केन्द्र से एक रुपया भेजते हैं तो थोड़ा सा पैसा ही क्षेत्र में जा पाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? बजट के पैसे का दुरुपयोग कैसे हो रहा है,

[डॉ. संजय जायसवाल]

यह मैं संसद के सामने रखना चाहता हूं। सबसे दु:खद बात यह है कि जो विभाग भारत सरकार के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, उन्होंने ही सप्लीमैंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स दिया है।

सबसे पहले मैं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के बारे में कहना चाहूंगा। माननीय एम.एस. गिल साहब राजनीति में आने से पहले जो थे, कोई भी अगर चुनाव में 25 लाख रुपये से एक रुपया भी ज्यादा खर्च करता था तो वे उसे संसद में आने के अधिकार से वंचित करने की बात करते थे। मंत्री बनने के बाद आज उनकी स्थिति यह हो गई है कि 797 करोड़ का स्पोर्ट्स बजट, जो कॉमन वेल्थ गेम्स आर्गनाइजिंग कमेटी ने अपने लिए मांगा था, उसे इन्होंने बढ़ा कर 1620 करोड़ दे दिया है। उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि हमें 232 करोड़ और दिया जाए। 797 करोड़ को 1620 करोड़ करने वाले आर्गनाइजिंग कमेटी को पारितोषिक के रूप में 232 करोड़ दिया जा रहा है। मैं सभापति महोदय का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने इस बार कम से कम 50 करोड़ रुपए खिलाड़ी भी मेडल जीतें, इसके लिए रखा है, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसमें माननीय सभापति जी का भी योगदान है, यह मैं अच्छी तरह से जानता हूं।

सभापति महोदय, शहरी विकास मंत्रालय को भी कॉमन वेल्थ गेम्स के लिए 1675 करोड़ चाहिए। दिल्ली सरकार अरबों रुपए कॉमन वेल्थ गेम्स के लिए मांग चुकी है। कभी सौन्दर्यकरण, विद्युतीकरण, सीवर लाईन के निर्माण, वाटर ट्रीटमेंट और कभी दिल्ली की सुरक्षा के नाम पर पैसा मांगा जा रहा है। इस तरह से अरबों रुपया मांगा जा रहा है। मुझे कभी-कभी लगता है कि कॉमन वेल्थ गेम्स हमारे देश की राजधानी में नहीं, बल्कि बाढ़ से प्रभावित किसी गांव में हो रहा है, जहां इन्फ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई चीज नहीं थी। वहां पहली बार इन्फ्रास्ट्रक्चर बनने जा रहा है। दिल्ली सरकार की मांगें इसी तरह की हैं। कॉमन वेल्थ गेम्स माननीय अटल जी का सपना था। हम चाहते हैं कि कॉमन वेल्थ गेम्स बड़े ही शानदार ढंग से हों, परन्तु इस कॉमन वेल्थ गेम्स में कितने लोगों की वेल्थ बढ़ रही है, इसकी भी जांच जरूरी होनी चाहिए।

सभापति महोदय, अब मैं उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय पर बात करूंगा। इन्हें साढ़े तीन सौ करोड़ की अतिरिक्त सहायता चाहिए - चीनी विकास निधि और चीनी मिलों के विकास के लिए। आप किसानों को 16 रुपए किलो की हिसाब से गन्ने का पेमेंट देते हैं, चीनी मिलें 40 रुपए किलो में बेच रही हैं। हिन्दुस्तान की सारी चीनी मिलें इसमें करोड़ों रुपए कमा चुकी हैं। उसके बाद भी चीनी विकास निधि और चीनी मिलों के विकास के लिए पैसा क्यों चाहिए, यह बात मेरी समझ से परे हैं। मैं एफ.सी.आई. की बात करता हूं। एफ.सी.आई. में 1600 करोड़ इन्हें अतिरिक्त चाहिए। बाहर क्या होता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे जिले में एफ.सी.आई. में केवल दलालों की चलती है। किसान बेचारे ट्रैक्टर लेकर गोदाम के सामने खड़े रहते हैं, उनका कोई भी नहीं जाता है और वही किसान जब दलाल को आठ सौ करोड़ रुपए में बेच देता है तो एक मिनट में उसका ट्रैक्टर गोडाउन के भीतर चला जाता है। मैंने जब इस बात को उठाया तो वहां पर 40 किलोमीटर के रेडियस में एफ.सी.आई. के आफिसरों का ट्रांसफर कर दिया गया और अपने काम की जिम्मेदारी खत्म कर दी गई। दस लाख टन पांच वर्षों में एफ.सी.आई. का अनाज सड़ा है, क्या इसके लिए किसी भी एक आदमी को छोटी सी सजा भी दी गई? मेरा कहना है कि इसमें जवाबदेही तय हो।

सभापति मोहदय, अभी कोलकाता बंदरगाह पर 40 हजार टन दाल सड़ गई और किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि यहां दाल की कितनी किल्लत है। यह बात किसी से छिपी नहीं है।...(*व्यवधान*) मैं होम मिनिस्ट्री पर बोलना चाहूंगा कि इस साल दो बार बजट पेश हो चुका है और इंटेलीजेंस ब्यूरो ने अब सप्लीमेंट्री डिमांड्स के लिए 185 करोड़ रुपए एस्टेब्लिशमेंट रिलेटेड एक्सपेंडीचर के लिए मांगा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा इंटेलीजेंस ब्यूरो कितना चुस्त एवं सतर्क है, उसकी अपनी एक साल की क्या डिमांड्स हैं, यह नहीं समझ सकता है तो वह हम सब की रक्षा कितनी इफेक्टिवली करेगा, यह सोचने की बात है। आई.बी. और रॉ का क्या खर्च है, यह संसद की चीज नहीं है, लेकिन मेरा माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध होगा कि वह जरूर ध्यान रखें कि उसमें कोई भी धांधली न हो। इसी तरह आई.सी.डी.एस. में 1080 करोड़ आप सप्लीमेंट्री में मांग रहे हैं और आंगनबाड़ी सेविकाओं को आप 50 रुपए प्रतिदिन देते हैं। अगर हम अपने यहां किसी मजदूर को दैनिक मजदूर रखें और उसे 50 रुपए दें तो आप तुरंत हमें जेल में भेज देंगे। लेकिन भारत सरकार आंगनबाड़ी सेविकाओं को केवल 50 रुपए प्रतिदिन देती है, उसके लिए किसकी जिम्मेदारी है, उन्हें मिनिमम वेजेज भी नहीं मिलता।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अब बैठ जाइए।

[हिन्दी]

डॉ. संजय जायसवाल: सभापति महोदय, मैं अपना बाकी भाषण ले कर देता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्यों, अनुदानों (सामान्य) की अनुपूरक मांगों पर चर्चा समाप्त हो चुकी है और माननीय मंत्री इसका उत्तर कल देंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब हम 'शून्य काल' पर चर्चा आरंभ करेंगे।

श्री भर्तृहरि महताब। केवल दो मिनट का ही समय लें।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): मैं समझता हूं, तीन मिनट का समय है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया यहां इन चीजों के बारे में बात न करें।

श्री भर्तृहरि महताब: कोई बात नहीं, मैं अध्यक्ष तथा अध्यक्षपीठ के निर्णय का भी आदर करता हूं।

मैं तात्कालिक लोक महत्व के एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाना चाहता हूं। हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र अध्ययन ने यह बताया है कि हालांकि पिछले दशक में विश्व भर में खसरे से होने वाली मौतों की संख्या में 78 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गयी है तथापि यदि धनराशि में कमी की गयी अथवा राजनीतिक इच्छा शक्ति को बरकरार नहीं रखा गया तो यह बीमारी पुन: विकराल रूप धारण कर सकती है।

खसरे से होने वाली मौतों की संख्या में 90 प्रतिशत कमी करने के संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने के बावजूद 2008 तक खसरे से होने वाली प्रत्येक चार मौतों में से तीन केवल भारत ही में होती रही हैं इस प्रकार हम अपने निर्धारित लक्ष्य से भी दो वर्ष आगे चल रहे हैं। 2000 में विश्व भर में हुई वार्षिक मौतों की संख्या गत वर्ष घट कर 1,14,000 रह गई है। विगत दशक के दौरान टीकाकरण की वजह से 43 मिलियन लोगों की जान बच गयी। हालांकि सोमालिया और बुश्कीना फासो की स्थिति हमसे बेहतर है।

विगत कुछ वर्षों में काफी कुछ प्राप्त किया जा चुका है और हमें उन लोगों का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने कड़ी मेहनत की और अपने आपको इस कार्यक्रम के प्रति समर्पित कर दिया। परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह बहुत तेजी से फैलने वाली बीमारी है, और प्रयासों में जरा सी कमी का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। रूझान तथ्यों में परिलक्षित होते हैं। नौ माह की आयु पर एक अकेली खुराक दी जाती है। इससे बच्चों का 85 प्रतिशत प्रतिरक्षण हो जाता है। दूसरी खुराक जो कि बूस्टर खुराक होती है 2004 से लगभग 99 प्रतिशत बच्चों के जीवन की रक्षा कर सकती है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री भी यहां पर उपस्थित हैं। मैं इस मामले पर उन्हें भी शामिल करना चाहूंगा। पहले ही 6 वर्ष बीत चुके हैं और प्रतिरक्षण कार्यक्रम में दूसरी खुराक देने की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पायी है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपने अपनी बात बहुत अच्छे ढंग से कही है।

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, आज सचेत करने वाली बात यह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2010 के लिए 59 मिलियन डालर के वित्त पोषण के अंतर को दर्शाया है। राजनीतिक तथा वित्तीय वचनबद्धताओं के कारण परिणामस्वरूप खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज भी, विश्व में हर रोज खसरे के कारण 450 लोगों की मृत्यु होती हैं, जिसे रोका जा सकता है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि बेहतर राजनीतिक तथा वित्तीय वचनबद्धताओं के लिए एक ऐसा परिवेश तैयार किया जाए ताकि खसरे को जड़ से मिटाया जा सके। मुझे यकीन है कि भारत को इससे सबसे ज्यादा फायदा पहुंचेगा चूंकि हमारी मृत्यु दर विश्व में सबसे अधिक है।

[हिन्दी]

श्री बाल कुमार पटेल (मिर्जापुर): सभापति महोदय, ग्रामों के विकास के लिए नरेगा योजना चलाई गई है। यह अच्छी योजना है, यह बात ठीक है, लेकिन इस योजना में हमारे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हो रही हैं। मैं मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र से लोक सभा के लिए चुना गया हूं। अभी बहुत लोगों ने कहा कि इसमें अनियमितताएं नहीं होती हैं, लेकिन हलिया विकास खंड

[श्री बाल कुमार पटेल]

में नौ माह पूर्व किए गए कार्य की मजदूरी के 19 लाख रुपए गबन किए गए और जब मजदूरों ने आन्दोलन किया, तो वहां के प्रशासन ने उन्हें गैंगेस्टर कानून के तहत अंदर भेजने का काम किया। इसी प्रकार वन विभाग द्वारा सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत नरेगा योजना में किए गए कार्य की छः माह पूर्व की मजदूरी मांगने पर आदिवासियों के रिहायशी छप्पर उजाड़कर वन विभाग द्वारा बेदखल किया गया और उनके विरुद्ध वन अधिनियम के अन्तर्गत मिर्जापुर में फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए।

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र का एक ब्लॉक राजगढ़ में भी पड़ता है। राजगढ़ के ग्राम चौखड़ा में तो काम हुआ ही नहीं, तालाब खुदा ही नहीं और 3,61,200 रुपए निकाल लिए गए। ये अनियमितताएं हमारे मिर्जापुर जनपद में हो रही हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि वहां के लोगों की नरेगा के अन्तर्गत बकाया मजदूरी का भुगतान अविलम्ब कराया जाए और उनके विरुद्ध दायर किए गए फर्जी मुकदमे समाप्त किए जाएं एवं नरेगा की धनराशि फर्जी तरीके से हड़पने वालों पर प्रभावी कार्रवाई की जाए, जिससे आंदोलनकारियों को न्याय मिल सके। आपने समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सायं 8.00 बजे

श्री जयवंत गंगाराम आवले (लातूर): सभापति महोदय, महाराष्ट्र के नांदेड़ में सिखों के धर्मगुरू गोविन्द सिंह जी की गुरता गद्दी है, जो काफी धार्मिक स्थान और पर्यटन स्थल है। देश विदेश से लोग यहां आते हैं। वर्ष 2008 में यात्रियों की सुविधा हेतु सरकार ने नांदेड़-लातूर-मुम्बई फ्लाइट सेवा शुरू की थी, जो अभी दो महीने पहले बन्द हो चुकी है। इसके कारण तीर्थयात्रियों और व्यापारियों को काफी कठिनाई हो रही है। यह हवाई यात्रा शुरू होने से उड्डयन विभाग को काफी राजस्व प्राप्त हो रहा था। फ्लाइट सेवा बन्द होने के कारण महाराष्ट्र की जनता में काफी जनाक्रोश है।

अतः सरकार से मेरी मांग है कि नांदेड़-लातूर-मुम्बई फ्लाइट सेवा पुनः नियमित रूप से बहाल की जाये।

[अनुवाद]

श्री आनंदराव अडसुल *(अमरावती):* महोदय, मैं महाराष्ट्र के भुसावल स्टेशन पर दूषित अपमिश्रित तता घटिया खाने की बिक्री से संबंधित अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले को उठाने के लिए खड़ा हुआ हूं।

भुसावल स्टेशन देश का सबसे बड़ा जंक्शन है जहां से दिल्ली, कोलकाता तथा मुंबई को जाने वाली रेलगाड़ियां गुजरती हैं। संयोगवश, रेल कामगार सेना का अध्यक्ष होने के नाते मैं पिछले सप्ताह वहां एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गया था। वहां, मैंने अपमिश्रित भोजन की बिक्री के संबंध में बड़ी संख्या में यात्रियों की शिकायतें सुनीं, जिससे यात्रियों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। मैंने तुरंत ही डी.आर.एम. जो स्टेशन पर नहीं थे, से फोन पर संपर्क किया। उनके परामर्शानुसार मैंने ए.डी.आर.एम. से संपर्क किया और उन्हें प्लेटफार्म पर ले गया। मैंने पाया कि वहां एक ही व्यक्ति या ग्रुप के 23 स्टॉल थे। मैंने यह भी पाया कि पिछले कई वर्षों से, वही ठेकेदार तथा स्टॉल स्वामी उस स्टेशन पर और दूसरे स्टेशनों पर कार्यकर रहे थे।

तत्पश्चात्, मैंने यह भी पाया कि वहां बिक रहे सभी खाद्य पदार्थ नकली थे। केक, ब्रेड, दूध की बोतलें तथा पानी की बोतलें सभी नकली थीं। यह रेलवे के मानदण्डों का उल्लंघन है।

दूसरे, मैंने पाया कि वहां आलू बड़ा तथा कचौड़ी बेचने की अनुमति नहीं थी जबकि इसे गोदाम में भी तैयार किया जा सकता है। इससे रेलवे को लाखों रुपये का मुनाफा हो सकता है। परंतु यह स्थान ठेकेदारों द्वारा उपयोग किया जा रहा है। इससे पता चलता है कि वहां यह सब अधिकारियों और रेलवे पुलिस की मिलीभगत से चल रहा है।

जब मैंने वहां का दौरा किया, मैंने वहां औषधि और खाद्य अधिकारियों को बुलाया और उनसे नमूने लेने को कहा। मैंने पंचनामा किया। इसी बीच, उन स्टाल स्वामियों द्वारा रखे गए कुछ 'गुंडे वहां आए और उन्होंने मुझे धमकी दी परंतु वहां पुलिस कुछ भी नहीं कर रही थी। बाद में, हमने नमूने लिए और इसे जांच के लिए भेजा।

सभापति महोदयः आपने अपनी बात रख दी। कहानी बताने की जरूरत नहीं है।

श्री आनंदराव अडसुलः महोदय, ठीक है।

परंतु यह अत्यंत गंभीर मामला है, इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि रेलवे प्राधिकारी इसका संज्ञान लें। इसमें कार्यवाही करने की जरूरत है।

श्री आर. थामराईसेलवन (धर्मापुरी): महोदय, मैं कतिपय रेलवे परियोजनाओं के कार्यान्वयन तथा इन परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार पर शर्ते लगाए जाने के संबंध में केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

सर्वप्रथम मैं, तमिलनाडु में दीर्घकाल से मांग की जा रही 108 करोड़ रुपये की कुल लागत से लगभग 36 किलोमीटर की लंबित रेलवे लाइन मोरापट्टु-धर्मापुरी सहित आठ नई रेल परियोजनाओं की संस्वीकृति के लिए सरकार को धन्यवाद देता हूं। यह मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आता है। इन सभी नयी रेल परियोजनाओं की 50 प्रतिशत लागत राज्य सरकार द्वारा वहन करने की शर्त के साथ संस्वीकृत किया गया है।

इस संबंध में, मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि यदि इन परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जाता है तो यह रेलवे के लिए बड़े पैमाने पर राजस्व सृजन करेगा चूंकि दोनों स्थानों का धर्म, वाणिज्य तथा पर्यटन की दृष्टि से दोनों स्थानों के भौगोलिक ढांचा के कारण यह मार्ग आर्थिक रूप से अत्यधिक व्यवहार्य है।

सभापति महोदय, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री डॉ. कलाईगनार ने सरकार से रेलवे द्वारा संपूर्ण लागत को वहन करने का अनुरोध किया है। इसलिए, मैं भारत सरकार से तमिलनाडु सरकार पर अनुग्रहपूर्वक विचार करने तथा इन आठ नई रेल परियोजनाओं की संपूर्ण लागत स्वयं रेलवे द्वारा वहन करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री तूफानी सरोज: मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान सूखाग्रस्त किसानों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मैं संसदीय क्षेत्र मछली शहर, जनपद-जौनपुर, उत्तर प्रदेश से चुनकर आता हूं। जनपद-जौनपुर को सूखाग्रस्त जिला घोषित किया गया था, पर आज तक सूखा पीड़ित किसानों को सूखा राहत कोष से कोई राहत नहीं उपलब्ध करायी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सूखा राहत के लिए जो नीति निर्धारित कर रखी है, उससे किसी भी किसान को लाभ नहीं मिलना है।

प्रदेश सरकार की नीति के अनुसार जितनी काश्त की गई है, उसी का सर्वे कराने का आदेश किया गया था। जबकि हकीकत यह है कि धान रोपने के लिए जो बीज खेत में डाला गया था, सूखे के कारण वह बीज खेत में ही सूख गया। ऐसी हालत में धान की रोपाई कैसे हो सकती थी? केंद्र सरकार द्वारा मोटी धनराशि उत्तर प्रदेश सरकार को दी गई थी। जौनपुर जनपद हेतु सूखा राहत के लिए 17 करोड़ रुपए आया था। किसानों को एक पैसा वितरित नहीं किया गया, बल्कि वह पैसा प्रदेश सरकार वापस मंगा लिया। जबकि सूखा के कारण किसानों के बीच हाहाकार मचा हुआ है और किसान सूखा राहत के पैसे की तरफ टकटकी लगाये हुए है। पैसा वापस कर सरकार दूसरे मद पर खर्च करने की योजना बनायी है। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के विरोध में काम कर रही है।...*(व्यवधान)*

अतः आपके माध्यम से सरकार से मेरी मांग है कि सूखा पीड़ित किसानों को राहत दिलाने के लिए वह उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश जारी करे ताकि किसानों को कुछ राहत मिल सके।

[अनुवाद]

श्री पी. करुणाकरन: महोदय, मैं केरल के कुछ भागों में विशेषरूप से मराठी समुदाय में व्याप्त गंभीर मुद्दों के संबंध में संबंधित मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

वर्ष 1952 के बाद मराठी समुदाय को राज्य अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया था, और केरल तथा कर्नाटक में दोनों राज्यों में यह समुदाय अनुसूचित जनजाति की सूची में थे। वर्ष 2002 में, बिना किसी पर्याप्त सत्यापन के उन्हें इस सूची से हटा दिया गया तथा छात्रों और अन्य लोगों को प्राप्त होने वाले लाभों से वंचित कर दिया गया। यू.डी.एफ. और एल.डी.एफ. दोनों सरकारों ने केन्द्र सरकार के साथ-साथ अनुसूचित जनजाति आयोग से इसे अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का अनुरोध किया था। अल्पसंख्यक आयोग ने इस स्थान का दौरा किया था और उसने भी यह अनुरोध किया तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कि इस समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाए।

जनजाति की मुख्य प्रकृति अर्थात् शैक्षिक पिछड़ापन, भोगौलिक पिछड़ापन तथा वित्तीय पिछड़ापन अब भी विद्यमान है इसलिए उन्हें बाहर रखने का कोई औचित्य नहीं है। कासरगौड से मंगलौर की दूरी मात्र 10-15 किलोमीटर है लेकिन यदि वह कर्नाटक अर्थात मंगलौर में आ जाते हैं तो वे अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल हो जाते हैं लेकिन जब वे कासरगौड में आते हैं तो उन्हें इस सूची में शामिल नहीं किया जाता। एक ही परिवार में कोई अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल हो सकता है

[श्री पी. करुणाकरन]

और कोई नहीं भी शामिल हो सकता है। अतः इसका कोई औचित्य नहीं है। केन्द्र सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है। यह दोनों राज्यों पर लागू है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं, वे इन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए तत्काल कदम उठाए।

[हिन्दी]

डॉ. भोला सिंह (नवादा): सम्मानित सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केंद्रीय सरकार के रेलवे मंत्रालय से कुछ आग्रह करना चाहता हूं। मध्य-पूर्व रेलवे जोन में जो हाजीपुर है, बरौनी जंक्शन एशिया का सबसे बड़ा प्लेटफार्म है, जहां दस वर्ष पहले बहुत सारी एक्सप्रेस ट्रेन्स रुकती थीं। आज दुर्भाग्य है कि जिसे क्षेत्रीय जोन होना चाहिए, वह एक साधारण स्टेशन भी नहीं रह रहा है। मैं आपके माध्यम से रेलवे मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि सैंकड़ों क्वार्टर बने हुए हैं जो भूत बंगला बन चुके हैं। बीहट जो आजादी के संग्राम का बारदोली था, उसके किसानों ने तीन हजार एकड़ जमीन गरहरा यार्ड, जो बरौनी जंक्शन में है, उसे दी। वह जमीन परती पड़ी हुई है। सभापति महोदय, तकलीफ तब होती है जब इस देश के कई रेलवे मंत्रियों ने वहां जाकर कोच कारखाना बनाने के लिए, सैंट्रल डिपो बनाने के लिए शिलान्यास किया। लेकिन सब छलावा साबित हुआ। मैं आज बड़े दर्द के साथ इस बात को उठाना चाहता हूं। मैडम सुश्री ममता बनर्जी रेल मंत्री हैं। उन्होंने इस सदन में कई घोषणाएं की हैं। मैं रेल मंत्रालय से आग्रह करना चाहता हूं कि किसानों ने जो तीन हजार एकड़ जमीन गरहरा यार्ड को दे रखी है, जिसे 50-60 वर्ष हुए हैं, हम चाहते हैं कि वहां मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज या बड़ा अस्पताल बने ताकि आजादी के संग्राम के शहीदों के सपने चरितार्थ हो सकें। मैं आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से, जो जनता की आशा, आकांक्षाओं का दर्पण है, केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि गरहरा यार्ड को एक राष्ट्रीय फलक पर उपस्थापित करें। वहां मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज या अस्पताल बने। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान, सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही): सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बोलने का अवसर दिया। उत्तर प्रदेश में बनारस, इलाहाबाद, काशी और प्रयाग देश ही नहीं विश्व की एक धार्मिक नगरी, ऐतिहासिक नगरी है। उसके मध्य में भदोही, जो हमारी लोक सभा क्षेत्र भी है, कालीन नगरी जो हजारों, हजार करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा अर्जित करती रही है, उसकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक रेलवे लाइन जो काशी-प्रयाग के मध्य से जा रही है, उसके दोहरीकरण करने की बात है। वहां का मुख्यालय, स्टेशन ज्ञानपुर रोड है जहां शिवगंगा एक्सप्रेस के ठहराव की मांग की गई है, क्योंकि वहां विश्व स्तर का क्षेत्र सीता समाहित स्थल भी उसी से रिलेटेड है।

मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि भदोही जनपद, जहां विदेशी बॉयर आते हैं, वहां शहर के मध्य एक ट्रैक और बड़ा लम्बा राजमार्ग है। उसके ओवरब्रिज के लिए वर्षों से मांग की जा रही है। राज्य सरकार से भी उसकी संस्तुतिं, स्वीकृति हो चुकी है। उसके प्रस्ताव आ चुके हैं। वह ओवरब्रिज बनाने का मानक भी पूर्ण करता है। वह पवित्र नगरी जो काशी और प्रयाग के बीच कालीन नगरी के रूप में है, उसके बीचों-बीच रेलवे ट्रैक जाता है, एक लम्बा राजमार्ग एल.डी. रोड है, उसके ऊपर पुल का निर्माण होना बहुत आवश्यक है। उससे कालीन उद्योग का विकास होगा। विदेशी बॉयर घंटों जाम में फंसे रहने के कारण पुनः वहां नहीं आते। वे प्रयाग, काशी, बनारस या इलाहाबाद रुकना चाहते हैं। इस ओवरब्रिज के निर्माण से उस शहर का विकास होगा, कालीन उद्योग का विकास होगा और विदेशी मुद्रा भी अर्जित होगी। इसका प्रस्ताव बहुत दिनों से लंबित है। राज्य सरकार का प्रस्ताव भी आया हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि भदोही में ओवरब्रिज का निर्माण करवाकर उसका विकास किया जाए, कालीन उद्योग का विकास किया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आज का कार्य समाप्त हो गया है।

सभा 11 दिसम्बर, 2009 के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 8.15 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार 11 दिसम्बर, 2009/20 अग्रहायण, 1931(शक) के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री मनीष तिवारी	301
2.	श्री जगदानंद सिंह डॉ. संजय जायसवाल	302
3.	योगी आदित्यनाथ श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	303
4.	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल श्री सुदर्शन भगत	304
5.	श्री आर.के. सिंह पटेल	305
6.	श्री लालजी टन्डन श्री तूफानी सरोज	306
7.	श्रीमती सुप्रिया सुले श्री जी.एस. बासवराज	307
8.	श्री राकेश सचान	308
9.	श्री महेन्द्र कुमार राय	309
10.	श्री पी. कुमार श्री एम. आनंदन	310
11.	श्री सुशील कुमार सिंह डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी	311
12.	श्रीमती दीपा दासमुंशी	312
13.	श्री पुलीन बिहारी बासके श्री रुद्रमाधव राय	313
14.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	314
15.	श्री प्रताप सिंह बाजवा श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी	315
16.	श्रीमती जे. शांता श्री के. सुगुमार	316
17.	श्री एस. अलागिरी	317
18.	श्री आर. ध्रुवनारायण	318
19.	श्रीमती सुस्मिता बाउरी	319
20.	श्री एस.आर. जेयदुरई	320

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आदित्यनाथ, योगी	3453
2.	अडसुल, श्री आनंदराव	3533
3.	अग्रवाल, श्री जय प्रकाश	3414
4.	अहीर, श्री हंसराज गं.	3367, 3445, 3493, 3515
5.	अजमल, श्री बदरूद्दीन	3380, 3472
6.	अलागिरी, श्री एस.	3460
7.	अनंत कुमार, श्री	3397, 3470
8.	एंटोनी, श्री एंटो	3404, 3475, 3508, 3522
9.	बाबर, श्री गजानन ध.	3382, 3424
10.	बलीराम, डॉ.	3437, 3490, 3513
11.	बर्क, डॉ. शफीकुर्रहमान	3378
12.	बाउरी, श्रीमती सुस्मिता	3463, 3501
13.	बावलिया, श्री कुवंरजीभाई	3394, 3466
14.	बासवराज, श्री जी.एस.	3454, 3496, 3528, 3529
15.	भडाना, श्री अवतार सिंह	3359

1	2	3
16.	भगत, श्री सुदर्शन	3468, 3505, 3528
17.	चक्रवर्ती, श्रीमती विजया	3433
18.	चौहाण, श्री महेन्द्रसिंह पी.	3413, 3454, 3480, 3528
19.	चौहान, श्री संजय सिंह	3422
20.	चौहान, श्री प्रभातसिंह पी.	3379
21.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	3358, 3441
22.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	3410
23.	चौधरी, श्रीमती श्रुति	3422
24.	चौधरी, श्री अधीर	3405
25.	दासमुंशी, श्रीमती दीपा	3457
26.	देवरा, श्री मिलिंद	3479
27.	धनपालन, श्री के.पी.	3387
28.	ध्रुवनारायण, श्री आर.	3461, 3500, 3519
29.	दुबे, श्री निशिकांत	3428, 3535
30.	गढ़वी, श्री मुकेश भैरवदानजी	3438
31.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	3425, 3436
32.	गांधी, श्री वरुण	3403, 3484, 3514
33.	गवली, श्रीमती भावना पाटील	3417
34.	गौडा, श्री डी.बी. चन्द्रे	3395
35.	हक, शेख सैदुल	3402, 3473, 3507
36.	हेगड़े, श्री अनंत कुमार	3412, 3478, 3506
37.	जायसवाल, डॉ. संजय	3474

1	2	3
38.	जाट, श्रीमती पूनम वेलजीभाई	3407
39.	जेयदुरई, श्री एस.आर.	3446
40.	झांसी लक्ष्मी, श्रीमती बोचा	3395
41.	जिन्दल, श्री नवीन	3356
42.	जोशी, श्री महेश	3396
43.	जोशी, डॉ. मुरली मनोहर	3471, 3478, 3521
44.	जूदेव, श्री दिलीप सिंह	3435, 3490
45.	कश्यप, श्री वीरेन्द्र	3450, 3456
46.	खैरे, श्री चंद्रकांत	3363, 3427, 3434, 3479
47.	खतगांवकर, श्री भास्करराव बापूराव पाटील	3436
48.	कुमार, श्री कौशलेन्द्र	3416
49.	कुमार, श्री विश्व मोहन	3422, 3489, 3534
50.	कुरुप, श्री एन. पीताम्बर	3430
51.	लागुरी, श्री यशवंत	3415
52.	लिंगम, श्री पी.	3530
53.	मादम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	3408
54.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	3423, 3485, 3512
55.	महन्त, डॉ. चरण दास	3383
56.	महतो, श्री नरहरि	3420
57.	माझी, श्री प्रदीप	3374, 3451, 3504, 3538
58.	मजूमदार, श्री प्रशान्त कुमार	3420
59.	मणि, श्री जोस के.	3376

1	2	3
60.	मांझी, श्री हरि	3416
61.	मीणा, डॉ. किरोड़ी लाल	3357, 3440, 3466
62.	मित्रा, श्री सोमेन	3486
63.	मुत्तेमवार, श्री विलास	3375, 3376, 3482, 3511
64.	नाईक, डॉ. संजीव गणेश	3531
65.	निरूपम, श्री संजय	3426, 3487
66.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	3458
67.	पक्कीरप्पा, श्री एस.	3361, 3443, 3475
68.	पांडा, श्री वैजयंत	3377, 3393, 3501
69.	पांडा, श्री प्रबोध	3384, 3525
70.	पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार	3401, 3534
71.	पाण्डेय, श्रीगोरख नाथ	3419
72.	पाण्डेय, डॉ. विनय कुमार	3365, 3449
73.	पाटसाणी, डॉ. प्रसन्न कुमार	3450
74.	पाठक, श्री हरिन	3429
75.	पाटील, श्री ए.टी. नाना	3411
76.	पाटील, श्री दानवे रावसाहेब	3388, 3462
77.	प्रभाकर, श्री पोन्नम	3370, 3448, 3495, 3516, 3526
78.	प्रधान, श्री अमरनाथ	3488
79.	प्रधान, श्री नित्यानंद	3377, 3393
80.	पुनिया, श्री पन्ना लाल	3386, 3459, 3499
81.	राघवन, श्री एम.के.	3390, 3465

1	2	3
82.	राजगोपाल, श्री एल.	3424
83.	राजुखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह	3383
84.	राम, श्री पूर्णमासी	3385, 3389, 3410
85.	रामासुब्बू, श्री एस.एस.	3439
86.	रामकिशुन, श्री	3400
87.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	3392, 3528
88.	राठौड़, श्री रमेश	3371
89.	राठवा, श्री रामसिंह	3418, 3466, 3481
90.	रावत, श्री अशोक कुमार	3449
91.	राय, श्री रूद्रमाधव	3368, 3479, 3510, 3523
92.	रेड्डी, श्री गुथा सुखेन्द्र	3381, 3413
93.	रेड्डी, श्री के.आर.जी.	3432
94.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	3526
95.	रेड्डी, श्री अनन्त वेंकटरामी	3469, 3526
96.	सेम्मलई, श्री एस.	3395
97.	सचान, श्री राकेश	3455
98.	सरोज, श्रीमती सुशीला	3382, 3424, 3491, 3536
99.	सरोज, श्री तूफानी	3447, 3477
100.	सत्पथी, श्री तथागत	3421, 3479, 3483
101.	शानवास, श्री एम.आई.	3406, 3449, 3476, 3509, 3522
102.	शांता, श्रीमती जे.	3442, 3496
103.	शर्मा, श्री जगदीश	3398, 3471, 3506, 3521

1	2	3
104.	शेखर, श्री नीरज	3399, 3414
105.	शेटकर, श्री सुरेश कुमार	3372
106.	शिवाजी, श्री अधलराव पाटील	3533
107.	सिद्देश्वर, श्री जी.एम.	3536
108.	सिंह, श्री गणेश	3364, 3467
109.	सिंह, श्री इज्यराज	3396
110.	सिंह, श्रीमती मीना	3422
111.	सिंह, श्री पशुपति नाथ	3496
112.	सिंह, श्री राधा मोहन	3409
113.	सिंह, श्री सुशीला कुमार	3456, 3498, 3518, 3539
114.	सिंह, श्री बृजभूषण शरण	3399
115.	सिंह, श्री रेवती रमन	3528
116.	सिंह, श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह	3398, 3412
117.	सिंह, डॉ. संजय	3369
118.	सिरिसिल्ला, श्री राजैया	3373
119.	सुधाकरण, श्री के.	3518, 3532
120.	सुगावनम, श्री ई.जी.	3355, 3439, 3492, 3537

1	2	3
121.	सुगुमार, श्री के.	3464, 3500, 3503, 3520
122.	सुले, श्रीमती सुप्रिया	3454, 3496, 3517, 3524
123.	सुरेश, श्री कोडिकुन्नील	3360, 3444, 3494, 3522, 3527
124.	स्वामी, श्री एन. चेलुवरया	3362, 3488, 3502
125.	स्वराज, श्रीमती सुषमा	3431
126.	ठाकोर, श्री जगदीश	3394, 3466
127.	ठाकुर, श्री अनुराग सिंह	3450, 3456
128.	तम्बिदुरई, डॉ. एम.	3500
129.	थॉमस, श्री पी.टी.	3466
130.	टोम्पो, श्री जोसेफ	3366
131.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	3415, 3468
132.	वेणुगोपाल, श्री के.सी.	3391
133.	वाकचौरे, श्री भाउसाहेब राजाराम	3452, 3497
134.	वानखेड़े, श्री सुभाष बापूराव	3411
135.	यास्खी, श्री मधु गौड	3436

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

रसायन और उर्वरक	:	
नागर विमानन	:	305, 313, 317, 318, 320
कारपोरेट कार्य	:	307
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	319
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	314
विधि और न्याय	:	303
अल्पसंख्यक मामले	:	
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	301, 306, 311, 315
रेलवे	:	304, 308, 309, 312, 316
इस्पात	:	
वस्त्र	:	302, 310

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

रसायन और उर्वरक	:	3380, 3381, 3403, 3438, 3445, 3447, 3462, 3473, 3497, 3504, 3506, 3514, 3516, 3521, 3535
नागर विमानन	:	3356, 3359, 3364, 3367, 3376, 3389, 3390, 3392, 3397, 3416, 3424, 3431, 3436, 3446, 3448, 3449, 3465, 3472, 3474, 3479, 3481, 3482, 3486, 3487, 3505, 3509, 3511, 3515, 3519, 3526, 3527, 3538
कारपोरेट कार्य	:	3451
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	3358, 3391, 3432, 3503
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	3363, 3402, 3425, 3427, 3537
विधि और न्याय	:	3357, 3377, 3538, 3529
अल्पसंख्यक मामले	:	3362, 3378, 3420, 3441, 3452, 3495
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	3361, 3365, 3366, 3368, 3371, 3372, 3374, 3382, 3394, 3395, 3398, 3408, 3409, 3412, 3413, 3417, 3418, 3421, 3434, 3435, 3440, 3443, 3450, 3456, 3460, 3461, 3463, 3466, 3467, 3468, 3476, 3483,

		3484, 3488, 3490, 3498, 3507, 3510, 3517, 3518, 3520, 3523, 3524, 3525, 3530, 3531, 3532, 3533, 3539
रेलवे	:	3355, 3360, 3369, 3370, 3379, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388, 3396, 3399, 3400, 3401, 3404, 3405, 3406, 3407, 3410, 3411, 3419, 3422, 3423, 3428, 3429, 3430, 3433, 3437, 3439, 3442, 3444, 3453, 3454, 3455, 3457, 3459, 3464, 3470, 3475, 3476, 3489, 3491, 3492, 3493, 3494, 3499, 3500, 3501, 3502, 3512, 3513, 3522, 3534, 3536
इस्पात	:	3373, 3469, 3477, 3480, 3496, 3508
वस्त्र	:	3375, 3393, 3414, 3415, 3426, 3458, 3471, 3485.

इन्टरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस. - 48/6/15/2009 (एन.)
230

© 2010 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (बारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और चौधरी मुद्रण केन्द्र, द्वारा मुद्रित।